



आर्थिक (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) क्षेत्र पर  
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन  
31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए



मध्य प्रदेश शासन  
वर्ष 2016 का प्रतिवेदन क्र. 3

आर्थिक (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) क्षेत्र पर  
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए

मध्य प्रदेश शासन  
वर्ष 2016 का प्रतिवेदन क्र.3

## विषय सूची

	कण्डिका क्रमांक	पृष्ठ क्रमांक
प्राक्कथन		vii
विहंगावलोकन		ix
<b>पहला अध्याय</b>		
<b>प्रस्तावना</b>		
बजट प्रोफाइल	1.1	1
राज्य शासन के संसाधनों का अनुप्रयोग	1.2	1
भारत सरकार से सहायता अनुदान	1.3	2
लेखापरीक्षा की आयोजना एवं संचालन	1.4	2
निरीक्षण प्रतिवेदनों पर शासन की उत्तरदेयता का अभाव	1.5	3
महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अवलोकनों पर शासन की प्रतिक्रिया	1.6	4
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई	1.7	4
लेखापरीक्षा की पहल पर वसूलियां	1.8	5
राज्य विधान मंडल में स्वायत्त संस्थाओं के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को रखे जाने की स्थिति	1.9	6
<b>दूसरा अध्याय</b>		
<b>निष्पादन लेखापरीक्षा</b>		
<b>नर्मदा घाटी विकास विभाग</b>		
इंदिरा सागर परियोजना की नहरों का निर्माण और सिंचाई क्षमता का सृजन	2.1	9
<b>पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग</b>		
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों का निर्माण	2.2	36
<b>किसान कल्याण तथा कृषि विकास, वन एवं जल संसाधन विभाग</b>		
मध्यप्रदेश में बुंदेलखंड सूखा राहत पैकेज का कार्यान्वयन	2.3	63
<b>जल संसाधन विभाग</b>		
जल संसाधन विभाग, मध्यप्रदेश द्वारा कार्यान्वित "इंटरप्राइज़ इंफारमेशन मेनेजमेंट सिस्टम-ईआईएमएस" पर सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा	2.4	93
<b>जल संसाधन विभाग</b>		
निर्माण कार्यों में गुणवत्ता आश्वासन पर दीर्घ प्रारूप	2.5	120

	कण्डिका क्रमांक	पृष्ठ क्रमांक
कण्डिका		
<b>तीसरा अध्याय</b>		
<b>लेन-देनों की लेखापरीक्षा</b>		
<b>नियमों, आदेशों इत्यादि का अनुपालन न किया जाना</b>	<b>3.1</b>	<b>135</b>
<i>नागरिक विमानन विभाग</i>		
यूरोकॉप्टर से ईसी 155 बी 1 हेलीकॉप्टर की खरीदी	3.1.1	135
<i>जल संसाधन विभाग</i>		
ठेकेदार को अधिक एवं अनियमित भुगतान	3.1.2	137
न फूलने एवं चिपकने वाली मिट्टी की परत का आवश्यक परीक्षणों के बिना निष्पादन	3.1.3	140
सीमेंट कांक्रीट कार्य हेतु ठेकेदार को अनौचित्यपूर्ण भुगतान	3.1.4	141
ठेकेदार को संदेहास्पद कपटपूर्ण भुगतान	3.1.5	143
<b>औचित्य के बिना व्यय</b>	<b>3.2</b>	<b>144</b>
<i>जल संसाधन विभाग</i>		
न फूलने एवं चिपकने वाली मिट्टी, स्लीपरों के गलत प्रावधान और अनचाहे क्रियान्वयन के कारण अतिरिक्त लागत।	3.2.1	144
कार्य के मद को अन्यायोचित रूप से हटाने के कारण अतिरिक्त व्यय	3.2.2	147
<i>नर्मदा घाटी विकास विभाग</i>		
अवास्तविक प्राक्कलन के कारण परिहार्य अतिरिक्त व्यय	3.2.3	149
<i>लोक निर्माण विभाग</i>		
ठेकेदार को अधिक भुगतान	3.2.4	150
<b>सतत एवं व्यापक अनियमितताएं</b>	<b>3.3</b>	<b>151</b>
<i>जल संसाधन विभाग</i>		
ठेकेदार को मूल्य वृद्धि का अस्वीकार्य भुगतान	3.3.1	151
<i>पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग</i>		
ठेकेदार पर निर्णीत हर्जाने का कम आरोपण	3.3.2	153
<i>नर्मदा घाटी विकास विभाग</i>		
गलत मूल्य सूचकांको को अपनाने के परिणामस्वरूप अधिक भुगतान	3.3.3	154
<i>जल संसाधन विभाग</i>		
लापरवाही के कारण उद्धहन सिंचाई योजनाओं पर अपव्यय	3.3.4	156

	कण्डिका क्रमांक	पृष्ठ क्रमांक
असावधानी के कारण विफलता	3.4	157
<i>जल संसाधन विभाग</i>		
ठेकेदार को अदेय लाभ	3.4.1	157

परिशिष्ट		
परिशिष्ट क्रमांक	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
1.1	30 जून 2015 को बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों (नि.प्र.) का वर्षवार विश्लेषण दर्शाता पत्रक	161
2.1	दोषी ठेकेदार से अतिरिक्त लागत की वसूली न होना, दर्शाने वाला पत्रक	163
2.2	ठेकेदार को मूल्यवृद्धि पर अनियमित/अधिक भुगतान दर्शाने वाला पत्रक	164
2.3	पीओएल घटक पर गलत दर अपनाने के कारण मूल्य वृद्धि का अधिक भुगतान दर्शाने वाला पत्रक	165
2.4	अतिरिक्त सुरक्षा जमा की कम कटौती दर्शाने वाला पत्रक	166
2.5	शास्ति न लगाने का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण पत्रक	167
2.6	नहर की आरडी किमी 206 से आरडी किमी 243 के अनुबंध क्रमांक 02/2009-10 के संबंध में सीमेंट और स्टील की दर की गलत मापदंड के प्रावधानों के कारण मूल्यवृद्धि का अतिरिक्त भुगतान दर्शाने वाला पत्रक	168
2.7	निर्धारित अवधि पूरा होने के बाद मूल्यवृद्धि का भुगतान दर्शाने वाला पत्रक	169
2.8	कार्य की लागत में कमी न करने से ठेकेदार को अदेय लाभ दर्शाने वाला पत्रक	169
2.9	एक्वेडक्ट की ड्राइंग में संशोधन से ठेकेदार को अनुचित लाभ दर्शाने वाला पत्रक	170
2.10	मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण का संगठनात्मक चार्ट	171
2.11	चरण/समूह-वार, निविदा प्रीमियम (नि.प्री.) और लागत आधिक्य/बचत के समायोजन की गणना दर्शाने वाला पत्रक	172
2.12	पंचायत या जनता की पहल पर संरक्षण में परिवर्तन की मांग के प्रकरण दर्शाने वाला पत्रक	173
2.13	विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों में कमियों के उदाहरणों को दर्शाने वाला पत्रक	174
2.14	बचतों का मदों/मात्रा से परे उपयोग जो डीपीआर में नहीं दी	175

परिशिष्ट		
परिशिष्ट क्रमांक	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
	गई थीं को दर्शाने वाला पत्रक	
2.15	योजना और इसके प्रभाव में कमियाँ दर्शाने वाला पत्रक	178
2.16	निर्णीत हर्जाने (एल.डी.) की कम कटौती दर्शाने वाला पत्रक	181
2.17	निरस्त किए गए ठेकों के मामले में दोषी ठेकेदारों से राशि की वसूली न करने की अवधि दर्शाने वाला पत्रक ठेकेदार से वसूली हेतु राजस्व वसूली प्रमाण पत्र को जारी न किये जाने वाला विवरण को दर्शाने वाला पत्रक	186
2.18	जहां मोटर वाहनों की संख्या 100 से कम है, 6 मीटर से परे चौड़ी सड़क के निर्माण से अतिरिक्त व्यय दर्शाने वाला पत्रक	188
2.19	नान-आईएसआई मार्क ह्यूम पाइप के उपयोग पर राशि की कटौती न करने को दर्शाने वाला पत्रक	191
2.20	नान-आईएसआई मार्क ह्यूम पाइप के उपयोग के लिए दर की गलत प्रयुक्ति से अतिरिक्त भुगतान को दर्शाने वाला पत्रक	195
2.21	पंचवर्षीय पश्चात् रखरखाव कार्य (एमटीएन) दिए जाने में विलंब और पेच-रिपेयर पर व्यय दर्शाने वाला पत्रक समय पर एमटीएन कार्यों को देने के बाद भी पेच रिपेयर पर व्यय दर्शाने वाला पत्रक	196
2.22	विनिर्दिष्ट की तुलना में अतिरिक्त चौड़ाई के साथ पुलों के निर्माण से अतिरिक्त लागत दर्शाने वाला पत्रक	199
2.23	11 वीं एवं 12वीं योजना अवधि के अंतर्गत प्रारंभ की गई गतिविधियों का विवरण दर्शाने वाला पत्रक	201
2.24	बी.डी.एम. पी से व्यय के पश्चात विभाग द्वारा छोड़ी गयी योजनाओं का विवरण दर्शाने वाला पत्रक	202
2.25	लाभ लागत अनुपात में कमियों को दर्शाने वाला पत्रक	203
2.26	योजनाओं जिनके लिए 11 वीं योजना अवधि के बाद निविदा आमंत्रण सूचना जारी की गई, को दर्शाने वाला विवरण पत्रक (यथा 31.03.2012 के पश्चात)	204
2.27	योजना सौंपे जाने के बाद भूमि के अधिग्रहण के विवरण दर्शाने वाला पत्रक	204
2.28	योजना सौंपे जाने के बाद भूमि के अधिग्रहण के विवरण दर्शाने वाला पत्रक	205
2.29	विभाग द्वारा विस्तृत प्राक्कलन को तैयार किए बिना कार्य का क्रियान्वयन दर्शाने वाला पत्रक	207
2.30	लघु सिंचाई योजनाओं के क्रियान्वयन में अनियमितताओं का विस्तृत विवरण दर्शाने वाला पत्रक	208
2.31	वियर का विवरण दर्शाने वाला पत्रक	209

परिशिष्ट		
परिशिष्ट क्रमांक	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
2.32	वियर की नींव में उच्चतर विशिष्टि के प्रावधान के विवरण को दर्शाने वाला पत्रक	210
2.33	अनुबंधित कार्य का अन्य व्यक्ति को भुगतान के विवरण को दर्शाने वाला पत्रक	211
2.34	हार्ड रॉक के अनुपयोग का विवरण दर्शाने वाला पत्रक	212
2.35	स्थापना, पेट्रोल, आईल, लुब्रीकेन्ट्स, लेखन सामग्री तथा सर्वेक्षण कार्य पर व्यय का विवरण दर्शाने वाला पत्रक	213
2.36	बुन्देलखण्ड पैकेज के अंतर्गत 12 वीं योजना में पारित योजनाओं पर भू-अधिग्रहण के व्यय का विवरण दर्शाने वाला पत्रक	213
2.37	उपयोगिता सुनिश्चित किए बिना अधोसंरचना के सृजन को दर्शाने वाला पत्रक	214
2.38	प्राक्कलनों में प्रावधानित किन्तु कार्यान्वित न की गई कार्य की मर्दों को दर्शाने वाला पत्रक	218
2.39	सीमेंट कांक्रीट कार्यों के क्रियान्वयन के लिए विचलन के विवरण को दर्शाने वाला पत्रक	225
2.40	सी.सी. पेवमेंट के नीचे डब्लू.बी.एम. तथा डी.एल.सी. के क्रियान्वयन के कारण अतिरिक्त लागत को दर्शाने वाला पत्रक	226
2.41	वेयर हाउसिंग संरचनाओं की प्लिंथ में सी.सी. 1:3:6 एवं स्टोन डस्ट के क्रियान्वयन को दर्शाने वाला पत्रक	228
2.42	विलंब के लिए शास्ति के कम आरोपण/ अनारोपण को दर्शाने वाला पत्रक	230
2.43	भौतिक सत्यापन के विवरण को दर्शाने वाला पत्रक	231
2.44	सीमेंट के मिलावट के लिए परीक्षण दर्शाने वाला पत्रक	232
2.45	स्टील के लिए परीक्षणों की स्थिति दर्शाने वाला पत्रक	233
2.46	सी एन एस सामग्री के लिए परीक्षण नहीं किए जाने को दर्शाने वाला पत्रक	234
2.47	उपयोग की गई एलडीपीई फिल्म, जिसके लिए आवश्यक परीक्षण नहीं किए गए, के विवरण को दर्शाने वाला पत्रक	234
2.48	गुणवत्ता परीक्षणों की आवृत्ति में कमी दर्शाने वाला पत्रक	235
2.49	कार्य न करने की स्थिति वाले उपकरण को दर्शाने वाला पत्रक सुधार योग्य दशा के उपकरण दर्शाने वाला पत्रक	236
3.1	ठेकेदार का अनियमित भुगतान को दर्शाने वाला पत्रक	237
3.2	रोक टो, स्टोन चिप, पिचिंग और मिट्टी के अनुपयोग की कटौती न करने के कारण अधिक भुगतान को दर्शाने वाला पत्रक	237
3.3	खराब रिप रैप के निष्पादन पर अतिरिक्त लागत को दर्शाने वाला	238

परिशिष्ट		
परिशिष्ट क्रमांक	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
	पत्रक	
3.4	बिटुमिनस कार्य हेतु गलत दर को लागू करने के कारण अधिक भुगतान का विवरण दर्शाने वाला पत्रक	239
3.5	मूल्य वृद्धि के कारण ठेकेदार को अधिक भुगतान को दर्शाने वाला पत्रक	240
3.6	विभाग के स्तर पर विलंब पर टिप्पणियों को दर्शाने वाला पत्रक	242
3.7	निर्णीत हर्जाने के कम आरोपण को दर्शाने वाला पत्रक	243
3.8	बर्गी डायवर्सन परियोजना मैहर की सतना-रीवा मुख्य नहर में सभी साम्रगियों हेतु मूल्य वृद्धि गणना को दर्शाने वाला पत्रक	244
3.9	बर्गी डायवर्सन परियोजना नहर की नागोद में सभी साम्रगियों हेतु मूल्य वृद्धि गणना को दर्शाने वाला पत्रक	246
3.10	ठेकेदार द्वारा निष्पादित मात्रा को दर्शाने वाला पत्रक	248
3.11	ठेकेदार को अदेय लाभ को दर्शाने वाला पत्रक	249




## प्राक्कथन

मार्च 2015 को समाप्त वर्ष हेतु यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत मध्य प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में, मध्य प्रदेश शासन के आर्थिक तथा (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) क्षेत्र के अंतर्गत नागरिक विमानन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, वन, नर्मदा घाटी विकास, पंचायत एवं ग्रामीण विकास और जल संसाधन विभागों की अनुपालन लेखापरीक्षाओं एवं निष्पादन लेखापरीक्षाओं के महत्वपूर्ण परिणाम समाविष्ट हैं। यद्यपि, सामान्य, सामाजिक एवं राजस्व क्षेत्रों के अधीन विभागों को छोड़ा गया है एवं उसे सामान्य, सामाजिक एवं राजस्व क्षेत्र के प्रतिवेदनों में सम्मिलित किया गया है।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित किए गए दृष्टांत उन दृष्टांतों में से हैं जो वर्ष 2014-15 के दौरान नमूना लेखापरीक्षा करते समय जानकारी में आए तथा ऐसे भी मामले हैं जो पूर्व वर्षों में जानकारी में आ चुके थे परन्तु जिन्हें पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित नहीं किया जा सका था; वर्ष 2014-15 की अनुवर्ती अवधि से संबंधित मामले भी यथास्थान सम्मिलित किए गए हैं।

लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों की अनुरूपता में संचालित की गई है।



विहंगावलोकन

## विहंगावलोकन

मध्य प्रदेश शासन के आर्थिक (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) क्षेत्र पर 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष हेतु भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के इस प्रतिवेदन में वित्तीय संव्यवहारों की लेखापरीक्षा से उद्भूत चार निष्पादन लेखापरीक्षा, एक दीर्घ प्रारूप कंडिका और 14 कंडिकाएं सम्मिलित हैं। महत्वपूर्ण निष्कर्षों का सारांश नीचे दिया गया है:

### 1. निष्पादन लेखापरीक्षाएं

#### 1.1 इंदिरा सागर परियोजना की नहरों का निर्माण और सिंचाई क्षमता का सृजन

इंदिरा सागर परियोजना (खंडवा जिले में), सरदार सरोवर परियोजना की, जल प्रवाह के विरुद्ध (अपस्ट्रीम) नर्मदा नदी पर राज्य की एक बहुउद्देशीय परियोजना है। परियोजना में 7.90 मिलियन एकड़ फीट (एमएएफ) सक्रिय भंडारण, 2.00 एम.ए.एफ.मृत भंडारण क्षमता एवं 248.65 किलोमीटर (243.89 किमी के लिए संशोधित) लंबी मुख्य नहर वाला एक 92 मीटर ऊंचा और 653 मीटर लंबा कांक्रीट ग्रेविटी बांध शामिल हैं। परियोजना का उद्देश्य राज्य में 1.69 लाख हेक्टेयर की कुल वार्षिक सिंचाई के साथ, खंडवा, खरगोन और बड़वानी जिलों में 1.23 लाख हेक्टेयर सिंचाई उपलब्ध कराना है।

इंदिरा सागर परियोजना की नहरों के निर्माण एवं सिंचाई क्षमता के सृजन की निष्पादन लेखापरीक्षा में निम्नलिखित कमियों का पता चला:

- 62,200 हेक्टेयर में सिंचाई उपलब्ध कराने के लिए, इंदिरा सागर परियोजना की प्रारंभिक विस्तार अर्थात् चरण-I एवं चरण-II के कार्य ₹ 3,102.89 करोड़ के व्यय के बाद भी पूर्ण नहीं हुए थे।

(कंडिका 2.1.7)

- ठेकेदारों ने वितरण नेटवर्क का साथ-साथ निष्पादन करने के बजाय मुख्य नहर के निष्पादन पर जोर दिया, जिससे सिंचाई क्षमता के सृजन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

(कंडिका 2.1.7.2)

- मानक बोली दस्तावेज़ में निर्दिष्ट शर्तों से विचलन, आदेशों का विवेकहीन संशोधन, मूल्य वृद्धि की संगणना हेतु गलत सूचकांकों के अपनाने एवं निर्धारित पूर्णता अवधि के बाद समय वृद्धि की अनियमित स्वीकृति के परिणामस्वरूप ₹ 93.48 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान हुआ।

(कंडिकाएं 2.1.8.2 एवं 2.1.8.8)

- निर्माण कार्यों के लक्ष्य की पूर्णता में विलंबों हेतु टर्नकी ठेकेदारों पर ₹ 118.78 करोड़ की शास्ति आरोपित नहीं की गयी और ट्रांसमिशन लाईन के अवांछित आइटम का समावेश करने से टर्नकी ठेकेदार को ₹ 75.19 करोड़ का अदेय लाभ दिया गया।

(कंडिका 2.1.8.7 एवं कंडिका 2.1.8.11)

- आइटम रेट ठेकों को टर्नकी ठेकों से बदलने का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सका क्योंकि टर्नकी ठेकेदारों द्वारा भूमि के अधिग्रहण के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने में

असाधारण विलंब, कार्यों के निष्पादन में विलंब होने से सिंचाई क्षमता सृजित न होना परिणामित हुआ।

(कंडिका 2.1.8.14)

## 1.2 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों का निर्माण

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाय), ग्रामीण इलाकों की संपर्कविहीन बसाहटों को बारहमासी सड़कों के माध्यम से संपर्क उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा दिसंबर 2000 में आरम्भ की गई थी। राज्य में यह योजना मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण (एम.पी.आर.आर.डी.ए.) द्वारा कार्यान्वित की गई थी।

मध्यप्रदेश में अप्रैल 2000 की स्थिति के अनुसार 20,210 पात्र संपर्कविहीन बसाहटों में से 12,496 बसाहटों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत ₹ 8,795.73 करोड़ की लागत से 8,258 सड़कों (37,355 किमी) का निर्माण कर मार्च, 2010 तक संपर्क प्रदान किया गया था। लेखापरीक्षा द्वारा आच्छादित अवधि यानि अप्रैल 2010 से मार्च 2015 के दौरान, 5190 सड़कों (23,030 किमी) के निर्माण पर ₹ 6,328.61 करोड़ के व्यय से 3,323 बसाहटों को संपर्क उपलब्ध कराया गया। मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार 3,388 पात्र बसाहटें संपर्कविहीन थीं। निष्पादन लेखापरीक्षा के कुछ महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

- योजनाकरण त्रुटिपूर्ण था क्योंकि "ट्रांसेक्ट वाक" आयोजित नहीं किये गये थे, जिला पंचायत से वार्षिक आधार पर सड़कों का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया था। योजना प्रारंभ होने के 14 वर्ष व्यतीत होने के बाद भी 17 प्रतिशत पात्र बसाहटों को अभी तक बारहमासी सड़कों द्वारा संपर्क उपलब्ध कराना था।

(कंडिकाएं 2.2.7.1 से 2.2.7.3)

- विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) यथार्थवादी नहीं थी, ₹ 34.42 करोड़ के निर्णीत हर्जाने के कम अधिरोपण, झूम पाइप के लिए ₹ 11.21 करोड़ का गलत भुगतान, मापों को प्रमाणित किए बिना ₹ 29.19 करोड़ का भुगतान, ₹ 69.41 लाख का अधिक भुगतान, ठेकेदारों से वसूली योग्य ₹ 47.34 करोड़ की कम/वसूली न होना एवं कार्य का बीमा न करने के कारण ₹ 2.60 करोड़ की अनुचित वित्तीय सहायता के दृष्टांत ध्यान में आए।

(कंडिकाएं 2.2.7.4, 2.2.8.1 (v से vii), 2.2.8.3)

- सड़क निर्माण कार्य के 103 पैकेजों के प्रकरणों में क्षति के लिये दायित्व की अवधि के बाद उत्तर पंचवर्षीय रखरखाव के कार्य के आवंटन में विलंब हुआ था एवं क्षति के लिये दायित्व अवधि के दौरान सड़कों का रखरखाव न किया जाने के दृष्टांत ध्यान में आए।

(कंडिका 2.2.8.4)

- राज्य गुणवत्ता निगरानी कर्ताओं (एस.क्यू.एम.) के माध्यम से कार्य की गुणवत्ता के आंकलन के लिए निर्धारित मानदंडों के अनुसार गुणवत्ता की निगरानी नहीं

की जा रही थी। एस.क्यू.एम. द्वारा इंगित की गई त्रुटियों के सुधार में विलंब हुआ था।

(कंडिका 2.2.9.2)

### 1.3 मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड सूखा राहत पैकेज का कार्यान्वयन

राज्य के बुंदेलखंड क्षेत्र में छतरपुर, दमोह, दतिया, पन्ना, सागर एवं टीकमगढ़ जिले समाहित हैं। भारत सरकार ने गंभीर सूखा परिस्थिति एवं क्षेत्र में जनजीवन पर इसके प्रभाव के समाधान हेतु 11 वीं योजना अवधि के अंत तक, नदी प्रणाली के उपयोग के माध्यम से जल संसाधनों के अधिकतम उपयोग, सिंचाई सुविधाओं, वेयर हाउसिंग एवं विपणन अधोसंरचना का विकास एवं वन क्षेत्र में वाटरशेड ट्रीटमेंट के उद्देश्यों के साथ एक विशेष बुंदेलखंड सूखा राहत पैकेज (बी.डी.एम.पी.) अनुमोदित किया (दिसम्बर 2009)।

मध्यप्रदेश में जल संसाधन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास तथा वन विभागों द्वारा बुंदेलखंड सूखा राहत पैकेज के कार्यान्वयन पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा में प्रकट हुआ:

- योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा 11वीं योजना अवधि के लिए मध्य प्रदेश हेतु ₹ 3,760 करोड़ हेतु एक विशेष पैकेज घोषित किया गया और ₹ 1,953.20 की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता चिन्हित किया गया। बी.डी.एम.पी. हेतु 12वीं योजना अवधि के लिए ₹ 1884.50 करोड़ की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता चिन्हित की गई।

(कंडिका 2.3.1)

#### जल संसाधन विभाग

- बी.डी.एम.पी. के अंतर्गत 177 योजनाओं/ परियोजनाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से 2.16 लाख हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता के सृजन हेतु जल संसाधन विभाग को ₹1,581 करोड़ आवंटित किए गए जिसमें से मार्च 2015 तक, ₹ 1,098.86 करोड़ व्यय करने के पश्चात 1.14 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता प्राप्त की जा सकी थी।

(कंडिका 2.3.7)

- दतिया एवं टीकमगढ़ जिलों के 45,536 हेक्टेयर कमान क्षेत्र के विकास के कार्य, जिसके लिए बी.डी.एम.पी. के अंतर्गत ₹ 50 करोड़ आवंटित किए गए थे, राजघाट परियोजना के अंतर्गत प्रारंभ किया गया। तथापि, ₹ 56.11 करोड़ की लागत से 22,624 हेक्टेयर कमान क्षेत्र विकसित किया जा सका था। आगे, ₹ 11.54 करोड़ की राशि भिण्ड एवं शिवपुरी जिलो, जो बुंदेलखंड क्षेत्र के बाहर थे में व्यय किए गए थे।

(कंडिका 2.3.7.1)

- बी.डी.एम.पी. के अंतर्गत ₹ 117.08 करोड़ की अतिरिक्त निधि, बरियारपुर बांयी तट नहर (एल.बी.सी.) को 11वीं योजना अवधि तक पूर्ण करने के उद्देश्य से उपलब्ध कराई गई थी। तथापि, मुख्य नहर में लाइनिंग, मुख्य नहर में 12 संख्या में संरचनाएं, वितरण प्रणाली के मिट्टी कार्य एवं वितरण प्रणाली की लाइनिंग पूर्ण नहीं थी। बढ़े हुए प्राक्कलनों के आधार पर कार्य सौंपे जाने के कारण ₹ 15.83 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

**(कंडिका 2.3.7.2)**

- सिंहपुर परियोजना, छतरपुर जिले में 12,474 हेक्टेयर को सिंचित करने के लिए अभिप्रेत थी, इसको 2012-13 तक पूर्ण करने के लिए ₹ 100.00 करोड़ की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई गई। तथापि, इसकी वितरण प्रणाली का महत्वपूर्ण भाग रूपांकन मानदण्डों में बार-बार बदलावों के कारण मार्च 2015 तक अपूर्ण था।

**(कंडिका 2.3.7.3)**

- 167 लघु सिंचाई योजनाओं पर मार्च 2015 तक ₹ 708.13 करोड़ व्यय किए गए थे। 135 लघु सिंचाई योजनाएं पूर्ण हुई थीं एवं 37,028 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित हुई थी। योजनाओं के चयन में बदलाव, के परिणामस्वरूप कार्यों के प्रारंभ करने के साथ-साथ कार्यों की पूर्णता में विलंब हुए थे। आगे, भू अर्जन प्रक्रिया को विलंब से प्रारंभ करने के परिणामस्वरूप योजनाओं की पूर्णता में विलम्ब हुए।

**(कंडिका 2.3.7.4(i))**

**किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग**

- किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग ने ₹ 478.26 करोड़ की लागत से 5.34 लाख मीट्रिक टन (मी.टन) की क्षमता सृजित की। बी.डी.एम.पी. के अंतर्गत 76,800 मी.टन क्षमता वाली 27 विपणन अधोसंरचनाएं (मिनी मंडियां) ₹ 80.14 करोड़ के व्यय के पश्चात निर्मित की गई थी। मिनी मंडियों को प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पी.ए.सी.एस.) द्वारा संचालित किया जाना परिकल्पित था, तथापि ये अक्टूबर 2015 तक पी.ए.सी.एस. को सौंपी नहीं जा सकी थी।

**(कंडिकाएं 2.3.8 एवं 2.3.8.1)**

- वेयर हाउस एवं विपणन अधोसंरचना के ₹ 222.14 करोड़ की लागत के कार्यों के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी.पी.आर.) स्थल विशिष्ट आवश्यकता के आधार पर होने के स्थान पर समान आरेखनों के आधार पर थे। इसके परिणामस्वरूप क्रियान्वयन के समय कार्यों की मदों में अत्यधिक विचलन हुए।

**(कंडिका 2.3.8.2 (i))**

**वन विभाग**

- वन विभाग ने बी.डी.एम.पी. के अंतर्गत मार्च 2015 तक वाटरशेड क्षेत्र में मृदा नमी एवं संरक्षण (एस.एम.सी.) कार्यों के लिए ₹ 322 करोड़ की परियोजना लागत के विरुद्ध ₹ 158.69 करोड़ व्यय किए। तथापि, एस.एम.सी. कार्यों के 2.88 लाख हेक्टेयर के लक्षित क्षेत्र के विरुद्ध 12वीं योजना अवधि के दौरान भारत सरकार द्वारा निधियों के कम विमुक्त किए जाने के कारण 1.39 लाख हेक्टेयर क्षेत्र ही पूर्ण किए जा सके।

**(कंडिकाएं 2.3.9 एवं 2.3.9.1)**

## 1.4 जल संसाधन विभाग, मध्य प्रदेश द्वारा कार्यान्वित "इंटरप्राइज़ इंफारमेशन मेनेजमेंट सिस्टम-ईआईएमएस" पर सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा

मध्य प्रदेश के जल संसाधन विभाग को राज्य के जल संसाधनों के विकास की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इंटरप्राइज़ इंफारमेशन मेनेजमेंट सिस्टम (ईआईएमएस), विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित मध्य प्रदेश जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना का एक हिस्सा है। ईआईएमएस का उद्देश्य एकीकृत जल संसाधनों, सिंचाई एवं निकासी प्रणाली का सरलीकरण एवं दक्षता में वृद्धि, बेहतर आयोजना एवं प्रबंधन उपलब्ध कराना है।

### सामान्य नियंत्रण

- विभाग द्वारा अभी तक औपचारिक तार्किक अभिगम नियंत्रण नीति, परिवर्तन प्रबंधन नीति और आपदा की स्थिति में कार्य निरंतरता के बहाली की योजना तैयार नहीं की गई है।

(कंडिकाएं 2.4.6.1 से 2.4.6.3)

### अनुप्रयोग नियंत्रण

- ई.आई.एम.एस. के 24 मॉड्यूलों के डेटाबेस परीक्षण से अपर्याप्त इनपुट नियंत्रण, डेटा वैधता का न होना, व्यवसायिक नियमों का अपूर्ण निर्धारण, कई माड्यूलों में अपूर्ण डाटा संकलन तथा माड्यूलों का प्रयोग न किया जाना परिलक्षित हुए। इस प्रकार ₹ 16.79 करोड़ का व्यय जो ईआईएमएस के विकास पर किया गया वह आयोजना अनुसार निर्धारित मॉड्यूलों के विकास/उपयोग न होने के कारण उस सीमा तक निष्फल रहा।

(कंडिकाएं 2.4.7.1 से 2.4.7.17)

### ई.आई.एम.एस. का ठेका प्रबंधन

- वेबसाइट सुरक्षित नहीं थी क्योंकि वेबसाइट अनुप्रयोग के साथ एक वैधता समाप्त सिक्वोर सॉकेट लेयर प्रमाणीकरण संस्थापित किया गया था। सलाहकार के साथ किए गए अनुबंध में हिन्दी एवं अंग्रेजी के बीच परिवर्तन करने के लिए द्विभाषी शब्दकोष एवं फोनेटिक रूपांतरण इंजन का प्रावधान था। यद्यपि ये अनुप्रयोग के साथ स्थापित नहीं किए गए थे।

(कंडिकाएं 2.4.8.2 एवं 2.4.8.3)

- विभाग, ई.आई.एम.एस. अनुप्रयोग का पूर्ण क्षमता से उपयोग करने हेतु पर्याप्त मानव शक्ति का विकास नहीं कर सका। ईआईएमएस के विकास चरण के मुख्य कार्यों में से कुछ कार्य अनुबंध का उल्लंघन करते हुए एक उपठेकेदार फर्म के माध्यम से क्रियान्वित किये गए जिससे प्रणाली रूपांकन संबंधी कमियां रही।

(कंडिकाएं 2.4.8.5 से 2.4.8.8)

### 1.5 निर्माण कार्यों में गुणवत्ता आश्वासन पर दीर्घ प्रारूप कंडिका

जल संसाधन विभाग ने दो केंद्रीय प्रयोगशालाओं, आठ उप-संभागों के साथ दो गुणवत्ता नियंत्रण संभागों और बारह अन्य गुणवत्ता नियंत्रण उप-संभागों की स्थापना की थी। वर्ष 2012-13 से 2014-15 तक की अवधि के दौरान ₹ 1,250.52 करोड़ की लागत पर 72 अनुबंधों के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही तीन वृहद, दो मध्यम और 23 लघु सिंचाई योजनाओं में गुणवत्ता नियंत्रण स्थापना की पर्याप्तता एवं निर्धारित गुणवत्ता नियंत्रण मानकों के अनुपालन की जाँच की गई। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष इस प्रकार है:

- गुणवत्ता नियंत्रण मण्डलों, संभागों और उप-संभागों की संख्या विभाग की गुणवत्ता नियंत्रण नियमावली में दिए गए मानदंडों के अनुसार स्थापित नहीं थी। गुणवत्ता नियंत्रण संभागों/उप-संभागों में तकनीकी कर्मचारी सहित कर्मचारियों की कमी थी जो निर्माण कार्य में गुणवत्ता आश्वासन को प्रभावित कर रही थी।

#### (कंडिका 2.5.5.1(i) एवं (ii))

- ₹ 121.71 करोड़ मूल्य की सीमेंट एवं स्टील सरियों के सुदृढीकरण की गुणवत्ता, ₹ 12.90 करोड़ लागत से चिपकने एवं न फूलने वाली (सीएनएस) मिट्टी और कम घनत्व की पोलिइथिलीन फिल्म के भौतिक गुणों के संबंध में परीक्षणों के परिणाम उपलब्ध नहीं थे और सामग्री एवं सीमेंट कांक्रीट/प्रबलित सीमेंट कांक्रीट के अपेक्षित परीक्षण निर्धारित आवृत्तियों के अनुसार नहीं किये गये थे। अतः वहाँ कोई आश्वासन नहीं था कि कार्यों में उपयोग की गई सामग्री अपेक्षित गुणवत्ता और भौतिक गुणों की थी।

#### (कंडिका 2.5.5.2)

- रामपुर वितरणी के कार्य में सीमेंट कांक्रीट कार्य के परीक्षणों के परिणाम निर्दिष्ट शक्ति की तुलना में कम शक्ति का संकेत देते थे। ₹ 7.01 करोड़ मूल्य के सीमेंट कांक्रीट कार्यों में दोष के लिए विभाग ने दोष को हटाने के लिए ठेकेदार को न तो निर्देशित किया और न ही घटी दर पर भुगतान किया।

#### (कंडिका 2.5.5.3)

- पेंच व्यपवर्तन योजना की ₹ 580.77 करोड़ लागत के नहर लाइनिंग (अस्तर) एवं संरचनाओं के छह टर्नकी अनुबंधों के संबंध में कार्यों हेतु संयुक्त माप की रिपोर्ट, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जाँच और गुणवत्ता नियंत्रण नियमावली में निर्दिष्ट आवृत्ति में सीमेंट कांक्रीट/प्रबलित सीमेंट कांक्रीट कार्यों एवं सामग्री के परीक्षण परिणाम नहीं पाए गए थे।

#### (कंडिका 2.5.5.4)

## 2. लेन-देनों की लेखापरीक्षा

लेखापरीक्षा ने अति महत्वपूर्ण क्षेत्रों की बहुत-सी उल्लेखनीय कमियों को भी इंगित किया है जो शासकीय विभागों/ संगठनों की सुचारु कार्यप्रणाली पर प्रभाव डालती हैं। इन्हें मुख्य रूप से निम्नानुसार वर्गीकृत एवं समूहबद्ध किया गया है:

- नियमों, आदेशों इत्यादि का अनुपालन न किया जाना



- औचित्य के बिना व्यय
- सतत् एवं व्यापक अनियमितताएं
- असावधानी के कारण विफलता

### 2.1 नियमों का अनुपालन न किया जाना

सुदृढ़ वित्तीय प्रशासन तथा वित्तीय नियंत्रण के लिए यह आवश्यक है कि व्यय, वित्तीय नियमों, विनियमों तथा सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी आदेशों के अनुरूप हो। यह न केवल अनियमितताएं, दुर्विनियोग तथा धोखाधड़ी पर रोक लगाता है अपितु अच्छे वित्तीय अनुशासन को बनाए रखने में सहायता करता है। इस प्रतिवेदन में ₹ 5.58 करोड़ के ऐसे उदाहरण दिये गये हैं जिनमें नियमों का पालन नहीं किया गया है। कतिपय महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नानुसार है:

- संचालनालय ने क्रय किये जाने वाले हेलीकॉप्टर के मूल्य निर्धारण के लिए हेलीकॉप्टर की लागत का कोई प्राक्कलन तैयार नहीं किया और हेलीकॉप्टर की आपूर्ति द्वितीय न्यूनतम दर प्रदायकर्ता निर्माता को ₹ 83.00 लाख अतिरिक्त लागत पर प्रदाय कर दी।

(कंडिका 3.1.1)

- कार्य मदों की बिना मिलान की गई/बिना दर्ज की गई मात्राओं पर ₹ 90.89 लाख के अनियमित भुगतान के अतिरिक्त ठेकेदार को राक-टो, स्टोन पिचिंग और उपयोग योग्य मिट्टी की कटौती न करने कारण ₹ 80.35 लाख का अधिक भुगतान किया गया।

(कंडिका 3.1.2)

- निचले सिहावल संभाग चुरहट में न फूलने, चिपकने वाली मिट्टी के निष्पादन के आधार पर ₹ 1.54 करोड़ के व्यय की उपयोगिता को मिट्टी के परीक्षण परिणामों के अभाव में आश्वस्त नहीं किया जा सका।

(कंडिका 3.1.3)

- कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना, ने वास्तव में उपयोग की गई स्थानीय रेत के स्थान पर नर्मदा की रेत के उपयोग के बाबत परिवहन पर ₹ 1.01 करोड़ का अनौचित्यपूर्ण भुगतान किया।

(कंडिका 3.1.4)

- ठेकेदार को सीमेंट कांक्रीट लाइनिंग कार्य हेतु पेवर मशीन की तैनाती जो कि नहर की दी गई चौड़ाई में संभव नहीं थी, के लिए ₹ 48.58 लाख का भुगतान किया गया जिसमें से ₹ 20.44 लाख लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर वसूल किए जा चुके हैं।

(कंडिका 3.1.5)



## 2.2 औचित्य के बिना व्यय

लोक निधियों से व्यय का प्राधिकार लोक व्यय के औचित्य तथा दक्षता के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होता है। व्यय करने के लिए अधिकृत प्राधिकारियों से वहीं सतर्कता बरतने करने की आशा की जाती है जो एक सामान्य बुद्धि का व्यक्ति अपने स्वयं के धन के संबंध में बरतता है और उसे प्रत्येक कदम पर वित्तीय व्यवस्था तथा पूर्ण मितव्ययिता बरतनी चाहिए। लेखापरीक्षा ने ₹ 9.14 करोड़ के अनौचित्य, अतिरिक्त एवं निष्फल व्यय के दृष्टांतों को देखा, जिसकी नीचे चर्चा की गई है:

- महान नहर संभाग सीधी में न फूलने चिपकने वाली मिट्टी के गलत प्रावधान एवं क्रियान्वयन के कारण ₹ 2.48 करोड़ की अतिरिक्त लागत आई। इसके अतिरिक्त, कांक्रीट स्लीपरों को अतिरिक्त रूप से लगाने पर ₹ 2.05 करोड़ की अतिरिक्त लागत आई।

(कंडिका 3.2.1)

- पेंच डायवर्सन बांध संभाग-। सिंगाना, छिंदवाड़ा में परियोजना के एक मद की बढ़ी हुई मात्रा एक नए ठेकेदार को उच्चतर दरों पर प्रदाय करने के कारण विभाग ने निष्पादित मात्राओं हेतु ₹ 1.03 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया और ₹ 2.09 करोड़ के अतिरिक्त व्यय हेतु प्रतिबद्ध हुआ।

(कंडिका 3.2.2)

- नर्मदा विकास संभाग 7 सतना में टर्नकी संविदा के कार्यक्षेत्र से क्रास रेगुलेटर कम एस्केप की संरचना को हटाने के कारण ठेकेदार को ₹ 1 करोड़ का अदेय लाभ पहुँचाया गया।

(कंडिका 3.2.3)

- कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण संभाग गुना द्वारा 40-60 टीपीएच हॉट मिक्स प्लांट पर लागू बिटुमिनस मदों के भुगतान को सीमित न करने के कारण, ठेकेदार को ₹ 49.37 लाख का अधिक भुगतान किया गया।

(कंडिका 3.2.4)

## 2.3 सतत् एवं व्यापक अनियमितताएं

एक अनियमितताएं तब सतत् समझी जाती है यदि यह वर्ष दर वर्ष प्रकट होती हो और जब यह संपूर्ण प्रणाली में प्रचलित हो जाती है, तो यह व्यापक हो जाती है। पूर्व की लेखापरीक्षाओं में इंगित करते रहने के बावजूद अनियमितता की पुनरावृत्ति न केवल कार्यपालकों के गंभीर न होने के सूचक है अपितु यह प्रभावी परिवीक्षण के अभाव का भी सूचक है। क्रमागत रूप से यह नियमों/ विनियमों के अनुपालन से जान बूझकर किए गए विचलनों को बढ़ावा देता है एवं प्रशासनिक संरचना की कमजोरी में परिणामित होता है। ₹ 6.80 करोड़ मूल्य की सतत् अनियमितताओं के महत्वपूर्ण प्रकरण नीचे दिए गए हैं:

- कार्यपालन यंत्री, लो. नि. वि. (भवन/पथ) संभाग डिंडौरी ने मूल्यवृद्धि के लिए अस्वीकार्य अवधि को लेने और मानक निविदा अभिलेखों में विनिर्दिष्ट सूत्र के स्थान पर मूल्यवृद्धि की गणना के लिए त्रुटिपूर्ण प्रक्रिया अपना कर ठेकेदार को मूल्यवृद्धि की राशि ₹ 3.63 करोड़ का अधिक भुगतान किया।

(कंडिका 3.3.1)

- मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई शिवपुरी में कार्य को पूर्ण करने में देरी के कारण ₹ 1.57 करोड़ की राशि के निर्णीत हर्जाने का ठेकेदार पर कम आरोपण किया गया।

(कंडिका 3.3.2)

- नर्मदा विकास संभाग सं. 7 (नागोद शाखा नहर) और नर्मदा विकास संभाग सं. 9, मैहर (सतना-रीवा मुख्य नहर) में दो नहर कार्यों में मूल्यवृद्धि की गणना करने में गलत आधार मूल्य सूचकांक अपनाने के परिणामस्वरूप एक ठेकेदार को ₹ 99.69 लाख का अधिक भुगतान हुआ, जिसमें से ₹ 52.47 लाख लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर वसूल लिए गए।

(कंडिका 3.3.3)

- लापरवाही के कारण मुख्य अभियंता गंगा बेसिन, रीवा ने दो उद्दहन सिंचाई योजनाओं के कमान क्षेत्र के अतिव्यापन (ओवर लैपिंग) के कारण ₹ 60.26 लाख का व्यय किया जिससे बचा जा सकता था।

(कंडिका 3.3.4)

#### 2.4 असावधानी के कारण विफलता

सरकार का दायित्व है कि स्वास्थ्य, शिक्षा, अधोसंरचना का विकास तथा उन्नयन एवं लोक सेवा के क्षेत्र में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के माध्यम से वह लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करें। तथापि, लेखापरीक्षा में ऐसे उदाहरण पाए गए हैं जिनमें समाज के लाभ के लिए सार्वजनिक संपत्तियों के सृजन हेतु सरकार द्वारा दी गई निधियां विभिन्न स्तरों पर अनिर्णयात्मकता, प्रशासनिक असावधानी तथा संगठित कार्रवाई के अभाव के कारण अप्रयुक्त/ अवरूद्ध रही और/ अथवा निष्फल/ अनुत्पादक सिद्ध हुई। राशि ₹ 1.18 करोड़ के प्रकरण की चर्चा नीचे की गई है:

- अनुबंध में किराये पर ली गई मशीन का न्यूनतम उत्पादन विनिर्दिष्ट न करने के कारण विद्युत एवं यांत्रिक (ई एण्ड एम) भारी अर्थ मूविंग संभाग, भोपाल ने 4,033.77 अतिरिक्त मशीन घंटे हेतु भुगतान किया, परिणामस्वरूप ठेकेदार को ₹ 1.18 करोड़ का अदेय लाभ हुआ।

(कंडिका 3.4.1)

पहला अध्याय

प्रस्तावना

## पहला अध्याय

### प्रस्तावना

#### 1.1 बजट प्रोफाइल

सचिवालय स्तर पर राज्य में 53 विभाग हैं, जिनके प्रमुख, अतिरिक्त मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव होते हैं, जो उनके अंतर्गत आयुक्तों/निदेशकों तथा अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा सहायित हैं। इनमें से, 15 शासकीय विभाग व इन विभागों के अंतर्गत आने वाली 67 सार्वजनिक क्षेत्र इकाईयां (पी.एस.यू.)/एक स्वायत्त निकाय महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा) मध्य प्रदेश के लेखापरीक्षा के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इन विभागों की लेखापरीक्षा की गई, जिनके प्रमुख लेखापरीक्षा निष्कर्ष इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित किए गये। राज्य शासन की, 2010-15 के दौरान बजट प्राक्कलन एवं उनके विरुद्ध वास्तविक आंकड़ों की स्थिति तालिका 1.1 में दी गई है।

**तालिका 1.1: 2010-15 के दौरान राज्य शासन का बजट एवं व्यय**

(₹ करोड़ में)

विवरण	2010-11		2011-12		2012-13		2013-14		2014-15	
	बजट प्राक्कलन	वास्तविक	बजट प्राक्कलन	वास्तविक	बजट प्राक्कलन	वास्तविक	बजट प्राक्कलन	वास्तविक	बजट प्राक्कलन	वास्तविक
<b>राजस्व व्यय</b>										
सामान्य सेवाएं	14,181.41	14,646.68	18,220.45	16,228.64	20,577.43	17,705.14	22,295.27	20,590.93	24,243.56	22,365.11
सामाजिक सेवाएं	14,915.24	17,345.40	20,277.33	20,296.94	24,992.18	24,375.47	30,100.70	27,768.21	42,092.49	32,067.15
आर्थिक सेवाएं	9,664.10	10,084.48	12,208.06	12,964.91	14,251.77	16,823.35	17,465.48	16,971.33	27,796.22	23,715.12
सहायता अनुदान एवं अंशदान	3,102.51	2,935.03	3,217.65	3,203.22	3,722.12	4,064.57	4,527.20	4,539.29	4,881.55	4,225.44
<b>योग (1)</b>	<b>41,863.26</b>	<b>45,011.59</b>	<b>53,923.49</b>	<b>52,693.71</b>	<b>63,543.50</b>	<b>62,968.53</b>	<b>74,388.65</b>	<b>69,869.76</b>	<b>99,013.82</b>	<b>82,372.82</b>
<b>पूँजीगत भाग</b>										
पूँजीगत परिव्यय	8,024.72	8,799.88	8,721.93	9,055.16	10,820.22	11,566.89	11,113.61	10,812.52	14,143.36	11,877.68
संवितरित ऋण एवं अग्रिम	1,619.33	3,714.73	3,200.21	15,760.56	5,667.26	5,378.25	6,444.60	5,077.52	3,883.82	12,534.61
अंतर्राज्यीय समायोजन	0	1.85	0	3.70	0	7.02	0	2.36	0	0.98
लोक ऋण का पुनर्भुगतान*	5,922.00	2,529.23	6,800.10	3,149.79	7,482.72	3,583.94	8,017.43	4,004.65	9,177.00	4,920.52
आकस्मिकता निधि	100.00	0	100.00	100.00	200.00	0	200.00	0	200.00	301.08
लोक लेखा संवितरण	96,735.11	62,344.26	1,53,133.63	73,279.04	2,24,574.20	82,735.57	3,13,354.87	93,063.99	2,85,344.25	1,08,165.30
अंतिम रोकड़ शेष	-127.73	6,900.44	-78.79	7,775.88	-107.22	7,074.81	-123.16	4,477.03	-76.82	5,401.96
<b>योग (2)</b>	<b>1,12,273.43</b>	<b>84,290.39</b>	<b>1,71,877.08</b>	<b>1,09,124.13</b>	<b>2,48,637.18</b>	<b>1,10,346.48</b>	<b>3,39,007.35</b>	<b>1,17,438.07</b>	<b>3,12,671.61</b>	<b>1,43,202.13</b>
<b>महायोग (1+2)</b>	<b>1,54,136.69</b>	<b>1,29,301.98</b>	<b>2,25,800.57</b>	<b>1,61,817.84</b>	<b>3,12,180.68</b>	<b>1,73,315.01</b>	<b>4,13,396.00</b>	<b>1,87,307.83</b>	<b>4,11,685.43</b>	<b>2,25,574.95</b>

\*चालू एवं साधन अग्रिमों व ओवर ड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेन-देनों को छोड़कर

(स्रोत: वित्त लेखे एवं बजट अभिलेख)

#### 1.2 राज्य शासन के संसाधनों का अनुप्रयोग

2013-14 के दौरान ₹ 85762 करोड़ के विरुद्ध, 2014-15 के दौरान राज्य का कुल व्यय (राजस्व, पूँजीगत व ऋण और अग्रिम) ₹ 1,06,787 करोड़ था। वर्ष के दौरान

राजस्व व्यय (₹ 82,373 करोड़) पूर्ववर्ती वर्ष (₹ 69,870 करोड़) से 17.89 प्रतिशत बढ़ गया। राजस्व व्यय कुल व्यय का 77.14 प्रतिशत भाग था। 2013-14 के दौरान पूँजीगत व्यय पिछले वर्ष से 9.8 प्रतिशत बढ़ गया। गैर-आयोजनागत राजस्व व्यय जो राजस्व व्यय का 67.81 प्रतिशत था एवं पूर्ववर्ती वर्ष से 10.73 प्रतिशत से बढ़ गया था। जबकि 2010-15 की अवधि के दौरान राज्य के कुल व्यय में औसतन 17 प्रतिशत औसत वार्षिक दर से वृद्धि हुई, वर्ष 2010-15 के दौरान राजस्व प्राप्तियाँ औसतन 14 प्रतिशत वार्षिक औसत दर से वृद्धि हुयी।

### 1.3 भारत सरकार से सहायता अनुदान

2010-11 से 2014-15 के वर्षों के दौरान भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान तालिका 1.2 में दिए गए हैं।

#### तालिका-1.2 भारत सरकार से सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
गैर-आयोजनागत अनुदान	1,636	2,114	333	3,540	4,425
राज्य आयोजना की योजनाओं हेतु अनुदान	4,522	4,215	7,099	5,536	9,011
केन्द्र आयोजना की योजनाओं हेतु अनुदान	649	364	500	153	1,263
केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं हेतु अनुदान	2,270	3,236	4,108	2,548	2,893
विशेष आयोजना की योजनाओं हेतु अनुदान	0	0	0	0	0
<b>योग</b>	<b>9,077</b>	<b>9,929</b>	<b>12,040</b>	<b>11,777</b>	<b>17,592</b>
पूर्व वर्ष पर वृद्धि (अ)/कमी (-) का प्रतिशत	36.23	9.39	21.26	(-)2.18	49.38
राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में कुल अनुदान	17.50	15.86	17.10	15.55	19.85

### 1.4 लेखापरीक्षा की आयोजना एवं संचालन

लेखापरीक्षा प्रक्रिया, विभिन्न विभागों, स्वायत्त संस्थाओं, योजनाओं/ परियोजनाओं इत्यादि, की गतिविधियों की विवेचनात्मकता/ जटिलता, सौंपी गई वित्तीय शक्तियों के स्तर, आन्तरिक नियंत्रण तथा हितधारियों की संबद्धता के जोखिम निर्धारण और पिछले लेखापरीक्षा निष्कर्षों को विचारित करते हुए आरम्भ होती है। इस जोखिम निर्धारण के आधार पर लेखापरीक्षा की आवृत्ति तथा विस्तार का निर्णय किया जाता है तथा वार्षिक लेखापरीक्षा आयोजना तैयार की जाती है।

लेखापरीक्षा पूर्ण करने के उपरांत, निरीक्षण प्रतिवेदन (नि.प्र.) जिसमें लेखापरीक्षा निष्कर्ष सम्मिलित होते हैं, जिनमें उत्तर कार्यालय प्रमुख को एक माह के भीतर प्रेषित करने के अनुरोध के साथ जारी किए जाते हैं। जब भी उत्तर प्राप्त होते हैं, लेखापरीक्षा निष्कर्षों का या तो निराकरण हो जाता है या अनुपालन के लिए आगे की कार्रवाई करने का

परामर्श दिया जाता है। इन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में इंगित किए गए महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा पर्यवेक्षणों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में समाविष्ट करने की प्रक्रिया की जाती है, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद-151 के अधीन मध्य प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत किया जाता है।

2014-15 के दौरान राज्य के 514 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (डी.डी.ओ.) और दो स्वायत्त निकायों की अनुपालन लेखापरीक्षा, कार्यालय महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा) मध्य प्रदेश द्वारा संचालित की गई। इसके अतिरिक्त, चार निष्पादन लेखापरीक्षा और एक दीर्घ प्रारूप कंडिका भी संचालित की गई।

### 1.5 निरीक्षण प्रतिवेदनों पर शासन की उत्तरदेयता का अभाव

महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा) मध्य प्रदेश लेन-देनों की नमूना जाँच द्वारा शासकीय विभागों का आवधिक निरीक्षण संचालित करते हैं एवं निर्धारित नियमों व प्रक्रियाओं के अनुसार महत्वपूर्ण लेखाओं तथा अभिलेखों के संधारण को सत्यापित करते हैं। इन निरीक्षणों के पश्चात लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किए जाते हैं। जब लेखापरीक्षा के दौरान महत्वपूर्ण अनियमितताएँ इत्यादि पता लगती हैं जिनका, कार्यस्थल पर निराकरण नहीं हो पाता है, ये निरीक्षण प्रतिवेदन, निरीक्षण किए गए कार्यालय प्रमुखों को एवं अगले उच्च प्राधिकारियों को एक प्रति पृष्ठांकित करते हुए, जारी किए जाते हैं।

निरीक्षण प्रतिवेदनों के प्राप्ति के चार सप्ताह के भीतर, कार्यालय प्रमुखों एवं अगले उच्च प्राधिकारियों द्वारा महालेखाकार को इनका अनुपालन भेजा जाना अपेक्षित होता है। कार्यालय महालेखाकार, मध्य प्रदेश द्वारा गंभीर अनियमितताएँ भी, लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों के त्रैमासिक प्रतिवेदन के माध्यम से विभागों के प्रमुखों के ध्यान में लाई जाती हैं।

30 जून 2015 को, आर्थिक क्षेत्र विभागों<sup>1</sup> के 5,613 निरीक्षण प्रतिवेदन (21,769 कंडिकाएँ) लंबित थे। इनमें से 1,543 निरीक्षण प्रतिवेदनों से संबंधित 3,991 कंडिकाएँ दस वर्षों से अधिक समय से निराकरण हेतु लंबित थीं। लंबित निरीक्षण प्रतिवेदन एवं कंडिकाओं के वर्षवार विवरण **परिशिष्ट 1.1** में दिए गए हैं।

2014-15 के दौरान, उच्च अधिकार प्राप्त समिति<sup>2</sup> की 10 बैठकें हुईं जिसमें 985 निरीक्षण प्रतिवेदनों और 3815 कंडिकाओं पर चर्चा हुई, जिनमें से 534 निरीक्षण प्रतिवेदनों और 2,669 कंडिकाओं का निराकरण किया गया।

1 पशुपालन, नागरिक विमानन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार, सहकारिता, ऊर्जा, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, मत्स्य, वन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण, मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, लोक निर्माण, ग्रामोद्योग, पर्यटन एवं जल संसाधन।

2 उच्चाधिकार प्राप्त समिति में, कार्यालय महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा) से समूह अधिकारी एवं शाखा अधिकारी और राज्य शासन से विभाग के पश्चिन्न प्रमुख (मुख्य अभियंता/ संयुक्त निदेशक), यूनिट प्रमुख (कार्यपालन यंत्री/ उप निदेशक) सम्मिलित होते हैं।



विभागीय अधिकारी निर्धारित समय सीमा में लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित पर्यवेक्षणों पर कार्रवाई करने में विफल रहे इसके परिणामस्वरूप उत्तरदेयता का हास हुआ।

यह अनुशंसा की जाती है कि शासन लेखापरीक्षा अवलोकनों पर शीघ्र व उचित उत्तरदेयता सुनिश्चित करने हेतु प्रकरण की जाँच पड़ताल कर सकता है।

### 1.6 महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अवलोकनों पर शासन की प्रतिक्रिया

विगत कुछ वर्षों में लेखापरीक्षा ने विभिन्न कार्यक्रमों/कार्यकलापों के क्रियान्वयन के साथ साथ चयनित विभागों के आंतरिक नियंत्रण की गुणवत्ता पर अनेक महत्वपूर्ण कमियाँ जो विभागों की कार्यप्रणाली तथा कार्यक्रमों की सफलता पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं, प्रतिवेदित की हैं। यह विशेष कार्यक्रमों/योजनाओं की लेखापरीक्षा करने एवं नागरिकों को सेवा प्रदान करने में सुधार करने एवं सुधारात्मक कार्रवाई के लिए कार्यपालकों को उपयुक्त अनुशंसाएँ प्रस्तुत करने पर केंद्रित था।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 के प्रावधान के अनुसार, विभागों से अपेक्षित है कि वे भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में सम्मिलित होने के लिए प्रस्तावित प्रारूप निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों/प्रारूप कंडिकाओं पर अपने प्रत्युत्तर छह सप्ताह के भीतर भेजें। यह उनके ध्यान में लाया गया था कि ऐसी कंडिकाओं के भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन, जो राज्य विधान मंडल के समक्ष रखा जाता है, में संभावित रूप से समाविष्ट होने को ध्यान में रखते हुए प्रकरण में उनकी टिप्पणियों को सम्मिलित करना वांछनीय होगा। उनको निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर चर्चा करने के लिए महालेखाकार के साथ बैठकें करने का परामर्श दिया गया था। प्रतिवेदन में समावेश करने के लिए प्रस्तावित इन प्रारूप प्रतिवेदनों और कंडिकाओं को संबंधित अतिरिक्त मुख्य सचिवों/प्रमुख सचिवों/सचिवों को उनके उत्तर के लिए अग्रेषित किया गया था। वर्तमान लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के लिए चार निष्पादन लेखापरीक्षाओं एक दीर्घ प्रारूप कंडिका एवं 17 प्रारूप कंडिकाओं पर प्रारूप प्रतिवेदन संबंधित प्रशासकीय सचिवों को अग्रेषित किए गए थे। किन्तु शासन के उत्तर केवल तेरह प्रारूप कंडिकाओं के प्रकरणों में प्राप्त हुए। सभी चार निष्पादन लेखापरीक्षा दीर्घ प्रारूप कंडिका के संबंध में, निर्गम सम्मेलन में शासन के साथ चर्चा हो चुकी है।

### 1.7 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई

लोक लेखा समिति की आंतरिक कार्यप्रणाली की प्रक्रिया के नियमों के अनुसार, प्रशासनिक विभाग को भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (ए.आर.) में सम्मिलित लेखापरीक्षा कंडिकाओं एवं समीक्षाओं पर, यह ध्यान में न रखते हुए कि इनका लोक लेखा समिति द्वारा परीक्षण के लिए लिया गया है कि नहीं, स्वप्रेरणा से कार्रवाई प्रारंभ करनी थी। उनको, लेखापरीक्षा द्वारा परीक्षित, उनके द्वारा प्रस्तावित कार्रवाई या की गई कार्रवाई को दर्शाते हुए विस्तृत टिप्पणियाँ भी राज्य विधान मंडल में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरण के तीन माह के भीतर उपलब्ध करानी थी।

आर्थिक (गैर सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) क्षेत्र से संबंधित वर्ष 2007-08, 2009-10, 2010-11, 2011-12 एवं 2012-13 एवं 2013-14 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की कुल 102 कंडिकाओं में से 36 कंडिकाओं के संबंध में विभागीय उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (नवम्बर 2015) (तालिका 1.3)।

तालिका: 1.3 आर्थिक (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) क्षेत्र के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित कंडिकाओं पर विभागीय उत्तर की प्राप्ति

वर्ष	विभाग	30.11. 2015 को लंबित विभागीय उत्तर	राज्य विधान मंडल में प्रस्तुतीकरण का दिनांक	विभागीय उत्तरों की प्राप्ति का नियत दिनांक
2009-10	किसान कल्याण एवं कृषि विकास	01	23-07-2011	23-10-2011
2010-11	लोक निर्माण	03	12-12-2012	12-03-2013
	जल संसाधन	02		
2012-13	सहकारिता	01	22-07-2014	22-10-2014
	किसान कल्याण एवं कृषि विकास	01		
	मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास (एम.पी.आर.आर.डी.ए.)	02		
	लोक निर्माण	04		
	जल संसाधन	07		
2013-14	पशु पालन	01	22-07-2015	22-10-2015
	वन	01		
	नर्मदा घाटी विकास	03		
	लोक निर्माण	03		
	जल संसाधन	07		
<b>योग</b>		<b>36</b>		

(स्रोत: विधान सभा सचिवालय द्वारा पुष्टिकृत आंकड़े)

### 1.8 लेखापरीक्षा की पहल पर वसूलियां

राज्य शासन के विभागों के लेखाओं की नमूना जांच के दौरान ध्यान में आये लेखापरीक्षा निष्कर्षों को जिनमें वसूलियां की जानी थीं, लेखापरीक्षा को सूचित करते हुए उन्हें पुष्टिकरण एवं आगे की आवश्यक कार्रवाई करने हेतु, विभिन्न विभागीय आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को भेजा गया था।

2014-15 के दौरान ₹ 170.65 करोड़ की वसूली लेखापरीक्षा में इंगित की गई। उसी अवधि के दौरान, संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा पिछले वर्षों एवं चालू वर्ष में इंगित किए गए ₹ 13.70 करोड़ की वसूली की जा चुकी थी। महत्वपूर्ण धन मूल्य की वसूली के कुछ प्रकरण तालिका 1.4 में दिए गए हैं।

तालिका 1.4. लेखापरीक्षा द्वारा इंगित और विभागों द्वारा स्वीकृत/ वसूल की गई, वसूलियां  
(₹ करोड़ में)

विभाग	अवलोकित की गई वसूलियों के विवरण	2014-15 के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा इंगित की गई एवं विभाग द्वारा स्वीकार की गई वसूलियां			पूर्ववर्ती वर्षों के संदर्भ में 2014-15 के दौरान प्रभावित वसूलियां	
		प्रकरणों की संख्या	इंगित किए गए	स्वीकार किए गए	प्रकरणों की संख्या	सम्मिलित राशि
जल संसाधन विभाग	एएसडी की कम कटौती के कारण ठेकेदार को अदेय वित्तीय सहायता	01	0.64	0.44	01	0.44
जल संसाधन विभाग	मूल्य वृद्धि का अस्वीकार्य भुगतान	01	3.63	3.63	01	1.43
लोक निर्माण विभाग	अधिक भुगतान	01	0.72	0.72	01	0.72
नर्मदा घाटी विकास विभाग	गलत मूल्य सूचकांको को अपनाने के परिणामस्वरूप अधिक भुगतान	01	1.00	1.00	01	0.52

### 1.9 राज्य विधान मंडल में स्वायत्त संस्थाओं के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को रखे जाने की स्थिति

राज्य शासन द्वारा अनेक स्वायत्त संस्थाओं की स्थापना की गई है। संस्थाओं के लेन देन, परिचालन गतिविधियों एवं लेखाओं, नियमितता अनुपालन लेखापरीक्षा, आंतरिक प्रबंधन की समीक्षा, वित्तीय नियंत्रण एवं प्रणाली एवं प्रक्रियाओं की समीक्षा इत्यादि का सत्यापन करने के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा बड़ी संख्या में इन निकायों की लेखापरीक्षा की जाती है। राज्य में आर्थिक क्षेत्र के विभागों के अंतर्गत दो स्वायत्त संस्थाओं के लेखाओं की लेखापरीक्षा महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा), मध्यप्रदेश भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को सौंपी गई है।

सौंपी गई लेखापरीक्षा, लेखापरीक्षा को लेखों का प्रस्तुतीकरण, पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (एसएआर) के जारी किए जाने और विधान मंडल के समक्ष रखे जाने की स्थिति को तालिका 1.5 में दिया गया है।

तालिका 1.5 स्वायत्त संस्थाओं द्वारा लेखाओं के प्रस्तुतीकरण की स्थिति

क्र.	संस्था का नाम	सौंपे जाने की अवधि	वर्ष जहां तक खाते प्रस्तुत किए गए	अवधि जहां तक एसएआरों को जारी किया गया	विधान मंडल में एसएआर का रखा जाना	लेखों के प्रस्तुतीकरण/अप्रस्तुतीकरण में विलंब <sup>3</sup>
1	म. प्र. खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, भोपाल	19 (3) सी एण्ड ए जी (डी सी पी) एक्ट के अंतर्गत 1998-1999 व आगे सौंपा गया	2012-13	2012-13	2009-10 से 2011-12 के लिए एसएआर मार्च 2015 में जारी की गईं और विधान मंडल के समक्ष 9 दिसम्बर 2015 को रखी गईं। राज्य विधान मंडल के समक्ष 2013-13 के लिए एसएआर को रखे जाने के स्थिति के संबंध में सूचना अनुस्मारकों (अगस्त 2015 और नवम्बर 2015) के बाद भी प्रतिक्षित थी।	2012-13 (26) 2013-14 (17) 2014-15 (5)
2	म. प्र. विद्युत विनियामक आयोग, भोपाल		2014-15	2014-15	वर्ष 2014-15 के लिए एसएआर सितम्बर 2015 में जारी की गईं और विधान मंडल के समक्ष 09 दिसम्बर 2015 में रखी गईं	2012-13

जैसा कि तालिका 1.5 में देखा गया है, मध्य प्रदेश (म.प्र.) लेखों के खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा लेखों के प्रस्तुतीकरण में 26 महीने तक का विलंब था। लेखों को प्रस्तुत किये जाने और राज्य विधान मंडल में एसएआरों के प्रस्तुतीकरण में अत्यधिक विलंब के परिणामस्वरूप स्वायत्त संस्थाओं में वित्तीय अनियमितताओं पर आवश्यक उपचारी कार्रवाई शुरू करने में विलंब के अतिरिक्त, जहां शासन द्वारा निवेश किये गये थे, उन निकायों के कार्यों की जांच में विलंब हुये।

<sup>3</sup> विलंब की अवधि लेखों की प्राप्ति तिथि अर्थात् आगामी वित्तीय वर्ष की 30 जून से 30 नवम्बर 2015 तक से ली गई है।

## दूसरा अध्याय

### निष्पादन लेखापरीक्षा

- 2.1 इंदिरा सागर परियोजना की नहरों का निर्माण और सिंचाई क्षमता का सृजन
- 2.2 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों का निर्माण
- 2.3 बुन्देलखण्ड सूखा राहत पैकेज का मध्यप्रदेश में क्रियान्वयन
- 2.4 जल संसाधन विभाग, मध्यप्रदेश द्वारा कार्यान्वित 'इंटरप्राइज़ इंफारमेशन मेनेजमेंट सिस्टम ई.आई.एम.एस.' पर सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा
- 2.5 निर्माण कार्यों में गुणवत्ता आश्वासन पर दीर्घ प्रारूप कंडिका



## नर्मदा घाटी विकास विभाग

### 2.1 इंदिरा सागर परियोजना की नहरों का निर्माण और सिंचाई क्षमता का सृजन

#### कार्यपालन सारांश

इंदिरा सागर परियोजना (खंडवा जिले में), सरदार सरोवर परियोजना, की जल प्रवाह के विरुद्ध (अपस्ट्रीम) सक्रिय भंडारण, 2.00 एम.ए.एफ. मृत भंडारण क्षमता एवं 248.65 किलोमीटर (243.89 किमी के लिए संशोधित) लंबी मुख्य नहर वाला एक 92 मीटर ऊंचा और 653 मीटर लंबा कांक्रीट का ग्रेविटी बांध शामिल हैं। परियोजना का उद्देश्य राज्य में 1.69 लाख हेक्टेयर की कुल वार्षिक सिंचाई के साथ, खंडवा, खरगोन और बड़वानी जिलों में 1.23 लाख हेक्टेयर में सिंचाई उपलब्ध कराना है। प्रारंभ में इस परियोजना को 2008-09 तक तीन चरणों में पूरा करने के लिए निर्धारित किया गया था। तथापि, यह पूर्ण नहीं हो सका एवं इसकी पूर्णता चरणबद्ध रूप में मार्च 2017 तक की जाने के लिए पुनर्निर्धारित की गयी।

इंदिरा सागर परियोजना की नहरों के निर्माण एवं सिंचाई क्षमता के सृजन की निष्पादन लेखापरीक्षा में निम्नलिखित कमियों का पता चला:

- इंदिरा सागर परियोजना नहर के लिए ₹ 1,421.75 करोड़ के शेष कार्य के लिए आनुपातिक केंद्रीय सहायता के स्रोत सुनिश्चित किए बिना ₹ 3,182.77 करोड़ के लिए अंतिम निवेश की स्वीकृति के विरुद्ध ₹ 4,604.52 करोड़ की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है।

(कंडिका 2.1.6.1)

- 62,200 हेक्टेयर में सिंचाई उपलब्ध कराने के लिए, इंदिरा सागर परियोजना की प्रारंभिक विस्तार अर्थात् चरण-I एवं चरण-II के कार्य ₹ 3,102.89 करोड़ के व्यय के बाद भी पूर्ण नहीं हुए थे।

(कंडिका 2.1.7)

- भू-अर्जन और वन विभाग की स्वीकृति के बिना कार्य सौंपे जाने के परिणामस्वरूप ठेकेदारों को मूल्य वृद्धि के कारण ₹ 2.09 करोड़ एवं निष्क्रियता प्रभार के रूप में ₹ 5.63 करोड़ की परिहार्य अतिरिक्त लागत हुई।

(कंडिका 2.1.7.1)

- ठेकेदारों ने वितरण नेटवर्क का साथ-साथ निष्पादन करने के बजाय मुख्य नहर के निष्पादन पर जोर दिया, जिससे सिंचाई क्षमता के सृजन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

(कंडिका 2.1.7.2)

- संतुलन जलाशयों के निष्पादन के बिना खरगोन उद्वहन नहर के वितरण नेटवर्क का निष्पादन, न केवल अनियोजित निष्पादन को निर्दिष्ट करता था अपितु 23,753 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा भी उपलब्ध नहीं करायी जा सकी।

(कंडिका 2.1.7.3)

- विभाग ने दोषी ठेकेदार से भू-राजस्व के बकाया के रूप में ₹ 15.92 करोड़ की शेष राशि की वसूली के लिए कोई कार्रवाई आरम्भ नहीं की थी।

(कंडिका 2.1.8.1)

- मानक बोली दस्तावेजों में निर्दिष्ट शर्तों से विचलन, आदेशों का अनौचित्यपूर्ण संशोधन, मूल्य वृद्धि की संगणना हेतु गलत सूचकांकों के अपनाने एवं निर्धारित पूर्णता अवधि के बाद समय वृद्धि की अनियमित स्वीकृति के परिणामस्वरूप ₹ 93.48 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान हुआ।

(कंडिकाएं 2.1.8.2 एवं 2.1.8.8)

- नहर में पूर्व निर्मित टाइल्स के नीचे कम घनत्व की पोलिथीन फिल्म के अवांछित निष्पादन के परिणामस्वरूप ₹ 78.91 लाख की अतिरिक्त लागत हुई।

(कंडिका 2.1.8.5)

- निर्माण कार्यों के लक्ष्य की पूर्णता में विलंबों हेतु टर्नकी ठेकेदारों पर ₹ 118.78 करोड़ की शास्ति आरोपित नहीं की गयी।

(कंडिका 2.1.8.7)

- बीमा के लिए प्रीमियम की बचत के रूप में ठेकेदारों को ₹ 1.37 करोड़ का अदेय लाभ दिया गया क्योंकि ठेकेदारों ने कार्य करने के लिए बीमा कवर प्रदान नहीं किया था।

(कंडिका 2.1.8.9)

- टर्नकी ठेके के कार्य क्षेत्र में गतिविधियाँ शामिल होने के बावजूद भी सलाहकारों को लगाए जाने के परिणामस्वरूप ₹ 10.96 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

(कंडिका 2.1.8.10)

- ट्रांसमिशन लाइन के अवांछित मद का समावेश करने से टर्नकी ठेकेदार को ₹ 75.19 करोड़ का अदेय लाभ दिया गया।

(कंडिका 2.1.8.11)

- ज्वाइंट फ़िलिंग की मद का निष्पादन न करने के परिणामस्वरूप अवमानक कार्य के साथ ही ठेकेदारों को ₹ 1.32 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान हुआ।

(कंडिका 2.1.8.12)

- आइटम रेट ठेकों को टर्नकी ठेकों से बदलने का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सका क्योंकि टर्नकी ठेकेदारों द्वारा भूमि के अधिग्रहण के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने में असाधारण विलंब हुआ, कार्यों के निष्पादन में विलंब हुआ तथा परिणामस्वरूप सिंचाई क्षमता सृजित नहीं हुई।

(कंडिका 2.1.8.14)

### 2.1.1 प्रस्तावना


भारतवर्ष की पांचवीं सबसे बड़ी नदी, नर्मदा नदी 1,312 किलोमीटर की लंबाई के साथ मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से गुजरती है जिसकी 1,077 किलोमीटर लंबाई मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है।



राज्यों के बीच नर्मदा जल हेतु विवादों को सुलझाने के लिए नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण (एन.डब्ल्यू.डी.टी.) 1969 में अस्तित्व में आया। नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण के निर्णय (दिसंबर 1979) के अनुसार कुल 28 एमएएफ में से मध्य प्रदेश को आवंटित नर्मदा के जल के 18.25 एमएएफ अंश का उपयोग 2024 से पूर्व किया जाना है। इस प्रकार मध्य प्रदेश राज्य को 2024 या उसके बाद नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण द्वारा समीक्षा के दौरान अप्रयुक्त जल के पुनः आवंटन को टालने के लिए 2024 तक आवश्यक संरचनाएं सृजित कर 18.25 एमएएफ जल के आवंटित अंश का पूरी तरह से उपयोग होना सुनिश्चित करना है।

मध्य प्रदेश शासन ने नर्मदा के जल के आवंटित अंश का उपयोग करने के लिए परियोजना का निर्माण करने हेतु नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण (एन. व्ही. डी. ए.) की स्थापना (1985) की थी। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण ने नर्मदा नदी पर 13 वृहद परियोजनाओं का निर्माण किया जिसमें से भंडारण क्षमता के मामले में इंदिरा सागर परियोजना (आईएसपी) सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना<sup>1</sup> है।

परियोजना में इसकी वितरण प्रणाली के साथ एक 92 मीटर ऊंचा और 653 मीटर लंबा कांक्रीट ग्रेविटी बांध, 248.65 किमी (संशोधित लंबाई 243.89 किमी) लंबी अपने वितरण नेटवर्क एवं खरगोन उद्वहन नहर के साथ मुख्य सिंचाई नहर शामिल है। मुख्य सिंचाई नहर एवं खरगोन उद्वहन नहर का उद्देश्य खंडवा, खरगोन और बड़वानी जिलों में 1.23 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य कमान क्षेत्र (सीसीए) में सिंचाई उपलब्ध कराना था।



खंडवा, खरगोन और बड़वानी जिलों में 1.23 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य कमान क्षेत्र का विवरण तालिका 2.1 में दिया गया है:

<sup>1</sup> परियोजना में बिजली का उत्पादन, सिंचाई सुविधाओं के सृजन और औद्योगिक उपयोग के लिए जल शामिल हैं।

**तालिका 2.1 : आईएसपी का कमान क्षेत्र तथा प्रस्तावित वार्षिक सिंचाई**

स. क्र.	जिला	कृषि योग्य कमान क्षेत्र (हे.)	वार्षिक सिंचाई (हे.)	लाभांविता ग्राम (संख्या)
1	खंडवा	17,800	24,300	74
2	खरगोन	68,400	93,700	388
3	बड़वानी	36,800	51,000	134
<b>योग</b>		<b>1,23,000</b>	<b>1,69,000</b>	<b>596</b>

(स्रोत: एन. व्ही. डी. ए. द्वारा प्रदत्त इंदिरा सागर परियोजना की स्थिति प्रतिवेदन)

**2.1.2 संगठनात्मक संरचना**

खरगोन उद्वहन नहर के निर्माण सहित इन्दिरा सागर परियोजना की नहर प्रणाली नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण का नेतृत्व अध्यक्ष द्वारा किया जाता है जिनकी सहायता उपाध्यक्ष एवं पांच पूर्णकालिक सदस्य (यांत्रिकी, वित्त, ऊर्जा, पर्यावरण और वन एवं पुनर्वास) द्वारा की जाती है। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा ली गई परियोजना सदस्य यांत्रिकी के अधीन मुख्य अभियंता के माध्यम से क्रियान्वित की जाती है। मुख्य अभियंता, इन्दिरा सागर परियोजना की सहायता मण्डल स्तर पर तीन अधीक्षण अभियंताओं एवं मैदानी स्तर पर कार्यपालन यंत्रियों के नेतृत्व में आठ संभागों द्वारा की जाती है।

**2.1.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य**

निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षा के उद्देश्य निम्न की जांच करने के लिए हैं:

- निधियों का वित्तीय प्रबंधन और उपयोग की प्रभावशीलता,
- आयोजना की पर्याप्तता और सिंचाई क्षमता के सृजन एवं उपयोग की सीमा,
- परियोजना हेतु ठेकों के प्रबंधन और योजना तथा विशिष्टियों के अनुसार कार्यों के निष्पादन में दक्षता, मितव्ययता और प्रभावशीलता।

**2.1.4 लेखापरीक्षा मापदण्ड**

लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्न से निकाले गए मानदंडों पर आधारित हैं:

- विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) और योजना दस्तावेज़
- मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी मध्य प्रदेश निर्माण विभाग नियमावली एवं नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा अपनाई गई जल संसाधन विभाग द्वारा जारी सिंचाई कार्यों के लिए विशिष्टियाँ
- जल संसाधन विभाग के लिए एकीकृत दर अनुसूची (यू.एस.आर)
- विभागों द्वारा जारी किए गए तकनीकी परिपत्र और आदेश
- टर्नकी अनुबंधों के साथ आयटम रेट अनुबंधों की शर्तें और नियम

### 2.1.5 लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं कार्यप्रणाली

निष्पादन लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र खरगोन उद्वहन नहर एवं इन्दिरा सागर परियोजना नहर तक ही सीमित था क्योंकि बांध और पावर हाउस का कार्य पहले से ही नर्मदा हाइड्रोइलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के लिए स्थानांतरित (अक्टूबर 2000) कर दिया गया था।

2009-10 की अवधि तक इन्दिरा सागर परियोजना के नहर कार्यों के कार्यान्वयन पर ₹ 1,485.87 करोड़ व्यय किए गए थे और 2010-11 से 2014-15 की अवधि के लिए खरगोन उद्वहन नहर एवं इन्दिरा सागर परियोजना नहर पर ₹ 1,617.02 करोड़ का व्यय किया गया था। निष्पादन लेखापरीक्षा में वर्ष 2010-11 से 2014-15 की अवधि हेतु खरगोन उद्वहन नहर सहित इन्दिरा सागर परियोजना नहर के लिए योजना, सिंचाई क्षमता का सृजन और उपयोग तथा निधि प्रबंधन को शामिल किया गया है।

परियोजना, तीन जिलों में नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के आठ संभागों<sup>2</sup> द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। इन्दिरा सागर परियोजना के मुख्य नहर, वितरण नेटवर्क और खरगोन उद्वहन नहर के निर्माण में संलग्न सभी आठ संभागों एवं मुख्य अभियंता इन्दिरा सागर नहर परियोजना के कार्यालयों के अभिलेखों की 2010-11 से 2014-15 के लिए लेन-देन को शामिल करते हुए जनवरी 2015 और जून 2015 के बीच समीक्षा की गई थी। इसके अलावा, परियोजना से संबंधित जानकारी नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल साथ ही साथ मुख्य अभियंता एवं अधीक्षण यंत्री इन्दिरा सागर नहर परियोजना से भी एकत्र की गई थी।

फरवरी 2015 में आयोजित प्रवेश सम्मेलन में प्रमुख सचिव, नर्मदा घाटी विकास विभाग, मध्य प्रदेश शासन के साथ लेखापरीक्षा के उद्देश्य, मापदंड, कार्यक्षेत्र एवं कार्य प्रणाली पर विचार विमर्श किया गया था। लेखापरीक्षा निष्कर्ष शामिल कर प्रारूप प्रतिवेदन शासन को अगस्त 2015 में भेजा गया था और उनका उत्तर नवम्बर 2015 में प्राप्त हुआ था। अतिरिक्त मुख्य सचिव, नर्मदा घाटी विकास विभाग, मध्य प्रदेश शासन एवं प्राधिकरण के अन्य अधिकारियों के साथ 30 नवंबर 2015 को आयोजित निर्गम सम्मेलन में लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा की गई। निर्गम सम्मेलन के दौरान व्यक्त किए गए विचार एवं शासन के उत्तर को प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है।

लेखापरीक्षा के दौरान विभाग द्वारा दिए गए सहयोग के लिए लेखापरीक्षा आभार प्रकट करता है।

### 2.1.6 परियोजना लागत एवं परियोजना का वित्तपोषण

#### 2.1.6.1 परियोजना लागत

योजना आयोग ने इन्दिरा सागर परियोजना (बहुउद्देशीय) के लिए 1988 के मूल्य स्तर पर निवेश स्वीकृति के प्रस्ताव हेतु ₹ 1,993.67 करोड़ की स्वीकृति (1989) प्रदान की थी। जिसमें से 1.23 लाख हेक्टेयर के कृषि योग्य कमान क्षेत्र में सिंचाई सुविधा

<sup>2</sup> नर्मदा विकास संभाग 11 बड़वानी, नर्मदा विकास संभाग 24. खरगोन, नर्मदा विकास संभाग 18 खरगोन, नर्मदा विकास नहर संभाग खरगोन, नर्मदा विकास संभाग 28 पुनासा, नर्मदा विकास संभाग 27 राजपुर, नर्मदा विकास संभाग 21, सनावद और नर्मदा विकास संभाग 14 ठीकरी

उपलब्ध कराने के लिए यूनिट II इन्दिरा सागर परियोजना नहर के लिए ₹ 541.98 करोड़ आवंटित थे। योजना आयोग ने 2009 के मूल्य स्तर पर यूनिट II इन्दिरा सागर परियोजना नहर के लिए ₹ 3,182.77 करोड़ के संशोधित अंतिम निवेश की स्वीकृति (जून 2010) प्रदान की। तत्पश्चात् इसने मार्च 2015 तक प्रथम समयवृद्धि प्रदान (फरवरी 2013) की तथा बाद में दूसरी बार मार्च 2017 तक की अवधि के लिए समयवृद्धि (सितंबर 2014) प्रदान कर राज्य के वित्त विभाग को ₹ 3,182.77 करोड़ की अनुमोदित लागत तक व्यय को सीमित रखने के निर्देश दिए। योजना आयोग ने आगे कहा कि अनुमोदित लागत से परे कोई अतिरिक्त व्यय की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पुनरीक्षित प्राक्कलन अनुमोदित न करा लिया गया हो।

मध्य प्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग ने योजना आयोग से निवेश स्वीकृति के बिना इन्दिरा सागर परियोजना नहर के लिए ₹ 4,604.52 करोड़ के लिए पुनरीक्षित प्रशासकीय अनुमोदन प्रदान किया (दिसंबर 2014)। परियोजना पर मार्च 2015 तक ₹ 3,102.89 करोड़ (पुनरीक्षित प्रशासकीय अनुमोदन का 67.39 प्रतिशत) का व्यय किया गया था। लागत में 44.67 प्रतिशत की वृद्धि मुख्य रूप से मूल्यवृद्धि के प्रावधान एवं नए भूमि अधिग्रहण कानून के अनुसार मुआवजे में वृद्धि का प्रावधान करने के कारण हुई थी। योजना आयोग से निवेश संबंधी स्वीकृति के अभाव में, केन्द्रीय शासन से आनुपातिक वित्त पोषण सहायता की विमुक्ति का आश्वासन नहीं था। इस प्रकार, ₹ 1,421.75 करोड़ मूल्य के परियोजना के शेष कार्य के लिए आनुपातिक केन्द्रीय निधि का स्रोत स्पष्ट नहीं था (नवंबर 2015)।

### 2.1.6.2 निधियों का उपयोग

खरणो नहर के निर्माण सहित इन्दिरा सागर परियोजना की नहर प्रणाली का निर्माण नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी), कृषि और ग्रामीण विकास का राष्ट्रीय बैंक (नाबार्ड ) और राज्य शासन की निधियों से क्रियान्वित किया जा रहा है। एआईबीपी और नाबार्ड से निधियाँ राज्य बजट के माध्यम से दी जाती हैं। पिछले पाँच वर्षों के दौरान इन्दिरा सागर परियोजना नहर के कार्यान्वयन पर कुल बजट प्रावधान, आवंटन और व्यय तालिका 2.2 में विस्तार से दिया गया है।

तालिका 2.2 बजट आवंटन एवं व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय			कुल व्यय	निधि का उपयोग (प्रतिशत)
		एआईबीपी	नाबार्ड	राज्यांश		
2010-2011	202.97	111.66	2.96	77.10	191.72	94.46
2011-2012	387.67	0.00	49.35	331.77	381.12	98.31
2012-2013	401.76	98.22	35.89	266.79	400.90	99.79
2013-2014	528.90	139.90	26.96	305.51	472.37	89.31
2014-2015	271.76	47.19	5.82	117.90	170.91	62.89
<b>योग</b>	<b>1,793.06</b>	<b>396.97</b>	<b>120.98</b>	<b>1,099.07</b>	<b>1,617.02</b>	<b>90.18</b>

(स्रोत : नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी)

वर्ष 2014-15 को छोड़कर जब चरण-IV (इन्दिरा सागर परियोजना मुख्य नहर के आरडी किमी 206 से आरडी किमी 243.89) में मुख्य रूप से कार्य की प्रगति धीमी

होने के कारण पूर्ववर्ती वर्षों की तुलना में व्यय कम था, परियोजना आवंटित निधियों का पर्याप्त रूप से उपयोग कर पायी।

शासन ने बताया (नवंबर 2015) कि चरण-IV में कार्य की गति धीमी होना, नर्मदा नदी के पास दो किलोमीटर की पट्टी के कमान क्षेत्र में नर्मदा बचाओ आंदोलन (एनबीए) द्वारा बाधा उत्पन्न करने के कारण था। शासन ने आगे बताया कि वितरण नेटवर्क के लिए भूमि उपलब्ध नहीं थी क्योंकि नर्मदा बचाओ आंदोलन, कमान क्षेत्र में सर्वेक्षण नहीं करने दे रहा था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ठेकेदार ने चरण-IV के 35 माइन्स/वितरणियों/जलनिकासों में से केवल पांच माइन्स/वितरणियों/जलनिकासों के लिए भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। इसके अलावा, ठेकेदार ने नर्मदा की दो किलोमीटर की पट्टी को छोड़कर भी कमान क्षेत्र में सर्वेक्षण संचालित नहीं किया था।

### 2.1.7 आयोजना

प्रत्येक परियोजना के लिए, लागत आधिक्य को टालने एवं परियोजना का समय पर क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, निष्पादन के लिए कार्य देने से पहले समुचित आयोजना एवं सही प्राक्कलन हेतु विस्तृत सर्वेक्षण और अनुसंधान आवश्यक है।

परियोजना को प्रारम्भिक रूप में चरणबद्ध तरीके से मार्च 2009 तक पूरा करने लिए निर्धारित किया गया था, तत्पश्चात् जून 2011 तक पूरा होने के लिए पुनर्निर्धारित किया गया था एवं योजना आयोग द्वारा ₹ 3182.77 करोड़ से परे किसी भी निवेश की स्वीकृति के बिना मार्च 2017 तक इसकी पूर्णता पुनर्निर्धारित की गई है। इन्दिरा सागर परियोजना नहर के निष्पादन के पुनर्निर्धारण का विवरण तालिका 2.3 में दिया गया है।

तालिका 2.3 : परियोजना के निष्पादन का मूल और संशोधित कार्यक्रम

नहर का विस्तार /प्रस्तावित सिंचाई (हे.)	प्रस्तावित पूर्णता	नहर का विस्तार/प्रस्तावित सिंचाई (हे.) पुनर्निर्धारित कार्यक्रम	संशोधित प्रस्तावित पूर्णता
मुख्य नहर किमी 0 से किमी 71/36,100 हेक्टेयर (चरण-I)	जून-2007	मुख्य नहर किमी 0.00 से किमी 142.00 (चरण- I एवं चरण-II) /62,200 हे.	दिसंबर-2015
मुख्य नहर किमी 71 से किमी 206/46,800 हेक्टेयर(चरण-II)	जून-2009	मुख्य नहर किमी 142.00से किमी 206.00 (चरण- III) 20,700 हे.	जून-2016
मुख्य नहर किमी 206 से किमी 248.65 एवं खरगौन उद्वहन नहर/40,100 हेक्टेयर (चरण-III)	जून-2011	मुख्य नहर किमी 206.00 से किमी 243.89 (चरण-IV) एवं खरगौन उद्वहन नहर / 40,100 हे.	मार्च-2017

(स्रोत: मुख्य अभियंता इन्दिरा सागर नहर परियोजना द्वारा उपलब्ध करायी गई जानकारी)

62,200 हेक्टेयर में सिंचाई उपलब्ध कराने के लिए इन्दिरा सागर नहर परियोजना की प्रारम्भिक विस्तार अर्थात् चरण-I एवं चरण-II जिसे जून-2007 और जून-2009 में पूर्ण करना निर्धारित किया गया था, ₹ 3,102.89 करोड़ (मार्च 2015) व्यय करने के बाद भी पूर्ण नहीं हुए थे।

मुख्य अभियंता, इन्दिरा सागर नहर परियोजना द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी में परिलक्षित रूपांकित सिंचाई क्षमता में विसंगति पुनः हमारे ध्यान में आई। इन्दिरा सागर नहर परियोजना के आरडी किलोमीटर 206.00 से किमी 243.89 के लिए चरणबद्ध रूप

से रूपांकित सिंचाई क्षमता (चरण IV) 19,600 हेक्टेयर है और खरगोन उद्वहन नहर का रूपांकित कमान क्षेत्र 33,140 हेक्टेयर है। विभाग ने कुल 52,740 हेक्टेयर के विरुद्ध केवल 40,100 हेक्टेयर के लिए रूपांकित सिंचाई क्षमता दर्शायी थी।

आयोजना में कमियों पर अनुवर्ती कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

### 2.1.7.1 वन विभाग की स्वीकृति और भूमि के अधिग्रहण के बिना कार्य सौंपा जाना

मध्य प्रदेश निर्माण कार्य विभाग नियमावली खण्ड-1 की कंडिका 2.104 निर्धारित करती है कि जब प्राक्कलन स्वीकृत हो जाए और निधियाँ आवंटित हो जाएं, विभाग द्वारा कलेक्टर को भूमि के अधिग्रहण के लिए एक आवेदन पत्र भेजा जाएगा। यह आगे उपबंधित करती है कि किसी विशेष कार्य के लिए कार्य हाथ में लेने से पहले आवश्यक भूमि के अधिग्रहण के लिए अधिसूचना<sup>3</sup> प्रस्तुत होनी चाहिए। मध्य प्रदेश निर्माण कार्य विभाग नियमावली की कंडिका 2.111 यह भी प्रावधानित करती है कि वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अनुसार वन भूमि के गैर-वन प्रयोजन हेतु डायवर्जन के लिए सभी प्रस्तावों के लिए केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति की आवश्यकता होगी।

वन विभाग की स्वीकृति के बिना कार्य सौंपने से ₹ 2.09 करोड़ की मूल्य वृद्धि का परिहार्य भुगतान हुआ।

• हमने देखा (जनवरी 2015) कि वन विभाग की स्वीकृति एवं भूमि अधिग्रहण की प्रत्याशा में दिसंबर 2006 और फरवरी 2007 के बीच दो कार्य<sup>4</sup> आरम्भ किए गये थे जैसा तालिका 2.4 में वर्णित है।

तालिका 2.4: वन विभाग की स्वीकृति के अभाव में कार्य निष्पादन, देरी और समय विस्तार का विवरण

नहर का विस्तार किमी में	कार्यादेश का दिनांक	प्रस्तावित पूर्णता का दिनांक	निर्धारित दिनांक तक एवं निर्धारित दिनांक के बाद निष्पादित कार्य का प्रतिशत	बिल भुगतान (₹ लाख में)	बीता हुआ समय	वन स्वीकृति के कारण विलंब	मु.अ. द्वारा स्वीकृत समयावृद्धि
114.07से 125	15.12.06	14.06.09	41.33/27.67	2600.42 मूल्य वृद्धि 378.62	66 माह	1.07 किमी	31.12.14
125से 130.93	28.02.07	27.02.09	57/9.87	1126.42 मूल्य वृद्धि 123.69	70 माह	0.25 किमी	31.12.14

(स्रोत: मुख्य अभियंता, इन्दिरा सागर नहर परियोजना द्वारा उपलब्ध करायी गई जानकारी)

जैसा कि तालिका में इंगित किया गया है, इन दो कार्यों के लिए क्रमशः 1,107 मीटर और 250 मीटर की वन भूमि की आवश्यकता थी जिसे पूर्णता के निर्धारित समय तक प्राप्त नहीं किया जा सका। यहां तक कि वन विभाग की स्वीकृति प्राप्त करने (फरवरी 2011) एवं वन विभाग की स्वीकृति प्राप्त करने की तिथि से एक वर्ष की अनुमति के बाद भी कार्य पूरे नहीं हुए थे (जनवरी 2015)। इस प्रकार, भूमि के अधिग्रहण से पहले

<sup>3</sup> अधिसूचना अधिकारियों को अधिग्रहण की जाने वाली भूमि पर प्रवेश करने, सर्वेक्षण, लेवल दर्ज करने आदि के अधिकार देती है।

<sup>4</sup> नर्मदा विकास संभाग 18 खरगोन के अधीन निष्पादित किया जा रहा है।

कार्य आरम्भ करने के कारण नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण को फरवरी 2012 से जनवरी 2015 तक की अवधि के लिए न्यूनतम ₹ 2.09 करोड़ मूल्यवृद्धि का परिहार्य भुगतान करना पड़ा।

वन विभाग की स्वीकृति के बिना कार्य सौंपने से ठेकेदार को ₹ 5.63 करोड़ के निष्क्रिय प्रभारों का परिहार्य भुगतान हुआ।

● इन्दिरा सागर परियोजना मुख्य नहर<sup>5</sup> के आरडी किमी 58.856 से आरडी किमी 64.50 में खुदाई एवं मिट्टी कार्य का एक और कार्य वन विभाग की स्वीकृति प्राप्त किए बिना एक ठेकेदार को दिया गया था (मई, 2002)। वन विभाग से 3.575 किलोमीटर वन भूमि की स्वीकृति प्राप्त नहीं करने के कारण, कार्य जुलाई 2003 से मई 2005 के अवधि के लिए बंद रहा। बाद में 1.275 किलोमीटर की वन भूमि ठेकेदार को उपलब्ध करायी गयी थी (मई 2005) और शेष भूमि सितंबर 2008 से अप्रैल 2010 की अवधि के दौरान ठेकेदार को सुपुर्द की गयी। ठेकेदार द्वारा दायर एक मुकदमे के विरुद्ध मध्य प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश (जून 2006) में ठेकेदार को निष्क्रिय प्रभार शुल्क का भुगतान करने के लिए और कार्य की कुछ मदों की दरों में संशोधन करने के लिए नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण को निर्देश दिए। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण ने ठेकेदार को ₹ 5.63<sup>6</sup> करोड़ का भुगतान किया। इस प्रकार वन विभाग से स्वीकृति प्राप्त किये बिना कार्य दिए जाने के परिणामस्वरूप ₹ 5.63 करोड़ की परिहार्य अतिरिक्त लागत हुई।

निर्गम सम्मेलन (नवंबर 2015) में सदस्य यांत्रिकी ने बताया कि विलंब, मुख्य रूप से नर्मदा बचाओ आंदोलन के कार्यकर्ताओं द्वारा डाले गए व्यवधान एवं उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश दिए जाने के कारण था। आगे यह भी कहा गया कि इस तरह के भुगतान से बचने के लिए वन विभाग की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद ही कार्य दिए जाने को भविष्य में अनुपालन के लिए टीप किया गया।

तथ्य यह है कि कार्य सौंपने से पूर्व वन विभाग की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण विलंब हुआ था जिसके परिणामस्वरूप ठेकेदार को मूल्यवृद्धि एवं निष्क्रिय प्रभारों का भुगतान हुआ।

### 2.1.7.2 वितरण नेटवर्क के निर्माण को कम प्राथमिकता दी जाना

ठेकेदारों ने वितरण नेटवर्क का साथ-साथ निष्पादन करने के बजाय मुख्य नहर के निष्पादन पर मुख्यतः जोर दिया, जिससे लक्षित सिंचाई क्षमता के सृजन पर प्रतिकूल प्रभाव हुआ।

कार्य के निर्माण एवं निर्दिष्ट सिंचाई क्षमता के सृजन हेतु विलंब से बचने एवं परिकल्पित लाभों का समय पर उपार्जन सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) में विशिष्ट लक्ष्य निर्दिष्ट किये गये थे। साथ ही परियोजना के निष्पादन की गतिविधियाँ ऐसे ढंग से आरंभ की जानी चाहिये कि एक ही समय में सभी घटकों को पूरा किया जा सके और समय पर सिंचाई क्षमता<sup>7</sup> सृजित कर उपयोग किया जाए।

टर्नकी अनुबंधों के खण्ड-IV (ड्राइंग और डिज़ाइन पैरामीटर्स) के धारा 36.1 के अनुसार कमान क्षेत्र में ब्लॉक-वार सिंचाई सुविधाओं को विकसित करने हेतु वितरिकाओं के साथ मुख्य/शाखा नहरों हेतु लाइनिंग और इन लाइन संरचनाओं सहित नहर प्रणाली

<sup>5</sup> कार्य नर्मदा विकास संभाग 21 सनावद द्वारा निष्पादित किया जा रहा है।

<sup>6</sup> निष्क्रिय प्रभार ₹ 44.73 लाख, विलंबित भुगतान के कारण उस पर ब्याज ₹ 37.51 लाख एवं दरों में संशोधन ₹ 480.57 लाख = ₹ 5.63 करोड़

<sup>7</sup> सिंचाई क्षमता वहाँ उपार्जित होना कहा जाएगा जहाँ वितरण प्रणाली पूर्ण हो गई हो और सिंचाई के लिए तैयार हो।

का निर्माण आरंभ से अंत तक साथ-साथ क्रियान्वित किया जाना था। तथापि, ब्लॉक-वार सिंचाई क्षमता के सृजन के साथ, ठेकेदार के भुगतान को संबद्ध करने का अनुबंध में कोई प्रावधान सम्मिलित नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा के दौरान (जनवरी 2015 से जून 2015) हमने देखा कि वितरण नेटवर्क के साथ इन्दिरा सागर नहर परियोजना (प्रवाह के विपरीत 130 किमी पर इन्दिरा सागर नहर परियोजना के आरडी किमी 79.80 से निकलने वाली खरगोन उद्वहन नहर) के निर्माण से संबंधित सभी कार्य नहर के कार्य में तेजी लाने की दृष्टि से 2008-09 से टर्नकी अनुबंध के आधार पर दिए गए थे। तथापि, ठेकेदारों ने वितरण नेटवर्क और मुख्य नहर का एक साथ निष्पादन करने के बजाय मुख्य नहर के निष्पादन पर मुख्यतः जोर दिया जैसा कि तालिका 2.5 में दिए गए विवरण से स्पष्ट है।

तालिका 2.5: मुख्य नहरों/संतुलन जलाशय और वितरण नेटवर्क का निर्माण

चरण /विस्तार किमी में	रूपांकित लंबाई (किमी)	पूर्ण की गई लंबाई (किमी)	शेष लंबाई (किमी)	रूपांकित सिंचाई (हे.)
<b>चरण I मुख्य नहर 0-81 किमी</b>	81	81	0	62,200
शाखा/मायनर्स की लंबाई	615	565	50	
<b>चरण II मुख्य नहर - 81से 142 किमी</b>	61	61	0	
शाखा/मायनर्स की लंबाई	250	245	5	20,700
<b>चरण III मुख्य नहर- 142 से 205 किमी</b>	64	62	2	
शाखा/मायनर्स की लंबाई	330	85	245	
<b>चरण IV मुख्य नहर - 206 से 243 किमी</b>	37	30	7	40,100
शाखा/मायनर्स की लंबाई	240	20	220	
<b>चरण IV संतुलन जलाशय (खरगौन उद्वहन नहर)</b>	3 नग	1 नग	2 नग	
राइज़िंग मेन (खरगौन उद्वहन नहर)	11.4	10.2	1.2	
ग्रेविटी मेन (खरगौन उद्वहन नहर)	75	58	17	

(स्रोत: मुख्य अभियंता इन्दिरा सागर नहर परियोजना द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी)

मुख्य नहर के साथ-साथ वितरण नेटवर्क का निष्पादन नहीं किये जाने के कारण कमान क्षेत्र में ब्लॉक-वार सिंचाई सुविधा विकसित करने का उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ। इससे सिंचाई क्षमता के सृजन पर प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ा जैसा कि अनुवर्ती कंडिकाओं में चर्चा की गई है।


निर्गम सम्मेलन (नवंबर 2015) में सदस्य यांत्रिकी ने बताया कि खरगोन उद्वहन नहर के वितरण नेटवर्क एवं संतुलन जलाशय का निष्पादन नहीं करने की स्थिति में ठेकेदारों पर अधिकतम 10 प्रतिशत शास्ति आरोपित की जाएगी।

तथ्य यह है कि इन्दिरा सागर परियोजना नहर के वितरण नेटवर्क का निर्माण मुख्य नहर के साथ-साथ नहीं किया गया था। हमने आगे देखा कि खरगोन उद्वहन नहर की वितरण प्रणाली के साथ संतुलन जलाशयों का निष्पादन नहीं किया जा रहा था जिससे ब्लॉक-वार सिंचाई क्षमता के सृजन का उद्देश्य विफल हुआ।



### 2.1.7.3 खरगोन उद्वहन नहर का अनियोजित निष्पादन

खरगोन उद्वहन नहर के अनियोजित निष्पादन से 23,753 हेक्टेयर कमान क्षेत्र में सिंचाई क्षमता की उपलब्धि नहीं हुई।



इन्दिरा सागर नहर परियोजना के आरडी किमी 79.72 से निकलने वाली खरगोन उद्वहन नहर का निर्माण खरगोन जिले के क्षेत्रों में 33,140 हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रस्तावित किया गया था। 40 हेक्टेयर के टुकड़े तक वितरण नेटवर्क सहित खरगोन उद्वहन नहर का निर्माण 33,140 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा

उपलब्ध कराने के लिए प्राक्कलनों से 17.77 प्रतिशत कम पर ₹ 550.89 करोड़ की लागत पर टर्नकी अनुबंध पर दिया गया (मार्च 2011)। कार्य में 38 मीटर उद्वहन करने एवं 11.4 किलोमीटर "राइजिंग मेन", 75 किमी "ग्रेविटी मेन" (वितरण नेटवर्क) बिछाने एवं नौ "वर्टिकल टरबाइन पंपों" सहित तीन संतुलन जलाशयों का निष्पादन शामिल था। कार्य वर्षा ऋतु सहित 36 महीनों में पूरा किया जाना (मार्च 2014 तक) निर्धारित किया गया था।

अनुबंध के खण्ड-IV के क्लॉज 36.1 के अनुसार मुख्य भू-भाग के कमान क्षेत्र में ब्लॉक-वार सिंचाई सुविधाओं को विकसित करने हेतु वितरिकाओं एवं माइनर्स के साथ मुख्य/शाखा नहरों हेतु संरचनाओं सहित नहर प्रणाली का निर्माण आरम्भ से अन्त तक साथ-साथ क्रियान्वित किया जाना था। तदनुसार मुख्य भू-भाग में सिंचाई सुविधाओं को विकसित करने हेतु खरगोन उद्वहन नहर के "राइजिंग मेन", "ग्रेविटी मेन" एवं संतुलन जलाशयों के कार्य साथ-साथ निष्पादित किए जाने अपेक्षित थे। तथापि, ब्लॉक-वार सिंचाई क्षमता के सृजन के लक्ष्य का अनुबंध में कोई प्रावधान सम्मिलित नहीं किया गया था।

हमने देखा (जनवरी 2015) कि ठेकेदार ने 9,387 हे. के कमान क्षेत्र के कार्य के साथ संतुलन जलाशय-1 का कार्य निष्पादित किया। हमने आगे देखा कि 'राइजिंग मेन' एवं 'ग्रेविटी मेन' से संबंधित कार्य का क्रमशः 89.47 प्रतिशत और 77 प्रतिशत की सीमा तक निष्पादन किया गया। तथापि, ठेकेदार ने संतुलन जलाशय II एवं संतुलन जलाशय III के कार्यों का निष्पादन नहीं किया था। इसके परिणामस्वरूप, संतुलन जलाशय II (11,202 हे.) एवं संतुलन जलाशय III (12,551 हे.) के "राइजिंग मेन" एवं "ग्रेविटी मेन" के कार्यों में पर्याप्त निष्पादन के बावजूद सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं करायी जा सकी। इस प्रकार खरगोन उद्वहन नहर के निष्पादन के दोषपूर्ण आयोजन और ब्लॉक-वार सिंचाई क्षमता के लक्ष्य के अभाव के परिणामस्वरूप खरगोन उद्वहन नहर के उद्देश्य प्राप्त नहीं हो सके।

शासन ने बताया (नवंबर 2015) कि ब्लॉक-वार सिंचाई क्षमता सृजन के लिए लक्ष्य तय किये गये थे एवं 9,387 एवं 11,200 हेक्टेयर में सिंचाई उपलब्ध कराने के लिए क्रमशः स्टेज 2 में वितरण नेटवर्क का 90 प्रतिशत एवं स्टेज 3 में 70 प्रतिशत आरंभ से अंत तक पूर्ण किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ब्लॉक-वार सिंचाई क्षमता सृजन के लिए लक्ष्य तय नहीं थे एवं ब्लॉक-वार सिंचाई क्षमता सृजन के अनुसार ठेकेदारों के भुगतान भी सीमित नहीं किए गए थे। " राइज़िंग मेन " एवं " ग्रेविटी मेन " के कार्यों में पर्याप्त निष्पादन के बावजूद संतुलन जलाशय II एवं संतुलन जलाशय III के कार्य आरम्भ नहीं हुए थे (मार्च 2015)।

### अनुशंसा

शासन को समय और लागत आधिक्य से बचने के लिए टर्नकी ठेकों में ब्लॉक-वार सिंचाई क्षमता के सृजन के लिए लक्ष्य निर्धारित करने तथा सिंचाई क्षमता के सृजन के साथ भुगतान को जोड़ने के लिए विचार करना चाहिए।

#### 2.1.7.4 सिंचाई क्षमता का सृजन

विभाग ने मार्च 2015 के अंत तक 1.23 लाख हेक्टेयर की लक्षित सिंचाई क्षमता के विरुद्ध 1.10 लाख हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता सृजित होना सूचित किया था जैसा कि तालिका 2.6 में दिखाया गया है:

तालिका 2.6: रूपांकित सिंचाई क्षमता के विरुद्ध सिंचाई क्षमता में उपलब्धि

चरण के नाम	रूपांकित सिंचाई क्षमता (हे.)	2009-10 तक विकसित सिंचाई क्षमता (हे.)	मार्च 2015 तक सिंचाई क्षमता की कुल उपलब्धि (हे.)
चरण-I एवं चरण-II	62.200	37.700	58,000
चरण -III	20.700	0	18,000
चरण-IV		0	5,000
चरण-I और खरगोन उद्वहन नहर	40.100	0	28,800
<b>कुल</b>	<b>1,23,000</b>	<b>37,700</b>	<b>1,09,800</b>

(स्रोत: मुख्य अभियंता इन्दिरा सागर नहर परियोजना द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी)

प्राधिकरण द्वारा सूचित की गई 1.09 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता की कुल उपलब्धि समाधान कारक नहीं है क्योंकि मुख्य नहर की वितरणियाँ और खरगोन उद्वहन नहर के दो संतुलन जलाशय अभी तक निर्मित नहीं हुए थे (मार्च 2015) जैसा कंडिका 2.1.7.2 और 2.1.7.3 में चर्चा की गई है। चूँकि खरगोन उद्वहन नहर के तीन संतुलन जलाशयों में से 9,387 हेक्टेयर कमान क्षेत्र का केवल एक संतुलन जलाशय अब तक निर्मित हुआ था (मार्च 2015) खरगोन उद्वहन नहर के माध्यम से 28,800 हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता वास्तविक नहीं थी।

शासन ने बताया (नवंबर 2015) कि सृजित की गई कुल सिंचाई क्षमता जल संसाधन विभाग के विद्यमान तालाबों के पोषण सहित वास्तविक यथार्थवादी आंकड़ों पर आधारित थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इन्दिरा सागर नहर परियोजना के चरण-IV में वितरण प्रणाली अधूरी थी (85 प्रतिशत) एवं खरगोन उद्वहन नहर के तीन संतुलन जलाशयों में से दो संतुलन जलाशयों का अभी तक का निर्माण कार्य आरम्भ नहीं हुआ था (मार्च 2015)। इसलिए, यह स्पष्ट है कि 1.10 लाख हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता प्रभावी रूप से उपलब्ध नहीं थी। इन्दिरा सागर परियोजना का कमान क्षेत्र जल संसाधन विभाग के तालाबों के अन्तर्गत नहीं आयेगा।

## अनुशंसा

शासन को, कम से कम समय के भीतर सिंचाई क्षमता सृजित कर दोहन करने की दृष्टि से सिंचाई प्रणाली के सभी घटकों का साथ-साथ निर्माण सुनिश्चित करना चाहिए।

### 2.1.8 अनुबंध प्रबंधन और कार्य निष्पादन

अनुबंध प्रबंधन, वित्तीय और परिचालन प्रदर्शन को बढ़ाने और जोखिम को कम करने के उद्देश्य के लिए अनुबंध सृजन, क्रियान्वयन और विश्लेषण के व्यवस्थित और कुशलता से प्रबंधन की, एक प्रक्रिया है। प्रारंभ में, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण ने इन्दिरा सागर परियोजना नहर के किमी 130 तक आइटम दर के आधार पर ठेके दिए थे बाद में प्रवाह के विपरीत किमी 130 से किमी 243 के लिए टर्नकी ठेकों पर कार्य दिए गए। खरगोन उद्वहन नहर, जो इन्दिरा सागर परियोजना नहर के आरडी किमी 79.80 से जल उद्वहन करती है, उसे भी टर्नकी अनुबंध के माध्यम से लिया गया था।

मैदानी लेखापरीक्षा के दौरान ₹ 1,809.54 करोड़ मूल्य के प्रगतिरत सभी 24 मुख्य अनुबंधों<sup>8</sup> का विश्लेषण किया गया जिनमें ₹ 566.13 करोड़ की लागत के सात अनुबंध वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक की अवधि के दौरान निष्पादित हुए थे। ₹ 266.83 करोड़ की मूल्यवृद्धि सहित सभी 24 अनुबंधों पर ₹ 1,606.39 करोड़ का कुल व्यय किया गया था (मार्च 2015)। ठेके प्रबंधन में कमियों से 17 ठेकों के संबंध में ₹ 238.35 करोड़ के अधिक भुगतान/अतिरिक्त लागत/अनुचित लाभ/अग्राह्य भुगतान पर अनुवर्ती कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

#### आइटम रेट ठेके

आइटम रेट ठेके की निविदा में एक कार्य के लिए उल्लिखित प्रत्येक मद के विरुद्ध ठेकेदार द्वारा दरें उद्धृत की जाती हैं। मैदानी लेखापरीक्षा के दौरान ₹ 279.81 करोड़ मूल्य के 17 अनुबंधों की हमारे द्वारा जांच की गई थी। ठेका प्रबंधन एवं निष्पादन में कमियों पर अनुवर्ती कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

#### 2.1.8.1 दोषी ठेकेदारों से अधिक व्यय की वसूली न होना

अनुबंधों की धारा 4.3.3.1 के अनुसार, जब अनुबंध रद्द कर दिया जाता है, ठेकेदार की सुरक्षा जमा जब्त हो जाती है। अनुबंध की धारा 4.3.3.3 निर्धारित करता है कि ठेकेदार के कार्य का माप लिया जाएगा और अनिष्पादित कार्य उसके अनुबंध से लिया जाकर उसे पूरा करने के लिए दूसरे ठेकेदार को दिया जाएगा। शेष कार्य पर कोई अतिरिक्त व्यय को मूल ठेकेदार द्वारा वहन और भुगतान किया जाएगा। अनुबंध की धारा 4.3.38.1 व्यवस्था करता है कि शासन को ठेकेदार की सुरक्षा जमा/निष्पादन प्रतिभूति को जब्त कर ठेकेदार से बकाया राशि की वसूली करने का अधिकार होगा एवं अपर्याप्त सुरक्षा राशि की स्थिति में शेष वसूली योग्य राशि भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जाएगी।

दोषी ठेकेदारों से ₹ 15.92 करोड़ के अधिक व्यय की वसूली नहीं की गई

<sup>8</sup> 24 अनुबंधों में से 17 अनुबंध आइटम रेट पर है, चार अनुबंध टर्नकी पर और तीन अनुबंध परामर्श सेवाओं से संबंधित हैं।

हमने देखा (फरवरी 2015) कि दो कार्यों<sup>9</sup> के संबंध में संपूर्ण कार्य के निष्पादन के लिए क्रमशः 24 महीने और 18 महीने का कुल समय दिया गया था। तथापि, एक कार्य (सनावद वितरिका) के लिए अक्टूबर 2005 से जून 2012 तक की अवधि के लिए समय वृद्धियाँ (पांच बार) देने और एक दूसरे कार्य (इन्दिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर के आरडी किमी 41.25 से आरडी किमी 58.865 में उत्खनन और मिट्टी कार्य) के लिए अक्टूबर 2004 से दिसंबर 2013 तक की अवधि के लिए समय वृद्धियाँ दिए जाने के बाद भी ठेकेदार कार्य निष्पादित करने में विफल रहे थे। अंततः विभाग ने क्रमशः जून 2012 और जून 2014 में अनुबंध की धारा 4.3.3.3 के अंतर्गत अनुबंधों को निरस्त कर दिया।

दोनों कार्यों की शेष मात्राएं अन्य ठेकेदारों को सौंपी गई थीं (दिसंबर 2013 और मार्च 2015) एवं ₹ 19.50 करोड़ की अतिरिक्त लागत पर कार्य निष्पादित कराया गया। विभाग ने सुरक्षा जमा और निष्पादन प्रतिभूति से ₹ 3.58 करोड़ वसूल किए लेकिन ₹ 15.92 करोड़ की शेष राशि की दोषी ठेकेदारों से भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूली के लिए कार्रवाई आरंभ नहीं की (परिशिष्ट 2.1)।

निर्गम सम्मेलन (नवंबर 2015) में अतिरिक्त मुख्य सचिव, नर्मदा घाटी विकास विभाग, राजस्व वसूली प्रमाण पत्र (आर.आर.सी) जारी करके दोषी ठेकेदारों से अतिरिक्त लागत की वसूली के लिए कार्रवाई शुरू करने के लिए पर सहमत हुए (नवंबर 2015)।

### **2.1.8.2 आदेश के अनोचित्यपूर्ण संशोधन एवं पी.ओ.एल. के गलत सूचकांक अपनाये जाने से मूल्यवृद्धि का अधिक भुगतान**

आदेशों के अनोचित्यपूर्ण संशोधन और पीओएल के गलत सूचकांकों को अपनाने से ₹ 90.47 लाख की मूल्यवृद्धि का अधिक भुगतान हुआ

आइटम रेट ठेकों की सामान्य नियम और शर्तों के अनुसार मूल्यवृद्धि ठेकेदार को भुगतान योग्य है यदि निर्माण अवधि 12 महीने से अधिक है। निम्नलिखित मामलों में अन्यायसंगत/गलत मूल्यवृद्धि का भुगतान हमारे ध्यान में आया।

- आइटम रेट अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार मूल्य वृद्धि धारा उसी कार्य के लिए लागू होगा जो निर्धारित समय या उसकी समयवृद्धि जो ठेकेदार पर आरोपणीय कारणों से नहीं हो, के भीतर किया गया है।

विभाग ने इन्दिरा सागर परियोजना मुख्य नहर<sup>10</sup> में ग्राउटेड स्टोन पिचिंग के निर्माण के तीन कार्य एक ठेकेदार को कार्यादेशों के जारी (जनवरी 2012) होने की दिनांक से 18 महीनों की पूर्णता अवधि (वर्षा ऋतु सहित) की अनुमति के साथ आइटम दर अनुबंध के आधार पर दिया था (जनवरी 2012)।

हमने देखा (फरवरी 2015) कि ठेकेदार अनुबंधों में दी गई निर्धारित अवधि के भीतर कार्यों को निष्पादित करने में विफल रहा था। मुख्य अभियंता इन्दिरा सागर नहर परियोजना ने इस शर्त के साथ सभी तीन कार्यों के लिए समयवृद्धि स्वीकृत की (सितंबर

<sup>9</sup> सनावद वितरिका (नर्मदा विकास संभाग 28 पुनासा का अनुबंध क्र. 01/2003-04) और के आरडी कि.मी. 41.25 से आरडी किमी 58.865 में इन्दिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की खुदाई और मिट्टी कार्य (नर्मदा विकास संभाग 21 सनावद का अनुबंध क्र. 01/2003-04)

<sup>10</sup> आरडी किमी 0 से आरडी किमी 4.36, आरडी किमी 4.36 से आरडी किमी 10 एवं आरडी किमी 10 से आरडी किमी 17 में ग्राउटेड स्टोन पिचिंग का कार्य नर्मदा विकास संभाग 28 पुनासा द्वारा निष्पादित किया जा रहा है।

2013) कि ठेकेदार विस्तारित अवधि के समय में मूल्यवृद्धि के लिए पात्र नहीं होगा। तथापि, उत्तराधिकारी मुख्य अभियंता इन्दिरा सागर परियोजना नहर ने समयवृद्धि के पहले के आदेशों में संशोधन कर दिया और उनमें किसी भी कारण को निर्दिष्ट किए बिना 2 जुलाई 2013 (निर्धारित पूरा होने की दिनांक) पर सूचकांकों को स्थिर करने के साथ ठेकेदार को मूल्यवृद्धि के लाभ की अनुमति दी (जून 2014)। किसी भी विशिष्ट औचित्य के बिना आदेशों के संशोधन से ठेकेदारों को मूल्यवृद्धि के कारण ₹ 41.59 लाख का परिहार्य भुगतान हुआ (परिशिष्ट 2.2)।

- आइटम रेट ठेकों की सामान्य शर्तों और निबंधनों के अनुसार यदि निर्माण अवधि 12 महीने से अधिक है, कार्य के लिए ठेकेदार को भुगतान की गई राशि को श्रम, सामग्री, पेट्रोल तेल स्नेहक (पीओएल), स्टील और सीमेंट की दर में वृद्धि या कमी के लिए त्रैमासिक रूप से समायोजित किया जाएगा। पीओएल पर मूल्य वृद्धि की गणना के लिए, जिस क्षेत्र में कार्य निष्पादित किया जाएगा, निविदा खोलने की दिनांक पर वहाँ के पीओएल की विद्यमान बाजार दर, विचार की जानी चाहिए।

हमने देखा (जून 2015) कि आरडी किमी 58.856 और आरडी किमी 82.395<sup>11</sup> के बीच इन्दिरा सागर परियोजना मुख्य नहर के निर्माण में, पीओएल की आधार दर गलती से उस समय सनावद में प्रचलित ₹ 24.37 प्रति लीटर के बजाय ₹ 22.09 प्रति लीटर के रूप में ली गयी थी। यह ₹ 48.88 लाख के अधिक भुगतान में परिणामित हुई (परिशिष्ट 2.3)।

निर्गम सम्मेलन (नवंबर 2015) में अतिरिक्त मुख्य सचिव, नर्मदा घाटी विकास विभाग ने मूल्यवृद्धि के भुगतान के मामले की जांच करने का आश्वासन दिया।

### 2.1.8.3 ठेकेदारों से अतिरिक्त सुरक्षा जमा की कम कटौती

अतिरिक्त सुरक्षा जमा राशि की कम कटौती किए जाने से ठेकेदार को ₹ 1.78 करोड़ या अनुचित लाभ दिया गया

आइटम रेट अनुबंध की धारा 3.46 के अनुसार किसी मामले में यदि अनुमोदन अधिकारी मानता है कि निविदाकार ने कुछ मदों के लिए गैर-अनुपातिक उच्च दरें उद्धृत की हैं और निविदा असंतुलित<sup>12</sup> है, उसे उन दरों के लिए प्राक्कलित दर के साथ प्राक्कलित लागत का अधिक या कम निविदा प्रतिशत, जैसा भी प्रकरण हो, जोड़कर या घटाकर भुगतान सीमित करने का अधिकार होगा। ऐसी मदों का शेष भुगतान प्रभारी-यंत्रों द्वारा अतिरिक्त सुरक्षा जमा के रूप में रोक कर रखा जाएगा। इसे संपूर्ण कार्य के पूरा होने के बाद ही मुक्त किया जाएगा।

तीन ठेकों के संबंध में हमने देखा (जनवरी 2015 से मार्च 2015) कि संभागीय अधिकारी द्वारा अतिरिक्त सुरक्षा जमा के लिए ₹ 2.19 करोड़ वसूल किए थे यद्यपि वसूली योग्य कुल राशि ₹ 3.97 करोड़ संगणित होती है। इस प्रकार तीन प्रगतिरत कार्यों के संबंध में अतिरिक्त सुरक्षा जमा की रोक की गई राशि में ₹ 1.78 करोड़ की कमी थी (परिशिष्ट 2.4)। चूंकि नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण उन मदों के संबंध में अतिरिक्त सुरक्षा जमा की कुल राशि की कटौती में विफल रहा था जिनके लिए गैर-अनुपातिक उच्च दरें उद्धृत की गई थीं एवं उन मदों में अधिकतर का भुगतान कर दिया

<sup>11</sup> कार्य नर्मदा विकास संभाग 21. सनावद द्वारा निष्पादित किया जा रहा है।

<sup>12</sup> निविदा असंतुलित मानी जाएगी यदि एक कार्य की विभिन्न मदों के लिए उद्धृत की गई दरें उन मदों की प्राक्कलित दरों की तुलना में गैर अनुपातिक रूप से उच्च या निम्न हों।

गया था, तीनों कार्यों के ठेकेदार, सीमेंट कांक्रीट लाइनिंग कार्य के निष्पादन में रुचि नहीं ले रहे थे जिनके लिए ठेकेदारों ने ₹ 3,256 प्रति घनमीटर की प्रचलित दर (2009 की यू एस आर) की तुलना में ₹ 2,000 प्रति घन मीटर की बहुत कम दरें उद्धृत की थीं। कुल 24 किमी में से 12 किमी की लंबाई में सीमेंट कांक्रीट लाइनिंग का कार्य निर्धारित पूर्णता अवधि से पांच वर्ष से अधिक बीत जाने के बाद भी अधूरा पड़ा था।

शासन ने बताया (नवंबर 2015) कि तीनों ठेकों जिन मुख्य तीन कार्यों में मंदें असंतुलित थी वह मिट्टी कार्य, कांक्रीट संरचना एवं सीमेंट कांक्रीट लाइनिंग थे एवं इनमें से केवल मुख्य नहर में 12 किलोमीटर की लाइनिंग निष्पादित की जानी शेष थी।

तथ्य यह है कि अतिरिक्त सुरक्षा जमा रोके जाने में 44.84 प्रतिशत की कमी थी (मार्च 2015) इसलिए पूर्णता की निर्धारित तिथि से पांच वर्ष से अधिक बीत जाने के बाद भी नहर की लंबाई में 50 प्रतिशत सीमेंट कांक्रीट लाइनिंग का कार्य अभी भी अधूरा है।

#### 2.1.8.4 विलंब के लिए शास्ति की वसूली न होना

विलंब के लिए ठेकेदार से ₹ 1.63 करोड़ की शास्ति वसूल नहीं की गई।

आइटम रेट अनुबंध की धारा 4.3.2 के अनुसार, ठेकेदार को निर्धारित दिनांक के बाद अपूर्ण कार्य के लिए प्रति दिन अनुमानित लागत की राशि पर एक प्रतिशत या जो भी छोटी राशि निर्णीत की जाए, के समतुल्य की दर से मुआवजा देना होगा, बशर्ते कि संपूर्ण राशि अनुमानित लागत के 8 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

इन्दिरा सागर परियोजना मुख्य नहर में आरडी किमी 31.28 से आरडी किमी 41.25<sup>13</sup> का कार्य ₹ 20.32 करोड़ की अनुमानित लागत के विरुद्ध ₹ 18.22 करोड़ की लागत पर एक ठेकेदार को दिया गया था (जुलाई 2003)। जून 2008 में प्रचलित मूल्य सूचकांकों को स्थिर रखने की शर्त के साथ सात बार समयवृद्धि के बावजूद ₹ 1.30 करोड़ रुपये का कार्य अभी भी अपूर्ण था (मार्च 2015)।

हमने देखा (फरवरी 2015) कि कार्य के लिए संपूर्ण भूमि अधिग्रहीत कर ली गई थी और अक्टूबर 2010 तक ठेकेदार को सौंपी गई थी, लेकिन ठेकेदार अब तक कार्य पूरा नहीं कर सका था (मार्च 2015)। हमने जुलाई 2011 से मार्च 2015 (₹ 1.30 करोड़ के शेष कार्य के निष्पादन के लिए भूमि सौंपने की दिनांक से आठ महीने की अनुमति देने के बाद) तक की अवधि के लिए विलंब के लिए ठेकेदार पर लगायी जाने वाली ₹ 1.63 करोड़<sup>14</sup> की शास्ति संगणित की।

शासन ने कहा (नवंबर 2015) कि अक्टूबर 2010 तक ठेकेदार को यद्यपि पूर्ण भूमि उपलब्ध करा दी गयी थी, रबी और खरीफ मौसम के दौरान निरंतर पानी छोड़े जाने के कारण ठेकेदार कार्य को पूरा नहीं कर सका था।

निर्गम सम्मेलन (नवंबर 2015) में सदस्य यांत्रिकी ने बताया कि शास्ति लगाने के लिए ठेकेदार को नोटिस जारी किया गया है और सुनवाई का अवसर देने के बाद कार्रवाई की जाएगी।

<sup>13</sup> नर्मदा विकास संभाग 28 पुनासा द्वारा निष्पादित किया जा रहा है।

<sup>14</sup> 50 माह के लिए शास्ति (1500 दिवस) = प्राक्कलित लागत का 8 प्रतिशत = (20.32 करोड़ \* 8 प्रतिशत) = ₹ 1.63 करोड़

### 2.1.8.5 पूर्व निर्मित टाइल्स लाइनिंग के नीचे एलडीपीई फिल्म का उपयोग करने से अतिरिक्त लागत

पूर्व निर्मित टाइल्स लाइनिंग में एलडीपीई फिल्म के अवांछित निष्पादन से ₹ 78.91 लाख की अतिरिक्त लागत आयी।

सिंचाई कार्यों के लिए तकनीकी विशिष्टियों की धारा 25.5.1 के अनुसार जहां सब-ग्रेड सरन्ध्र सामग्री की है जैसे मुरुम आदि, लाइनिंग के नीचे एवं बगलों के तल में उपयुक्त मोटाई की एलडीपीई की एक प्लास्टिक झिल्ली का उपयोग किया जा सकता है ताकि बिछाने के दौरान तैयार सब-ग्रेड में कांक्रीट घोल में से पानी के अवशोषण को रोका जा सके। इसके अलावा, तकनीकी विशिष्टियों की धारा 25.6.4.3.3 व्यवस्था करता है कि सब-ग्रेड को समान रूप से पानी से भिगो दिया जाना चाहिए ताकि पूर्व निर्मित टाइल्स के लिए सब-ग्रेड पर डाले गए गारे से मिट्टी की परत नमी को अवशोषित नहीं करे। इसलिए पूर्व निर्मित टाइल्स लाइनिंग के नीचे एलडीपीई फिल्म निष्पादित करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

दो कार्यों<sup>15</sup> की जांच के दौरान (मार्च 2015 और जून 2015) हमने देखा कि एक कार्य में ₹ 27 प्रति वर्ग मीटर की दर से 2,27,068.14 वर्ग मीटर क्षेत्र में एवं अन्य कार्य में ₹ 7 प्रति वर्ग मीटर की दर से 2,51,410.62 वर्ग मीटर में पूर्व निर्मित टाइल्स लाइनिंग के नीचे एलडीपीई फिल्म निष्पादित की गयी थी जिसकी आवश्यकता नहीं थी क्योंकि यह पूर्व निर्मित टाइल्स की लाइनिंग थी। एलडीपीई फिल्म के निष्पादन से इस प्रकार ₹ 78.91 लाख<sup>16</sup> की अतिरिक्त लागत हुई। आगे, हमने मैदानी निरीक्षण के दौरान देखा कि टर्नकी अनुबंध के अंतर्गत जूनापानी वितरणी के निष्पादन में पूर्व निर्मित टाइल्स लाइनिंग बिना एलडीपीई फिल्म के निष्पादित की गयी थी।

शासन ने बताया (नवंबर 2015) कि प्रभारी यंत्री को धारा 25.5 के प्रावधान के संदर्भ में अधिकार था कि पॉलिथीन फिल्म उपयोग की जाए या नहीं। निर्गम सम्मेलन (नवंबर 2015) में सदस्य यांत्रिकी नर्मदा घाटी विकास विभाग ने विशिष्टियों के संदर्भ में जांच के बाद उत्तर प्रस्तुत करने का आश्वासन दिया।

सिंचाई कार्यों के लिए तकनीकी विशिष्टियों के प्रावधान की दृष्टि से विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है।

### 2.1.8.6 कड़ी चट्टान के उत्खनन में चट्टे लगाने की मद की वसूली न होना

कड़ी चट्टान उत्खनन में चट्टे लगाने की दर की कटौती न करने से ठेकेदार को ₹ 57.51 लाख का अतिरिक्त भुगतान किया गया था।

जल संसाधन विभाग द्वारा जारी, 2007 से लागू यूएसआर के प्रावधान के अनुसार, कड़ी चट्टान की उत्खनन की दर में चट्टे लगाने (स्टैकिंग) की दर भी शामिल है। इन्दिरा सागर परियोजना मुख्य नहर के किमी 80 से किलोमीटर 107 के कार्य<sup>17</sup> में कड़ी चट्टान का उत्खनन भी शामिल था। हमने देखा (फरवरी 2015) कि उत्खनित कड़ी चट्टान की माप पुस्तकों के अनुसार चट्टे नहीं लगाए गये थे लेकिन पूर्ण दर से भुगतान किया गया

<sup>15</sup> नर्मदा विकास संभाग 24 खरगोन का अनुबंध क्र.1/2008-09 एवं नर्मदा विकास संभाग 21 सनावद का अनुबंध क्र.1/2003-04

<sup>16</sup>  $(2,51,410.62 * ₹ 7) + (2,27,068.14 * ₹ 27) = ₹ 78,90,714.12$

<sup>17</sup> अनुबंध क्र.1/2008-09 नर्मदा विकास संभाग 24 खरगोन द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है

था, परिणामस्वरूप ठेकेदार को बिना कार्य किए ₹ 57.51 लाख<sup>18</sup> का अधिक भुगतान हुआ।

शासन ने बताया (नवंबर 2015) कि उत्खनित कड़ी चट्टान मैदानी सहायक यंत्रों के कार्यस्थल सामग्री लेखों में लेखांकित की गई थी। यह भी कहा गया कि उपयोगी कड़ी चट्टान भारी मात्रा में थी इसलिए चट्टे लगाना संभव नहीं था अतः नहर के किनारे जमा की गयी थी। तथापि, निर्गम सम्मेलन (नवंबर 2015) में अतिरिक्त मुख्य सचिव, नर्मदा घाटी विकास विभाग ने बताया कि जांच के बाद ठेकेदार से राशि की वसूली की जाएगी।

### टर्नकी ठेके

टर्नकी एक प्रकार का ठेका है जहां ठेकेदार एक स्थिर मूल्य पर, सर्वेक्षण से लेकर आयोजना, डिज़ाइन, ड्राइंग, प्राक्कलन बनाने, भूमि अधिग्रहण प्रस्तावों की तैयारी के साथ कार्य के पूरा होने और चालू होने तक पूरी जिम्मेदारी लेता है।

मैदानी लेखापरीक्षा के दौरान ₹ 1,529.73 करोड़ मूल्य के प्रगतिरत सिविल कार्यों के लिए चार टर्नकी ठेकों और परामर्श के तीन टर्नकी ठेकों का हमारे द्वारा परीक्षण किया गया।

टर्नकी ठेकों के प्रबंधन और कार्यों के निष्पादन में कमियों पर अनुवर्ती कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

#### 2.1.8.7 विलंब के लिए शास्ति का अधिरोपण न होना

ठेके की विशेष शर्तों की धारा 115 के अनुसार, ठेकेदार कार्य को पूरा करने के लिए एक कार्य योजना प्रस्तुत करेगा। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा हर छह महीने की अवधि में कार्य की प्रगति की निगरानी की जाएगी। प्रगति में 20 प्रतिशत (खरगोन उद्वहन नहर के लिए टर्नकी अनुबंध में 10 प्रतिशत) से अधिक की कोई कमी होने की स्थिति में प्रति दिन कमी के मूल्य के 0.1 प्रतिशत (खरगोन उद्वहन नहर के लिए टर्नकी ठेके में, ठेके के प्रारंभिक मूल्य का 0.2 प्रतिशत) की दर से ठेकेदार पर शास्ति लगायी जाएगी जब तक कि कार्य में कमी को पूरा नहीं किया जाता है और मध्यवर्ती भुगतान से कटौती की जाएगी। तथापि, संचयी शास्ति ठेका मूल्य के 10 प्रतिशत तक सीमित होगी। निविदा दस्तावेज में बताए गए नकदी प्रवाह एवं कार्यक्रम अद्यतन करने या कार्यक्रम की समीक्षा करने और पुनर्निर्धारण के होते हुए भी यह शास्ति लगायी जाएगी।

₹ 1,272.37 करोड़ की कुल लागत पर फरवरी 2008 से मार्च 2011 के दौरान सौंपे गए तीन टर्नकी ठेकों<sup>19</sup> में (जनवरी 2015 से मई 2015) हमने देखा कि निर्धारित कार्यक्रम के विरुद्ध उपलब्धि में 16.65 प्रतिशत से लेकर 96.45 प्रतिशत की कमी थी।

लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होने पर ₹ 118.78 करोड़ रुपये की शास्ति टर्नकी ठेकेदार से वसूल नहीं की गयी थी

<sup>18</sup> कुल उत्खनित कड़ी चट्टान 3,81,39,172 घ.मी. थी।  $3,81,39,172 \text{ घ.मी.} \times 1.3 = 4,95,809.24 \text{ घ.मी.}$ , 52,485.10 घ.मी. जारी की गई  $4,95,809.24 \text{ घ.मी.} - 52,485.10 \text{ घ.मी.} = 4,43,324.14 \text{ घ.मी.} \times 9.20 \text{ प्रति घमी जोड़िये: } 41 \text{ प्रतिशत निविदा प्रीमियम} = ₹ 57.51 \text{ लाख}$

<sup>19</sup> नर्मदा विकास संभाग 11 बड़वानी का अनुबंध क्र.02/2009-10, नर्मदा विकास संभाग 18 खरगोन का अनुबंध क्र.01/2010-11 खरगोन उद्वहन नहर के लिए, नर्मदा विकास संभाग 14 ठीकरी का अनुबंध क्र.01/2007-08



ठेकेदारों पर विलंबों के कारण आरोपणीय थे क्योंकि वहां नहरों के संरेखण (एलाइन्मेंट) को अंतिम रूप देने में विलंब थे, जब कि भूमि अधिग्रहण की जिम्मेदारी ठेकेदारों की थी, भूमि अधिग्रहण प्रस्ताव प्रस्तुत करने में असाधारण विलंब थे और ठेकेदारों द्वारा संरचनाओं के डिज़ाइन एवं ड्राइंग की विलंबित प्रस्तुति से विलंब हुए थे। इसलिए कार्य को पूरा करने में महत्वपूर्ण कमी के कारण ₹ 127.24 करोड़ अर्थात् कुल संविदा मूल्य की 10 प्रतिशत शास्ति अधिरोपित करना और ठेकेदारों के मध्यवर्ती भुगतान से कटौती किया जाना अपेक्षित था। इसके विरुद्ध नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा केवल एक ही कार्य<sup>20</sup> के संबंध में ₹ 8.46 करोड़ वसूल किए गए थे। यह ठेकेदारों से ₹ 118.78 करोड़ के लिए शास्ति के कम अधिरोपण एवं वसूली में परिणामित हुआ (परिशिष्ट 2.5)। हमने आगे देखा कि निर्धारित पूर्णता अवधि की समाप्ति के बाद मुख्य अभियंता, इन्दिरा सागर परियोजना नहर द्वारा छह मासिक समीक्षाएं भी नहीं की गई थीं।

शासन ने बताया (नवंबर 2015) कि ठेकेदारों को 10 प्रतिशत की शास्ति के आरोपण के लिए नोटिस जारी किए गए थे। आगे कहा गया कि नोटिस के जवाब में खरगोन उद्दहन नहर के ठेकेदार ने प्रभारी यंत्री को शास्ति न लगाने लिए लिखा था और सुनवाई के बाद प्रभारी यंत्री द्वारा उसे अस्वीकृत कर दिया था। ठेकेदार पुनः अगले उच्च प्राधिकारी (मुख्य अभियंता इन्दिरा सागर परियोजना नहर) के पास गए वहां सुनवाई प्रगति में थी। आरडी 155 से आरडी किमी 206 के कार्य के संबंध में ₹ 8.46 करोड़ की शास्ति की वसूली के बाद ठेकेदार न्यायालय में चला गया था और अगले आदेश तक वसूली को रोक दिया गया था। आरडी किमी 206 से आरडी किमी 243.89 के कार्य के संबंध में प्रभारी यंत्री ने निर्माण कार्यक्रम को संशोधित और शास्ति को माफ कर दिया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि शास्ति मुख्य अभियंता, इन्दिरा सागर परियोजना द्वारा आंकलित और अधिरोपित की जानी अपेक्षित थी और इसलिए इसे ठेकेदारों के मध्यवर्ती भुगतानों से वसूल किया जाना था। पुनः ठेके के संशोधित निर्माण कार्यक्रम के अनुमोदन के मामले में ठेकेदार पर आरोपणीय विलंबों के कारण वसूली योग्य शास्ति का परित्याग करने का कोई प्रावधान दायित्विक धारा में नहीं था।

### 2.1.8.8 मूल्यवृद्धि की भुगतान

टर्नकी ठेकों की सामान्य नियम और शर्तों के अनुसार यदि निर्माण अवधि 12 महीने से अधिक है, ठेकेदार को भुगतान की गई राशि में, श्रम, सामग्री, पी ओ एल, स्टील एवं सीमेंट की दरों में वृद्धि या कमी हेतु त्रैमासिक रूप से समायोजन किया जाएगा। मूल्य वृद्धि धारा उसी कार्य के लिए लागू होगी जो निर्धारित समय या उसकी समयवृद्धि जो ठेकेदार पर आरोपणीय कारणों से नहीं हो, के भीतर किया गया हो।

संज्ञान में आयी मूल्यवृद्धि के भुगतान में कमियों पर अनुवर्ती कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

- **मूल्यवृद्धि भुगतान के लिए अनुबंध में गलत सूचकांक अपनाये जाने के कारण अतिरिक्त भुगतान**

टर्नकी ठेकों हेतु मानक बोली दस्तावेज़ (एसबीडी) के अनुसार सामग्री, सीमेंट एवं स्टील पर मूल्यवृद्धि के भुगतान हेतु थोक मूल्यों के सूचकांक अपनाये जाएंगे जैसा कि भारत

<sup>20</sup> नर्मदा विकास संभाग 14 ठीकरी में अनुबंध क्र.02/2009-10

सरकार, उद्योग मंत्रालय, आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा प्रकाशित या भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के बुलेटिन में प्रकाशित हों।

मूल्यवृद्धि के भुगतान के लिए गलत सूचकांक अपनाने से ठेकेदार को ₹ 11.37 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान हुआ।

इन्दिरा सागर परियोजना नहर के आरडी 206 किलोमीटर से आरडी किमी 243.89<sup>21</sup> के टर्नकी ठेके के संबंध में हमने देखा (मई 2015) कि सीमेंट और स्टील पर मूल्यवृद्धि के भुगतान के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के बुलेटिन में प्रकाशित सूचकांकों के बजाय निकटतम कारखाने से सभी करों और शुल्कों सहित प्रति मीट्रिक टन सीमेंट की दर और भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) के "ट्रिस्टेड डिफ़ार्मड बार" तथा संरचनात्मक स्टील की दरों को विचार में लिया गया था। मानक बोली दस्तावेज में उल्लिखित शर्तों से विचलन के परिणामस्वरूप सीमेंट और स्टील पर मूल्यवृद्धि के कारण ₹ 11.37 करोड़<sup>22</sup> की परिहार्य अतिरिक्त लागत आयी (परिशिष्ट 2.6)।

शासन ने बताया (नवंबर 2015) कि अनुबंध के प्रावधानों की शर्तों के अनुसार ठेकेदारों को मूल्यवृद्धि का भुगतान किया गया था।

निर्गम सम्मेलन (नवंबर 2015) में अतिरिक्त मुख्य सचिव नर्मदा घाटी विकास विभाग ने मूल्य वृद्धि के भुगतान के प्रकरणों की जांच करने का आश्वासन दिया।

तथ्य यह है कि नर्मदा नियंत्रण बोर्ड से स्वीकृति के बिना एसबीडी में उल्लिखित शर्तों से विचलन के परिणामस्वरूप ठेकेदार को अतिरिक्त भुगतान हुआ था।

#### ● निर्धारित अवधि पूर्ण होने के बाद मूल्य वृद्धि का भुगतान

निर्धारित पूर्णता अवधि के बाद मूल्य वृद्धि का भुगतान करने के कारण ठेकेदारों को ₹ 81.20 करोड़ का अधिक भुगतान किया गया था।

नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण ने टर्नकी आधार पर मुख्य नहर के निर्माण के दो कार्य<sup>23</sup> दिए थे (फरवरी/मार्च 2008)। फरवरी 2015 तक किए गए कार्य के मूल्य के विरुद्ध ठेकेदारों को फरवरी 2008 से फरवरी 2015 तक की अवधि के लिए मूल्यवृद्धि के मद में ₹ 130.75 करोड़ सहित ₹ 733.11 करोड़ का भुगतान किया गया था।

हमने देखा (फरवरी 2015 और मार्च 2015) कि ठेकेदारों ने ठेकों में दी गई पूर्णता की निर्धारित दिनांक (फरवरी 2012 और मार्च 2011) तक केवल 36.75 प्रतिशत और 41 प्रतिशत कार्यों को पूर्ण किया था। कार्य में निरंतर कमी के कारण विभाग ने लेखापरीक्षा द्वारा इंगित<sup>24</sup> किए जाने के बाद एक कार्य<sup>25</sup> के संबंध में ₹ 8.01 करोड़ की एवं अन्य कार्य<sup>26</sup> के संबंध में ₹ 21.16 करोड़ की शास्ति (सितम्बर 2014) लगायी थी। ठेकेदारों ने माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश, वन भूमि की स्वीकृति और वितरण नेटवर्क के लिए भूमि अधिग्रहण में विलंब, कृषकों द्वारा डाली गई बाधा, ड्राइंग और डिज़ाइन में परिवर्तन तथा नहर में पानी छोड़े जाने के आधार पर समयवृद्धि के लिए आवेदन किया था। मुख्य अभियंता, इन्दिरा सागर परियोजना नहर ने मार्च 2011 से

21 नर्मदा विकास संभाग 11 बड़वानी द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है

22 ₹ 2.42 करोड़ स्टील पर मूल्यवृद्धि एवं ₹ 8.95 करोड़ सीमेंट पर मूल्यवृद्धि

23 इन्दिरा सागर नहर का आरडी किमी 130.935 से आरडी किमी 155 (नहर संभाग खरगोन) एवं इन्दिरा सागर नहर का आरडी किमी 155 से आरडी किमी 206 (नर्मदा विकास संभाग 14 ठीकरी)

24 वर्ष 2010.11 के लिए आडिट रिपोर्ट की कण्डिका 3.4.2

25 इन्दिरा सागर नहर आरडी किमी 130.935 से आरडी किमी 155

26 इन्दिरा सागर नहर आरडी किमी 155 से आरडी किमी 206

सितंबर 2015 तक की अवधि के लिए समय वृद्धियाँ स्वीकृत की और ₹ 117.76 करोड़ की मूल्यवृद्धि का भुगतान किया।

उक्त दो कार्यों के संबंध में हमने पुनः देखा कि प्रथम समयवृद्धि माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के आधार पर क्रमशः दिसंबर 2011 और नवंबर 2012 तक स्वीकृत की गई थी। बाद में दोनों कार्यों के संबंध में दिसंबर 2014 तक समयवृद्धि ठेकेदारों पर आरोपणीय थी क्योंकि वन भूमि के सभी स्वीकृतियाँ नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा फरवरी 2011 तक प्राप्त कर ली गयी थीं। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण ने स्वयं अवलोकन किया था कि मुख्य नहर के संरक्षण को अंतिम रूप देने में विलंब के बाद ठेकेदारों द्वारा भूमि अधिग्रहण के प्रस्तावों की (कार्य दिए जाने की तारीख से 14 माह से 61 माह) प्रस्तुति विलंबित थी। चूंकि, टर्नकी अनुबंध के खण्ड-IV के धारा 25 की शर्तों में भूमि अधिग्रहण की जिम्मेदारी ठेकेदार की थी, बाद में समय वृद्धि की स्वीकृति के परिणामस्वरूप विस्तारित अवधि के लिए मूल्यवृद्धि के कारण ₹ 81.20 करोड़ (परिशिष्ट 2.7) का अनुचित भुगतान हुआ।

निर्गम सम्मेलन (नवंबर 2015) में अतिरिक्त मुख्य सचिव, नर्मदा घाटी विकास विभाग ने मूल्यवृद्धि भुगतान के प्रकरणों की जांच करने का आश्वासन दिया।

### अनुशंसा

शासन को ठेकेदारों को अतिरिक्त भुगतान किये जाने से बचने के लिए मानक बोली दस्तावेजों की नियमों और शर्तों के अनुरूप ठेके के प्रबंधन को सुदृढ़ करना चाहिए।

#### 2.1.8.9 कार्यों का बीमा नहीं किया जाना

बीमा कवर प्राप्त नहीं करने की वजह से ठेकेदार को ₹ 1.37 करोड़ का बीमा अनुचित लाभ दिया गया था।

टर्नकी ठेके के अनुबंधों की धारा 7 उपबंधित करता है कि ठेकेदार निर्माण और रखरखाव अवधि के दौरान प्रतिस्थापन मूल्य के आधार पर पूर्ण कवरेज देने के लिए परियोजना हेतु ठेकेदार के सभी जोखिमों का बीमा कवरेज प्राप्त कर प्रभावशील रखेगा। कवरेज की गई आपदाओं में आग, बाढ़ और संबद्ध आपदाएं शामिल होंगी। कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के अनुसार चोट और मृत्यु के विरुद्ध, ठेकेदार द्वारा श्रमिकों के लिए भी बीमा प्राप्त किया जाएगा।

₹ 721.48 करोड़ लागत के दो<sup>27</sup> टर्नकी ठेकों में हमने देखा (मार्च 2015 और अप्रैल 2015) कि ठेका अनुबंधों में उल्लेख की गई घटनाओं के लिए मार्च 2012 और मार्च 2014 तक बीमे की अवधि की समाप्ति के बाद ठेकेदारों द्वारा बीमा कवर का नवीनीकरण नहीं कराया गया था। इस प्रकार नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण ने ठेकेदारों द्वारा भुगतान योग्य प्रीमियम की बचत के रूप में ₹ 1.37 करोड़ का अनुचित लाभ दिया था।

शासन ने तथ्यों को स्वीकार किया और बताया (नवंबर 2015) कि प्रभारी-यंत्री ने बीमे के नवीकरण के लिए आवश्यक कार्रवाई की थी एवं चरण-IV (इन्दिरा सागर परियोजना नहर के आरडी किमी 206 से आरडी किलोमीटर 243) के ठेकेदार ने ₹ 27.46 लाख का प्रीमियम जमा किया था।

<sup>27</sup> नर्मदा विकास संभाग 11 बड़वानी में आरडी किमी 206 से आरडी किमी 243.89 के नहर कार्य के लिए अनुबंध क्र.02/2009-10 एवं नर्मदा विकास संभाग 14 ठीकरी में आरडी किमी 155 से आरडी किमी 206 के नहर कार्य के लिए अनुबंध क्र.01/2007-08

## अनुशंसा

शासन को अपने हित को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से दोषी ठेकेदारों से कार्य के निष्पादन के दौरान एवं पूर्ण होने के बाद अतिरिक्त लागत की वसूली, विलंबों के लिए शास्ति, अतिरिक्त सुरक्षा जमा की कटौती और बीमा कवरेज सुनिश्चित करने के लिए, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को मजबूत करना चाहिए।

### 2.1.8.10 परामर्श ठेकों पर परिहार्य व्यय

टर्न-की ठेकेदारों के कार्य क्षेत्र में शामिल समान प्रकृति के कार्य के लिए सलाहकारों को लगाने के परिणामस्वरूप ₹ 10.96 करोड़ रुपये का परिहार्य व्यय हुआ।

नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण ने इन्दिरा सागर परियोजना नहर के तीन टर्नकी ठेकों के कार्यान्वयन हेतु सहायता के लिए ₹ 14.82 करोड़ की कुल लागत पर तीन सलाहकार<sup>28</sup> लगाये थे (मार्च 2008 से अप्रैल 2009)। सलाहकार के कार्य क्षेत्र में सभी योजनाओं, ड्राइंग, डिज़ाइन और विशिष्टियों को अंतिम रूप देना, विभिन्न सिविल, विद्युत और यांत्रिकीय कार्यों की गतिविधियों के समग्र पर्यवेक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण के साथ-साथ कार्यक्रम के मूल्यांकन के प्रस्तुतीकरण और समीक्षा तकनीक चार्ट प्रस्तुत करना शामिल था। सलाहकारों को उस अवधि (मार्च 2008 और मई 2015 के बीच) के लिए जिसमें उन्हें लगाया गया था ₹ 10.96 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया था।

तीन परामर्श ठेकों में से दो<sup>29</sup> के संबंध में परामर्श की अवधि ठेकों में दी गई निर्धारित अवधि (अप्रैल 2014 और सितम्बर 2014) से परे बढ़ायी नहीं गयी थी हालांकि इन्दिरा सागर परियोजना नहर के सिविल कार्य आरडी किमी 130 से आरडी किमी 155 और आरडी किमी 206 से आरडी किमी 243.89 तक उस समय, क्रमशः 97 प्रतिशत और 31.23 प्रतिशत ही पूर्ण हुए थे जिसने संकेत दिया कि परामर्श सेवाएं आवश्यक नहीं थीं।

हमने देखा कि इन्दिरा सागर नहर परियोजना के टर्नकी ठेकों में भी सर्वेक्षण, योजना, डिज़ाइन, ड्राइंग, गुणवत्ता नियंत्रण, प्राक्कलनों को तैयार करने, भूमि अधिग्रहण प्रकरण बनाने के साथ-साथ परियोजना पूर्ण होकर कार्य करने के एक वर्ष के लिए समग्र संचालन और रखरखाव सम्मिलित था। इस प्रकार लगभग एक समान कार्यों जैसा कि टर्नकी ठेकेदारों को सौंपा गया के लिए सलाहकारों को लगाने की आवश्यकता नहीं थी। इसलिए, सलाहकारों को ₹ 10.96 करोड़ का भुगतान परिहार्य था।

निर्गम सम्मेलन (नवंबर 2015) में अतिरिक्त मुख्य सचिव, नर्मदा घाटी विकास विभाग ने उपरोक्त तथ्य पर सहमति व्यक्त की।

### 2.1.8.11 ट्रांसमिशन लाइन की अवांछित मद के शामिल किए जाने के कारण ठेकेदार को अनुचित वित्तीय सहायता

टर्नकी ठेकों की धारा 101.1 की शर्तों के अनुसार ठेकेदार एक ही स्रोत जिम्मेदारी के आधार पर एवं उद्धृत किए गए पक्के एकमुश्त मूल्य पर ठेके के अंतर्गत संपूर्ण कार्य को

<sup>28</sup> इन्दिरा सागर मुख्य नहर के कार्य के लिए (I) आरडी किमी 130 से आरडी किमी 155 (II) आरडी किमी 206 से आरडी किमी 243.89 (III) आरडी किमी 155 से आरडी किमी 206

<sup>29</sup> इंदिरा गांधी परियोजना के मुख्य नहर के आरडी किमी 130 से आरडी किमी 155 एवं आरडी किमी 206 से आरडी किमी 243.89 के लिए

पूरा करने के लिए बाध्य है। इसके अलावा, अनुबंध के धारा 101.2 की शर्तों में, पूरक कार्य जो निष्पादन के दौरान आवश्यक, आनुषंगिक और अपरिहार्य पाए जाते हैं, उन्हें भी ठेकेदार द्वारा किया जाएगा।

टर्नकी ठेकेदार के कार्य क्षेत्र में अवांछित मद के शामिल किए जाने की वजह से विभाग ने ठेकेदार को ₹ 75.19 करोड़ रुपये का अनुचित लाभ दिया।

खरगोन उद्वहन नहर का कार्य ₹ 550.89 करोड़ की लागत पर टर्नकी आधार पर दिया गया था (मार्च 2011)। कार्य में इन्दिरा सागर परियोजना नहर शीर्ष पावर हाउस से इन्दिरा सागर परियोजना मुख्य नहर के आरडी किमी 79.80 तक 132/11 केव्हीए की ट्रांसमिशन लाइन (83 किमी) की स्थापना भी शामिल थी। खरगोन उद्वहन नहर का सिविल कार्य प्रगति पर था, लेकिन निर्धारित पूर्णता की अवधि (मार्च 2014) समाप्त होने के बाद भी ट्रांसमिशन लाइन का कार्य अभी तक शुरू नहीं किया गया था (नवंबर 2015)।

पुनः, हमने देखा (जनवरी 2015) कि तीन "वर्टिकल टरबाइन" पंप मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड के पास के बिजली ग्रिड से उपलब्ध बिजली से संतुलन जलाशय को भरने के लिए, परिचालित थे। तथापि, इन्दिरा सागर परियोजना (नहर) हेतु पुनरीक्षित प्रशासकीय अनुमोदन में ट्रांसमिशन लाइन के लिए ₹ 75.19 करोड़ का प्रावधान किया गया था। यद्यपि कार्य की मद पहले ही खरगोन उद्वहन नहर के कार्य क्षेत्र में शामिल थी। इस प्रकार ट्रांसमिशन लाइन की अवांछित मद को शामिल किए जाने से ठेकेदार को ₹ 75.19 करोड़ का अनुचित लाभ दिया गया था।

निर्गम सम्मेलन (नवंबर 2015) में अतिरिक्त मुख्य सचिव, नर्मदा घाटी विकास विभाग ने बताया कि पुनरीक्षित प्रशासकीय अनुमोदन में ट्रांसमिशन लाइन के लिए एक प्रावधान किया गया था लेकिन टर्नकी ठेकेदार को कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा क्योंकि टर्नकी के प्रस्ताव में सब कुछ शामिल है और यदि ठेकेदार ट्रांसमिशन लाइन निष्पादित करने में विफल रहा है तो ठेकेदार के भुगतान से कटौती कराई जाएगी। आगे यह भी बताया गया कि योजना, ट्रांसमिशन लाइन के बिना भी चल सकती है और यदि ठेकेदार इसे निष्पादित करने में विफल रहता है तो भी विभाग द्वारा अतिरिक्त लागत पर इसके निर्माण की कोई आवश्यकता नहीं है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन की आवश्यकता का खरगोन उद्वहन नहर के प्राक्कलन तैयार करते समय उचित रूप से आंकलन नहीं किया गया था। इसके अलावा, ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण की लागत जो कार्य के क्षेत्र में शामिल थी, वह भी टर्नकी अनुबंध के मूल्य से कम नहीं की गई थी (नवंबर 2015)।

### अनुशंसा

ठेकेदारों को अनुचित लाभ देना टालने के लिए टर्नकी अनुबंध में प्रवेश करने से पहले अवांछित मदों को शामिल किए जाने से बचने के लिए शासन को तंत्र को मजबूत करना चाहिए।

#### 2.1.8.12 एकस्पेंशन और लांगिट्यूडनल (अनुदैर्घ्य) ज्वाइन्ट्स में ज्वाइन्ट फिलिंग का निष्पादन नहीं करना

टर्नकी अनुबंध और विस्तृत भुगतान अनुसूची के साथ संलग्न तकनीकी विशिष्टियों के प्रावधान के अनुसार, सीमेंट कांक्रीट लाइनिंग में एकस्पेंशन और लांगिट्यूडनल ज्वाइन्ट्स, फिलिंग कम्पाउण्ड से भरे जाने आवश्यक थे। फिलिंग कम्पाउण्ड में डामर

और रेत शामिल हैं।

ठेकेदार को ₹ 1.32 करोड़ का अधिक भुगतान किया गया था क्योंकि ठेकेदारों द्वारा ज्वाइन्ट्स फिलिंग का कार्य नहीं किया गया था।

मुख्य नहर के आरडी किमी 155 से आरडी किमी 206 और आरडी किमी 206 से आरडी किमी 243.89 के कार्य के दो कार्यस्थलों<sup>30</sup> के निरीक्षण के दौरान हमने देखा (मार्च 2015 और मई 2015) कि एक्सपेंशन और लांगिट्यूडनल ज्वाइन्ट्स, फिलिंग कम्पाउण्ड से नहीं भरे गए थे। चूंकि ज्वाइन्ट्स फिलिंग की मद लाइनिंग कार्य का भाग था, ज्वाइन्ट्स फिलिंग की मद निष्पादन नहीं करने से कार्य अवमानक हुआ एवं ठेकेदारों को ₹ 1.32 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ (परिशिष्ट 2.8)।

निर्गम सम्मेलन (नवंबर 2015) में मुख्य अभियंता ने तथ्यों को स्वीकार किया और कहा कि नहर चालू करना था इसलिए ज्वाइन्ट्स फिलिंग नहीं की गयी थी तथा ज्वाइन्ट्स फिलिंग का कार्य पूरा कर लिया जाएगा।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अनुबंध में दिए गए प्रावधान के अनुसार लाइनिंग कार्य के साथ ज्वाइन्ट्स फिलिंग नहीं की गई थी एवं ज्वाइन्ट्स फिलिंग का कार्य नहीं करने से भुगतान को कम भी नहीं किया गया था।

### 2.1.8.13 एक्वाडक्ट (जलसेतु) के डिज़ाइन में अनियमित संशोधन

टर्नकी अनुबंध की शर्तों की धारा 106.9 के अनुसार किए गए कार्य एवं कार्य के संबंधित घटक पूर्ण होने एवं या/ स्तर प्राप्त होने के बाद ही ठेकेदार को भुगतान जारी किया जाएगा।

एक्वाडक्ट्स की ड्राइंग में अनियमित संशोधन करने के कारण ठेकेदार को ₹ 97.51 लाख रुपये का अनुचित लाभ दिया गया।

इन्दिरा सागर परियोजना मुख्य नहर के आरडी किमी 206 से आरडी किमी 243.89<sup>31</sup> के कार्य के अभिलेखों की जांच के दौरान हमने देखा (मई 2015) कि नहर में तीन एक्वाडक्ट्स<sup>32</sup> का निर्माण करने की योजना की गई थी। एक्वाडक्ट को खुला रखने के ठेकेदार के प्रस्ताव पर मुख्य अभियंता ने कार्य-स्थल की स्थिति का कारण दर्शाते हुए स्वीकृति दे दी (अक्टूबर 2010) लेकिन डिज़ाइन में परिवर्तन आवश्यक करने वाली कार्य-स्थल की स्थिति का विस्तृत विवरण निर्दिष्ट नहीं किया गया था।

एक्वाडक्ट के दोनों तरफ मुंडेर की दीवाल एवं ऊपरी स्लैब, कार्य क्षेत्र से विलोपित करने के कारण विभाग ने मुंडेर की दीवाल एवं ऊपरी स्लैब कार्य की लागत की सीमा तक ठेकेदार को ₹ 97.51 लाख (परिशिष्ट 2.9) का लाभ पहुंचाया।

निर्गम सम्मेलन (नवंबर 2015) में अतिरिक्त मुख्य सचिव, नर्मदा घाटी विकास विभाग ने अनुबंध के मूल्य से लागत को कम करने का आश्वासन दिया।

### 2.1.8.14 टर्नकी ठेके के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं होना

टर्नकी अनुबंध अपनाने का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ था।


टर्नकी ठेके में ठेकेदार एक ही स्रोत जिम्मेदारी के आधार पर एवं उद्धृत किए गए पक्के एकमुश्त मूल्य पर ठेके के अंतर्गत संपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए बाध्य है। ठेकेदार समय पर भूमि की अधिग्रहण के लिए भी उत्तरदायी है। टर्नकी ठेकों में ब्लॉकवार सिंचाई

<sup>30</sup> नर्मदा विकास संभाग 14 ठीकरी एवं नर्मदा विकास संभाग 11 बड़वानी

<sup>31</sup> नर्मदा विकास संभाग 11 बड़वानी द्वारा निष्पादित किया जा रहा है

<sup>32</sup> आरडी किमी 207.85 पर मंदिर एक्वाडक्ट लंबाई 66.750 मीटर। आरडी किमी 288.250 पर सजवानी एक्वाडक्ट लंबाई 525 मीटर एवं आरडी किमी 230.377 पर पैरामाउन्ट एक्वाडक्ट लंबाई 325 मीटर।



क्षमता के सृजन और परियोजना के पूरा होने के लिए लक्ष्य भी शामिल हैं। हालांकि टर्नकी ठेकों में कुछ जोखिम भी हैं।



आइटम दर ठेकेदारों द्वारा कार्य की धीमी प्रगति के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए एवं भूमि अधिग्रहण में विलंब से बचने के लिए तथा चरणबद्ध तरीके से कार्य के निष्पादन के लिए नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण ने आइटम दरों के ठेकों के बदले टर्नकी ठेकों को अपनाया। तदनुसार, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण ने, डाउनस्ट्रीम में आरडी किमी 130 में इन्दिरा सागर परियोजना नहर के निष्पादन के लिए

तीन और खरगोन उद्वहन नहर के लिए एक टर्नकी अनुबंध किया। टर्नकी अनुबंधों के खंड-IV की धारा 36 में सिंचाई क्षमता के ब्लॉक-वार सृजन के लिए लक्ष्य के निर्धारण की व्यवस्था है।

हमने देखा कि टर्नकी ठेकेदारों द्वारा परियोजना हेतु भूमि के अधिग्रहण के लिए प्रस्ताव को प्रस्तुत करने में 14 महीने से 61 महीने का असामान्य विलंब, अनुबंधों में दी गई निर्धारित अवधि से परे कार्यों के निष्पादन में 12 माह से 47 माह के विलंब किए थे, खरगोन उद्वहन नहर और मुख्य नहर के विभिन्न इलाकों में 2.50 प्रतिशत एवं 59.50 प्रतिशत के बीच और सिंचाई क्षमता सृजन में शून्य प्रतिशत से लेकर 99 प्रतिशत के कार्य अपूर्ण रहे थे। इस प्रकार, टर्नकी अनुबंध अपनाने का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ था।



पुनः हमने देखा कि कि सिंचाई क्षमता का ब्लॉक वार सृजन करने के लिए विशिष्ट लक्ष्य तय नहीं थे जैसा कंडिका 2.1.7.2 में चर्चा की गई है। कार्यों की पूर्णता के लिए निर्धारित समय की तुलना में वास्तविक समय की स्थिति, कार्य और सिंचाई क्षमता के सृजन, की प्रगति ऊपर के बार-चार्ट में दी गई है। इसके अलावा, डिज़ाइन से विचलन, कार्य के क्षेत्र से मदों का विलोपन, अवमानक कार्य का निष्पादन एवं कार्य के क्षेत्र में अवांछित मदों का समावेश भी ध्यान में आए जैसा कि कंडिकाओं 2.1.8.11, 2.1.8.12

और 2.1.8.13 में चर्चा की गयी है।

शासन तथ्यों से सहमत था (नवंबर 2015) एवं बताया कि ब्लॉक-वार सिंचाई क्षमता के सृजन को भुगतान से जोड़ने के लिए लेखापरीक्षा द्वारा दिए गए सुझाव को स्वीकार और भविष्य की निविदाओं में शामिल किया जाना चाहिए।

निर्गम सम्मेलन (नवंबर 2015) में अतिरिक्त मुख्य सचिव, नर्मदा घाटी विकास विभाग ने बताया कि पहले टर्नकी ठेके एक आइटम दर ठेके के समान थे और टर्नकी की संशोधित मानक बोली दस्तावेज में कार्य के निष्पादन में आवश्यक प्रत्येक गतिविधि के लिए ठेकेदार को पूरी तरह जिम्मेदार बनाया गया है।

### अनुशंसा

शासन को, समय और लागत आधिक्य से बचने के लिए टर्नकी ठेकों में ब्लॉक-वार सिंचाई क्षमता के सृजन के लिए लक्ष्य का निर्धारण एवं सिंचाई क्षमता सृजन के साथ भुगतान को जोड़ने के लिए विचार करना चाहिए।

### 2.1.9 निष्कर्ष और अनुशंसाएं

- इन्दिरा सागर परियोजना नहर के लिए आयोजना में इस सीमा तक कमी थी कि भूमि के अधिग्रहण एवं वन विभाग से अनुमति प्राप्त किए बिना परियोजना के कार्य प्रारम्भ किए गए थे जिसके परिणामस्वरूप मूल्यवृद्धि और अतिरिक्त लागत के परिहार्य भुगतान हुए थे।

- मुख्य नहर के साथ-साथ वितरण नेटवर्क का निष्पादन नहीं किए जाने के कारण कमान क्षेत्र में ब्लॉक वार सिंचाई सुविधा विकसित करने का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ था। खरगोन उद्वहन नहर के राइज़िंग मेन एवं ग्रेविटी मेन के कार्यों का निष्पादन, संतुलन जलाशय के निष्पादन के बिना किया जाना, अनुपयुक्त आयोजना का संकेत था।

शासन को, कम से कम समय के भीतर सिंचाई क्षमता सृजित कर दोहन करने की दृष्टि से सिंचाई प्रणाली के सभी घटकों का साथ-साथ निर्माण सुनिश्चित करना चाहिए।

- बोलियाँ मानक बोली दस्तावेज़ में निर्धारित शर्तों में विचलन करते हुए आमंत्रित की गयी थीं जिसके परिणामस्वरूप अधिक भुगतान हुआ। इसके अलावा, समयवृद्धियों की अनियमित स्वीकृति के दृष्टांत थे, परिणामस्वरूप मूल्यवृद्धि के परिहार्य भुगतान हुए थे।

शासन को, ठेकेदार को अतिरिक्त भुगतान करने से बचने के लिए मानक बोली दस्तावेज की शर्तों के अनुरूप ठेकों के प्रबंधन को मजबूत करना चाहिए।

- विभाग ने कार्य पूर्ण करने में मूल ठेकेदार की विफलता के बाद कार्य पुनः देने में आई अतिरिक्त लागत की वसूली के लिए कार्रवाई आरम्भ नहीं की थी, विलंब के लिए ठेकेदारों पर कम राशि की शास्ति आरोपित की थी, साथ ही अतिरिक्त सुरक्षा जमा कटौती नहीं करने और कार्यों का बीमा नहीं किए जाने के दृष्टांत भी ध्यान में आए थे।

शासन को अपने हित को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से दोषी ठेकेदारों से कार्य के निष्पादन के दौरान एवं पूर्ण होने के बाद अतिरिक्त लागत की वसूली, विलंबों के लिए



शास्ति, अतिरिक्त सुरक्षा जमा की कटौती और बीमा कवरेज सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को मजबूत करना चाहिए।

- टर्नकी ठेके के कार्य के क्षेत्र में अवांछित मद का समावेश ठेकेदार को अनुचित लाभ में परिणामित हुआ।

ठेकेदारों को अनुचित लाभ देना टालने के लिए टर्नकी अनुबंध में प्रवेश करने से पहले अवांछित मदों को शामिल किए जाने से बचने के लिए शासन को तंत्र को मजबूत करना चाहिए।

- टर्नकी ठेकों को अपनाने का उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ था क्योंकि टर्नकी ठेकेदारों द्वारा कार्यों के निष्पादन और भूमि के अधिग्रहण के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने में महत्वपूर्ण विलंब किए गए थे। सिंचाई क्षमता के ब्लॉक-वार सृजन के लिए ठेके में विशिष्ट लक्ष्य निर्दिष्ट नहीं थे।

शासन को, समय और लागत आधिक्य से बचने के लिए टर्नकी ठेकों में ब्लॉक-वार सिंचाई क्षमता के सृजन के लिए लक्ष्य का निर्धारण एवं सिंचाई क्षमता सृजन के साथ भुगतान को जोड़ने के लिए विचार करना चाहिए।

प्रतिवेदन में दी गई अनुशंसाओं को शासन द्वारा स्वीकार किया गया था।

## पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

### 2.2 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों का निर्माण

#### कार्यपालन सारांश

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाय.), ग्रामीण इलाकों के मैदानी क्षेत्रों में 500 व्यक्तियों और अधिक की जनसंख्या (जनगणना 2001) तथा चयनित आदिवासी और पिछड़े जिलों के मामले में 250 और अधिक की जनसंख्या की संपर्कविहीन बसाहटों को बारहमासी सड़कों के माध्यम से संपर्क उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा दिसंबर 2000 में आरम्भ की गई थी। मध्य प्रदेश में यह योजना मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण (एम.पी.आर.आर.डी.ए.) द्वारा कार्यान्वित की जा रही है।

मध्य प्रदेश में अप्रैल 2000 की स्थिति के अनुसार 20,210 पात्र संपर्कविहीन बसाहटों में से 12,496 बसाहटों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत ₹ 8,795.73 करोड़ की लागत से 8,258 सड़कों (37,355 किमी) का निर्माण कर मार्च 2010 तक संपर्क प्रदान किया गया था। लेखापरीक्षा द्वारा आच्छादित अवधि यानी अप्रैल 2010 से मार्च 2015 के दौरान एम.पी.आर.आर.डी.ए ने 5,190 सड़कों (23,030 किमी) के निर्माण पर ₹ 6,328.61 करोड़ के व्यय से 3323 बसाहटों को संपर्क उपलब्ध कराया गया। मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार 3,388 पात्र बसाहटें संपर्कविहीन थीं। निष्पादन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष इस प्रकार हैं :

- भारत सरकार ने योजना की शुरुआत से मार्च 2015 तक की अवधि में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कार्यों के लिए ₹ 19,146.92 करोड़ स्वीकृत किए थे जिसके विरुद्ध ₹ 13,204.13 करोड़ विमुक्त किये गये थे। हमने देखा कि 2012-13 से 2014-15 के दौरान एम.पी.आर.आर.डी.ए. को गत वर्षों की तुलना में कम निधि विमुक्त की गई थी। ऐसी कम विमुक्ति शेष 3,388 बसाहटों को संपर्क उपलब्ध कराने में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के निष्पादन की गति को प्रभावित करेगी।

(कंडिकाएं 2.2.6 एवं 2.2.7.1)

- योजनाकरण त्रुटिपूर्ण था क्योंकि "ट्रांसेक्ट वाक" आयोजित नहीं किये गये थे, जिला पंचायत से वार्षिक आधार पर सड़कों का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया था। योजना प्रारंभ होने के 14 वर्ष व्यतीत होने के बाद भी 17 प्रतिशत पात्र बसाहटों को अभी तक बारहमासी सड़कों द्वारा संपर्क उपलब्ध कराना था। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी.पी.आर.) यथार्थवादी नहीं थे क्योंकि जब वास्तविक निष्पादन के साथ तुलना की गई, बिटुमिनस एवं कांक्रीट सतहों की प्राक्कलित लंबाई के साथ-साथ क्रास ड्रेनेज संरचनाओं की संख्या में भी अत्यधिक भिन्नताएं थीं।

(कंडिकाएं 2.2.7.1 से 2.2.7.4)

- कार्यों के निष्पादन में विलंब थे क्योंकि केवल छह प्रतिशत पैकेज निर्धारित समय के अन्दर पूर्ण हुए थे जबकि 79 प्रतिशत पैकेज छह माह से लेकर दो वर्षों से अधिक के विलंब से पूर्ण हुए थे। वन स्वीकृति का अभाव, भूमि विवाद, अन्य विभागों के साथ समन्वय की कमी इत्यादि के कारण कार्यों का निष्पादन धीमा था।

(कंडिका 2.2.8.1 (iii))

- अनुबंध के संदर्भ में निर्णीत हर्जाना आरोपित नहीं किये गये थे जो 107 पैकेजेस में ₹ 34.42 करोड़ की निर्णीत हर्जाना के कम अधिरोपण में परिणित हुई।

(कंडिकाएं 2.2.8.1 (v))

- 27 प्रकरणों में, प्रति दिन 100 से कम मोटर वाले वाहन के साथ सम्पर्क मार्गों के लिए 6.0 मीटर चौड़ाई के विनिर्देश के विरुद्ध 7.5 मीटर की चौड़ाई की सड़कों का निर्माण किया गया था। यह ₹ 4.98 करोड़ रुपये के परिहार्य व्यय में परिणित हुआ।

(कंडिका 2.2.8.2 (i))

- ह्यूम पाइप के लिए ₹ 11.21 करोड़ का गलत भुगतान, मापों को प्रमाणित किए बिना ₹ 29.19 करोड़ का भुगतान, ₹ 69.41 लाख का अधिक भुगतान, ठेकेदारों से वसूली योग्य ₹ 47.34 करोड़ की कम/वसूली न होना एवं कार्य का बीमा न करने के कारण ₹ 2.60 करोड़ की अनुचित वित्तीय सहायता के दृष्टांत ध्यान में आए।

(कंडिकाएं 2.2.8.1 (vi से vii), 2.2.8.3 )

- सड़क निर्माण कार्य के 103 पैकेजेस के प्रकरणों में क्षति के लिये दायित्व की अवधि के बाद उत्तरवर्ती पंचवर्षीय रखरखाव के कार्य के आवंटन में विलंब हुआ था एवं क्षति के लिये दायित्व अवधि के दौरान सड़कों का रखरखाव न किया जाने के दृष्टांत ध्यान में आए।

(कंडिका 2.2.8.4)

- राज्य गुणवत्ता निगरानी कर्ताओं (एस.क्यू.एम.) के माध्यम से कार्य की गुणवत्ता के आंकलन के लिए निर्धारित मानदंडों के अनुसार गुणवत्ता की निगरानी नहीं की जा रही थी। एस.क्यू.एम. द्वारा इंगित की गई त्रुटियों के सुधार में विलंब हुआ था।

(कंडिका 2.2.9.2)

## 2.2.1 प्रस्तावना

भारत सरकार ने ग्रामीण जनसंख्या को ग्रामीण सड़कों से अपेक्षित सामाजिक-आर्थिक लाभों को मान्य करते हुए और प्रगतिरत प्रयासों पर अधिक से अधिक जोर देने की दृष्टि से 25 दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई) के नाम से एक कार्यक्रम आरम्भ किया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना केन्द्र द्वारा 100 प्रतिशत का वित्त पोषित कार्यक्रम है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य मैदानी क्षेत्रों में, 500 व्यक्तियों और अधिक की जनसंख्या (जनगणना 2001) के ग्रामीण क्षेत्रों में पात्र संपर्कविहीन बसाहटों के लिए "बारहमासी सड़क" (जो आवश्यक पुलियों और क्रॉस-ड्रेनेज संरचनाओं के साथ साल भर प्रचालन योग्य हो) के माध्यम से संपर्क उपलब्ध कराना था। आदिवासी क्षेत्रों एवं चयनित आदिवासी तथा पिछड़े जिलों<sup>33</sup> में, 250 एवं अधिक व्यक्तियों की जनसंख्या वाली (जनगणना 2001) पात्र संपर्कविहीन बसाहटों को संपर्क देना उद्देश्य होगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना विद्यमान सड़कों के उन्नयन (निर्धारित मानकों तक) की अनुमति देती है लेकिन यह कार्यक्रम के लिए मुख्य नहीं है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एक सतत् योजना है जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश में अप्रैल 2000 की स्थिति के अनुसार 20,210 पात्र संपर्कविहीन बसाहटों में से 12,496 बसाहटों को ₹ 8,795.73 करोड़ की लागत पर 8,258 सड़कों (37,355 किमी) का निर्माण कर मार्च 2010 तक संपर्क प्रदान किया गया था। लेखापरीक्षा आच्छादित अवधि अर्थात् अप्रैल 2010 से मार्च 2015 के बीच एम.पी.आर.आर.डी.ए ने 5,190 सड़कों (23,030 किमी) के निर्माण पर ₹ 6,328.61 करोड़ का व्यय कर 3,323 बसाहटों<sup>34</sup> को संपर्क उपलब्ध कराया। मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार, 3,388 पात्र बसाहटें संपर्क विहीन थीं।

राज्य में योजना के क्रियान्वयन के उद्देश्य से मध्य प्रदेश शासन द्वारा मध्य प्रदेश सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1973 के अंतर्गत नोडल एजेंसी के रूप में मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण एम.पी.आर.आर.डी.ए को स्थापित (23 दिसंबर 2000) किया गया था।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की ऑनलाइन निगरानी को सक्षम बनाने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी (एन.आर.आर.डी.ए) द्वारा ऑनलाइन प्रबंधन निगरानी और लेखांकन प्रणाली द्वारा ऑनलाइन प्रबंधन, निगरानी और लेखांकन प्रणाली नाम का एक वेब आधारित पोर्टल विकसित किया गया है।

### 2.2.2 संगठनात्मक स्वरूप

शासन स्तर पर अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग प्रशासनिक प्रमुख हैं। मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता की जाती है और एक प्रमुख अभियंता द्वारा सहायता की जाती है। प्रमुख अभियंता की छह मुख्य महाप्रबंधकों द्वारा सहायता की जाती है जिनकी सहायता कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाई स्तरों पर महाप्रबंधकों द्वारा की जाती है, जैसा परिशिष्ट 2.10 में आर्गेनोग्राम में दर्शाया गया है।

### 2.2.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा के उद्देश्य यह निश्चित करने के लिए थे कि :

<sup>33</sup> गृह मंत्रालय और योजना आयोग द्वारा चिन्हित

<sup>34</sup> 2010-11:686, 2011-12: 560, 2012-13: 467 2013-14: 580 तथा 2014-15:1,030; कुल 3,323

- निधियों की अधिकतम उपयोगिता सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निधियों का आवंटन और विमुक्ति समय पर और पर्याप्त ढंग से किए गए थे।
- कोर नेटवर्क के साथ-साथ जिला ग्रामीण सड़क योजना की पहचान/तैयारी के लिए प्रणालियाँ और प्रक्रियाएं पर्याप्त और कार्यक्रम के प्रावधानों के अनुरूप हैं।
- सड़क निर्माण कार्यों को मितव्ययता, कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से निष्पादित किया गया था।
- विद्यमान निगरानी प्रणाली और गुणवत्ता नियंत्रण क्रियाविधि वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त और प्रभावी थी।

#### 2.2.4 लेखापरीक्षा मापदण्ड

लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्न से निकाले गए मानदंडों पर आधारित है:

- योजना के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देश और आदेश,
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की परिचालन नियमावली और लेखा नियमावली के प्रावधान,
- भारतीय रोड कांग्रेस (आई.आर.सी) द्वारा ग्रामीण सड़क के लिए जारी ग्रामीण सड़क नियमावली और विशिष्टियाँ,
- अनुमोदित डीपीआर के प्रावधान और कार्यों के निष्पादन के लिए एमपीआरआरडीए द्वारा समय-समय पर जारी आदेश,
- कार्यों के लिए ठेके की शर्तें और निबंधन,
- मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता के प्रावधान और
- कार्यों के लिए मानक दर अनुसूची (एस.एस.आर.)।

#### 2.2.5 कार्यक्षेत्र एवं कार्यप्रणाली

निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए, एमपीआरआरडीए के मुख्यालय से जानकारी/अभिलेखों के संग्रहण के साथ ही चयनित 13 जिलों<sup>35</sup> (25 प्रतिशत) के अप्रैल 2010 से मार्च 2015 तक की अवधि से संबंधित अभिलेखों की नमूना जाँच की गई।

अभिलेखों की नमूना जाँच के लिये उपलब्ध जानकारी को सात क्षेत्रों में वर्गीकृत कर "प्रोबेबिलिटी प्रोपोर्षनल टु साइज़ विदाउट रिप्लेसमेंट" नमूना तकनीक का उपयोग कर राज्य के 51 जिलों में से 13 जिलों (25 प्रतिशत) का चयन किया गया। चयनित जिलों में से प्रत्येक में यादृच्छिक नमूना विधि का उपयोग कर चयनित 25 प्रतिशत पैकेज<sup>36</sup>

<sup>35</sup> 1) अशोक नगर 2) बालाघाट 3) बैतूल 4) छिंदवाड़ा 5) दतिया 6) झाबुआ 7) खरगोन 8) रतलाम 9) रीवा 10) सागर 11) शाजापुर 12) उमरिया और 13) विदिशा

<sup>36</sup> परिचालन नियमावली के अनुसार एक पैकेज, निविदाकरण के लिए एक ब्लॉक या पास के ब्लॉकों की कई सड़कें समावेशित करती हैं और इसे दी गई एक विशिष्ट संख्या से जानी जाती है।

की मार्च 2015 से जुलाई 2015 की अवधि के दौरान नमूना जाँच की गई है। तदनुसार, चयनित जिलों में 1,145 पैकेज में से 316 पैकेज (920 सड़कें) का चयन किया गया था।

27 जनवरी 2015 को एक प्रवेश सम्मेलन के साथ लेखापरीक्षा आरम्भ हुई और शासन स्तर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मध्य प्रदेश शासन, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, एमपीआरआरडीए, प्रमुख अभियंता एमपीआरआरडीए एवं अन्य अधिकारियों के साथ, 15 अक्टूबर 2015 को एक निर्गम सम्मेलन के साथ संपन्न हुई। माह सितंबर 2015 में जारी किये गये प्रारूप प्रतिवेदन का उत्तर अक्टूबर 2015 में शासन से प्राप्त हुआ था।

प्रतिवेदन में शामिल अनुशंसाएं मध्य प्रदेश शासन को भी संसूचित की गई थीं, हालांकि, आगे कोई अभिमत नहीं दिये गये। निर्गम सम्मेलन सहित लेखापरीक्षा निष्कर्ष पर शासन/विभाग द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को उपयुक्त रूप से प्रतिवेदन में शामिल किया गया है।

## लेखापरीक्षा निष्कर्ष

### 2.2.6 निधि प्रबंधन

एन.आर.आर.डी.ए. के अनुमोदन हेतु परियोजनाओं के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन एम.पी.आर.आर.डी.ए. द्वारा प्रस्तुत किये गये थे। ग्रामीण विकास मंत्रालय अनुमोदित परियोजनाओं के लिए मध्य प्रदेश शासन/एम.पी.आर.आर.डी.ए. को दो किश्तों में निधियाँ जारी करता है। पहली किस्त परियोजनाओं की समायोजित निधि के 50 प्रतिशत तक (या वार्षिक आवंटन, जो भी कम है) विमुक्त की जाती है। दूसरी किस्त (सौंपे गए कार्यों की लागत पर शेष देय के बराबर) उपलब्ध धनराशि की 60 प्रतिशत की उपयोगिता एवं पूर्ववर्ती वर्ष में दिए गए सड़क निर्माण कार्यों के 80 प्रतिशत तक पूरा होने पर तथा उस वर्ष से पूर्ववर्ती सभी वर्षों में दिए गए कार्यों के 100 प्रतिशत के अध्यधीन विमुक्त की जाती है। भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई निधियों के अतिरिक्त, राज्य शासन निविदा प्रीमियम और सौंपे गये कार्यों के निष्पादन के दौरान स्वीकृत लागत के विरुद्ध लागत वृद्धि के लिये निधि प्रदान करता है।

भारत सरकार ने योजना की शुरुआत से मार्च 2015 तक की अवधि में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कार्यों के लिए ₹ 19,146.92 करोड़ स्वीकृत किए थे और उस अवधि के दौरान ₹ 13,204.13 करोड़ जारी किये थे। एम.पी.आर.आर.डी.ए. द्वारा भारत सरकार, राज्य शासन से प्राप्त निधियाँ, ब्याज/अप्रयुक्त शेष निधि पर उपाजित प्रासंगिक आय और 2010-11 से 2014-15 तक की अवधि के दौरान एमपीआरआरडीए द्वारा कार्यों पर व्यय का विवरण, नीचे तालिका 2.7 में दिया गया है:

तालिका 2.7: प्राप्त निधि एवं कार्य पर व्यय का वर्षवार विवरण

वर्ष	वर्ष के दौरान भारत सरकार से प्राप्त निधियाँ	म.प्र.शासन से प्राप्त निधियाँ	ब्याज एवं प्रासंगिक आय	वर्ष के दौरान उपलब्ध कुल निधि	कार्यों पर व्यय	वर्ष के अंत में शेष निधि
2010-11	1966.11	201.53	68.91	2935.36*	1421.75	1513.61
2011-12	1138.05	169.62	76.93	2898.21	880.99	2017.22
2012-13	237.88	1.97	273.43	2530.5	735.46	1795.04
2013-14	600	2.00	157.32	2554.36	1402.89	1151.47
2014-15	708	324.93	157.24	2341.64	1887.52	454.12
<b>योग</b>	<b>4650.04</b>	<b>700.05</b>	<b>733.83</b>		<b>6328.61</b>	

\* 31 मार्च 2010 की स्थिति में नकदी और बैंक शेष सहित ₹ 698.81 करोड़  
(स्रोत: ओएमएमएस के अनुसार एमपीआरआरडीए के वार्षिक लेखे)

तालिका में यह देखा जा सकता है कि 31 मार्च 2011 को ₹ 1,513.61 करोड़ रुपये का शेष निधि, 31 मार्च 2015 की स्थिति को घटकर ₹ 454.12 करोड़ रह गया। निधि में कमी का मुख्य कारण वर्ष 2010-11 और 2011-12 के दौरान जारी की गई राशि की तुलना में 2012-13 से 2014-15 के दौरान भारत सरकार द्वारा कम निधियाँ जारी करना था। जैसा कि कंडिका 2.2.8 में चर्चा की गई है, 31 मार्च 2015 की स्थिति में 9,257 किलोमीटर सड़क कार्य प्रगति में थे। सड़क निर्माण कार्यों के लिए प्रति किमी की वर्तमान औसत लागत (प्रति किलोमीटर ₹ 45 लाख) को ध्यान में रखते हुए यदि भारत सरकार और राज्य शासन द्वारा निधियों को बढ़ायी नहीं जाती है तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कार्यों के निष्पादन की गति प्रभावित होगी।

शासन ने बताया (अक्टूबर 2015) कि भारत सरकार से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निधि का आवंटन बढ़ाने के लिए अनुरोध किया गया था।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, समय आधिक्य के कारण सभी लागत राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी। किसी प्रकरण में प्राप्त निविदाओं का मूल्य मंत्रालय द्वारा अनुमोदित प्राक्कलनों से अधिक होने पर चरणों/समूहों में स्वीकृत कार्यों के लिए पूरे राज्य के लिए समेकित अंतर (निविदा प्रीमियम) राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। कार्य क्षेत्र में परिवर्तन के प्रकरण में अंतर को चरण/समूह के भीतर राज्य स्तर पर शुद्ध बचत के साथ अवशोषित किया जाता है।

एम.पी.आर.आर.डी.ए. ने राज्य सरकार से लागत आधिक्य एवं निविदा प्रीमियम के कारण भुगतान योग्य ₹ 119.85 करोड़ की कुल शुद्ध देय राशि का दावा किया था। हमें परियोजना क्रियान्वयन इकाई और मुख्यालय स्तर पर इस राशि की गणना का विवरण नहीं मिल पाया। एम.पी.आर.आर.डी.ए. द्वारा उपलब्ध कराए गए पैकेज-वार आंकड़ों के आधार पर, अब तक हाथ में लिये गये और काफी हद तक पूर्ण किये गये सभी चरणों के कार्यों के सन्दर्भ में राज्य शासन द्वारा देय राशि पहले ही भुगतान निविदा प्रीमियम/लागत आधिक्य को हिसाब में यह लेने के बाद ₹ 334.24 करोड़ (परिशिष्ट 2.11) संगणित किया। इन कार्यों के पूरा होने पर यह राशि भिन्न होगी। इस प्रकार, सड़क निर्माण कार्यों के संवर्धन के लिए एम.पी.आर.आर.डी.ए. राज्य शासन से उस सीमा तक दावा और निधियाँ प्राप्त नहीं कर सका।


## अनुशंसा

शासन को, अधिकांशतः पूर्ण किए गए पैकेजेस के संबंध में लागत आधिक्य/बचतों और निविदा प्रीमियम का आंकलन करने के बाद समयबद्ध रूप से अपने हिस्से की निधियाँ उपलब्ध कराने के लिए, कदम उठाने चाहिए।

### 2.2.7 योजनाकरण

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सभी योजनाकरण के लिए कोर नेटवर्क<sup>37</sup> (सीएन) आधार होगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत लिया गया प्रत्येक सड़क का कार्य कोर नेटवर्क का भाग है। योजना के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत, सभी जिलों को संबद्ध की जाने वाली बसाहटों की जनसंख्या के आकार<sup>38</sup> के आधार पर ब्लॉक स्तर और जिला स्तर पर व्यापक नई संपर्क प्राथमिकता सूचियाँ (सी.एन.सी.पी.एल.) एवं विद्यमान सड़कों के उन्नयन के लिए एक व्यापक उन्नयन प्राथमिकता सूची (सी.यू.पी.एल.), तैयार करनी थी। जिला पंचायत, पंचायती संस्थानों के निचले स्तर और निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ परामर्श कर व्यापक नई संपर्क प्राथमिकता सूचियाँ/विद्यमान सड़कों के उन्नयन के लिए व्यापक उन्नयन प्राथमिकता सूची को अंतिम रूप देती है और परियोजना क्रियान्वयन इकाई के लिए अग्रेषित करती है। परियोजना की तैयारी और स्वीकृति की प्रक्रिया नीचे दिए गए फ्लोचार्ट में दिखायी गयी है:

चार्ट 1: परियोजना की तैयारी एवं स्वीकृति



एनआरआरडीए द्वारा जारी किए गए परिचालन नियमावली के अनुसार, सभी प्रस्तावों में पी.आई.यू. भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे और भूमि प्राप्त करने, वन विभाग की स्वीकृति प्राप्त करने आदि के लिए सभी आवश्यक कागजात तैयार करेंगे। प्रस्तावित सड़क निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध कराना राज्य शासन/जिला पंचायत की जिम्मेदारी है।

<sup>37</sup> कोर नेटवर्क सभी गांवों/बसाहटों को (बारहमासी सड़क से) पास के बाजार या ग्रामीण व्यापार केन्द्र से कम से कम एक बारहमासी सड़क संपर्क के माध्यम से पहुँच प्रदान करने के लिए आवश्यक ग्रामीण सड़क नेटवर्क है।

<sup>38</sup> 2001 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के आकार हैं - 1000 और ऊपर (प्राथमिकता।), 999 से 500 (प्राथमिकता।।), 499 से 250 (प्राथमिकता।।।)



### 2.2.7.1 बसाहटों को संयोजकता

योजना के प्रारंभ से मार्च 2015 तक की अवधि के लिए, राज्य में संयुक्त एवं असंयुक्त बसाहटों की स्थिति नीचे तालिका 2.8 में वर्णित है:

तालिका 2.8: राज्य में संयुक्त एवं असंयुक्त पात्र बसाहटों का विवरण

विवरण	जनसंख्या			
	1000+	999-500	499-250	योग
01.04.2000 के पात्र बसाहटों की संख्या	14471	16404	4544	35419
01.04.2000 के असंयुक्त संपर्कविहीन बसाहटें	6123	10855	3232	20210
01.04.2000 से 31.03.2015 तक प्रस्तावों में शामिल बसाहटें	5954	7989	2015	15958
<b>2010-15 के दौरान शामिल की गई बसाहटें</b>	392	2555	376	3323
मार्च 15 का स्थिति में (सड़कों की वृद्धि एवं विलोपन सहित) प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत शेष असंयुक्त पात्र बसाहटें	28	2960	400	3386
<b>असंयुक्त बसाहटों का प्रतिशत</b>	<b>0.46</b>	<b>27.27</b>	<b>12.37</b>	<b>16.76</b>

(स्रोत: पहले की दो पंक्तियाँ - आनलाईन प्रबंधन. निगरानी और लेखाकन और अन्य पंक्तियाँ एन.आर.आर.डी.ए. के तथ्य पत्रक के अनुसार)

तालिका से देखा जा सकता है कि 14 वर्ष की अवधि के बाद भी कुल पात्र बसाहटों में से 17 प्रतिशत बसाहट बारहमासी सड़क मार्ग से संबद्ध किए जाने से छूट गए थे।

### 2.2.7.2 ट्रांसेक्ट वाक

डीपीआर ट्रांसेक्ट वाक के बिना तैयार किये गये थे।

डी.पी.आर. तैयार करने के दौरान, भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने और पश्चात्कर्ती विवादों से बचने के लिए संरेखण तय करने के लिए पंचायत प्रधान, स्थानीय पटवारी, वन कर्मचारी आदि को साथ लेकर सहायक यंत्री द्वारा एक सरल अनौपचारिक 'ट्रांसेक्ट वाक' आयोजित किया जाना था। तथापि, हमने देखा कि 114 पेकैजेस (258 सड़कें) में ट्रांसेक्ट वाक आयोजित नहीं किया गया था और 52 ऐसी सड़कों के मामले में, भूमि विवाद/भूमि की अनुपलब्धता, वन विभाग की स्वीकृति और संरेखण को अंतिम रूप देने के कारण कार्य के पूरा होने में विलंब हुआ था। हमने आगे देखा मार्च 2015 तक 326 सड़कें (1,776 किलोमीटर) अनुमोदन के बाद भी, भूमि की अनुपलब्धता, वन विभाग की स्वीकृती, अन्य एजेंसियों द्वारा कार्य निष्पादन, डूब इत्यादि कारणों से छोड़ दी गई थीं जो यह इंगित करता है कि इन सड़कों के संबंध में ट्रांसेक्ट वाक नहीं किये गए थे।

शासन ने बताया (अक्टूबर 2015) कि 2010 से पूर्व ट्रांसेक्ट वाक को लिपिबद्ध किए जाने के लिए विशिष्ट प्रावधान नहीं था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि दिशा-निर्देशों (2004) की कंडिका 6.13 में इस तरह के ट्रांसेक्ट वाक का आयोजन प्रावधानित है और इसलिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि भूमि की अनुपलब्धता, वन स्वीकृती, डूब में आना इत्यादि कारणों से निर्माण के लिए योजनाकृत सड़कों को बाद में छोड़ना नहीं पड़े लिपिबद्ध किया जाना अपेक्षित था।

### 2.2.7.3 जिला पंचायत द्वारा वार्षिक अनुमोदन

दिशा-निर्देशों के अनुसार, प्रतिवर्ष प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत किये जाने वाले सड़क कार्यों की सूची को जिला पंचायत द्वारा निधियों के आवंटन के अनुरूप एवं पंचायती संस्थानों के निचले स्तर के साथ परामर्श कर अंतिम रूप दिया जाएगा।

योजना के अंतर्गत लिए गए सड़क कार्यों की सूची को जिला पंचायत/ग्राम पंचायत को शामिल करके वार्षिक आधार पर अंतिम रूप नहीं दिया जा रहा था।

हमने देखा कि योजना के अंतर्गत शामिल सड़कों की सूची जिला पंचायत/ग्राम पंचायत के साथ परामर्श कर सभी कोर नेटवर्क को अंतिम रूप देते समय तैयार की गई थी। तथापि, लेखापरीक्षा के लिए चयनित सभी 13 जिलों में हमने अवलोकन किया कि 2010-2015 की अवधि के दौरान जिला पंचायत/ग्राम पंचायत को शामिल करते हुए सड़क निर्माण कार्य की सूची को वार्षिक आधार पर अंतिम रूप नहीं दिया गया था।

इस प्रकार योजना के अंतर्गत शामिल की जाने वाली सड़कों की आयोजना अधतन जानकारी पर आधारित नहीं था क्योंकि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़क कार्यों को अंतिम रूप देने से पहले प्रस्तावित संरेखन के बारे में प्रति वर्ष स्थानीय पंचायतों को विश्वास में नहीं लिया गया था। यह सड़क कार्य के निष्पादन के समय संरेखण में परिवर्तन/संरेखणों में परिवर्तन की मांग में परिणत हुई।

हमने देखा कि एन.आर.आर.डी.ए. द्वारा राज्य में 48 सड़कों के संरेखण में परिवर्तन अनुमोदित किए गए थे (फरवरी 2014)। तीन सड़क कार्यों के संबंध में निष्पादन के दौरान पंचायत द्वारा संरेखण में परिवर्तन की मांग के दृष्टांत परिशिष्ट-2.12 में वर्णित हैं।

शासन ने बताया कि कार्यक्रम में शामिल सभी सड़कों की सूची को, कोर नेटवर्क को अंतिम रूप देने के समय और जब भी संरेखण में कोई बदलाव आवश्यक था जिला पंचायत/ग्राम पंचायत के परामर्श से, अंतिम रूप दिया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत लिए जाने वाले सड़क कार्यों की सूची को जैसा कि दिशा-निर्देशों में निर्देशित है निधियों के आवंटन के अनुरूप जिला पंचायत द्वारा प्रतिवर्ष अंतिम रूप नहीं दिया गया था जिससे कि तदर्थ रूप से परिवर्तनों से बचाया जा सके।

#### 2.2.7.4 विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) कमियाँ

डीपीआर में कमियाँ थीं क्योंकि कुल लंबाई (10 प्रतिशत से 96 प्रतिशत), बीटी सड़कों की लंबाई (10 प्रतिशत से 74 प्रतिशत) और सीमेंट कांक्रीट सड़कों की लंबाई (10 प्रतिशत से 390 प्रतिशत) में अंतर था। क्रास ड्रेनेज के प्रकार और संख्या भी सटीकता से अनुमानित नहीं थी।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़क निर्माण कार्य के लिए डीपीआर तैयार करने के लिए सलाहकार लगाए गए हैं। डीपीआर को, विस्तृत सर्वेक्षण और तत्पश्चात् महाप्रबंधक एवं सहायक प्रबंधक द्वारा कार्य-स्थल की जाँच के बाद उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर तैयार किया जाना आवश्यक है। डीपीआर की यथार्थता न केवल प्राक्कलन के लिए अपितु वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए भी आवश्यक है। राज्य की सड़कों की औसत अनुमोदित लागत ₹ 28 लाख प्रति किलोमीटर (2008) से ₹ 45 लाख प्रति किलोमीटर (2014) थी। पूर्ण किये गये सड़क निर्माण कार्यों के अभिलेखों की अनुमोदित डीपीआर के संदर्भ में नमूना जांच के दौरान, हमने निम्नानुसार देखा:

#### 1) सड़कों की लंबाई में व्यापक परिवर्तन

तेरह जिलों के अन्तर्गत ₹ 590.45 करोड़ की लागत से पूर्ण की गई 499 सड़कों जैसा कार्यान्वित की गई, की कुल लंबाई और डीपीआर में प्रस्तावित लम्बाई में डामरीकृत और सीमेंट कांक्रीट (सी.सी) सड़कों सहित व्यापक भिन्नताएं थीं। 10 प्रतिशत से अधिक भिन्नता 134 सड़क निर्माण कार्यों में पायी गयी जो 96 प्रतिशत तक थी। यह डीपीआर की तैयारी के दौरान डीपीआर सलाहकार द्वारा अपर्याप्त सर्वेक्षण और पीआईयू के अधिकारियों द्वारा इसके अपर्याप्त सत्यापन को इंगित करता है।

₹ 193.26 करोड़ की लागत की 162 सड़कों के निष्पादन के मामले में अकेले सीमेंट कांक्रीट सड़कों की लंबाई में 10 प्रतिशत से अधिक भिन्नता (वृद्धि/कमी), अनुमोदित

डीपीआर में दिखायी गयी लंबाई की तुलना में 390 प्रतिशत (20 मीटर से 4,700 मीटर) तक थी। इसमें 200 प्रतिशत से अधिक भिन्नता के साथ पांच सड़कें और डीपीआर में प्रावधान के बिना निर्मित दो सीमेंट व कांक्रीट सड़कें शामिल थीं। इसी तरह, ₹ 87.65 करोड़ लागत की 90 सड़कों के मामले में बीटी सड़कों की लंबाई में 10 प्रतिशत से ऊपर भिन्नता 74 प्रतिशत (100 मीटर से 8,310 मीटर) तक थी।

### II) क्रास ड्रेनेज की संख्या में भिन्नता

₹ 355.76 करोड़ की लागत से 292 सड़कों के संबंध में क्रास ड्रेनेज की निर्मित संख्या उससे भिन्न थी जो डीपीआर में दी गई थीं। 199 सड़कों के संबंध में, जहां निर्मित क्रास ड्रेनेज की संख्या में एक से अधिक की भिन्नता थी, 2,485 क्रास ड्रेनेज के प्रावधान के विरुद्ध 1,762 क्रास ड्रेनेज का निर्माण किया गया था। इसके अलावा, सड़कों पर निष्पादन के दौरान स्थान और क्रास ड्रेनेज के प्रकार भी अलग-अलग पाए गए थे। इससे, प्राक्कलन के दौरान क्रास ड्रेनेज के अनुमान से अधिक प्रावधान, तथा क्रास ड्रेनेज कार्यों के लिए अपर्याप्त सर्वेक्षण इंगित हुए।

त्रुटिपूर्ण प्राक्कलन पर कुछ दृष्टांत जैसे आवश्यक क्रास ड्रेनेज की अनुमान से अधिक संख्या और वास्तविक रूप से आवश्यक क्रास ड्रेनेज के प्रकार के गलत आंकलन पर परिशिष्ट 2.13 में चर्चा की गई है।

शासन ने बताया कि कार्य आरंभ होने से तीन से चार साल पूर्व डीपीआर तैयार की जाने, अन्य एजेंसियों द्वारा सड़कें ली जाने, भूमि अधिग्रहण के लिए प्रावधान का अभाव, स्थानीय मांग के अनुसार लंबाई में हुई वृद्धि आदि कारणों से विचलन आवश्यक हो गया था। यह भी कहा गया कि डीपीआर तैयार करते समय वहां कृषि भूमि के बीच कच्चे मार्ग ही थे इसलिए क्रास ड्रेनेज का सटीक आकलन संभव नहीं था।

उत्तर पुष्टि करता है कि इन बाधाओं को संज्ञान में लेने के बाद डीपीआर तैयार नहीं की गई थी, परिणामस्वरूप निर्मित सड़कों की लंबाई/क्रास ड्रेनेज के निष्पादन में व्यापक परिवर्तन थे। इन परिवर्तनों को "ट्रांसेक्ट वाक" करके कम किया जा सकता था जैसा कि ऊपर कंडिका 2.2.7.2 में चर्चा की गई है।

### III) डीपीआर में प्रावधानित न किये गये मदों का निष्पादन

डीपीआर में शामिल नहीं की गई मदों पर ₹ 12.10 करोड़ का व्यय किया गया था।

23 पेकैजेस (₹ 61.36 करोड़ की लागत) के सन्दर्भ में डीपीआर में दी गई मदों/मात्राओं/ में कमी/विलोपन/प्रतिस्थापना लागत में हुई ₹ 18.29 करोड़ की बचत में से 'रिटैनिंग वाल', सुरक्षा दीवार, कांक्रीट मद<sup>39</sup>, पश्चु भराव, 'एम-30 वीयरिंग कोट', इत्यादि मदों पर ₹ 12.10 करोड़ का व्यय किया गया था जो या तो डीपीआर में नहीं दी गयी थीं अथवा डीपीआर से भिन्न मात्रा में निष्पादित की गई थीं (परिशिष्ट-2.14)।

शासन ने बताया कि विचलन/परिवर्तन, कार्य-स्थल की स्थिति के अनुसार और सड़कों और उसके उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के लिए किए गए थे, साथ ही, उचित सत्यापन के बाद सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किये गये थे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इन प्रकरणों में सड़क निर्माण कार्य की कुछ मदों में हुई बचतों को अन्य मदों या मात्राओं के निष्पादन में उपयोग किया गया था जो इन कार्यों

<sup>39</sup> सादी सीमेंट कंक्रीट (पीसीसी) एम 10, पीसीसी एम-15, पीसीसी एम-25

की डीपीआर में प्रावधानित नहीं की गई थीं।

योजना बनाने में कमियाँ, ट्रांसेक्ट वाक आयोजित नहीं करने और डीपीआर की अनुपयुक्त तैयारी से कार्यों के निष्पादन में विलंब के साथ ही योजना में परिकल्पित सड़क संबद्धता उपलब्ध नहीं हुई थी। महत्वपूर्ण उदाहरणों में से कुछ परिशिष्ट 2.15 में दिए गए हैं।


### अनुशंसा

शासन को वांछित सड़क संपर्क के लिए यथार्थवादी डीपीआर तैयार करने हेतु विस्तृत सर्वेक्षण/अनुसंधान एवं "ट्रांसेक्ट वाक" का आयोजन तथा अभिलेखीकरण सुनिश्चित करना चाहिए।

### 2.2.8 निष्पादन

योजना के प्रारंभ होने के बाद से 69,642 किलोमीटर सड़कों की लंबाई की समग्र स्वीकृति के विरुद्ध, एमपीआरआरडीए ने 2009-10 तक प्रति वर्ष 4,151 किलोमीटर<sup>40</sup> की औसत प्रगति पर 37,355 किमी (8,258 सड़कें) का निर्माण पूरा किया था। वित्तीय वर्ष 2009-10 के अंत तक 18,121 किलोमीटर लंबाई वाली 4,000 सड़कों का कार्य प्रगति पर था। 2010-15 की अवधि के दौरान 5,190 सड़कों के 23,030 किमी पूर्ण हुए थे। मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार, 2,898 सड़कों (9,256 किलोमीटर लंबाई) के कार्य प्रगति में थे। 2037 सड़कों के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन अपेक्षित थे। वर्ष 2010-11 और 2014-15 के दौरान भारत सरकार से सड़क निर्माण कार्य की कोई स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई थी। स्वीकृत एवं पूर्ण की गई सड़कों की स्थिति का वर्षवार विवरण नीचे चार्ट- 2 में दर्शाया गया है:

चार्ट 2: स्वीकृत एवं पूर्ण की गई सड़कों की लंबाई की तुलना



एमपीआरआरडीए द्वारा उपलब्ध करायी गई कार्यों की प्रगति से हमारे ध्यान में आया कि वर्ष 2010-11 के दौरान 9163 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया था, लेकिन 2011-12 के बाद कार्य की गति धीमी थी और 2011-15 की अवधि के दौरान प्रति वर्ष सड़क निर्माण की औसत लंबाई 3,467<sup>41</sup> किलोमीटर तक कम हो गई थी।

यद्यपि, परिचालन नियमावली, कार्य के निष्पादन के लिए 9 महीने से 18 महीने की अवधि के भीतर पूर्ण करना प्रावधानित करता है, मार्च 2015 के अंत तक प्रगतिरत

<sup>40</sup> 2001-02 से 2009-10, 9वर्ष ; 37,355 किमी/9 वर्ष = 4,151 किमी

<sup>41</sup> (2,926 किमी + 2,754 किमी + 3,006 किमी + 5,181 किमी)/4 = 3,467 किमी

9,257<sup>42</sup> किलोमीटर सड़कों का निर्माण, पिछले चार वर्षों की अवधि के दौरान वास्तविक रूप से किये गये निर्माण की औसत गति से 2017-18 तक पूरा किया जा सकता है।

कार्यों के निष्पादन में कमियों पर निम्नलिखित कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

### 2.2.8.1 निविदाकरण और संविदागत शर्तों का क्रियान्वयन

#### (I) त्रुटिपूर्ण आंकड़ों के साथ निविदाओं का आमंत्रण

कार्यक्षेत्र सम्बंधी त्रुटिपूर्ण आंकड़ों के साथ निविदा आमंत्रित की गयी थीं।

एमपीआरआरडीए, निविदाएं आमंत्रित (एनआईटी) करने के लिए नोटिस जारी करने के बाद, कार्य सौंपता है। कार्य के पारदर्शितापूर्ण आमंत्रण और सौंपे जाने के लिए यह आवश्यक है कि एनआईटी में आमंत्रण की दिनांक पर उपलब्ध सही जानकारी दी जाये। तथापि, निम्नलिखित मामलों में हमारे ध्यान में आया कि सही जानकारी दिए बिना एनआईटी आमंत्रित की गई थी:

- सागर जिले में, पैकेज 3,371 के अंतर्गत एसएच 14 (निर्तला) से तिहार तक सड़क के लिए 5.20 किलोमीटर सड़क की लंबाई दर्शाते हुए एनआईटी आमंत्रित की गई थी (सितम्बर 2010)। तथापि, हमने पाया कि सड़क निर्माण का संरेखण पहले से ही जून 2010 में बदला गया था जिसके कारण लंबाई में 1.80 किलोमीटर की वृद्धि अपेक्षित थी। इसके अलावा, निविदा की राशि को भी तदनुसार संशोधित नहीं किया गया था।

- सागर जिले में, पैकेज 3,360 के अंतर्गत मुख्य जिला सड़क से चकपिपला (12.73 किमी) सड़क के लिए एनआईटी सितंबर 2010 में प्रकाशित हुई थी। प्राधिकरण को पहले से ही पता था (मार्च 2010) कि वन विभाग से अनुमति की अनुपलब्धता के कारण सड़क की लंबाई 3.9 किमी<sup>43</sup> होगी किन्तु एनआईटी प्रकाशित की गई और अतिरिक्त लंबाई और ₹ 1.19 करोड़ के बजाय ₹ 3.88 करोड़ की गलत अनुमानित लागत के साथ कार्य सौंपा गया था।

शासन ने कहा कि एनआईटी स्वीकृति के अनुसार जारी की गई थी और वन विभाग से अनुमति की अनुपलब्धता और संरेखण में परिवर्तन के कारण सड़क की लंबाई में वृद्धि हुई थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि संरेखण में परिवर्तन और सड़क की लंबाई पहले से ही एमपीआरआरडीए को ज्ञात थी और इसलिए सड़कों की संशोधित लंबाई के साथ निविदा आमंत्रित किया जाना चाहिए था।

#### (II) अनियमित उप-ठेका पर कार्य दिया जाना

ठेके की सामान्य शर्तों के धारा 7.1 के अनुसार, ठेकेदार लिखित रूप में नियोक्ता के अनुमोदन से निर्माण के कार्य ठेके के मूल्य के 25 प्रतिशत हिस्सा तक, उप-ठेके पर दे सकता है।

<sup>42</sup> बचे हुए शेष कार्य = 9,257 किमी 31 मार्च की स्थिति में 3,467 किमी प्रति वर्ष के औसत पर 9,257 किमी पूर्ण करने की अपेक्षित अवधि 2.67 वर्ष होगी।

<sup>43</sup> वास्तविक निर्मित लंबाई 4.20 कि.मी.

मूल ठेकेदारों द्वारा अन्य व्यक्तियों/ ठेकेदारों को अनियमित रूप से मुखतार नाम पर कार्य समनुदेशित किए गए थे।

तथापि, ₹ 3.85 करोड़ राशि वाले दो पैकेज<sup>44</sup> में हमारे ध्यान में आया कि मूल ठेकेदार द्वारा सम्पूर्ण कार्यों को मुखतार नामे (पावर ऑफ अटार्नी) पर व्यक्ति/फर्म को उप-ठेका पर दे दिया गया था। इस प्रकार सम्पूर्ण कार्यों को व्यक्ति/फर्म को उप-ठेके समनुदेशित किया जाना अनियमित था साथ ही साथ इन दो पैकेजों के ठेकों में इस तरह की व्यवस्था उपबंधित नहीं थी।

शासन ने उत्तर दिया कि मुखतार नामे पर कोई कार्य समनुदेशित नहीं किया गया था एवं ठेकेदार ने कार्य के पर्यवेक्षण के लिए किसी व्यक्ति की नियुक्ति मुखतार नामे पर की होगी जो वैध दस्तावेज़ है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ठेके से संबंधित पूरी गतिविधि मुखतार नामे के माध्यम से ऐसे व्यक्ति/ फर्म को सौंपी गयी थी जिसका मूल ठेकेदार के साथ कोई स्थापित व्यापारिक संबंध नहीं था। इसके अलावा, अन्य व्यक्ति के नियोजन से बोली के लिए अर्हता आंकलन का उद्देश्य भी विफल हुआ था।


### (III) निष्पादन में विलंब

उन्हतर प्रतिशत पैकेजों को छः माह से अधिक विलंब से पूर्ण किए जा सका।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों की पूर्णता के लिए कार्यादेश जारी होने के दिनांक से 9 माह से 18 माह का समय निर्दिष्ट था। कार्य की समय पर पूर्णता से निवासियों को वांछित सामाजिक-आर्थिक लाभ प्राप्त होता है।

13 जिलों के अंतर्गत 219 पूर्ण किए पैकेजेस के अभिलेखों की जांच के दौरान हमारे ध्यान में आया कि केवल 14 पैकेज ही समय में पूरे किये गये थे। पैकेजेस के पूरा होने में विलंब की सीमा नीचे चार्ट- 3 में दिखायी गयी है:

चार्ट 3: पैकेज के पूरा होने में विलंब का विवरण



चार्ट से यह देखा जा सकता है कि निर्धारित पूर्णता अवधि के भीतर केवल छह प्रतिशत पैकेज ही पूर्ण हुए थे। लगभग 79 प्रतिशत पैकेज छह महीने से लेकर दो से अधिक वर्ष के विलंब के साथ पूर्ण हुए थे। हमारे द्वारा जाँच किए गए 107 पैकेज के संबंध में हर्जाने को अंतिम रूप देने के दौरान ठेकेदारों द्वारा बताए गए मुख्य कारणों में खनन की अनुमति में विलंब (22), सामग्री की अनुपलब्धता/परिवहन (42), सड़क संरक्षण के दोनों ओर पर खड़ी फसलें (25), अत्यधिक वर्षा (52), श्रमिकों की कमी (44), भूमि विवाद (33), पानी की कमी (24), वन प्रकरण (24) इत्यादि सम्मिलित थे। यह देखा जा सकता है कि खनन की अनुमति में विलंब, सामग्री की अनुपलब्धता/परिवहन, श्रमिकों

<sup>44</sup> (1) पैकेज-2291 ₹ 3.03 करोड़ की ठेके की राशि के साथ, (2) पैकेज-22104 ₹ 0.82 करोड़ की ठेके की राशि के साथ।

की कमी, पानी की कमी, वन प्रकरण इत्यादि ऐसे कारण थे जो नियंत्रणयोग्य थे। सड़कों के पूरा होने में विलंब ने निवासियों को परिसंपत्तियों (सड़क) का समय पर लाभ पाने से वंचित किया था।

शासन ने उत्तर में इन बाधाओं को दूर करने के लिए कोई सुधारात्मक उपायों का ब्यौरा नहीं दिया।

### अनुशंसा

प्राधिकरण को सड़क निर्माण कार्यों का समय पर पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करने के लिए, खनन अनुमति प्राप्त करने एवं भूमि उपलब्ध कराने में आ रही बाधाओं को दूर करने में ठेकेदारों को सुविधा देने के लिए कदम उठाना चाहिए।

#### (IV) खम्भे/तार हटाने में विलंब

परिचालन दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्यस्तरीय स्थायी समिति (एसएलएससी), सड़क सुरक्षा विषयों की त्रैमासिक समीक्षा के लिए उत्तरदायी थी।

जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सड़क पर बिजली के खम्भे/तार को समय पर हटाने/विस्थापन की आवश्यकता होती है। आठ जिलों<sup>45</sup> से संबंधित खम्भों के विस्थापन/तारों के हटाने के 217 प्रस्तावों के मामलों में देखा गया कि खम्भा विस्थापन/तारों के स्थानांतरण का कार्य वास्तविक रूप से नहीं किया गया था और 194 मामलों में, यह विलम्ब सड़क कार्य पूर्ण होने के बाद एक वर्ष से सात वर्ष का था। इस प्रकार, इस तथ्य के बावजूद कि सड़क सुरक्षा से संबंधित विषयों की त्रैमासिक समीक्षा के लिए एसएलएससी उत्तरदायी थी, उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं थी।

शासन ने बताया कि अगस्त 2009 से पहले बिजली के खम्भों के विस्थापन का काम मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड (एमपीईबी) द्वारा किया जाता था और विलम्ब देखते हुये वर्तमान में एमपीआरआरडीए द्वारा प्राथमिकता के आधार पर कार्य किये जा रहे थे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि हमने, सड़क कार्य पूरा होने के बाद भी खम्भा विस्थापन/हटाने में विलंब होते देखा है।

#### (V) निर्णीत हर्जाने का अधिरोपण

ठेके की सामान्य शर्तों की धारा 44.1 के अनुसार, निर्धारित पूर्णता दिनांक से परे विलंब की अवधि हेतु ठेकेदार, ठेके के प्रारंभिक मूल्य या कार्य के वास्तविक मूल्य का एक प्रतिशत, जो भी कम हो प्रति सप्ताह की दर से प्रारंभिक मूल्य के अधिकतम 10 प्रतिशत तक नियोक्ता को निर्णीत हर्जाने का भुगतान करेगा। इसके अलावा धारा 27.1 प्रावधानित करती है कि यदि कोई क्षतिपूरक घटना होती है या फेरबदल होती है जो नियत दिनांक तक पूर्णता को असंभव कर देता हो तो अभियंता निर्धारित पूर्णता दिनांक को आगे बढ़ायेगा। इसलिए, एमपीआरआरडीए को नियत पूर्णता दिनांक में बढ़ोतरी तथा निर्णीत हर्जाने की गणना के लिए ठेकेदारों पर आरोप्य विलंबों की अवधि तय

ठेके के प्रावधानों के अनुसार निर्णीत हर्जाने आरोपित नहीं किए गए और निर्णीत हर्जाने के निर्णय का सही क्रम में नहीं था, परिणामतः ₹ 34.43 करोड़ का कम आरोपण हुआ।

<sup>45</sup> अशोक नगर, बैतूल, छिंदवाड़ा, दतिया, खरगोन, रतलाम, सागर और शाजापुर।

करनी होगी। किसी क्षतिपूरक घटना<sup>46</sup> या परिणामी क्षति के प्रकरण में अनुबंध, नियत पूर्णता दिनांक में वृद्धि के अतिरिक्त ठेकेदार को कोई क्षतिपूर्ति प्रदान करना विशिष्ट रूप से प्रावधानित नहीं करता है।

13 चयनित जिलों के 107 पैकेजेस के संबंध में समयवृद्धि के प्रकरणों के विश्लेषण में हमने अवलोकन किया कि:

- ठेकेदारों द्वारा दावा किए गए विलंबों के लिए मुख्य कारणों में कृषि गतिविधियाँ, श्रमिकों की अनुपलब्धता, पानी की कमी, सड़क सामग्री की अनुपलब्धता, सामग्री का परिवहन, भारी वर्षा, खनन की अनुमति, निर्वाचन, त्यौहार इत्यादि शामिल थे। अनुबंधों की शर्तों में ऐसे सभी कारण ठेकेदारों के जोखिम का हिस्सा थे क्योंकि पानी और सड़क सामग्री आदि की उपलब्धता सहित कार्य-स्थलों की हालत के बारे में उनका अवगत होना माना जायेगा। इसलिए विलंब हेतु ये कारण ठेकेदारों पर आरोपणीय थे।

- ठेकेदारों द्वारा बताए गए कारणों का अनुबंध की शर्तों के संदर्भ में विश्लेषण किए बिना ओर सप्ताहों में विलंबों को निर्धारित किए बिना निर्णीत हर्जाने के आरोपण के लिए पीआईयू द्वारा प्रकरणों को मुख्यालय को लिए प्रस्तुत किया गया था। मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने ठेकेदार के कारण हुए विलंब की सीमा का निर्णय करने के बजाए ठेका मूल्य/किए गए कार्य के मूल्य के कुछ प्रतिशत में निर्णीत हर्जाने की राशि का निर्णय लिया। इस प्रकार, अनुबंध के प्रावधानों से परे निर्णीत हर्जाने के अधिरोपण का निर्णय लिया गया था। 107 पैकेजेस (परिशिष्ट 2.16) में ठेकेदारों पर 13 सप्ताह से 251 सप्ताहों के विलंब हेतु आरोपणीय ठेका मूल्य के 10 प्रतिशत के बजाए 0.25 प्रतिशत से 8 प्रतिशत की दर से निर्णीत हर्जाने आरोपित किए गए थे। इस प्रकार ₹ 34.43 करोड़ के निर्णीत हर्जाने का कम आरोपण हुआ था।

- आदेश (निर्णीत हर्जाने के), प्रकरणों की सुनवाई पर आधारित थे यद्यपि, अनुबंधों में निर्णीत हर्जाना अधिरोपित करने के लिए ऐसी सुनवाई के प्रावधान नहीं थे। 25 प्रकरणों की नोट शीट एवं आदेशों की नमूना जाँच में प्रकट हुआ कि सभी मामलों में आदेश, ठेकेदार और/या विभाग पर आरोपणीय विलंबों की अवधि को स्पष्टतः व्यक्त नहीं कर रहे थे और हर्जाने हेतु अनुमत्य घटनाओं का विश्लेषण और आदेशों में उनका उल्लेख किया जाना नहीं पाया गया था।

- वित्त विभाग द्वारा जारी किए गए (मई 2009) आदेशों के अनुसार विभागीय कारणों की वजह से विलंबों के प्रकरणों में शासन को हुई वित्तीय हानि की वसूली के लिए आदेश के साथ ही उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जाना चाहिए। पीआईयू की ओर से किये गये विलंब के प्रकरण में ऐसी कोई कार्रवाई की जाना नहीं पाया गया।

शासन ने बताया (अक्टूबर 2015) कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा दोनों पक्षों को अपने प्रकरण प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान कर ठेकेदार एवं विभाग की ओर से हुआ विलंब निर्धारित कर निर्णीत हर्जाना तय किया गया था। आगे बताया गया था कि विभाग की ओर से हुए विलंब के लिए ठेकेदार को मूल्यवृद्धि जैसा कोई अन्य लाभ नहीं किया गया था।

<sup>46</sup> ठेके की सामान्य शर्तों के क्लॉज़ 40 और 28 के अनुसार क्षतिपूरक घटना में नियोक्ता की जोखिम को छोड़कर अन्य जोखिम एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी की पूर्वानुमति से 30 दिनों से अधिक का कार्य में विलंब, शामिल है।



उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निर्णीत हर्जाने की मात्रा निर्धारित करते समय विशेषतः क्षतिपूरक घटनाओं या ठेकेदार की ओर से हुए विलम्बों का अवधि-वार विस्तृत विश्लेषण नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, ठेके की अवधि को बढ़ाये जाते समय ही नियत तिथि तय की जानी थी और निर्णीत हर्जाना तय और आरोपित करने की प्रक्रिया ठीक नहीं थी।

### अनुशंसा

प्राधिकरण को कार्यों की पूर्णता में ठेकेदारों पर आरोपणीय विलम्बों की सीमा तय करनी चाहिये और अनुबंधों की शर्तों के अनुरूप विलम्बों की अवधि के आधार पर निर्णीत हर्जाना अधिरोपित करना चाहिए।

### (VI) बीमा

बीमा पॉलिसियों के प्रीमियम के मद में ठेकेदारों को ₹ 2.60 करोड़ का अनुचित वित्तीय लाभ दिया गया था।

ठेकों की शर्तों और निबंधनों के अनुसार ठेकेदार अपनी लागत पर नियोक्ता और ठेकेदार के संयुक्त नाम से ठेकेदार के जोखिम के लिए कार्यों के आरंभ करने के दिनांक से पूर्ण होने के दिनांक तक कार्यों की क्षति या नुकसान के लिए बीमा सुरक्षा उपलब्ध कराएगा।

हमारे ध्यान में आया कि 264 पैकेजेस में ठेकेदारों ने या तो बीमा पॉलिसी के अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये थे अथवा प्रस्तुत की गई पॉलिसी, ठेके के अंतर्गत अपेक्षित, प्राकृतिक आपदाओं<sup>47</sup> के जोखिम को सुरक्षित नहीं करती थीं। ठेके की धारा को लागू करने में विभाग की विफलता, ठेकेदारों के लिये उनके द्वारा भुगतान न की गई प्रीमियम के रूप में ₹ 2.60 करोड़ मूल्य के वित्तीय लाभ<sup>48</sup> के रूप में हुआ। साथ ही, उस सीमा तक कार्य क्षति के जोखिम के अन्तर्गत आ गयी।

शासन इस संबंध में उचित निर्देश जारी करने के लिए सहमत हुआ।

### (VII) ठेकेदारों से वसूली योग्य राशि की कम वसूली

ठेके की सामान्य शर्तों की धारा 53.1 के अनुसार ठेकेदार द्वारा अनुबंध के मूल तत्वों के उल्लंघन के कारण ठेके का अवसान होने पर ठेकेदार या नियोक्ता को देय राशि निर्धारित प्रक्रिया/विधि के आधार पर संगणित की जाती है। यदि नियोक्ता को देय कुल राशि ठेकेदार को देय भुगतान से अधिक होती है, तब अंतर की राशि को सुरक्षा जमा और निष्पादन प्रतिभूति से वसूल किया जाना चाहिए। फिर भी यदि कोई राशि वसूली के बिना रह जाती है तो यह नियोक्ता<sup>49</sup> को देय ऋण होगी। हमने देखा कि:

(अ) आठ जिलों<sup>50</sup> के अंतर्गत पीआईयू के 37 प्रकरणों में ठेकेदारों से वसूली योग्य ₹ 34.89 करोड़ की राशि ठेके के अवसान/आर.आर.सी. जारी होने के दिनांक से 84 महीने की अवधि तक बिना वसूल किए पड़ी थी (परिशिष्ट-2.17)।

<sup>47</sup> चक्रवात, पृथ्वी का भूकंप, तूफान, आंधी, आंधी, तूफान, तूफान, बाढ़ और सैलाब।

<sup>48</sup> ठेका राशि के 0.1 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से निकाली गई, दरअनुबंध के प्रवर्तनावधि के प्रत्येक माह के लिए संगणित।

<sup>49</sup> ठेके के खण्ड 4 के भाग-1 में दी गई परिभाषा के अनुसार एमपीआरआरडीए के मुख्य कार्यपालन अधिकारी नियोक्ता हैं।

<sup>50</sup> अशोक नगर, बैतूल, बालाघाट, छिंदवाड़ा, दतिया, खरगोन, उमरिया, और विदिशा।

(ब) तीन जिलों<sup>51</sup> के पीआईयू के अंतर्गत 11 प्रकरणों में पीआईयू द्वारा ₹ 12.45 करोड़ की वसूली योग्य राशि आंकलित की गयी थी किन्तु राशि वसूल/समायोजित नहीं की गई थी और न ही आर.आर.सी. जारी की गई थी (परिशिष्ट -2.17)।

(स) सागर और शाजापुर जिलों के पीआईयू ने इस बारे में निरंक जानकारी दी थी जबकि पीआईयू रीवा जहाँ अवसान के 10 प्रकरण थे (परिशिष्ट -2.17), ठेकेदारों से वसूली की प्रक्रिया शुरू करने के लिए वसूली योग्य राशि का आंकलन नहीं किया था।

हमने आगे देखा कि वसूली योग्य राशि को न तो वार्षिक लेखों में देनदारों (चालू परिसंपत्तियों) के अंतर्गत दर्शाया गया था और न ही लेखों की टिप्पणी में बताया गया था। ठेकेदारों से वसूली योग्य राशि का विवरण हमें उपलब्ध नहीं कराया जा सका जो अभिलेखों का संधारण नहीं किये जाने और कमजोर निगरानी प्रणाली का सूचक था।

शासन ने बताया (अक्टूबर 2015) कि विभाग के पास उपलब्ध राशि तत्काल समायोजित की गयी थी और शेष राशि की वसूली की प्रक्रिया नियमों के अनुसार प्रारम्भ की गई थी और यह एक सतत प्रक्रिया है। आगे यह बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2013-14 तक कुल वसूली योग्य राशि ₹ 386 करोड़ थी जिसमें से ₹ 252 करोड़ वसूल कर लिये गये थे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वसूली योग्य राशि से संबंधित प्रमाणीकृत अभिलेखों और वार्षिक लेखों में प्रकटीकरण का अभाव था और हमारे द्वारा जांच किए गए प्रकरणों के संबंध में ठेके के अवसान/आरआरसी जारी होने के दिनांक से 84 माह की अवधि तक राशि वसूल किए बिना पड़ी थी।

### अनुशंसा

प्राधिकरण को देनदारों के अभिलेखों का रखरखाव और अद्यतनीकरण सुनिश्चित करने और ठेकेदारों से वसूली योग्य राशि की प्राप्ति के लिए अनुवर्ती कार्यवाही करना चाहिए।

### (VIII) तकनीकी कर्मचारी की तैनाती

ठेकों की शर्तों के अनुसार, ठेकेदार को अनुबंध की प्रवर्तनावधि के दौरान निर्दिष्ट तकनीकी/योग्यताप्राप्त कर्मियों का नियोजन करना होगा। ठेकेदार से ₹ 20,000 प्रति व्यक्ति प्रति माह की दर से वसूली की जाएगी यदि वह अपेक्षित योग्यता के साथ आवश्यक संख्या में तकनीकी कर्मचारियों को तैनात करने में विफल रहता है।

हमने देखा कि नौ जिलों<sup>52</sup> के अंतर्गत 179 पैकेजिस में, कर्मचारी के नियोजन की जानकारी न तो सलाहकार द्वारा भेजी जा रही थी और न ही पीआईयू के अधिकारियों द्वारा अभिप्रमाणित/दर्ज की जा रही थी। चूंकि यह भुगतान/वसूली के लिए एक शर्त थी, कार्य पर पर्याप्त कर्मचारी के नियोजन का सत्यापन/सुनिश्चित करने के लिए माप पुस्तिकाओं में दर्ज करना आवश्यक था।

शासन ने बताया कि अनुबंध के प्रावधानों का पालन करने एवं समुचित अभिलेख संधारण करने के अनुदेश समय-समय पर जारी किए गए हैं।

<sup>51</sup> झाबुआ, रीवा (पीआईयू मऊगंज) और रतलाम।

<sup>52</sup> बालाघाट, बैतूल, छिंदवाड़ा, दतिया, खरगोन, रतलाम, रीवा सागर और शाजापुर

तथ्य यह है कि महत्वपूर्ण संख्या में पैकेजेस में कर्मचारियों के तैनाती की जानकारी न तो सलाहकार द्वारा चलित देयकों के साथ भेजी जा रही थी और न ही पीआईयू के किसी प्राधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित/दर्ज की जा रही थी।

### 2.2.8.2 विनिर्देशों और दिशा निर्देशों से विचलन

#### (I) विनिर्दिष्ट चौड़ाई से परे सड़क का निष्पादन

एनआरआरडीए के परिपत्र (जनवरी 2008) और ग्रामीण सड़क नियमावली के धारा 2.6.3 तथा 2.6.4 के अनुसार 100 मोटर वाहन प्रति दिन से कम के संपर्क मार्गों<sup>53</sup> के लिए सड़क की चौड़ाई केवल छह मीटर रखा जानी थी।

हमने देखा है कि 27 सड़कों के मामले (परिशिष्ट 2.18) में प्रति दिन 28 से 78 मोटर वाहनों के यातायात वाली सम्पर्क मार्गों पर विनिर्दिष्ट चौड़ाई के बजाय 7.5 मीटर चौड़ाई के साथ सड़क निर्माण किया गया, सड़कों के निर्माण पर ₹ 4.98 करोड़<sup>54</sup> के परिहार्य व्यय में परिणत हुआ।

विशिष्टियों से परे आवश्यकता से अधिक चौड़ाई के साथ सड़कों का निर्माण किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 4.98 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

शासन ने कहा कि भावी यातायात वृद्धि को ध्यान में रखते हुए सड़क की चौड़ाई 7.5 मीटर रखी गयी थी और यह, राज्य तकनीकी एजेंसी (एस.टी.ए.) द्वारा जांची और भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गयी थी। 100 मोटर वाहनों से कम यातायात के सड़क के लिए 6 मीटर की न्यूनतम चौड़ाई के लिए परिपत्र सितंबर 2010 में जारी किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि 100 मोटर वाहनों से कम यातायात के लिए सड़क की 6 मीटर की न्यूनतम चौड़ाई पहले से ही वर्ष 2002 में आईआरसी द्वारा जारी विशिष्टियों में दी गयी थी और यह प्रावधान वर्ष 2008 और 2010 एनआरआरडीए द्वारा परिपत्र के माध्यम से पुनः व्यक्त किया गया था।

#### (II) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यक्षेत्र से परे व्यय

दिशा-निर्देशों की कंडिका 3.3 के अनुसार, एक असंबद्ध बसाहट वह है जो विद्यमान बारहमासी सड़क या बारहमासी सड़क से पहले से ही जुड़ी बसाहट से कम से कम 500 मीटर या अधिक की दूरी पर स्थित है। इस प्रकार, 500 मीटर से कम की दूरी के भीतर स्थित बसाहट प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में शामिल नहीं हैं। आगे, परिचालन नियमावली की कंडिका 1.6.4 के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना डामरीकृत या सीमेंट-कांक्रीट सड़कों की मरम्मत की अनुमति नहीं देती है भले ही सतह की हालत खराब हो।

हमने देखा कि शाजापुर जिले में पैकेज 3942 के अंतर्गत 400 मीटर की शुजालपुर मंडी कालापिपल से भुगोर सड़क के लिए ₹ 17.67 लाख की लागत की डीपीआर तैयार की गई थी और ₹ 5.15 लाख की लागत से 167 मीटर सड़क का निर्माण किया गया था। आगे, सागर जिले में पैकेज 3392 के अंतर्गत गुड़ा से लोक निर्माण विभाग की सड़क पर ₹ 6.27 लाख की लागत से 190 मीटर लंबी सीमेंट-कांक्रीट सड़क का पुनर्निर्माण

<sup>53</sup> लिंक मार्ग वे सड़के हैं जो एकल बसाहट या बसाहटों के समूह को बाजार केन्द्रों तक सड़कों या जिला सड़कों के माध्यम से जोड़ती है

<sup>54</sup> चौड़ाई घटा कर सड़को पर किये गये खर्च का 20 प्रतिशत के अनुसार गणना की गयी।

किया गया था जो आपरेशनल मैनुअल और दिशा-निर्देशों के प्रावधानों का उल्लंघन था। पांच सौ मीटर से कम लंबाई की सड़क के प्रकरण में शासन ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2015) कि सड़कों के कुछ भाग अन्य एजेंसियों द्वारा निर्मित किए गए थे जबकि विद्यमान सीमेंट-कांक्रीट सड़क के बारे में कोई कारण सूचित नहीं किया गया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि 500 मीटर से कम लंबाई का निर्माण, दिशा-निर्देशों के अंतर्गत शामिल नहीं था।

### (III) वृक्षारोपण

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दिशा-निर्देशों<sup>55</sup> और परिचालन नियमावली के अनुसार राज्य सरकार/पंचायत द्वारा उनके स्वयं की निधि से सड़क के दोनों ओर फल देने वाले और अन्य उपयुक्त वृक्ष और झाड़ियाँ रोपी जानी थी। तथापि, 13 जिलों में 39 सड़कों के संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान हमने देखा कि सड़क के दोनों तरफ़ इस तरह के किसी वृक्षों का रोपण नहीं किया गया था।

शासन ने बताया कि यह रोपण कार्य राज्य सरकार/पंचायतों द्वारा उनके स्वयं की निधियों से किया गया था, मध्य प्रदेश शासन ने सभी मुख्य कार्यपालन अधिकारियों<sup>56</sup> को राज्य की सड़कों के किनारे वृक्षारोपण के माध्यम से ग्रामीण रोजगार सृजित करने के निर्देश (फरवरी 2006) दिए थे और एमपीआरआरडीए ने भी इस संबंध में सभी परियोजना क्रियान्वयन इकाई को निर्देश जारी किया था (जून 2015)। तथ्य यही है कि वृक्षारोपण का कार्य अभी भी प्रारंभ किया जाना था।

### 2.2.8.3 माप और भुगतान

#### (I) ह्यूम पाइप के लिए भुगतान

ह्यूम पाइप के लिए आईएसआई प्रमाण पत्र के बिना ₹ 11.21 करोड़ का भुगतान किया गया था और दरों की गलत प्रयुक्ति तथा दरों में कटौती न करने से ₹ 69.41 लाख का अधिक भुगतान हुआ।

(क) मानक दर अनुसूची (एस.एस.आर.) के सामान्य की टीप - 9 के अनुसार, सड़कों के निर्माण में भारतीय मानक संस्थान (आईएसआई) अंकित प्रबलित सीमेंट कांक्रीट ह्यूम पाइप उपयोग किया जाना चाहिए। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सप्लाइ एंड डिस्पोजल (डीजीएस एंड डी) द्वारा विधिवत परीक्षण किए गए आईएसआई मानकों के अनुरूप ह्यूम पाइप के उपयोग की अनुमति महाप्रबंधक भी दे सकता है। डीजीएस एंड डी के परीक्षण का प्रमाण पत्र ऐसी मदों के विरुद्ध भुगतान करने से पहले अभिलेख पर लिया जाएगा। ऐसे प्रकरणों में, संबंधित मदों की दरों का निर्धारित दरों से पांच प्रतिशत कम पर भुगतान किया जाएगा।

135 पैकेजेस में, हमने देखा कि ₹ 11.21 करोड़ मूल्य के गैर-आईएसआई ह्यूम पाइप डीजीएस एंड डी के परीक्षण प्रमाण पत्र के समर्थन के बिना कार्य में उपयोग किए गए थे। हमने आगे देखा कि 135 पैकेजेस में से 61 पैकेजेस (परिशिष्ट 2.19) में, ठेकेदारों को एस.एस.आर. के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए, दरों की निर्धारित पांच प्रतिशत के अनुसार ₹ 29.68 लाख की राशि की कटौती के बिना पूर्ण दर से भुगतान किया गया था।

शाजापुर जिले के मामले में शासन ने बताया कि मामूली मात्राओं के लिए ठेकेदारों से

<sup>55</sup> दिशा निर्देश 2012 की कण्डिका 21.2 और परिचालन मैनुअल की कण्डिका 6.9.6

<sup>56</sup> मुख्य कार्यपालन अधिकारी मध्य प्रदेश ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना संचालित करते हैं

डीजीएस एंड डी के प्रमाण पत्र नहीं लिये जा सके या लेखापरीक्षा के समय ढूँढे नहीं जा सके थे किन्तु अन्य जिलों के संबंध में कोई उत्तर नहीं दिया। आगे यह कहा गया कि पांच प्रतिशत राशि जमा करने के लिए ठेकेदारों को नोटिस जारी किये गये थे।

उत्तर पुष्टि करता है कि एस.एस.आर की शर्तों का पालन पी.आई.यू द्वारा नहीं किया जा रहा था। आई.एस.आई ह्यूम पाइप के मामले में ठेकेदारों के चलित देयक के माध्यम से भुगतान से पांच प्रतिशत राशि की वसूली की जाना चाहिए थी।

(ख) मई 2012 से प्रभावी एसएसआर में, आईएसआई मार्क और गैर-आईएसआई पाइप के लिए अलग दरें दी गई हैं। हमने देखा कि 15 पैकेज (परिशिष्ट 2.20) में, सड़क निर्माण कार्यों में गैर-आईएसआई अंकित पाइप उपयोग किए गए थे लेकिन भुगतान आईएसआई अंकित वाले पाइप की दर से किए गए थे। गैर-आईएसआई मार्क पाइप के लिए दरों की गलत प्रयुक्ति के फलस्वरूप ठेकेदारों को ₹ 39.73 लाख का अतिरिक्त भुगतान हुआ।

शाजापुर और सागर जिलों के प्रकरणों में शासन ने बताया कि कुछ आई.एस.आई प्रमाण पत्र ढूँढे/प्रस्तुत किए गए थे और अन्य पी.आई.यू के प्रकरण में जानकारी एकत्र की जाएगी तथा परीक्षण के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

शाजापुर और सागर जिलों के संबंध में उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह पाइप इस तरह के प्रमाण पत्र के द्वारा समर्थित नहीं था।

**(11) वाटर बाउंड मेकेडम (डब्ल्यू.बी.एम.) ग्रेड II और III का निष्पादन**

ग्रामीण सड़कों के लिए विनिर्देश (धारा 112.3) प्रावधानित करती है कि परिमाण के आधार पर भुगतान के लिए, तैयार बेस-कोर्स (डब्ल्यू.बी.एम.-II और III) की मोटाई की गणना निर्माण से पूर्व के और बाद के लेवल लिए जाने के आधार पर संगणित की जाएगी। आगे, गुणवत्ता नियंत्रण पंजी भाग-1 में, निष्पादन के दौरान लकड़ी के ब्लॉक का उपयोग कर (खुली मात्रा की) गहराई दर्ज करने के लिए एक प्रारूप निर्धारित किया गया है।

विशिष्टियाँ और एसएसआर, निर्दिष्ट करते हैं कि तैयार की गई 75 मिमी कुल मोटाई की

डब्ल्यू.बी.एम.-II और डब्ल्यू.बी.एम.-III प्रत्येक के 1.00 घन मीटर के लिए स्क्रीनिंग सहित खुले एग्रीगेट्स की क्रमशः 1.37 घन मीटर एवं 1.45 घन मीटर मात्रा की आवश्यकता होगी। इसके अलावा, पर्यवेक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण परामर्श (एसक्युसी) के संदर्भ की शर्तों के अनुसार, सलाहकार को कार्य में समाविष्ट सामग्री की मात्रा दर्ज करनी थी।

250 पैकेज के संबंध में, हमारे ध्यान में आया कि डब्ल्यूबीएम ग्रेड II और III का आयतन निर्माण से पहले और बाद के वास्तविक लेवल रिकॉर्ड किए बिना मानक मोटाई द्वारा गणना कर माप पुस्तकों (एमबी) में दर्ज किया गया था। पर्यवेक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण परामर्श सलाहकार द्वारा कार्य के लिए प्राप्त सामग्री को मापने के बजाय रॉयल्टी की गणना के प्रयोजन के लिए डब्ल्यूबीएम की निष्पादित मात्रा के आधार पर माप पुस्तकों में सामग्री की मात्रा दर्ज की जा रही थी।

लेवल रिकॉर्ड न करने, कार्य के सामग्री की अपर्याप्त मात्रा दर्ज करने और संहतिकृत / शिथिल पत्रों को रिकॉर्ड न करने से डब्ल्यूबीएम कोर्स के लिए ₹ 29.20 करोड़ का भुगतान प्रमाणित नहीं किया जा सका।

नमूना जाँच किए 250 पैकेज में पी.आई.यू द्वारा 12.38 लाख घन मीटर डब्ल्यूबीएम ग्रेड II और III निष्पादित की गयी थी जिसके लिए 17.44 लाख घन मीटर सामग्री आवश्यक थी। हमने देखा कि माप पुस्तकों (एम.बी) में दर्ज डब्ल्यू.बी.एम. कोर्स में उपभोगित सामग्री 12.38 लाख घन मीटर थी जिससे केवल 8.79 लाख घन मीटर डब्ल्यू.बी.एम वास्तव में निष्पादित की जा सकी होगी। इस प्रकार, ₹ 29.19 करोड़ रुपये मूल्य के 3.59 लाख घन मीटर डब्ल्यू.बी.एम कोर्स के भुगतान के प्रमाणित नहीं किया जा सका तथा विनिर्दिष्ट की तुलना में कम मोटाई में डब्ल्यूबीएम बिछाये जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

शासन ने बताया कि 10 सेमी डब्ल्यूबीएम के खुली मोटाई को केम्बर प्लेटों और लकड़ी के ब्लॉक रखकर सुनिश्चित की गयी थी और बिछाते समय डब्ल्यूबीएम की सामग्री की शिथिल मोटाई सलाहकार/पी.आई.यू के कर्मचारियों द्वारा सुनिश्चित की गई थी। आगे बताया गया कि भुगतान करने से पहले संघनन और मोटाई की जाँच की गई थी और भुगतान एसएसआर के अनुसार किए गए थे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेवल न तो दर्ज किये गये थे और न ही संहतिकृत/शिथिल मात्रा की मोटाई की जाँच के अभिलेख संघारित थे तथा कार्य में समाविष्ट सामग्री की कुल मात्रा भी विशेष रूप से दर्ज नहीं की गयी थी। भुगतान सैद्धांतिक/मानक मोटाई के आधार पर किए गए थे।

### अनुशंसा

प्राधिकरण को निर्धारित किए गए रूप में सड़क निर्माण कार्यों के माप लेना सुनिश्चित करना चाहिए और कार्य में गुणवत्ता और ठेकेदारों को सही भुगतान के लिए विनिर्देशों के अनुसार सामग्री की आपूर्ति, सुनिश्चित करना चाहिए।

#### 2.2.8.4 सड़कों का रखरखाव


प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार सड़कों का रखरखाव राज्य सरकार द्वारा अपनी निधि का उपयोग कर किया जाएगा। मानक बोली अभिलेख की धारा 32.2.1 के अनुसार, ठेकेदार दोष-दायित्व की अवधि अर्थात् कार्य के पूरा होने की दिनांक से पांच वर्ष के दौरान सड़क के नैतिक रखरखाव के लिए जिम्मेदार है। दोष-दायित्व अवधि समाप्त हो जाने के बाद, अलग अनुबंधों सामान्यतः एम.टी.एन के रूप में संदर्भित के माध्यम से सड़कों का रखरखाव किया जाता है।

एमपीआरआरडीए ने सड़कों के रखरखाव के प्रयोजन हेतु राज्य सरकार के विभिन्न स्रोतों<sup>57</sup> से 2010-15 की अवधि के दौरान ₹ 1,557.23 करोड़ प्राप्त किए थे जैसा नीचे दिए गए चार्ट 4 में विस्तृत रूप में दर्शाया गया है:

<sup>57</sup> राज्य बजट- ₹ 561.02 करोड़, मण्डी बोर्ड- ₹ 735 करोड़, तेरहवाँ वित्त आयोग- ₹ 261.21 करोड़

चार्ट 4 एमपीआरआरडीए द्वारा राज्य सरकार से प्राप्त निधियाँ

(₹ करोड़ में)



(स्रोत: एमपीआरआरडीए द्वारा प्रदत्त आंकड़े)

नमूना जाँच किए गए जिलों में उपलब्ध 406 एमटीएन पैकेज में से 109 पंचवर्षीय उत्तर रखरखाव पैकेज (एम.टी.एन पैकेज) के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान हमारे ध्यान में निम्नलिखित आया :

**(I) पांच वर्षों के पश्चात् रखरखाव कार्य का विलंब से सौंपना**

एमटीएन कार्यों को दिए जाने में विलंब से ₹ 93.30 लाख का परिहार्य व्यय हुआ और दोष दायित्व अवधि के अंत में सड़कों का रखरखाव नहीं किया गया।

दोष दायित्व अवधि के दौरान मूल ठेकेदार को जैसा कि विनिर्देशों में निर्दिष्ट रूप में सड़क को अच्छी हालत में संधारित करना है जिसमें नैतिक रखरखाव भी शामिल है।

हमारे देखा कि 103 पैकेज (परिशिष्ट 2.21) में रख-रखाव कार्य दोष दायित्व की अवधि के पूरा होने के दिनांक से एक माह से 59 माह के विलंब के साथ सौंपे गये थे। विलंब से कार्य दिए जाने से 103 पैकेज में से 33 पैकेज (परिशिष्ट 2.21) में गड्डे हो गए थे और मरम्मत पर ₹ 93.30 लाख का व्यय किया गया था जो परिहार्य था यदि रख-रखाव कार्यों को समय पर सौंपा गया होता।

शासन ने बताया कि दोष दायित्व अवधि के पूरा होने पर तकनीकी और प्रशासकीय स्वीकृति के बाद एजेंसी निर्धारण के लिए निविदाएं बुलायी गई थीं और कभी-कभी एजेंसी निर्धारण के लिए कई बार निविदाएं बुलानी पड़ी थी। इसलिए, कुछ पैकेज में कार्य के ठेके देने में विलंब हुआ था।

तथ्य वही है कि सड़कों का निरंतर रखरखाव सुनिश्चित नहीं किया गया था।

**(II) दोष दायित्व अवधि के दौरान सड़क का रखरखाव न किया जाना**

चार पैकेज<sup>58</sup> में हमने देखा कि दोष दायित्व अवधि समाप्ति पर तत्काल रख-रखाव के कार्य देने के बावजूद, पीआईयू ने रख-रखाव ठेके की प्रारंभिक अवधि के दौरान गड्डे की मरम्मत पर ₹ 11.90 लाख (परिशिष्ट 2.21) का व्यय किया था। चूंकि मूल

<sup>58</sup> 1. खरगोन: एम पी-2218, ₹ 1.05 लाख 2. खरगोन: एम पी-2252, ₹ 1.20 लाख, 3. सागर: एम पी-3325 ₹ 1.27 लाख, 4 सागर : एम पी-3322 ₹ 5.38 लाख

दोष दायित्व अवधि के दौरान मूल ठेकेदारों द्वारा सड़कों का संधारण नहीं किया गया।

ठेकेदार को, दोष दायित्व अवधि के दौरान नियमित रखरखाव करना आवश्यक था इसलिए रख-रखाव ठेके के अंतर्गत तत्काल बाद गढ़दों की मरम्मत पर व्यय किया जाना इंगित करता है कि मूल ठेकेदार द्वारा सड़कों का ठीक से रखरखाव नहीं किया गया था।

शासन ने बताया कि व्यय गढ़दों की मरम्मत के लिए नहीं था बल्कि स्वरूप सुधार के रूप में आवश्यक बिटुमिनस सामग्री की अतिरिक्त मात्रा के लिए किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि हमारे द्वारा इंगित किए गए प्रकरणों में गढ़दों की मरम्मत के माप विशेष रूप से दर्ज किए गए।

### अनुशंसा

प्राधिकरण को सड़कों की निरंतर अच्छी हालत सुनिश्चित करने के लिए दोष-दायित्व अवधि की समाप्ति के दिनांक से पहले सड़कों के रखरखाव के लिए कार्य देने की प्रक्रिया समय पर आरंभ करना सुनिश्चित करना चाहिए।

### 2.2.8.5 पुलों का निर्माण

भारत सरकार द्वारा जारी किए गए (जुलाई 2004 और दिसंबर 2008) निर्देशों के अनुसार, 50 मीटर से अधिक लम्बाई के पुलों की यथानुपात लागत राज्य सरकार द्वारा वहन की जानी थी। इसके अलावा, एनआरआरडीए के निर्देशों (जनवरी 2008) के अनुसार, सम्पर्क सड़कों में पुलों को चौड़ा करने के प्रावधान के साथ स्पष्ट चौड़ाई 4.25<sup>59</sup> मीटर रखी जानी थी। यदि 100 से अधिक मोटर वाहन हों, तो यह 5.5 मीटर होगी।

हमने देखा कि साधिकार समिति ने अपनी 39वीं बैठक (मार्च 2010) में निर्णय लिया कि सभी पुलों का 7.5 मीटर की स्पष्ट चौड़ाई के साथ निर्माण किया जाएगा। यह निर्णय पुलों की स्पष्ट चौड़ाई 5.5/4.25 मीटर रखने के एनआरआरडीए के निर्देशों के अनुरूप में नहीं था। इस प्रकार, पुलों की अतिरिक्त चौड़ाई के कारण अतिरिक्त लागत राज्य सरकार द्वारा वहन की जानी थी। यह 169 पुलों के प्रकरणों में राज्य के खजाने पर ₹ 77.66 करोड़<sup>60</sup> रुपए के परिहार्य अतिरिक्त वित्तीय भार में परिणित हुआ। लेखापरीक्षा के दौरान देखे गये परिहार्य व्यय के कुछ दृष्टांतों पर परिशिष्ट 2.22 में विस्तार से चर्चा की गई है।

शासन ने बताया कि पुलों का निर्माण 50 वर्ष या अधिक के जीवन काल के लिए किया जाता है, भविष्य में यातायात की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए पुलों को चौड़ा करने का कार्य तकनीकी रूप से संभव नहीं है तथा भारी वित्तीय बोझ के साथ चौड़े पुल का पुनर्निर्माण टालने के उद्देश्य से 7.50 मीटर चौड़े पुलों के निर्माण का फैसला किया गया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एनआरआरडीए के परिपत्र भी भविष्य में चौड़ीकरण के

<sup>59</sup> इस अनुदेश से पूर्व यह 4.25 मीटर थी, यदि मोटरचलित वाहन का यातायात प्रतिदिन 100 से कम हो और 5.5 मीटर जहाँ मोटरचलित वाहन का यातायात प्रतिदिन 100 से अधिक हो। पुनरीक्षित अनुदेशों में भी सीधी सड़कों में भी पुल की चौड़ाई 5.5 मीटर होनी थी।

<sup>60</sup> 2010-11 में स्वीकृत, 57 नग ₹ 11.45 करोड़, 2013-14 में स्वीकृत, 112 नग ₹ 66.21 करोड़



लिए पुलों की डिजाइनिंग प्रावधानित करता है तथा इससे संबंधित तकनीकी पहलुओं पर प्रस्तुति या बैठक में चर्चा की जाना बैठक के कार्यवृत्त एवं एजेंडा नोट के अनुसार नहीं पाया गया था। इस प्रकार निर्णय, वास्तविक आवश्यकता के आंकलन पर आधारित नहीं था।

### अनुशंसा

प्राधिकरण को संसाधनों के अधिकतम उपयोग के लिए विनिर्दिष्ट चौड़ाई के अनुसार पुलों के निर्माण के लिए दिए गए दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना चाहिए।

## 2.2.9 निगरानी एवं गुणवत्ता नियंत्रण

### 2.2.9.1 बैठकों का आयोजन नहीं किया जाना

सामान्य सभा तथा कार्यपालक समिति की बैठकें अधिनियम में अपेक्षा के अनुसार आयोजित नहीं की गई थी।

मध्य प्रदेश सोसायटी अधिनियम (एमपीएसआरए) 1973 के अनुसार सोसायटी की आमसभा वर्ष में दो बार और कार्यपालक समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार आयोजित की जाएगी। हमने देखा कि अप्रैल 2010 से मार्च 2015 की अवधि के दौरान आम सभा और कार्यपालक समिति की बैठकें एमपीआरआरडीए के उपनियम में दिए अनुसार आयोजित नहीं की गई थीं जैसा कि नीचे तालिका 2.9 में विवरण दिया गया है:-

तालिका 2.9: आयोजित बैठकों की संख्या

वर्ष	सामान्य सभा की बैठकों की संख्या		कार्यपालक समिति की बैठकों की संख्या	
	आवश्यक	वास्तव में आयोजित	आवश्यक	वास्तव में आयोजित
2010-11	2	1	4	1
2011-12	2	0	4	0
2012-13	2	0	4	0
2013-14	2	0	4	1
2010-15	2	0	4	1

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि 2014-15 को समाप्त पाँच वर्षों के दौरान सामान्य सभा की अपेक्षित 10 बैठकों के स्थान पर केवल एक बैठक 2010-11 में आयोजित हुई थी। इसी प्रकार उस अवधि के दौरान अपेक्षित 20 बैठकों के स्थान पर केवल तीन बैठकें आयोजित हुई थीं। इसने निगरानी प्रणाली को कमजोर और नीति निर्धारण, विशेष रूप से कार्यों की समय पर पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए अंतरविभागीय समन्वय को, प्रभावित किया होगा।

### 2.2.9.2 एस.क्यू.एम के माध्यम से गुणवत्ता नियंत्रण की निगरानी


गुणवत्ता निगरानी के लिए एसक्यूएम के निरीक्षण, शर्तों के अनुसार आयोजित नहीं किए गए और एसक्यूएम द्वारा इंगित किए गए दोषों के सुधार में विलंब थे।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत एक त्रिस्तरीय गुणवत्ता प्रबंधन तंत्र की परिकल्पना की गई है। गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के प्रथम स्तर में परियोजना क्रियान्वयन इकाई द्वारा गुणवत्ता प्रबंधन विचारित है। दूसरे स्तर पर राज्य गुणवत्ता नियंत्रकों (एसक्यूएम) द्वारा कार्यों के नियमित रूप से निरीक्षण के माध्यम से राज्य स्तर पर एक स्वतंत्र गुणवत्ता नियंत्रण के रूप में संरचित तंत्र द्वारा गुणवत्ता प्रबंधन की परिकल्पना की गई। तीसरे स्तर पर एनआरआरडीए द्वारा प्रचालित स्वतंत्र गुणवत्ता प्रबंधन परिकल्पित है, इसलिए यह स्तर एनआरआरडीए द्वारा राष्ट्रीय गुणवत्ता नियंत्रक (एनक्यूएम) के माध्यम से लागू किया जाएगा।

दूसरे स्तर पर, एसक्यूएम द्वारा कार्य पूरा होने के एक माह के भीतर एक निरीक्षण सहित निर्माण के दौरान प्रत्येक कार्य का कम से कम तीन बार निरीक्षण करना आवश्यक है। इस प्रकार एसक्यूएम द्वारा पूर्णता तक कुल तीन निरीक्षण अनिवार्य हैं। परियोजना क्रियान्वयन इकाई में उपलब्ध एसक्यूएम द्वारा निरीक्षणों के अभिलेखों और ऑन लाइन प्रबंधन, निगरानी और लेखांकन प्रणाली (ओएमएमएस) के आंकड़ों की हमारी जांच में निम्नलिखित प्रकट हुआ:

(I) सात जिलों<sup>61</sup> के पीआईयू में 350 पूर्ण की गई सड़कों के अभिलेखों, जहां एस.क्यू.एम. द्वारा निरीक्षण किए गए थे, हमारे द्वारा नमूना जांच की गई। हमने देखा कि 171 सड़कों के प्रकरणों में एस.क्यू.एम. के तीन निरीक्षण निर्धारित प्रावधान के अनुसार थे। परन्तु, 179 सड़कों के प्रकरणों में एस.क्यू.एम. द्वारा निरीक्षणों में कमी थी जो नीचे चार्ट-5 में दिखायी गयी है :

**चार्ट 5: एस.क्यू.एम. द्वारा निरीक्षण की संख्या दर्शाने वाला विवरण**



उपरोक्त से यह देखा जा सकता है नमूना जांच की गई 179 सड़कों (51.14 प्रतिशत) का एसक्यूएम ने कम से कम तीन बार निरीक्षण जैसा निर्धारित था नहीं किया था।

इंगित किए जाने पर शासन ने उत्तर दिया कि नवंबर 2010 से पूर्व एसक्यूएम निरीक्षण की ऑनलाइन प्रबंधन निगरानी और लेखांकन प्रणाली पर ऑनलाइन प्रविष्टि की प्रणाली नहीं थी इसलिए नवंबर 2010 से पहले की प्रविष्टियाँ ऑनलाइन प्रबंधन निगरानी और लेखांकन प्रणाली पर दिखाई नहीं दे रही थीं; अतः ऑनलाइन प्रबंधन निगरानी और लेखांकन प्रणाली पर उपलब्ध प्रविष्टियों और परियोजना क्रियान्वयन इकाई द्वारा उपलब्ध कराए गए वास्तविक निरीक्षण के आंकड़े में कुछ अंतर था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि हमारे द्वारा विश्लेषण किए गए आंकड़े ऑनलाइन प्रबंधन निगरानी और लेखांकन प्रणाली के नहीं थे बल्कि मानवीय रूप से संधारित थे।

(II) दिशा निर्देशों के अनुसार, ऑनलाइन प्रबंधन निगरानी और लेखांकन प्रणाली, कार्यक्रम के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए एक महत्वपूर्ण तंत्र है। लेखापरीक्षा ने एमपीआरआरडीए द्वारा उपलब्ध कराए गए एसक्यूएम निरीक्षण से संबंधित ऑनलाइन प्रबंधन निगरानी और लेखांकन प्रणाली में प्रविष्टित आंकड़ों की तुलना परियोजना क्रियान्वयन इकाई द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के साथ की। हमने पाया कि 330 सड़कों जिनके आंकड़े उपलब्ध थे, में से 269 सड़कों के प्रकरणों में आंकड़ों में 14 प्रतिशत से लेकर 400 प्रतिशत तक असमानता थी। अतः यह स्पष्ट है कि परियोजना

<sup>61</sup> अशोकनगर, बालाघाट, दतिया, झाबुआ, खरगोन, रतलाम, और सागर

क्रियान्वयन इकाई ने आन लाइन प्रबंधन के लिए एसक्यूएम के निरीक्षणों के संबंध में वास्तविक समय पर और शुद्ध आंकड़े प्रस्तुत करना, सुनिश्चित नहीं किया था।

शासन ने उत्तर में बताया कि कभी-कभी ऑनलाइन निगरानी प्रणाली में कार्यात्मक समस्या आयी और इस वजह से राज्य गुणवत्ता निगरानी कर्ताओं उनके निरीक्षणों की प्रविष्टि ऑनलाईन करने में समर्थ नहीं थे; इसलिए आंकड़ों में कुछ भिन्नता थी। आगे यह बताया गया कि एमपीआरआरडीए के गुणवत्ता निगरानी कर्ताओं द्वारा पर्याप्त और आवश्यक निरीक्षण किये गये थे।

उत्तर आँकड़ों में भिन्नता के लेखापरीक्षा के अवलोकन की पुष्टि करता है।

(III) हमने देखा कि नवंबर 2010 से मार्च 2015 के बीच की अवधि के दौरान एस.क्यू.एम. द्वारा 68 सड़कों को असंतोषजनक वर्गीकृत किया गया था उनमें से 31 का उन्नयन किया गया था। सुधारी गई 31 सड़कों में से 19 सड़क छह महीने के भीतर सुधारी गयी, जबकि 12 सड़कें 38 महीने में सुधारी गई थीं। तथापि, 37 असंतोषजनक सड़कें छह महीने से अधिक 47 महीने तक की अवधि बीत जाने के बाद भी सुधारी नहीं जा सकी थीं।

### अनुशंसा

प्राधिकरण को, सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य गुणवत्ता निगरानी कर्ता (एसक्यूएम) निर्धारित मानदंडों के अनुसार सड़कों का निरीक्षण करे और अच्छी गुणवत्ता की सड़कें उपलब्ध कराने के लिए त्रुटियों का शीघ्र सुधार हो।

#### 2.2.10 निष्कर्ष और अनुशंसाएं

- स्वीकृत लागत के विरुद्ध निविदा प्रीमियम और लागत आधिक्य के घटक, एमपीआरआरडीए द्वारा समय पर संगणित और समायोजित नहीं किये जा रहे थे।

शासन को, अधिकांशतः पूर्ण किए गए पैकेज के संबंध में लागत आधिक्य/बचतों और निविदा प्रीमियम का आंकलन करने के बाद समयबद्ध रूप से अपने हिस्से की निधियाँ उपलब्ध कराने के लिए, कदम उठाने चाहिए।

- योजना के क्रियान्वयन के 14 वर्षों के बाद भी 500 से अधिक जनसंख्या वाली 3,388 पात्र बसाहटों को अभी भी संबद्ध किया जाना था। योजना के अंतर्गत सड़को की आयोजना में सड़कों की त्रुटिपूर्ण लंबाई का प्रावधान एवं कोर नेटवर्क में संरक्षण, "ट्रांसेक्ट वाक" आयोजित न करने, जिला पंचायत द्वारा वार्षिक आधार पर सड़कों का अनुमोदन नहीं करने, उपयोगिताओं का स्थानांतरण न करने इत्यादि के कारण कमियाँ थीं। डी.पी.आर. सटीक और यथार्थवादी नहीं थीं क्योंकि निष्पादित मात्राओं में बड़ी भिन्नताएं थीं और मदों के प्रतिस्थापन थे।

शासन को वांछित सड़क संपर्क के लिए यथार्थवादी डीपीआर तैयार करने हेतु विस्तृत सर्वेक्षण/अनुसंधान एवं "ट्रांसेक्ट वाक" का आयोजन तथा अभिलेखीकरण सुनिश्चित करना चाहिए।

- कार्यों के निष्पादन में विलंब था और वन विभाग की स्वीकृति, भूमि विवाद, अन्य विभागों के साथ समन्वय न होना इत्यादि के कारण कार्य बाधित हुए थे।

प्राधिकरण को सड़क निर्माण कार्यों का समय पर पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करने के लिए, खनन अनुमति प्राप्त करने, भूमि और सामग्री की उपलब्धता में आ रही बाधाओं को दूर करने में ठेकेदारों के सुविधा देने के लिए कदम उठाना चाहिए।

- एम.पी.आर.आर.डी.ए. ने, ठेकेदारों की ओर से विलंबों की सीमा तय करने के बजाय, ठेका मूल्य/ किए गए कार्य के मूल्य के कुछ प्रतिशत में निर्णीत हर्जाने की राशि का निर्णय किया; इस प्रकार निर्णीत हर्जाना आरोपण के प्रकरण ठेके के प्रावधान से परे निर्णीत किये गये थे।

प्राधिकरण को कार्यों के पूरा होने में ठेकेदारों पर आरोपणीय विलंब की सीमा तय करनी चाहिए और विलंबों के आधार पर अनुबंधों के प्रावधान के संदर्भ में निर्णीत हर्जाना अधिरोपित करना चाहिए।

- त्रुटिपूर्ण भुगतान, विशिष्टियों से परे सामग्री का उपयोग, अतिरिक्त लागत, ठेकेदारों से वसूली योग्य राशि की कम/वसूली न होने, बीमा नहीं करने, इत्यादि के दृष्टांत देखे गये थे।

प्राधिकरण को सामग्री की आपूर्ति और विशिष्टियों के अनुसार सड़क निर्माण कार्य के माप लिए जाना सुनिश्चित करना चाहिए। प्राधिकरण को देनदारों के अभिलेखों का संधारण और अद्यतनीकरण सुनिश्चित करना चाहिए और ठेकेदारों से वसूली योग्य राशि पर अनुवर्ती कार्रवाई और प्राप्तियों पर नियंत्रण करना चाहिए।

- पंचवर्षीय पश्चात-रखरखाव कार्यों के लिए ठेके समय पर नहीं दिए गए थे।

प्राधिकरण को सड़कों की निरंतर अच्छी हालत सुनिश्चित करने के लिए दोष दायित्व अवधि की समाप्ति के दिनांक से पहले सड़कों के रखरखाव के लिए कार्य देने की प्रक्रिया समय पर आरंभ करना सुनिश्चित करना चाहिए।

- पुलों की चौड़ाई, तकनीकी आवश्यकता और मितव्ययिता को ध्यान में रख कर निर्धारित नहीं किए जा रहे थे।

प्राधिकरण को, राज्य की विशेषज्ञ एजेंसी द्वारा लंबे स्पान के पुलों के निर्माण के लिए, दिशा निर्देशों का पालन तथा संसाधनों के अधिकतम उपयोग के लिए विनिर्दिष्ट चौड़ाई के अनुसार पुलों का निर्माण सुनिश्चित करना चाहिए।

- कार्य की गुणवत्ता आकलन के लिए निर्धारित मानदंडों के अनुसार राज्य गुणवत्ता निगरानी कर्ताओं (एस.क्यू.एम.) के माध्यम से गुणवत्ता की निगरानी नहीं की जा रही थी और त्रुटियों के सुधार में विलंब था।

प्राधिकरण को, सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य गुणवत्ता निगरानीकर्ता (एस.क्यू.एम) निर्धारित मानदंडों के अनुसार सड़कों का निरीक्षण को और अच्छी गुणवत्ता की सड़कों उपलब्ध कराने के लिए जल्द से जल्द त्रुटियों का सुधार हो।

## किसान कल्याण तथा कृषि विकास, वन एवं जल संसाधन

### 2.3 बुन्देलखण्ड सूखा राहत पैकेज का मध्य प्रदेश में क्रियान्वयन

#### कार्यपालन सारांश

राज्य के बुन्देलखंड क्षेत्र में छतरपुर, दमोह, दतिया, पन्ना, सागर एवं टीकमगढ़ जिले समाहित हैं। गंभीर सूखा परिस्थिति एवं क्षेत्र में जनता के जनजीवन पर इसके प्रभाव को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 11 वीं योजना अवधि के अंत तक, नदी प्रणाली के उपयोग के माध्यम से जल संसाधनों के अधिकतम उपयोग सिंचाई सुविधाओं, वेयर हाउसिंग एवं विपणन अधोसंरचना का विकास एवं वन क्षेत्र में वाटरशेड ट्रीटमेंट की उद्देश्यों के साथ एक विशेष बुन्देलखंड सूखा राहत पैकेज (बी.डी.एम.पी.) अनुमोदित किया (दिसम्बर 2009)।

मध्य प्रदेश में जल संसाधन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास एवं वन विभागों द्वारा 2009-10 से 2014-15 के दौरान बुन्देलखंड सूखा राहत पैकेज के कार्यान्वयन पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा में निम्न प्रकट हुआ:

- योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा 11वीं योजना अवधि के लिए मध्य प्रदेश हेतु ₹ 3,760 करोड़ हेतु एक विशेष पैकेज जिसमें अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (ए.सी.ए.) के ₹ 1,953.20 करोड़ सम्मिलित थे, की घोषणा की (दिसम्बर 2009)। बी.डी.एम.पी. हेतु योजना आयोग ने, 12वीं योजना अवधि के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के ₹ 1854.50 करोड़ राज्य के लिए निश्चित किये गये।

(कंडिका 2.3.1)

#### जल संसाधन विभाग

- बी.डी.एम.पी. के अंतर्गत 177 योजनाओं/ परियोजनाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से 2.16 लाख हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता के सृजन हेतु जल संसाधन विभाग को ₹ 1,581 करोड़ आवंटित किए गए, जिसके विरुद्ध मार्च 2015 तक, ₹ 1,098.86 करोड़ व्यय करने के पश्चात 1.14 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता प्राप्त की जा सकी थी।

(कंडिका 2.3.7)

- दतिया एवं टीकमगढ़ जिलों के 45,536 हेक्टेयर कमान क्षेत्र के विकास के कार्य, राजघाट परियोजना के अंतर्गत प्रारंभ किया गया जिसके लिए बी.डी.एम.पी. के अंतर्गत ₹ 50 करोड़ आवंटित किए गए थे। तथापि, ₹ 56.11 करोड़ की लागत से 22,624 हेक्टेयर कमान क्षेत्र विकसित किया जा सका था। आगे, ₹ 56.11 करोड़ के कुल व्यय में से, ₹ 11.54 करोड़ की राशि भिण्ड एवं शिवपुरी जिलो, जो बुन्देलखंड क्षेत्र के बाहर थे, में व्यय की गई थी।

(कंडिका 2.3.7.1)

- बी.डी.एम.पी. के अंतर्गत ₹ 117.08 करोड़ की अतिरिक्त निधि, बरियारपुर बांयी तट नहर (एल.बी.सी.) को 11वीं योजना अवधि तक पूर्ण करने के उद्देश्य से परिपूरित की गई थी। तथापि, मुख्य नहर में लाइनिंग, मुख्य नहर में 12 संख्या में संरचनाएं, वितरण प्रणाली के मिट्टी कार्य एवं वितरण प्रणाली की लाइनिंग अब तक पूर्ण होने थी।

हमने, कार्य को बढ़े हुए प्राक्कलनों के आधार पर सौंपे जाने के कारण, ₹ 15.83 करोड़ के अतिरिक्त व्यय को भी अवलोकित किया।

(कंडिका 2.3.7.2)

● सिंहपुर परियोजना, जो छतरपुर जिले में 12,474 हेक्टेयर को सिंचित करने के लिए अभिप्रेत थी, को 2012-13 तक पूर्ण करने के उद्देश्य से अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के ₹ 100 करोड़ आवंटित किए गए थे। तथापि, इसकी वितरण प्रणाली का महत्वपूर्ण भाग रूपांकन मानदण्डों में बार-बार बदलावों के कारण मार्च 2015 तक अपूर्ण था।

(कंडिका 2.3.7.3)

● विभाग ने 167 लघु सिंचाई योजनाओं पर मार्च 2015 तक ₹ 708.13 करोड़ व्यय किए थे। इनमें से 135 लघु सिंचाई योजनाएं पूर्ण हुई थीं एवं 37,028 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित हुई थी। योजनाओं के चयन में बार-बार बदलाव के परिणामस्वरूप कार्यों के प्रारंभ करने के साथ साथ कार्यों की पूर्णता में विलंब हुए थे। आगे, भू अर्जन प्रक्रिया को विलंब से प्रारंभ करने के परिणामस्वरूप योजनाओं की पूर्णता में विलम्ब हुए।

(कंडिका 2.3.7.4 (I))

#### किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

● किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग ने ₹ 478.26 करोड़ की लागत से 5.34 लाख मीट्रिक टन (मी.टन) की भंडारण क्षमता सृजित की। बी.डी.एम.पी. के अंतर्गत 76,800 मी.टन क्षमता वाली 27 विपणन संरचनाएँ (मिनी मंडियाँ) ₹ 80.14 करोड़ के व्यय के पश्चात निर्मित की गई थी। ये मिनी मंडियाँ प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पी.ए.सी.एस.) द्वारा संचालित किया जाना परिकल्पित था, तथापि ये अक्टूबर 2015 तक पी.ए.सी.एस. को सौंपी नहीं जा सकी थी।

(कंडिकाएं 2.3.8 एवं 2.3.8.1)

● भंडारण एवं विपणन अधोसंरचना के ₹ 222.14 करोड़ की लागत के कार्यों के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी.पी.आर.) स्थल विशिष्ट की आवश्यकता के आधार पर होने के बजाए एक जैसे आरेखों के आधार पर थे। इसके परिणामस्वरूप क्रियान्वयन के समय कार्यों की मदों में अत्यधिक विचलन हुए।


(कंडिका 2.3.8.2 (I))

#### वन विभाग

● वन विभाग ने बी.डी.एम.पी. के अंतर्गत मार्च 2015 तक वाटरशेड क्षेत्र में मृदा नमी एवं संरक्षण (एस.एम.सी.) कार्यों के लिए ₹ 322 करोड़ की परियोजना लागत के विरुद्ध ₹ 158.69 करोड़ व्यय किए। तथापि, एस.एम.सी. कार्यों के 2.88 लाख हेक्टेयर के लक्षित क्षेत्र के विरुद्ध 12वीं योजना अवधि के दौरान भारत सरकार द्वारा निधियों के कम विमुक्त किए जाने के कारण 1.39 लाख हेक्टेयर क्षेत्र ही पूर्ण किए जा सके।

(कंडिकाएं 2.3.9 एवं 2.3.9.1)

### 2.3.1 प्रस्तावना



बुन्देलखण्ड क्षेत्र में राज्य के छतरपुर, दमोह, दतिया, पन्ना, सागर और टीकमगढ़ जिले शामिल हैं। गंभीर सूखे के स्थिति और इस क्षेत्र के लोगों की रोजी-रोटी पर उसके प्रभाव को ध्यान रखते हुए भारत सरकार ने राज्य के साथ 11 वीं योजना अवधि में लागू किए जाने के लिए ₹ 3,760 करोड़ की एक विशेष बुन्देलखण्ड सूखा राहत पैकेज (बीडीएमपी) की मंजूरी (दिसंबर 2009) इस उद्देश्य के साथ दी कि नदी प्रणाली के द्वारा जल संसाधनों का अधिकतम उपयोग, सिंचाई सुविधाओं का विकास, भंडारण और विपणन अधोसंरचनाएं (इन्फ्रास्ट्रक्चर) तथा वन क्षेत्र में जल ग्रहण उपचार हो। इस विशेष पैकेज

की राशि ₹ 3,760 करोड़ में ₹ 1,953.20 करोड़ की राशि अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में सम्मिलित थी। पैकेज की शेष राशि की पूर्ति चल रही केन्द्र क्षेत्र एवं केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं से परिकल्पित की गई थी। बीडीएम को पिछड़े बुन्देलखण्ड क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करने के लिए 12 वीं योजना अवधि के दौरान भी जारी रखा और भारत सरकार ने राज्य के लिए ₹ 1884.50 करोड़ की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता निश्चित की।

### 2.3.2 बीडीएमपी के कार्यान्वयन के लिए संगठनात्मक संरचना

योजना आयोग ने कार्यान्वयन के लिए परियोजना प्रस्तावों को बनाने के लिए संबंधित कार्यान्वयन एजेन्सी की पहचान करने के लिए राज्य को निर्देश दिए। प्रस्तावों की जांच और परियोजनाओं की स्वीकृति के लिए राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण (एनआरएए), योजना आयोग था।

बीडीएमपी के तहत कार्यों के निष्पादन के लिए राज्य सरकार ने छः विभागों को निर्दिष्ट किया था। इन विभागों में सिंचाई कार्य के लिए जल संसाधन, पानी उठाने के कार्य के लिए ग्रामीण अभियांत्रिकी सेवाएं (आरईएस), भण्डार/विपणन के बुनियादी ढांचों के विकास के लिए किसान कल्याण एवं कृषि विकास (एफडब्ल्यू एवं एडी), मिट्टी की नमी और संरक्षण (एसएमसी) के लिए वन, डेयरी के मजबूतीकरण के लिए पशुपालन एवं जल आपूर्ति योजनाओं के लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (पीएचई) हैं।

अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता जारी करने के लिए, कार्यान्वयन विभाग बीडीएमपी के अंतर्गत परियोजनाओं का एक सार तैयार कर राज्य शासन का अनुमोदन प्राप्त करेंगे। परियोजनाओं के अनुमोदित सार परीक्षण के लिए एनआरएए को प्रस्तुत किए जाएंगे। परीक्षण के पश्चात् एनआरएए ने अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता जारी करने के लिए योजना

आयोग को परियोजनाओं की सिफारिश करेगा ।

शासन स्तर पर बीडीएम के तहत परियोजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी करने के लिए मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन की अध्यक्षता में एक साधिकार समिति का गठन (फरवरी 2010) किया गया । जल संसाधन, ग्रामीण यांत्रिकी, किसान कल्याण एवं कृषि विभाग वन, पशुपालन तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभागों के प्रमुख सचिव समिति में शामिल थे । मुख्य अभियंता, कार्यपालन यंत्री, वन मण्डल अधिकारी जिला स्तर पर परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार थे ।

### 2.3.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा निम्नलिखित उद्देश्यों के मूल्यांकन करने के लिए थी क्या:

- बीडीएमपी के तहत स्वीकृत परियोजनाओं/योजनाओं/कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए योजना पर्याप्त थी,
- वित्तीय प्रबंधन एवं धन का उपयोग प्रभावी और किफायती था,
- परियोजनाओं/योजनाओं/कार्यक्रमों को निम्नलिखित के लिए कुशलता से लागू किया गया:
  - (I) जल संचयन एवं नदी प्रणाली के उचित उपयोग के द्वारा जल संसाधनों का अधिकतम उपयोग,
  - (II) खाद्यान्न की भण्डारण क्षमता का निर्माण तथा
  - (III) वन क्षेत्र की मिट्टी की नमी और संरक्षण के कार्य के निष्पादन

### 2.3.4 लेखापरीक्षा मापदण्ड

लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्न से व्युत्पन्न मानदण्डों पर आधारित थे:

- मध्य प्रदेश निर्माण विभाग (एमपीडब्ल्यूडी) नियमावली, भण्डारण नियमावली, नियमावली, वन अधिनियम तथा वन नियम,
- परियोजनाओं प्रस्तुत करने, मूल्यांकन और स्वीकृति के लिए राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण, योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा दिशा निर्देश,
- सिंचाई कार्य, भवन निर्माण कार्य, सड़क निर्माण कार्य के लिए भारतीय मानक विशिष्टता कोड,
- जल संसाधन विभाग के कार्यों लिए एकीकृत दर अनुसूची (यूएसआर), तकनीकी परिपत्र एवं विभागों द्वारा समय-समय पर जारी अन्य आदेश,
- मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता एवं वित्तीय नियम, मध्य प्रदेश क्रय नियम और कोषालय संहिता, केन्द्रीय लोक निर्माण कार्य लेखा (सीपीडब्ल्यूए) संहिता और
- ठेकेदारों के साथ अनुबंधों के नियम एवं शर्तें ।



### 2.3.5 लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं कार्यप्रणाली

जल संसाधन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास तथा वन विभाग द्वारा बीडीएमपी के कार्यान्वयन को निष्पादन लेखापरीक्षा में शामिल किया गया। 11वीं योजना अवधि में इन तीनों विभागों के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत राशि ₹ 1,562.50 करोड़ चिन्हित की गई थी जो कुल अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता का 80 प्रतिशत थी। बीडीएमपी के लिए 12वीं योजना अवधि में इन विभागों के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से राशि ₹ 910 करोड़ चिन्हित थी जो कुल अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता का 67 प्रतिशत थी। (परिशिष्ट 2.23) मार्च 2015 तक इन तीनों विभागों द्वारा बीडीएमपी के कार्यान्वयन के लिए आवंटित अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता में से राशि ₹ 1,814.75 करोड़ व्यय किया गया था जैसा कि विस्तृत विवरण तालिका 2.10 में दिया गया है।

हमारे द्वारा बुन्देलखण्ड क्षेत्र के सभी छः जिलों में बीडीएमपी के तहत तीनों विभागों द्वारा योजना एवं निष्पादित कार्यों के कार्यान्वयन से संबंधित लेन-देनों के अवधि 2009-10 से 2014-15 के अभिलेखों की छानबीन की गई।

लेखापरीक्षा उद्देश्यों, मानदण्ड और तरीकों को मध्य प्रदेश के जल संसाधन, किसान कल्याण तथा कृषि विभाग एवं वन विभागों के प्रमुख सचिवों के साथ प्रवेश सम्मेलन में क्रमशः 22 जनवरी 2015, 23 फरवरी 2015 एवं 27 मार्च 2015 को विचार किया गया। मसौदा प्रतिवेदन शासन को अगस्त 2015 में प्रेषित किया गया था जिस पर शासन की प्रतिक्रिया वन तथा किसान कल्याण तथा कृषि विभागों के संबंध में क्रमशः अक्टूबर 2015 एवं नवंबर 2015 में प्राप्त की गई थी।

लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर तीनों विभागों के प्रमुख सचिवों/अतिरिक्त मुख्य सचिव के साथ क्रमशः 12 अक्टूबर 2015 (वन विभाग), 29 अक्टूबर 2015 (किसान कल्याण एवं कृषि विभाग) तथा 5 एवं 18 नवंबर 2015 (जल संसाधन विभाग) को आयोजित निर्गम सम्मेलन के दौरान विचार-विमर्श किया गया। शासन के उत्तरों एवं निर्गम सम्मेलन के दौरान व्यक्त किए गए विचारों को प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया।

### 2.3.6 वित्तपोषण ढांचा

ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान बीडीएमपी के अंतर्गत कार्य प्रारंभ किए जाने के लिए योजना आयोग ने राज्य बजट के माध्यम से किस्तों में अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता को जारी किया। बुन्देलखण्ड क्षेत्र की ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान चल रही परियोजनाओं को पूर्ण करने एवं नई योजनाओं को लेने के लिए बारहवीं योजना अवधि में भारत सरकार द्वारा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता को जारी रखा गया था। तीनों विभागों द्वारा बीडीएमपी के कार्यान्वयन पर मार्च 2015 तक किए गए व्यय, परियोजनाओं की लागत, भारत सरकार द्वारा आवंटित अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता एवं विभागों द्वारा जारी अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता को तालिका 2.10 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.10 : विभागवार परियोजनाओं की लागत, भारत सरकार द्वारा आवंटित अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता एवं मार्च 2015 तक विभागों को जारी अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता तथा व्यय (₹ करोड़ में)

विभाग का नाम	परियोजनाओं की कुल लागत	भारत सरकार द्वारा आवंटित अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	विभागों को जारी अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से व्यय
<b>11 वीं योजना अवधि (2007-2012)</b>				
जल संसाधन विभाग	1118.00	881.00	878.16	879.96
किसान कल्याण एवं कृषि विकास	980.00	574.50	574.50	558.40
वन विभाग	242.00	107.00	106.54	106.54
<b>योग</b>	<b>2,340.00</b>	<b>1,562.50</b>	<b>1,559.20</b>	<b>1,544.90</b>
<b>12 वीं योजना अवधि (2012-2017)</b>				
जल संसाधन विभाग	938.70	700.00	193.50	218.90
किसान कल्याण एवं कृषि विकास	130.00	130.00	21.56	21.56
वन विभाग	80.00	80.00	29.39	29.39
<b>योग</b>	<b>1,148.70</b>	<b>910.00</b>	<b>244.45</b>	<b>269.85</b>
<b>महायोग</b>	<b>3,488.70</b>	<b>2,472.50</b>	<b>1,803.65</b>	<b>1,814.75</b>

(स्रोत : विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी)

### लेखापरीक्षा निष्कर्ष

बीडीएमपी के तहत कार्यक्रम के कार्यान्वयन में कमियों की अनुवर्ती कंडिकाओं में विभागवार चर्चा की गई है।

### 2.3.7 जल संसाधन विभाग में कार्यक्रम का कार्यान्वयन

जल संसाधन विभाग राज्य में जल संसाधनों का बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए प्रमुख एजेन्सी है। जैसा की बीडीएमपी में परिकल्पित था, विभाग ने राजघाट नहर प्रणाली में कमाण्ड क्षेत्र का विकास, पूर्ण/चल रहे बरियारपुर परियोजना, सिंगपुर बैराज परियोजना एवं लघु सिंचाई योजनाओं, तालाबों, टैंक एवं नहरों की मरम्मत/नवीनीकरण/बहाली तथा नई मध्यम सिंचाई योजनाओं एवं लघु सिंचाई योजनाओं<sup>62</sup> का निर्माण, की योजना की। मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार योजना और इन परियोजनाओं की उपलब्धि का संक्षेप तालिका 2.11 में दिया गया है।

तालिका 2.11 : मार्च 2015 की स्थिति में चरणवार लक्ष्य, उपलब्धि, जल संसाधन विभाग को आवंटित अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता एवं व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

चरण	परियोजनाओं/योजना के विवरण	योजना/परियोजनाओं की संख्या	सिंचाई क्षमता के लक्ष्य	प्राप्ति	जल संसाधन विभाग को आवंटित अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	व्यय
11 वीं योजना (2007-12)	राजघाट परियोजना (वृहद <sup>63</sup> परियोजना)	1	45536	22624	50	35.09
	बरियारपुर परियोजना (वृहद परियोजना)	1	43850	43850	117	117.08
	सिंगपुर बैराज (मध्यम परियोजना)	1	12474	0	100	74.05
	चल रही परियोजनाएँ (लघु परियोजनाएँ)	49	16785	11759	125	147.57

<sup>62</sup> 2,000 हेक्टेयर एवं 10,000 हेक्टेयर के बीच कमाण्ड क्षेत्र होने पर परियोजनाओं को मध्यम परियोजना तथा उन परियोजनाओं को जिनका कमाण्ड क्षेत्र 2,000 से कम हो, उनको लघु सिंचाई योजना कहा जाता है।

<sup>63</sup> 10,000 हजार से अधिक कमाण्ड क्षेत्र वाली परियोजनाओं को वृहद परियोजना कहा जाता है।

चरण	परियोजनाओं/योजना के विवरण	योजना/परियोजनाओं की संख्या	सिंचाई क्षमता के लक्ष्य	प्राप्ति	जल संसाधन विभाग को आवंटित अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	व्यय
	नवीन परियोजनाएँ (लघु परियोजनाएँ)	97	31749	25269	397	459.33
	योजनाओं की मरम्मत, नवीनीकरण एवं बहाली	03	24391	10000	92	46.84
12 वीं योजना (2012-17)	तीन मध्यम परियोजनाएँ	3	29552	0	456.47	117.67
	21 नवीन परियोजनाएँ (लघु परियोजनाएँ)	21	12153	499	203.53	101.23
	काड़ा कार्य (वृहद परियोजना)	1	लागू नहीं	लागू नहीं	40	0
	<b>योग</b>	<b>177</b>	<b>2,16,490</b>	<b>1,14,001</b>	<b>1,581</b>	<b>1,098.86</b>

(स्रोत : प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी)

11वीं योजना अवधि के तहत परियोजनाओं को मार्च 2012 के अंत तक पूर्ण किया जाना था। तथापि, सिंगपुर बैराज में कोई सिंचाई क्षमता निर्मित नहीं की गई थी तथा अपूर्ण कार्यों के कारण राजघाट परियोजना में मार्च 2015 तक यह 50 प्रतिशत थी। अपूर्ण बरियारपुर परियोजना के मामले में 100 प्रतिशत सृजन सिंचाई क्षमता प्रतिवेदित थी। 11वीं योजना अवधि के दौरान पूर्ण करने के लिए 146 चल रही एवं नवीन लघु परियोजनाओं<sup>64</sup> के लक्ष्य के विरुद्ध 135 परियोजनाएँ<sup>65</sup> ही मार्च 2015 तक पूर्ण की गई थी। 12वीं योजना अवधि में अनुमोदित में से कोई भी योजना पूर्ण नहीं की गई थी।

हमने आगे देखा कि छ: जिलों के जल संसाधन संभागों द्वारा वित्तीय वर्ष 2010-11 से 2014-14 के दौरान कुल व्यय ₹ 2,045.11 करोड़ किए गए थे, जिसमें ₹ 1,098.86 करोड़ बीडीएमपी के अंतर्गत 53.73 प्रतिशत अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से था। बीडीएमपी के अंतर्गत मार्च 2015 तक विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य 2,16,490 हेक्टेयर के विरुद्ध कुल 1,14,001 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता ही निर्मित की जा सकी थी, जो कि लक्ष्य का 52.66 प्रतिशत थी। हमने विश्लेषण किया कि 12वीं योजना अवधि के लिए निधि की कम उपलब्धता, योजनाओं के चयन में बार-बार परिवर्तन तथा निविदाओं को बुलाने में देरी, उपलब्धि में कमी के मुख्य कारण थे। जल संसाधन विभाग द्वारा बीडीएमपी के कार्यान्वयन में कमियों की अनुवर्ती कड़िकाओं में चर्चा की गई है।

### 2.3.7.1 राजघाट परियोजना के कार्यों का निष्पादन

राजघाट परियोजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार की बेतवा नदी पर एक अंतर्राज्यीय बहु-उद्देशीय परियोजना है। परियोजना की नहर प्रणाली जिसमें वितरिकाएँ, लघु एवं उप लघु शामिल थी, 2006 में पूर्ण कर ली गई थी। राजघाट नहर प्रणाली के कुल 1,64,789 हेक्टेयर कमाण्ड क्षेत्र में से मध्य प्रदेश में 1,02,749 हेक्टेयर (दतिया में 99,366 हेक्टेयर एवं टीकमगढ़ जिले में 3,383 हेक्टेयर) बुन्देलखण्ड क्षेत्र में निहित है। चूँकि बुन्देलखण्ड क्षेत्र में परियोजना की कुल सिंचाई क्षमता 1,02,749 हेक्टेयर, नहर में भारी रिसाव, नहर प्रोफाइल का विघटन तथा फिसलन एवं अवसादन के कारण हासिल नहीं की गई थी, दतिया एवं टीकमगढ़ जिलों के 45,536 हेक्टेयर कमाण्ड क्षेत्र का विकास बीडीएमपी में लिया गया था।

<sup>64</sup> इन योजनाओं के लिए अनुबंध 9 महीनों से 24 महिनों में पूर्ण होने की निर्धारित अवधि के साथ सौंपे गये थे।

<sup>65</sup> चालू योजना : 45 एवं नई योजना : 90

राजघाट परियोजना के लक्षित कमाण्ड क्षेत्र विकास कार्यों का रु 50 करोड़ के कुल आवंटन की तुलना में अधिक व्यय के बाद भी केवल 50 प्रतिशत कार्य ही पूर्ण किया गया था ।

(I) परियोजना की भौतिक तथा वित्तीय प्रगति

बीडीएमपी के अंतर्गत, कमाण्ड क्षेत्र विकास को 2012-13 तक पूर्ण करने के लक्ष्य के साथ ₹ 50 करोड़ आवंटित (फरवरी 2010) किये गये थे । इसके विरुद्ध ₹ 56.11 करोड़ लागत के मात्र 22,624 हेक्टेयर में ही कमाण्ड क्षेत्र विकास कार्य पूर्ण (सितंबर 2015) किया गया है जो ₹ 6.11 करोड़ का अतिरिक्त व्यय को इंगित करता है जबकि केवल 50 प्रतिशत कार्य पूर्ण थे। अतः मार्च 2012 तक पूर्ण सिंचाई क्षमता को पूरा नहीं किया गया था ।

(II) कार्य के निष्पादन में कमियां

इस परियोजना पर ₹ 56.11 करोड़ के कुल खर्च में से भिण्ड एवं शिवपुरी जिलों में कमाण्ड क्षेत्र विकास के निर्माण कार्यों के लिए ₹ 11.54 करोड़ जल उपभोक्ता संस्था<sup>66</sup> को दिए गए थे। कार्य का निष्पादन अनियमित था, क्योंकि भिण्ड एवं शिवपुरी जिले बुन्देलखण्ड क्षेत्र के बाहर थे।

शासन ने बताया (अक्टूबर 2015) कि दतिया एवं टीकमगढ़ जिले प्रणाली के मध्य एवं अंत में स्थित हैं अतः प्रारंभिक क्षेत्रों में काम किया जाना था ।

उत्तर स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता का प्रावधान बुन्देलखण्ड क्षेत्र के दतिया एवं टीकमगढ़ जिलों के लिए था अतएव क्षेत्र के बाहर के कार्य राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण की विशेष मंजूरी के बिना अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता निधि से नहीं किया जाना था।

2.3.7.2 बरियारपुर बायीं तट नहर परियोजना के कार्यों का निष्पादन

राज्य में बरियारपुर बायीं तट नहर परियोजना से 38,990 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई परिकल्पित है। परियोजना में कुटनी बांध एवं बरियारपुर बायीं तट नहर प्रणाली का निर्माण निहित था जिसे 1978-79 में निर्माण हेतु लिया गया था जो कि 2009-10 में अपूर्ण था। इसलिए इसकी पूर्णता को प्राप्त करने लिये बीडीएमपी के अंतर्गत इस परियोजना की योजना (दिसंबर 2009) बनाई गई थी ।

(I) परियोजना की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति मध्य प्रदेश शासन द्वारा परियोजना की लागत को संशोधित (फरवरी 2013) करके ₹ 545.90 करोड़ कर दिया गया था । मार्च 2015 तक इस परियोजना पर ₹ 559.13 करोड़ व्यय किये गये थे जिसमें ₹ 117.08 करोड़ अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से थे। मार्च 2015 तक कुटनी बांध 99 प्रतिशत पूरा हो गया था । बरियारपुर बायीं तट नहर प्रणाली की पूर्णता की स्थिति मार्च 2015 तक का विस्तृत विवरण तालिका 2.12 में दर्शाया गया है :

तालिका 2.12 : मुख्य एवं वितरण नहर में निष्पादित कार्य का विवरण

बरियारपुर बायीं तट नहर के घटक	इकाई	लक्ष्य	प्राप्ति	प्राप्तियों का प्रतिशत
मुख्य नहर का मिट्टी कार्य	घनमी.	7706000	7777000	100.92
मुख्य नहर की लाईनिंग	किमी	79	71	89.87
मुख्य नहर के संरचनाएं	संख्या	169	157	92.90

बरियारपुर परियोजना सभी मामलों में पूर्ण नहीं की जा सकी हालांकि इस परियोजना को 11 वीं योजना अवधि के दौरान पूर्ण करने के लिए योजना बनाई गई थी ।

<sup>66</sup> नहरों के चालन एवं रख-रखाव के लिए जल उपभोक्ता संस्था का गठन सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 1999 के तहत किया गया है ।

बरियारपुर बायीं तट नहर के घटक	इकाई	लक्ष्य	प्राप्ति	प्राप्तियों का प्रतिशत
वितरण प्रणाली एवं शाखा नहर का मिट्टी कार्य	घनमी.	3270000	3263000	99.79
वितरण प्रणाली एवं शाखा नहर का लाईनिंग कार्य	किमी	97	80	82.47
वितरण प्रणाली एवं शाखा नहर के पक्के कार्य	नंबर	1290	1290	100.00

(स्रोत : परियोजना पर केन्द्रीय जल आयोग द्वारा जारी की गई प्रगति प्रतिवेदन)

तलिका से स्पष्ट है कि मुख्य नहर की लाईनिंग (8 किमी), मुख्य नहर के पक्के कार्य (12 नंबर), वितरण प्रणाली का मिट्टी कार्य (7,000 घनमी) एवं वितरण प्रणाली में लाईनिंग (17 किमी) अपूर्ण थे जबकि बीडीएमपी के माध्यम से 11 वीं योजना अवधि में परियोजना को पूर्ण करने के उद्देश्य से अतिरिक्त निधि उपलब्ध कराई गई थी।

इस परियोजना के क्रियान्वयन में हमारे ध्यान में आई कमियां नीचे वर्णित की गई हैं :

### (11) नया कार्य आवंटित करते समय पूर्व के कार्य पर विचार न करना

परियोजना को त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) तथा बीडीएमपी के तहत अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के द्वारा वित्त पोषित किया गया था। केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्लूसी), एआईबीपी कार्यों के लिए निगरानी संस्था थी। केन्द्रीय जल आयोग के प्रगति प्रतिवेदन के अनुसार विभाग द्वारा बरियारपुर बायीं तट नहर तथा उसकी उमराहा शाखा नहर के 13,155 हेक्टेयर सिंचाई क्षेत्र के विकास में नहर सिंचाई प्रणाली के निर्माण कार्य पर ₹ 225.44 करोड़ व्यय (2001-10) किए गए थे। विभाग द्वारा एआईबीपी के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता के लिए तैयार की गई परियोजना प्रस्ताव (2009-10) में पूर्व में किए गए समान विवरण शामिल थे, जो वितरण प्रणाली के कार्यों के अस्तित्व में होने के संकेत हैं।

पूर्व के कार्य पर विचार न करके बढ़ाये हुए प्राक्कलन पर कार्य का आवंटन करने से ₹ 15.83 करोड़ का अपरिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ।

हमने देखा कि विभाग द्वारा परियोजना में परिकल्पित कुल 38,990 हेक्टेयर क्षेत्र में से 36,984 हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता सृजित करने के लिए रु 51.00 करोड़ की तकनीकी स्वीकृति (अप्रैल 2010) दी गई थी। टर्नकी कार्य के अनुमान<sup>67</sup> में 11,149 हेक्टेयर<sup>68</sup> सिंचाई क्षेत्र जहां कि नहर प्रणाली पूर्व से निर्मित थी, भी शामिल थी, जैसा कि विभाग द्वारा तैयार परियोजना प्रस्ताव (2009-10) एवं एआईबीपी के प्रगति प्रतिवेदन में वितरण प्रणाली का निर्माण प्रदर्शित है। इसलिए पूर्व के 11,149 हेक्टेयर के पूर्ण कार्य शामिल करने से अनुमान (प्राक्कलन) में वृद्धि हो गयी। कार्य पूर्ण कर लिया गया था एवं ठेकेदार को ₹ 52.53 करोड़ का भुगतान (अगस्त 2014) कार्य के लिए किया गया था। इस प्रकार बढ़ाये हुए प्राक्कलनों के आधार पर कार्य के आवंटन के कारण ₹ 15.83 करोड़<sup>69</sup> का अपरिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ।

शासन ने बताया कि (अक्टूबर 2015) वर्ष 2009-10 के पूर्व कोई वितरण प्रणाली तैयार

<sup>67</sup> अनुमान में नहरों की मर्दे, लम्बाई, चौड़ाई और उंचाई के विवरण शामिल नहीं थे।

<sup>68</sup> 13,155 हेक्टेयर - (कुल सिंचाई क्षेत्र): 38,990 हेक्टेयर घटाया बीडीएमपी के तहत लिया गया कुल क्षेत्र: 36,984 हेक्टेयर)

<sup>69</sup> ₹ 52.53 करोड़/36,984 हेक्टेयर = ₹ 14,203 प्रति हेक्टेयर \* 11,149 हेक्टेयर = ₹ 15,83,49,247

नहीं की गई थी ।

उत्तर स्वीकार नहीं है क्योंकि विभाग द्वारा केन्द्रीय जल आयोग को एआईबीपी के तहत वित्त पोषण के लिए भेजे गये परियोजना के प्रस्ताव के अनुसार, 11,149 हेक्टेयर में वितरण प्रणाली के कार्य पूर्व में निर्मित किये गये थे एवं अस्तित्व में थे ।

### अनुशंसा

शासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि परिसंपत्तियों एवं इसके साथ-साथ किए गए व्यय का अभिलेख उचित रूप से रखा जाये, जिससे कि पूर्व के कार्यों को बाद के कार्यों में शामिल न किया जा सके ।

#### (III) हार्ड रॉक का लेखाओं में न लेना

सीपीडब्लूए संहिता के पैराग्राफ 7.2.10 के अनुसार निर्माण कार्यों के लिए सामग्री की प्राप्ति एवं निर्गम के उपर नियंत्रण रखने के लिए स्थल पर सामग्री (एमएस) लेखा संधारित किया जाना चाहिए ।

हमने देखा कि कुटनी बांध के निर्माण के दौरान खुदाई से प्राप्त 63,598.59 घन मीटर हार्ड रॉक जिसका मूल्य रु 88.65 लाख<sup>70</sup> था, एमएस लेखा में नहीं ली गई थी । एमएस खाते में कड़ी मिट्टी लेखांकन के अभाव में खुदाई से प्राप्त हार्ड रॉक का दर्शित कार्य में उपयोग या अनुपयोग लेखापरीक्षा कार्य में सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

प्रमुख अभियंता ने निर्गमन सम्मेलन में बताया कि मामले का परीक्षण किया जायेगा ।

#### (IV) संघनन नहीं करने के लिए ठेकेदार के भुगतान से कटौती न करना

₹ 6.45 करोड़ का भुगतान किया गया था जबकि मिट्टी के कार्य पर जल छिड़काव एवं संघनन का कार्य नहीं किया गया था साथ ही विशिष्टियों से विचलन था ।

सिंचाई विशिष्टियों के अनुसार तीन मीटर से अधिक उंचाई के मिट्टी के कार्य के तटबंध में जल सिंचन एवं संघनन करना चाहिए। यूएसआर का प्रावधान है कि जल सिंचन एवं संघनन का कार्य नहीं किए जाने पर मिट्टी के कार्य से 25 प्रतिशत की दर से संकुचन कटौती किया जाना चाहिए ।

हमने देखा कि परियोजनाओं के नहर के मिट्टी कार्य की कुल मात्रा 34.42 लाख घन मीटर से 25 प्रतिशत की दर से संकुचन कटौती किया गया था जो दर्शाता है कि सिंचाई विशिष्टियों के अनुसार आवश्यक मिट्टी कार्य पर जल छिड़काव एवं संघनन नहीं किया गया था। अतः मिट्टी कार्य पर जल छिड़काव एवं संघनन के मद का भुगतान ₹ 6.45 करोड़ का भुगतान उचित नहीं था साथ ही विशिष्टियों से विचलन था।

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख अभियंता ने जबकि अवलोकन से सहमत होते हुए, कहा कि जल छिड़काव एवं संघनन नहीं करने के फलस्वरूप वसूली की जानी चाहिए थी ।

<sup>70</sup> 48,921.993 घन मी. \* 1.3 = ₹ 139.39 प्रति घन मी की दर से ढीली मात्रा 63,598.59 घन मी

### 2.3.7.3 सिंहपुर परियोजना में कार्य का निष्पादन

सिंगपुर परियोजना की वितरण प्रणाली का महत्वपूर्ण भाग पूर्ण नहीं थी जबकि इसे 11 वीं योजना अवधि में पूर्ण करने का लक्ष्य था।

मध्य प्रदेश शासन ने छतरपुर जिले में ₹ 94.38 करोड़ लागत के सिंगपुर परियोजना में एक बांध के निर्माण के द्वारा 12,474 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की परिकल्पना की थी, एवं इसकी स्वीकृति (जुलाई 2006) दी थी जो 2012-13 तक पूर्ण की जानी थी।

#### (I) परियोजना की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति

परियोजना 11वीं योजना अवधि में बीडीएमपी के तहत ली गई थी (जनवरी 2010) और कार्य प्रगति पर था। परियोजना की लागत को संशोधित कर (फरवरी 2013) ₹ 260.68 करोड़ किया गया था। अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से राशि ₹ 100 करोड़ परियोजना को पूर्ण करने के लिए निश्चित की गई थी। ₹ 220.16 करोड़ (मार्च 2015) के व्यय के पश्चात भी परियोजना का कार्य प्रगति पर था जिसमें ₹ 74.05 करोड़ का व्यय अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से था। मार्च 2015 की स्थिति में इस परियोजना की पूर्ण होने की स्थिति तालिका 2.13 में दी गई है :

तालिका 2.13 : बांध, मुख्य नहर और वितरिका नहर में किए गए कार्य का विवरण

विवरण	इकाई	लक्ष्य	प्राप्तियां	प्राप्तियाँ (प्रतिशत)
बांध का मिट्टी कार्य	घन मी	2125000	1833120	86.26
मुख्य नहर का मिट्टी कार्य	घन मी	878000	753000	85.76
मुख्य नहर की लाईनिंग	किमी	0	2	
मुख्य नहर में संरचनाएं	संख्या	74	74	100.00
वितरिका प्रणाली एवं शाखा नहरों का मिट्टी कार्य	घन मी	745000	292000	39.19
वितरिका प्रणाली एवं शाखा नहरों का लाईनिंग कार्य	किमी	0	0	0
वितरिका प्रणाली एवं शाखा नहरों में पक्के निर्माण	संख्या	408	206	50.49

(स्रोत : केन्द्रीय जल आयोग द्वारा परियोजना का प्रगति प्रतिवेदन)

तालिका से स्पष्ट है कि परियोजना पूर्ण नहीं थी क्योंकि वितरण प्रणाली का महत्वपूर्ण हिस्सा अपूर्ण था। हमने, विश्लेषण किया कि कार्य शुरू करने के पूर्व विस्तृत कछार सर्वेक्षण नहीं किये जाने के कारण रूपांकन मानकों में निरंतर परिवर्तन, देरी के लिए मुख्य कारण थे जिनकी नीचे विस्तृत चर्चा की गई है।

#### (II) परियोजना निष्पादन के दौरान महत्वपूर्ण परिवर्तन

विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) में जल भराव क्षेत्र, जीवित भण्डारण क्षमता एवं परियोजना के जल भराव क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण की लागत के बारे में परियोजना निष्पादन के दौरान महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए थे जिसका विवरण तालिका 2.14 में दिया गया है :

तालिका 2.14 : जल भराव क्षेत्र, भण्डारण क्षमता एवं भूमि अधिग्रहण की लागत का विवरण

मापदण्ड	2006 की डीपीआर अनुसार	2009 की डीपीआर अनुसार	2012 की डीपीआर अनुसार
जल भराव क्षेत्र हेक्टेयर में	798.26	798.26	1241.00 <sup>71</sup>
जीवित भण्डारण क्षमता (एलएससी), दस लाख घन मी में	22.57	22.57	49.01
भूमि अधिग्रहण की लागत (₹ लाख में)	1559.21	3314.85	3552.26

(स्रोत : विभाग द्वारा प्रदत्त जानकारी)

डीपीआर में ये परिवर्तन, कारणों का उल्लेख किए बिना किए गए थे जो कार्य शुरू करने के पूर्व अपर्याप्त सर्वेक्षण एवं जांच को दर्शाता है जो परियोजना में देरी के योगदान के कारक थे ।

शासन ने बताया (अक्टूबर 2015) कि प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात गांव के नक्शे पर टैंक के पूर्ण भराव रेखा को चिन्हित एवं बैराज की क्षमता का आंकलन करने के लिए, कछार का विस्तृत सर्वेक्षण किया गया था । सर्वेक्षण के पश्चात मुख्य स्तर समान रखते हुए, बैराज की सकल भराव क्षमता में 24 मिलियन घन मीटर (एमसीएम) से 49.01 एमसीएम तक वृद्धि हुई थी ।

उत्तर स्वीकार नहीं क्योंकि कछार सर्वेक्षण सहित पर्याप्त सर्वेक्षण एवं जांच आरम्भ में रूप से नहीं की गई थी परिणामस्वरूप बाद में परियोजना में बदलाव किये गये ।

#### 2.3.7.4 लघु सिंचाई योजनाओं का निष्पादन

जल संसाधन विभाग ने बीडीएमपी के अंतर्गत रु 672.22 करोड़ की अनुमानित लागत की चल रही लघु सिंचाई योजनाओं को पूर्ण करने एवं नई लघु सिंचाई योजनाओं के निर्माण के लिए प्रस्ताव (जनवरी 2010) दिया था ।

#### (I) लघु सिंचाई योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति

मार्च 2015 की स्थिति में प्रस्तावित लघु सिंचाई योजनाएँ, एनआरएए द्वारा स्वीकृति, व्यय एवं पूर्णता की स्थिति का विवरण तालिका 2.15 में दिया गया है :

तालिका 2.15 : प्रस्तावित, स्वीकृत, क्रियान्वयन के लिए ली गई एवं पूर्ण लघु सिंचाई योजनाओं का विवरण

चरण	लघु सिंचाई योजनाओं का विवरण	चल रही योजनाएँ	नई लघु योजनाएँ
11 क्षेत्र (2007-12)	डीपीआर के अनुसार प्रस्तावों की संख्या	57	108
	एनआरएए द्वारा स्वीकृत लघु सिंचाई योजनाओं की संख्या	52	93
	क्रियान्वयन के लिए अन्तिम समय की ली गयी संख्या	49	97
	पूर्ण लघु सिंचाई योजनाओं की स्थिति संख्या मार्च 2012 को	20	19
	पूर्ण लघु सिंचाई योजनाओं की स्थिति संख्या मार्च 2015 का	45	90
	मार्च 2015 को पूर्णता का प्रतिशत	91.84	92.78
	लघु सिंचाई योजनाओं की कुल स्वीकृत राशि(करोड़ रुपये में)	193.37	479.75
	मार्च 2015 तक कुल व्यय (करोड़ रुपये में)	147.57	459.33

<sup>71</sup> मध्य प्रदेश में 980 हेक्टेयर एवं उत्तर प्रदेश में 261 हेक्टेयर



चरण	लघु सिंचाई योजनाओं का विवरण	चल रही योजनाएँ	नई लघु योजनाएँ
12 वीं क्रम	योजनाओं की संख्या	लागू नहीं	21
	लघु सिंचाई योजनाओं का कुल लागत	लागू नहीं	206.60
	मार्च 2015 तक कुल व्यय (करोड़ रुपये में)	लागू नहीं	101.23

(स्रोत : विभाग द्वारा प्रदत्त जानकारी)

विभाग द्वारा 167 लघु योजनाओं से 60.687 हे. के योजना के विरुद्ध 37,028 हे. सिंचाई क्षमता निर्मित की; भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया का देरी से प्रारम्भ, विलम्ब का मुख्य कारण था।

जैसा कि तालिका से स्पष्ट है, विभाग ने मार्च 2015 तक कुल 167 प्रगतिरत लघु सिंचाई योजनाओं<sup>72</sup> एवं नई लघु सिंचाई योजनाओं का कार्य करके ₹ 708.13 करोड़ व्यय किए एवं 60,687 हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता के विरुद्ध 135 लघु सिंचाई योजना के द्वारा 37,028 हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता निर्मित की। 11वीं योजना अवधि की कुल 146 लघु सिंचाई योजनाओं में से 6,177 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता की 39 लघु सिंचाई योजनाएं पूरी की गईं और 42,357 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता की 107 लघु सिंचाई योजनाएं मार्च 2012 तक अधूरी थीं।

हमने 16 प्रगतिरत लघु सिंचाई योजनाओं एवं 67 नई लघु सिंचाई योजनाओं के कार्यों की विस्तार से जाँच की एवं प्रगतिरत लघु सिंचाई योजनाओं /नई लघु सिंचाई योजनाओं के क्रियान्वयन में पाई गई कमियों की चर्चा नीचे की गई है :

### (II) कार्यों के निष्पादन की योजना

₹ 7.65 करोड़ व्यय करने के पश्चात् दस लघु सिंचाई योजनाओं को बिना किसी कारण दर्ज किए या इन योजनाओं के साध्य नहीं पाये जाने के कारण छोड़ दिया गया था।

बी.डी.एम.पी. के अंतर्गत धन जारी करने के लिए एनआरएए योजना आयोग, भारत सरकार के नियम और शर्तों में विभाग द्वारा लघु सिंचाई योजनाओं की स्थल विशिष्ट विस्तृत अनुमान तैयार करने एवं उनकी यूएसआर के आधार पर सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्रावधानित थी। 11वीं योजना अवधि के दौरान निर्माण के लिए ली गई कुल 146 योजनाओं में ध्यान में आई कमियों की चर्चा नीचे की गयी है ;

- एनआरएए द्वारा स्वीकृत 93 लघु सिंचाई योजनाओं<sup>73</sup> में से एक योजना को दो बार दोहराया गया था और 10 योजनाएँ 52 चल रही लघु सिंचाई योजनाओं की सूची में रखी गई थी। इसके बाद ₹ 7.65 करोड़ व्यय करने के पश्चात् 10 योजनाओं को बिना किसी कारण दर्ज किए या इन योजनाओं के सिंचाई क्षेत्र की ओवरलैपिंग होने से साध्य नहीं होने के कारण छोड़ दिया गया था जिसका विवरण परिशिष्ट 2.24 में है।

इसके अलावा 11वीं योजना अवधि के अंत में कुल ₹ 140.74 करोड़ की स्वीकृत लागत की 20 नई लघु सिंचाई योजनाएं मार्च 2012 में ली गई थी। इस प्रकार योजनाओं के चयन में लगातार परिवर्तन के परिणामस्वरूप कार्यों के प्रारम्भ होने के साथ-साथ कार्य की पूर्णता में विलम्ब की अनुवर्ती कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

<sup>72</sup> बी.डी.एम.पी. के पहले लघु सिंचाई योजनाओं पर ₹ 62.41 करोड़ व्यय कर दिये गये थे।

<sup>73</sup> विभाग द्वारा 93 स्वीकृत योजनाओं के विरुद्ध चार नई सिंचाई योजनाएं ले ली गई थीं।

लाभ लागत अनुपात की गणना में गलती के कारण 22 असाध्य लघु सिंचाई योजनाओं को निर्माण हेतु लिया गया था।

- बी.डी.एम.पी. के लिए एनआरएए के दिशा निर्देशों में लघु सिंचाई योजना के लिए एक से अधिक लाभ लागत (बीसी) अनुपात प्रावधानित है। ₹ 248.57 करोड़ अनुमानित लागत की 22 प्रगतिरत एवं नई लघु सिंचाई योजनाओं<sup>74</sup> की डीपीआर में हमने गणना की एवं गलती पाया कि लाभ अनुपात को पाने के लिए पूँजी पर ब्याज की दर, पूर्व विकास लागत निचले स्तर पर लिए गये थे और उत्पादित होने वाली फसलों की दरों को उच्च स्तर पर लिया गया था। हमने गणना में एक से कम लाभ लागत अनुपात पाया की जिसका विवरण **परिशिष्ट 2.25** में है। इस प्रकार असाध्य योजनाओं को निर्माण हेतु लिया गया था।

प्रमुख अभियंता ने निर्गमन सम्मेलन के दौरान बताया कि लागत अनुपात की तैयारी के समय उपज की गलत मान डालने की संभवना हो सकती है एवं आश्वासन दिया कि लघु सिंचाई योजनाओं के लागत अनुपात की पुनः जाँच की जायेगी और लेखापरीक्षा को सूचित किया जायेगा।

- तीन सम्भागों<sup>75</sup> में 2010-11 के दौरान राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत ₹ 58.10 करोड़ लागत की 18 नई लघु सिंचाई योजनाओं के मामले में कार्य के निष्पादन के लिए निविदाएं मार्च 2012 के बाद जारी की गई थी (**परिशिष्ट 2.26**)। यह इंगित करता है कि 11वीं योजना अवधि के अंत से पहले इन कार्यों को पूर्ण करने के लिए सभी प्रक्रिया को पूर्ण करने की योजना समय पर शुरू नहीं की गई थी।

प्रमुख अभियंता ने निर्गम सम्मेलन के दौरान अवलोकन को स्वीकार किया एवं बताया कि विलम्ब के कारणों की जांच की जायेगी।

- कुल 97 नई लघु सिंचाई योजनाओं में से 11 नई लघु सिंचाई योजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया कार्य आवंटित करने से (नवम्बर 2010 से अक्टूबर 2012) 25 से 589 दिनों के विलम्ब से प्रारम्भ हुई थी (**परिशिष्ट 2.27**)। स्पष्ट है कि भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू करने में देरी का प्रभाव कार्यों के समय पर पूर्ण होने पर पड़ा।

### अनुशंसा

शासन को कार्यों पर निष्फल व्यय से बचने के लिए जो कार्यों के देशी से पूर्ण होने पर होता है लघु सिंचाई योजनाओं की डीपीआर, वास्तविक सर्वेक्षण एवं जांच के आधार पर तैयार करनी चाहिए।

#### (III) कार्यों का अनियमित निष्पादन

- 28 प्रगतिरत एवं नई लघु सिंचाई योजनाओं की ₹ 101.79 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति के विरुद्ध ₹ 131.63 करोड़ व्यय कर दिया गया। ₹ 29.84 करोड़ (**परिशिष्ट 2.28**) के अतिरिक्त व्यय के लिए सक्षम प्राधिकारी से संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई थी।

<sup>74</sup> सात संभागों अर्थात् जल संसाधन, दमोह, केसली, नौगांव, पन्ना, पवई, सागर एवं टीकमगढ़ में 11वीं योजना अवधि में किए जाने वाले

<sup>75</sup> जल संसाधन संभाग दमोह, सागर एवं टीकमगढ़

₹ 56.14 करोड़ की लागत से नौ नई लघु सिंचाई योजनाओं का काम विस्तृत अनुमानों के बिना निष्पादित किये गये थे।

- पन्ना संभाग में ₹ 56.14 करोड़ (परिशिष्ट 2.29) की लागत से नौ नई लघु सिंचाई योजनाओं का काम बिना विस्तृत प्राक्कलन के निष्पादित किया गया। हमने आगे देखा कि लघु सिंचाई योजनाओं के मूल अभिलेख जैसे मानदंड रजिस्टर, लेविल पुस्तक, ग्राफ माप पुस्तिका आदि संधारित नहीं थे या हमें मांगने (फरवरी 2015) पर प्रस्तुत नहीं किये गए। इस प्रकार प्राक्कलनों को बनाकर व्यय पर नियंत्रण सुनिश्चित नहीं किया गया था।

- 12 लघु सिंचाई योजनाओं के मामले में पन्ना संभाग में आवश्यक 804.65 हेक्टेयर क्षेत्र के विरुद्ध केवल 562.52 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की गई थी परिणामस्वरूप डिजाइन की गयी सिंचाई क्षमता में कमी हुई (परिशिष्ट 2.30)।

#### (IV) कार्यों के निष्पादन में विनिर्देशो/दिशा-निर्देशों से विचलन

- ₹ 7.72 करोड़ की लागत से दमोह, सागर एवं टीकमगढ़ में निर्मित आठ लघु सिंचाई योजनाओं के वीयर में सिंचित क्षेत्र 50 हेक्टेयर से कम थे जैसा कि विवरण परिशिष्ट 2.31 में है। इस प्रकार राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण के न्यूनतम 50 हेक्टेयर वाले दिशा-निर्देशो का पालन नहीं किया गया था।

- ₹ 13.97 करोड़ (परिशिष्ट 2.31) की लागत से निर्मित सागर एवं टीकमगढ़ संभागो के तहत आठ लघु सिंचाई परियोजनाओ के वीयर, मुख्य अभियंता धसान केन कछार सागर के निर्देश के अनुसार कम से कम छः किलोमीटर की आवश्यक दूरी के विरुद्ध दो वीयर के बीच दूरी दो किलोमीटर से चार किलोमीटर थी। इसलिए डूब की कम उपलब्धता की सम्भावना और फलस्वरूप सिंचाई के लिए पानी की कम उपलब्धता की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

- सागर और टीकमगढ़ संभागो में 20 नई लघु सिंचाई योजनाओ के वीयर के नीचे के काम में उच्च विशिष्टियों का सी.सी. (एम.-10 के स्थान पर एम.-15) उपयोग किया गया था। जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.03 करोड़ (परिशिष्ट 2.32) की अतिरिक्त लागत हुई।

#### (V) संविदात्मक दायित्वों का उल्लंघन एवं अनियमित भुगतान

- पन्ना संभाग में बीडीएमपी के तहत कार्यान्वित किए जा रहे लघु सिंचाई योजनाओं के लिए पीसवर्क काम के आधार पर ₹ 2.33 करोड़ के सर्वेक्षण कार्य 524 देयको के माध्यम से 19 कंपनियों को भुगतान किया गया था। इन भुगतानों के सम्बन्ध में, पीसवर्क अनुबंध पंजी, अनुबंध की प्रति, किए गए कार्य का विवरण, सर्वेक्षण प्रतिवेदन आदि मांगने पर हमें प्रस्तुत नहीं किये गये। इस प्रकार खर्च का औचित्य लेखापरीक्षा में सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

- चार नई लघु सिंचाई योजनाओं के मामले में 33 चल देयक (परिशिष्ट 2.33) के माध्यम से ठेकेदार के अलावा अन्य फर्मो/व्यक्तियों को ₹ 3.61 करोड़ का भुगतान किया गया था।

- टीकमगढ़ संभाग में नई लघु सिंचाई योजनाओं की हरपुरा नहर लिंक परियोजना के टर्न की समझौते के प्रावधान के अनुसार ठेकेदार रेलवे लाईन के नीचे नहर पार करने के हिस्से सहित नहर में सभी संरचनाओ को निष्पादित करने के लिए जिम्मेदार

था। हमने देखा कि विभाग ने हरपुरा नहर लिंक परियोजना के सम्बन्ध में रेलवे लाईन के नीचे नहर के निर्माण के लिए रेलवे प्राधिकरण को ₹ 2.65 करोड़ भुगतान (2013-15) किये थे, जो कि ठेकेदार से वसूली योग्य थे। हालांकि ठेकेदार से अभी तक (मार्च 2015) वसूली करना था।

#### (VI) **हार्डरॉक के उपयोग न होने कारण अतिरिक्त लागत**

तीन संभागों की पाँच लघु सिंचाई योजनाओं के मामले में, कार्यों में खुदाई से हार्ड रॉक प्राप्त होनी थी परन्तु उन कार्यों के अनुमानों में अन्य मदों में उनके उपयोग के लिए हिसाब में नहीं लिया गया था। जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.25 करोड़ (परिशिष्ट 2.34) की परिहार्य अतिरिक्त लागत हुई।

प्रमुख अभियंता ने निर्गम सम्मेलन में कहा (नवम्बर 2015) कि इन मामलों की जाँच की जायेगी।

#### **अनुशंसा**

शासन को तकनीकी अधिकारियों द्वारा जारी किए गए विनिर्देशों/निर्देश के आधार पर विस्तृत प्राक्कलनों की तैयारी एवं इनकी सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन सुनिश्चित करना चाहिए।

#### **2.3.7.5 रनगंगा और उर्मिल सिंचाई परियोजनाओं की मरम्मत नवीनीकरण एवं पुर्नस्थापना**

बुंदेलखण्ड क्षेत्र में सगंगा परियोजना का 17,085 हेक्टेयर में सिंचाई की योजना के साथ 1973-74 में निर्माण किया गया था एवं उर्मिल परियोजना का 7,692 हेक्टेयर में सिंचाई की योजना के साथ 1999 में निर्माण किया गया था। नियोजित सिंचाई क्षमता की तुलना में, दो परियोजनाओं में भारी रिसाव, पशु एवं किसानों से क्षरण आदि के कारण क्रमशः 4,608 हेक्टेयर एवं 4,080 हेक्टेयर औसत वास्तविक सिंचाई प्राप्त हुई थी। इसलिए रनगंगा एवं उर्मिल परियोजनाओं के मरम्मत, नवीनीकरण एवं पुर्नस्थापन के काम जो मार्च 2013 तक पूर्ण होने में बी.डी.एम.पी. के अंतर्गत लिए गये (2011-12) जिसमें रीसेक्सनिंग, सी.सी. लाईनिंग, मरम्मत एवं नहर संरचनाओं के निर्माण के कार्यों का निष्पादन शामिल है। 8,291 हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता प्राप्त करने के लिए मरम्मत, नवीनीकरण एवं पुर्नस्थापना परियोजनाओं के काम के लिए ₹ 75.32 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई थी।

#### **(I) परियोजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति**

दो मध्यम परियोजनाओं की मरम्मत नवीनीकरण एवं पुर्नस्थापना के कार्यों से 6,979 हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई की उपलब्धि में कमी थी।

मरम्मत, नवीनीकरण एवं पुर्नस्थापन कार्य पर विभाग द्वारा मार्च 2015 तक कुल ₹ 46.84 करोड़ व्यय किए गए एवं मौजूदा औसत सिंचाई क्षेत्र (8688 हे.) सहित 10,000 हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता विकसित की। इस प्रकार, यहां तक कि निर्धारित अवधि पूर्ण होने से (मार्च 2013) दो से अधिक वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी 6,979 हेक्टेयर<sup>76</sup> की अतिरिक्त सिंचाई की उपलब्धि में कमी थी।

<sup>76</sup> 8,291 हेक्टेयर घटाया (10,000 हेक्टेयर घटाया-8,688 हेक्टेयर)

**(II) उच्च विशिष्टियों के अपनाने के कारण अतिरिक्त लागत**

तकनीकी परिपत्र<sup>77</sup> के प्रावधान के अनुसार 0.3 क्यूमेक से 3 क्यूमेक एवं अधिक पानी के बहाव ले जाने वाली नहरों के लिए एम-10 ग्रेड की सी.सी. लाईनिंग प्रदान किया जाना आवश्यक है। हमने देखा कि मार्च 2015 तक सी. सी. के मंहगे ग्रेड (एम-15) की कुल 39,286.62 घनमीटर<sup>78</sup> मात्रा निष्पादित की गई थी। इससे ₹ 2.52 करोड़<sup>79</sup> की अतिरिक्त लागत हुई।

प्रमुख अभियंता ने निर्गम सम्मेलन के दौरान स्वीकार किया कि नहर के लिए एम-10 ग्रेड सी.सी. लाइनिंग पर्याप्त थी और इसके लिए तकनीकी स्वीकृति देने वाले प्राधिकारी से पूछताछ की जायेगी।

**(III) कम घनत्व की पालीथिन फिल्म के उपयोग/स्लीपर के निष्पादन के कारण अतिरिक्त लागत**

विभाग के प्रमुख अभियंता द्वारा जारी किए (सितम्बर 2012) निर्देशों के अनुसार सी.सी. लाईनिंग के नीचे एलडीपीई फिल्म का प्रावधान एवं स्लीपर<sup>80</sup> वहाँ आवश्यक नहीं है जहां लाईनिंग पेवर मशीन से किया जा रहा है। हमने देखा कि उर्मिल परियोजना में हालांकि सी.सी. लाईनिंग कार्म पेवर मशीन के साथ किया गया था, विभाग ने 5.62 लाख वर्गमीटर क्षेत्र में एलडीपीई फिल्म के उपयोग के लिए ठेकेदार को मार्च 2015 तक ₹ 1.34 करोड़ का भुगतान किया। हमने आगे देखा कि सी.सी. लाईनिंग के कार्य में स्लीपर (20,675.08 घनमीटर) भी निष्पादित किए गए थे, परिणामस्वरूप ₹ 1.21 करोड़ का परिहार्य अतिरिक्त लागत आई।

प्रमुख अभियंता ने निर्गम सम्मेलन में स्वीकार किया कि यदि लाईनिंग के पहले नहर की सबग्रेड ठीक ढंग से संतृप्त है तो एलडीपीई फिल्म की कोई आवश्यकता नहीं है।

**2.3.7.6 अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता निधि का विचलन**

हमने ₹ 43.95 करोड़ की राशि के अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता निधि से विचलन के उदाहरण देखें जिनकी नीचे चर्चा की गई है :

- योजनाओं के लिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा दी गई प्रशासनिक स्वीकृति (ए.ए.) के अनुसार, स्थापना, आकस्मिकता, सर्वेक्षण एवं डीपीआर तैयार करने का व्यय, राज्य शासन द्वारा अपने संसाधनों द्वारा वहन किए जाने थे। विभाग द्वारा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता निधि में से, स्थापना, आकस्मिकता, सर्वेक्षण और डीपीआर तैयार करने के लिए ₹ 13.51 करोड़ व्यय किए गए थे (2010-15) (परिशिष्ट 2.35)।

प्रमुख अभियंता ने निर्गम सम्मेलन ने कहा कि इस तरह के व्यय के लिए अलग बजट आवंटन के लिए अनुदेश जारी कर दिये गये थे।

स्थापना, आकस्मिकता, भूमि अधिग्रहण इत्यादि के मद में ₹ 43.95 करोड़ का व्यय राज्य निधि के स्थान पर अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता की निधि से किया गया।

<sup>77</sup> प्रमुख अभियंता, जल संसाधन संभाग द्वारा जारी तकनीकी परिपत्र संख्या 1/84

<sup>78</sup> उर्मिल नहर के लिये सीमेंट कंक्रीट एम-15: 19,762.70 घन मी. एवं रंगवान नहर 19,523.92 घन मी.

<sup>79</sup> रंगवान नहर : ₹ 1,29,34,107 एवं उर्मिल नहर: ₹ 1,23,09,000 कुल ₹ 2,52,43,107

<sup>80</sup> स्लीपर्स सीमेंट कांक्रीट संरचनाये है जो कि नहर लाइनिंग के तल एवं साइड में जोड़ के नीचे डाले जाते है।

● 12वीं योजना अवधि के लिए बीडीएमपी के अंतर्गत परियोजना के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के अनुमोदन की शर्तों<sup>81</sup> के अनुसार, भूमि अधिग्रहण पर व्यय अपने संसाधनों से राज्य शासन द्वारा वहन किए जाने थे।

चार जल संसाधन सम्भागों<sup>82</sup> में, बीडीएमपी के अंतर्गत 12वीं योजना अवधि के अंतर्गत परियोजना के लिए भूमि के अधिग्रहण के लिए योजना आयोग के निर्देश के विरुद्ध अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता में से ₹ 30.44 करोड़ की राशि (परिशिष्ट 2.36) का भुगतान किया गया।

प्रमुख अभियंता ने निर्गम सम्मेलन में कहा कि भूमि अधिग्रहण का भुगतान जो लागत का एक बड़ा हिस्सा होता है अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से वहन किया जाना चाहिए।

उत्तर स्वीकार नहीं है क्योंकि राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण के दिशा-निर्देशों (फरवरी 2011) में भूमि अधिग्रहण पर व्यय अपने संसाधनों से राज्य शासन द्वारा वहन किए जाना प्रावधानित था।

### अनुशंसा

शासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बीडीएमपी के तहत स्थापना, आकस्मिकता, सर्वेक्षण, डी.पी.आर तैयार करने एवं परियोजना के लिए भूमि पर व्यय राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण के दिशा-निर्देशों के अनुसार वहन किए जाये।

### 2.3.8 किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग में योजना का कार्यान्वयन

शासन ने किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग को, बीडीएमपी की निधियों का उपयोग करते हुए तीन एजेंसियों यथा मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड (मंडी बोर्ड), मध्य प्रदेश भंडारण एण्ड लॉजिस्टिक कार्पोरेशन (भंडारण कार्पोरेशन) एवं मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित (मार्कफेड) के माध्यम से बुंदेलखंड क्षेत्र में भंडार एवं विपणन अधोसंरचना के निर्माण के लिए, नोडल विभाग निर्धारित किया था (मई 2011)। बीडीएमपी के अंतर्गत मार्च 2015 तक पैकेजों/योजनाओं, अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता आवंटन, पूर्ण पैकेजों की संख्या एवं व्यय के विवरण तालिका 2.16 में दिए गए हैं:

तालिका 2.16: मार्च 2015 तक अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता आवंटन, पैकेज की संख्या एवं व्यय के विवरण

(₹ करोड़ में)

चरण	बी.डी.एम.पी. के अंतर्गत पैकेज/ योजनाओं के विवरण	पैकेजों की संख्या	अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता आवंटन	व्यय <sup>83</sup>
11वीं योजना (2007-12)	भंडार एवं विपणन अधोसंरचना <sup>84</sup>	33	477.55	478.26
	मिनी मंडियाँ	27	96.95	80.14

<sup>81</sup> योजना आयोग, भारत सरकार का पत्र संख्या क्यू-11050-20-2013-एग्री दिनांक 18.09.2013

<sup>82</sup> जल संसाधन सम्भाग के केसली, पंचम नगर परियोजना, पन्ना एवं पवई

<sup>83</sup> व्यय के आंकड़े जैसा कि नीति आयोग को भेजे गए मार्च 2015 तक के उपयोगिता प्रमाण पत्र में इंगित किए गए थे

<sup>84</sup> विपणन अधोसंरचना में किसान सूचना केन्द्र, विश्राम गृह, नीलामी प्लेटफार्म, सड़क कार्य, सी.सी. तथा डब्लू.बी.एम सड़क कटिंग, फिलिंग, लेवलिंग, टो वॉल, इत्यादि सम्मिलित हैं।

12वीं योजना (2012-17)	लघु कृषि बाजार	16	64.56	18.48
	कलर सोरटेक्स प्लांट्स	3	18	0
	एग्रीकल्चर इनपुट सेन्टर्स	40	12	2.39
	बीज प्रसंस्करण इकाईयां	4	30	0.69
	दलहन विकास कार्यक्रम	1	5.44	0
<b>योग</b>		<b>124</b>	<b>704.50</b>	<b>579.96</b>

(स्रोत: विभाग द्वारा प्रदान की गई जानकारी)

विभाग ने 2014-15 तक ₹ 478.26 करोड़ की लागत से भंडार एवं विपणन अधोसंरचना के 33 पैकेजों के निर्माण कार्यों को कार्यान्वित करते हुए 5.34 लाख मीट्रिक टन<sup>85</sup> भंडारण क्षमता सृजित की। इन पैकेजों को मार्च 2012 तक पूर्ण होना परिकल्पित था, तथापि, पैकेजों की पूर्णता में विलम्ब<sup>86</sup> हुआ। पुनः, सृजित क्षमता का अल्प उपयोग था क्योंकि मार्च 2015 तक 4.36 लाख मी.टन ही उपयोग किया जा रहा था। 11वीं एवं 12वीं योजना के कार्यों की पूर्णता में विलंब के लिए भूमि की आवश्यकता का विलंबित आंकलन एवं 12वीं योजना अवधि के लिए स्वीकृत लागत के विरुद्ध निधियों का कम विमुक्त होना, मुख्य कारण, थे, जैसा कि नीचे कंडिकाओं 2.3.8.2 एवं 2.3.8.3 में विस्तृत चर्चा की गई है।

76,800 मी.टन की क्षमता वाली 27 विपणन अधोसंरचनाएं (मिनी मंडी) ₹ 80.14 करोड़ की लागत से 11वीं योजना अवधि में उनकी निर्धारित पूर्णता के स्थान पर 2011-15 के दौरान (जून 2015 तक) विलंब<sup>87</sup> से पूर्ण की गई थीं।

हमने, भंडारण एवं विपणन अधोसंरचनाओं के 33 पैकेजों में से ₹ 250.33 करोड़ की लागत के 11 पैकेज, ₹ 80.14 करोड़ की लागत वाली सभी 27 मिनी मंडी एवं 12वीं योजना अवधि के समस्त पैकेज जिन पर मार्च 2015 तक ₹ 21.56 करोड़ व्यय किए गए थे, के कार्यान्वयन का विस्तार से परीक्षण किया। कार्यान्वयन में कमियों की अनुवर्ती कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

### 2.3.8.1 निर्मित किये गये विपणन अधोसंरचनाओं का उपयोग

एन.आर.ए.ए. द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों (मार्च 2011) के अनुसार, शासन को गोदामों की विपणन संरचनाओं, दुकानों, सूचना केन्द्रों इत्यादि की चिन्हित गतिविधियों के लिए निजी क्षेत्र की एजेंसियों की प्रभावी सहभागिता हेतु अनुसरण करना था। एन.आर.ए.ए. ने बुंदेलखंड क्षेत्र में 27 स्थानों पर प्राथमिक सहकारी समितियों (पी.ए.सी.एस.) द्वारा चलाई जाने वाली मिनी मंडियों के विकास के लिए ₹ 96.95 करोड़ की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता अनुमोदित की (जनवरी 2012)। हमने अवलोकित किया कि:

<sup>85</sup> मीट्रिक टन

<sup>86</sup> पैकेज की पूर्णता: 2012-13 (2), 2013-14 (18) एवं 2014-15 (13) = 33 पैकेज

<sup>87</sup> पैकेज की पूर्णता: 2012-13 (1), 2013-14 (14), 2014-15 (10) एवं 2015-16 (2) = 27 पैकेज

₹ 17.68 करोड़ की लागत से निर्मित 85 विपणन अधोसंरचनाओं के लिए निजी क्षेत्र एजेंसियों की सहभागिता हेतु अग्रिम में कोई आयोजना नहीं बनाई गई थी।

• 2013-15 के दौरान, विभाग ने भंडारण परिसरों में 39 स्थानों पर मशीनरी वर्कशॉप सहित 85 विपणन संरचनाओं को ₹ 17.68 करोड़ की लागत से निर्मित किया (परिशिष्ट 2.37)। हमने, इनके उपयोग के लिए निजी क्षेत्र एजेंसियों की सहभागिता के लिए अग्रिम में किसी आयोजना का होना नहीं पाया था। पन्ना जिला के पवई में भौतिक सत्यापन में हमने पाया कि दुकाने, केन्टीन एवं किसान विश्राम गृह इत्यादि उपयोग नहीं किए जा रहे थे (जून 2015)।

शासन ने बताया (अक्तूबर 2015) कि विभाग ने उपयुक्त प्रयास किए थे एवं संरचनाओं को पी.पी.पी. प्रणाली के अंतर्गत सौंपने एवं इनके संचालन की प्रक्रिया अपनाई जा रही थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि भंडारण परिसरों में विपणन अधोसंरचनाओं के उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त प्रयास पहले से किए जाने चाहिए थे।

• विभाग ने फरवरी 2013 से अप्रैल 2015 के दौरान 27 मिनी मंडियों का ₹ 80.14 करोड़ की लागत से निर्माण किया। ये मिनी मंडियाँ जून 2015 तक औपचारिक रूप से पी.ए.सी.एस. को सौंपी नहीं जा सकी थीं यद्यपि योजना आयोग पहले ही ने पी.ए.सी.एस. द्वारा मिनी मंडियों के संचालन की शर्त के साथ आवंटन प्रदान कर दिया (जनवरी 2012)।

निर्गम सम्मेलन में, शासन ने बताया (अक्तूबर 2015) कि पी.ए.सी.एस. द्वारा संग्रहण सुविधाओं का उपयोग किया जा रहा था। शासन ने आगे बताया (अक्तूबर 2015) कि सहकारिता विभाग जिससे मिनी मंडियों का संचालन अपेक्षित है, ने आवर्ती व्यय के लिए ₹ 7.035 करोड़ प्रति वर्ष की मांग की। मुख्य सचिव द्वारा आयोजित बैठक (अगस्त 2015) में निर्णय के अनुसार मिनी मंडियों के उपयोग के लिए सभी तीन निर्माण एजेंसियों को अनावर्ती व्यय के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करना था।

तथ्य वही बना रहता है कि मिनी मंडियां अभी भी पी.ए.सी.एस. को सौंपी जानी थीं।

### 2.3.8.2 कार्यों के क्रियान्वयन के लिए आयोजना

बी.डी.एम.पी. के अंतर्गत एन.आर.ए.ए. द्वारा निधियों को विमुक्त करने की शर्तों एवं निबंधनों में, क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा भंडारण एवं विपणन अधोसंरचनाओं के कार्यों के लिए स्थल विशिष्ट विस्तृत प्राक्कलनों को तैयार करना एवं उनका अनुमोदित दरों की अनुसूची के आधार पर सक्षम प्राधिकारियों<sup>88</sup> द्वारा आवंटन (तकनीकी स्वीकृति) निर्धारित था। एन.आर.ए.ए. को आवंटन हेतु विस्तृत प्राक्कलनों के केवल सारांश भेजे जाने थे।

<sup>88</sup> जिसमें तकनीकी समिति मंडी बोर्ड एवं राज्य वेयर हाउसिंग कारपोरेशन के मुख्य अभियंताओं तथा मार्कफेड के कार्यपालन यंत्री को शामिल किया गया है, वाली एक सक्षम प्राधिकारी है।



**(I) समरूप विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया जाना**

₹ 222.14 करोड़ की लागत से स्वीकृत भंडारण एवं विपणन अधोसंरचनाओं के कार्यों के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन एक जैसे आरेखों पर आधारित थे लेकिन मर्दों एवं मात्राओं में अत्यधिक बदलाव हुए थे।

₹ 222.14 करोड़ की लागत के स्वीकृत भंडारण एवं विपणन अधोसंरचनाओं के कार्यों के नमूना जांच किए गए 11 पैकेजों के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन एक जैसे आरेखों पर आधारित थे एवं प्राक्कलनों में सम्मिलित कार्यों की मर्दें स्थल विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर नहीं थीं। हमने पाया कि ₹ 42.77 करोड़ की लागत से तकनीकी रूप से स्वीकृत कार्यों की मर्दें जैसे कि सीमेंट कांक्रीट नाली, डिस्प्ले बोर्ड, बाउन्ड्री वाल, जल प्रदाय व्यवस्था, सम्प वेल, सेप्टिक टैंक, ट्रांसफार्मर इत्यादि विलोपित/ विचलित की गई (परिशिष्ट 2.38) या क्रियान्वयन के दौरान सी.सी. रोड/पार्किंग, नीलामी प्लेटफार्म, हाईमास्ट एवं बाहरी विद्युतीकरण कार्य इत्यादि जैसी मर्दों की मात्रा बढ़ गयी जिससे लागत ₹ 69.38 करोड़ से बढ़ी। इससे विस्तृत प्राक्कलनों को तैयार करने के लिए कार्यों का अपर्याप्त सर्वेक्षण एवं अन्वेषण होना, इंगित करता है।

शासन ने बताया (अक्तूबर 2015) कि भंडार की क्षमताओं के लिए आरेखन समान थे किन्तु ये भूतल स्तर एवं भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर भिन्न थे, स्थलों की उपलब्धता के अनुसार विभिन्न संरचनाएं बनाई गई थीं एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा समस्त विचलनों का आवंटन किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन समान आरेखनों के आधार पर तैयार किए गए थे एवं विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों को तैयार करने के लिए पर्याप्त सर्वेक्षण के अभाव के परिणामस्वरूप मर्दों एवं मात्राओं में महत्वपूर्ण बदलाव हुए थे।

**(II) भूमि का विलंबित आंकलन**

भूमि की आवश्यकता के आंकलन में विलंब किया गया एवं फलस्वरूप भंडारण एवं विपणन अधोसंरचना के कार्यों के लिए निविदाएं विलंब से जारी की गई थी।

11वीं योजना अवधि में भंडारण एवं विपणन अधोसंरचना के समस्त योजनाबद्ध कार्यों के लिए 65.60 एकड़ भूमि की आवश्यकता नवम्बर 2011 में आंकलित की गई थी। फलस्वरूप, कार्यों के लिए निविदाएं नवम्बर 2011 में ही आमंत्रित की जा सकी। इस भंडारण एवं विपणन अधोसंरचना के कार्यों, की पूर्णता में विलंब का योगदान दिया था जो कि मार्च 2015 में पूर्ण हुए थे।

हमारे द्वारा बडोराघाट, टीकमगढ़ में भंडार एवं विपणन अधोसंरचना (78,000 मी.टन) के भौतिक सत्यापन के दौरान (मई 2015), हमने अवलोकित किया कि पहुंच मार्ग के लिए भूमि अधिग्रहण उस समय तक नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, भंडार का कार्य प्रभावित होगा।

शासन ने बताया (अक्तूबर 2015) कि मंडी बोर्ड ने भूमि उसके अपने मंडी परिसरों में प्रदान की थी एवं मार्कफेड तथा मध्य प्रदेश भंडारण कार्पोरेशन को सौंपी थी। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों को तैयार करने के दौरान पहुंच मार्ग के लिए भूमि की उपलब्धता निश्चित नहीं थी एवं पहुंच मार्गों के लिए एक अलग प्रस्ताव प्रारम्भ किया जा रहा था।

उत्तर पुष्टि करता है कि भूमि की आवश्यकता नवम्बर 2011 में विलंब से निर्धारित की गई थी।

**अनुशंसा**

शासन को भूमि के समयबद्ध अधिग्रहण एवं कार्यकारी परियोजना प्रतिवेदनों को तैयार

करने के लिए प्रत्येक स्थल के सर्वेक्षण एवं अन्वेषण को किया जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

### 2.3.8.3 वित्तीय प्रबंधन

11वीं एवं 12वीं योजना अवधियों के दौरान, भारत सरकार ने ₹ 704.50 करोड़ एवं ₹ 596.06 करोड़ की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता अनुमोदित की। मध्य प्रदेश शासन ने इस अवधि के दौरान ₹ 597.83 करोड़ आवंटित किए जिसके विरुद्ध ₹ 579.96 करोड़ कार्यों पर उपयोग किए गए थे।

वर्ष 2011-12 के दौरान, भारत सरकार द्वारा कुल ₹ 270 करोड़ की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता विमुक्त की गई थी, जिसके विरुद्ध मध्य प्रदेश शासन ने ₹ 271.77 करोड़ आवंटित किए थे, जो किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा आहरित किए गए तथा कार्यान्वयन एजेंसियों को बाँटे गए।

शासन ने निर्गम सम्मेलन में बताया कि ₹ 1.77 करोड़ के अंतर के लिए मिलान किया जाएगा।

### 2.3.8.4 भंडारण एवं विपणन अधोसंरचनाओं के कार्यों का क्रियान्वयन

एन.आर.ए.ए. के दिशा निर्देशों के अनुसार, सीमेंट कांक्रीट सड़कों, पेवमेंट इत्यादि के विकास से संबंधित कार्य जहाँ तक संभव हो, न्यूनतम रखे जाने थे एवं संग्रहण के लिए अधोसंरचनाओं के विकास की ओर अधिक ध्यान दिया जाना था। भंडारण संरचनाएं, कार्यों के अनुबंधों में प्रावधानित संबंधित विशिष्टियों के प्रावधानों के अनुसार निर्मित की जानी थीं। मंडी बोर्ड, राज्य भंडारण कार्पोरेशन एवं मार्कफेड के मुख्य अभियंताओं वाली एक समिति कार्यों के लिए तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकारी है। हमने कार्यों के क्रियान्वयन में निम्न कमियां अवलोकित की:

#### (1) सीमेंट कांक्रीट कार्यों पर अधिक व्यय

एन.आर.ए.ए. के दिशा निर्देशों के विपरीत, प्राक्कलनों में योजनाबद्ध कार्य के कुल मूल्य के 13.50 प्रतिशत सी.सी. कार्यों के विरुद्ध वास्तव में 22.83 प्रतिशत सी.सी. कार्य क्रियान्वित किए गए थे।

नमूना जांच किए गए भंडारण एवं विपणन अधोसंरचनाओं के 11 पैकेज एवं मिनी मंडियों के 27 पैकेजों में से 10 में क्रियान्वयन के दौरान भंडारण एवं विपणन अधोसंरचनाओं तथा मिनी मंडियों के कार्यों में सम्मिलित सी.सी. सड़कों/ पार्किंग की मात्रा बढ़ गयी जिससे ₹ 35.73 करोड़ की प्राक्कलित लागत बढ़कर ₹ 60.42 करोड़ हो गई (मूल प्राक्कलन पर 69.11 प्रतिशत की वृद्धि) (परिशिष्ट 2.39)। 11 पैकेजों के प्राक्कलनों में योजनाबद्ध कार्य के कुल मूल्य के 13.50 प्रतिशत के स्थान पर वास्तव में 22.83 प्रतिशत सी.सी. कार्य क्रियान्वित किए गए थे।

आगे यह अवलोकित किया गया कि दो सी.सी. सड़क कार्यों के क्रियान्वयन पर ₹ 2.85 करोड़<sup>89</sup> का व्यय अनियमित रूप से किया गया था क्योंकि ये तकनीकी स्वीकृति का भाग नहीं थे। विभाग ने 5.69 लाख मी. टन की परिकल्पित संग्रहण क्षमता के विरुद्ध कुल 5.34 लाख मी.टन क्षमता सृजित की थी जिससे सी.सी. कार्यों के अधिक क्रियान्वयन के कारण संग्रहण क्षमता में कमी होना इंगित होता था।

शासन ने बताया (अक्तूबर 2015) कि परिसरों को धूल रहित रखने एवं दीर्घ सेवाकाल

<sup>89</sup> बीना एवं खिमलासा में सी.सी. सड़कें (एम.पी.डब्ल्यू.एल.सी का पैकेज क्र 118): ₹ 1.46 करोड़ एवं ₹ 1.39 करोड़: कुल ₹ 2.85 करोड़

होने तथा भार वहन क्षमता के लिए सी.सी. सड़कों को प्रावधानित एवं क्रियान्वित किया गया था।

उत्तर समाधानकारक नहीं है क्योंकि एन.आर.ए.ए. के दिशा निर्देशों के विपरीत सी.सी. सड़कों एवं पार्किंग का अधिक क्रियान्वयन किया गया था।

### (11) विशिष्टियों से विचलन

विशिष्टियों से विचलन के कारण भंडारण अधोसंरचनाओं के सड़क कार्यों में ₹ 4.27 करोड़ की अतिरिक्त लागत व्यय की गई थी।

• आई.आर.सी. 15 (आई.आर.सी.: 58 का परिशिष्ट) के प्रावधानों के अनुसार, भंडारण अधोसंरचनाओं के सड़क कार्यों में सबग्रेड<sup>90</sup> के उपर सीमेंट कांक्रीट पेवमेंट बिछाने से पहले ग्रेनुलर सब बेस (जी.एस.बी.) एवं/या डब्लू.बी.एम.<sup>91</sup> वाली 15 से.मी. न्यूनतम मोटाई की एक सब-बेस<sup>92</sup> परत बिछाई जानी चाहिए। आई.आर.सी. सबग्रेड की मिट्टी की प्रकृति के निर्धारण का प्रावधान करती है।

तीन कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे भंडारण एवं विपणन अधोसंरचनाओं के लेखापरीक्षा के लिए चयनित किए गए 11 पैकेजों में से 10 में सी.सी. सड़कों के नीचे जी.एस.बी. की 15 से.मी. मोटाई के अतिरिक्त डब्लू.बी.एम. ग्रेड-II एवं ड्राय लीन कांक्रीट (डी.एल.सी.) की परतें, सबग्रेड मिट्टी की प्रकृति का निर्धारण किए बिना प्राक्कलनों में प्रावधानित की गई एवं क्रियान्वित की गई थीं। इस प्रकार, ₹ 4.27 करोड़ की लागत वाली 30,165.526 घनमीटर डी.एल.सी. एवं डब्लू.बी.एम. ग्रेड-II की परिहार्य मात्रा क्रियान्वित की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप उस सीमा तक अतिरिक्त लागत आई (परिशिष्ट 2.40)।

शासन ने बताया (अक्तूबर 2015) कि डब्लू.बी.एम. तथा डी.एल.सी. सहित सब बेस को दो परतों में, सी.सी. निर्माण के लिए कार्यप्रणाली की संहिता के अनुसार रूपांकन के आधार पर बिछाया गया था एवं प्राक्कलन तकनीकी समिति द्वारा अनुमोदित किए गए थे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि 15 से.मी. मोटाई के जी.एस.बी. के अतिरिक्त डब्लू.बी.एम. एवं डी.एल.सी., सबग्रेड मिट्टी की प्रकृति का निर्धारण किए बिना क्रियान्वित की गई थी, जो कि विशिष्टियों के विपरीत था।

• भंडारण संहिता के प्रावधानों के अनुसार, भंडार की फ्लोरिंग में 230 मि.मी. की स्टोन डस्ट, दो परतों (कुल 150 मि.मी.) में 150 मि.मी. सीमेंट कांक्रीट (1:5:10) तथा बिटुमिन मेक्सफाल्ट या पॉलीथीन शीट की एक परत सीमेंट कांक्रीट की दो परतों के मध्य बिछाया जाना था।

विशिष्टियों से विचलनों के कारण, भंडारण एवं विपणन अधोसंरचना के कार्यों में ₹ 5.40 करोड़ की अतिरिक्त लागत व्यय की गई थी।

भंडारण एवं विपणन अधोसंरचना के नमूना जांच किए गए सभी 11 पैकेजों में, संहिता के प्रावधानों से विचलन करते हुए भंडार के फ्लोरिंग में स्टोन डस्ट और सीमेंट वंछीट (1:3:6) की क्रमशः 300 मि. मी. और 200 मि. मी. की एक-एक परत बिछाई गई थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 5.40 करोड़ (परिशिष्ट 2.41) की अतिरिक्त लागत आई। आगे, बिटुमिन मेक्सफाल्ट या पॉलीथीन शीट की एक परत प्रावधानित एवं क्रियान्वित नहीं की गई यद्यपि संहिता के अनुसार यह आवश्यक था। इस प्रकार, भंडार में नमी को रोकने

<sup>90</sup> सबग्रेड, पेवमेंट संरचना जिस पर सब बेस बिछाया जाता है, की नींव होती है।

<sup>91</sup> डब्लू.बी.एम. में कोर्स एग्रीगेट, रन्ध्रों को भरने के लिए स्क्रीनिंग मटेरियल शामिल होती है।

<sup>92</sup> सामग्री जैसे कि प्राकृतिक रेत, मुरम, ग्रेवल, क्रशड पत्थर इत्यादि की एक परत

के लिए प्रतिरोध सुनिश्चित नहीं किया गया था।

शासन ने बताया (अक्तूबर 2015) कि परंपरागत भंडारण कार्यप्रणाली के अनुसार वस्तुओं का 15 परतों तक ढेर लगाया गया था एवं वर्तमान प्रणाली अनुसार इसे बढ़ाकर 25 परतों तक किया गया था, इसलिए 300 मि.मी. मोटी स्टोन डस्ट को प्रावधानित किया गया था जिसे तकनीकी समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था। आगे यह बताया गया कि कोई जलाक्रान्त क्षेत्र नहीं था इसलिए बिटुमिन मेक्सफाल्ट या पॉलीथीन शीट प्रावधानित नहीं की गई थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि भंडारण संहिता केवल 18 परतों तक ढेर लगाने एवं स्टोन डस्ट की 230 मि.मी. मोटाई की परत तथा बिटुमिन मेक्सफाल्ट या पॉलीथीन शीट सभी प्रकार की जलवायु परिस्थितियों में लगाने हेतु प्रावधानित करती है।

### (III) विलंबों के लिए शास्ति का अनारोपण/कम आरोपण

भंडार के निर्माण के लिए अनुबंधों की शर्त 2 प्रावधानित करती है कि यदि ठेकेदार नियत समय में कार्य को पूर्ण करने में विफल होता है तो संभागीय कार्यपालन यंत्री प्रति सप्ताह विलंब के लिए निविदा मूल्य का 1/16 प्रतिशत शास्ति आरोपित करेगा जो कार्य के मूल्य के अधिकतम छह प्रतिशत तक होगा।

भंडारण एवं विपणन अधोसंरचना के कार्यों की पूर्णता में विलंबों के लिए ₹ 2.75 करोड़ की शास्ति ठेकेदारों पर आरोपित नहीं की गई या कम आरोपित की गई थी।

भंडारण एवं विपणन अधोसंरचना के पांच पैकेज एवं मंडी बोर्ड द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे मिनी मंडियों के छह पैकेज में कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा शास्ति शर्त के अधीन शास्ति आरोपित किया जाना विचारित किया गया था। हमने अवलोकित किया कि कार्य की पूर्णता में विलंबों के लिए ठेकेदारों पर ₹ 2.75 करोड़ की शास्ति आरोपित नहीं की गई या कम आरोपित की गई थी (परिशिष्ट 2.42)।

शासन ने बताया (अक्तूबर 2015) कि शास्ति का आरोपण सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक प्रकरण में सुनवाई करने के पश्चात् निर्धारित की जा रही थी एवं तदनुसार शास्ति आरोपित की गई थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि समय वृद्धि शास्ति शर्त के अंतर्गत प्रदान की गई थी; इसलिए ठेके की शर्तों के अनुसार शास्ति को आरोपित किया जाना था किन्तु कम शास्ति आरोपित की गई थी।

### अनुशंसा

शासन को सुनिश्चित करना चाहिए कि कार्यान्वयन एजेंसियां, भंडारण संहिता, आई.एस. कोड एवं दरों की अनुसूची के सम्बन्धित प्रावधानों के आधार पर कार्यों के प्राक्कलन तैयार करें।

### 2.3.9 वन विभाग में कार्यक्रम का क्रियान्वयन

मुख्यतः भारत सरकार से कम निधि उपलब्ध कराये जाने के कारण निर्धारित 2.88 लाख हे. क्षेत्र में ही पूर्ण कराये जा सके।

बी.डी.एम.पी. के उद्देश्यों में प्राकृतिक संसाधन यथा मिट्टी, जल, एवं वनों के उपयोग, सुरक्षित रखने एवं विकास तथा मिट्टी के कटाव को कम करने एवं वनों में और गिरावट रोकने एवं स्थानीय समुदाय को चारे की उपलब्धता एवं रोजगार/आय के अवसर उपलब्ध कराना भी शामिल था, जिसके द्वारा पारिस्थिकी संतुलन का पुनर्स्थापन भी सम्मिलित था।

मध्य प्रदेश शासन के निर्देश (जुलाई 2010) के अनुसार मिट्टी की नमी एवं संरक्षण (एस.एम.सी.) का कार्य जलग्रहण क्षेत्र के आधार पर कार्यान्वित किया जाना था। जलग्रहण क्षेत्रों का चयन अखिल भारतीय मृदा एवं भूमि उपयोग सर्वेक्षण संगठन द्वारा किये गये वर्गीकरण के आधार पर किया जाना था। वाटरशेड के क्षेत्रों के अंतर्गत एस.एम.सी. कार्य में ऊर्वे क्षेत्रों में कन्टूर ट्रेन्चों, गली प्लगिंग<sup>93</sup> इत्यादि, मध्य क्षेत्रों में चेकडैम एवं परकोलेशन टैंक तथा निचले क्षेत्रों में तालाब का निर्माण किया जाना था ताकि बह जाने वाले सतही जल के वेग एवं मात्रा को कम किया जा सके एवं पुनरुत्पादन एवं वनस्पति घनत्व में वृद्धि हो। इन परियोजनाओं का क्रियान्वयन चयनित संयुक्त वन प्रबंधन समितियों (जे.एफ.एम.सी) के कॉन्फेडरेशन के रूप में स्थापित वन विकास अभिकरणों के माध्यम से किया जाना था।

भारत सरकार द्वारा (फरवरी 2010) ने राष्ट्रीय के अन्तर्गत अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता तथा केन्द्रीय क्षेत्र योजनाओं (सी.एल.एस.)/केन्द्रीय सहायत्रित (सी.एस.) योजनाओं को वनीकरण कार्यक्रम (एन.ए.पी.) तथा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना वाटरशेड के क्षेत्रों के अंतर्गत एस.एम.सी. कार्य हेतु चिन्हित किया गया। मार्च 2015 तक निष्पादित कार्यों पर व्यय का विवरण तालिका 2.17 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.17: स्वीकृत, प्राप्त निधि, व्यय एवं जलग्रहण क्षेत्रों का चरण वार विवरण

(₹ करोड़ में)

चरण	विवरण	अनुमोदन	प्राप्ति	मार्च 2015 तक व्यय	उपचारित जलग्रहण क्षेत्रों की संख्या	निर्धारित एसएमसी क्षेत्र/उपलब्धि (हे.)
11वीं योजना (2007-12)	एसीए	107	106.54	106.54	396	200000/98511
	सीएस/सीएसएस (एनएपी)	20	19.09	19.09		
	मनरेगा	115	3.67	3.67		
12वीं योजना (2013-17)	एसीए	80	29.39	29.39	169	87530/40454
	सीएस/सीएसएस (एनएपी)	0	0	0		
	मनरेगा	0	0	0		
योग		322	158.69	158.69	565	2,87,530/1,38,965

(स्रोत : विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी)

भारत सरकार ने 11वीं योजना के लिए 2,00,000 हेक्टेयर बिगड़े वन में जलग्रहण क्षेत्रों में चोटी से घाटी तक उपचार हेतु राशि ₹ 242 करोड़ स्वीकृत किये गये। भारत सरकार

<sup>93</sup> यह मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए पत्थर पर आधारित निर्माण प्रणाली है एवं जल प्रवाह को सुगम बनाती है।

द्वारा 89,086 हेक्टेयर क्षेत्र में एस.एम.सी. कार्य हेतु अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता घटक के ₹ 106.54 करोड़ विमुक्त (2010-12) किये गये।

विभाग द्वारा मार्च 2015 तक ₹ 158.69 करोड़ की लागत पर 565 जलग्रहण<sup>94</sup> क्षेत्रों में एस.एम.सी. के कार्य कराये गये। इस प्रकार, मुख्यतः भारत सरकार के निधि के कम विमुक्ति के कारण ग्यारहवें एवं बारहवें योजना अंतर्गत एस.एम.सी. कार्य हेतु निर्धारित 2.88 लाख हेक्टेयर के स्थान पर मात्र 1.39 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में ही कार्य कराये जा सके।

विभाग द्वारा कुल किये गये व्यय में से अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से अवधि 2010-15 के दौरान राशि ₹ 135.93 व्यय किया जा कर 1,070 तालाब (₹ 56.39 करोड़), 2,434 परकोलेशन टैंक (₹ 31.53 करोड़), पिटस (₹ 9.46 करोड़) एवं कन्टूर ट्रेंचों चेकडैम इत्यादि (₹ 38.55 करोड़), निर्मित किये गये। सी.एस./सी.एस.एस./मनरेगा की राशि ₹ 22.76 करोड़ से वृक्षारोपण के कार्य तथा परकोलेशन टैंक के कार्य कराये गये।

हमारे द्वारा 132 जलग्रहण क्षेत्रों में राशि ₹ 40.59 करोड़ से कराये गये एस.एम.सी. कार्यों, जिसमें डी.पी.आर. के निरीक्षण के अतिरिक्त राशि ₹ 13.64 करोड़ से निर्मित 264 तालाब, एवं ₹ 7.82 करोड़ से निर्मित 695 परकोलेशन टैंक के कार्यों की नमूना जाँच की गई। लेखापरीक्षा में पाई गई कमियों को अनुवर्ती कंडिकाओं में वर्णित किया गया है।

### 2.3.9.1 डी.पी.आर. तैयार करने में कमिया

बीडीएमपी के अंतर्गत योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु एनआरएए की स्वीकृति (सितम्बर 2013) में निर्धारित किया गया था कि डी.पी.आर. में जलग्रहण क्षेत्रों में निर्मित किये जाने प्रकार तथा स्थान के साथ विभिन्न संरचनाओं/गतिविधियों हेतु स्थल विशिष्ट विस्तृत अनुमान एवं डी.पी.आर. तैयार किया जाना था। विभाग के प्रत्यायोजित वित्तीय अधिकार (1995) के अनुसार सक्षम अधिकारी द्वारा विस्तृत अनुमानों का अनुमोदन संबंधित निर्माण विभाग के मुख्य अभियन्ता की सलाह पर किया जाना था। हालांकि संशोधित प्रत्यायोजित वित्तीय अधिकार (2012) के अंतर्गत संबंधित निर्माण विभाग के मुख्य अभियन्ता की सलाह के प्रावधान का उल्लेख नहीं था। बारहवीं योजना अंतर्गत एनआरएए द्वारा डी.पी.आर. को तकनीकी रूप से पुनरीक्षित किया जाना था।

हमने देखा कि भारत सरकार द्वारा अंतर मंत्रालयीन केन्द्रीय टीम के आधार पर एस.एम.सी. कार्यों हेतु निर्धारित राशि ₹ 12,000 तथा ₹ 6,720 प्रति हेक्टेयर के मान से ग्यारहवें तथा बारहवें योजना हेतु डी.पी.आर. तैयार की गई। इस प्रकार, डी.पी.आर. स्थल विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर नहीं थी। ग्यारहवीं योजना अवधि के लिए 396 जलग्रहण क्षेत्रों की डी.पी.आर. में आंकलनों की सत्यता एवं संरचनाओं के आकार की सुदृढ़ता से संबंधी निर्माण विभाग के मुख्य अभियन्ता की परामर्श का विवरण अभिलेखों में नहीं पाया गया। बारहवीं योजना अवधि के 196 जलग्रहण क्षेत्रों के प्रकरण में डी.पी.आर. की तकनीकी सुदृढ़ता सुनिश्चित नहीं की जा सकी क्योंकि स्थल विशिष्ट डी.पी.आर. का अनुमोदन एनआरएए से प्राप्त नहीं किया गया। परिणामस्वरूप एस.एम.सी. कार्यों में संरचनाओं में आवश्यक घटक यथा, पडल ट्रेंच, वेस्ट वीयर, पत्थर की पिचिंग

एसएमसी कार्य स्थल विशिष्ट आवश्यकताओं के बदले ₹ 12,000/₹ 6,720 प्रति हे. के मानक दर पर कराये गये।

<sup>94</sup> 19.98 हे. से 1243.39 हे. तक विस्तारित क्षेत्र

इत्यादि नहीं बनाये गये एवं तालाब के फूटने, बांधों में कटाव, कमांड क्षेत्रों में ओवरलैपिंग, असामान्य शीर्ष बांध, पिचिंग कार्य एवं पक्के वेस्ट वीयर का अभाव पाया गया जिनका अनुवर्ती कंडिका 2.3.9.2 में वर्णन किया गया है।

विभाग द्वारा बताया गया (अक्टूबर 2015) कि विशिष्ट कार्यो हेतु डी.पी.आर. स्थल विशिष्ट आवश्यकता के अनुसार तैयार किये गये थे तथा वन विभाग हेतु प्रत्यायोजित वित्तीय अधिकार के अनुसार मुख्य अभियंता से परामर्श के लिये कोई शर्त नहीं थी।

उत्तर मान्य योग्य नहीं है क्योंकि ग्यारहवें योजना अवधि हेतु निर्माण विभाग के मुख्य

अभियन्ता का परामर्श आवश्यक था। इसके अतिरिक्त, डी.पी.आर. की तकनीकी सुदृढता सुनिश्चित की जानी चाहिये थी जो कि नहीं की गई।

### अनुशंसा

शासन को एस.एम.सी. कार्यों के रेखांकन एवं डिजाइन की सुदृढता हेतु निर्माण विभाग के मुख्य अभियन्ता का परामर्श सुनिश्चित करना चाहिए।

#### 2.3.9.2 कार्यों के निष्पादन में कमियां

तालाबों के फूटने, बांधों में बरसात के कारण भारी कटाव कमांड क्षेत्रों में ओवरलैपिंग, पिचिंग एवं पक्के वेस्टवियर का न होना जैसी कमियां पाई गई।

विभाग ने एस.एम.सी. के सिविल पर (मार्च 2015 तक) राशि ₹ 97.39 करोड़ व्यय किये। विभाग द्वारा इस प्रकार के कार्यों को अपनाये जाने से पहले विशिष्टियों एवं प्रक्रिया का निर्धारण नहीं किया गया। जैसा कि विचारित था विभाग द्वारा एस.एम.सी. के सिविल कार्यों हेतु मैदानी कर्मचारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं की गयी।

हमने तालाब एवं परकोलेशन टैंक के निर्माण में पडल कोर का न बनाया जाना, वेस्ट वियर का न बनाया जाना, तालाब के अपरस्ट्रीम में पत्थर की पिचिंग न किया जाना, बिना पानी तथा संदनन के मिट्टी के कार्य, बेंचिंग कार्य, पडल का अधिक खनन एवं जंगल सफाई की कमियां पाई। जिसके परिणामस्वरूप ₹ 3.70 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

हमने संयुक्त भौतिक सत्यापन में 18 तालाबों में से 17 में तालाबों के फूटने, बांधों में बरसात के कारण भारी कटाव, कमांड क्षेत्रों में ओवरलैपिंग, असमान शीर्ष बांध एवं पिचिंग एवं पक्के वेस्टवियर के न होने की, कमियां पाई। (परिशिष्ट 2.43)

विभाग द्वारा बताया गया (अक्टूबर 2015) कि वनाधिकारी अपने प्रवेश पाठ्यक्रम के दौरान वन अभियांत्रिकी में प्रशिक्षित किये जाते हैं। व्यक्तिगत चूकों या निर्माण के तुरंत बाद भारी बारिश के कारण तालाबों एवं परकोलेशन टैंक के निर्माण में कुछ कमियां हो सकती हैं।

उत्तर समाधानकारक नहीं है क्योंकि विभाग द्वारा प्रथम बार किये जाने वाले सिविल अभियांत्रिकी संरचनाओं के निर्माण हेतु दिये गये प्रशिक्षण एवं सूखाग्रस्त बुन्देलखण्ड में भारी बारिश का विवरण नहीं दिया गया।

#### 2.3.9.3 संयुक्त वन प्रबंधन समितियों को कार्यों में न लगाया जाना

एन.आर.ए.ए. के दिशनिर्देशों के अनुसार बी.डी.एम.पी. के अन्तर्गत परियोजनाओं को जे.एफ.एम.सी. के द्वारा क्रियान्वित किया जाना था। हमने देखा कि जैसा कि डी.पी.आर. में उल्लेखित था, जे.एफ.एम.सी. के माध्यम से कार्य करने हेतु निधि को वन विकास अभिकरण को स्थानांतरित करने के स्थान पर ₹ 135.93 करोड़ मूल्य के एस.एम.सी. कार्य विभागीय रूप से कराये गये। इस प्रकार, समुदायों को प्रकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु संगठित कर इसे जन आंदोलन बनाने का उद्देश्य सुनिश्चित नहीं किया गया।

विभाग द्वारा बताया गया कि सामान्य दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट है कि वन क्षेत्रों में कार्य का कार्यान्वयन वन विभाग द्वारा जे.एफ.एम.सी. की सहायता से किया जाना था। उत्तर मान्य योग्य नहीं है क्योंकि जे.एफ.एम.सी. की सहभागिता का विवरण अभिलेखों में नहीं पाया गया।



**2.3.9.4 श्रमिकों के स्थान पर मशीनों से कार्यों का कार्यान्वयन**

मध्य प्रदेश शासन द्वारा बी.डी.एम.पी. के अंतर्गत कार्यों का कार्यान्वयन श्रमिकों<sup>95</sup> को लगाकर किये जाने हेतु, निधि का आवंटन किया। 1,371 तालाब/परकोलेशन टैंक के निर्माण पर राशि ₹ 24.11 करोड़ व्यय मशीनों को लगाकर किये गये। इस प्रकार उस सीमा तक रोजगार सृजन के अवसर समाप्त हो गये।

शासन द्वारा तथ्य पर सहमत (अक्टूबर 2015) होते हुए कहा गया कि बी.डी.एम.पी. में मशीनों के उपयोग पर प्रतिबंध नहीं था। उत्तर स्वीकार्य योग्य नहीं है क्योंकि जैसा कि एन.आर.ए.ए. के दिशानिर्देशों में रोजगार सृजन की परिकल्पना थी, उसके अनुसार मध्य प्रदेश शासन द्वारा निधि, मजदूरी मद में उपलब्ध कराई गई थी।

तालाबों एवं परकोलेशन टैंकों का निर्माण श्रमिकों को लगाकर करने के बदले मशीनों को लगाकर किया गया जिस पर राशि ₹ 24.11 करोड़ व्यय किये गये।

सहायक प्रधान मुख्य वनसंरक्षक वन (जे.एफ.एम.) के निर्देश (मई 2010) के अनुसार उपचारित क्षेत्रों में किये गये एस.एम.सी. कार्यों का अभिलेख प्लान्टेशन जर्नल के प्रारूप में रखा जाना था एवं किये जाने वाले कार्यों को मानचित्रों पर इंगित किया जाना था। हमने आठ वन-मंडलों<sup>96</sup> में पाया कि अभिलेख प्लान्टेशन जर्नल के प्रारूप में संघारित नहीं किये गये एवं किये जाने वाले कार्यों को मानचित्र के साथ प्रगति के विवरण को वन संसाधन मानचित्र एवं चित्रों में नहीं दर्शाया गया। इस अभिलेख के अभाव में विभाग भविष्य में होने वाले एस.एम.सी. कार्यों में उचित कार्यवाही करने में सक्षम नहीं हो सकता है।

शासन द्वारा बताया गया (अक्टूबर 2015) कि बारहवीं योजना में वनमंडलों द्वारा अभिलेख संघारित किया जा रहा है।

उत्तर मान्य योग्य नहीं है क्योंकि ग्यारहवीं योजना अंतर्गत किये गये कार्यों हेतु प्लान्टेशन जर्नल संघारित न किये जाने के कोई कारण नहीं दिया गया।

**2.3.10. बी.डी.एम.पी. के अन्तर्गत पूर्ण कार्यों का प्रभाव**

बीडीएमपी 2009-10 से शुरू हुआ। बीडीएमपी का लागूकरण का लक्ष्य वृहद, मध्यम और लघु सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के माध्यम से सिंचाई क्षमता को 2.16 लाख हेक्टेयर तक बढ़ाना था। जल संसाधन विभाग ने बीडीएमपी के अंतर्गत परियोजनाओं के माध्यम से मार्च 2015 तक केवल 1.14 लाख हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता को जोड़ा। रबी फसलों, जो बुंदेलखंड क्षेत्र की मुख्य फसलें हैं, का उत्पादन 2011-12 के 25.04 मीट्रिक टन से 2013-14 में 26.97 मीट्रिक टन बढ़ा था (7.7 प्रतिशत की वृद्धि)। गेहूँ का उत्पादन<sup>97</sup> 2011-12 के 17.74 मीट्रिक टन से 2013-14 में 20.54 लाख टन बढ़ा था। हालांकि चने का उत्पादन 2011-12 के 5.30 लाख मीट्रिक टन से 2013-14 में, 2.91 लाख मीट्रिक टन तक घटा जिसने फसल उत्पादन में मामूली वृद्धि के साथ फसल पद्धति में परिवर्तन को इंगित किया।

बीडीएमपी क्षेत्र के भंडारण क्षमता की वृद्धि हेतु भंडार गृहों और विपणन ढांचे के निर्माण पर भी लक्षित थी। बीडीएमपी के अंतर्गत निर्माण को पूरा करके मार्च 2015 तक क्षेत्र में

<sup>95</sup> निधियों को उद्देश्य शीर्ष 12-मजदूरी के अंतर्गत आवंटित किया गया था

<sup>96</sup> छतरपुर वन संभाग (सामान्य) के छतरपुर-रेंज (वर्ष 2013-15 के लिए) को छोड़कर

<sup>97</sup> सूचना का स्रोत किसान कल्याण एवं कृषि विकास के अधिकारिक वेबसाइट है।

किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग के माध्यम से 5.34 लाख मीट्रिक टन भंडारण क्षमता बढ़ा दी गई थी।

वन क्षेत्र में, एसएमसी के कार्य बीडीएमपी के अंतर्गत लिए गए थे। वन विभाग ने 565 वाटर शेडों में एसएमसी के कार्यों को निष्पादित किया। 2.88 लाख हेक्टेयर के लक्षित क्षेत्र में एसएमसी के विरुद्ध मार्च 2015 तक 1.39 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को पूरा किया गया। ट्रापिकल वन अनुसंधान संस्थान<sup>98</sup> ने अपने प्रतिवेदन में क्षेत्र के व्यक्तियों से संवाद के माध्यम से पर्यवेक्षित किया कि वाटरशेड क्षेत्र के आसापास के क्षेत्र में कुओं, नलकूपों और नलों में जल स्तर में वृद्धि हुई थी, संग्रहण टैंक में पानी पूरे वर्ष उपलब्ध था और फसल पद्धति चना/सरसों से गेहूँ में परिवर्तित हो गई। हालांकि निर्माण कार्यों के प्रकरण में प्रतिवेदित किया गया कि कार्यस्थल का चयन अच्छा था लेकिन कार्य की गुणवत्ता खराब थी और टैंकों में बहुत कम पानी था बिल्कुल पानी नहीं मिला और विस्तृत प्राक्कलन उपलब्ध नहीं कराए गए।

### 2.3.11 निष्कर्ष और अनुशंसाएं

- राजघाट परियोजना के कमाण्ड क्षेत्र में काम लक्ष्य अवधि के भीतर पूरा नहीं किया जा सका। बरियारपुर नहर परियोजना में मुख्य नहर में लाईनिंग एवं संरचनाओं, वितरण प्रणाली में मिट्टी का कार्य एवं लाइनिंग का कार्य अपूर्ण था और पूर्व में वितरण प्रणाली में किए गए कामों की अनदेखी कर नया कार्य आवंटित किया गया। सिंहपुर परियोजना का वितरण प्रणाली का महत्वपूर्ण हिस्सा निर्धारित अवधि के भीतर पूरा नहीं किया जा सका। लघु सिंचाई योजनाएं 81 प्रतिशत पूर्ण थीं एवं सिंचाई क्षमता 61 प्रतिशत ही बनाई जा सकी, इसके अलावा नियोजन, अनियमित निष्पादन, विनिर्देशों एवं संविदात्मक दायित्वों के उल्लंघन से विचलन के उदाहरण देखे गए। रनगंगा और उर्मिल परियोजनाओं की सिंचाई क्षमता के सृजन में कमी के अलावा कार्यों के निष्पादन में परिहार्य अतिरिक्त व्यय किया गया।

शासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि परिसम्पत्तियों एवं इसके साथ-साथ किए गए व्यय का अभिलेख उचित रूप से रखा जाये, जिससे कि पूर्व के कार्यों को बाद के कार्यों में शामिल न किया जा सके।

- जल संसाधन विभाग द्वारा ली गई लघु सिंचाई योजनाएं बदली गयीं। बीडीएमपी से बाद में छोड़ दी गयीं, लघु सिंचाई योजनाओं के लाभ लागत अनुपात की गलत गणना की गई थी, भूमि अधिग्रहण में विलम्ब हुये थे, एवं कार्यों के लिए निविदाएं 11वीं योजना अवधि के बाद आमंत्रित की गई थी जो अपर्याप्त आयोजना को दर्शाता है।

शासन को कार्यों पर निष्फल व्यय से बचने के लिए जो कार्यों के देशी से पूर्ण होने पर होता है लघु सिंचाई योजनाओं की डीपीआर, वास्तविक सर्वेक्षण एवं जांच के आधार पर तैयार करनी चाहिए और तकनीकी अधिकारियों द्वारा जारी किये गए विनिर्देशों/निर्देश के आधार पर विस्तृत प्राक्कलनों को तैयार करना और सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदन सुनिश्चित करना चाहिए।

<sup>98</sup> टीएफआरआई को बीडीएमपी के अंतर्गत चार संभागों के कार्यों के संबंध में परियोजना प्रभाव मूल्यांकन हेतु।

- स्थापना, आकस्मिकता, सर्वेक्षण और डीपीआर की तैयारी एवं भूमि अधिग्रहण के मद में व्यय अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता निधियों से किया गया जो धन के अनियमित विचलन के उदाहरण थे।

शासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बीडीएमपी के तहत स्थापना, आकस्मिकता, सर्वेक्षण, डी.पी.आर तैयार करने एवं परियोजना के लिए भूमि पर व्यय राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण के दिशा-निर्देशों के अनुसार वहन किए जाये।

- किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग में भंडारगृहों और लघु मंडियों के निर्मित विपणन ढांचे के उपयोग को सुनिश्चित नहीं किया गया। विभिन्न स्थानों पर भंडारगृहों हेतु समान रेखांकन का प्रयोग किया गया जो कार्य मदों के विचलन/विलोपन में परिणीत हुआ है और निर्माण हेतु भूमि व पहुँच मार्ग के चिन्हीकरण में देरी थी।

शासन को भूमि के समयबद्ध अधिग्रहण एवं कार्यकारी परियोजना प्रतिवेदनों को तैयार करने के लिए प्रत्येक स्थल के सर्वेक्षण एवं अन्वेषण को किया जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

- एनआरएए के दिशा निर्देशों के विपरीत भंडार गृह और विपणन ढांचे के निर्माण में सीमेंट क्रंकीट कार्यों के निष्पादन पर अधिक बल दिया गया। कार्यों के निष्पादन में विलंब के लिए विशिष्टियों से विचलनों और हर्जाना न उगाहने के दृष्टांत थे।

शासन को सुनिश्चित करना चाहिए कि कार्यान्वयन एजेंसियां, भंडारण संहिता, आई.एस. कोड एवं दरों की अनुसूची के सम्बन्धित प्रावधानों के आधार पर कार्यों के प्राक्कलन तैयार करें।

- वन विभाग ने एसएमसी कार्यों के लिए कार्य स्थल विशेष को तैयार नहीं किया। कार्यों के निष्पादन के लिए कार्य विभाग के मुख्य अभियंता की सलाह नहीं ली गई और विशिष्टियों से विचलन, और निष्पादन में अतिरिक्त लागत के अलावा ढांचे के अनुवर्ती असफलता के दृष्टांत थे।

शासन को एस.एम.सी. कार्यों के रेखांकन एवं डिजाइन की सुदृढता हेतु निर्माण विभाग के मुख्य अभियन्ता का परामर्श सुनिश्चित करना चाहिए।

## जल संसाधन विभाग

### 2.4 जल संसाधन विभाग, मध्य प्रदेश द्वारा कार्यान्वित 'इंटरप्राइज़ इंफारमेशन मेनेजमेंट सिस्टम ई.आई.एम.एस.' पर सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा

#### कार्यपालन सारांश

##### प्रस्तावना

मध्य प्रदेश के जल संसाधन विभाग को राज्य के जल संसाधनों के विकास की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। सिंचाई आदि की पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए बांधों, वृहद नहर नेटवर्क सहित एक जल प्रबंधन प्रणाली, राज्य में मौजूद है। इंटरप्राइज़ इंफारमेशन मेनेजमेंट सिस्टम (ई.आई.एम.एस.), विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित मध्य प्रदेश जल क्षेत्र पुर्नसंरचना परियोजना का एक हिस्सा है। ई.आई.एम.एस. का उद्देश्य एकीकृत जल संसाधनों, सिंचाई एवं निकासी प्रणाली का सरलीकरण एवं दक्षता में वृद्धि, बेहतर आयोजना एवं प्रबंधन उपलब्ध कराना है। ई.आई.एम.एस. में, जल संसाधन विभाग को लागत प्रभावी व कुशल सेवाएं प्रदान करने हेतु सक्षम बनाने के लिए सूचना पृष्ठभूमि व सूचना प्रवाह व्यवस्था निर्मित करने पर जोर दिया गया है। ई.आई.एम.एस. में विभाग की अधिकतर गतिविधियों से संबंधित 34 मॉड्यूल हैं जिनमें से 24 मॉड्यूलों की हमने विस्तार से जांच की है।

##### सामान्य नियंत्रण

- औपचारिक तार्किक अभिगम नियंत्रण नीति, विभाग द्वारा तैयार नहीं की गई थी। विभाग ई.आई.एम.एस. के लिए एक परिवर्तन प्रबंधन नीति विकसित नहीं कर सका। विभाग द्वारा अब तक आपदा की स्थिति में कार्य निरंतरता और बहाली की योजना को लागू नहीं किया गया था।

(कंडिकाएं 2.4.6.1 से 2.4.6.3)

##### अनुप्रयोग नियंत्रण

- ई.आई.एम.एस. के 24 मॉड्यूलों के डेटाबेस परीक्षण से अपर्याप्त इनपुट नियंत्रण, डेटा वैधता का न होना, व्यवसायिक नियमों का अपूर्ण निर्धारण, कई माड्यूलों में अपूर्ण डाटा संकलन तथा माड्यूलों का प्रयोग न किया जाना परिलक्षित हुए। इस प्रकार ₹ 16.79 करोड़ का व्यय जो ई.आई.एम.एस. के विकास पर किया गया वह आयोजना अनुसार निर्धारित मॉड्यूलों के विकास/उपयोग न होने के कारण उस सीमा तक निष्फल रहा।

(कंडिकाएं 2.4.7.1 से 2.4.7.17)

##### ई.आई.एम.एस. का ठेका प्रबंधन

- वेब आधारित अनुप्रयोग के साथ एक वैधता समाप्त सिक्वोर सॉकेट लेयर प्रमाणीकरण संस्थापित किया गया था। अतः वेब साइट सुरक्षित नहीं थी। सलाहकार के साथ किए गए अनुबंध में हिन्दी एवं अंग्रेजी के बीच परिवर्तन करने के लिए द्विभाषी

शब्दकोष एवं फोनेटिक रूपांतरण इंजन का प्रावधान था। यद्यपि ये अनुप्रयोग के साथ स्थापित नहीं किए गए थे।

(कंडिकाएं 2.4.8.2 और 2.4.8.3)

- विभाग, ई.आई.एम.एस. अनुप्रयोग का पूर्ण क्षमता से उपयोग करने हेतु पर्याप्त मानव शक्ति का विकास नहीं कर सका। एक वर्ष का एतिहासिक एवं दो वर्ष का मौजूदा डेटा सलाहकार द्वारा अनुबंधानुसार मॉड्यूलों में प्रविष्ट नहीं किया गया था। इसलिए, डेटा प्रविष्टि के परियोजित लाभ प्राप्त नहीं किए जा सके।

(कंडिकाएं 2.4.8.5 और 2.4.8.7)

- ई.आई.एम.एस. के विकास चरण के मुख्य कार्यों में से कुछ कार्य अनुबंध का उल्लंघन करते हुए एक उपठेकेदार फर्म के माध्यम से क्रियान्वित किये गये जिससे प्रणाली रूपांकन संबंधी कमियां रही।

(कंडिका 2.4.8.8)

#### 2.4.1 प्रस्तावना

प्रदेश के जल संसाधनों के विकास की जिम्मेदारी मध्य प्रदेश के जल संसाधन विभाग (विभाग) को सौंपी गई है। बाढ़ से रक्षा, सिंचाई, जल निकासी, औद्योगिक, घरेलू, विद्युत उत्पादन के लिए पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए पिछले कई वर्षों में विकसित बांधों, वृहद नहर नेटवर्क, बिजली के माध्यम से जल को उठाने सहित एक जल प्रबंधन प्रणाली, प्रदेश में मौजूद है। इनमें से कई प्रणालियों को जल प्रबंधन में दक्षता प्राप्त करने व राज्य की बढ़ती मांग से तालमेल बैठाने के लिए आधुनिकीकरण की आवश्यकता है।

मध्य प्रदेश शासन ने राज्य जल नीति अनुमोदित की थी (सितंबर 2003) जिसका उद्देश्य पर्यावरण संतुलन, सभी प्रकार की विकास गतिविधियों के लिए कौशलपूर्ण एवं योजित प्रबंधन एवं समान आधार पर आर्थिक उपयोग हेतु उपलब्ध जल क्षेत्र अधोसंरचना को मजबूत बनाना था।

नीति के उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विभाग ने विश्व बैंक की सहायता से मध्य प्रदेश जल क्षेत्र पुर्नसंरचना परियोजना (एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी.) प्रारंभ की। परियोजना में सामान्य रूप से राज्य के जल संसाधनों के और विशेष रूप से सिंचाई, जल निकासी और भूजल प्रबंधन में सुधारों की परिकल्पना की गई थी। इंटरप्राइज़ इंफारमेशन मैनेजमेंट सिस्टम (ई.आई.एम.एस.), विश्व बैंक वित्तपोषित मध्य प्रदेश जल क्षेत्र नवीनीकरण परियोजना का एक भाग है। परियोजना संचालक, परियोजना कार्यान्वयन एवं समन्वय इकाई, जल संसाधन विभाग ने मैसर्स टेक महिन्द्रा लिमिटेड (सलाहकार) को संपूर्ण जल संसाधन विभाग हेतु ई.आई.एम.एस. के रूपांकन, विकास एवं कार्यान्वयन का कार्य सौंपा। ई.आई.एम.एस. का विकास चरण 30 सितंबर 2013 को पूर्ण हुआ था।

### ई.आई.एम.एस. के उद्देश्य

ई.आई.एम.एस. के उद्देश्य वर्तमान संगठन की दक्षता सुधारने व सरलीकृत करने एवं समयबद्ध एवं उचित निर्णयों के माध्यम से जल निकासी प्रणाली, सिंचाई व एकीकृत जल संसाधनों की बेहतर आयोजना व प्रबंधन उपलब्ध कराना थे। ई.आई.एम.एस. में जल संसाधन विभाग को मूल्य प्रभावी व दक्ष सेवाएं प्रदान करने हेतु सक्षम बनाने के लिए सूचना पृष्ठभूमि व सूचना प्रवाह व्यवस्था निर्मित करने पर जोर दिया गया था। ई.आई.एम.एस., संपदा प्रबंधन, देयक एवं राजस्व संग्रहण, क्रय, वित्तीय प्रबंधन, लेखांकन, मानव संसाधन विकास व कार्यालय स्वचालन में सुधार करते हुए जल संसाधन विभाग की प्रमुख गतिविधियों को संस्थागत रूप से मजबूत करने के लिए सूचना तकनीक अधोसंरचना एवं सहायक सूचना प्रणालियों के निर्माण व प्रभावी उपयोग पर जोर देता है।

### ई.आई.एम.एस. अनुप्रयोग की मुख्य विशेषताएं

ई.आई.एम.एस. में विभाग की अधिकतर गतिविधियों जैसे संपदा प्रबंधन, परियोजना प्रबंधन, तकनीकी व परिचालन, संस्थागत कार्य, सहायक कार्य, कार्यालय स्वचालन, देयक व राजस्व संग्रहण, बाढ़ नियंत्रण एवं निर्माण, जल मौसम विज्ञान आदि से संबंधित 34 माड्यूल<sup>99</sup> हैं। अनुप्रयोग को फ्रंट एंड के रूप में जावा 2 ई ई (एंटरप्राइज संस्करण) तथा बैक एंड<sup>100</sup> के रूप में पोस्ट ग्रे एसक्यूएल (संरचनाकृत प्रश्नावली भाषा) पर विकसित किया गया था। जिसे आंतरिक इंटरनेट या विश्वव्यापी वेब के माध्यम से उपयोग किया जा सकता है, यह एक ओपन सोर्स प्लेटफार्म पर एक स्वतंत्र अनुप्रयोग था एवं विन्डोज/लाइसेंस/यूनिक्स/सन पर प्रसारित किया जा सकता था। विभिन्न उपयोगकर्ता जैसे कार्यपालन यंत्री, उप संभागीय अधिकारी, ठेकेदार इत्यादि इंटरनेट के माध्यम से ई.आई.एम.एस. से जुड़ सकते थे।

#### 2.4.2 संगठनात्मक संरचना

जल संसाधन विभाग, शासन स्तर पर प्रमुख सचिव से एवं विभाग स्तर पर प्रमुख अभियंता से शासित होता है। विभाग मुख्य अभियंता से शासित आठ कक्षों, अधीक्षण यंत्री से शासित 33 मंडलों एवं कार्यपालन यंत्री से शासित 128 संभागों में विभाजित है जो मध्य प्रदेश में विभिन्न कक्षों में वृहद/मध्यम/लघु परियोजनाओं के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। परियोजना संचालक, परियोजना कार्यान्वयन एवं समन्वय इकाई, भी जल संसाधन विभागांतर्गत कार्य करते हैं, जिसको विश्व बैंक वित्त पोषित एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी. के कार्यान्वयन के उद्देश्य से स्थापित किया गया है।

#### 2.4.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

लेखापरीक्षा के उद्देश्यों में निम्नलिखित जानना था :

- सामान्य व अनुप्रयोग नियंत्रण की पर्याप्तता,
- आयोजना व निर्णय लेने में सहायता हेतु ई.आई.एम.एस. के उपलब्ध डेटाबेस का प्रभावी उपयोग एवं

<sup>99</sup> ई.आई.एम.एस. के लिए लिंक <https://www.mpwr.gov.in>

<sup>100</sup> आर.डी.बी.एम.एस.: रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम

- विभाग के लिए ई.आई.एम.एस. के रूपांकन, विकास व कार्यान्वयन हेतु सलाहकार के ठेके का प्रबंधन

#### 2.4.4 लेखापरीक्षा मापदण्ड

लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्न से लिए गए मापदण्डों पर आधारित थे :

- प्रणाली आवश्यकता विशिष्टियां, प्रणाली रूपांकन दस्तावेज़।
- अनुप्रयोग साफ्टवेयर के विकास व कार्यान्वयन की सर्वोत्तम पद्धतियां।
- जल संसाधन विभाग द्वारा जारी सूचना प्रौद्योगिक अधोसंरचना व जल संसाधन विभाग में ई.आई.एम.एस. के कार्यान्वयन से संबंधित परिपत्र व आदेश।
- सलाहकार के साथ किये गये अनुबंध की नियम एवं शर्तें, समय-समय पर संशोधित का मध्य प्रदेश कार्य विभाग नियमावली<sup>101</sup> एवं केन्द्रीय लोक निर्माण लेखा संहिता<sup>102</sup>।

#### 2.4.5 लेखापरीक्षा का क्षेत्र व पद्धति

परियोजना संचालक, परियोजना कार्यान्वयन एवं समन्वय इकाई, कार्यालय में शुरुआत से आज तक (जून 2015) उपलब्ध सलाहकार को ठेका प्रदान (अगस्त 2008) करने संबंधी अभिलेख साथ ही कम्प्यूटर सहायित लेखापरीक्षा तकनीक (सी.ए.ए.टी.)<sup>103</sup> का उपयोग करते हुए, परियोजना कार्यान्वयन एवं समन्वयन इकाई द्वारा लेखापरीक्षा को प्रदत्त 31 दिसंबर 2014 तक की अवधि तक उपलब्ध डेटाबेस की भी जांच की गई थी। इसके अतिरिक्त, जल संसाधन विभाग के 13 संभागों की, जो कुल 128 संभागों का दस प्रतिशत थे, ई.आई.एम.एस. के विभिन्न माड्यूलों की उपयोगिता की सीमा जानने हेतु लेखापरीक्षा की गई थी।

शासन ने सूचित किया (सितंबर 2015) कि यद्यपि 34 माड्यूल्स विकसित किये गये थे, पांच मुख्य माड्यूल जैसे एस.एम.एस. आधारित रिसर्वायर निगरानी, साध्यता निगरानी, लघु योजना निगरानी, ई-माप पुस्तक एवं सिंचाई मॉनीटरिंग ने उपयोगिता व राशि के मूल्य के आधार पर 80 प्रतिशत योगदान दिया है। ई.आई.एम.एस. के 34 माड्यूलों में से हमने मुख्य माड्यूलों को सम्मिलित करते हुये 24 माड्यूलों का विस्तृत परीक्षण किया है।

लेखापरीक्षा उद्देश्य, मानदण्ड व लेखापरीखा के क्षेत्र की जानकारी देने के लिये प्रमुख सचिव, जल संसाधन संभाग, मध्य प्रदेश शासन के साथ 22 जनवरी 2015 को एक प्रवेश सम्मेलन आयोजित किया गया था। सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा पर एक मसौदा प्रतिवेदन विभाग/शासन को दिनांक 6 अगस्त 2015 को जारी किया गया था एवं मसौदा प्रतिवेदन पर प्रमुख अभियंता का उत्तर 5 नवंबर 2015 को प्राप्त हुआ था। निर्गम सम्मेलन, प्रमुख सचिव एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ 22 सितंबर 2015 को आयोजित किया गया था। प्रमुख अभियंता द्वारा दिये गये उत्तर एवं निर्गम सम्मेलन में

<sup>101</sup> म. प्र. का वि. नि. : मध्य प्रदेश कार्य विभाग नियमावली

<sup>102</sup> के.लो.नि.ले. : केन्द्रीय लोक निर्माण लेखा

<sup>103</sup> सी.ए.ए.टी. : संविदात्मक डाटा निकासी एवं विश्लेषण

व्यक्त किए गए विचार उपयुक्त रूप से प्रतिवेदन में सम्मिलित किए गये हैं। प्रतिवेदन में दी गई अनुशंसाओं पर शासन द्वारा सहमति दी गई थी।

### लेखापरीक्षा जांच परिणाम

सामान्य नियंत्रण, अनुप्रयोग नियंत्रण एवं ई.आई.एम.एस. के लिये ठेका प्रबंधन से संबंधित लेखापरीक्षा जांच परिणाम अनुवर्ती कंडिकाओं में वर्णित किए गए हैं।

#### 2.4.6 सामान्य नियंत्रण

विभाग के क्रियाकलाप जैसे संपदा प्रबंधन, देयक भुगतान, ठेका प्रबंधन, सिंचाई निगरानी, बांध सुरक्षा निगरानी, मानव संसाधन प्रबंधन, राजस्व संग्रहण इत्यादि संभाग स्तर पर इसके उपयोग एवं परिचालन हेतु ई.आई.एम.एस. में शामिल किए गए थे। सभी माड्यूलों में डेटा, संभाग स्तर पर प्रविष्ट किया जा रहा था।

सामान्य नियंत्रणों में डेटा केन्द्र का परिचालन, प्रणाली साफ्टवेयर अधिग्रहण एवं रख-रखाव, उपयोग संबंधी सुरक्षा एवं अनुप्रयोग प्रणाली विकास एवं रखरखाव नियंत्रण सम्मिलित हैं। ये एक व्यवस्था निर्मित करते हैं जिसमें अनुप्रयोग प्रणाली व अनुप्रयोग नियंत्रण परिचालित होते हैं।

ई.आई.एम.एस. सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग के संबंध में सामान्य नियंत्रण में कमियां जैसे ई.आई.एम.एस. के लिए अपर्याप्त तार्किक उपयोग नियंत्रण, अनुचित परिवर्तन प्रबंधन प्रणाली एवं व्यवसाय निरंतरता एवं आपदा से बहाली योजना लेखापरीक्षा में देखी गई, जिनकी चर्चा अनुवर्ती कंडिकाओं में की गई है।

##### 2.4.6.1 अपर्याप्त तार्किक उपयोग नियंत्रण

डेटा तक अप्राधिकृत पहुँच की जोखिम में सूचना के बाहर आने की संभावना सम्मिलित है, जो बाहरी व्यक्तियों को किसी संगठन की वर्तमान अवस्था व लक्षणों का अनुमान लगाने का मौका देती है। तार्किक उपयोग नियंत्रण बचाव के उपाय हैं, जो सूचना तक उपयोगकर्ता की पहुँच को सीमित करते हैं एवं उनकी पहुँच के प्रपत्रों को प्रणाली पर वहीं तक प्रतिबंधित करते हैं, जो उनके लिये उपयुक्त हैं।

हमने सभी लेखापरीक्षित संभागों में पाया कि संभागों ने डेटा उपयोग के लिये बिना विशेष वर्ण का उपयोग किए सरल एकल शब्द अथवा केवल संख्यात्मक पासवर्ड का प्रयोग किया था। सूचना के उपयोग हेतु ई. आई. एम. एस. प्रणाली में पासवर्ड की लंबाई, अवधि/अंत दिनांक, परिवर्तन प्रक्रिया, अल्फान्यूमेरिक पैटर्न, आदि के संबंध में कोई मानदंड निर्दिष्ट नहीं थे इस प्रकार, कम्प्यूटर प्रणाली में डेटा की सुरक्षा के लिए एक खतरा था।

प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग ने बताया (नवंबर 2015) कि पासवर्ड नियंत्रण न्यूनतम छः अक्षरों तक सीमित था जो कि अक्षर, संख्यात्मक या विशेष वर्ण का संयोजन या गैर-संयोजन हो सकता था। उत्तर यह पुष्टि करता है, कि प्रणाली, पासवर्ड में अल्फान्यूमेरिक, संख्यात्मक एवं विशेष वर्णों को लागू करने पर जोर नहीं देती और कमजोर पासवर्ड को अनुमत्य कर सकता है। इसके अतिरिक्त औपचारिक तार्किक उपयोग नियंत्रण नीति तैयार नहीं की गई थी।

विभाग द्वारा औपचारिक तार्किक उपयोग नियंत्रण नीति तैयार नहीं की गई।



### 2.4.6.2 अनुचित परिवर्तन प्रबंधन प्रणाली

परिवर्तित की आवश्यकता के अनुसार, एक विकसित प्रणाली को परिवर्तन की आवश्यकता होती है। यह परिवर्तन प्रक्रिया मौजूदा नियंत्रणों पर प्रभाव डाल सकती है एवं इस प्रणाली की अंतर्निहित कार्यक्षमता को प्रभावित कर सकती है। अनुबंध के अनुसार, कोई परिवर्तन समीक्षा समीति से प्राधिकृत होना चाहिये। पुनः प्रणाली के विन्यास में किये गये सभी परिवर्तन प्राधिकृत, परीक्षित, दस्तावेज़ित, नियंत्रित एवं इच्छित प्रणाली परिचालन हो तथा अनुबंध के अनुसार एक पर्याप्त लेखापरीक्षा पूछताछ व्यवस्था हो।

विभाग ने ई. आई. एम. एस. अनुप्रयोग के लिये परिवर्तन प्रबंधन नीति विकसित नहीं की।

हमने देखा (अप्रैल 2015) कि ई. आई. एम. एस. के लिए परिवर्तन प्रबंधन, सलाहकार द्वारा स्वयं किया जा रहा था। हमने आगे देखा कि जी-शेड्यूल/प्राक्कलन निर्माण माड्यूल जो कि पूर्व में ई. आई. एम. एस. में उपलब्ध थे, संभागीय अधिकारी के लॉग इन से हटा दिए गये थे। ई. आई. एम. एस. का मुख्य वेब पेज, प्रणाली रूपांकन दस्तावेज़ में दिये अनुसार मेल नहीं खाता था एवं वेब पेज का डिस्प्ले तीन से अधिक बार समीक्षा समीति के परिवर्तन प्राधिकार के बिना बदला गया था। विभाग में इन परिवर्तनों का कोई प्रलेखन उपलब्ध नहीं था।

प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग ने बताया (नवंबर 2015) कि विभाग ई. आई. एम. एस. के लिये एक परिवर्तन प्रबंधन नीति विकसित व कार्यान्वित करेगा।

विभाग ने कोई औपचारिक व्यवसाय निरंतरता व आपदा प्रतिपूर्ति योजना तैयार नहीं की थी।

### 2.4.6.3 व्यवसाय निरंतरता व आपदा प्रतिपूर्ति योजना की अनुपस्थिति

व्यवसाय निरंतरता व आपदा प्रतिपूर्ति योजना व सहायक नियंत्रणों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि संगठन, अवरोध या आपदा के कारण कम्प्यूटर सुविधाओं को अस्थाई या स्थाई हानि होने पर भी अपना लक्ष्य पूर्ण कर सकेगा व सूचना की प्रक्रिया, पुनःप्राप्ति व सुरक्षा की योग्यता को नहीं गंवायेगा।

विभाग, एक ही परिसर में रखे गये एक अन्य सर्वर में अपडेट लेते हुए डेटा का बैकअप रख रहा था। अन्यत्र स्थान पर कोई बैकअप नहीं रखा गया था। इसलिए आपदा की स्थिति में एक ही परिसर में होने से सर्वर को क्षति हो सकती है एवं विभाग डेटा की प्रतिपूर्ति हेतु सक्षम नहीं हो सकता है। सितंबर 2013 तक विकास चरण पूर्ण होने के बाद भी विभाग ने कोई औपचारिक व्यवसाय निरंतरता व आपदा प्रतिपूर्ति योजना तैयार नहीं की थी।

प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग ने कहा (नवंबर 2015) कि व्यवसाय निरंतरता व आपदा प्रतिपूर्ति योजना ई. आई. एम. एस. के राज्य डेटा केन्द्र में स्थानांतरित होने के बाद लागू की जाएगी।

### अनुशंसा

शासन को एक निर्बाध एवं अभीष्ट प्रणाली के संचालन व उपयोग के लिए परिवर्तन प्रबंधन एवं व्यवसाय निरंतरता योजना बनानी व लागू करनी चाहिये।

## 2.4.7 अनुप्रयोग नियंत्रण

अनुप्रयोग नियंत्रण<sup>104</sup> एक सूचना तकनीक प्रणाली के विशिष्ट नियंत्रण हैं, एवं अनुप्रयोगों में व्यापार नियमों का प्रतिचित्रण सम्मिलित है जो इनपुट, प्रोसेसिंग व आउटपुट नियंत्रण उपलब्ध कराते हैं। इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट नियंत्रणों में माड्यूलों में डेटा प्रविष्टि, डेटा की मांग पर उपलब्धता, वांछित प्रपत्रों में प्रतिवेदनों की उपलब्धता एवं डुप्लिकेटों को हटाते हुए मास्टर डेटा प्रबंधन, डेटा मानकीकरण तथा प्रणाली में गलत डेटा प्रविष्टि को हटाने हेतु नियमों का समावेश सम्मिलित है।

नमूना जांच लेखापरीक्षा के दौरान हमने माड्यूलों में प्रणाली रूपांकन में कमियां एवं निम्न डेटा गुणवत्ता, जैसे, अपूर्ण व गलत डेटा, वैद्यता जांच का अभाव व व्यवसाय के नियमों के अपर्याप्त प्रतिचित्रण के दृष्टांत देखे। आगे, हमने विभाग की वेबसाइट पर निगरानी के उद्देश्य से उपलब्ध प्रतिवेदनों में से कुछ में अपूर्ण व गलत डेटा के दृष्टान्त देखे थे। इस तरह के दृष्टान्तों पर अनुवर्ती कंडिकाओं में माड्यूलवार विस्तृत रूप से चर्चा की गई है।

### 2.4.7.1 संपदा प्रबंधन माड्यूल

इस माड्यूल में कछार, उपकछार पर व संभाग स्तर तक धारित समस्त अचल संपत्तियां जैसे बांध, नहरें, वितरिकायें आदि उपयुक्त रूप से वर्गीकृत एवं संधारित को शामिल किया जाना था। माड्यूल का उद्देश्य संपत्तियों के एतिहासिक डाटा का प्रबंधन उपलब्ध कराना व इन संपत्तियों के रखरखाव व संचालन पर निगरानी रखना था। लेखापरीक्षा द्वारा देखे गए माड्यूल के डेटा बेस में डेटा प्रविष्टि में इनपुट व आउटपुट नियंत्रणों में कमियों के महत्वपूर्ण दृष्टान्त नीचे बताये गये हैं :

माड्यूल में स्थाई संपत्ति के डाटाबेस में बांधों, नहरों, जलाशयों, तालाबों आदि के 26,486 अभिलेख निहित हैं। डाटाबेस का डेटा विश्लेषण दर्शाता है कि:

- स्थाई संपत्ति प्राप्ति की दिनांक के क्षेत्र में 26,140 अभिलेखों के मामलों में डेटा प्रविष्टि नहीं की गई थी ।
- संपत्ति के जीवन के अंत की संभावित तिथि व अगली सर्विस की दिनांक 26,484 अभिलेखों में नहीं बताई गई थी।
- बांधों आदि के 23,507 अभिलेखों में वार्षिक सिंचाई क्षेत्रफल नहीं दर्शाया गया था।
- माड्यूल के लिये बनाए गए बांधों की अतिरिक्त जानकारी के डेटाबेस में 6,947 अभिलेख निहित हैं। डेटा विश्लेषण से पता चलता है कि:
- बांध शीर्ष की चौड़ाई, जल ग्रहण क्षेत्र एवं निम्नतम नींव से उपर तक उंचाई की फील्ड्स में काल्पनिक डेटा (9999.....आदि के रूप में) प्रविष्टि किया गया था। बांधों

<sup>104</sup> माड्यूलों एवं उप माड्यूलों की सूची वर्तमान में उपलब्ध ई.आई.एम.एस. के मुख्य वेब पेज के अनुसार है। विभिन्न टेबलों का डेटा, परियोजना कार्यान्वयन एवं समन्वयन इकाई द्वारा प्रदाय की गई माड्यूलवार टेबलों की सूची एवं उनके संबंधों, एस.आर.एस. एवं एस.डी.डी. के आधार पर विश्लेषण किया गया था।

के 261 अभिलेखों में, पूर्ण तालाब स्तर पर जल की सकल भंडारण क्षमता शून्य के रूप में दर्शाई गई थी किंतु मृत भंडारण क्षमता 0.001 एम.सी.एम. से 99,999 एम.सी.एम. दर्शाई गई थी।

संपत्तियों की भौगोलिक स्थिति के डेटाबेस में 24,663 अभिलेख थे। मध्य प्रदेश का क्षेत्र अक्षांश 21°6' - 26°54' उत्तर एवं देशांश 74°-82°47' पूर्व पर स्थित है। हमने सम्पत्ति के भौगोलिक बिन्दु से संबंधित डेटाबेस में निम्नानुसार गलत डेटा प्रविष्टि पाई :

- सम्पत्ति के एक अभिलेख में अक्षांश शून्य से कम (-111.696625) अभिलेखित किया गया था जो दर्शाता है, कि वहाँ वैधता जांच नहीं थी।
- 24,660 अभिलेखों के मामलों में संपत्ति के भौगोलिक बिन्दु पर उन्नयन "0" के रूप में दर्ज किया गया था।
- 15,908 अभिलेखों में अक्षांश "0" के रूप में दर्ज किया गया था एवं 15,901 अभिलेखों में देशांश "0" के रूप में दर्ज किया गया था।
- 1146 अभिलेखों में अक्षांश 21°6' से कम दर्ज किया गया था। 263 अभिलेखों में यह 26°54' से अधिक दर्ज किया गया था।
- 3,265 अभिलेखों में देशांश 74° से कम दर्ज किया गया था तथा 26 अभिलेखों में देशांश 82°47' से अधिक दर्ज किया गया था।
- 373 अभिलेखों से युक्त, सिंचाई के लिए उपयोग की जा रही नहरों की योजनाओं से संबंधित डेटाबेस में हमने निम्नलिखित कमियाँ पाई:
- 360 अभिलेखों के मामले में योजना के नाम दर्ज नहीं किए गए थे।
- 15 अभिलेखों में नहरों की जल निर्वहन क्षमता या तो "0" क्यूमेक दर्शाई गई है या 9,999,999,999 क्यूमेक दर्शाई गई जो संभव नहीं था।
- इसी प्रकार, नहरों के प्रवाह की गहराई या तो "0" (229 अभिलेख) दर्शाई गई थी या फिर "9,999,999,999" (एक अभिलेख)।

डेटाबेस में इन महत्वपूर्ण सूचनाओं के अभाव में ई. आई. एम. एस. के माध्यम से संपत्तियों की निगरानी एवं इन संपत्तियों के रखरखाव व संचालन हेतु निर्णय, संभव या उचित रूप से नहीं हो सकेगी।

प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग ने बताया (नवंबर 2015) कि रिक्त डेटाबेस में डेटा भरा जाएगा एवं जहां आवश्यक होगा, वैद्यीकरण भी किया जायेगा।

#### 2.4.7.2 ई-माप पुस्तक माड्यूल

ई-माप पुस्तक माड्यूल, कार्यों के मापों के अभिलेखन एवं ठेकेदारों के चल देयक बनाना, जिसमें ठेकेदारों के लेजर बनाना भी शामिल है, की सुविधा उपलब्ध कराता है।

हमने माड्यूल में वैधता की जांच एवं रूपांकित प्रणाली में कमियां देखी (अक्टूबर 2014 से जून 2015) एवं कुछ महत्वपूर्ण कमियों पर अनुवर्ती कंडिकाओं में चर्चा की गई है;

- हमारे द्वारा 13 नमूना जांच किए गए संभागों में से 4 संभागों में चल देयक हाथ से तैयार करने के दृष्टांत देखे गए। टर्न-की एवं एकमुश्त ठेकों के चल देयक बनाने की सुविधा ई.-एम.बी. माड्यूल में शामिल नहीं की गई हैं।

प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग ने बताया (नवंबर 2015) कि चूंकि टर्न की व एक मुश्त ठेकों की प्रक्रिया मानकीकृत नहीं थी, प्रत्येक ठेका दूसरे से भिन्न था, अतः इस प्रकार के ठेके ई.-एम. बी. माड्यूल में शामिल नहीं किए गए थे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि टर्न-की व एकमुश्त ठेके भी भुगतान हेतु ई.-एम.बी. माड्यूल में शामिल किए जा सकते थे, क्योंकि प्रतिशत दर ठेके में भी भुगतान के लिए मदों का भिन्न संयोजन है। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय लोकनिर्माण लेखा संहिता में एकमुश्त ठेकों के चालू/अन्तिम देयकों के भुगतान के लिए मानक प्रपत्र क्रमशः प्रपत्र 27 ए एवं 27 बी दिए गए हैं।

- केन्द्रीय लोक निर्माण संहिता की धारा 10.7 के अनुसार, ठेकेदारों के साथ ठेकों अथवा उनके द्वारा किए गए कार्य के संबंध में सभी लेनदेन ठेकेदार के लेजर, प्रपत्र सीपीडब्ल्यूए-43 में रखा जाना चाहिए। ठेकेदार के लेजर के रखरखाव विभाग के संभागों का कर्तव्य था। ई.-एम.बी. माड्यूल में ठेकेदार का लेजर बनाने की सुविधा थी परन्तु ठेकेदार के लेजर खोलने व उपयोग करने के अधिकार संभागीय अधिकारियों को नहीं दिए गए थे। इस प्रकार, ठेकेदार के लेजर के माध्यम से परिकल्पित ठेकेदारों को भुगतान/ उनसे प्राप्तियों पर नियंत्रण सुनिश्चित नहीं था।

लेखापरीक्षा द्वारा उल्लेखित किये जाने पर प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग ने बताया (नवम्बर 2015) कि उक्त सुविधा जो संभागीय अधिकारियों से वापस ले ली गई थी, अब प्रारंभ कर दी गई है।

तथ्य अब भी यहीं है कि ठेकेदार के लेजर के माध्यम से परिकल्पित भुगतानों/प्राप्तियों पर नियंत्रण की सुविधा इस अवधि के दौरान उपयोग नहीं हुई थी।

- अनुबंध में दी गई कार्य पूर्ण करने की निर्धारित अवधि उस अवधि के दौरान कार्य पूर्ण करने के लिए ठेकेदार पर दायित्व का निर्माण करती है। इसलिए, निर्धारित अवधि के पश्चात कार्य करने का अधिकार ठेकेदार को देने एवं किये गये कार्य के लिए दावा करने के लिए एक वैध समयवृद्धि होनी ही चाहिए। हमने देखा कि ई.-एम.बी. माड्यूल में स्वीकृत समयवृद्धि की प्रविष्टि की अनुपस्थिति की स्थिति में चालू देयकों की प्रविष्टिया के स्वतः रूक जाने के लिये कोई वैधता जांच नहीं थी। इस तरह की वैधता जांच कि अनुपस्थिति से, समयवृद्धि स्वीकृति के बिना ठेकेदार को भुगतान हो सकता है।

प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग ने बताया (नवंबर 2015) कि कुछ मामलों में कार्य हित में एवं ठेकेदार को भुगतान करने के संबंध में जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए समयवृद्धि के बिना चालू देयक बनाए जा रहे थे एवं समयवृद्धि की समाप्ति के बारे में सूचित करने के लिए एक चिन्ह उपलब्ध है जो ठेकेदार व कार्यपालन यंत्री दोनों को एक चेतावनी देता है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि अपनाई गई विधि ठेके के प्रावधानों के विरुद्ध है।

- ठेकेदार को मूल्यवृद्धि का भुगतान जहां भी अनुबंध में प्रावधानित है, कार्य के अनेक घटकों जैसे पेट्रोल तेल और स्नेहक, सामग्री, श्रम आदि के सूचकांक के आधार पर किया जा रहा था। आधार तिथि पर, जो कि सामान्यतः टेंडर खुलने की दिनांक होती है, सूचकांक एवं मात्राओं के परिवर्तनशील डेटा एवं कार्य के क्रियान्वयन की तिथि पर सूचकांक पर आधारित मूल्यवृद्धि की स्वतः गणना की सुविधा मानवीय हस्तक्षेप को कम करेगी एवं ठेकेदार को देय मूल्यवृद्धि की राशि की गणना में अधिक से अधिक यथार्थता सुनिश्चित करेगी। तथापि, यह ई.-एम.बी. मॉड्यूल में शामिल नहीं की गई है।

प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग ने बताया (नवंबर 2015) कि लेखापरीक्षा का अवलोकन अच्छी तरह से समझा गया था एवं उपयुक्त पाए जाने पर विस्तृत जांच के बाद इसे कार्यान्वित किया जाएगा।

- म.प्र. कार्य विभाग नियमावली के अनुसार, कार्य की प्रत्येक मदों के माप के विवरण से युक्त माप पुस्तक ठेके के अन्तर्गत क्रियान्वित किए गए कार्यों के विरुद्ध ठेकेदार को किए जाने वाले भुगतान का आधार होती है। कार्य की माप पुस्तक क्रियान्वित किए गए कार्य की प्रत्येक मद के विस्तृत अभिलेखन के लिये एवं सार माप पुस्तक (बिल एम.बी.), जो कार्य माप पुस्तक के आधार पर बनाई जाती है, में क्रियान्वित कार्य की प्रत्येक मद का सार सम्मिलित होता है, जो चालू देयक का आधार होता है। कार्य माप पुस्तक का क्रमांक व पृष्ठ क्रमांकों का संदर्भ सार माप पुस्तक में उल्लेखित होता है। ई.-एम.बी. मॉड्यूल के माध्यम से सार माप पुस्तक से संबंधित कोई प्रतिवेदन नहीं बनाया जा रहा था।

हमने देखा कि विभाग ने सार माप पुस्तक मानवीय रूप से तैयार करना बंद कर दिया है (अगस्त 2012 व मार्च 2014)<sup>105</sup> व संभागों को ई.-एम.बी. के माध्यम से बनाई गई माप पुस्तक में चालू देयको की प्रति चिपकाने हेतु निर्देशित किया है। इस परिवर्तन के परिणामस्वरूप, चालू देयक में दर्शाई गई मात्राओं का माप पुस्तक में दर्शाई गई मात्राओं से मिलान विभाग व लेखापरीक्षकों द्वारा मात्राओं के सत्यापन हेतु कठिन हो गया जो ठेकेदार को गलत भुगतान के लिए प्रवृत्त हो सकता है।

हमने आगे देखा कि उपयंत्रि जो सार माप पुस्तक तैयार करने के लिए जिम्मेदार है, ई.-एम.बी. मॉड्यूल के साथ सम्बद्ध नहीं था क्योंकि सार एम.बी. बनाया जाना बंद कर दिया गया था। पूर्व की प्रणाली में, संभाग के तकनीकी अनुभाग, संभागीय लेखापाल (डी.ए.)/लेखा अनुभाग चालू देयकों का संभागीय अधिकारी को प्रस्तुत करने से पूर्व उनके क्रमशः तकनीकी पहलुओं एवं लेखा संबंधी पहलुओं की जांच के लिए जिम्मेदार होते थे। तथापि, ई.-एम.बी. प्रणाली में इन अनुभागों/संभागीय लेखापाल द्वारा जांच का प्रावधान नहीं है, जिससे ई.-एम.बी. मॉड्यूल में माप दर्ज करने में अशुद्धियों की संभावना बढ़ रही है।

प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग ने बताया (नवंबर 2015) कि विस्तृत माप पुस्तक का संदर्भ एवं पृष्ठ क्रमांक कि टिप्पणी के कॉलम में अभिलिखित किया जाना अनिवार्य बनाया जायेगा एवं जल्दी ही इस आशय का एक परिपत्र जारी किया जायेगा। उन्होंने

<sup>105</sup> आदेश 205/एएस/2012 दिनांक 06 अगस्त 2012 एवं आदेश 21/पीए/एड./सेम/ केम्प/डब्ल्यू आरडी/2014 दिनांक 20 मार्च 2014 के अनुसार

आगे बताया कि क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ देयक पारित करने की प्रक्रिया में तकनीकी व लेखा अनुभाग के साथ-साथ संभागीय लेखापालों की भागीदारी के मुद्दे पर चर्चा की जाएगी एवं यदि आवश्यक हुआ तो मॉड्यूल में उपयुक्त सुधार किया जाएगा। विद्युत एवं यांत्रिकी संरचना सिविल कार्य करने वाले संभागों की ओर से मिट्टी खुदाई का कार्य कार्यान्वित करते हैं। मिट्टी खुदाई के कार्य की न्यूनतम मात्रा प्रति घंटा कार्यान्वित करने पर मिट्टी खुदाई कार्य करने वाले ठेकेदारों को प्रति घंटा दर के आधार पर किराया राशि का भुगतान किया जाता है। मिट्टी खुदाई कार्य करने वाले ठेकेदार द्वारा कार्यान्वित मिट्टी खुदाई कार्य की मात्रा विभाग के सिविल संभागों द्वारा प्रमाणित की जाती है। चूंकि मिट्टी खुदाई कार्य का कार्यान्वयन एवं ठेकेदार को भुगतान प्राधिकृत करने हेतु विभाग के दो संभाग जिम्मेदार हैं, ई-एमबी मॉड्यूल में विद्युत एवं यांत्रिकी संरचना को शामिल करने से ठेकेदार के द्वारा वास्तविक निष्पादित मिट्टी खुदाई के कार्य की मात्रा को सम्बद्ध एवं प्रमाणित करने में सुविधा प्रदान होती है। इस प्रकार, विद्युत एवं यांत्रिकी संरचना के लिए ई-एमबी मॉड्यूल के न होने से मिट्टी खुदाई का कार्य करने वाले ठेकेदार को गलत/दुगुने भुगतान का जोखिम रहेगा।

प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग ने बताया (नवम्बर 2015) कि चूंकि विद्युत एवं यांत्रिकी संरचना में एकल अनुबंध में बहु परियोजनाओं संबंधित कार्य किये जाते हैं इसे वर्तमान ई-एमबी स्वरूप में शामिल करना कठिन हो गया। उन्होंने आगे बताया कि विद्युत एवं यांत्रिकी प्राधिकारियों से चर्चा उपरान्त विद्युत एवं यांत्रिकी संरचना के ठेकों की मॉनिटरिंग को सम्मिलित करने की उपयुक्त प्रक्रिया अपनाई जायेगी।

- ई-एमबी मॉड्यूल में रायल्टी, आयकर, वाणिज्यकर, कर्मकार, कल्याणकर, आदि के कटौती हेतु फील्ड व नामकरण तय नहीं है। इस प्रकार, ई-एमबी मॉड्यूल में इन राशियों के उपयुक्त शीर्षों में लेखाकरण के लिए कोई योजना नहीं थी। परिणामस्वरूप, इन कटौतियों के लेखे मानवीय रूप से तैयार किए जा रहे थे। इस प्रकार, ठेकेदारों के चालू देयको से कटौतियां मॉड्यूल में प्रतिचित्रित नहीं की गई है।

प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग ने बताया (नवम्बर 2015) कि लेखापरीक्षा का अवलोकन अच्छी तरह से समझा गया था एवं इसे शीघ्र ही लागू किया जाएगा।

- कार्य के लिये राशि के आवंटन की उपलब्धता की जांच करने की सुविधा ई-एमबी मॉड्यूल में उपलब्ध नहीं थी क्योंकि ई.आई.एम.एस. का बजट मॉड्यूल पूर्ण नहीं था एवं बजट मॉड्यूल ई-एमबी मॉड्यूल से एकीकरण नहीं था। भुगतान करते समय चालू देयक बनाने के पूर्व बजट उपलब्धता जानकर आवंटन से अधिक भुगतान को रोकने के लिये यह समाकलन जरूरी था।

प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग ने बताया (नवम्बर 2015) कि यद्यपि एक बजट और आवंटन मॉड्यूल उपलब्ध था परन्तु वित्त विभाग द्वारा वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली कार्यान्वित करने के बाद यह बजट और आवंटन मॉड्यूल अनावश्यक हो गया है।

चालू देयक बनाने के पूर्व बजट उपलब्धता की जांच के लिए दोनों मॉड्यूलों में एकीकरण न होने के कारण अनुप्रयोग का पूर्ण दक्षता से उपयोग नहीं हो सका है।

- ई-एमबी मॉड्यूल, जो कि चालू/अन्तिम देयको को बनाने एवं एक कार्य से संबंधित भुगतान करने के लिये हैं, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग नियमावली के प्रपत्र-26

में चालू देयक बनाने के लिए रूपांकित नहीं था। हमने आगे देखा कि बनाए गए चालू देयकों में के.लो.नि.वि. नियमावली में चाहे अनुसार जानकारी, जैसे पिछले देयक का क्रमांक एवं दिनांक, कार्यसार के आंकड़े आदि से युक्त नहीं थी।

परियोजना संचालक, परियोजना कार्यान्वयन एवं समन्वय इकाई ने उत्तर दिया (जून 2015) कि बनाए गए देयक प्रपत्र-26 के प्रपत्र एवं आवश्यकता अनुसार ही थे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कुछ आवश्यक स्तंभ, जैसा की ऊपर बताया गया है, रूपांकित चालू देयक प्रपत्र में छूटे हुये थे इसके अतिरिक्त, बनाए गए देयकों में उक्त जानकारी की अनुपस्थिति की पुष्टि नमूना जांच किए गए संभागों के अभिलेखों से हुई।

इस प्रकार, ई-एमबी माड्यूल की सुविधा का पूर्णतः उपयोग नहीं किया गया था एवं ठेकेदारों को सही भुगतान सुनिश्चित करने के लिए सम्बन्धित व्यवसाय नियम पूर्णतः समाहित नहीं किए गए थे।

### 2.4.7.3 ई-माप प्रतिवेदन

ई माप प्रतिवेदन, ठेकेदारों के चालू देयकों के भुगतानों के लिए कार्य से संबंधित आवश्यक विस्तृत विवरण से युक्त होते हैं। ई माप प्रतिवेदन में सितम्बर 2015 के अन्त में उपलब्ध 1,645 अभिलेख हमारे द्वारा विश्लेषित किए गए। डेटा प्रविष्टि स्तर पर इनपुट नियंत्रणों एवं वैधता जांचों का अभाव देखा गया जो निम्नानुसार हैं:

- 42 अभिलेखों के मामलों में, दो विभिन्न कार्यों को समान ठेका आईडी आवंटित की गई थी। इससे त्रुटियों को रोकने हेतु वैधता जांच में कमी का भी पता चलता है।
- 30 सितम्बर 2015 की स्थिति में पूर्ण ठेकों के 340 अभिलेखों के मामलों में, अभिलेखों में प्रथम चालू देयक व अन्तिम चालू देयक की दिनांक प्रविष्टि नहीं की गई थी।

प्रमुख अभियंता/जल संसाधन विभाग ने उत्तर दिया (नवम्बर 2015) कि वर्ष 2012-13 के दौरान इस तरह के दृष्टान्त ई-एमबी के कार्यान्वयन के शुरुआती चरण में हुए थे एवं आवश्यक वैधता इस तरह की त्रुटियों को रोकने के लिये समाहित की गई है। उन्होंने आगे बताया कि कुछ अभिलेख टर्न की एवं विद्युत एवं यांत्रिकी ठेकों के हो सकते हैं एवं डेटा प्रविष्टि की असमरूपता को कम करने के लिये आवश्यक वैधता सक्रिय की जाएगी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं, क्योंकि ठेका की डुप्लिकेट आईडी के दृष्टान्त वर्ष 2012-13 के पश्चात प्रविष्टि किये गये ठेको में भी देखे गए थे।

### 2.4.7.4 ठेका निगरानी माड्यूल

विभाग बांधों, नहरों व उद्बहन सिंचाई योजनाओं आदि से संबंधित निर्माण कार्यों के कार्यान्वयन के लिए ठेकेदारों को अनुबंधित करता है। ठेका निगरानी माड्यूल में कार्य आवंटित करने के लिये ठेकेदारों के पंजीकरण की सुविधा एवं कार्य प्रगति की निगरानी हेतु वृहद/मध्यम व लघु कार्यों की वित्तीय प्रगति मापने की सुविधा शामिल हैं। माड्यूल में, जुलाई 2015 की स्थिति में 3,191 ठेकों के संबंध में 1,329 ठेकेदारों की विस्तृत जानकारी उपलब्ध है।

ठेका निगरानी माड्यूल का गारंटी विवरण डेटाबेस, ठेके की शर्तों के अनुसार ठेकेदारों

द्वारा जमा की जाने वाली प्रतिभूतियों के विवरण से युक्त होता है। हमने डेटाबेस में निम्न कमियां देखी (अप्रैल 2015):

- केवल 92 चालू ठेका अनुबधों की प्रतिभूति के विवरण डेटाबेस में प्रविष्ट किए गए थे जबकि चालू ठेकें 3,000 से भी अधिक थे।
- जमा की प्रकृति का विवरण, जैसे सावधि जमा रसीद (एफ.डी.आर.), बैंक प्रतिभूति को डेटाबेस में स्पष्ट किया जाना चाहिए परन्तु 30 अभिलेखों में यह रिक्त छोड़ दिया गया था।
- प्रत्येक बैंक शाखा की पहचान करने के लिए भारतीय वित्तीय प्रणाली कूट (आई.एफ.एस.सी.), जो एक ग्यारह वर्णों का कोड है, भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) द्वारा आवंटित किया गया है। वैधता जांच की अनुपस्थिति में 14 अभिलेखों में गलत आई.एफ.एस.सी कूट की प्रविष्टि रोकी नहीं जा सकी।

हमने निर्माण कार्यों के समयवृद्धि प्रकरणों से संबंधित डेटाबेस जिसमें 117 अभिलेख थे की जांच के दौरान निम्न त्रुटियां देखी:

- समयवृद्धि पर टिप्पणी के स्तंभ में समयवृद्धि के कारण लिखे जाने थे जो 51 अभिलेखों में रिक्त छोड़ दिए गए थे।
- चार अभिलेखों में ठेके की समयवृद्धि स्वीकृति के आदेश का क्रमांक रिक्त छोड़ दिया गया था।

ठेका प्रगति की समीक्षा की डेटा सारणी ठेकों की स्थिति के विवरण से युक्त है। हमने 40,469 अभिलेखों (ठेकों से संबंधित) से युक्त डेटाबेस में निम्न कमियां देखी:

- ठेकों की प्रगति की समीक्षा हेतु समीक्षा प्राधिकारियों की टिप्पणियां 28,846 अभिलेखों के मामले में नहीं थी।
- सभी 40,469 अभिलेखों में पूर्व भुगतान व पूर्णता के प्रतिशत की डेटा प्रविष्टि शून्य के रूप में दर्शाई गई थी।

ठेकों की वित्तीय प्रगति के इतिहास से संबंधित डेटा सारणी में 6,297 अभिलेख (1,524 ठेको से संबंधित) शामिल है। हमने डेटाबेस में निम्न कमियां देखी:

- 1,363 ठेकों (लगभग 89 प्रतिशत) के मामलों में कार्य कि वर्तमान स्थिति रिक्त छोड़ दी गई थी जो अपूर्ण डेटाबेस का संकेतक है।
- 72 ठेको के मामलों में, कार्य की वर्तमान स्थिति पूर्ण दर्शाई गई हैं, परन्तु पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने की फील्ड जो खाली छोड़ दी गई अपूर्ण डेटाबेस दर्शाते थे।

इस प्रकार, माड्यूल में अपूर्ण व अशुद्ध डेटाबेस के कारण इस माड्यूल के माध्यम से कार्यों की निगरानी की सुविधा पूर्ण रूप से उपयोग नहीं की जा रही थी।

प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग ने अन्य बातों के साथ जवाब दिया (नवम्बर 2015) कि रिक्त डेटाबेस में डेटा भरा जाएगा एवं जहां आवश्यक पाया जाएगा, वैधता लागू की जाएगी।



#### 2.4.7.5 ठेका निगरानी प्रतिवेदन

विभाग की वेबसाइट पर निगरानी के उद्देश्य से दर्शाया गया ठेका निगरानी प्रतिवेदन चालू ठेकों व ठेकेदारों से संबंधित जानकारी से युक्त हैं। प्रतिवेदन में सभी आठ परिक्षेत्रों के संबंध में डेटा उपलब्ध था। मुख्य अभियंता, चबल बेतवा कछार, भोपाल का 30 सितम्बर 2015 की स्थिति का प्रतिवेदन हमारे द्वारा जांचा गया था। निम्न कमियां देखी गईं:

- कुल 551 अभिलेखों में से 35 अभिलेखों के मामलों में, ठेका अनुबंध दिनांक, कार्य पूर्ण होने की दिनांक के बाद की थी। यह वैधता जांच की अनुपस्थिति संकेत करता है।
- 133 कार्यों के कार्यान्वयन की देख-रेख हेतु कोई उप-संभागीय अधिकारी (एस.डी.ओ.) अथवा उपयंत्री निर्दिष्ट दर्शाया नहीं गया था।

प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग ने अवलोकनों को स्वीकार किया व उत्तर दिया कि वैधता जांच लागू की जाएगी ताकि ये त्रुटियां न हो एवं संबंधित कार्यपालन यंत्रियों को संबंधित उप संभागीय अधिकारी व उपयंत्री को कार्य निर्दिष्ट करने को कहा जायेगा।

#### 2.4.7.6 बाँध सुरक्षा मॉनिटरिंग माड्यूल

बाँध सुरक्षा मॉनिटरिंग माड्यूल, बाँध की डेटा पुस्तक बनाने, बाँध सुरक्षा संगठन (डीएसओ)<sup>106</sup> व बाँध सुरक्षा निरीक्षण पैनल (डीएसआईपी)<sup>107</sup> द्वारा जांच एवं महत्वपूर्ण बांधों के जांच अभिलेख बनाने व उनके रखरखाव करने आदि की सुविधा प्रदान करता है। इस प्रकार, यह माँड्यूल विभाग द्वारा वृहद, मध्यम एवं लघु बांधों/तालाबों की निगरानी की सुविधा भी प्रदान करता है।

हमने बाँध सुरक्षा जांच दल द्वारा बांधों के निरीक्षण के डेटाबेस की जांच में निम्न महत्वपूर्ण कमियां देखी : (अप्रैल 2015)

- 4,431 लघु, 142 मध्यम व 24 वृहद, पूर्ण व चालू सिंचाई परियोजनाओं के विरुद्ध केवल 37 बांधों के निरीक्षण के संबंध में डेटा उपलब्ध पाया गया ।
- जांच अधिकारियों के प्रेक्षण व टिप्पणियां डेटाबेस में उपलब्ध नहीं पाई गई थी जबकि इसे डेटाबेस में अभिलेखित करने की सुविधा माड्यूल में दी गई थी ।
- बाँध सुरक्षा संगठन द्वारा बाँध निरीक्षण से संबंधित डेटाबेस में, दिसम्बर 2014 की स्थिति में 4,597 पूर्ण वृहद, मध्यम व लघु परियोजनाओं के विरुद्ध केवल 238 बांधों के अभिलेख उपलब्ध थे ।

ये त्रुटियाँ अपूर्ण डेटाबेस व वैधता जांच की अनुपस्थिति दर्शाती हैं ।

<sup>106</sup> बाँध सुरक्षा संगठन, बांधों की वर्तमान स्थिति के मूल्यांकन के लिए और उसमें सुधार के लिए तकनीकी सलाह देने के लिए स्थापित विभाग की एक शाखा है ।

<sup>107</sup> बाँध सुरक्षा निरीक्षण पैनल, 60 लाख क्यू.मी. भंडारण क्षमता के बांधों के निरीक्षण के लिए एक पैनल है ।

प्रमुख अभियंता ने बताया (नवम्बर 2015) कि चूंकि बांध का निरीक्षण एक सतत प्रक्रिया है, जैसे ही निरीक्षण किए जाएंगे माड्यूल में डेटा दर्ज किया जाएगा एवं अभी मात्र निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुतीकरण ही माड्यूल के माध्यम से हो रहा है एवं कोई हार्ड प्रति/कागज का प्रस्तुतिकरण आवश्यक नहीं था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ये फील्ड्स, बांधों की सुरक्षा से संबंधित हैं और इसके परिणामस्वरूप आस-पास के क्षेत्र में रहने वाले लोगों के जीवन एवं उनकी संपत्ति की सुरक्षा से संबंधित है। इसलिए, इन फील्ड्स को बनाए रखने और अनिवार्य रूप से अद्यतन किए जाने की आवश्यकता थी।

#### **2.4.7.7 मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली माड्यूल**

माड्यूल, जो मानव संसाधनों के प्रबंधन के लिए हैं, इसमें कर्मचारी की पदस्थापना, वर्तमान विभाग, अगले वरिष्ठ की जानकारी, विभागाध्याक्ष की जानकारी, कर्मचारी का व्यक्तिगत डाटा, कर्मचारी के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन की जानकारी, कर्मचारी द्वारा भरे गये संपत्ति विवरणी, उपस्थिति विवरण व अवकाश शेष का डेटाबेस शामिल है। माड्यूल वेतन एवं अन्य संबंधित डेटा के आधार पर कर्मचारी के सेवान्त लाभ की स्वगणना भी उपलब्ध कराता है।

- कर्मचारियों के विवरणों का डेटाबेस जिसमें 5,235 कर्मचारियों के अभिलेख है, जिसमें पता, दूरभाष क्रमांक, कम्प्यूटर कौशल, परीवीक्षा इत्यादि है। प्रत्येक अभिलेख में 47 फील्ड्स है। हमने देखा कि डेटाबेस में केवल 12 फील्ड्स में डेटा भरा गया है, व शेष 35 फील्ड्स रिक्त छोड़ दी गई थी।
- सेवानिवृत्त कर्मचारियों से संबंधित 453 अभिलेख, सेवानिवृत्त के रूप में स्वतः चिन्हित नहीं हुए थे, जो प्रणाली रूपांकन में त्रुटि दर्शाता है।
- कर्मचारियों का आपातकालीन दूरभाष क्रमांक, 5,042 अभिलेखों के मामले में रिक्त छोड़ दिया गया था एवं आपात स्थिति में संपर्क व्यक्ति का नाम कर्मचारियों के 105 अभिलेखों में श्वंयं था।
- डाक का पता कर्मचारियों के 4,439 अभिलेखों के मामले में प्रविष्ट नहीं किया गया था।
- कर्मचारियों के 4,763 अभिलेखों में गृह जिला दर्ज नहीं किया गया था।
- 4,829 कर्मचारियों के बैंक खाता संख्या डाटाबेस में उपलब्ध नहीं थी।
- कर्मचारियों के परिवारों के विवरण के अभिलेखों में हमने देखा कि विभाग में दिसंबर 2014 तक 6,658 कर्मचारियों के विरुद्ध केवल 137 कर्मचारियों से संबंधित परिवारों के कुल 427 सदस्यों के अभिलेख उपलब्ध थे।
- 426 कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों की आयु सही दर्ज नहीं की गई व "शून्य" के रूप में दिखाई गई थी।

इस प्रकार, अपूर्ण डाटाबेस होने के कारण माड्यूल के माध्यम से मानव संसाधनों का प्रबंधन संभव नहीं था।

प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग ने उत्तर दिया (नवम्बर 2015) कि रिक्त डेटाबेस में डेटा भरा जाएगा, जहाँ आवश्यक पाया जाएगा वैधता प्रदान की जाएगी व बताई गई त्रुटियों में सुधार किया जायेगा।

#### 2.4.7.8 गैर कृषि राजस्व (उद्योग राजस्व) माँड्यूल

गैर कृषि राजस्व माँड्यूल जो कि औद्योगिक उपभोक्ताओं से राजस्व प्राप्ति की निगरानी हेतु विकसित किया गया है, औद्योगिक उपभोक्ताओं के पंजीयन, उपभोक्ताओं के साथ अनुबंध, जल उपयोग अभिलेख, देयक बनाने व जल कर की वसूली के विवरण रखता है।

2,202 अभिलेखों से युक्त माँड्यूल में जल के उपयोग के डेटाबेस में हमने निम्न कमियां देखी (अप्रैल 2015):

- 990 अभिलेखों में, उपभोक्ताओं के साथ अनुबंधों के विवरण उपलब्ध नहीं थे व ये गैर-अनुबंधित दर्शाए गए थे।
- 577 अभिलेखों के संबंध में अनुबंध आई.डी. दी गई, परन्तु यह "गैर अनुबंधित" बताए गए थे, जो कि डेटाबेस में वैधता जांच के अभाव में विसंगतियों का संकेत है।

प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग ने बताया (नवम्बर 2015) कि डेटा जाँचकर सही किया जायेगा व आवश्यक हुआ तो वैधता कार्य किया जाएगा।

#### 2.4.7.9 बाढ़ नियंत्रण प्रबन्धन माँड्यूल

बाढ़ नियंत्रण प्रबन्धन माँड्यूल एक एस.एम.एस. आधारित निगरानी अनुप्रयोग है, जो बाढ़ नियंत्रण के उद्देश्य हेतु केंद्रीय सर्वर से मैदानी कर्मचारियों द्वारा एस.एम.एस. के माध्यम से जलाशय के स्तर के बारे में जानकारी भेजने की सुविधा प्रदान करता है। माँड्यूल जलाशय में बाढ़ की स्थिति और पानी की उपलब्धता के बारे में ड्राइंग अनुमान के लिए सुविधा प्रदान करता है।

दैनिक वर्षा, प्रत्येक वर्षा गेज स्टेशन पर अभिलेखित की जाती है व स्टाफ द्वारा उनके अगले अधिकारी व भोपाल डेटा केन्द्र को अवगत कराया जाता है।

5,297 अभिलेखों के साथ, हमने बांधों/नदियों से संबंधित अभिलेखों में उच्चतम बाढ़ स्तर, खतरे का जल स्तर आदि में हमने निम्नलिखित महत्वपूर्ण कमियां देखी :

- सभी अभिलेखों में उच्चतम बाढ़ स्तर, उच्चतम बाढ़ स्तर का वर्ष एवं खतरे का जल स्तर शून्य के रूप में दर्शाया गया था।
- जिले की पहचान भी उसमें प्रविष्ट नहीं की थी।

इस डेटा के अभाव में जलाशय में बाढ़ की स्थिति व जल की उपलब्धता के बारे में पर्याप्त निगरानी एवं अनुमान लगाना संभव नहीं होगा।

प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग ने बताया (नवम्बर 2015) कि माँड्यूल शीघ्र ही लेखापरीक्षा अवलोकनों के अनुसार कार्यान्वित किया जाएगा।

#### 2.4.7.10 जलाशय निगरानी प्रतिवेदन

एस.एम.एस. आधारित जलाशय निगरानी प्रणाली, विशेषकर वर्षा ऋतु के दौरान जल

बाढ़ नियंत्रण प्रबंधन माँड्यूल में बाढ़ स्तर आदि से संबंधित डेटा की अनुपस्थिति में बाढ़ की स्थिति के बारे में पर्याप्त मॉनिटरिंग संभव नहीं होगी।

स्तर निगरानी हेतु, विकसित की गई है। यह माड्यूल तालाब गेज मापक द्वारा एक सरल एस.एम.एस. भेजकर दैनिक जल स्तर एवं उपलब्ध क्षमता की संकलित जानकारी ज्ञात करने की सुविधा प्रदान करता है।

### (I) एस.एम.एस. आधारित जलाशय निगरानी प्रतिवेदन

25 सितम्बर 2015 की स्थिति के अनुसार एस.एम.एस. आधारित जलाशय निगरानी प्रतिवेदन की हमारे द्वारा नमूना जांच की गई थी। हमारे द्वारा अवलोकित किए गए अपूर्ण डेटा के दृष्टांत नीचे संक्षेप में दिए गए हैं:

- प्रतिवेदन में केवल 136 जलाशयों से संबंधित डेटा संधारित किया जा रहा था जबकि पूर्ण परियोजनाओं की संख्या 4,597<sup>108</sup> है।
- 27 जलाशयों के मामलों में, जलाशय के स्तर का स्थैतिक डेटा, भराव क्षमता एवं वर्तमान भराव अभिलेखित नहीं किया गया था।
- यद्यपि दैनिक आधार पर अद्यतनीकरण किया जाना था, विभागीय प्राधिकारियों द्वारा सभी 136 जलाशयों के संबंध में जलाशय निगरानी डेटा के दैनिक प्रतिवेदन अद्यतन नहीं किए जा रहे थे।

प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग ने उत्तर में बताया (नवम्बर 2015) कि इस माड्यूल द्वारा सभी 136 महत्वपूर्ण जलाशयों की निगरानी की जा रही है एवं आवश्यकतानुसार ये बढ़ाई जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि तकनीकी समस्या के कारण कभी-कभी सर्वर द्वारा एस.एम.एस. प्राप्त नहीं होता था।

### (II) नदी गेज जल स्तर प्रतिवेदन

एस.एम.एस. आधारित प्रणाली, द्वारा नदी मापक जल स्तर निगरानी नदियों में जल प्रवाह एवं उपलब्धता जानने के लिये विकसित की गई थी। नदी गेज वाचक, एस.एम.एस. भेजते हैं, जो कि सर्वर में प्राप्त होता है, व एक प्रतिवेदन प्रदर्शित होता है।

4 अक्टूबर 2015 की स्थिति में नदी गेज जल स्तर प्रतिवेदन के अवलोकन में हमने देखा कि 86 प्रवाह स्टेशनों में से मात्र 15 गेज प्रवाह स्टेशनों से सम्बन्धित डेटा ही प्रतिवेदन में उपलब्ध था।

प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग ने उत्तर दिया (नवम्बर 2015) कि वर्तमान में केवल 15 नदी गेज स्टेशन प्रणाली में लाए गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि शेष नदी गेज वाचक शीघ्र ही प्रणाली उपयोग के लिए लाए जाएंगे।

### 2.4.7.11 सतही जल माँड्यूल

सतही जल माँड्यूल, मौसम विज्ञान एवं जल वैज्ञानिक डेटा की प्रविष्टि के लिए है एवं विभाग के क्षेत्र कार्यालयों द्वारा अवलोकित वर्षा, जलस्तर व जलवायु डेटा की प्रविष्टि की सुविधा उपलब्ध कराता है। यह माड्यूल एक स्थान के मौसम विज्ञान एवं जल विज्ञान के बारे में अनुमान लगाने की सुविधा उपलब्ध कराता है।

हमने माँड्यूल के डेटाबेस जिसमें तापमान, दबाव व अन्य मौसमी विवरण के डेटा से

<sup>108</sup> सूचना का स्रोत विभाग का प्रशासनिक प्रतिवेदन है।

संबंधित 4,920 अभिलेख थे, में निम्न महत्वपूर्ण कमियां देखी (अप्रैल 2015) :

- 3,739 अभिलेखों में स्थानों का न्यूनतम तापमान शून्य बताया गया था जो यह दर्शाता है कि यह जानकारी एकत्र कर डेटाबेस में प्रविष्ट नहीं की जा रही थी।
- 4,912 अभिलेखों में निरपेक्ष दबाव<sup>109</sup> शून्य के रूप में दर्शाया गया था, यद्यपि इसका कुछ मान होता है।

इस प्रकार, मॉड्यूल का डेटाबेस एक स्थान के मौसम व जल विज्ञान की स्थिति के बारे में सही अनुमान लगाने के लिए पूर्ण/सही नहीं था।

प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग ने उत्तर दिया (नवम्बर 2015) कि डेटा भरा जाएगा एवं जहां आवश्यक पाया जाएगा, वैधता कार्य किया जायेगा।

#### **2.4.7.12 जल उपभोक्ता संस्था<sup>110</sup> व अन्य सिंचाई प्रबंधन में भागीदारी माड्यूल**

जल उपभोक्ता संस्था (ज.उ.सं.) एवं अन्य सिंचाई प्रबंधन में भागीदारी मॉड्यूल, विभाग द्वारा जल उपभोक्ता संस्था की गतिविधियों एवं जल उपभोक्ता संस्थाओं को विभाग द्वारा दिए गए धन की निगरानी में सहायता को लक्षित करता है।

हमने देखा (अप्रैल 2015) कि विभाग के आठ जोन के अधीन 2,094 योजनाओं के लिए 1,966 जल उपभोक्ता संस्थाओं के विवरण माड्यूल में दर्ज किए गए थे। वर्ष 2013-14 के डेटाबेस में 1,966 जल उप संस्थाओं के विरुद्ध मात्र 264 जल उप संस्थाओं की दक्षता श्रेणी बताई गई थी। वर्ष 2014-15 व 2015-16 के लिए जल उपभोक्ता संस्थाओं का डेटा अद्यतन नहीं किया गया था। इससे पता चलता है कि माड्यूल आंशिक रूप से ही उपयोग किया जा रहा था।

प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग ने बताया (नवम्बर 2015) कि जल उपभोक्ता संस्थाओं के कार्यों हेतु माड्यूल का उपयोग करने के प्रयास किए जा रहे थे। उत्तर से स्पष्ट है, कि माड्यूल का डेटाबेस इसके सार्थक उपयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए अद्यतन नहीं किया जा रहा था।

#### **2.4.7.13 सिंचाई निगरानी मापदंड**

सिंचाई निगरानी मॉड्यूल, वृहद/मध्यम/लघु सिंचाई योजनाओं के संचालन की निगरानी की सुविधा उपलब्ध कराता है एवं इसमें जल भंडारण क्षमता, सिंचाई लक्ष्य एवं उपलब्धि, साप्ताहिक सिंचाई, योजनाओं द्वारा सिंचाई की संपूर्ण प्रगति एवं संपूर्ण विभाग में सिंचाई गतिविधियों के ऐतिहासिक रिकार्ड्स एवं उपलब्ध सिंचाई क्षमता के विवरण शामिल है।

हमने सिंचाई निगरानी माड्यूल के अंतर्गत 5,346 परियोजनाओं/योजनाओं के 20,971 अभिलेखों से युक्त "सिंचाई क्षमता विवरण" नामक सारणी में निम्न कमियां देखी (अप्रैल 2015) :

सिंचाई निगरानी माड्यूल में सिंचाई क्षमता एवं योजनाओं के वर्गीकरण के सम्बन्ध में अशुद्ध एवं अपूर्ण डेटा के कारण, सिंचाई योजनाओं के संचालन की निगरानी में कठिनाई होगी।

<sup>109</sup> निरपेक्ष दबाव, शून्य दबाव या पूर्ण निर्वात के सापेक्ष मापा गया दबाव है।

<sup>110</sup> जल उपभोक्ता संस्था कृषकों का एक संगठन है। ज.उ.सं. के उद्देश्य, कृषि उत्पादन में सुधार करने के लिए अपने उपयोगकर्ताओं के बीच जल का सुरक्षित वितरण, सिंचाई प्रणाली का पर्याप्त रख-रखाव एवं जल के किफायती एवं कुशलता से उपयोग को बढ़ावा देना है।

- 12,709 अभिलेखों में तालाबों की वास्तविक सिंचाई क्षमता का क्षेत्रफल "शून्य" हेक्टेयर दर्शाया गया है किंतु रूपांकित क्षमता "शून्य" से अधिक दर्शाई गई थी जो कि 1 से 3,62,102 हेक्टेयर के मध्य थी, यह डेटाबेस की अशुद्धता का संकेतक है।
- 416 अभिलेखों के संबंध में माड्यूल में वृहद्, मध्यम व लघु योजनाओं का वर्गीकरण योजनाओं की सिंचाई क्षमता के क्षेत्रफल पर आधारित मानदण्ड के अनुरूप नहीं था।

प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग ने बताया (नवम्बर 2015) कि वर्ष 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 के लिये आंशिक डाटा प्रविष्टि की गई थी जो शीघ्र ही पूरी कर ली जाएगी एवं वर्ष 2012-13 से वास्तविक सिंचाई की डेटा प्रविष्टि प्रारंभ कर दी गई थी। उन्होंने आगे बताया कि लागत के आधार पर योजनाओं के वर्गीकरण पुरानी प्रणाली, 416 अभिलेखों में गलत वर्गीकरण का कारण हो सकती है, जिसे शीघ्र ही सुधार लिया जाएगा।

#### **2.4.7.14 सिंचाई निगरानी प्रतिवेदन**

सिंचाई निगरानी प्रतिवेदन, सिंचाई योजना में जल की उपलब्धता के आधार पर सिंचाई के लिये निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध पाक्षिक आधार पर रबी फसल की सिंचाई निगरानी के लिए उद्देशित है। 25 सितम्बर 2014 को बनाया गया प्रतिवेदन विश्लेषित किया गया था व हमने प्रतिवेदन में परियोजनावार नीचे दिखाये अनुसार कमियां देखी:

#### **वृहद् परियोजनायें**

मौजूदा 24 वृहद् परियोजनाओं में से 22 वृहद् परियोजनाओं का डेटा ही प्रतिवेदन में प्रदर्शित हो रहा था।

- गांधी सागर बांध में, "हेक्टेयर में कृषि योग्य कमान क्षेत्र" एवं "हेक्टेयर में रबी फसल के लिए रूपांकित सिंचाई" शून्य के रूप में अभिलेखित हुई थी।
- चार अभिलेखों में, 25 सितम्बर 2014 का जलाशय का स्तर शून्य मीटर अभिलेखित किया गया था परन्तु बांध की वर्तमान उपलब्ध क्षमता 206.71 मिलियन घन मीटर से 2,197.98 मिलियन घन मीटर के मध्य अभिलेखित की गई थी, जो वैधता जांच के अभाव का संकेतक है।
- छह योजनाओं के लिए, वर्ष 2014-15 के लिए रबी सिंचाई के लक्ष्य निर्धारित किए गए थे परन्तु लक्ष्य टिप्पणियां जैसे "पलेवा एवं एक पानी", "पलेवा एवं तीन पानी" जो सिंचाई के लिये पानी उपलब्ध कराए जाने के संकेतक है, आदि अभिलेखित नहीं थे।

मध्यम परियोजनाओं और लघु योजनाओं के प्रतिवेदनों में भी समान प्रकृति की कमियां देखी गई थी।

प्रमुख अभियन्ता, जल संसाधन विभाग ने उत्तर दिया (नवम्बर 2015) कि आवश्यक सुधार एवं डेटा प्रविष्टि में वैधता जांच प्रावधानित की जाएगी। उन्होंने आगे जोड़ा कि लक्ष्य टिप्पणी स्तंभ में कोई टिप्पणी नहीं होने का अर्थ है, कि सभी आवश्यक पानी प्रदाय किए जाएंगे।

आवश्यक पानी प्रदाय करने की पालियों की संख्या से संबंधित उत्तर स्वीकार्य नहीं है,

क्योंकि "टिप्पणी लक्ष्य" स्तंभ का अर्थ सिंचाई के लिये पानी देने की पालियों की संख्या को अभिलेखित करना है।

#### 2.4.7.15 भौगोलिक सूचना प्रणाली (जी.आई.एस.) मॉड्यूल

अनुबंध की निबंधन व शर्तों के अनुसार, जियो-डेटाबेस<sup>111</sup> एक मुख्य अनुप्रयोग घटक होना था एवं इस उद्देश्य के लिए जी. आई. एस., मध्य प्रदेश जल संसाधन विभाग के जल संसाधनों से सम्बन्धित सूचनाओं का सामान्य स्रोत होना था।

राज्य के जल संसाधनों से संबंधित जियो-डेटाबेस मांगे जाने पर हमें उपलब्ध नहीं कराया गया था। ई.आई.एम.एस. के वेब पेज के मुख्य पेज पर एक लिंक दी गई थी जो राज्य के जल संसाधनों के संबंध में जियो-डेटाबेस नहीं दर्शाती।

प्रमुख अभियन्ता, जल संसाधन विभाग ने बताया (नवम्बर 2015) कि जी.आई.एस. मॉड्यूल विकसित किया गया था परन्तु सर्वर की कमी के कारण यह कार्य नहीं कर रहा था एवं राज्य डेटा केन्द्र में स्थानांतरण के पश्चात् जी.आई.एस. अनुप्रयोग पूर्णतः क्रियाशील बनाया जाएगा व उपयोग होगा।

#### 2.4.7.16 साध्यता प्रतिवेदन

साध्यता प्रतिवेदन में तीन उप प्रतिवेदन, जैसे, नवीन योजना प्रतिवेदन, सुधार, नवीनीकरण व पुनर्वास (आर.आर.आर.) योजना प्रतिवेदन है। 5 अक्टूबर 2015 की स्थिति के अनुसार इन उप प्रतिवेदनों के संबंध में जल संसाधन विभाग के पोर्टल पर उपलब्ध सक्रिय डेटा हमारे द्वारा विश्लेषित किया गया था।

##### (i) नवीन योजना प्रतिवेदन

यह प्रतिवेदन साध्यता अध्ययन के लिए पहचानी गई "पिनप्वाईटेड" नई योजनाओं, अनुमोदित योजनाओं, सर्वे के अन्तर्गत योजनाओं, स्वीकृत योजनाओं एवं अस्वीकृत योजनाओं के बारे में जानकारी रखता है। नई योजनाओं के प्रतिवेदन के 269 अभिलेखों की जांच में हमने देखा कि:

- 13 पिनप्वाईटेड नई योजनाओं में, कुल भूमि लागत सिंचित भूमि, असिंचित भूमि व वन भूमि की कुल लागत से मेल नहीं खाती।
- साध्यता अनुमोदित चार योजनाओं में भी भूमि की कुल लागत सिंचित भूमि, असिंचित भूमि एवं वन भूमि की लागत के योग के बराबर नहीं थी।
- इस तथ्य के विपरीत कि कई योजनायें विभाग द्वारा स्वीकृत हैं, नवीन योजना प्रतिवेदन में केवल एक योजना "केशरिया कुंड तालाब" ही स्वीकृत दर्शाई गई थी।

प्रमुख अभियन्ता, जल संसाधन विभाग ने उत्तर दिया (नवम्बर 2015) कि स्वीकृत परियोजनायें अधिक हो सकती हैं, जिन्हें जांच कर अद्यतन किया जायेगा।

##### (ii) सुधार, नवीनीकरण व पुनर्वास योजना प्रतिवेदन

सुधार, नवीनीकरण व पुनर्वास योजना प्रतिवेदन, पुरानी परियोजनाओं के सम्बन्ध में सुधार, नवीनीकरण व पुनर्वास के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने के लिए

<sup>111</sup> जियो-डेटाबेस, विभिन्न प्रकार के भौगोलिक डेटा सेट का एक संग्रह है।

स्वीकृति देने हेतु शासकीय प्राधिकारियों को सुविधा उपलब्ध कराने के लिए उद्देशित है। सुधार, नवीनीकरण व पुनर्वास योजना प्रतिवेदन में 91 योजनाओं के अभिलेख उपलब्ध थे। हमने देखा कि:

- चार अभिलेखों में, हेक्टेयर में जलग्रहण क्षेत्र के स्तंभ में अर्थहीन डेटा जैसे "99,999,999.000" एवं "9,999,999.000" प्रविष्ट पाया गया था जो दर्शाता है कि फील्ड की चौड़ाई के सम्बन्ध में उचित वैधता जांच डेटाबेस में नहीं थी।
- नहर की कुल लाइनिंग, शीर्ष कार्य एवं नहर की सुधार, नवीनीकरण व पुनर्वास योजना की अनुमानित लागत के स्तम्भ में 3.00 से 2,61,34,800.00 जैसा डेटा प्रविष्टि किया गया था जो इंगित करता है कि विभिन्न संभागों द्वारा मौद्रिक मूल्य विभिन्न इकाईयों में प्रविष्ट की जा रही थी।
- प्रतिवेदन दर्शाता है कि 91 योजनाओं की प्रति हेक्टेयर लागत ₹ 0.14 से ₹ 8,67,605.71 के मध्य है जो स्पष्ट रूप से अशुद्ध था।

प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग ने अवलोकनों को स्वीकार किया (नवम्बर 2015) एवं उत्तर दिया कि माड्यूल में सही व विश्वसनीय डेटा सुनिश्चित करने के लिए उचित वैधता जांच प्रावधानित की जाएगी।

#### 2.4.7.17 ई. आई. एम. एस. के अन्य मॉड्यूल

हमने अन्य ई. आई. एम. एस. मॉड्यूलों का भी विश्लेषण किया जैसे, यांत्रिकी कार्य (ई. एंड एम.), एस.एम.एस. आधारित नहर निगरानी प्रणाली, स्थापना सम्बन्धित सम्पत्तियां, भंडार लेखांकन, आपूर्ति व निविदा प्रबंधन, शिकायत प्रबंधन, कार्यालय प्रशासन, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज प्रबंधन प्रणाली, पर्यावरण प्रबंधन, विधानसभा व संसद प्रश्नोत्तर, बजट आयोजना व निगरानी, भूजल एवं कृषि राजस्व एवं सिंचाई देयक जो या तो विभाग द्वारा उपयोग नहीं किये जा रहे थे अथवा उनमें बहुत कम व अशुद्ध, अपूर्ण डेटा था। अपूर्ण व अशुद्ध डेटा के दृष्टांत हमारे द्वारा विभाग की वेबसाइट पर निगरानी के उद्देश्य से प्रदर्शित किए गए प्रतिवेदनों के डेटा में भी देखे गये।

ई. आई. एम. एस. के इन 24 मॉड्यूलों के डेटाबेस के परीक्षण में जैसा ऊपर वर्णित है अपर्याप्त इनपुट नियंत्रण, डेटा वैधता का अभाव, व्यवसाय नियमों का अपूर्ण प्रतिचित्रण, कई मॉड्यूलों में डेटा की अशुद्ध/अपूर्ण ग्राह्यता एवं कुछ मॉड्यूलों का अनुपयोग शामिल है।

निर्गम सम्मेलन में (सितम्बर 2015) प्रमुख सचिव, जल संसाधन विभाग ने वैधता जांच का अभाव, मॉड्यूलों में डेटा की अपूर्ण/अशुद्ध प्रविष्टियों को स्वीकार करते हुए बताया कि ई.आई.एम.एस. सिंचाई परियोजनाओं के प्रस्ताव की शुरुआत से निर्माण की पूर्णता तक व उसके पश्चात् जलाशय के भरने से सिंचाई तक निगरानी के लिए एक प्रभावी उपकरण था। सर्वर की क्षमता की अपर्याप्तता, कम्प्यूटर व बेव आधारित प्रणालियों को सीखने व उपयोग करने हेतु इंजीनियरों की अनिच्छा, महत्वपूर्ण अवरोध थे, जिन पर अब काबू पाया जा चुका था। उन्होंने आगे जोड़ा कि कंसल्टेंसी को, उच्च प्राथमिकता वाले मॉड्यूलों को उच्च मूल्य साथ ही निम्न उपयोगिता वाले मॉड्यूलों को निम्न प्राथमिकता देने वाला, एक समग्र ठेका दिया गया था।

ई.आई.एम.एस. मॉड्यूलों का डेटाबेस, अपर्याप्त इनपुट नियंत्रण, डेटा वैधता का अभाव, व्यवसाय नियमों का अपूर्ण प्रतिचित्रण, डेटा की अशुद्ध/अपूर्ण ग्राह्यता व कुछ मॉड्यूलों का अनुपयोग दर्शाता है।

ई. आई. एम. एस. के विकास पर किया गया ₹ 16.79 करोड़ का व्यय इस हद तक निष्फल रहा कि योजनानुसार मॉड्यूल विकसित/ उपयोग नहीं किये जा रहे थे।



यह तथ्य शेष रहता है कि ई. आई. एम. एस. के विकास पर किया गया ₹ 16.79 करोड़ का व्यय योजनानुसार माड्यूल विकसित/उपयोग नहीं किये जाने की सीमा तक निष्फल रहा।

### अनुशंसा

शासन को डेटा की पूर्णता, शुद्धता व उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए जो प्रबंधन के निर्णय लेने व मॉनिटरिंग करने हेतु उपयोगी हो। शासन को ई. आई. एम. एस. के अन्य सभी विकसित माड्यूलों को पूर्णतः कार्यान्वित करना चाहिये।

#### 2.4.8 ई. आई. एम. एस. का ठेका प्रबन्धन

विश्व बैंक ने मेसर्स टेक महिन्द्रा लिमिटेड के साथ ई.आई.एम.एस. के रूपांकन व कार्यान्वयन में सहायता के लिए राशि ₹ 15,00,47,100 का ठेका हस्ताक्षर करने के लिए अनापत्ति प्रदान की<sup>112</sup> (जुलाई 2008)। पाइकू ने मेसर्स टेक महिन्द्रा लिमिटेड को स्वीकृति पत्र जारी किया (अगस्त 2008) एवं अगस्त 2008 में सलाहकार में कार्य आरंभ करने की सूचना दी। अगस्त 2008 में सलाहकार के ठेके के लिए अनुबंध<sup>113</sup> हस्ताक्षरित हुआ था।

अनुबंधानुसार, पूर्णता की निर्धारित अवधि 36 माह (31 जुलाई 2011 तक) थी। अनुबंध के अनुसार तीन वर्ष की वारंटी अवधि एवं तीन वर्ष का वार्षिक रखरखाव ठेका (एएमसी) अवधि थी। विभाग के उत्तर के अनुसार 30 सितम्बर 2013 को विकास-चरण पूर्ण हुआ था एवं वारंटी-चरण 1 अक्टूबर 2013 से प्रभावी था।

वर्ष 2013-14 तक परियोजना पर ₹ 1.79 करोड़ का सेवा कर सहित ₹ 16.79 करोड़ का व्यय किया गया था।

लेखापरीक्षा में ई.आई.एम.एस. के विकास के लिए किए गए ठेके के प्रबंधन में कमियां देखी गईं जिनकी चर्चा अनुवर्ती कंडिकाओं में की गई है।

#### 2.4.8.1 ई.आई.एम.एस. डाटा शब्दकोष की अनुपलब्धता

एक डेटा शब्दकोष डेटाबेस की संरचना परिभाषित करता है एवं नाम, विवरण, प्रत्येक सारणी की प्रत्येक फील्ड की विशेषताओं तथा डाटा अवयवों के मध्य अन्तर सम्बन्धों के प्रकारों को, दूसरों<sup>114</sup> को देखने या विप्लेषण करने की सुविधा प्रदान करने के लिए, शामिल करता है।

ई.आई.एम.एस. के सम्बन्ध में डेटा शब्दकोष सलाहकार द्वारा लेखापरीक्षा अवधि (अक्टूबर 2014 से जुलाई 2015) के दौरान उपलब्ध नहीं कराया गया था। डेटा शब्दकोष के अभाव में, परिवर्तन प्रबंधन, डाटाबेस प्रशासन व लेखापरीक्षण कठिन होगा।

प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग ने बताया (नवम्बर 2015) कि डेटा शब्दकोष अब उपलब्ध है एवं लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि डेटा शब्दकोष हमें लेखापरीक्षा की समाप्ति के पश्चात्

ई.आई.एम.एस. का डाटा शब्दकोष, लेखापरीक्षा अवधि के दौरान विभाग द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जा सका।

<sup>112</sup> ई-मेल दिनांक 10 जुलाई 2008 के माध्यम से

<sup>113</sup> अनुबंध क्रमांक 3/ई.ई.(बी.वी.पी.पी.)/एस.ए.सी./252/08 दिनांक 12 अगस्त 2008

<sup>114</sup> प्रोग्रामरों, डेटाबेस प्रशासकों, लेखापरीक्षकों आदि

उपलब्ध कराया गया था एवं यह व्यापक नहीं था क्योंकि सारणी के विवरण एवं फील्ड के ब्यौरे डेटा शब्दकोष में उल्लेखित नहीं कि गए थे।

#### 2.4.8.2 सुरक्षित साकेट्स परत का संस्थापन

स्थापित सुरक्षित साकेट परत का प्रमाणन कालातीत था जिसने वेबसाइट को जोखिम संभावित बनाया ।

सलाहकार के साथ हुए अनुबंध के अनुसार बेव पोर्टल का विकास उसका उत्तरदायित्व था। वेब पोर्टल के लिए सुरक्षित साकेट्स परत (एसएसएल) का प्रमाणीकरण वेब साइट को सुरक्षित बनाने के लिए कार्य का एक अभिन्न अंग था ।

हमने (मई 2015) ई.आई.एम.एस. के पोर्टल के वेब पृष्ठ से पाया कि पोर्टल में एक कालातीत एसएसएल प्रमाणीकरण था। इस प्रकार, बेव साइट सुरक्षित नहीं थी।

प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग ने स्वीकार किया (नवम्बर 2015) कि पूर्व में किया गया एसएसएल प्रमाणीकरण कालातीत हो गया था। उन्होंने आगे बताया कि डेटा सेन्टर के लिए प्राप्त किए गए हार्डवेयर, राज्य डाटा सेंटर में स्थापित किए जाएंगे एवं ई.आई.एम.एस. के राज्य डाटा सेंटर में स्थानांतरित होते ही शीघ्रातीषीघ्र एसएसएल प्रमाणीकरण कर दिया जायेगा।

#### 2.4.8.3 द्विभाषीय शब्दकोष एवं फोनेटिक परिवर्तन इंजन का न लगाया जाना

अनुबंध में प्रावधानित होने के बावजूद द्विभाषी शब्दकोष व फोनेटिक परिवर्तन इंजन अनुप्रयोग के साथ स्थापित नहीं किए गए ।

सलाहकार के साथ किए गए अनुबंध में द्विभाषी शब्दकोष की स्थापना प्रावधानित करता है जो उपयोगकर्ता को डाटा प्रविष्टि स्क्रीन पर की फील्ड्स के लिए हिन्दी व अंग्रेजी माध्यम में आने जाने (स्विच) की सुविधा देता है। शब्दकोष की एक अन्य विशेषता उपयोगकर्ता को उन अंग्रेजी शब्दों को ढूंढने के योग्य बनाना है, जिसके हिन्दी अनुवाद प्रणाली में उपलब्ध थे। सलाहकार को, एक अतिरिक्त विशेषता प्रदान करते हुए अंग्रेजी पाठ के हिन्दी समानार्थ का उपयोग करने हेतु एक फोनेटिक परिवर्तन इंजन का रूपांकन करना भी आवश्यक था।

हमने देखा (अप्रैल 2015) कि की-फील्ड्स के लिए हिन्दी और अंग्रेजी भाषा में आने जाने की सुविधा वाला द्विभाषी शब्दकोष प्रदान करने के स्थान पर सलाहकार ने प्रोग्रामिंग के क्षेत्रों में पूर्वपरिभाषित हिन्दी लेबल्स प्रदान किए जिसके कारण हिन्दी भाषी उपयोगकर्ताओं के लिये साफ्टवेयर का उपयोग सीमित हो गया। अनुबंध के अनुसार सलाहकार द्वारा द्विभाषी शब्दकोष उपलब्ध न कराए जाने के कारण विभाग का डेटा एन्ट्री स्टाफ शब्दिक तत्त्वों को हिन्दी से अंग्रेजी और इसके विपरीत परिवर्तन की सुविधा से वंचित हुआ। फोनेटिक परिवर्तन इंजन भी नहीं पाया गया परन्तु अनुबंधानुसार सलाहकार को पूर्ण भुगतान किया गया था।

प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार करते हुये बताया (नवम्बर 2015) कि द्विभाषी शब्दकोष के क्षेत्र की मदों का संकलन किया गया व स्थापित किया गया था। उन्होंने आगे बताया कि द्विभाषी शब्दकोष व फोनेटिक परिवर्तन इंजन का उपयोग पोर्टल के साथ साथ अनुप्रयोग पर भी ई.आई.एम.एस. के राज्य डाटा सेंटर में स्थानांतरण होने के बाद पूर्णतः उपलब्ध होगा।

#### 2.4.8.4 सलाहकार द्वारा मुख्य कार्मिकों को नियोजित न करना

अनुबंध में, 11 मुख्य कार्मिक व उप सलाहकार नाम के अनुसार दिये गये थे जो ई.आई.एम.एस. के विकास के लिए उत्तरदायी थे। ग्यारह अन्य मुख्य कार्मिक बाद में नामित किये जाने थे। अनुबंध की शर्त 4.2 के अनुसार मुख्य कार्मिकों में कोई भी

परिवर्तन, सलाहकार के नियंत्रण के बाहर के कारणों के अलावा अन्य कारणों से नहीं किया जाएगा। परिशिष्ट "ए"<sup>115</sup> के अनुलग्नक 'IV' के अनुसार, मुख्य कार्मिकों व सहायक स्टाफ के अनियोजन के मामले को सलाहकार द्वारा ठेके का उल्लंघन मानते हुए भुगतान में से सामुनापातिक रूप से वेतन काटा जाना था।

हमने (अप्रैल 2015) विभाग के अभिलेखों से देखा कि सलाहकार द्वारा जुलाई 2009 तक चार मुख्य कार्मिक नियोजित नहीं किए गए थे जबकि अगस्त 2008 में ई.आई.एम.एस. का विकास कार्य प्रारंभ हो चुका था। तथापि परियोजना कार्यान्वयन एवं समन्वय ईकाई ने सलाहकार को देय भुगतान में से मुख्य कार्मिकों के अनियोजन के कारण किसी भी राशि की वसूली नहीं की थी।

प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग ने बताया (नवम्बर 2015) कि प्रकरण अनियोजन का न होकर विश्व बैंक द्वारा चार मुख्य कार्मिकों की स्थिति में परिवर्तन के अनुमोदन में विलंब का था एवं इन चार पदों में से किसी के लिए भी संपूर्ण मानव माहों में से कोई कमी नहीं हुई थी इसलिए कोई वसूली नहीं की गई थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि सलाहकार द्वारा जुलाई 2009 तक चार मुख्य कार्मिक नियोजित नहीं किये गये थे। इसके अतिरिक्त, परियोजना संचालक, पाइकू ने सलाहकार को सूचित किया था (जुलाई 2009) कि मुख्य कार्मिकों का अनियोजन, कार्य उत्पाद की गुणवत्ता पर परिलक्षित हुआ था, जिसे ठेके का उल्लंघन माना गया था।

#### **2.4.8.5 क्षमता निर्माण एवं संस्थागत दृढ़ीकरण**

ई.आई.एम.एस. अनुप्रयोग की पूर्ण क्षमता का उपयोग करने के लिए विभाग पर्याप्त मानव क्षमता विकसित नहीं कर सका।

अनुबंध के अनुसार<sup>116</sup> सलाहकार को, जल संसाधन विभाग में आईटी/आईएस<sup>117</sup> विशेषज्ञों के विशेष दल के लिए आवश्यकताओं की पहचान करना था एवं एक उपयुक्त सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रणाली संगठन बनाना था जिसमें अधोसंरचना, संसाधन व रखरखाव रणनीति सम्मिलित हो। सलाहकार द्वारा प्रस्तुत (सितम्बर 2009) संस्थागत फ्रेम वर्क प्रतिवेदन के अनुसार सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रणाली दल को सूचना व तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए, जल संसाधन विभाग में एक केन्द्रीय सूचना व तकनीकी कार्यालय का गठन किया जाना था। सलाहकार को भी अनुप्रयोग के उपयोग, अनुप्रयोग में सहायता व अनुप्रयोग के प्रशासन के क्षेत्र में जल संसाधन विभाग के कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करना आवश्यक था।

हमने देखा (मई 2015) कि जल संसाधन विभाग के कार्मिकों का कोई सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रणाली विशेषज्ञ समूह नहीं बनाया गया था। विकास चरण के पश्चात्, सभी कार्य जैसे वेब सर्वर, ई.आई.एम.एस. का कार्यान्वयन, डेटाबेस प्रशासक गतिविधियां एवं परिवर्तन प्रबंधन नियंत्रण सलाहकार द्वारा ही किए जा रहे थे। हमारे द्वारा केन्द्रीय सूचना व तकनीकी कार्यालय के गठन में कोई उन्नति नहीं देखी गई। यद्यपि यह बताया गया कि

प्रशिक्षकों एवं उपयोगकर्ताओं को प्रशिक्षण उपलब्ध कराया गया (जून 2009 से मई 2013) परन्तु संभागीय स्तर पर अनुबंधित कर्मचारियों का नियोजन विभाग में

<sup>115</sup> अनुबंध के बिन्दु क्रमांक 12 पर तय नियम एवं शर्तें

<sup>116</sup> अनुबंध के परिशिष्ट "ए" {टी.ओ.आर. के संलग्नक 'V' की शर्त 1.4 (जी) }

<sup>117</sup> सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रणाली

उपयोगकर्ताओं को अपर्याप्त प्रशिक्षण दिए जाने को इंगित करता है। पूछे जाने पर विभाग, सलाहकार द्वारा प्रशिक्षित कार्मिक, प्रशिक्षण का प्रकार, स्थान, दिनांक व प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवधि के सम्बन्ध में उचित दस्तावेज हमें प्रस्तुत नहीं कर सका। परिणामतः, विभाग ने क्षेत्रीय कार्यालयों में तथा परियोजना कार्यान्वयन एवं समन्वयन इकाई में ई.आई.एम.एस. अनुप्रयोग की पूर्ण दक्षता का उपयोग करने के लिए पर्याप्त मानव शक्ति विकसित नहीं की थी।

प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुये कहा (नवम्बर 2015) कि सलाहकार ने तकनीकी कार्यालय के लिये आवश्यक गठन प्रस्ताव तैयार किया गया था एवं विभाग आंतरिक क्षमता के विकास के लिये आवश्यक प्रबंध करेगा।

उत्तर पुष्टि करता है कि विभाग ने अभी तक ई.आई.एम.एस. अनुप्रयोग की पूर्ण क्षमता का उपयोग करने हेतु पर्याप्त मानव शक्ति विकसित नहीं की थी।

### अनुशंसा

शासन को जल संसाधन विभाग में विभागस्तर पर ई.आई.एम.एस. के सभी चुनौतियों से निपटने के लिए पर्याप्त क्षमता निर्माण के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण के साथ साथ आत्म निर्भरता के लिए सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रणाली के एक विशेषज्ञ दल की पहचान सुनिश्चित करनी चाहिए।

#### 2.4.8.6 ई.आई.एम.एस. अनुप्रयोग की परीक्षण प्रक्रिया का अनुपालन न किया जाना

अनुबंध में बताये अनुसार ई.आई.एम.एस. की परीक्षण प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।

अनुबंध की शर्तों के अनुसार<sup>118</sup> सलाहकार को साफ्टवेयर विकास के प्रत्येक चरण पर पूर्ण अनुप्रयोग को परीक्षण करने के लिये मास्टर परीक्षण योजना तैयार करना आवश्यक था। सलाहकार, परीक्षणों के दौरान जनित हुए संपूर्ण टेस्ट लॉग्स, परीक्षण प्रतिवेदन व दस्तावेजों के रखरखाव हेतु उत्तरदायी था वहीं विभाग के कर्मचारी परीक्षणों व सभी स्वीकृत परीक्षण परिणामों के अंतिम अंकगणना हेतु जिम्मेदार थे।

तथापि हमने परीक्षण के दौरान जनित संपूर्ण टेस्ट लॉग्स व परीक्षण प्रतिवेदनों के दस्तावेजों के व्यवस्थित रखरखाव के साथ साथ विभाग द्वारा परीक्षण परिणामों की स्वीकृति नहीं देखी। आगे हमने प्रणाली रूपांकन, वैधता जांच आदि में खामियां देखी जिन पर कंडिकाओं 2.4.7.1 से 2.4.7.17 में विस्तृत रूप से चर्चा की गई है।

प्रमुख अभियन्ता/जल संसाधन विभाग ने स्वीकार किया (नवम्बर 2015) कि कोड स्तर<sup>119</sup> परीक्षण व उनके लॉग को गूढ़ लिपि को तोड़ने व समझने की आवश्यकता है परन्तु सूचना प्रौद्योगिकी कर्मचारियों की कमी के कारण विभाग में इस तरह की समझ उपलब्ध नहीं थी, परिणामस्वरूप परीक्षण लॉग अभिलेख के रख-रखाव में कमी है। उन्होंने आगे कहा कि सलाहकार को अनुप्रयोग परीक्षण दस्तावेजीकरण प्रस्तुत करने को कहा गया था।

<sup>118</sup> अनुबंध के परिशिष्ट "ए" की शर्त 1.1.10 (सेवाओं का विवरण)

<sup>119</sup> ईआईएमएस अनुप्रयोग के लिए प्रोग्रामिंग

### 2.4.8.7 सलाहकार द्वारा डेटा की प्रविष्टि न किया जाना

अनुबंध में बताये अनुसार सलाहकार द्वारा एक वर्ष का ऐतिहासिक व दो वर्षों का वर्तमान डेटा मॉड्यूलों में प्रविष्टि नहीं किया गया।

अनुबंध के अनुसार<sup>120</sup>, सलाहकार प्रदर्शनात्मक प्रायोगिक चरणों के लिए एक वर्ष की ऐतिहासिक डेटा की प्रविष्टि व दो वर्ष के वर्तमान डेटा की प्रविष्टि एवं रोल आउट चरणों के लिए उपयोगकर्ताओं द्वारा डेटा प्रविष्टि के पर्यवेक्षण/सुविधाप्रदान करने के लिए उत्तरदायी था।

हमने डेटा के विश्लेषण में सभी माड्यूलों में अपूर्ण, अवैध व अशुद्ध डाटा पाया (अप्रैल 2015)। अधिकांश मॉड्यूल अनुपयोगी रहे थे जिससे पुष्टि होती है कि सलाहकार द्वारा एक वर्ष का ऐतिहासिक व दो वर्ष का वर्तमान डेटा मॉड्यूलों में प्रविष्टि नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, डेटा प्रविष्टि के अपेक्षित लाभ अभी तक प्राप्त नहीं किये जा सके हैं। यह भी विभाग द्वारा प्रभावी निगरानी के अभाव का संकेत है।

प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग ने बताया (नवम्बर 2015) कि ई.आई.एम.एस. के लिए 34 मॉड्यूल विकसित किए गए थे। विकास चरण के दौरान ये मॉड्यूल प्रायोगिक संचालन के पश्चात् आरंभ किए गए थे। उन्होंने आगे बताया कि पांच प्रायोगिक संभागों का ऐतिहासिक डाटा माड्यूलों में प्रविष्टि किया जाना था, जो सलाहकार द्वारा किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अनुबंध में बताये अनुसार सलाहकार द्वारा किसी भी मॉड्यूल में पूर्ण डेटा प्रविष्टि नहीं की गई थी। मॉड्यूलों में अपूर्ण व अशुद्ध डेटा सिद्ध करता है कि उपयोगकर्ताओं द्वारा की गई डेटा प्रविष्टि का निरीक्षण सलाहकार द्वारा नहीं किया गया था। इसलिए, डेटा प्रविष्टि के परियोजित लाभ प्राप्त नहीं किए जा सके।

### 2.4.8.8 विकास-चरण के कुछ मुख्य कार्यों की अनियमित रूप से उप ठेकेदार को सौंपा गया।

ई.आई.एम.एस. के विकास-चरण के कुछ मुख्य कार्य उप ठेके पर किये गये एक फर्म के द्वारा किये गये।

सलाहकार को दिये गये स्वीकृति पत्र (अगस्त 2008) के अनुसार सलाहकार कार्य के किसी भी घटक को उपठेकेदार को सौंपने के लिए आशयित नहीं था। सलाहकार ने ठेका हस्ताक्षरित करने के ठीक एक माह पश्चात्, मध्य प्रदेश में स्थानीय लॉजिस्टिक सहायता प्रदाय करने के लिए एक अन्य फर्म से सहायता एवं समर्थन प्राप्त करने के लिए अनुरोध किया (सितम्बर 2008)। उक्त अनुरोध के लिए परियोजना संचालक, परियोजना कार्यान्वयन एवं समन्वयन इकाई द्वारा अनुमति प्रदान की गई थी।

हमने पाया कि उपठेकेदार फर्म जिसे सलाहकार द्वारा लॉजिस्टिक समर्थन हेतु संलग्न किया था, ने ई.आई.एम.एस. के विकास के कुछ मुख्य कार्य किए थे, जो अनियमित था।

परियोजना संचालक, परियोजना कार्यान्वयन एवं समन्वयन इकाई ने उत्तर दिया (जून 2015) कि सलाहकार को मात्र लॉजिस्टिक समर्थन प्राप्त करने के लिये अन्य फर्म को नियुक्त करने के प्रस्ताव पर अनापत्ति दी गई थी। उप ठेकेदारी का कोई मुद्दा नहीं था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अभिलेख दर्शाते हैं कि ई.आई.एम.एस. के विकास चरण के कुछ मुख्य कार्य उप ठेकेदार फर्म के माध्यम से कार्यान्वित करवाए गए थे जो

<sup>120</sup> अनुबंध के परिशिष्ट "ए" का संलग्नक V {टीओआर शर्त, 1.8 (5) (ई)}

प्रणाली रूपांकन में कमियों में परिणित हुई, जैसा की कंडिकाओं 2.4.7.1 से 2.4.7.17 तक में बताया गया है।

### अनुशंसा

शासन को ठेके के कार्यान्वयन का व्यापक मूल्यांकन करना चाहिए एवं तदनुसार उपचारात्मक कार्रवाई करनी चाहिए।

### 2.4.9 निष्कर्ष और अनुशंसाएं

- ई.आई.एम.एस. के सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग के संबंध में सामान्य नियंत्रण में कमियां थी क्योंकि वहां तार्किक उपयोग नियंत्रण अपर्याप्त थे, सलाहकार द्वारा ही स्वयं बिना दस्तावेजीकरण प्रक्रिया के ई.आई.एम.एस. अनुप्रयोग के लिये परिवर्तन प्रबंधन किया जा रहा था। ई.आई.एम.एस. के लिए व्यवसाय निरंतरता व आपदा प्रतिपूर्ति योजना तैयार नहीं की गई थी।

शासन को एक निर्बाध एवं अभीष्ट प्रणाली के संचालन व उपयोग के लिए परिवर्तन प्रबंधन एवं व्यवसाय निरंतरता योजना बनानी व लागू करनी चाहिए।

- विभाग द्वारा कार्यान्वित किए गए पांच मुख्य मॉड्यूलों में से चार में डेटा अपूर्ण, अशुद्ध व असंगत था या माड्यूलों की पूर्ण क्षमता से उपयोग नहीं किया गया था। ई.आई.एम.एस. के अन्य नमूना जांच किए गए माड्यूलों का डेटाबेस अपर्याप्त इनपुट नियंत्रण, डेटा वैधता का अभाव, विभाग के व्यवसायिक नियमों का अपर्याप्त प्रतिचित्रण दर्शाता है। इन माड्यूलों में भी डेटा की अशुद्ध व अपूर्ण प्रविष्टियां व कुछ माड्यूलों के अनुपयोग के दृष्टांत देखे गए। इस प्रकार, उपयोगकर्ता को सुधरी हुई व मूल्य प्रभावी सेवाएं प्रदान करने व सूचना तक सुधारात्मक पहुंच में सहायता, पारदर्शिता एवं सहयोगात्मक कार्य प्रदाय करने के उद्देश्य तथा ई.आई.एम.एस. के विकास पर किया गया ₹ 16.79 करोड़ का व्यय योजनाबद्ध किए गए मॉड्यूलों को विकसित/उपयोग नहीं किए जाने की सीमा तक निष्फल रहा ।

शासन को डेटा की पूर्णता, शुद्धता व उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए जो प्रबंधन के निर्णय लेने व मॉनिटरिंग करने हेतु उपयोगी हो। शासन को ई. आई. एम. एस. के अन्य सभी विकसित मॉड्यूलों को पूर्णतः कार्यान्वित करना चाहिये।

- ई.आई.एम.एस. अनुप्रयोग का ठेका प्रबंधन त्रुटिपूर्ण था क्योंकि ई.आई.एम.एस. पोर्टल में एक कालातीत एसएसएल प्रमाणीकरण था जो उसकी सुरक्षा हेतु खतरा था। सलाहकार द्वारा हिन्दी व अंग्रेजी भाषा के मध्य बदलने की सुविधा हेतु द्विभाषी शब्दकोष उपलब्ध नहीं कराया गया था। अनुबंध की आवश्यकतानुसार, सलाहकार ने विभागीय कार्मिकों का सूचना प्रौद्योगिकी/ सूचना प्रणाली विशेषज्ञ का समूह नहीं बनाया था, फलस्वरूप विभाग में क्षमता निर्माण के उद्देश्य हासिल नहीं हुए थे।

शासन को जल संसाधन विभाग में विभागस्तर पर ई.आई.एम.एस. के सभी चुनौतियों से निपटने के लिए पर्याप्त क्षमता निर्माण के साथ साथ आत्म निर्भरता के लिए सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रणाली के एक विशेषज्ञ दल की पहचान सुनिश्चित करनी चाहिए। शासन को ठेके के कार्यान्वयन का व्यापक मूल्यांकन करना चाहिए एवं तदनुसार उपचारात्मक कार्रवाई करनी चाहिए।

प्रतिवेदन में दी गई अनुशंसाएं शासन द्वारा स्वीकार कर ली गई थी।

## जल संसाधन विभाग

## 2.5 निर्माण कार्यों में गुणवत्ता आश्वासन पर दीर्घ प्रारूप कंडिका

## कार्यकारी सारांश

सिंचाई योजनाओं के निर्माण, सिंचाई क्षमता का विकास और उसके वास्तविक उपयोग के लिए जल संसाधन विभाग मध्य प्रदेश सरकार की प्रमुख संस्था है। विभाग ने दो केंद्रीय प्रयोगशालाओं, आठ उप संभागों के साथ दो गुणवत्ता नियंत्रण संभागों और बारह अन्य गुणवत्ता नियंत्रण उप संभागों की स्थापना की थी। वर्ष 2012-13 से 2014-15 तक की अवधि के दौरान ₹ 1,250.52 करोड़ की लागत पर 72 अनुबंधों के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही तीन वृहद, दो मध्यम और 23 लघु सिंचाई योजनाओं में गुणवत्ता नियंत्रण स्थापना की पर्याप्तता एवं निर्धारित गुणवत्ता नियंत्रण मानकों के अनुपालन की जाँच की गई। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष इस प्रकार है:

- गुणवत्ता नियंत्रण मण्डलों, संभागों और उप-संभागों की संख्या विभाग की गुणवत्ता नियंत्रण नियमावली में दिए गए मानदंडों के अनुसार स्थापित नहीं थी। गुणवत्ता नियंत्रण संभागों/उप-संभागों में तकनीकी कर्मचारी सहित कर्मचारियों की कमी थी जो निर्माण कार्य में गुणवत्ता आश्वासन को प्रभावित कर रही थी।

## (कंडिका 2.5.5.1(i) एवं(ii))

- ₹ 121.71 करोड़ मूल्य की सीमेंट एवं स्टील सरियों के सुदृढीकरण की गुणवत्ता, ₹ 12.90 करोड़ लागत से चिपकने एवं न फूलने वाली (सीएनएस) मिट्टी और कम घनत्व की पोलिइथिलीन फिल्म के भौतिक गुणों के संबंध में परीक्षणों के परिणाम उपलब्ध नहीं थे और सामग्री एवं सीमेंट कांक्रीट/प्रबलित सीमेंट कांक्रीट के अपेक्षित परीक्षण निर्धारित आवृत्तियों के अनुसार नहीं किये गये थे। अतः वहाँ कोई आश्वासन नहीं था कि कार्यों में उपयोग की गई सामग्री अपेक्षित गुणवत्ता और भौतिक गुणों की थी।

## (कंडिका 2.5.5.2)

- रामपुर वितरणी के कार्य में सीमेंट कांक्रीट कार्य के परीक्षणों के परिणाम निर्दिष्ट शक्ति की तुलना में कम शक्ति का संकेत देते थे। ₹ 7.01 करोड़ मूल्य के सीमेंट कांक्रीट कार्यों में दोष के लिए विभाग ने दोष को हटाने के लिए ठेकेदार को न तो निर्देशित किया और न ही घटी दर पर भुगतान किया।

## (कंडिका 2.5.5.3)

- पेंच व्यपवर्तन योजना की ₹ 580.77 करोड़ लागत के नहर लाइनिंग (अस्तर) एवं संरचनाओं के छह टर्नकी अनुबंधों के संबंध में कार्यों हेतु संयुक्त माप की रिपोर्ट, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जाँच और गुणवत्ता नियंत्रण नियमावली में निर्दिष्ट आवृत्ति में सीमेंट कांक्रीट/प्रबलित सीमेंट कांक्रीट कार्यों एवं सामग्री के परीक्षण परिणाम नहीं पाए गए थे।

## (कंडिका 2.5.5.4)

### 2.5.1 परिचय

निर्माण में डिज़ाइन एवं विशिष्टियों के अनुसार सुविधा के प्रदर्शन को सुनिश्चित करने के लिए सामग्री और कारीगरी के न्यूनतम मानकों का अनुपालन कराना गुणवत्ता नियंत्रण में शामिल है। गुणवत्ता नियंत्रण एक सफल निर्माण परियोजना के लिए महत्वपूर्ण है और अवधारणा एवं डिज़ाइन से लेकर निर्माण और स्थापना के लिए इसका पालन किया जाना आवश्यक है।


सिंचाई योजनाओं के निर्माण, सिंचाई क्षमता का विकास और उसके वास्तविक उपयोग के लिए जल संसाधन विभाग मध्य प्रदेश सरकार की प्रमुख संस्था है। जल संसाधन विभाग ने जून 1995 से एक गुणवत्ता नियंत्रण नियमावली को अपनाया था जो गुणवत्ता नियंत्रण इकाइयों की स्थापना, गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं में उपकरणों और सामग्री के परीक्षणों की आवृत्ति की व्यवस्था करती है। गुणवत्ता नियंत्रण नियमावली तब से अद्यतित नहीं की गयी है।

जल संसाधन विभाग ने एकीकृत दर अनुसूची (यूएसआर) भी जारी की है जिसे प्राक्कलनों को बाजार की वर्तमान दर के साथ समता में रखने के उद्देश्य से समय-समय पर संशोधित किया जाता है। एकीकृत दर अनुसूची भी अनिवार्य परीक्षणों (गुणवत्ता नियंत्रण नियमावली में भी उपबंधित) की एक सूची भी उपलब्ध कराती है जो बेहतर गुणवत्ता नियंत्रण हेतु आवश्यक हैं। सिंचाई कार्यों के लिए ठेका अनुबंधों में उपबंधित है कि विभाग नियमावली एवं एकीकृत दर अनुसूची में निर्धारित किए अनुसार अपेक्षित परीक्षणों का संपादन करेगा।

#### जल संसाधन विभाग में गुणवत्ता नियंत्रण के लिए संस्थागत व्यवस्था

वर्ष 2014-15 के लिए विभाग की प्रशासनिक रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2015 की स्थिति में 10 वृहद्, 30 मध्यम और 316 लघु योजनाएं निर्माणाधीन थीं जो विभाग के 127 संभागों के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही थीं। विभाग के प्रमुख अभियंता, कार्यों में गुणवत्ता आश्वासन के लिए उत्तरदायी हैं।

गुणवत्ता नियंत्रण के लिए संस्थागत व्यवस्था का आर्गेनोग्राम तथा गुणवत्ता परीक्षण गतिविधि का प्रवाह नीचे दिया गया है:





विभाग ने निदेशक, सिंचाई अनुसंधान के अधीन दो मिट्टी (मृदा) एवं सामग्री परीक्षण प्रयोगशालाओं (केंद्रीय प्रयोगशालाएं) एवं ग्वालियर एवं दतिया में दो मुख्य अभियंताओं के अधीन आठ उप-संभागों के साथ दो गुणवत्ता नियंत्रण संभागों की स्थापना की थी। बारह अन्य गुणवत्ता नियंत्रण उप-संभाग विभाग के परिक्षेत्रों के अन्य छह मुख्य अभियंताओं के अधीन सीधे कार्य कर रहे थे। केंद्रीय प्रयोगशालाओं, अगुणवत्ता नियंत्रण संभागों और उप-संभागों में सामग्री, प्रक्रिया और तैयार निर्माण कार्यों के परीक्षण करने के उपकरण हैं। केंद्रीय प्रयोगशालाएं, मिट्टी, सीमेंट, रेत, एग्रीगेट्स, पत्थर आदि के नमूनों के परीक्षण के अलावा कांक्रीट के मिक्स डिज़ाइन तैयार करती हैं। उप-संभाग मिट्टी और फिल्टर सामग्री, समुच्चय (एग्रीगेट्स), और कांक्रीट गारे (मोर्टार) के परीक्षण करते हैं। केंद्रीय प्रयोगशालाएं और गुणवत्ता नियंत्रण संभाग/उप-संभाग, परीक्षणों की रिपोर्ट तैयार कर निष्पादन के प्रभारी अधिकारी को संसूचित करते हैं।

### 2.5.2 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

निम्न का आंकलन करने के उद्देश्य से लेखापरीक्षा संपादित की गयी थी:

- पर्याप्त गुणवत्ता नियंत्रण स्थापना की उपलब्धता,
- प्रशिक्षित/अर्हता प्राप्त मानव शक्ति की उपलब्धता,
- निष्पादन के दौरान परीक्षण और पर्यवेक्षण के निर्धारित मानदंडों/आवृत्तियों का अनुपालन,
- पर्याप्त परीक्षण सुविधाओं की उपलब्धता और इनका समुचित उपयोग की उपलब्धता।

### 2.5.3 लेखापरीक्षा मापदंड

लेखापरीक्षा के दौरान अनुसरण किए गए मापदंड:

- मध्य प्रदेश निर्माण विभाग नियमावली, गुणवत्ता नियंत्रण नियमावली, 1 फरवरी 2009 से प्रभावशील एकीकृत दरों की अनुसूची, जल संसाधन विभाग, म.प्र. शासन, द्वारा जारी सिंचाई विशिष्टियाँ एवं भारतीय मानक कोड (आई एस-कोड)
- मध्य प्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग द्वारा जारी किए गए नियम एवं आदेश तथा विभाग द्वारा निष्पादित किए गए कार्यों के ठेका दस्तावेज़।

### 2.5.4 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं पद्धति

हमने वर्ष 2012-13 से 2014-15 की अवधि के लिए संबंधित अधिकारियों द्वारा क्रियान्वित एवं पर्यवेक्षित परीक्षण सुविधाओं, आवृत्तियों, परिणामों से संबंधित अभिलेखों की लेखापरीक्षा एक केंद्रीय प्रयोगशाला, आठ उप-संभागों के साथ दो गुणवत्ता नियंत्रण संभागों एवं 10 चयनित संभागों<sup>121</sup> में जून 2015 से अगस्त 2015 के दौरान सूक्ष्म जाँच

<sup>121</sup> जल संसाधन संभाग वैनगंगा बालाघाट, पेंच डायवर्जन संभाग बांध संभाग छिंदवाड़ा, नहर संभाग छिंदवाड़ा, जल संसाधन संभाग डिण्डोरी, कुटनी बांध संभाग छतरपुर, अपर पूर्वा नहर संभाग शीवा, लोअर सिंहावल नहर संभाग चुरहट, का.यं. जल संसाधन संभाग खरगोन,

द्वारा संपादित की।

हमारे द्वारा चयनित संभागों में 2012-13 से 2014-15 के दौरान निर्माणाधीन ₹ 1890.18 करोड़ लागत की तीन वृहद, दो मध्यम और 103 लघु सिंचाई योजनाओं में से 72 अनुबंधों के माध्यम से निष्पादित की जा रही ₹ 1,250.52 करोड़ लागत की सभी तीन वृहद, दो मध्यम और 23 लघु सिंचाई योजनाओं की नमूना जांच की गई।

लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, मानदंड और लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र से अवगत कराने के लिए प्रमुख सचिव, जलसंसाधन विभाग के साथ 22 जून 2015 को एक प्रवेश सम्मेलन आयोजित किया गया था। दीर्घ प्रारूप कंडिका शासन को 16 सितंबर 2015 को जारी की गई थी। शासन से उत्तर अपेक्षित था (नवंबर 2015)।

अतिरिक्त मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग के साथ 5 नवम्बर 2015 को एक निर्गम सम्मेलन आयोजित किया गया था एवं शासन/विभाग द्वारा व्यक्त विचारों को उपयुक्त रूप से प्रतिवेदन में शामिल किया गया है।

### 2.5.5 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

गुणवत्ता नियंत्रण स्थापना, प्रशिक्षित/अर्हता प्राप्त मानव शक्ति की उपलब्धता, परीक्षण सुविधाओं, सामग्री के परीक्षण की आवृत्तियाँ तथा निर्धारित मानदंडों के पालन से संबंधित ध्यान में आयी कमियों पर अनुवर्ती कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

#### 2.5.5.1 गुणवत्ता नियंत्रण इकाइयों की अपर्याप्त स्थापना

गुणवत्ता नियंत्रण कार्य हेतु 10 मण्डलों और 30 संभागों की स्थापना के मानदंडों के विरुद्ध केवल दो संभाग स्थापित किए गए थे।

(1) विभाग की गुणवत्ता नियंत्रण नियमावली उपबंधित करती है कि प्रत्येक वृहद परियोजना हेतु अधीक्षण की अध्यक्षता में एक गुणवत्ता नियंत्रण मण्डल, ₹ 10 करोड़ से अधिक लागत की प्रत्येक मध्यम परियोजना हेतु एक कार्यपालन यंत्री/अनुसंधान अधिकारी की अध्यक्षता में एक गुणवत्ता नियंत्रण संभाग, और ₹ 50 लाख से अधिक लागत के सभी बांधों और संरचनाओं के लिए एक अलग गुणवत्ता नियंत्रण इकाई स्थापित की जाएगी।

हमने देखा कि विभाग में 10 वृहद एवं 30 मध्यम सिंचाई परियोजनाएं प्रगतिरत थीं (2014-15)। इसलिए, प्रत्येक वृहद परियोजना हेतु एक के मानदंड के आधार पर 10 गुणवत्ता नियंत्रण मण्डल और प्रत्येक मध्यम परियोजनाओं के लिए एक के मानदंड के आधार पर 30 गुणवत्ता नियंत्रण संभाग स्थापित किये जाने आवश्यक थे। इस के विरुद्ध, कोई गुणवत्ता नियंत्रण मण्डल स्थापित नहीं किया गया था। वर्तमान 20 संभागों<sup>122</sup> के संबंध में गुणवत्ता नियंत्रण की आवश्यकता पूर्ति के लिए केवल दो गुणवत्ता नियंत्रण संभाग स्थापित किए गए थे। इस प्रकार गुणवत्ता नियंत्रण संरचनाओं की स्थापना में मानदंडों की तुलना में कमी थी।

निर्गम सम्मेलन में (नवंबर 2015) अपर मुख्य सचिव ने कहा कि विभाग की गुणवत्ता नियंत्रण नियमावली बहुत पुरानी थी एवं कार्य के निष्पादन की तकनीक बदल गयी थी।

सिवनी, धार, गुणवत्ता नियंत्रण संभाग दतिया, मुरैना और उप निदेशक मृदा एवं सामग्री परीक्षण संभाग हथाईखेड़ा, भोपाल

<sup>122</sup> यमुना कछार में कुल 127 संभागों में से 20 संभागों की आवश्यकता को दो गुणवत्ता नियंत्रण संभाग पूरा करते हैं।

उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि मूल्य वृद्धि की वजह से परियोजनाओं की लागत कई गुना बढ़ जाने के कारण नियमावली में गुणवत्ता परीक्षण हेतु निर्दिष्ट लागत मानदंड अनुपयुक्त थे और सूचित किया कि नियमावली संशोधन के अंतर्गत है।

जैसा कि विभाग ने स्वतः ही स्वीकार किया कि लागत अत्यधिक रूप से बढ़ी थी, प्रभावी गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली की आवश्यकता हेतु अधिक महत्व प्रतीत होता है। विभाग को इस बारे में सक्रिय होना आवश्यक है।

### अनुशंसा

शासन को निर्धारित मानदंडों के अनुसार पर्याप्त संख्या में गुणवत्ता नियंत्रण इकाइयों की स्थापना सुनिश्चित करनी चाहिए।

#### (1) अर्हता प्राप्त मानव शक्ति में कमी

गुणवत्ता नियंत्रण नियमावली, गुणवत्ता नियंत्रण संभागों और गुणवत्ता नियंत्रण उप-संभागों के लिए तकनीकी और सहयोगी कर्मचारी की पदस्थापना निर्दिष्ट करती है। गुणवत्ता नियंत्रण संभागों के लिए, छह तकनीकी कर्मचारियों<sup>123</sup> सहित 13 कर्मचारियों और गुणवत्ता नियंत्रण उप-संभागों के लिए 13 तकनीकी कर्मचारियों<sup>124</sup> सहित 18 कर्मचारियों की पदस्थापना आवश्यक है।

हमने देखा कि गुणवत्ता नियंत्रण इकाइयों में गुणवत्ता नियंत्रण कार्यों के लिए अपर्याप्त मानव शक्ति थी जैसा कि नीचे तालिका 2.18 और 2.19 में दर्शाया गया है:

तालिका 2.18: तकनीकी कर्मचारियों की पदस्थापना एवं आवश्यकता

इकाई का नाम/ (संख्या)	आवश्यक	पदस्थापना	कमी	कमी प्रतिशत में
संभाग (2)	12	4	8	67
उपसंभाग (19)	247	153	94	38
योग	259	157	102	39

आवश्यक संख्या के विरुद्ध तकनीकी कर्मचारी में 39 प्रतिशत एवं गैर-तकनीकी कर्मचारी में 24 प्रतिशत कर्मचारियों की कमी थी।

(स्रोत: प्रमुख अभियंता द्वारा उपलब्ध करायी गई जानकारी )

तालिका 2.19: गैर- तकनीकी कर्मचारियों की पदस्थापना एवं आवश्यकता

इकाई का नाम/ (संख्या)	आवश्यक	पदस्थापना	कमी	कमी प्रतिशत में
संभाग (2)	14	11	3	21
उपसंभाग (19)	95	72	23	24
योग	109	83	26	24

(स्रोत: प्रमुख अभियंता द्वारा उपलब्ध करायी गई जानकारी )

जैसा कि तालिका 2.18 से स्पष्ट है कि दो गुणवत्ता नियंत्रण संभागों और 19 उप-

<sup>123</sup> का.य. गुणवत्ता नियंत्रण/अनुसंधान अधिकारी (1), अनुसंधान सहायक/तटबंध निरीक्षक (1), मानचित्रकार (1), सहायक मानचित्रकार (2) और अनुरेखक (1)

<sup>124</sup> सहायक यंत्री/सहायक अनुसंधान अधिकारी-गुणवत्ता नियंत्रण (1), अनुसंधान सहायक/तटबंध निरीक्षक (5), प्रयोगशाला तकनीशियन (1) प्रयोगशाला सहायक (1) प्रयोगशाला परिचारक (5)

संभागों<sup>125</sup> में 259 तकनीकी कर्मचारियों की आवश्यकता के विरुद्ध, केवल 157 तकनीकी कर्मचारी उन संभागों/उप-संभागों में पदस्थ थे (जून 2015)। इस प्रकार संभागों/उप-संभागों में 102 तकनीकी कर्मचारियों (39 प्रतिशत) की कमी थी।

हमने आगे देखा कि दो संभागों और 19 उप-संभागों में 109 गैर तकनीकी कर्मचारियों की आवश्यकता के विरुद्ध उन संभागों/उप-संभागों में केवल 83 गैर-तकनीकी कर्मचारी तैनात थे। इस प्रकार, संभागों और उप-संभागों में 26 गैर-तकनीकी कर्मचारियों (24 प्रतिशत) की कमी थी। गुणवत्ता नियंत्रण कर्मचारी, विशेष रूप से तकनीकी श्रेणी में कमी ने गुणवत्ता कार्यों के सुचारु कामकाज को प्रभावित किया है जैसा कि कंडिका 2.5.5.2, 2.5.5.3 और 2.5.5.4 में चर्चा की गई है।

अपर मुख्य सचिव ने निर्गम सम्मेलन में कहा कि बड़ी संख्या में यंत्री सेवानिवृत्त हो रहे थे और इसलिए इस संबंध में गंभीर विवशता थी। उन्होंने आगे उत्तर दिया कि प्रयोगशालाओं में तैनात तकनीकी और गैर-तकनीकी कर्मचारियों को वर्तमान विवशताओं और सूचना/संचार प्रौद्योगिकी को ध्यान में रखते हुए युक्तिसंगत बनाया जायेगा। जैसा परिकल्पित था विभाग द्वारा इस संबंध में अभी कार्रवाई की जानी थी।

### अनुशंसा

शासन को कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए तर्कसंगत कसौटी पर आधारित मानदंडों को तैयार करने और तदनुसार गुणवत्ता नियंत्रण इकाइयों के सुचारु संचालन के लिए प्रयोगशालाओं में उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करना चाहिए।

### (III) गुणवत्ता नियंत्रण के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षण

गुणवत्ता नियंत्रण नियमावली उपबंधित करती है कि विभिन्न तकनीकी समस्याओं पर विस्तृत चर्चा करने के लिए सभी पर्यवेक्षण कर्मचारी के लिए नियमित अंतराल पर सेमिनार और तकनीकी गोष्ठियों की व्यवस्था की जानी चाहिए। नियमावली आगे व्यवस्था करती है कि प्रत्येक लघु सिंचाई परियोजना हेतु कोई अलग गुणवत्ता नियंत्रण कर्मचारी तैनात किए जाने की जरूरत नहीं है किन्तु संभागों में तैनात स्टाफ को नमूने लेने, उनके द्वारा स्वयं मैदानी परीक्षण करने और परिणामों की व्याख्या करने हेतु प्रशिक्षित किया जाएगा।

नमूना जाँच किए गए 10 संभागों, उप-संभागों के साथ दो गुणवत्ता नियंत्रण संभागों एवं एक केंद्रीय प्रयोगशाला में संभागीय अधिकारियों द्वारा यह सूचित किया गया था (जून-अगस्त 2015) कि लघु सिंचाई परियोजना में तैनात पर्यवेक्षण कर्मचारी ने ऐसे किसी भी प्रशिक्षण में भाग नहीं लिया था। वर्ष 2014-15 तक पिछले तीन वर्षों में कोई सेमिनार या तकनीकी संगोष्ठी आयोजित नहीं की गयी थी।

निर्गम सम्मेलन में अतिरिक्त मुख्य सचिव ने गुणवत्ता नियंत्रण के लिए तैनात कर्मचारियों को समय-समय पर प्रशिक्षण की आवश्यकता को स्वीकार किया।

<sup>125</sup> दो गुणवत्ता नियंत्रण संभागों के अधीन आठ उप-संभाग और सिविल परिक्षेत्रों के मुख्य अभियंताओं और मण्डलों के अधीक्षण अभियंताओं के अधीन 11 उप-संभाग।

### 2.5.5.2 सामग्री के लिए गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण

गुणवत्ता नियंत्रण नियमावली सामग्री के परीक्षण के प्रकार और आवृत्ति निर्दिष्ट करती है। विभाग द्वारा जारी एकीकृत दर अनुसूची में सामग्री जैसे सीमेंट, मिट्टी, मोटे एग्रीगेट्स, सीमेंट कांक्रीट/प्रबलित सीमेंट कांक्रीट, प्रबलित स्टील आदि के लिए अनिवार्य परीक्षण की व्यवस्था है। अपेक्षित गुणवत्ता परीक्षण और आवश्यक आवृत्तियों में परीक्षण के बिना कार्य में सामग्री के उपयोग के दृष्टांत हमारे ध्यान में आए जैसा कि अनुवर्ती कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

#### (I) गुणवत्ता परीक्षण के बिना सामग्री का उपयोग करना

नमूना जाँच किए 72 सिंचाई कार्यों की नियम एवं शर्तों में कार्यों में उपयोग की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता से संबंधित निम्न आवश्यकताएं निर्धारित हैं:

i. ठेकेदारों को प्रति दिन 450 मीट्रिक टन से अधिक उत्पादन क्षमता वाले सीमेंट कारखानों से संबंधित भारतीय मानक (आई एस) कोड के अनुरूप सीमेंट क्रय करनी आवश्यक थी और सीमेंट में मिलावट के बारे में अधिकृत प्रयोगशालाओं से जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी।

ii. ठेकेदारों को जैसा कि संबंधित आई एस कोड में निर्दिष्ट है, इस्पात प्रबलन सरियों के भौतिक गुणों के अनुरूप होने का एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक था।

iii. कार्यों में उपयोग की जाने वाली चिपकने एवं न फूलने वाली (सीएनएस) मिट्टी की तरल सीमा<sup>126</sup> 55 प्रतिशत से कम लेकिन 30 प्रतिशत से अधिक होनी चाहिए और "प्लास्टिसिटी इन्डैक्स"<sup>127</sup> 30 प्रतिशत से कम तथा 15 प्रतिशत से अधिक होनी चाहिए। सामग्री के उपयोग से पहले विभाग को इन गुणवत्ता मानकों को सुनिश्चित करने के लिए परीक्षण कराना आवश्यक है।

iv. जल रिसाव हानि को कम करने और पानी की जकड़न में सुधार के लिए नहर की लाइनिंग (अस्तर) के नीचे बिछायी जाने वाली कम घनत्व की पोलिइथिलीन (एलडीपीई) फिल्म, संबंधित आई एस कोड के अनुरूप होना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए विभाग को परीक्षण कराना आवश्यक है।

10 चयनित संभागों<sup>128</sup> के अभिलेखों की नमूना जांच परीक्षण में (जून-अगस्त 2015) हमारे ध्यान में आया कि :

- नौ संभागों (परिशिष्ट 2.44) में 43 कार्यों में ₹ 97.92 करोड़<sup>129</sup> मूल्य की 2,27,709.37 मीट्रिक टन सीमेंट की खपत हुई। सीमेंट कारखाने की उत्पादन क्षमता

<sup>126</sup> मिट्टी की तरल सीमा, ओवन में सूखी मिट्टी के वजन के प्रतिशत के रूप में व्यक्त पानी की मात्रा है।

<sup>127</sup> एक मिट्टी की प्लास्टिक सीमा, मिट्टी की निरंतरता के प्लास्टिक और अर्द्ध मिट्टी अवस्था की बीच सीमा पर ओवन में सूखी मिट्टी के वजन के प्रतिशत के रूप में व्यक्त पानी की सामग्री है।

<sup>128</sup> जलसंसाधन संभाग वैनगंगा बालाघाट, पेंच डायवर्जन बांध संभाग चौरई, पेंच डायवर्जन नहर संभाग सिगना छिंदवाड़ा, कुटनी बांध संभाग छतरपुर, अपर पूर्वा नहर संभाग रीवा, लोअर सिंहावल नहर संभाग चुरहट, जल संसाधन संभाग खरगोन, सिवनी, धार, डिण्डोरी,

का पता लगाने के लिए खपत हुई सीमेंट की मात्रा के क्रय बीजक तथा सीमेंट में मिलावट के बारे में परीक्षण परिणामों की मांग करने पर संभागों द्वारा हमें प्रस्तुत नहीं की गई जो यह दर्शाता है कि सीमेंट की गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं की गयी थी।

निर्माण कार्य में उपयोग की गई सीमेंट एवं इस्पात की गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं की गई थी क्योंकि परीक्षण रिपोर्ट/प्रमाण पत्र हमें प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

कार्यों में उपयोग की गई सीएनएस सामग्री और एलडीपीई फिल्म की गुणवत्ता का पता लगाने के लिए रिपोर्ट्स हमें प्रस्तुत नहीं की गई थीं।

- पांच संभागों (परिशिष्ट 2.45) में 13 कार्यों में ₹ 23.79 करोड़<sup>130</sup> मूल्य के 3,964.26 मीट्रिक टन इस्पात प्रबलन सरियों की खपत हुई थी। संबंधित आइ.एस. कोड के साथ अनुरूपता के प्रमाण पत्र के साथ-साथ खपत हुई मात्रा के इस्पात प्रबलन सरियों के क्रय बीजक भी संभागों द्वारा हमें प्रस्तुत नहीं किए गए।

प्रमुख अभियंता ने निर्गम सम्मेलन में बताया कि सीमेंट/इस्पात के क्रय बीजकों और विशिष्टियों के साथ अनुरूपता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना, जल संसाधन विभाग द्वारा इनका क्रय न किए जाने के कारण आवश्यक नहीं था। उन्होंने आगे कहा कि "क्यूब टेस्ट" (घन परीक्षण) और "हैमर टेस्ट" (हथौड़ा परीक्षण) गुणवत्ता सुनिश्चित करने के बेहतर साधन थे और इस आवश्यकता को नए अनुबंधों में समाप्त कर दिया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अनुबंध की शर्तों में विशिष्टियों के साथ अनुरूपता, सामग्री के भौतिक गुण एवं अपेक्षित उत्पादन क्षमता का पता लगाने के लिए संयंत्र का नाम, सामग्री के भौतिक गुणों को विशिष्टियों के अनुरूप सुनिश्चित करने के लिए सीमेंट/इस्पात के क्रय के बीजकों, संबंधित प्रमाण पत्र एवं जांच परिणाम प्रस्तुत करना ठेकेदार के लिए आवश्यक थे। इसके अलावा, क्यूब टेस्ट भी आवश्यक आवृत्ति में नहीं कराए गए थे तथा नमूनों के 38 प्रतिशत में क्यूब टेस्ट परिणामों ने दर्शाया था कि सीमेंट कांक्रीट की संहतिकृत क्षमता निर्दिष्ट क्षमता की अपेक्षा कम थी जैसे नीचे कंडिका 2.5.5.3 में चर्चा की गई है कि गुणवत्ता नियंत्रण क्षीण था।

- चार संभागों (परिशिष्ट 2.46) में सात नहर कार्यों के निर्माण में ₹ 9.70 करोड़ मूल्य की 6,79,551.47 घन मीटर सीएनएस सामग्री की खपत हुई थी। इन कार्यों में खपत की गई कुल सीएनएस सामग्री के भौतिक गुणों का पता लगाने के लिए अपेक्षित परीक्षण (तरल सीमा और "प्लास्टिसिटी इन्डैक्स") परिणाम हमें प्रस्तुत नहीं किये गये थे।

- तीन संभागों में चार नहर कार्यों के निर्माण में (2012-13 से 2014-15) ₹ 3.20 करोड़ मूल्य की कुल 11,31,182.45 वर्ग मीटर एलडीपीई फिल्म का उपयोग किया गया था। कुल खपत हुई एलडीपीई फिल्म के भौतिक गुणों का पता लगाने के लिए अपेक्षित परीक्षण (घनत्व और मोटाई परीक्षण) परिणाम (परिशिष्ट 2.47) सत्यापन के लिए हमें प्रस्तुत नहीं किये गये थे।

इस प्रकार, उन कार्यों में उपयोग की गई सामग्री की अपेक्षित गुणवत्ता और भौतिक गुणों का कोई आश्वासन नहीं था।

प्रमुख अभियंता ने निर्गम सम्मेलन में बताया कि एलडीपीई फिल्म नहीं बिछाने के लिए निर्देश जारी किए गए थे और एलडीपीई फिल्मों की संदिग्ध उपयोगिता को देखते हुए

<sup>129</sup> मात्रा 227709.368 मीट्रिक टन (यूएसआर के अनुसार सीमेंट की दर ₹ 4300 प्रति मीट्रिक टन थी) = ₹ 97.92 करोड़

<sup>130</sup> मात्रा 3,964.263 मीट्रिक टन (यूएसआर के अनुसार इस्पात की दर ₹ 60000 प्रति मीट्रिक टन थी) = ₹ 23.79 करोड़

इसका उपयोग रोक दिया गया था ।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कार्य में इसकी उपयुक्तता हेतु इसके घनत्व और मोटाई का पता लगाए बिना उपरोक्त कार्यों में एलडीपीई फिल्म का उपयोग किया गया था ।

**(11) निर्धारित आवृत्ति की तुलना में कम किए गए परीक्षण**

विभाग द्वारा जारी की गई यूएसआर और विभाग की गुणवत्ता नियंत्रण नियमावली में दिए गए प्रावधानों के अनुसार मैदानी घनत्व/मिट्टी के संघनन परीक्षण, "फ्लैकीनेस इन्डैक्स"/कण आकार के वितरण/एग्रीगेट्स में मुलायम और हानिकारक सामग्री की प्रतिशतता के लिए परीक्षण/कण आकार परीक्षण/रेत में गाद का परीक्षण, सीमेंट कांक्रीट का कम्प्रेसिव शक्ति की परीक्षा आदि, विभाग द्वारा निर्धारित आवृत्ति में संपादित किए जाने की आवश्यकता थी।

सामग्री, सीमेंट कांक्रीट/ प्रबलित सीमेंट कांक्रीट के गुणवत्ता परीक्षणों की आवृत्ति काफी कम, आवश्यक नमूनों के 0.24 प्रतिशत से लेकर 5.21 प्रतिशत तक थी।

दस संभागों में सामग्री के परीक्षण के परिणामों से संबंधित अभिलेखों की नमूना जांच में हमने देखा कि सीमेंट कांक्रीट/प्रबलित सीमेंट कांक्रीट एवं सामग्रियों के अपेक्षित परीक्षण निर्धारित आवृत्तियों के अनुसार नहीं किए गए थे (परिशिष्ट 2.48 में विस्तारित रूप में) जैसा नीचे संक्षेप में दिया गया है:

- चार संभागों<sup>131</sup> द्वारा मिट्टी की भार वहन क्षमता का पता लगाने के लिए आवश्यक नमूनों के केवल 0.69 प्रतिशत के संबंध में मिट्टी के मैदानी घनत्व परीक्षण कराए गए थे।
- मिट्टी के संघनन की विशेषताओं का निर्धारण करने के आशय से चार संभागों द्वारा आवश्यक नमूनों के केवल 5.21 प्रतिशत के संबंध में ही मिट्टी के संघनन परीक्षण कराए गए थे।
- कार्य के लिए एग्रीगेट्स की उपयुक्तता का पता लगाने के लिए फ्लैकीनेस इन्डैक्स का परीक्षण किया जाता है जो 10 संभागों<sup>132</sup> द्वारा आवश्यक नमूनों के केवल 0.24 प्रतिशत के संबंध में कराए गए थे।
- कार्य के लिए एग्रीगेट्स की उपयुक्तता का पता लगाने के लिए इसके कण आकार के वितरण के परीक्षण 10 संभागों द्वारा आवश्यक नमूनों के केवल 0.93 प्रतिशत के संबंध में कराए गए थे।
- एग्रीगेट्स में मुलायम और हानिकारक सामग्री की प्रतिशतता निश्चित करने हेतु परीक्षण, जो कार्य के लिए इसकी उपयुक्तता का पता लगाने के लिए किया जाता है 10 संभागों द्वारा आवश्यक नमूनों के केवल 0.29 प्रतिशत के संबंध में कराए गए थे।
- नौ संभागों<sup>133</sup> द्वारा रेत के कण आकार के वितरण परीक्षण आवश्यक नमूनों के केवल 1.34 प्रतिशत के संबंध में कराए गए थे। यह पता लगाने के लिए कि रेत में गाद

<sup>131</sup> पेंच डायवर्जन नहर संभाग सिगना छिंदवाड़ा, जल संसाधन संभाग डिण्डोरी एवं खरगोन, कुटनी बांध संभाग छतरपुर।

<sup>132</sup> पेंच डायवर्जन संभाग, बांध संभाग, छिंदवाड़ा, नहर संभाग छिंदवाड़ा जल संसाधन संभाग डिण्डोरी, कुटनी बांध संभाग छतरपुर, अपर पूर्वा नहर संभाग रीवा, लोअर सिंहावल नहर संभाग चुरहट, का.यं.जल संसाधन संभाग खरगोन, सिवनी, धार, गुणवत्ता नियंत्रण संभाग दतिया, मुरैना और उप निदेशक मृदा एवं सामग्री परीक्षण संभाग हथाईखेड़ा भोपाल,

(सिल्ट) सामग्री अनुमत्य सीमा से अधिक नहीं है, नौ संभागों द्वारा गाद सामग्री परीक्षण आवश्यक नमूनों के केवल 0.55 प्रतिशत के संबंध में कराए गए थे।

- सीमेंट कांक्रीट/प्रबलित सीमेंट कांक्रीट कार्यों की कम्प्रेसिव शक्ति परीक्षण का पता लगाने के लिए नौ संभागों द्वारा सीमेंट कांक्रीट/प्रबलित सीमेंट कांक्रीट के आवश्यक नमूनों के 1.48 प्रतिशत के संबंध में परीक्षण कराए गए थे।

जैसा कि उपरोक्त से स्पष्ट है कि सीमेंट कांक्रीट/प्रबलित सीमेंट कांक्रीट एवं कार्यों में प्रयुक्त सामग्री के परीक्षणों की आवृत्ति निर्धारित मानदंडों की तुलना में बहुत कम थी इसलिए सीमेंट कांक्रीट/प्रबलित सीमेंट कांक्रीट के निर्माण कार्यों में प्रयुक्त सामग्री की गुणवत्ता का आश्वासन नहीं था।

प्रमुख अभियंता ने निर्गम सम्मेलन में कहा कि नियमावली और एकीकृत दर अनुसूची में परीक्षण की आवश्यकता में संशोधन किया जायेगा।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि नियमावली के साथ-साथ, समय-समय पर संशोधित (2009) एकीकृत दर अनुसूची में भी गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण निर्धारित थे जो अनुबंधों के साथ संलग्न थी, अतः कार्यों के परीक्षण के संबंध में निर्धारित आवृत्ति लागू योग्य थी।

### अनुशंसा

शासन को सीमेंट कांक्रीट कार्यों एवं कार्यों में उपयोग की गई सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित आवृत्तियों के अनुसार सामग्री की गुणवत्ता का परीक्षण कराना सुनिश्चित करना चाहिए।

### 2.5.5.3 सीमेंट कांक्रीट कार्य का मानकों के अनुरूप निष्पादन नहीं करना

आइटम दर अनुबंध की नियम एवं शर्तों के अनुसार (ठेका अनुबंध का क्लॉज़ 4.3.16) खराब या घटिया गुणवत्ता वाले कार्यों के निष्पादन के प्रकरण में ठेकेदार निम्नलिखित के लिए देनदार है :

- I. अपनी लागत पर कार्य में दोष का सुधार ।
- II. उसे सूचित किए जाने के बाद भी कार्य में सुधार करने में विफलता जारी रहने की स्थिति में अधिकतम दस दिनों के अध्यक्षीन, प्रतिदिन के लिए प्राक्कलन की राशि के एक प्रतिशत की दर से मुआवज़ा देने के लिए बाध्य है।
- III. विभाग द्वारा कराए गए दोष सुधार की लागत की वसूली।

यदि विभाग द्वारा कार्य, दोष/विशिष्टियों से विचलन के साथ स्वीकार कर लिया जाता है, तो ठेकेदार को घटी दर से भुगतान होगा जैसा कार्य के प्रभारी यंत्री द्वारा निर्धारित किया जाए।

सिंचाई विशिष्टियाँ निर्धारित करती हैं कि एम-15 सीमेंट कांक्रीट की कम्प्रेसिव शक्ति

₹ 7.01 करोड़ मूल्य के सीमेंट कांक्रीट कार्य में दोष के लिए, विभाग ने न तो दोष को हटाने के लिए ठेकेदार को सूचित किया और न ही घटी दर पर भुगतान किया।

<sup>133</sup> जल संसाधन संभाग वैनगंगा बालाघाट, पेंच डायवर्जन संभाग, बांध संभाग, छिंदवाड़ा, नहर संभाग छिंदवाड़ा, जल संसाधन संभाग डिण्डोरी, कुटनी बांध संभाग छतरपुर,अपर पूर्वा नहर संभाग सीवा,लोअर सिंहावल नहर संभाग चुरहट, का.यं.जल संसाधन संभाग खरगोन,सिवनी,धार, गुणवत्ता नियंत्रण संभाग दतिया, मुरैना और उप निदेशक मृदा एवं सामग्री परीक्षण संभाग हथाईखेड़ा भोपाल



प्रयोगशाला परीक्षण के 28 दिनों के बाद 150 किलोग्राम प्रति वर्ग सेमी. से कम नहीं होना चाहिए। हमने देखा कि रामपुर वितरण<sup>134</sup> में संरचनाओं के निर्माण के कार्य में 18,669.02 घनमीटर सीमेंट कांक्रीट (एम-15) निष्पादित किया गया था। इसके लिए निर्धारित मानदण्डों के अनुसार 374 नमूनों का क्यूब टेस्ट की जाँच किया जाना आवश्यक था, केवल 55 नमूनों के क्यूब टेस्ट हमें प्रस्तुत किए गए थे। इनमें से 34 नमूनों के क्यूब टेस्ट में कम्प्रेसिव शक्ति निर्दिष्ट रूप में पायी गयी थी। तथापि, शेष 21 नमूनों में सीमेंट कांक्रीट की कम्प्रेसिव शक्ति 71 किलोग्राम से 145 किलोग्राम प्रति वर्ग सेमी. निर्दिष्ट की गई थी। इस प्रकार, निष्पादित कार्य विशिष्टियों के अनुरूप नहीं था।

हमने आगे देखा कि विभाग ने न तो दोष को हटाने के लिए ठेकेदार को निर्देशित किया और न ही घटी दर पर ठेकेदार को भुगतान किया, यदि दोष स्वीकार्य योग्य माना गया था। इस प्रकार पूर्ण दर पर सीमेंट कांक्रीट कार्य के लिए ₹ 7.01 करोड़ का भुगतान न्यायोचित नहीं था और परिणामस्वरूप ठेकेदार को अनुचित लाभ हुआ।

प्रमुख अभियंता ने निर्गम सम्मेलन में सीमेंट कांक्रीट कार्य में कम कम्प्रेसिव शक्ति के संबंध में परीक्षण के लिए आश्वासन दिया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सीमेंट कांक्रीट कार्य की कम्प्रेसिव शक्ति के परीक्षण परिणाम पर विचार के बाद ही ठेकेदार को भुगतान जारी किया जाना चाहिए था।

#### 2.5.5.4 टर्नकी अनुबंधों में गुणवत्ता नियंत्रण का अनुपालन न होना

टर्नकी ठेका अनुबंध (द्वितीय खंड) की शर्तों की धारा 106.10 निर्धारित करता है कि कार्य का अभिलेख रखने के प्रयोजन के लिए विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ठेकेदार, किए गए कार्य का संयुक्त मापन अभिलेख करेगा और भुगतान से पहले सक्षम अधिकारी से जाँच करवाएगा। ठेकेदार को भुगतान करने से पूर्व सभी छिपे मापों की जाँच सक्षम अधिकारी से 100 प्रतिशत तक करवायी जाएगी। ठेकेदार विभाग के गुणवत्ता नियंत्रण संगठन द्वारा किये गए गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षणों के परिणाम तथा नियोक्ता के प्रतिनिधि<sup>135</sup> से प्राप्त गुणवत्ता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा।

टर्नकी अनुबंध के साथ संलग्न गुणवत्ता नियंत्रण नियमावली, भौतिक निरीक्षण, कारीगरी की गुणवत्ता, कार्यों की गुणवत्ता में सुधार के लिए कार्य योजना सहित स्क्वाड जाँच भी उपबंधित करती है।

₹ 580.77 करोड़ लागत की पंच व्यपवर्तन योजना की नहर लाइनिंग (अस्तर) और संरचनाओं के छह 'टर्न की' अनुबंधों<sup>136</sup> के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जाँच किए गए संयुक्त माप का अभिलेखन तथा गुणवत्ता नियंत्रण नियमावली में निर्दिष्ट आवृत्तियों में सीमेंट कांक्रीट/प्रबलित सीमेंट कांक्रीट, सामग्री के परीक्षण के परिणाम नहीं पाए गए थे। हमें विभाग द्वारा स्क्वाड जाँच के साक्ष्य भी नहीं मिले जैसा अनुबंधों में परिकल्पित था। इस प्रकार टर्नकी अनुबंधों में प्रयुक्त सामग्री की गुणवत्ता का आश्वासन नहीं था।

प्रमुख अभियंता ने निर्गम सम्मेलन में बताया कि भौतिक निरीक्षण किया जा रहा था, शत प्रतिशत जाँच आवश्यक नहीं था क्योंकि यह गुणवत्ता में वृद्धि के बिना कार्य का परिमाण

कार्यों के संयुक्त मापन और विभाग द्वारा स्क्वाड जाँच के साक्ष्य के परिणाम हमारे द्वारा नहीं पायी गई।

<sup>134</sup> अनुबंध संख्या 7 डीएल/12-13

<sup>135</sup> नियोक्ता के प्रतिनिधि परियोजना या बेसिन के अधीक्षण अभियंता या मुख्य अभियंता हैं।

<sup>136</sup> 1/2012-13 और 1,2,3,4,5/2013-14

बढ़ाता है तथा उच्च अधिकारियों द्वारा यादृच्छिक और नियमित निरीक्षण ने वांछित परिणाम दिए थे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अनुबंधों के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया था एवं स्कवाड जाँच के साक्ष्य लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

### अनुशंसा

शासन को निर्धारित विशिष्टियों के अनुसार कार्यों का निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए गुणवत्ता परीक्षण और कार्यों के पर्यवेक्षण के संपादन के संबंध में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को मजबूत करना चाहिए।

#### 2.5.5.5 अभिलेखों का अपर्याप्त रखरखाव

गुणवत्ता नियंत्रण नियमावली में ओ.के. रिपोर्ट (कार्ड) निर्धारित की गई है जो कार्यपालन यंत्री (निर्माण), कार्यपालन यंत्री (गुणवत्ता नियंत्रण), सहायक यंत्री (गुणवत्ता नियंत्रण) द्वारा मिट्टी कार्य, नहर की लाइनिंग, उपयोग की गई सामग्री, चिनाई (मेसनरी) कार्य, गेट्स और वाल्व, आदि के लिए दी जाती है। इस प्रकार, ओ.के. रिपोर्ट्स निर्धारित मानदंडों, प्रक्रिया और गुणवत्ता के अनुसार कार्यों की प्रगति की पुष्टि करता हैं। ओ.के. रिपोर्ट्स, गुणवत्ता नियंत्रण संभागों/उप-संभागों, सिविल संभागों और कार्य स्थलों में रखे जाते हैं।

हमने देखा कि हमारे द्वारा जाँच किए गए किसी भी संभाग या कार्य स्थल में ओ.के. कार्ड्स एवं रजिस्टर संधारित नहीं किए जा रहे थे। इस प्रकार कार्यों के निर्माण में ओ.के. रिपोर्ट्स के माध्यम से परिकल्पित गुणवत्ता और कारीगरी का कोई आश्वासन नहीं था।

प्रमुख अभियंता ने निर्गम सम्मेलन में बताया कि ओ.के. कार्ड संधारण करने की आवश्यकता नहीं थी किन्तु ओ.के. रजिस्टर संधारित किया जाना चाहिए।

#### 2.5.5.6 प्रयोगशालाओं में उपकरणों की अनुपलब्धता

कुछ गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षणों के लिए, उपकरण उपलब्ध नहीं थे या कार्य करने की स्थिति में नहीं थे।

(I) गुणवत्ता नियंत्रण नियमावली गुणवत्ता नियंत्रण मण्डलों/संभागों/उप-संभागों और केंद्रीय प्रयोगशालाओं में स्थापित करने के लिए आवश्यक उपकरणों का प्रकार एवं संख्या निर्दिष्ट नहीं करती। गुणवत्ता नियंत्रण नियमावली एवं एकीकृत दर अनुसूची में सम्मिलित किए गए रेत के लिए कण आकार और गाद सामग्री परीक्षण, सीमेंट, के लिए मिलावट परीक्षण, फ्लेकीनेस कण आकार का वितरण, एग्रीगेट्स के लिए मुलायम या हानिकारक सामग्री की प्रतिशतता का परीक्षण, सीमेंट कांक्रीट/प्रबलित सीमेंट कांक्रीट हेतु कम्प्रेसिव शक्ति<sup>137</sup> परीक्षण, इस्पात सरियों के लिए शक्ति परीक्षण महत्वपूर्ण और अनिवार्य परीक्षण हैं। गुणवत्ता नियंत्रण नियमावली, गुणवत्ता नियंत्रण के प्रयोजनों के लिए 23 प्रकार के परीक्षण निर्धारित करती है जिसमें से केंद्रीय प्रयोगशालाएँ, गुणवत्ता नियंत्रण संभाग और उप-संभाग क्रमशः 6, 14 और 3 प्रकार के परीक्षण का संचालन करते हैं।

हमने देखा (जून-अगस्त 2015) कि जाँच की गई एक केंद्रीय प्रयोगशाला, दो गुणवत्ता

<sup>137</sup> कम्प्रेसिव शक्ति, आकार को कम करने के लिए प्रवृत्त भार का सामना करने के लिए संरचना की सामग्री की क्षमता है।

नियंत्रण संभागों और 19 उप-संभागों में सीमेंट के भौतिक/रासायनिक गुणों, रेत और गिट्टी के विशिष्ट गुरुत्व, सीमेंट कांक्रीट क्यूब की पारगम्यता परीक्षण आदि के लिए कुल 192 उपकरण उपलब्ध थे। जांच किए गए गुणवत्ता नियंत्रण संभागों और उप-संभागों में कार्यों में उपयोग की गई मिट्टी की "शीअर स्ट्रेन्थ"<sup>138</sup> "स्वैलिंग प्रेशर"<sup>139</sup> पी एच मान/गाद सामग्री/घुलनशील लवण एवं जल की कठोरता को मापने के उपकरण या तो उपलब्ध नहीं थे अथवा कार्य करने की स्थिति में नहीं थे।

### (11) गुणवत्ता नियंत्रण उप संभागों में अप्रचलित मशीनें और उपकरण

बालाघाट गुणवत्ता नियंत्रण उप-संभाग में कम्प्रेसिव शक्ति परीक्षण सीमेंट की क्यूब कास्टिंग, मिट्टी के स्वैलिंग प्रेशर के परीक्षण के लिए सात उपकरण कार्य करने की स्थिति में नहीं थे एवं गुणवत्ता नियंत्रण उप-संभाग शहडोल में कांक्रीट क्यूब की पारगम्यता परीक्षण हेतु पारगम्यता तंत्र के सहायक उपकरण, कण आकार विश्लेषण, प्रयोगशाला पारगम्यता परीक्षण, कतरनी (शीअर टेस्ट) परीक्षण के पाँच उपकरण सुधारयोग्य स्थिति में थे (परिशिष्ट-2.49)। इस प्रकार उप-संभागों में इन उपकरणों से परीक्षण की सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी।

उप-संभागों द्वारा सूचित किया गया था कि 14 गुणवत्ता नियंत्रण उप संभागों की प्रयोगशालाओं में स्थापित 118 उपकरणों के क्रय का वर्ष तथा निर्मित के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं थी। हमने आगे देखा कि प्रयोगशालाओं में स्थापित उपकरणों के रखरखाव/मरम्मत और जांच के लिए कोई प्रणाली उपलब्ध नहीं थी।

प्रमुख अभियंता ने निर्गम सम्मेलन में बताया (नवंबर 2015) कि नए उपकरणों को स्थापित किया गया था और ऑटोमेटिक बैचिंग प्लान्ट्स स्थापित किए गए थे गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण की कम संख्या की आवश्यकता थी। तदनुसार निर्माण कार्य नियमावली में परिवर्तन किया जाना था। अपर मुख्य सचिव ने आगे कहा कि अप्रचलित उपकरणों का निपटारा किया जाएगा।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कोई नई मशीन और उपकरण 2012 के बाद विभाग द्वारा नहीं खरीदे गए थे और हमारे द्वारा लेखा परीक्षित गुणवत्ता नियंत्रण संभागों/उप-संभागों में कोई नए उपकरण स्थापित होना नहीं पाए गए थे।

### अनुशंसा

शासन को गुणवत्ता के आश्वासन के लिए निर्धारित परीक्षण के संचालन के लिए गुणवत्ता नियंत्रण संभागों/उप-संभागों में आवश्यक उपकरण स्थापित करना चाहिए।

### 2.5.6 निष्कर्ष और अनुशंसाएं

- गुणवत्ता नियंत्रण संरचना की स्थापना में कमी थी क्योंकि गुणवत्ता नियंत्रण मण्डल, संभाग और उप-संभाग मानदण्डों की संख्या के अनुसार स्थापित नहीं किए गए थे।

<sup>138</sup> कतरनी शक्ति परीक्षण, मिट्टी की भार वहन क्षमता का आकलन करने के लिए आयोजित किया जाता है।

<sup>139</sup> फूलने वाली मिट्टी पानी अवशोषित करने के बाद फूलती है एवं बाहर दबाव डालती है।

शासन को निर्धारित मानदंडों के अनुसार पर्याप्त संख्या में गुणवत्ता नियंत्रण इकाइयों की स्थापना सुनिश्चित करनी चाहिए।

- गुणवत्ता नियंत्रण संभाग/उप-संभागों में तकनीकी कर्मचारी सहित कर्मचारियों की कमी थी जो कार्यों में गुणवत्ता आश्वासन को प्रभावित करती थी।

शासन को कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए तर्कसंगत कसौटी पर आधारित मानदंडों को तैयार करने और तदनुसार गुणवत्ता नियंत्रण इकाइयों के सुचारु संचालन के लिए प्रयोगशालाओं में उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करना चाहिए।

- सीमेंट की गुणवत्ता, स्टील प्रबलन सरियों, सीएनएस सामग्री के भौतिक गुणों एवं निर्माण कार्यों में उपयोग की गई एलडीपीई फिल्म से संबंधित जांच परिणाम उपलब्ध नहीं थे। विभाग ने सामग्री और सीमेंट कांक्रीट/प्रबलित सीमेंट कांक्रीट की अपेक्षित आवृत्तियों के अनुसार परीक्षणों का संपादन नहीं किया था।

शासन को सीमेंट कांक्रीट कार्यों एवं कार्यों में उपयोग की गई सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित आवृत्तियों के अनुसार सामग्री की गुणवत्ता का परीक्षण कराना सुनिश्चित करना चाहिए।

- टर्नकी अनुबंधों के अंतर्गत निष्पादित कार्यों के संबंध में, संयुक्त मापन के परिणाम और स्क्वाड जाँच के साक्ष्य संधारित नहीं पाए गए थे। गुणवत्ता के परीक्षणों से संबंधित अभिलेख भी संभागों में संधारित नहीं किए जा रहे थे। अतः सभी निर्माण कार्यों में उपयोग की गई सामग्रियों की अपेक्षित गुणवत्ता और भौतिक गुणों का कोई आश्वासन नहीं था।

शासन को निर्धारित विशिष्टियों के अनुसार कार्यों का निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए गुणवत्ता परीक्षण और कार्यों के पर्यवेक्षण के संपादन के संबंध में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को मजबूत करना चाहिए।

- गुणवत्ता नियंत्रण संभागों/ उप-संभागों में कई महत्वपूर्ण गुणवत्ता परीक्षणों के लिए उपकरण उपलब्ध नहीं थे अथवा कार्य करने की स्थिति में नहीं थे।

शासन को गुणवत्ता के आश्वासन के लिए निर्धारित परीक्षण कराने के लिए गुणवत्ता नियंत्रण संभागों /उप-संभागों में आवश्यक उपकरण स्थापित करना चाहिए।

## तीसरा अध्याय

### लेन-देनों की लेखापरीक्षा

- 3.1 नियमों, आदेशों इत्यादि का अनुपालन न किया जाना
- 3.2 औचित्य के बिना व्यय
- 3.3 सतत् एवं व्यापक अनियमितताएं
- 3.4 असावधानी के कारण विफलता

## अध्याय-III

### लेन-देनों की लेखापरीक्षा

शासकीय विभागों, उनकी क्षेत्रीय संरचनाओं की अनुपालन लेखापरीक्षा से संसाधनों के प्रबंधन में चूकें तथा नियमित लेन-देनों की लेखापरीक्षा शासकीय विभागों, उनकी क्षेत्रीय संरचनाओं की अनुपालन लेखापरीक्षा से संसाधनों के प्रबंधन में चूकें तथा नियमितता, औचित्य एवं मितव्ययिता के मानकों के पालन में विफलताओं के अनेक दृष्टांत सामने आए। इन्हें व्यापक उद्देश्य शीषकों के अंतर्गत आगामी कंडिकाओं में प्रस्तुत किया गया है।

#### 3.1 नियमों, आदेशों इत्यादि का अनुपालन न किया जाना

सुदृढ़ वित्तीय प्रशासन तथा वित्तीय नियंत्रण के लिए यह आवश्यक है कि व्यय वित्तीय नियमों, विनियमों तथा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुरूप हो। इससे न केवल अनियमितताएं, दुर्विनियोग तथा धोखाधड़ी पर रोक लगती है अपितु अच्छे वित्तीय अनुशासन को बनाए रखने में सहायता भी मिलती है। नियमों तथा विनियमों के अनुपालन न किए जाने से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्षों में से कुछ निम्नानुसार हैं:

#### नागरिक विमानन विभाग

##### 3.1.1 यूरोकॉप्टर से ईसी 155 बी 1 हेलीकॉप्टर का क्रय

संचालनालय ने क्रय किये जाने वाले हेलीकॉप्टर के मूल्य निर्धारण के लिए हेलीकॉप्टर की लागत का कोई प्राक्कलन तैयार नहीं किया और हेलीकॉप्टर की आपूर्ति करना अतिरिक्त लागत पर द्वितीय न्यूनतम दर प्रदायकर्ता निर्माता को सौंपा।

मध्य प्रदेशवित्तीय संहिता के खण्ड-1 (भंडार क्रय को नियंत्रित करने वाले निर्देश) का नियम-14 कहता है कि क्रय जनसेवा की वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार अधिकतम मितव्ययिता से किये जाने चाहिए। सामान्य वित्तीय नियम, 2005 के नियम 64 के उपनियम viii के अनुसार, सेवाओं और आपूर्तियों की शासकीय क्रय प्रक्रिया को एक निष्पक्ष, साम्ययुक्त, पारदर्शी, प्रतियोगी और लागत प्रभावी तरीके से करना सुनिश्चित किया जाना है।

वित्त मंत्रालय द्वारा जारी "वस्तुओं के क्रय की नीतियों और प्रक्रिया पर नियमावली की कंडिका 11.5 के अनुसार यदि प्रस्ताव विभिन्न मुद्राओं (जैसे कि आयातित वस्तुओं के क्रय के प्रकरण में) में प्राप्त होते हैं तो प्रस्तावों की युक्ति संगत आधार पर तुलना और मूल्यांकन के लिए सभी उद्धृत दरों को तय किये गये निविदा सूचना में विनिर्दिष्ट एक निश्चित दिनांक पर विद्यमान विक्रय विनियम दरों के अनुसार भारतीय रूपये में परिवर्तित किया जाना है। सामान्यतया यह दिनांक निविदा खोलने का दिनांक होता है।

विमानन संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन ने, बेहतर सुरक्षा और केन्द्र सरकार की यह नीति कि उनके वीवीआईपी/वीआईपी के लिए दो या अधिक इंजन वाली फ्लाइटिंग मशीन का उपयोग किया जाएगा, के आधार पर दो इंजन वाले हेलीकॉप्टर के क्रय की अनुशंसा (सितम्बर 2009) शासन को की। संचालनालय द्वारा नए हेलीकॉप्टर के वास्तव उपलब्ध होने पर वर्तमान बेल 407 हेलीकॉप्टर को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव भी दिया गया।

शासन ने दो इंजन वाले हेलीकॉप्टर के क्रय और वर्तमान बेल 407 हेलीकॉप्टर की बिक्री हेतु एक उच्च स्तरीय समिति<sup>1</sup> (एचएलसी) का गठन (अक्टूबर 2009) किया। जैसा कि उच्च स्तरीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया (नवम्बर 2009), नए दो इंजन वाले टर्बाइन हेलीकॉप्टर के क्रय के लिए अभिरूचि की अभिव्यक्ति प्रकाशित (नवम्बर 2009) की गई। पांच निर्माताओं ने अपने सात उत्पादों का तकनीकी विवरण प्रस्तुत (नवम्बर 2009) किया। तकनीकी समिति<sup>2</sup> जिनके सामने सात प्रकार के हेलीकॉप्टरों का तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत किया गया, ने हेलीकॉप्टरों के तीन मॉडलों की अनुशंसा (फरवरी 2010) की।

तत्पश्चात संचालनालय ने योग्य तीन निर्माताओं को मई 2010 तक तकनीकी एवं वित्तीय निविदा प्रस्तुत करने के लिये आमंत्रित (अप्रैल 2010) किया। हालांकि भारतीय रूपयों में लागत निर्धारित करने के लिए विद्यमान विनिमय दर का आधार दिनांक निविदा प्रपत्रों में विनिर्दिष्ट नहीं किया गया।

हमने देखा कि तकनीकी समिति ने तीन निर्माताओं द्वारा प्रस्तुत की गई तकनीकी निविदाओं का मूल्यांकन किया और एक हेलीकॉप्टर को अधिक भार और सुरक्षा कमियों के कारण अयोग्य कर दिया। इस प्रकार मात्र दो निर्माता यूरोकॉप्टर (155 बी 1) और सिकोरस्की/(एस 76 सी ++ ) उनकी वित्तीय निविदा खोले जाने के लिए पात्र हुए।

तकनीकी समिति ने वित्तीय निविदाओं को खोलने की नियत तिथि 26 मई 2010 को वित्तीय निविदाएं खोलीं। सिकोरस्की (प्रथम न्यूनतम) और यूरोकॉप्टर (द्वितीय न्यूनतम) द्वारा उद्धृत लागत क्रमशः यू एस \$ 1,25,90,000 (₹ 59.59 करोड़)<sup>3</sup> और यूरो 1,05,00,000 (₹ 60.42 करोड़) थी।

‘वस्तुओं के क्रय की नीतियों और प्रक्रिया पर नियमावली के प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में वित्तीय निविदा के मूल्यांकन के लिये निविदा खोलने के दिनांक पर विचार किए जाने की आवश्यकता थी। तथापि, एचएलसी ने 9 जून 2010 को विद्यमान विनिमय दर पर विदेशी मुद्राओं को भारतीय रूपये में परिवर्तित करके दो निर्माताओं की निविदाओं का मूल्यांकन (09 जून 2010) किया। सिकोरस्की द्वारा उद्धृत लागत ₹ 59.26 करोड़ एवम् यूरोकॉप्टर द्वारा उद्धृत लागत ₹ 59.02 करोड़ थी। समिति ने यह कहते हुए कि यह राज्य शासन की आवश्यकता के अनुसार होगा, मंत्री उच्च स्तरीय समिति में प्रमुख सचिव (गृह), प्रमुख सचिव (वित्त), प्रमुख सचिव (उड्डयन) और निदेशक (उड्डयन) थे।

तकनीकी समिति में निदेशक, मुख्य अभियंता द्वारा अंतिम निर्णय लेने के लिए, ईसी 155 बी 1 हेलीकॉप्टर के क्रय हेतु अनुशंसा (09 जून 2010) कर दी, लेकिन ईसी 155 बी 1 हेलीकॉप्टर के चुनाव का कोई विशिष्ट कारण नहीं बताया। मंत्री परिषद ने ₹ 60.42 करोड़ के मूल्य पर ईसी 155 बी 1 हेलीकॉप्टर के क्रय हेतु अपनी सहमति (29 जून 2010) प्रदान की।

तदनुसार, विमानन संचालनालय ने द्वितीय न्यूनतम निविदाकर्ता, यूरोकॉप्टर से क्रय के आदेश जारी कर दिए (29 जुलाई 2010)। हेलीकॉप्टर 10 अक्टूबर 2011 को प्राप्त

<sup>1</sup> उच्च स्तरीय समिति में प्रमुख सचिव (गृह), प्रमुख सचिव (वित्त), प्रमुख सचिव (उड्डयन) और निदेशक (उड्डयन) थे। समिति में प्रमुख सचिव (गृह), प्रमुख सचिव (वित्त), प्रमुख सचिव (उड्डयन) और निदेशक (उड्डयन) थे।

<sup>2</sup> तकनीकी समिति में निदेशक, मुख्य अभियंता, वरिष्ठ पायलट और प्रशासनिक अधिकारी थे।

<sup>3</sup> निविदाकृत मूल्य को निविदा खोलने की तिथि (26 मई 2010) को लागू मुद्रा विनियम दर पर भारतीय रूपये में बदला गया।

किया गया और अक्टूबर 2011 में अंतिम भुगतान जारी कर दिया गया। भुगतान के दिनांक पर यूरो के विनिमय दर के आधार पर यूरोकॉप्टर को भुगतान की गई कुल राशि ₹ 65.63 करोड़ थी।

हमने देखा (अप्रैल 2015) कि :

- इसका कोई साक्ष्य नहीं था कि संचालनालय ने क्रय किये जाने वाले हेलीकॉप्टर के मूल्य के मुक्ति संगत निर्धारण के लिए हेलीकॉप्टर की लागत का कोई प्राक्कलन तैयार किया हो या इसके बाजार मूल्य ज्ञात किया हो ताकि मूल्य की तर्क संगतता को सुनिश्चित किया जा सके।
- तकनीकी रूप से अर्हक दो निविदाकर्ता यूरोकॉप्टर, फ्रांस और सिकोरस्की, यूएसए थे। इसलिए, वित्तीय निविदाओं को खोलने के पश्चात् निविदाकर्ता का चयन जैसा कि निविदा शर्तों में उल्लिखित था केवल वित्तीय आधार पर होना चाहिए था। इस प्रकार निविदाओं के वित्तीय मूल्यांकन के समय तुलनात्मक तकनीकी मापदंडों पर विचार ने वित्तीय निविदाओं के मूल्यांकन की प्रक्रिया को दूषित कर दिया और निविदाओं के मूल्यांकन की पूरी प्रक्रिया को अपारदर्शी बना दिया। इसके अतिरिक्त संचालनालय ने द्वितीय न्यूनतम निविदाकर्ता से हेलीकॉप्टर ₹ 0.83 करोड़ की अतिरिक्त लागत पर क्रय किया।

शासन ने अन्य बातों के साथ यह भी बताया (अगस्त 2015) कि तकनीकी समिति ने हेलीकॉप्टर के स्वरूप का निर्धारण करते समय राज्य की वर्तमान अवस्था तथा उड़ान की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जो सुरक्षा की दृष्टि, राज्य की भौगोलिक एवं जलवायु की स्थिति के साथ-साथ परीक्षित प्रगित मूलक तकनीक के आधार पर सर्वथा उपयुक्त हो। उन्होंने आगे यह बताया कि उस दिनांक को जब प्रस्ताव समिति के सामने प्रस्तुत किए गए यूरोकॉप्टर और सिकोरस्की के मूल्य क्रमशः ₹ 59.02 और ₹ 59.26 करोड़ हो गये और समिति ने दोनों हेलीकॉप्टर के प्रस्तावों को विस्तार पूर्वक देखने पर, यूरोकॉप्टर के क्रय की अनुशंसा दर्ज की। यह भी बताया गया कि समिति यह निर्धारित करने में सक्षम थी कि कौन सा हेलीकॉप्टर किस मूल्य पर क्रय किया जाना चाहिए।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग ने तकनीकी मूल्यांकन के पश्चात् हेलीकॉप्टरों के दो स्वरूपों को तकनीकी रूप से अर्हक पाया था और इसलिए निविदा के अनुबंधों के अनुसार वित्तीय निविदा खोलने के दिनांक पर प्रथम न्यूनतम निर्माता का चयन किया जाना चाहिए था। इस प्रकार, निविदाओं के वित्तीय मूल्यांकन के दौरान तुलनात्मक तकनीकी मापदण्डों की विवेचना ने वित्तीय निविदाओं के मूल्यांकन की प्रक्रिया को दूषित कर दिया जिससे द्वितीय न्यूनतम निविदाकर्ता को अदेय लाभ हुआ।

जल संसाधन विभाग

### 3.1.2 ठेकेदार को अधिक एवं अनियमित भुगतान

कार्य मदों की बिना मिलान की गई/बिना दर्ज की गई मात्राओं पर ₹ 90.89 लाख के अनियमित भुगतान के अतिरिक्त ठेकेदार को राक-टो, स्टोन पिचिंग और उपयोग योग्य मिट्टी की कटौती न करने कारण ₹ 80.35 लाख का अधिक भुगतान किया गया।



विभाग ने भीतरी मुटमुरु टैंक स्कीम में आर.डी. किमी 0 से आर.डी.<sup>4</sup> किमी 1.20 तक मृदा बांध (अर्दन डैम), नाला क्लोजर और कट ऑफटेंच की खुदाई के साथ नहर, फिल्टर, बोल्टर टो, पिचिंग और नहर स्ट्रक्चर आदि के निर्माण का कार्य एक ठेकेदार को ₹ 16.67 करोड़ की लागत (फरवरी 2009 से प्रभावी एकीकृत दर अनुसूची (यूएसआर) से 15.33 प्रतिशत कम) पर सौंपा (अक्टूबर 2011) गया। कार्य को वर्षा काल सहित 24 महीने में अर्थात् अक्टूबर 2013 तक पूरा करने हेतु, कार्यादेश अक्टूबर 2011 में जारी किया गया। बाँध में आर.डी 0.49 किमी से आर.डी. किमी 0.53 तक मिट्टी कार्य में क्षति के कारण कार्य अपूर्ण था (जून 2013) एवं इसके बाद कार्य रोक दिया गया। ठेकेदार को 27वें चलित देयक तक ₹ 16.14 करोड़ का भुगतान (जून 2013) कर दिया गया था।

मध्य प्रदेश कार्य विभाग नियमावली की कंडिका 4.036 और कंडिका 4.038 से 4.040 प्रावधानित करती है कि फील्ड में कार्य निष्पादन के बाद कार्य प्रभारी उपयंत्रि/अनुविभागीय अधिकारी (एसडीओ) द्वारा मापें ली जाएगी और उनको माप पुस्तिका (एमबी) में दर्ज किया जाएगा। अधीनस्थों द्वारा ली गई मापें भुगतान से पहले एसडीओ द्वारा जाँची जाएगी। कार्यपालन यंत्रि (ईई) या एसडीओ अपनी जाँच मूल मापों पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या एमबी की संख्या और पृष्ठ का संदर्भ दर्ज कर सकते हैं। अंतिम देयक के भुगतान से पहले मापों की जाँच अवश्य की जानी चाहिए और इस प्रकार साइट पर कार्य की मात्रा एवं गुणवत्ता के सत्यापन के बाद ही देयकों को भुगतान हेतु तैयार एवं भुगतान किया जाना चाहिए। सिंचाई विशिष्टियों की धारा 4.7.2 के अनुसार कार्य साइट पर खुदाई से प्राप्त सामग्री को बांध कार्य में अधिकतम संभव सीमा तक उपयोग किया जाना था। प्रमुख अभियंता द्वारा मार्च 2011 में इसको पुनः दोहराया गया था कि मृदा बांध (अर्दन डैम) में खोदी गई कड़ी मिट्टी/मुसम का न्यूनतम 60 प्रतिशत उपयोग होना चाहिए। आगे यूएसआर के अध्याय 4 की टीप 8 (एच) के अनुसार मिट्टी कार्य की निवल मात्रा के अंतिम भुगतान, उपयोग की गई खुदाई से प्राप्त मिट्टी और अलग से भुगतान योग्य मर्दों की कटौती के बाद ही विचार किया जाना चाहिए।

कार्यपालन यंत्रि, जल संसाधन संभाग, पन्ना के अभिलेखों की जाँच में हमने देखा (फरवरी 2014) कि :

- विभिन्न मर्दों<sup>5</sup> की मात्राएं जिनको निष्पादित दर्शाया गया एवं 25वें चलित देयक द्वारा भुगतान किया गया, वे भुगतान के उद्देश्य से तैयार की गई एमबी के मात्राओं के सार से अलग थी व सामान्यतया अधिक थी। मर्दों की ऐसी अधिक मात्रा का मूल्य ₹ 46.69 लाख निकाला गया जैसा कि परिशिष्ट 3.1 में दर्शाया गया है।
- 25वें चलित देयक के बाद, निष्पादित की गई मात्राओं के समर्थन में 26वें और 27वें चलित देयकों में माप पुस्तिका का कोई संदर्भ नहीं था। संभाग के उपयंत्रि ने कार्यपालन यंत्रि को सूचित (फरवरी 2015) किया कि 25वें चलित देयक के लिए की गई माप के बाद कोई माप नहीं ली गई। विभाग ने हालांकि 26वें और 27वें चलित देयक के विरुद्ध ठेकेदार को ₹ 44.20 लाख का भुगतान (जून 2013) कर दिया। इस प्रकार रिकॉर्ड की गई मापों के अभाव में निष्पादित मात्राओं की प्रामाणिकता और

<sup>4</sup> चलित दूरी

<sup>5</sup> कड़ी मिट्टी/कड़ी मुसम में खुदाई, डीआर/एसआर में खुदाई, आरसीसी एम 15 ए 20, स्टील सुदृढीकृत बारों की आपूर्ति एवं लगाना और पिचिंग के नीचे स्टोन चिपों को उपलब्ध कराना

वास्तविक निष्पादन को, जिस हेतु ठेकेदार को इन दो देयकों के विरुद्ध ₹ 44.20 लाख<sup>6</sup> का भुगतान किया गया, स्थापित नहीं किया जा सका।

- कार्य स्थल में खुदाई से प्राप्त कड़ी मिट्टी एवं कड़े मुरम को सिंचाई विशिष्टियों और प्रमुख अभियंता के निर्देशानुसार बांध कार्य में उपयोग किया जाना था। यह देखा गया कि 27वें चलित देयक तक भुगतान की गई कुल मिट्टी कार्य की मात्रा 4,46,390.52 घन मीटर थी। कार्यपालन यंत्री ने सूचित किया कि खोदी गई कुल कड़ी मिट्टी और मुरम की कुल मात्रा में से 4,97,621.50 घन मीटर बांध के भाग से प्राप्त की गई। इसलिए 2,23,929.68 घन मीटर मात्रा बांध एम्बैकमेंट में उपयोग की जानी थी और बांध एम्बैकमेंट हेतु भुगतान की गई कुल मात्रा में से कटौती योग्य थी, जिसको नहीं किया गया। आगे परीक्षण परिणामों के अनुसार अधिकतम प्राप्त सुदृढ़ीकरण 96 प्रतिशत था, इसलिए एम्बैकमेंट मात्रा का चार प्रतिशत अर्थात् 17,855.62 घन मीटर सिंकेज एलाऊंस भुगतान की गई एम्बैकमेंट मात्रा में से काटी जानी थी, जिसको भी नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त अलग से भुगतान किए जाने वाली राक टो, स्टोन पिचिंग मर्दे भी, कुल सेक्शनल मापों से शुद्ध देय मात्रा को निर्धारित करने के लिए, नहीं काटी गई। इसके परिणामस्वरूप ठेकेदार को ₹ 80.34 लाख का अधिक भुगतान हुआ जैसा कि **परिशिष्ट 3.2** में दर्शाया गया है।

शासन ने अपने उत्तर में बताया कि (जुलाई 2015) एजेंसी से ₹ 90 लाख के अधिक भुगतान की वसूली हेतु और ठेकेदार से भी मिट्टी कार्य से राक टो, बोल्टर टो और सिंकेज की मात्रा की कटौती न किए जाने कारण, वसूली किए जाने के अनुदेश जारी किए जा चुके हैं और विस्तृत जांच के बाद विभाग इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगा। खुदाई से प्राप्त मिट्टी के अनुपयोग के संबंध में शासन ने बताया कि बांध वाले भाग से 4,97,621.50 घन मीटर मात्रा प्राप्त की गई लेकिन सिल्ट कणों की प्रतिशत अधिक होने के कारण मिट्टी बांध हेतु अनुपयुक्त थी। हालांकि बांध भाग से खोदी गई 1,25,000 घन मीटर मात्रा का उपयोग स्पिल चैनल गाइड बांध के निर्माण में उपयोग किया गया, इसलिए अनुपयुक्त खोदी गई मिट्टी के अनुपयोग को अधिक भुगतान में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता था।

खोदी गई मिट्टी के उच्च सिल्ट मात्रा के आधार पर बांधों में अनुपयोग के संबंध में उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पानी को रोकने हेतु गाइड बांध में उपयोग योग्य गुणता की मिट्टी को बांध वाले भाग में उपयोग किया जा सकता था। आगे बांध के डाउनस्ट्रीम वाले भाग में एवं अधिकतम जलस्तर के ऊपर फ्री बोर्ड में, किसी भी प्रकार की मिट्टी का उपयोग किया जा सकता था।

<sup>6</sup> 26वें चलित देयक के भुगतान से ₹ 20.57 लाख और 27वें चलित देयक से ₹ 23.63 लाख

**3.1.3 न फूलने चिपकने वाली मिट्टी की परत का आवश्यक परीक्षणों के बिना निष्पादन**

**न फूलने चिपकने वाली मिट्टी के निष्पादन पर ₹ 1.54 करोड़ के व्यय की उपयोगिता को, मिट्टी के परीक्षण परिणामों के अभाव में, आश्वस्त नहीं किया जा सका।**

विभाग ने सिहावल मुख्य नहर में सीमेंट पेवर मशीन लाइनिंग आर.डी.<sup>7</sup> कि.मी.15.24 से आर.डी. कि.मी. 75.12 का कार्य एक ठेकेदार को ₹ 42.56 करोड़ की लागत पर सौंपा गया (दिसम्बर 2011)। कार्य को वर्षा काल सहित 17 महीने के अंदर अर्थात् जुलाई 2013 तक पूरा करने हेतु कार्यादेश फरवरी 2012 में जारी किया गया। कार्य जुलाई 2014 तक प्रगति पर था और ठेकेदार को 24वें चालित देयक तक ₹ 22.00 करोड़ का भुगतान (जून 2014) कर दिया गया था।

प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग द्वारा जारी (दिसम्बर 1988) तकनीकी परिपत्र के अनुसार, यदि नहर में काली मिट्टी या फूलने वाली प्रकार की मिट्टी का स्वैलिंग दबाव 0.5 किग्रा/वर्ग सेमी से अधिक है तो न फूलने चिपकने वाली मिट्टी (सीएनएस) को लाइनिंग के पीछे में लगाया जाना चाहिए। यदि नहर में मिट्टी का स्वैलिंग दबाव 0.5 किग्रा/वर्ग सेमी से कम है तो सीएनएस की आवश्यकता नहीं होती है।

सिहावल नहर के निरीक्षण के दौरान, प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग ने देखा (अगस्त 2011) कि सीएनएस सामग्री की आवश्यकता निरीक्षण में प्रकट नहीं होती थी। उन्होंने आगे निर्देशित किया कि कार्य को शुरू करने से पहले लाइनिंग के पीछे सीएनएस सामग्री की आवश्यकता सुनिश्चित करने हेतु परीक्षण आवश्यक था, क्योंकि प्राक्कलन में बिना किसी परीक्षण के प्रावधान किया गया था।

निचले सिहावल संभाग, चुरहट के अभिलेखों कि जाँच के दौरान हमने देखा (जुलाई 2014) कि ठेकेदार द्वारा सीसी लाइनिंग के पीछे 47,495.99 घन मीटर सीएनएस सामग्री का निष्पादन किया गया जिस हेतु उसको ₹ 1.54 करोड़<sup>8</sup> का भुगतान किया गया। विभाग नहर में पाई जाने वाली मिट्टी के स्वैलिंग दबाव को, नहर कार्य में सीएनएस सामग्री की आवश्यकता को सुनिश्चित करने हेतु, परीक्षण रिपोर्टों को (जुलाई 2014) प्रस्तुत नहीं कर सका।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, शासन ने बताया (जुलाई 2015) कि प्रमुख अभियंता के निर्देशों के अनुपालन में, सीएनएस परत को उपयुक्त परीक्षणों और इसकी आवश्यकता को सुनिश्चित करने के पश्चात् निष्पादित किया गया था।

संभाग और तत्पश्चात् प्रमुख अभियंता और शासन ने भी सीएनएस की आवश्यकता को सुनिश्चित करने हेतु सिहावल मुख्य नहर से लिए गए परीक्षणों की रिपोर्टों की प्रतिलिपि उपलब्ध (मई 2015, जून 2015 और जुलाई 2015) कराईं जिनको सहायक अनुसंधान अधिकारी (एआरओ), गुणवत्ता नियंत्रण इकाई, रीवा द्वारा पृष्ठांकन संख्या टी 557 द्वारा दिनांक 22 अप्रैल 2013 को जारी किया गया था।

पूछताछ करने पर, एआरओ, गुणवत्ता नियंत्रण इकाई, रीवा ने सूचित किया कि विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई रिपोर्ट सिहावल नहर की फाइल में नहीं मिली और ऐसी कोई रिपोर्ट इस कार्यालय से जारी नहीं की गई है। उन्होंने आगे सूचित किया कि पृष्ठांकन

<sup>7</sup> चलित दूरी

<sup>8</sup> ₹ 324.40 प्रति घन मीटर की दर से 47,495.99 घन मीटर

संख्या टी 557, दिनांक 22 अप्रैल 2013 द्वारा चुरहट वितरिका के संबंध में सी सी कार्य की रिपोर्ट जारी की गई थी।

शासन का उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि प्रमुख अभियंता और शासन के उत्तर के साथ संलग्न की गई परीक्षण रिपोर्टों का गुणता नियंत्रण इकाई, रीवा द्वारा जारी होना नहीं पाया गया। इस प्रकार उक्त कार्य में सीएनएस के प्रयोग की आवश्यकता और ₹ 1.54 करोड़ के व्यय को आश्वस्त नहीं किया गया।

प्रकरण शासन को पुनः संदर्भित कर दिया गया था (अगस्त 2015); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2015)।

### 3.1.4 सीमेंट कांक्रीट कार्य हेतु ठेकेदार को अनौचित्यपूर्ण भुगतान

**सीमेंट कांक्रीट कार्य के भुगतान में 180 किमी की लीड की लागत को शामिल करके ठेकेदार को ₹ 1.01 करोड़ का अनौचित्यपूर्ण भुगतान किया गया।**

विभाग ने सागर मध्यम परियोजना (इकाई-1) के मृदा बांध, स्पिल वे, डेक पुल और स्लूस के निर्माण का कार्य एक ठेकेदार को आइटम रेट आधार पर ₹ 64.65 करोड़ (जुलाई 2007 से प्रभावी एकीकृत अनुसूची दर से कुल 24.15 प्रतिशत अधिक) की लागत पर वर्षाकाल सहित 24 माह अर्थात् अक्टूबर 2011 तक पूरा करने हेतु सौपा (अक्टूबर 2009)। कार्य पूर्ण कर लिया गया था और किए गए कार्य के कुल मूल्य ₹ 75.47 करोड़, ₹ 8.58 करोड़ की मूल्यवृद्धि सहित, का भुगतान (मई 2014) के अंतिम देयक कर दिया गया।

निविदा की धारा 3.11 (ए) जो अनुबंध का भाग थी, ठेकेदार द्वारा उद्धृत दरें लीड और किसी भी सामग्री के उठान सहित थी। अनुबंध के उक्त धारा में आगे प्रावधानित था कि ठेकेदार सामग्री की अनुमोदित गुणवत्ता उपलब्ध कराएगा और उस हेतु परिशिष्ट-सी में विभिन्न खदानों को, मानचित्र में खदानों के स्थान को दर्शाते हुए, इंगित किया गया था। उक्त धारा में आगे उपबंधित था कि परिशिष्ट-सी में दर्शाए गए विवरण ठेकेदार के लिए केवल एक मार्गदर्शिका है और निविदा से पहले खनिज की उपलब्ध सामग्री की गुणवत्ता और मात्राओं के संबंध में स्वयं को संतुष्ट करेगा और ठेकेदार को अपनी निविदाकृत दरों में लीड, उठानों और स्थान में किसी भिन्नता हेतु उपबंध करने चाहिए।

हमने देखा (दिसम्बर 2012) कि अनुबंध के परिशिष्ट-सी में सीमेंट कांक्रीट (सीसी) कार्य हेतु होशंगाबाद नगर के पास नर्मदा नदी की अच्छी गुणवत्ता की रेत उपबंधित थी। इसी के अनुसार, सीसी कार्य (41,512.25 घन मीटर) हेतु ₹ 2,485.52 प्रति घन मीटर की दर में, नर्मदा नदी से बांध स्थल तक रेत के परिवहन की 180 किमी लीड के मद में ₹ 692.46 प्रति घन मीटर की दर को शामिल किया गया।

हालांकि, कार्य के अन्य मदों हेतु (फिल्टर ब्लेकेट हॉरिजेंटल एवं इंकलाइंड), स्थानीय रेत का प्रयोग किया जाना था जिस हेतु सागर नदी, जिला विदिशा (बांध स्थल से 10 किमी की लीड हेतु) से स्थानीय रेत की परिवहन लागत के रूप में ₹ 118.26 प्रति घन मीटर की दर से प्राक्कलित लागत में शामिल की गई। कार्यपालन यंत्री ने फिल्टर निर्माण में 73,132.66 घन मीटर स्थानीय रेत के प्रयोग को बताया (जून 2014)।

हमने आगे देखा कि ठेकेदार ने उक्त परियोजना की भी 41,512.25 घन मीटर प्राक्कलित सी सी की मात्रा के विरुद्ध 34,038.11 घन मीटर को निष्पादित किया। संभाग ने किसी लेखीय साक्ष्य, जैसे ठेकेदार द्वारा नर्मदा नदी में खनन हेतु अनुज्ञप्ति की

प्रति, नर्मदा रेत हेतु रॉयल्टी भुगतान आदि के बिना परियोजना में प्रयोग की गयी नर्मदा रेत की 14,205.12 घन मीटर मात्रा हेतु ₹ 692.46 की दर से ₹ 1.22 करोड़<sup>9</sup> की राशि का भुगतान कर दिया। जब हमने कलेक्टर (खनन) होशंगाबाद, मध्य प्रदेश के कार्यालय से अनुज्ञप्ति के जारी होने और नर्मदा रेत की रॉयल्टी जमा होने के संबंध में पूछताछ की तो खनन अधिकारी ने सूचित किया (जनवरी 2015) कि ठेकेदार को रेत खनन हेतु कोई अस्थाई अनुज्ञप्ति जारी नहीं की गई और न ठेकेदार ने विभाग को लघु खनिज (रेत) के परिवहन का कोई विवरण जमा किया। खनन अधिकारी ने आगे बताया कि कार्यपालन यंत्री (ईई), संजय सागर परियोजना ने भी अक्टूबर 2009 से संजय सागर परियोजना में प्रयुक्त रेत हेतु कोई रायल्टी खनन कार्यालय होशंगाबाद में जमा नहीं की थी। इस प्रकार उक्त कार्य में होशंगाबाद नगर से लायी गयी रेत का उपयोग स्थापित नहीं होता है, जो यह इंगित करता है कि गुणवत्ता से समझौता करते हुए सीसी कार्य हेतु स्थानीय रेत का प्रयोग किया गया।

विभाग ने सूचित किया (मार्च 2015) कि प्रयुक्त 87,337.78 घन मीटर रेत हेतु ₹ 54.78 लाख रॉयल्टी के मद में काट लिए गए हैं और कलेक्टर (खनन), विदिशा के यहां जमा कर दिए गए हैं। यह आगे संकेत करता है कि आवश्यक 73,132.66 घन मीटर स्थानीय रेत फिल्टर में प्रयोग किया गया जैसा कि कार्यपालन यंत्री द्वारा बताया गया और शेष 14,205.12 घन मीटर स्थानीय रेत सीसी कार्य में प्रयोग किया गया। इस प्रकार, नर्मदा रेत की 180 किमी लीड की लागत के लिए ₹ 1.01 करोड़<sup>10</sup> के भुगतान को सीसी कार्यों के भुगतानों में शामिल किए जाने का औचित्य नहीं था।

शासन ने अपने उत्तर (जुलाई 2015) में बताया कि ठेकेदार को 180 किमी की लीड हेतु कोई प्रत्यक्ष/अलग भुगतान नहीं किया गया है और आयटम दर निविदा होने के कारण सीसी कार्य हेतु ठेकेदार को भुगतान विभाग की समेकित दर के (प्राक्कलित दर) ऊपर ठेकेदार द्वारा उद्धृत दर से किया गया है। आगे बताया गया कि धारा 3.11 (ए) के अनुसार ठेकेदार द्वारा सामग्री की अनुमोदित गुणता को लाना होगा और ठेकेदार द्वारा उद्धृत दरों में लीडस और उठाना (लिफ्टस) शामिल होंगे और किसी भी प्रकरण में किसी भी सामग्री की लीडस या उठानों (लिफ्टस) हेतु अलग से भुगतान नहीं किया जाएगा।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि संविदा की धारा के अनुसार, ठेकेदार सीसी कार्य में अनुमोदित गुणवत्ता यथा नर्मदा रेत का प्रयोग करेगा। हालांकि, इसको (नर्मदा रेत) प्रयोग नहीं किया गया और ठेकेदार ने सागर नदी के स्थानीय रेत का प्रयोग किया था जिस हेतु लीड के मद में अतिरिक्त राशि प्रावधानित की और ठेकेदार द्वारा नर्मदा रेत के प्रयोग को सम्मिलित करते हुए उक्त मदों की प्राक्कलित दरों की तुलना में अधिक दरों की कोटेशन यह इंगित करती थी कि ठेकेदार ने निविदा में उल्लिखित लीड (180 किमी) को ध्यान में रखा था। इस प्रकार, ठेकेदार को वास्तविक रूप से उपयोग की गई स्थानीय रेत के स्थान पर नर्मदा रेत की लीड हेतु ₹ 1.01 करोड़ का अनौचित्यपूर्ण भुगतान किया गया।

<sup>9</sup> (₹ 692.46 प्रति घन मीटर की दर पर 14,205.12 घन मीटर रेत) + 24.15 प्रतिशत निविदा प्रीमियम = ₹ 1,22,11,987

<sup>10</sup> ₹ 574.20 प्रति घन मीटर की दर पर 14,205.12 घन मीटर रेत (₹ 692.46 नर्मदा रेत की 180 किमी लीड हेतु - ₹ 118.26 प्रति घन मीटर स्थानीय रेत की 10 किमी लीड हेतु) + 24.15 प्रतिशत निविदा प्रीमियम = ₹ 1,01,26,394

### 3.1.5 ठेकेदार को संदेहास्पद कपटपूर्ण भुगतान

ठेकेदार को सीमेंट कांक्रीट लाइनिंग कार्य हेतु पेवर मशीन की तैनाती जो कि नहर की दी गई चौड़ाई में संभव नहीं थी, के लिए ₹ 48.58 लाख का भुगतान किया गया। जिसमें से ₹ 20.44 लाख लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर वसूल किए जा चुके हैं।

विभाग ने चिरईपानी, गड़ाघाट और जबैरा टैंक के बाँध और नहर के पुर्ननिर्माण एवं आधुनिकीकरण का कार्य एक ठेकेदार को आइटम दर निविदा पर 2007 से प्रभावी एकीकृत दर अनुसूची पर ₹ 11.74 करोड़ की लागत (प्राक्कलित लागत ₹ 9.60 करोड़ से 22.15 प्रतिशत ऊपर) पर सौंपा (फरवरी 2010)। कार्य को वर्षाकाल सहित 24 महीने के अंदर अर्थात् फरवरी 2012 तक पूरा करने हेतु कार्यादेश (फरवरी 2010) जारी कर दिया गया। कार्य जुलाई 2013 में पूरा कर लिया गया और किए गए कार्य के मूल्य हेतु ठेकेदार को ₹ 11.92 करोड़ के अंतिम देयक का भुगतान (सितम्बर 2014) कर दिया गया था।

नहर पेवर मशीन की तकनीकी विवरण के अनुसार तीन मीटर से अधिक चौड़ाई वाली नहर में ही कंक्रीटिंग में पेवर मशीन का उपयोग संभव है। तत्पश्चात, प्रमुख अभियंता (ई-एन-सी) ने भी पेवर मशीन की उपयोगिता के संबंध में स्पष्ट किया (फरवरी 2012) कि जहाँ नहर तल की चौड़ाई तीन मीटर से अधिक हो तभी पेवर मशीन का प्रयोग किया जा सकता है और यदि स्थल की स्थिति के अनुसार सम्भव हो, पेवर मशीन को, जहाँ तल चौड़ाई 1.5 मीटर से 3 मीटर के मध्य है, प्रयोग किया जा सकता है। इसमें आगे प्रावधानित है कि इस संबंध में अधीक्षण यंत्री (एसई) का निर्णय अंतिम होगा। विभाग द्वारा प्रकाशित दर अनुसूची 2007 पेवर मशीन के बिना सीमेंट कांक्रीट (सीसी) लाइनिंग कार्य की ₹ 2,117 प्रति क्यू.मी. और पेवर मशीन के साथ सीसी लाइनिंग हेतु ₹ 2,435 प्रति क्यू.मी. की दर प्रावधानित करती है।

कार्यपालन यंत्री (ईई), जल संसाधन संभाग, दमोह के अभिलेखों की जाँच (नवम्बर 2014) में हमने देखा कि नहर की तल की भिन्न चौड़ाई 0.40 मीटर से 0.70 मीटर तक थी जो पेवर मशीन के प्रयोग को संभव बनाने से बहुत कम थी लेकिन अधीक्षण यंत्री द्वारा कार्य हेतु पेवर मशीन आधारित गलत प्राक्कलन पर तकनीकी स्वीकृति प्रदान कर दी गई। इस तथ्य के होते हुए भी कि नहर की चौड़ाई में सीसी लाइनिंग, पेवर मशीन प्रयोग हेतु सम्भव नहीं थी, विभाग ने भी सीसी लाइनिंग पेवर मशीन के साथ कार्य को स्वीकारा और उस हेतु भुगतान कर दिया, जैसा कि चालित देयक में दर्शाया गया है। प्रारंभिक टिप्पणी के जवाब में, संभागीय कार्यपालन यंत्री ने उत्तर दिया (नवम्बर 2014) कि पेवर मशीन के प्रयोग के साक्ष्य को उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है। यद्यपि उक्त कार्य में पेवर मशीन का प्रयोग संभव नहीं था, ठेकेदार को पेवर मशीन के प्रयोग पर लागू दर के आधार पर ₹ 48.58 लाख<sup>11</sup> का भुगतान कर दिया गया, जो ठेकेदार के साथ दुरभिसंधि का संकेत देता है। इस प्रकार सीसी लाइनिंग कार्य में

<sup>11</sup> निष्पादित की गई सीसी लाइनिंग की मात्रा = 10,806.22 घन मी.

पेवर मशीन के साथ सीसी लाइनिंग दर = ₹ 2,485 प्रति घन मी.

पेवर मशीन के बिना सीसी लाइनिंग दर = ₹ 2,117 प्रति घन मी.

दर का अंतर = ₹ 368 प्रति घन मी.

कपटपूर्ण राशि = 10,806.22 \* ₹ 368 = ₹ 39.77 लाख

निविदा प्रतिशत जोड़े (22.15 प्रतिशत ऊपर) = ₹ 39.77 \* 22.15/100 = ₹ 48.58 लाख

संभागीय अधिकारी द्वारा ठेकेदार को ₹ 48.58 लाख का संदेहास्पद कपटपूर्ण भुगतान किया गया।

शासन ने अपने उत्तर (जुलाई 2015) में बताया कि सीसी लाइनिंग में पेवर मशीन के प्रयोग को सुनिश्चित करने हेतु निर्देश जारी किए जा चुके थे और यदि यह पाया गया कि पेवर मशीन के साथ लाइनिंग को नहीं किया गया है, ठेकेदार से वसूली की जाएगी। मुख्य अभियंता ने अपने अगले उत्तर (अक्टूबर 2015) में स्वीकार किया कि कार्य में किसी पेवर मशीन का प्रयोग नहीं किया गया था और बताया कि राशि वसूली हेतु कार्यवाही की जा रही है और इसी के अनुसार संभाग के कार्यपालन यंत्री ₹ 20.44 लाख वसूल चुके हैं। उन्होंने आगे बताया कि मध्य प्रदेश में चलित अन्य कार्यों से शेष राशि की वसूली के प्रयास किए जा रहे हैं।

शासन का उत्तर हांलांकि ठेकेदार को ऐसी भुगतान के प्रकरण में जिम्मेदारी निर्धारित करने हेतु जाँच आरंभ करने की सूचना नहीं देता है।

### 3.2 औचित्य के बिना व्यय

लोक निधियों से व्यय का प्राधिकार, लोक व्यय के औचित्य तथा दक्षता के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होता है। व्यय करने के लिए अधिकृत प्राधिकारियों से वही सतर्कता लागू करने की आशा की जाती है जो एक सामान्य बुद्धि का व्यक्ति अपने स्वयं के धन के संबंध में बरतता है और उसे प्रत्येक कदम पर वित्तीय व्यवस्था तथा पूर्ण मितव्ययिता लागू करना चाहिए। लेखापरीक्षा ने अनौचित्यपूर्ण, अतिरिक्त एवं निष्फल व्यय के दृष्टांतों का पता लगाया है, उनमें से कुछ नीचे उल्लिखित किए गए हैं:

#### जल संसाधन विभाग

### 3.2.1 न फूलने चिपकने वाली मिट्टी और स्लीपरों के गलत प्रावधान और अनचाहे क्रियान्वयन के कारण अतिरिक्त लागत

न फूलने चिपकने वाली मिट्टी के गलत प्रावधान एवं क्रियान्वयन के कारण ₹ 2.48 करोड़ की अतिरिक्त लागत आई। इसके अतिरिक्त, कांक्रिट स्लीपरों को अतिरिक्त रूप से लगाने पर ₹ 2.05 करोड़ की अतिरिक्त लागत आई।

विभाग ने महान मुख्य नहर की आर.डी.<sup>12</sup> कि.मी. 0.00 से आर.डी. कि.मी. 22.917 तक पेवर मशीन के साथ सीमेंट कांक्रिट (सीसी) लाइनिंग का कार्य एक ठेकेदार को ₹ 31.40 करोड़ (2009 से प्रभावी एकीकृत दर अनुसूची से 4.69 प्रतिशत ऊपर) पर दिया (नवम्बर 2011)। कार्य वर्षा काल सहित आठ महीने अर्थात् जुलाई 2012 तक पूरा किया जाना था। अगस्त 2015 तक कार्य जारी था और ठेकेदार को जून 2015 तक ₹ 21.72 करोड़ की राशि का भुगतान किया जा चुका था।

(ए) सिचाई विशिष्टियों की कंडिका 25.3.1.1.1 के अनुसार साइड ढलानों एवं नहर के तल पर फैलने वाली मिट्टी अर्थात् काली मिट्टी जब पानी के संपर्क में आती है तो 0.5 किग्रा/वर्ग सेमी से 3 किग्रा/वर्ग सेमी या अधिक का दबाव डालती है। प्रमुख अभियंता (ई-एन-सी) जल संसाधन विभाग (डब्ल्यू.आर.डी.) द्वारा जारी (मार्च 1984) तकनीकी परिपत्र के अनुसार, यदि नहर में स्वैलिंग दबाव 0.5 किग्रा/वर्ग सेमी से अधिक पाया जाता है तो लाइनिंग के नीचे न फूलने चिपकने वाली सीएनएस मिट्टी का उपयोग

<sup>12</sup> चलित दूरी

करना चाहिए। इसको पुनः बी.ओ.डी.एच.आई, (बोधी<sup>13</sup>), जल संसाधन विभाग द्वारा दिसम्बर 2012 एवं फरवरी 2013 के आदेश द्वारा दोहराया गया।

महान नहर संभाग सीधी के अभिलेखों के परीक्षण के दौरान हमने देखा (फरवरी 2015) कि ठेकेदार द्वारा सीसी लाइनिंग के नीचे में 1,07,196.495 घन मी. सीएनएस सामग्री का निष्पादन किया गया और इसके लिए ₹ 1.64 करोड़<sup>14</sup> का भुगतान किया गया। हमने आगे देखा कि लाइनिंग के लिए सीएनएस सामग्री को डालने हेतु खुदाई कार्य को 'लाइनिंग हेतु नहर तल तथा साइड ढलानों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियों, मुरम एवं चट्टान खुदाई' मद में शामिल किया गया, जिसमें सब-सॉयल जल स्तर से नीचे पोरस कड़ी मिट्टी/मुलायम मुरम और विघटित चट्टान अर्थात् न फैलने वाली प्रकृति की मिट्टी, जिसको सीएनएस की आवश्यकता नहीं होती है, शामिल थे। इस कार्य के विरुद्ध 5,36,448.956 घन मीटर खुदाई की मात्रा का निष्पादन किया गया। इससे इंगित होता है कि नदी तल और साइड ढलानों में पहले से ही कड़ी मिट्टी, मुलायम मुरम और विघटित चट्टान मौजूद थी, इसलिए सीएनएस सामग्री की आवश्यकता नहीं थी। हालांकि सीएनएस की आवश्यकता सुनिश्चित करने हेतु नहर तल और साइड ढलानों की मिट्टी के स्वैलिंग दबाव जानने हेतु परीक्षणों की आवश्यकता थी। लेकिन लेखापरीक्षा के समय संभाग द्वारा स्वैलिंग दबाव को सुनिश्चित करने हेतु किए गए परीक्षणों का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया। इस प्रकार सिंचाई विशिष्टियों और ई-एन-सी के निर्देशों को न अपनाने के कारण, 1,07,196.495 घन मी. सीएनएस सामग्री की हाउसिंग और निष्पादन के लिए खुदाई के प्रावधान पर ₹ 2.48 करोड़<sup>15</sup> की अतिरिक्त लागत आई।

शासन ने अपने उत्तर (सितम्बर 2015) में बताया कि विघटित चट्टान की मात्रा केवल सात प्रतिशत है व नहर के पूरे विस्तार में मिट्टी का सब ग्रेड था, इसलिए विभागीय विशिष्टियों के अनुसार सीएनएस का प्रावधान आवश्यक था और माइनर 2 और 8 के निश्चित पहुँच पर मिट्टी के स्वैलिंग दबाव की दो परीक्षण रिपोर्टों की प्रतियां संलग्न की। शासन ने आगे बताया कि जहाँ पर विघटित चट्टान सतह पाई गई थी वहाँ पर सीएनएस का प्रयोग नहीं किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वास्तविक खुदाई के अनुसार नहर के पहुँच में पोरस कड़ी मिट्टी/मुलायम मुरम और विघटित चट्टान के सब ग्रेड थे, जिसमें स्वैलिंग गुण नहीं होते हैं, इसलिए सीएनएस की आवश्यकता नहीं थी। शासन के उत्तर के साथ प्रस्तुत की गई दो नमूना रिपोर्टों<sup>16</sup> के सत्यापन में पाया गया कि दो परीक्षण रिपोर्टों के प्रेषण विवरणों को पूर्व प्रविष्टियों व्हाइटनर द्वारा सुधार करके प्रेषण रजिस्टर में प्रविष्ट किया गया था, जैसा कि नीचे चित्र में दिखाया गया है जो रिपोर्टों की सत्यता पर संदेह खड़ा करता है। इस प्रकार उक्त कार्य में सीएनएस के प्रयोग और ₹ 2.48 करोड़ के व्यय की आवश्यकता को सुनिश्चित नहीं किया गया।


<sup>13</sup> बीओडीएचआई - डिजाइन एवं हाइड्रॉलिक जॉच ब्यूरो

<sup>14</sup> ₹ 153.00 प्रति घन मी. की दर पर 1,07,196.495 घन मी.

<sup>15</sup> सीएनएस की हाउसिंग हेतु खुदाई - ₹ 78.14 प्रति घन मी. की दर पर 1,07,196.495 घन मी. = ₹ 83,79,550, सीएनएस सामग्री का डाला जाना - ₹ 153.07 प्रति घन मी. की दर पर 1,07,196.495 घन मी. = ₹ 1,64,08,567, कुल = ₹ 2,47,88,117

<sup>16</sup> परीक्षणों को गुणता नियंत्रण इकाई देवलौद में होना दिखाया गया।





**(व्हाइटनर (सफेदा) के उपयोग के साथ परीक्षण के परिणाम में हेरफेर दिखाती तस्वीरें)**

(बी) सिंचाई विशिष्टियों के अनुसार निर्माण जोड़ों के नीचे कांक्रीट स्लीपरों को डालने की आवश्यकता तब होती है जब इन-सिटु लाइनिंग एकांतर पैनलों में इस प्रकार डाली जाती हो कि प्रत्येक पैनल व जोड़ का अंतिम सिरा स्लीपरों के मध्य बिंदु पर पड़े। पेवर मशीन के साथ सीसी लाइनिंग सतत विधि से डाली जाती है न कि एकांतर पैनल में। इसलिए पेवर मशीन के साथ सीसी लाइनिंग को कांक्रीट स्लीपरों की आवश्यकता नहीं होती है। नहर लाइनिंग से संबंधित बैठक जो फरवरी 2012 में आयोजित की गई थी, के कार्य विवरण में प्रमुख अभियंता द्वारा भी स्पष्ट किया गया था कि जहां कांक्रीट लाइनिंग में पेवर मशीन प्रयोग की जानी है, उसमें स्लीपरों को नहीं लगाया जाना है।

हमने देखा कि उक्त कार्य में नहर में पेवर मशीन के साथ कांक्रीट लाइनिंग शामिल थी। क्योंकि कांक्रीट लाइनिंग हेतु पेवर मशीन का उपयोग किया जाना था, कार्य में कांक्रीट स्लीपरों को लगाए जाने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन विभाग ने इसके बावजूद भी प्राक्कलन में कांक्रीट स्लीपरों का प्रावधान किया व अप्रैल 2012 से जून 2015 के मध्य कार्य निष्पादित किया और 5,132.09 घन मी. कांक्रीट स्लीपरों हेतु भुगतान किया। इस प्रकार कांक्रीट स्लीपरों के अतिरिक्त प्रावधान एवं निष्पादन के कारण ₹ 2.05 करोड़<sup>17</sup> का अतिरिक्त खर्च किया गया।

शासन ने अपने उत्तर (सितम्बर 2015) में बताया कि लाइनिंग का कार्य अनुमोदित रेखांकन एवं रूपांकन के अनुसार निष्पादित किया जा रहा था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मुख्य अभियंता द्वारा अनुमोदित रेखांकन एवं रूपांकन विशिष्टियों के अनुसार नहीं थे। आगे नहर में कांक्रीट स्लीपरों का निष्पादन न तो

<sup>17</sup> ₹ 3,993.30 प्रति घन मी. की दर पर 5,132.09 घन मी. = ₹ 2,04,93,975

सिंचाई विशिष्टियों और प्रमुख अभियंता के स्पष्टीकरण के अनुसार किया गया और न ही कार्यपालन यंत्री द्वारा उच्च प्राधिकारियों के संज्ञान में लाया गया।

### 3.2.2 कार्य के मद को अन्यायोचित रूप से हटाने के कारण अतिरिक्त व्यय

एक परियोजना के एक मद की बढ़ी हुई मात्रा एक नए ठेकेदार को उच्चतर दरों पर प्रदाय करने के कारण विभाग ने निष्पादित मात्राओं हेतु ₹ 1.03 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया और ₹ 2.09 करोड़ के अतिरिक्त व्यय हेतु प्रतिबद्ध हुआ।

विभाग ने पेंच मृदा बांध (अर्दन डैम) के आर.डी.<sup>18</sup> 0.00 मी. से आर.डी. 1400 मी. तक और आर. डी. 1,800 मी. से आर. डी. 6,376 मी. तक के शेष मिट्टी कार्य के निर्माण कार्य को एच.ई.एस. इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड (एचआईपीएल) को ₹ 99.68 करोड़ की (निविदा राशि से 7.59 प्रतिशत कम) लागत पर दिया (नवम्बर 2011)। कार्य वर्षाकाल सहित 21 माह अर्थात् अगस्त 2013 तक पूरा किया जाना था। कार्य मई 2015 तक प्रगति पर था और ठेकेदार को किए गए कार्य के मूल्य के विरुद्ध ₹ 2.91 करोड़ की मूल्यवृद्धि सहित ₹ 47.75 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया था।

अनुबंध की धाराओं 4.3.13.1 और 4.3.13.3 (ए) के अनुसार प्रभारी अभियंता को मूल विशिष्टियों, रेखांकन या रूपांकन में किसी परिवर्तन, लोप, परिवर्धन या प्रतिस्थापनों की शक्ति होगी। ऐसे परिवर्तन, लोप, परिवर्धन या प्रतिस्थापन संविदा को अविधिमान्य नहीं करेंगे और ठेकेदार द्वारा कार्य उन्हीं शर्तों पर किया जायेगा जिन पर वह मुख्य कार्य को निष्पादित करने पर सहमत हुआ था। विभिन्न मदों हेतु आवश्यक सामग्रियों को संदर्भ में न लेते हुए ठेकेदार को संपूर्ण कार्य पूरा करना होगा। किसी मद की निविदा प्रपत्र में उल्लिखित मात्रा से 10 प्रतिशत अधिक मात्रा के लिए भुगतान ठेकेदार द्वारा उद्धृत दर या संयोजित दर (प्राक्कलित), जो भी कम हो, पर देय होगा।

कार्यपालन यंत्री (ई.ई.), पेंच डायवर्सन डैम संभाग-1, सिंगाना, छिंदवाड़ा के अभिलेखों की जाँच (फरवरी 2015) में हमने देखा कि कार्य प्रदाय करने के बाद, केन्द्रीय जल आयोग (सी. डब्ल्यू. सी.) नई दिल्ली की अनुशंसाओं (अगस्त 2012) को आधार मानते हुए डम्पड रिप रैप<sup>19</sup> की मोटाई में 60 से.मी. से 100 से.मी. तक और जमीन स्तर से बांध के शीर्ष तक वृद्धि की गई। इसके कारण डम्पड रिप रैप सामग्री (1,61,933 घन मी. से 3,93,134.40 घन मी.), फिल्टर सहित गिट्टी (58,806 क्यू. मी. से 83,833.02 क्यू. मी. तक) और रेत (58,806 क्यू. मी. से 84,678.96 क्यू. मी. तक) की मात्राएं क्रमशः बढ़ाई गई। उपरोक्त मदों की मात्राओं में वृद्धि के कारण विभाग ने डम्पड रिप रैप फिल्टर के कार्य के साथ मद को इस आधार पर कि ठेकेदार ने उच्चतर दरों की मांग की थी और रिप रैप की मोटाई में परिवर्तन के कारण उक्त मद मात्रा देयकों (बिल ऑफ क्वान्टिटीज) में नया मद था, कार्यक्षेत्र से अलग कर दिया। इसलिए विभाग ने अलग किये गये कार्य को दूसरे ठेकेदार, मंतेना सरला ज्वाइंट बेंचर (एमएसजेवी) को ₹ 24.01 करोड़ के लागत (यू.एस.आर.<sup>20</sup>2009 से 14.56 प्रतिशत ऊपर) पर प्रदाय (जुलाई 2014) किया।

<sup>18</sup> चलित दूरी

<sup>19</sup> यह उक्त कार्य का एक मद है, जो बांध के प्रवाह की ओर की ढाल को सुरक्षा प्रदान करने के लिए विश्लेषण आकार के पत्थरों की परतों से बनाया जाता है।

<sup>20</sup> यू.एस.आर.-एकीकृत दर अनुसूची

हमने आगे देखा कि रिप रैप की लंबाई और फिल्टर के साथ रिप रैप को डालने में केवल मोटाई 60 से.मी. से 100 से.मी. परिवर्तित हुई, जबकि पत्थर के आकार (130 कि.ग्रा. के 0.05 घन मी. के 50 प्रतिशत के अलग पत्थर) अपरिवर्तित रहे, और इस प्रकार यू.एस.आर. की मद संख्या समान रही। क्योंकि कार्य की प्रकृति और यू.एस.आर. मद परिवर्तित नहीं हुये थे, इसलिए विभाग द्वारा अनुबंध की धारा 4.3.13.3 (ए) के अनुसार डम्पड रिप रैप के मद और गिट्टी तथा रेत सहित फिल्टर की बढ़ी हुई मात्रा के कार्य के निष्पादन हेतु ठेकेदार को बाध्य किया जाना चाहिए था। लेकिन विभाग ने ये मद मूल ठेकेदार कार्य क्षेत्र से अलग कर दिये और इन को संविदा शर्तों को बिना लागू किये नये ठेकेदार को उच्चतर दर पर प्रदाय कर दिया। इस प्रकार इन मदों को उच्चतर दरों पर प्रदाय किए जाने के कारण विभाग ने निष्पादित मात्राओं हेतु ₹ 1.03 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया गया और कार्य की शेष मात्रा हेतु ₹ 2.09 करोड़ के अतिरिक्त व्यय हेतु प्रतिबद्ध हुआ (परिशिष्ट 3.3)।

आगे यह भी देखा गया कि कुछ निश्चित परियोजनाएं जैसे कि जल संसाधन विभाग के महान मुख्य नहर, त्योथर उद्वहन नहर और पेंच मृदा बांध परियोजनाएँ को दोनो एचआईपीएल और एमएसजेवी द्वारा चलित परियोजनाओं के रूप में अपनी वेबसाइट पर दर्शाया जा रहा था, जिसने संकेत किया कि दोनों ठेकेदार (एचआईपीएल और एमएसजेवी) परस्पर सम्बन्धित थे।

शासन ने अपने उत्तर (जुलाई 2015) में बताया कि सी.डब्ल्यू.सी. की अनुशंसाओं के अनुसार डम्पड रिप रैप की मोटाई 60 से.मी. से 100 से.मी. तक परिवर्तित की गई, जिसने मद को अतिरिक्त मद बना दिया। आगे बताया गया कि मूल ठेकेदार ने अतिरिक्त मात्रा की दर ₹ 1,004.75 प्रति क्यू. मी.<sup>21</sup> प्रस्तावित की जिसको विभाग द्वारा रद्द कर दिया गया। कार्य की महत्ता और अत्यावश्यकता को देखते हुए नई निविदाएं मांगी गई और कार्य एमएसजेवी को प्रदाय कर दिया गया। यह भी बताया गया कि 60 से.मी. रिप रैप और 100 से.मी. रिप रैप का लगाया जाना प्रकृति में समान था लेकिन आयाम में नहीं और मूल्य समायोजन की धारा दोनों अनुबंधों में लागू करने योग्य थी और आधार सूचकांक में लगभग तीन वर्ष अंतर था जिसके कारण विभाग ने नए ठेकेदार को कार्य प्रदाय करके ₹ 49.61 लाख की राशि की बचत की।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह मद की मात्रा में परिवर्धन का प्रकरण था और इसलिए मूल ठेकेदार अनुबंध की शर्तों के अनुसार वृद्धि की गई मात्रा को निष्पादित करने हेतु बाध्य था। क्योंकि केवल मोटाई में वृद्धि के साथ मद वही था विभाग द्वारा अनुबंध के शर्तों के अनुसार मद की दर को विनियमित करके मूल ठेकेदार को कार्य को निष्पादित करने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए था। पुनः मूल ठेकेदार की मूल्य में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए भी, नए ठेकेदार को कार्य प्रदाय करने के कारण अतिरिक्त लागत ₹ 3.12 करोड़ (निष्पादित कार्य पर : ₹ 1.03 करोड़ और शेष मात्रा पर : ₹ 2.09 करोड़) है।

<sup>21</sup> मूल ठेकेदार द्वारा उद्धृत दरों के विरुद्ध डम्पड रिप रैप ₹ 470.44 घन मीटर की दर पर, मेटल ₹ 447.28 प्रति घन मीटर की दर पर और रेत ₹ 208.11 प्रति घन मीटर की दर पर।

## नर्मदा घाटी विकास विभाग

**3.2.3 अवास्तविक प्राक्कलन के कारण परिहार्य अतिरिक्त व्यय**

**टर्नकी संविदा के कार्यक्षेत्र से क्रॉस रेगुलेटर कम एस्केप की संरचना को हटाने के कारण ठेकेदार को ₹ 1.00 करोड़ का अदेय लाभ पहुँचाया गया।**

विभाग ने नागोद (सतना) शाखा नहर आर.डी. कि.मी. 0.00 से आर.डी. कि.मी. 33.175 के निष्पादन और बर्गी डायवर्जन परियोजना की पूर्ण वितरण प्रणाली का कार्य टर्नकी आधार पर एक ठेकेदार को ₹ 183.95 करोड़ की लागत अर्थात् निविदा में प्राक्कलित की गई ₹ 198.22 करोड़ की लागत से 7.20 प्रतिशत कम पर (फरवरी 2009) सौंपा गया। कार्य वर्षा काल सहित 40 महीने अर्थात् जून 2012 तक पूरा किया जाना था। कार्य मई 2015 तक प्रगति पर था और ठेकेदार को ₹ 46.36 करोड़ के मूल्य समायोजन सहित अप्रैल 2015 तक ₹ 220.88 करोड़ का भुगतान कर दिया गया।

रूपांकन पैरामीटर और रेखांकन में दी गई निविदा शर्तों के खण्ड-IV में प्रावधानित है कि प्रत्येक 40 किमी अपस्ट्रीम की सामरिक एवं कमजोर पहुँच पर निकास मार्ग उपलब्ध कराए जाने चाहिए। हालांकि खण्ड-IV में जोड़ी गई संरचनाओं जो अनुबंध का भाग भी कार्यक्षेत्र में अन्य बातों के साथ एक क्रॉस रेगुलेटर (सीआर) कम एस्केप (निविदा लागत ₹ 1.08 करोड़) मुख्य नहर की आर.डी. किमी 32.880 पर जो आर.डी. किमी 15.71 पर इसके सीआर-कम-एस्केप से 17.17 किमी की दूरी पर था, शामिल था।

एनडी संभाग सं.7, सतना के अभिलेखों की जाँच में हमने देखा (दिसम्बर 2014) कि मुख्य अभियंता (सीई) ने आरडी किमी 32.880 पर सीआर-कम-एस्केप की संरचना के कार्य को गैर-अनुकूल जमीनी स्थितियों और ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के परिप्रेक्ष्य में सीआर-कम-एस्केप को 40 किमी की दूरी पर रखने की आवश्यकता के आधार पर कार्यक्षेत्र से हटा दिया (अप्रैल 2012)। तदनुसार, हटाई गई संरचना को ठेकेदार द्वारा निष्पादित नहीं किया गया। हालांकि टर्नकी संविदा के कुल मूल्य को ₹ 1.00 करोड़<sup>22</sup> के सीआर-कम-एस्केप की लागत को टर्नकी संविदा के तर्क पर कम नहीं किया गया। क्योंकि ठेकेदार ने इस हटाई गई संरचना की लागत को ध्यान में रखते हुए मूल्य को उद्धृत किया था, टर्नकी संविदा का मूल्य सीआर-कम-एस्केप की लागत द्वारा कम न करने के कारण ठेकेदार को ₹ 1.00 करोड़ का अदेय लाभ हुआ। यदि रूपांकन एवं रेखांकन प्राक्कलन और तकनीकी स्वीकृति के समय संरचना की व्यवहारिकता का मूल्यांकन किया गया होता तो गैर-निष्पादित हटाई गई सीआर-कम-एस्केप की अतिरिक्त ₹ 1.00 करोड़ की लागत से बचा जा सकता था।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, कार्यपालन यंत्री ने बताया (दिसम्बर 2014) कि सीआर-कम-एस्केप की संरचना को सीई, ऊपरी नर्मदा जोन, जबलपुर द्वारा (अप्रैल 2012) गैर-अनुकूल जमीनी स्थितियों के कारण हटाया गया। कार्यपालन यंत्री ने आगे बताया कि टर्नकी संविदा में अतिरिक्त कार्यों/विलोप के लिए अतिरिक्त भुगतान/वसूली का कोई प्रावधान नहीं था, इसलिए संविदा शर्तों के अनुसार ठेकेदार को कोई अदेय लाभ नहीं हुआ था।

<sup>22</sup> संरचना की निविदा लागत ₹ 1.08 करोड़ - 7.20 प्रतिशत = ₹ 1.00 करोड़।

उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि ठेकेदार ने हटाए गए सीआर-कम-एस्केप को ध्यान में रखते हुए मूल्य उद्धृत किया था और इसलिए हटाए गए मद की लागत न हटाए जाने के परिणामस्वरूप ठेकेदार को उस सीमा तक लाभ हुआ, जिसको यदि निविदा के समय सीआर-कम-एस्केप की संख्या का ठीक तरह से निर्णय लिया जाता तो बचाया जा सकता था।

प्रकरण शासन को संदर्भित कर दिया गया था (मई 2015); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2015)।

## लोक निर्माण विभाग

### 3.2.4 ठेकेदार को अधिक भुगतान

**40-60 टीपीएच हॉट मिक्स प्लांट पर लागू बिटुमिनस मदों के भुगतान को सीमित न करने के कारण, ठेकेदार को ₹ 49.37 लाख का अधिक भुगतान किया गया।**

विभाग ने केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत आइटम दर निविदा आधार पर 'अवान सड़क (जांजली) से मकसूदनगढ़ सड़क (39.00 किमी)' का उन्नयन कार्य एक ठेकेदार को ₹ 30.46 करोड़ की लागत पर प्राक्कलित दर से जो दर अनुसूची (एसओआर) 2009 पर आधारित थी, से 22.80 प्रतिशत नीचे, प्रदाय (जनवरी 2010) किया गया। कार्य को वर्षा काल सहित 22 महीने के अन्दर पूरा करने हेतु ठेकेदार को कार्यादेश जनवरी 2010 में जारी किया गया। कार्य, फरवरी 2013 में पूरा किया गया और ठेकेदार को ₹ 4.60 करोड़ की मूल्यवृद्धि सहित किए गए कार्य का ₹ 34.19 करोड़ का अंतिम भुगतान (जून 2014) किया गया।

संस्वीकृत विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) के अनुसार, बिटुमिनस मैकडम (बीएम) और सेमी डेंस बिटुमिनस कांक्रीट (एसडीबीसी) कार्य 100-120 टन प्रति घंटा (टीपीएच) हॉट मिक्स प्लांट को प्रयोग करके किया जाना था। इसी के अनुसार ठेकेदार ने इन मदों की दरें उद्धृत की। आगे एसओआर 2009, प्रावधानित करती है कि संबंधित कार्य में जैसा आवश्यकता हो, बीएम और एसडीबीसी कार्य 100-120 या 40-60 टीपीएच हॉट मिक्स प्लांट प्रयोग करते हुए निष्पादित किया जाना चाहिए। 100-120 टीपीएच हॉट मिक्स प्लांट प्रयोग करते हुए बीएम और एसडीबीसी आइटमों की एसओआर दरें क्रमशः ₹ 4,220 व ₹ 5,708 थी और 40-60 टीपीएच हॉट मिक्स प्लांट प्रयोग करते हुए, दरें क्रमशः ₹ 3,878 और ₹ 5,528 थी।

हमने कार्यपालन यंत्री (ईई) पीडब्लूडी, गुना के अभिलेखों की जाँच के दौरान देखा (फरवरी 2015) कि माप पुस्तकों और संविदा आंकड़ों जिसमें प्रयोग किए जाने वाले प्लांट व मशीनरी की सूची होती है, बिटुमिनस कोर्स (बीएम और एसडीबीसी) के मदें ठेकेदार द्वारा अनुबंध में प्रावधानित 100-120 टीपीएच हॉट मिक्स प्लांट के बजाए 40-60 टीपीएच हॉट मिक्स प्लांट<sup>23</sup> प्रयोग करते हुए निष्पादित की गईं। इसलिए बीएम और एसडीबीसी कार्य हेतु भुगतान 40-60 टीपीएच हॉट मिक्स प्लांट पर लागू एसओआर दर के अनुसार किए जाने की आवश्यकता थी। परन्तु ठेकेदार को बीएम और एसडीबीसी का भुगतान अनुबंधित पूर्ण दरों से किया गया जो कि 100-120 टीपीएच हॉट मिक्स प्लांट के उपयोग पर लागू था। इस प्रकार 40-60 टीपीएच हॉट मिक्स प्लांट पर लागू

<sup>23</sup> माप पुस्तिका में 40-60 टीपीएच के स्थान पर 50-60 टीपीएच अंकित था।

बिटुमिनस मदों पर भुगतान सीमित न करने के कारण ठेकेदार को ₹ 49.37 लाख का अधिक भुगतान किया गया जैसा कि परिशिष्ट 3.4 में ब्यौरा दिया गया है।

संभागीय अधिकारी ने बताया (फरवरी 2015) कि इस संबंध में सूचना, मुख्य अभियंता (सीई) कार्यालय से प्राप्त होने पर प्रस्तुत की जाएगी क्योंकि निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी) मुख्य अभियंता, केंद्रीय प्रायोजित योजना (सी एस एस) भोपाल, द्वारा आमंत्रित की गई थी और मूल अभिलेख मुख्य अभियंता द्वारा संधारित किए गए थे।

उत्तर 100-120 टीपीएच हॉट मिक्स प्लांट के स्थान पर 40-60 टीपीएच हॉट मिक्स प्लांट के प्रयोग और कार्य में वास्तविक रूप से प्रयोग किए गए 40-60 टीपीएच हॉट मिक्स प्लांट पर लागू दरों पर ठेकेदार को भुगतान सीमित न किए जाने की व्याख्या नहीं करता है। इसके अतिरिक्त, निविदाकृत मात्राओं के बिल जो निविदा अभिलेखों के साथ संलग्न शासन द्वारा अनुमोदित और मुख्य अभियंता, सीएसएस एवं ठेकेदार द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित थे, में भी बीएम और एसडीबीसी कार्य को 100-120 टीपीएच हॉट मिक्स प्लांट द्वारा प्रावधानित किया था।

प्रकरण शासन को संदर्भित कर दिया गया था (मई 2015); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2015)।

### 3.3 सतत् एवं व्यापक अनियमितताएं

एक अनियमितता तब सतत समझी जाती है जब यह वर्ष दर वर्ष प्रकट होती है, यह व्यापक हो जाती है जब यह संपूर्ण प्रणाली में प्रचलित हो जाती है। पूर्व की लेखापरीक्षाओं में ध्यान में लाए जाते रहने के बावजूद इन अनियमितताओं की पुनरावृत्ति न केवल कार्यपालक के गंभीर न होने की सूचक है अपितु प्रभावी निगरानी के अभाव का सूचक भी है। क्रमागत रूप से यह नियमों/ विनियमों के अनुपालन से जानबूझकर विचलन किए जाने को बढ़ावा देता है एवं प्रशासनिक संरचना की कमजोरी में परिणित होता है। लेखापरीक्षा में प्रतिवेदित किए गए सतत अनियमितताओं के रूचि के प्रकरणों की चर्चा नीचे की गई है:

#### जल संसाधन विभाग

##### 3.3.1 ठेकेदार को मूल्य वृद्धि का अस्वीकार्य भुगतान

कार्यपालन यंत्री, लो. नि. वि. (भवन/पथ) संभाग डिंडौरी ने मूल्यवृद्धि के लिए अस्वीकार्य अवधि को लेने और मानक निविदा अभिलेखों में विनिर्दिष्ट सूत्र के स्थान पर मूल्यवृद्धि की गणना के लिए त्रुटिपूर्ण प्रक्रिया अपना कर ठेकेदार को मूल्यवृद्धि की राशि ₹ 3.63 करोड़ का अधिक भुगतान किया।

विभाग ने 'शाहपुर-बटोंधा-विक्रमपुर सड़क (49.60 कि.मी.) पर पुलों और पुलियों का निर्माण' का कार्य एक ठेकेदार को ₹ 9.07 करोड़ की लागत पर दे दिया (नवम्बर 2006) जो ₹ 9.41 करोड़ की प्राक्कलित लागत से 3.63 प्रतिशत कम थी। कार्य को 17 महीने अर्थात् अप्रैल 2008 तक पूरा किया जाना था। विभाग ने कार्य की धीमी प्रगति के कारण ठेका निरस्त (अगस्त 2012) कर दिया। ठेकेदार को 50वें चलित देयक तक किए गए कार्य के मूल्य के आधार पर मूल्यवृद्धि की ₹ 3.76 करोड़ की राशि को शामिल करते हुए ₹ 14.12 करोड़ (जून 2012) का भुगतान कर दिया गया।

लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी शुद्धिपत्र (अक्टूबर 2005) जो निविदाकृत प्रपत्र का भाग था, के अनुसार यदि निविदा आमंत्रण सूचना में वर्णित अनुसार निर्माण अवधि 18 महीने से अधिक नहीं है, तो मूल्यवृद्धि के लिए कोई दावा स्वीकार्य नहीं किया जाएगा। शुद्धिपत्र में आगे स्पष्ट किया गया है कि यदि अनुबंध में पूर्णता अवधि 18 माह या कम है और मान्य समयवृद्धि के आधार पर कार्यशील अवधि 18 माह से अधिक होती है तो आरंभिक 18 महीनों की अवधि हेतु किसी मूल्यवृद्धि का भुगतान नहीं किया जाएगा। इस प्रकार प्रतिशत दर निविदा के मानक बोली दस्तावेज में दिए गए सूत्र<sup>24</sup> के अनुसार 18 महीने से अधिक अवधि के लिए मूल्यवृद्धि भुगतान योग्य थी यदि समय वृद्धि बिना किसी दण्ड के प्रदान की गई हो। चूंकि उक्त कार्य में निर्माण अवधि 17 महीने थी, उक्त कार्य हेतु मानक बोली दस्तावेज के नियम व शर्तों से मूल्यवृद्धि क्लॉज 11-सी को हटाया गया था।

हमने कार्यापालन यंत्री (ईई), पीडब्ल्यूडी (बीएण्डआर) डिंडोरी संभाग के अभिलेखों की जाँच में देखा (फरवरी 2014) कि ठेकेदार 17 महीने की निर्धारित पूर्णता अवधि के अंदर कार्य पूरा नहीं कर सका। मुख्य अभियंता (सीई) ने निधि की कमी के आधार पर जून 2010 तक 26 महीने की समयवृद्धि प्रदान कर दी। क्योंकि ठेकेदार बढ़ाई गई अवधि में भी कार्य पूरा नहीं कर सका, मुख्य अभियंता ने अनुबंध की दायिदगी क्लॉज के अंतर्गत मार्च 2012 तक 21 महीने की समयवृद्धि पुनः प्रदान कर दी (सितम्बर 2011)। हालांकि ठेकेदार कार्य पूरा करने में असफल रहा और विभाग ने ठेका निरस्त (अगस्त 2012) कर दिया। क्योंकि मूल्यवृद्धि, विभाग के कारण कार्य में हुई देरी पर प्रदान की गई मान्य समय वृद्धि पर भुगतान योग्य थी, ठेकेदार मई 2008 (पूर्णता का अनुबंधित दिनांक) से जून 2010 (बिना दण्ड के समयवृद्धि) के दौरान किए गए कार्य पर मूल्यवृद्धि हेतु पात्र था। संभाग ने हालांकि नवम्बर 2006 से अगस्त 2012 तक की पूर्ण कार्य निष्पादन अवधि में निष्पादित किए गए विभिन्न कार्य मदों हेतु मूल्यवृद्धि की दरें लेकर (बिना इसकी व्याख्या करते हुए कि इनको कैसे लिया गया), ₹ 3.76 करोड़ की मूल्यवृद्धि की गणना व भुगतान कर दिया। मानक बोली दस्तावेजों में दिए गए सूत्र के आधार पर अप्रैल 2008 से जून 2010 की पात्र अवधि हेतु मूल्यवृद्धि ₹ 13.09 लाख निकाली गई। इस प्रकार संभाग ने ठेकेदार को मूल्यवृद्धि के आधार पर ₹ 3.63 करोड़ (परिशिष्ट 3.5) की अधिक राशि का भुगतान कर दिया।

इंगित किए जाने पर कार्यापालन यंत्री, पीडब्ल्यूडी (बीएण्डआर) संभाग, डिंडोरी ने बताया (अगस्त 2015) कि डिंडोरी कलेक्टर को ठेकेदार से राजस्व वसूली करने का अनुरोध (जून 2015) किया गया था और डिंडोरी कलेक्टर बदले में ₹ 3.63 करोड़ की वसूली हेतु आरआरसी जारी करने हेतु कलेक्टर, रीवा से अनुरोध किया (जुलाई 2015)। उन्होंने आगे बताया कि ठेकेदार की जमा राशियों से ₹ 1.43 करोड़ का डिमांड डाफ्ट प्राप्त किया जा चुका है।

उत्तर हालांकि ठेकेदार को अस्वीकार्य भुगतान के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर की गई कार्रवाई के संबंध में नहीं बताता है, इसके अतिरिक्त ₹ 2.19 करोड़ की शेष राशि की वसूली अभी भी अपेक्षित थी (अगस्त 2015)।

<sup>24</sup> श्रम भाग हेतु मूल्यवृद्धि = (0.75 \* 0.60 \* तिमाही के दौरान कार्य मूल्य \* श्रम हेतु आधार सूचकांक - श्रम हेतु तिमाही का औसत सूचकांक) / श्रम हेतु आधार सूचकांक।  
पीओएल हेतु मूल्यवृद्धि = (0.75 \* 0.40 \* तिमाही के दौरान कार्य मूल्य \* (पीओएल हेतु आधार सूचकांक - पीओएल हेतु तिमाही का औसत सूचकांक) / पीओएल हेतु आधार सूचकांक।

प्रकरण शासन को संदर्भित कर दिया गया था (फरवरी 2015); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2015)।

### पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

#### 3.3.2 ठेकेदारों पर निर्णीत हर्जाने का कम आरोपण

**कार्य को पूर्ण करने में देरी के कारण ₹ 1.57 करोड़ की राशि के निर्णीत हर्जाने का ठेकेदार पर कम आरोपण किया गया।**

विभाग ने फरवरी 2009 से मार्च 2010 के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) के पांच पैकेजों के अंतर्गत सड़कों के निर्माण का कार्य वर्षाकाल सहित 11 से 12 माह की अवधि में पूरा करने हेतु विभिन्न ठेकेदारों को प्रदाय कर दिया। ये कार्य निर्धारित पूर्णता अवधि से 195 दिनों से 809 दिनों के विलंब के बाद पूरे किये गये।

अनुबंध की धारा 44.1 प्रावधानित करती है कि जब कार्य की पूर्णता दिनांक, निर्धारित पूर्णता दिनांक से बाद की हो तो ठेकेदार नियोक्ता को 1 प्रतिशत प्रति सप्ताह निर्णीत हर्जाने का भुगतान करेगा जो प्रारंभिक संविदा मूल्य का अधिकतम 10 प्रतिशत होगा। अनुबंध की सामान्य शर्तों की धारा 27 और 44 प्रावधानित करती है कि हर्जाने की वसूली और कार्य के पूर्ण होने पर हर्जाने की मात्रा पर निर्णय करने का अधिकार सुरक्षित रखते हुए विभाग क्षतिपूर्ति घटनाओं<sup>25</sup> और ठेकेदार के स्तर पर विलंब को ध्यान में रखते हुए ठेकेदार के अनुरोध पर अंतरिम समय विस्तार प्रदान कर सकता है।

धारा 27.1 प्रावधानित करती है कि यदि कोई क्षतिपूर्ति घटना घटती है या कोई कार्य में भिन्नता जारी की जाती है जो कार्य की पूर्णता को निर्धारित दिनांक तक असंभव बनाता है, तो अभियंता निर्धारित दिनांक को बढ़ाएगा। अनुबंध की धारा 4.4.2 यह प्रावधानित करती है कि यदि अनुबंध में अंतर्निहित अनुसार विभागीय सहायता में देरी होती है तो इसे निर्णीत हर्जाने के अधिरोपण में विचार में लिया जायेगा।

परियोजना क्रियान्वयन इकाई (पी.आई.यू.) शिवपुरी, मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण (एमपीआरआरडीए) के अभिलेखों की जाँच (अगस्त 2013) में हमने देखा कि कार्य निर्धारित समयावधि से 195 से 809 तक विलंब से पूरे किए गए थे (परिशिष्ट 3.6)। इन सड़क कार्यों की पूर्णता पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) ने प्राधिकरण और ठेकेदार द्वारा की गयी देरी के कारणों को बिना बताये आरंभिक संविदा मूल्य या वास्तविक लागत, जो भी कम हो, पर ठेकेदारों पर एक से दो प्रतिशत (एक से दो सप्ताह के विलंबों के बराबर) के हर्जाने निर्धारित एवं अधिरोपित (फरवरी 2010 से जुलाई 2013) किये। महाप्रबंधक, पीआईयू, शिवपुरी के पत्रों, जिनमें समय विस्तार और हर्जाने के प्रकरणों को सी.ई.ओ. को अग्रेषित किया गया था, से विलंबों के कारणों के विश्लेषण पर हमने पाया कि प्राधिकरण की भूमिका और अन्य कारण जिनके लिए ठेकेदार जिम्मेदार नहीं थे, को छोड़कर ठेकेदार की भूमिका के कारण 102 से 706 दिनों के विलंब थे (परिशिष्ट 3.7)। क्योंकि ठेकेदार की भूमिका के कारण विलंब 10 सप्ताहों से बहुत अधिक थे, ठेकेदार 10 प्रतिशत की अधिकतम हर्जाने हेतु

<sup>25</sup> ये घटनाएं हैं : अभियंता द्वारा निष्पादन का 30 दिनों से अधिक का विलंब का आदेश या नियोक्ता के किसी जोखिम (युद्ध, विद्रोह, दंगे, किसी रासायनिक ईंधन/कचरे का संदूषण या कार्यों के रूपांकन के कारण आदि) के ठेकेदार पर प्रभाव।



जिम्मेदार थे। परन्तु सीईओ ने ठेकेदार पर केवल एक से दो प्रतिशत के हर्जाने अधिरोपित किये। हमने आगे देखा कि कारणों और विलंबो के विस्तार के विश्लेषण हेतु ठेकेदार या प्राधिकरण की भूमिका के लिए कोई स्पष्ट आदेश जारी नहीं किए गए। परिणामस्वरूप ठेकेदारों से ₹ 1.57 करोड़ के हर्जाने की कम वसूली हुई (परिशिष्ट 3.7)।

शासन ने अपने उत्तर में बताया (अगस्त 2015) कि विभाग, वन अनापत्ति के अभाव में ठेकेदारों को निर्धारित समय सीमा में भूमि का कब्जा नहीं दे सका, वन अनापत्ति कई शर्तों के साथ थी और किसानों/भू-स्वामियों ने वास्तविक निर्माण शुरू होने पर समस्याएं पैदा की। आगे बताया गया कि सीईओ द्वारा हर्जाने की मात्रा का निर्णय निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए और कार्यक्षेत्र की परिस्थितियों जैसे अतिक्रमण, स्थानीय बाधाओं और बिजली की लाईनों के प्रतिस्थापन आदि को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। यह भी बताया गया कि ठेकेदार को अनुवर्ती हानियों का विचार न करते हुए लेखापरीक्षा ने उन दिनों की संख्या की भी गणना कर ली जिनमें कार्य वन अनापत्ति के अभाव में विलंबित हुए।

उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि विलंब, प्राधिकरण की भूमिका और अन्य कारण जिनके लिए ठेकेदार जिम्मेदार नहीं है को छोड़कर है, जो 107 से 706 दिनों तक है जो 10 सप्ताहों की अवधि से बहुत अधिक है, और इस प्रकार ठेकेदारों को 10 प्रतिशत की न्यूनतम हर्जाने हेतु जिम्मेदार बनाते है। अनुबंध के नियम व शर्तों में ठेकेदार को अनुवर्ती हानियों के आधार पर भुगतान का प्रावधान नहीं है। अनुबंध की धारा 27.1, सहपठित 44.2 की शर्तों के अनुसार विभागीय सहभागिता की देरी (यहां वन अनापत्ति में देरी) केवल पूर्णता अवधि को बढ़ायेगी न कि, हर्जाने में कमी की।

#### नर्मदा घाटी विकास विभाग

### 3.3.3 गलत मूल्य सूचकांको को अपनाने के परिणामस्वरूप अधिक भुगतान

दो नहर कार्यों में मूल्यवृद्धि की गणना करने में गलत आधार मूल्य सूचकांक अपनाने के परिणामस्वरूप एक ठेकेदार को ₹ 99.69 लाख का अधिक भुगतान हुआ, जिसमें से ₹ 52.47 लाख लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर वसूल लिए गए।

विभाग ने बरगी डायवर्जन परियोजना का सतना-रीवा मुख्य नहर (बरगी दायीं तट नहर) आर.डी.<sup>26</sup> कि.मी. 154.050 से आर.डी. कि.मी. 196.650 तक और बरगी डायवर्जन परियोजना की पूर्ण वितरण प्रणाली सहित, नागोद (सतना) शाखा नहर आर.डी. कि.मी. 0.00 से आर.डी. कि.मी. 33.175 तक, के दो कार्य एक ठेकेदार को टर्नकी आधार पर क्रमशः ₹ 144.90 करोड़ (एकीकृत दर अनुसूची (यूएसआर) 2007 से 21.79 प्रतिशत कम) और ₹ 183.95 करोड़ (यूएसआर 2007 से 7.20 प्रतिशत कम) की लागत पर एक ठेकेदार को सौंपा (फरवरी 2009)। ठेकेदारों को वर्षा काल सहित क्रमशः 30 महीने एवं 40 महीने में कार्यों को पूरा करने के कार्यादेश जारी (फरवरी 2009) किए गए। कार्य प्रगति पर थे और ठेकेदार को सतना रीवा मुख्य नहर कार्य में ₹ 37.51 करोड़ की मूल्यवृद्धि को शामिल करते हुए 78वें चलित देयक द्वारा ₹ 199.10 करोड़ और नागोद शाखा नहर कार्य में ₹ 46.63 करोड़ की मूल्यवृद्धि को शामिल करते हुए 86वें चलित देयक द्वारा ₹ 248.42 करोड़ का भुगतान किया गया था (जुलाई 2015)।

<sup>26</sup> चलित दूरी

अनुबंध की शर्तों के अनुसार, सामग्रियों की लागत में वृद्धि या कमी (पीओएल<sup>27</sup>, स्टील और सीमेंट को छोड़कर) कार्यालय आर्थिक सलाहकार, उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित भारत में औसत थोक मूल्य सूचकांक (समस्त वस्तुएँ) के आधार पर त्रैमासिक आधार पर गणित की जाएगी।

कार्यपालन यंत्री (ईई), एनडी संभाग क्र. 07, सतना (नागोद शाखा नहर) और कार्यपालन यंत्री, एनडी संभाग क्र. 09, मैहर (सतना-रीवा मुख्य नहर) के अभिलेखों की जाँच (दिसम्बर 2014) में हमने देखा कि विभाग ने सामग्रियों की मूल्यवृद्धि की गणना के दौरान कार्यालय वित्तीय सलाहकार, उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित मूल्य सूचकांक के बजाए आरबीआई बुलेटिन में प्रकाशित मूल्य सूचकांक का प्रयोग किया। विभाग ने केवल आरबीआई बुलेटिन के आधार पर सामग्री (पीओएल, स्टील और सीमेंट को छोड़कर) की मूल्यवृद्धि के लिये ठेकेदार को ₹ 15.40 करोड़<sup>28</sup> की राशि का भुगतान कर दिया यद्यपि कार्यालय आर्थिक सलाहकार, उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित औसत थोक मूल्य सूचकांक (समस्त वस्तुएँ) के आधार पर मूल्यवृद्धि की राशि ₹ 14.38 करोड़<sup>29</sup> निकाली गई (परिशिष्ट 3.8 और 3.9)। इस प्रकार गलत मूल्य सूचकांक के प्रयोग के कारण, ठेकेदार को ₹ 99.69 लाख<sup>30</sup> की अधिक राशि का भुगतान किया गया। इससे संविदा शर्तों एवं निबंधनों के संदर्भ में देयकों की जाँच की प्रणाली में कमी भी इंगित हुई।

मुख्य अभियंता ने नागोद शाखा नहर के संदर्भ में अपने उत्तर (अगस्त 2015) में बताया कि 82वें चलित देयक और 85वें चलित देयक द्वारा क्रमशः ₹ 25 लाख व ₹ 26.27 लाख वसूल कर लिए गए थे। सतना रीवा मुख्य नहर के संबंध में, उन्होंने आगे बताया कि चलित देयकों के माध्यम से ₹ 45.52 लाख अतिरिक्त सुरक्षा जमा के रूप में रखे गए हैं जिसे अगले चलित देयक के माध्यम से समायोजित किया जाएगा और 78वें चलित देयक की प्रति उपलब्ध कराई जिसके माध्यम से ₹ 31.77 लाख की वसूली की जा चुकी है।

तथ्य यह है कि कार्यपालन यंत्री, एनडी संभाग क्र. 07, सतना (नागोद शाखा नहर) ने 85वें चलित देयक के माध्यम से केवल ₹ 20.70 लाख की वसूली की जबकि ₹ 25 लाख भुगतान के अनुमोदन न होने के कारण रोके गए लेकिन 82वें चलित देयक में समायोजित/वसूली नहीं किए गए और शेष ₹ 5.49 लाख की वसूली हेतु संभाग द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। सतना-रीवा मुख्य नहर, एनडी संभाग क्र. 09, मैहर के संबंध में कुल राशि ₹ 47.93 लाख में से ₹ 31.77 लाख की वसूली की गई थी। इस प्रकार, ₹ 47.22 लाख अभी भी वसूल किए जाने थे। इसके अतिरिक्त, त्रुटिपूर्ण भुगतान हेतु गलती करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई थी।

प्रकरण शासन को संदर्भित किया गया था (जनवरी 2015); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2015)।

<sup>27</sup> पीओएल - पेट्रोल ऑयल व लुब्रिकेंट

<sup>28</sup> ₹ 6.36 करोड़ सतना रीवा मुख्य नहर और ₹ 9.04 करोड़ नागोद शाखा नहर हेतु

<sup>29</sup> ₹ 5.88 करोड़ सतना-रीवा मुख्य नहर हेतु और ₹ 8.50 करोड़ नागोद शाखा नहर हेतु

<sup>30</sup> कुल अधिक भुगतान = (₹ 47.93 लाख + ₹ 51.76 लाख = ₹ 99.69 लाख)

## जल संसाधन विभाग

### 3.3.4 लापरवाही के कारण उद्वहन सिंचाई योजनाओं पर अपव्यय

लापरवाही के कारण दो उद्वहन सिंचाई योजना के कमान क्षेत्र के अतिव्यापन (ओवर लैपिंग) के कारण ₹ 60.26 लाख का व्यय हुआ, जिससे बचा जा सकता था।

मुख्य अभियंता (सीई), गंगा बेसिन, रीवा ने रीवा जिले की जावा व त्योंथर तहसीलों में त्योंथर फ्लो परियोजना के अंतर्गत 37,050 हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता का विकास करने हेतु तमस मुख्य नहर आर.डी.<sup>31</sup> किमी 9.60 से आर.डी. किमी 69.50 तक, महना वितरिका आर.डी. किमी 0 से आर.डी. किमी 47 तक और चिल्ला शाखा नहर आर.डी. किमी 0 से आर.डी. किमी 23 तक के निर्माण कार्य हेतु ₹ 228.89 करोड़ की लागत पर तकनीकी स्वीकृति (जून 2013) प्रदान की। कार्य एक ठेकेदार को वर्षाकाल सहित 36 महीने अर्थात् अक्टूबर 2016 तक पूरा करने के लिए टर्नकी आधार पर ₹ 225.79 करोड़ की लागत (यूएसआर<sup>32</sup> 2009 से 1.354 प्रतिशत कम) पर प्रदाय (अक्टूबर 2013) किया गया। कार्य मार्च 2015 तक प्रगति पर था और ठेकेदार को फरवरी 2015 तक किए गए कार्य के मूल्य के विरुद्ध ₹ 31.27 करोड़ का भुगतान (फरवरी 2015) किया गया।

हमने देखा (अक्टूबर 2014 और मार्च 2015) कि मुख्य अभियंता, गंगा बेसिन, रीवा ने जिले की जावा तहसील में सिंचाई हेतु निर्मित वर्तमान पांच उद्वहन सिंचाई योजनाओं<sup>33</sup> के रीस्ट्रिक्चरिंग एवं मजबूतीकरण के कार्य की तकनीकी स्वीकृतियां (जून 2013) ₹ 1.88 करोड़ की लागत पर प्रदान कर दी। तत्पश्चात्, मध्य प्रदेश शासन ने इस हेतु ₹ 1.88 करोड़ की प्राक्कलित लागत पर 16,653 हे. की. सिंचाई हेतु प्रशासनिक अनुमोदन (एए) प्रदान (सितम्बर 2013) किया। कार्यों को वर्षाकाल सहित 12 महीने अर्थात् सितम्बर 2014 तक पूरा करने के लिए ₹ 1.32 की लागत पर (यूएसआर 2009 से 23.10 प्रतिशत कम पर) एक ठेकेदार को दिया गया। ठेकेदार कार्य का 35 प्रतिशत पूरा कर सका और मई 2014 तक पूरा किए गए कार्य के मूल्य के विरुद्ध ₹ 60.26 लाख का भुगतान (जून 2014) कर दिया गया। सीई, गंगा बेसिन, रीवा संभाग ने कार्यपालन यंत्री (ईई), रीवा संभाग को उद्वहन योजनाओं के कार्यों के निष्पादन को रोकने हेतु निर्देशित (मई 2014) किया क्योंकि इन उद्वहन सिंचाई योजनाओं का कमान क्षेत्र त्योंथर फ्लो योजना के अंतर्गत आच्छादित पाया गया। इसके अनुसार उद्वहन सिंचाई योजनाओं (एलआईएस) का कार्य मई 2014 में रोक दिया गया।

क्योंकि मुख्य अभियंता गंगा बेसिन, रीवा वर्तमान उद्वहन योजनाओं के रीस्ट्रिक्चरिंग और मजबूतीकरण कार्य प्रदाय (सितम्बर 2013) के पहले त्योंथर फ्लो योजना को तकनीकी स्वीकृति (टीएस) प्रदान कर चुके थे (जून 2013) और इन पाँच उद्वहन सिंचाई योजनाओं के 16,653 हे. कमान क्षेत्र, त्योंथर फ्लो योजना के प्रक्षेपित 37,050 हे. कमान क्षेत्र द्वारा पूर्णतया आच्छादित था, उद्वहन योजनाओं पर ₹ 60.26 लाख के पूरे व्यय से बचा जा सकता था क्योंकि उद्वहन योजनाओं के कार्य को निष्पादन हेतु लेने

<sup>31</sup> चलित दूरी

<sup>32</sup> यूएसआर- एकीकृत दर अनुसूची

<sup>33</sup> रीवा की जावा तहसील में तमस नदी पर बरौली, चंडी, जावा, मोहरा और पतेहरा।

की आवश्यकता नहीं थी। यह योजनाओं को निष्पादन हेतु लेने के पहले योजनाओं के अतिव्यापन कमानक्षेत्र को चिन्हित करने की नियंत्रण क्रियाविधि के अभाव और जल संसाधन विभाग के सीई के प्रशासनिक नियंत्रण के अंदर विभिन्न संभागों के मध्य समन्वय के अभाव का भी संकेत था। इस प्रकार अनुमोदनकर्ता प्राधिकारी के स्तर पर लापरवाही के कारण ₹ 60.26 लाख का निष्प्रभावी व्यय किया गया।

शासन ने अपने उत्तर (अक्टूबर 2015) में बताया कि पांच उद्बहन सिंचाई योजनाओं की मरम्मत हेतु 2013 में प्रशासनिक अनुमोदन (एए) प्रदान किया गया ताकि कृषक बहुत वर्षों तक इस आधार पर उद्बहन सिंचाई योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे कि उस क्षेत्र में नई योजनाएं प्रस्तावित हैं। शासन ने आगे बताया कि मुख्य अभियंता ने लंबे समय के लाभों जिन्हें त्योंथर फ्लो योजना में लिया जा सकता था, से बचाव के लिये कार्य को निश्चित सीमा तक सीमित कर दिया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि दोनो कार्य एक ही सीई, गंगा बेसिन रीवा के अधीन थे और त्योंथर फ्लो योजना के अधीन कार्य की तकनीकी स्वीकृति पांच उद्बहन सिंचाई योजनाओं के रीस्ट्रकचरिंग और मजबूतीकरण कार्य की तकनीकी स्वीकृति से पहले दी गई थी। इसलिए पांच उद्बहन सिंचाई योजनाओं के त्योंथर फ्लो योजना के अंतर्गत तमस मुख्य नहर के साथ समान कमान क्षेत्र के तथ्य को पांच उद्बहन सिंचाई योजनाओं को तकनीकी स्वीकृति देते समय ध्यान में आ जाना चाहिए था। यदि इसको तकनीकी स्वीकृति देते समय देख लिया जाता तो पांच उद्बहन सिंचाई योजनाओं के कार्य का प्रदाय न होता और ₹ 60.26 लाख के व्यय को टाला जा सकता था। उद्बहन सिंचाई योजनाओं के कार्य को बीच में रोकना स्वयं संकेत करता है कि उद्बहन सिंचाई योजनाओं के रीस्ट्रकचरिंग व मजबूतीकरण के कार्य की शुरु से ही आवश्यकता नहीं थी और कार्य के आंशिक निष्पादन पर व्यय से बचा जा सकता था क्योंकि त्योंथर फ्लो परियोजना के कार्य का अनुमोदन उद्बहन सिंचाई योजनाओं के कार्य के अनुमोदन एवं शुरू करने से पहले दिया गया था।

### 3.4 असावधानी के कारण विफलता

शासन का, स्वास्थ्य, शिक्षा, अधोसंरचना का विकास एवं उन्नयन एवं लोक सेवा के क्षेत्र में निश्चित ध्येयों की पूर्ति के माध्यम से जनता के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने का दायित्व है। तथापि लेखापरीक्षा संवीक्षा में ऐसे दृष्टांत प्रकट हुए जहाँ पर समाज के हित के लिए सार्वजनिक परिसम्पत्तियों को सृजित करने के लिए शासन द्वारा विमुक्त की गई निधियां अप्रयुक्त/अवरूद्ध रही और/अथवा विभिन्न स्तरों पर अनिर्णयात्मकता, प्रशासनिक असावधानी तथा ठोस कार्यवाही के अभाव के कारण निष्फल/अनुत्पादक सिद्ध हुई। कुछ ऐसे प्रकरणों का उल्लेख नीचे किया गया है:

#### जल संसाधन विभाग

##### 3.4.1 ठेकेदार को अदेय लाभ

अनुबंध में किराये पर ली गई मशीन का न्यूनतम उत्पादन विनिर्दिष्ट न करने के कारण विभाग ने 4,033.77 अतिरिक्त मशीन घंटे हेतु भुगतान किया, परिणामस्वरूप ठेकेदार को ₹ 1.18 करोड़ का अदेय लाभ हुआ।

विभाग ने बाणसागर परियोजना के पूरवा नहर के शेष कार्य को पूर्ण करने के लिए हाईड्रॉलिक एक्सकेवेटर को किराए पर लेने का कार्य 21,600 की प्राक्कलित मात्रा के

लिए ₹ 2,924.76 प्रति घंटा की उद्युत दर पर एक ठेकेदार को दिया (मई 2011)। ठेकेदार को ₹ 8.48 करोड़ के कुल मूल्य के किए गए कार्य हेतु 65वें चलित देयक का भुगतान (अप्रैल 2012) किया गया था।

कार्यादेश (मई 2011) में दर्शाई गई शर्तों तथा अनुबंध की शर्त 10 के अनुसार ठेकेदार को प्रत्येक महीने के अंत में अनुबंधित दरों पर वास्तविक चलित घंटों के अनुसार भुगतान किया जाना था। अनुबंध की अतिरिक्त विशेष शर्तों में शर्त 9 प्रावधानित करती है कि स्थल पर मशीनों की तैनाती के लिए परिवहन लागत जिसमें एक स्थल से दूसरे स्थल पर स्थानांतरण भी शामिल होगा, मशीन मालिक द्वारा वहन किया जाएगा और विभाग ऐसे खर्चों हेतु उत्तरदायी नहीं होगा।

लोक निर्माण विभाग (लोनिवि) द्वारा एम.ओ.आर.टी.एच.<sup>34</sup> द्वारा जारी स्टेण्डर्ड डाटा बुक के आधार पर जारी की गई एवं समय-समय पर संशोधित की गई दर अनुसूची (एस.ओ.आर.) में प्रति घनमीटर मिट्टी की खुदाई की दर निर्धारित करने के लिये हाइड्रॉलिक एक्सकेवेटर द्वारा प्रति घंटे खुदाई की मात्रा के मानदण्ड को माना गया है। इस प्रकार मिट्टी कार्य हेतु किसी मशीन को किराए पर लेने के लिए आवश्यक है कि नियंत्रण के उद्देश्य और मशीन के प्रभावी उपयोग हेतु संविदा में मशीन के न्यूनतम उत्पाद की शर्त को शामिल किया जाए।

कार्यपालन यंत्री (ईई), विद्युत यंत्रिक (ई/एम) हेवी अर्थ मूविंग संभाग, भोपाल के अभिलेखों की जाँच के दौरान हमने देखा (जुलाई 2014) कि उक्त कार्य के अनुबंध में प्रति मशीन घंटा मिट्टी कार्य के न्यूनतम मात्रा की कोई शर्त शामिल नहीं की गई। हमने आगे देखा (जुलाई 2014) कि ठेकेदार ने 21,170.31 मशीन घंटों का उपयोग करते हुए विभिन्न प्रकार के स्ट्रेटा में 5,98,791 घन.मी. मिट्टी कार्य का निष्पादन किया एवं ठेकेदार को ₹ 6.00 करोड़ का भुगतान किया गया (परिशिष्ट 3.10)। ठेकेदार को मिट्टी कार्य के निष्पादन के लिए प्रदत्त अन्य अनुबंधों में मशीन द्वारा किए गए प्रमाणिक मात्रा के आधार पर निष्पादित मात्रा 5,98,791 क्यू.मी. के लिए कुल आवश्यक मशीनी घंटे केवल 17,136.54 होने चाहिए थे (परिशिष्ट 3.11)। इस प्रकार किराये पर ली गई मशीन की न्यूनतम निष्पादन मात्रा को विनिर्दिष्ट न करने के कारण विभाग ने अतिरिक्त 4,033.77 मशीन घंटों हेतु भुगतान किया परिणामस्वरूप ठेकेदार को ₹ 1.18 करोड़ का अदेय लाभ और उस सीमा तक शासन को हानि हुई (परिशिष्ट 3.11)।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, शासन ने उत्तर दिया (जुलाई 2015) कि कार्यादेश में कहीं भी प्रति घंटा उत्पादन को नहीं दर्शाया गया था और ऐसी आपत्ति मान्य नहीं है। कार्यपालन यंत्री, पूरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना ने उत्तर दिया (जून 2015) कि कार्य के निष्पादन के लिए वास्तविक चलित घंटे केवल 17,136.54 थे और शेष 4,033.77 मशीन घंटों को मशीनों को एक कार्यस्थल से अन्य कार्यस्थल पर स्थानांतरित/परिवहन करने में किया गया। उन्होंने आगे बताया कि कुल 21,170.31 घंटों हेतु ठेकेदार को भुगतान परिवहन घंटों सहित किया गया था।

शासन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह अनुबंध में किराये पर ली गई मशीन की न्यूनतम निष्पादन मात्रा की शर्त को शामिल न किए जाने के कारण की व्याख्या नहीं करता है जिससे ठेकेदार को अदेय लाभ और शासन को हानि हुई। संभाग के कार्यपालन यंत्री का उत्तर पुष्ट करता है कि मशीन को एक कार्यस्थल से दूसरे

<sup>34</sup> सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

कार्यस्थल पर स्थानांतरित/परिवहन करने में प्रयोग हुए 4,033.77 घंटों हेतु भी भुगतान किया गया जबकि अनुबंध की अतिरिक्त विशेष शर्त (9) में प्रावधान था कि मशीन को एक कार्यस्थल से दूसरे कार्यस्थल तक परिवहन लागत ठेकेदार द्वारा वहन किया जाएगा और परिवहन हेतु अलग से भुगतान, नहीं किया जाएगा। आगे, अनुबंध में यह स्पष्ट रूप में दर्शाया गया था कि भुगतान मशीन के वास्तविक चलित घंटों के अनुसार किया जाएगा।


दीपक कपूर

भोपाल  
दिनांक 26 फरवरी 2016

(दीपक कपूर)  
महालेखाकार  
(आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा)  
मध्य प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली  
दिनांक 2 मार्च 2016



(शशि कान्त शर्मा)  
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

**परिशिष्ट 1.1 (ए)**  
**(संदर्भ: कंडिका 1.5, पृष्ठ 3)**  
**30 जून 2015 को बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों (नि.प्र.) का वर्षवार विश्लेषण दर्शाता पत्रक**

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	विभाग	2004-05 तक			2005-06			2006-07			2007-08			2008-09			2009-10		
		नि.प्र.	कंडिकाएं	राशि	नि.प्र.	कंडिकाएं	नि.प्र.	कंडिकाएं	राशि	नि.प्र.	कंडिकाएं	नि.प्र.	कंडिकाएं	राशि	नि.प्र.	कंडिकाएं	नि.प्र.	कंडिकाएं	राशि
1	लोक निर्माण	485	1646	733.66	76	390	165.74	75	319	658.38	77	391	1452.30	80	352	1778.67	71	437	1602.92
2	जल संसाधन	400	917	521.85	87	259	791.15	80	257	180.88	103	298	288.41	105	276	543.67	111	366	1506.25
3	नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण	109	234	272.79	21	50	127.40	18	42	33.15	29	69	135.40	29	59	233.46	25	63	42.42
4	पंचायत एवं ग्रामीण विकास (एम.पी.आर.आर.डी.ए.)	30	156	105.22	17	48	104.27	30	106	85.48	43	155	247.81	44	167	484.34	56	248	1065.17
5	वन	61	86	21.05	4	4	93.51	13	15	36.71	25	30	82.50	16	23	26.25	42	108	77.00
6	किसान कल्याण एवं कृषि विकास	141	229	50.47	27	53	32.94	34	106	44.82	70	166	40.72	35	90	65.30	81	237	66.89
7	सहकारिता	79	166	62.88	10	12	10.07	4	6	1.35	5	14	0.19	1	2	6.44	13	26	0
8	पशुपालन	97	186	20.97	12	27	21.98	14	55	0.22	17	47	18.54	21	53	14.73	50	137	0.01
9	मछली पालन	26	44	0.57	15	33	2.46	0	0	0	0	0	0	2	4	0.45	16	41	0.56
10	ग्रामद्योग	56	126	131.48	6	20	23.70	10	52	56.07	15	45	17.96	9	33	40.15	13	35	9.73
11	वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	17	84	122.79	2	2	4.16	16	37	148.25	1	2	3.37	1	2	4.21	1	2	6.73
12	ऊर्जा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	पर्यटन	1	1	1.71	0	0	0	1	1	1.97	0	0	0	0	0	0	1	1	1.82
14	विमानन	5	31	30.81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	3.37	1	4	2.98
15	उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण	36	85	74.88	23	126	74.92	2	6	11.53	9	21	21.42	2	5	12.03	28	50	37.10
<b>योग</b>		<b>1543</b>	<b>3991</b>	<b>2151.13</b>	<b>300</b>	<b>1024</b>	<b>1452.30</b>	<b>297</b>	<b>1002</b>	<b>1258.81</b>	<b>394</b>	<b>1238</b>	<b>2308.62</b>	<b>346</b>	<b>1070</b>	<b>3213.07</b>	<b>509</b>	<b>1755</b>	<b>4419.58</b>



**परिशिष्ट 1.1 (बी)**  
(संदर्भ: कंडिका 1.5, पृष्ठ 3)  
**30 जून 2015 को बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों (नि.प्र.) का वर्षवार विश्लेषण दर्शाता पत्रक**

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	विभाग	2010-11			2011-12			2012-13			2013-14			2014-15			योग		
		नि.प्र.	कंडिकाएं	राशि	नि.प्र.	कंडिकाएं	नि.प्र.	कंडिकाएं	राशि	नि.प्र.	कंडिकाएं	नि.प्र.	कंडिकाएं	राशि	नि.प्र.	कंडिकाएं	नि.प्र.	कंडिकाएं	राशि
1	लोक निर्माण	66	370	373.60	6	54	112.17	83	560	1309.77	69	482	1042.56	56	449	535.45	<b>1144</b>	<b>5450</b>	<b>9765.22</b>
2	जल संसाधन	94	291	1381.56	25	107	212.48	76	462	2029.17	81	370	1720.36	71	446	596.22	<b>1233</b>	<b>4049</b>	<b>9772.00</b>
3	नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण	30	73	166.26	29	171	585.61	15	70	334.60	40	117	928.13	46	163	1418.66	<b>391</b>	<b>1111</b>	<b>4277.88</b>
4	पंचायत एवं ग्रामीण विकास (एम.पी.आर.आर.डी.ए.)	31	160	184.07	3	22	502.03	15	115	123.32	27	171	1139.54	42	290	663.08	<b>338</b>	<b>1638</b>	<b>4704.33</b>
5	वन	153	899	227.52	87	600	61.89	100	684	691.13	75	432	179.63	77	665	471.78	<b>653</b>	<b>3546</b>	<b>1968.97</b>
6	किसान कल्याण एवं कृषि विकास	85	301	139.51	14	67	227.08	62	265	291.88	77	318	74.17	84	407	139.92	<b>710</b>	<b>2239</b>	<b>1173.7</b>
7	सहकारिता	0	0	0	0	0	0	5	18	0	33	214	372.14	16	64	1453.07	<b>166</b>	<b>522</b>	<b>1906.14</b>
8	पशुपालन	21	86	30.56	1	5	97.72	26	105	64.74	32	181	227.58	42	237	87.76	<b>333</b>	<b>1119</b>	<b>584.81</b>
9	मछली पालन	5	7	0.06	14	37	1.50	25	85	7.12	18	63	2.71	12	51	6.31	<b>133</b>	<b>365</b>	<b>21.74</b>
10	ग्रामोद्योग	9	33	45.40	10	40	60.32	5	15	20.36	19	61	16.05	16	70	120.84	<b>168</b>	<b>530</b>	<b>542.06</b>
11	वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	11	40	106.28	23	34	95.13	13	23	70.23	10	27	54.28	17	47	155.16	<b>112</b>	<b>300</b>	<b>770.59</b>
12	ऊर्जा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	24.72	0	0	0	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>24.72</b>
13	पर्यटन	1	5	5.92	0	0	0	0	0	0	2	10	14.21	1	4	5.17	<b>7</b>	<b>22</b>	<b>30.8</b>
14	विमानन	0	0	0	1	1	0.63	0	0	0	1	2	1.20	1	6	9.38	<b>10</b>	<b>48</b>	<b>48.37</b>
15	उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण	22	29	30.11	14	73	46.54	36	257	131.37	28	120	72.19	14	56	30.31	<b>214</b>	<b>828</b>	<b>542.4</b>
	<b>योग</b>		<b>2294</b>	<b>2690.85</b>	<b>227</b>	<b>1211</b>	<b>2003.10</b>	<b>461</b>	<b>2659</b>	<b>5073.69</b>	<b>513</b>	<b>2570</b>	<b>5869.47</b>	<b>495</b>	<b>2955</b>	<b>5693.11</b>	<b>5613</b>	<b>21769</b>	<b>36133.73</b>



## परिशिष्ट 2.1

(संदर्भ: कण्डिका 2.1.8.1, पृष्ठ 22)

दोषी ठेकेदार से अतिरिक्त लागत की वसूली न होना, दर्शाने वाला पत्रक

क्रमांक संख्या	संभाग का नाम/कार्य का नाम /अनुबंध क्रमांक	दोषी ठेकेदार से अतिरिक्त लागत के आकलन का विवरण
1	नर्मदा विकास सं.-28 पुनासा सनावद वितरणी का निर्माण 01/2003-04	निविदा प्रतिशत सहित कार्य का कुल मूल्य = ₹ 1993.75 लाख + ₹ 350.71 लाख (129.09 प्रतिशत अधिक पर ₹ 153.09 लाख, एक सहायक कार्य ) ठेकेदार द्वारा किया गया कार्य ₹ 1622.22 लाख। शेष कार्य = ₹ 722.24 लाख। शेष कार्य का मूल्य ₹ 722.24 लाख रुपये को ₹ 1648.63 लाख के सहमत्य मूल्य पर दूसरे ठेकेदार को दिया गया इसलिए कुल अतिरिक्त लागत = ₹ 926.39 लाख (₹1648.63 लाख - ₹ 722.24 लाख) वसूली की गई = ₹ 194.63 लाख। वसूले के लिए शेष राशि = ₹ 731.76 लाख ।
2	नर्मदा विकास सं. -21, सनावद आईएसपी मुख्य नहर आरडी कि. मी. 41.25 से आरडी किमी 58.865 में उत्खनन एवं मिट्टी कार्य 01/2003-04	कार्य का कुल मूल्य = ₹ 2392.79 लाख। ठेकेदार द्वारा किया गया कार्य ₹ 2182.29 लाख। शेष कार्य = ₹ 307.13 लाख। (दोषपूर्ण निष्पादन और पर छोड़े गए कार्य के आधार पर विभाग द्वारा आंकलित) सहमत्य मूल्य पर दिया गया शेष कार्य ₹ 1330.72 लाख । कुल अतिरिक्त लागत = ₹ 1023.59 लाख (₹ 1330.72 लाख- ₹ 307.13 लाख) वसूली की गई = ₹ 163.50 लाख। वसूली के लिए शेष राशि = ₹ 860.09 लाख।
योग		₹ 731.76 लाख + ₹ 860.09 लाख = ₹ 1591.85 लाख या ₹ 15.92 करोड़

परिशिष्ट 2.2

(संदर्भ: कण्डिका 2.1.8.2, पृष्ठ 23)

ठेकेदार को मूल्यवृद्धि पर अनियमित/अधिक भुगतान दर्शाने वाला पत्रक

(राशि ₹ में)

क्रमांक संख्या	अनुबंध संख्या	कार्य का नाम	कार्यादेश संख्या / दिनांक	निर्धारित अवधि / दिनांक	अंतिम बिल वाउचर सं और दिनांक	किए गए कार्य का कुल मूल्य	मूल्यवृद्धि निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान	निर्धारित /विस्तारित अवधि के बाद मूल्यवृद्धि भुगतान
1	13/11-12	आईएसपी मुख्य नहर में आरडी किमी 0 से आरडी किमी 4.36 में ग्राउटेड स्टोन पिचिंग का निर्माण (गुप-ए)	12/एसएसी/ 2011-12 दिनांक 03.01.2012	वर्षा ऋतु सहित 18 महीने अर्थात् 02/07/2013	65/28.6.2014	34351812	968016	1698922
2	14/11-12	आईएसपी मुख्य नहर में आरडी किमी 4.36 से आरडी किमी 10 में ग्राउटेड स्टोन पिचिंग का निर्माण (गुप-बी)	10/एसएसी/ 2011-12 दिनांक 03.01.2012	वर्षा ऋतु सहित 18 महीने अर्थात् 02/07/2013	64/28.6.2014	21521810	880671	691961
3	15/11-12	आईएसपी मुख्य नहर में आरडी किमी 17 से आरडी किमी 10 में ग्राउटेड स्टोन पिचिंग का निर्माण (गुप-सी)	8/एसएसी/ 2011-12 दिनांक 03.01.2012	वर्षा ऋतु सहित 18 महीने अर्थात् 02/07/2013	20वीं और अंतिम 63/28.6.2014	36501848	889012	1767978
<b>योग</b>								<b>41,58,861</b>

## परिशिष्ट 2.3

(संदर्भ: कण्डिका 2.1.8.2, पृष्ठ 23)

पीओएल घटक पर गलत दर अपनाने के कारण मूल्य वृद्धि का अधिक भुगतान दर्शाने वाला पत्रक

(राशि ₹ में)

क्रमांक संख्या	अवधि	किए गए कार्य का मूल्य	निविदा खोलने की दिनांक को आधार सूचकांक	औसत आधार सूचकांक	भुगतान योग्य मूल्यवृद्धि *	भुगतान की गई मूल्यवृद्धि (आधार सूचकांक 22.09 पर)	अंतर
	1	2	3	4	5	6	7 = (6 - 5)
1	01/04 से 03/04	12800386	24.37	25.15	46090.84	200133	154042.16
2	04/04 से 06/04	20446681	24.37	25.36	93444.77	340508	247063.23
3	07/04 से 09/04	7576786	24.37	27.42	106679.72	205669	98989.28
4	10/04 से 12/04	15383851	24.37	29.51	365027.16	585344	220316.84
5	01/05 से 03/05	34465108	24.37	30.44	965751.36	1455602	489850.64
6	04/05 से 06/05	37299304	24.37	30.69	1088215.23	1633638	545422.77
7	07/05 से 09/05	5175902	24.37	33.53	218866.11	354276	135409.89
8	10/05 से 12/05	2105758	24.37	35.6	109165.45	144883	35717.55
9	01/06 से 03/06	10113517	24.37	35.6	524298.91	695848	171549.09
10	04/06 से 06/06	19426751	24.37	36.19	1060021.43	1395006	334984.57
11	07/06 से 09/06	2838375	24.37	39.72	201129.21	228827	27697.79
12	10/06 से 12/06	13095640	24.37	37.52	794967.68	1029081	234113.32
13	01/07 से 03/07	14487916	24.37	35.99	777157.50	1039618	262460.50
14	04/07 से 06/07	13822363	24.37	34.86	669352.32	898938	229585.68
15	07/07 से 09/07	5378606	24.37	35.8	283800.37	375547	91746.63
16	10/07 से 12/07	5523583	24.37	34.83	266716.30	358383	91666.70
17	01/08 से 03/08	5111589	24.37	35.99	274194.70	361849	87654.30
18	04/08 से 06/08	2102482	24.37	37.1	123554.25	160720	37165.75
19	07/08 से 09/08	3109176	24.37	38.6	204243.01	261426	57182.99
20	10/08 से 12/08	5400724	24.37	38.01	340066.10	437877	97810.90
21	01/09 से 03/09	12720499	24.37	35.04	626564.18	839940	213375.82
22	04/09 से 06/09	9481105	24.37	34.24	431989.41	586667	154677.59
23	07/09 से 09/09	5127411	24.37	34.24	233621.21	317272	83650.79
24	10/09 से 12/09	4599689	24.37	36.43	256078.30	335919	79840.70
25	01/10 से 03/10	5111589	24.37	39.49	356783.46	385018	28234.54
26	04/10 से 06/10	9459654	24.37	39.31	652413.35	838265	185851.65
27	07/10 से 09/10	881542	24.37	41.62	70198.71	87680	17481.29
28	04/11 से 06/11	1261796	24.37	41.97	102517.69	127750	25232.31
29	07/11 से 09/11	51860	24.37	45.65	5094.49	5251	156.51
30	10/11 से 12/11	100246	24.37	45.65	9847.72	10149	301.28
31	04/12 से 06/12	219635	24.37	45.86	21788.88	22237	448.12
32	04/14 से 06/14	2962270	24.37	60.95	500224.93	586252	86027.07
33	07/14 से 09/14	3324053	24.37	60.95	561317.57	657851	96533.43
34	10/14 से 12/14	6001966	24.37	59.32	968361.92	1139646	171284.08
35	01/15 से 03/15	3594754	24.37	55.39	514763.76	609635	94871.24
<b>कुल</b>							<b>48, 88, 397.00</b>

\* मूल्यवृद्धि भुगतान हेतु सूत्र =  $0.75 * R * 0.15 * (P_1 - P_0 / P_0)$

R = संबंधित तिमाही के दौरान कार्य का मूल्य

P<sub>0</sub> = निविदा खोलने की दिनांक को पीओएल की दर

P<sub>1</sub> = संबंधित तिमाही के दौरान पीओएल की औसत दर

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन आर्थिक ( गैर - सा.क्षे.उ.) क्षेत्र

---

**परिशिष्ट 2.4**  
(संदर्भ: कण्डिका 2.1.8.3, पृष्ठ 23)  
अतिरिक्त सुरक्षा जमा की कम कटौती दर्शाने वाला पत्रक

(राशि ₹ में)

क्रमांक संख्या	संभाग का नाम	कार्य का नाम	अनुबंध क्र./ कार्य आदेश क्र./ दिनांक व पूरा होने की अवधि	अनुबंध की संभावित राशि (₹ करोड़ में)	अनुबंध राशि (₹ करोड़ में)	निविदा प्रतिशत	आवश्यक अतिरिक्त सुरक्षा जमा	कटौती की गई अतिरिक्त सुरक्षा जमा	कम कटौती की गई अतिरिक्त सुरक्षा जमा
1	न. वि. सं. 18 खरगोन	आई.एस.पी. II आरडी किमी 107.74 से आरडी किमी 114.073	2/06-07/ 15.1.07/ 14.1.09 (24 माह)	25.06	20.55	01.09.2003 से प्रभावशील एस.ओ.आर. से 18.00 प्रतिशत कम	15194169	9495140	5699029
2	न. वि. सं. 18 खरगोन	आई.एस.पी. II आरडी किमी 114.073 से आरडी किमी 125.00	4/05-06/ 15.12.06/ 14.06.09 (30 माह)	46.07	37.67	01.09.2003 से प्रभावशील एस.ओ.आर. से 18.24 प्रतिशत कम	18248649	10786645	7462004
3	न. वि. सं. 18 खरगोन	आई.एस.पी. II आरडी किमी 125.00 से आरडी किमी 130.935	1/06-07/ 28.2.08/ 27.02.09 (24 माह)	17.52	16.84	01.09.2003 से प्रभावशील एस.ओ.आर. से 3.86 प्रतिशत कम	6301288	1666742	4634546
<b>योग</b>							<b>3,97,44,106</b>	<b>2,19,48,527</b>	<b>1,77,95,579</b>

**परिशिष्ट 2.5**  
**(संदर्भ: कण्डिका 2.1.8.7, पृष्ठ 27)**  
**शास्ति न लगाने का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण पत्रक**

(₹ करोड़ में)

क्रमांक संख्या	संभाग का नाम	कार्य का नाम	अनुबंध क्र./ कार्य आदेश क्र./ पूर्णता अवधि की दिनांक	अनुबंध मूल्य	छःमाही प्रगति			आरोपण योग्य शास्ति	वसूल की गयी शास्ति	शास्ति में कमी	सरकार का उत्तर
					अवधि	प्रतिशत में कमी	कमी को पूरा करने में देरी				
1	न. वि. सं. 18 खरगोन	आई.एस.पी ॥ के.एल.सी.	01/10.11/ 28.03.11/ 27.03.14 (36 माह)	550.89	अक्टूबर 12 से मार्च 14	16.65 प्रतिशत से 79.21 प्रतिशत	6 सप्ताह से 36 सप्ताह	74.86 करोड़ परन्तु 55.09 करोड़ तक सीमित	0	55.08	अधिकतम 10 प्रतिशत शास्ति के लिए ठेकेदार को नोटिस जारी किया गया है। ठेकेदार ने प्रभारी अभियंता को अपील की जिसे प्रभारी अभियंता द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। वह मुख्य अभियंता आईएसपी नहर के पास गया।
2	न. वि. सं. 14 ठीकरी	आई.एस.पी ॥ आरडी किमी 155 से आरडी किमी 206	1/07.08/ 28.02.08/ 27.02.12 (48 माह)	478.48	मार्च 09 से अगस्त 13	55.35 प्रतिशत से 84.76 प्रतिशत	हर छह महीने की कमी के लिए कम से कम 180 दिन	91.33 करोड़ परन्तु 47.85 करोड़ तक सीमित	8.46	39.38	मुख्य अभियंता, आईएसपी नहर के आदेश के अनुसार ₹ 8.46 लाख वसूल किए गए। उसके बाद ठेकेदार ने न्यायालय में अपील की और आगे की वसूली को अगले आदेश तक रोक दिया गया है।
3	न. वि. सं. 11 बड़वानी	आई.एस.पी ॥ आरडी किमी 206 से आरडी किमी 243.89	02/09.10/ 22.06.09/ 21.06.13 (48 माह)	243.00	मार्च 12 से फरवरी 14	92.38 प्रतिशत से 96.45 प्रतिशत	180 दिनों से 360 दिन	36.69 करोड़ परन्तु 24.30 करोड़ तक सीमित	0	24.30	अधिकतम 10 प्रतिशत शास्ति के लिए ठेकेदार को नोटिस जारी किया गया है। ठेकेदार ने प्रभारी अभियंता को अपील की। प्रभारी अभियंता ने निर्माण कार्यक्रम संशोधित कर शास्ति को माफ कर दिया।
<b>योग</b>								<b>127.24</b>	<b>8.46</b>	<b>118.78</b>	



## परिशिष्ट 2.6

(संदर्भ: कण्डिका 2.1.8.8, पृष्ठ 28)

नहर की आरडी किमी 206 से आरडी किमी 243 के अनुबंध क्रमांक 02/2009-10 के संबंध में सीमेंट और स्टील की दर की गलत मापदंड के प्रावधानों के कारण मूल्यवृद्धि का अतिरिक्त भुगतान दर्शाने वाला पत्रक

(राशि ₹ में)

क्रमांक संख्या	अवधि	सीमेंट घटक			स्टील घटक			मूल्यवृद्धि का अधिक भुगतान (डी 1 + डी 2)
		देय मूल्यवृद्धि*	मूल्यवृद्धि का भुगतान	अंतर (डी 1)	देय मूल्यवृद्धि#	मूल्य वृद्धि का भुगतान	अंतर (डी 2)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	01/15 से 03/15	5812546.41	23257020	17444473.59	2445455.17	5185979	2740523.83	20184997
2	10/14 से 12/14	2589793.3	12038614	9448820.7	1170416.27	3181555	2011138.73	11459959
3	07/14 से 09/14	569995.206	2782109	2212113.79	286382.23	873376	586993.77	2799108
4	04/14 से 06/14	309273.595	1854300	1545026.40	178271.24	547779	369507.76	1914534
5	01/14 से 03/14	202219.449	1172331	970111.55	114749.82	328454	213704.19	1183816
6	10/13 से 12/13	225073.15	1315620	1090546.85	127216.66	360879	233662.34	1324209
7	07/13 से 09/13	85121.4949	416256	331134.51	39835.20	117379	77543.80	408678.31
8	04/13 से 06/13	218256.941	971711	753454.06	97319.06	280609	183289.94	936744
9	01/13 से 03/13	205163.122	926475	721311.88	93302.05	263819	170516.95	891828.83
10	10/12 से 12/12	442346.601	2145073	1702726.40	227569.97	613617	386047.03	2088773
11	07/12 से 09/12	1566343.81	6738991	5172647.19	788438.85	2322887	1534448.15	6707095
12	04/12 से 06/12	3419223.14	18078541	14659317.86	2209965.33	6357033	4147067.67	18806386
13	01/12 से 03/12	3519466.62	20085433	16565966.38	2171089.77	7348981	5177891.23	21743858
14	07/11 से 09/11	865888.234	6494957	5629068.77	543302.42	2439594	1896291.58	7525360
15	04/11 से 06/11	1396795.84	8855765	7458969.17	669470.85	3078264	2408793.15	9867762
16	01/11 से 03/11	149954.988	980321	830366.02	53483.47	381404	327920.53	1158287
17	10/10 से 12/10	325641.512	1227184	901542.49	-47201.57	491752	538953.57	1440496
18	07/10 से 09/10	376353.026	1153627	777273.97	-56557.23	403859	460416.23	1237690
19	04/10 से 06/10	386341.424	1714771	1328429.58	0	707349	707349	2035779
<b>योग</b>								<b>11,37,15,360.14</b>

\* मूल्यवृद्धि भुगतान हेतु सूत्र =  $0.75 * R * 0.18 * (C_1 - C_0) / C_0$

R = संबंधित तिमाही के दौरान कार्य का मूल्य

C<sub>0</sub> = निविदा खोलने की दिनांक को सीमेंट की दर

C<sub>1</sub> = संबंधित तिमाही के दौरान आरबीआई बुलेटिन में प्रकाशित सीमेंट की औसत दर तथा

# मूल्यवृद्धि भुगतान हेतु सूत्र =  $0.75 * R * 0.18 * (S_1 - S_0) / S_0$

R = संबंधित तिमाही के दौरान कार्य का मूल्य

S<sub>0</sub> = निविदा खोलने की दिनांक को स्टील की दर

C<sub>1</sub> = संबंधित तिमाही के दौरान स्टील अर्थाटी में, आरबीआई बुलेटिन में प्रकाशित स्टील की औसत दर तथा

**परिशिष्ट 2.7**

(संदर्भ: कण्डिका 2.1.8.8, पृष्ठ 29)

निर्धारित अवधि पूरा होने के बाद मूल्यवृद्धि का भुगतान दर्शाने वाला पत्रक

( ₹ करोड़ में)

क्रमांक संख्या	संभाग का नाम	कार्य का नाम	अनुबंध क्र./ कार्य आदेश क्र./ अवधि पूरा होने की दिनांक	अनुबंध मूल्य	ठेकेदार पर आरोपणीय विलंब के लिए स्वीकृत समय	वैध अवधि की स्थान पर अन्य अवधि के लिए मूल्यवृद्धि का भुगतान	टिप्पणी
1	न. वि. नहर सं. खरगोन	आई.एस.पी-II आरडी किमी 130.935 से आरडी किमी 155	07/07.08/ 27.3.08/ 26.3.11 (36 माह)	242.55	01/12 से 12/14	27.26	माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के कारण प्रथम समयवृद्धि एवं किसानों द्वारा बाधा, ड्राइंग और डिजाइन में परिवर्तन, नहर चलने, भू-अधिग्रहण में विलंब के कारणों के आधार पर दूसरे से पांचवीं बार 31 मार्च 2015 तक समयवृद्धि दी गई थी।
2	न. वि. सं. 14 ठीकरी	आई.एस.पी-II आरडी किमी 155 से आरडी किमी 206	1/07.08/ 28.2.08/ 27.02.12 (48 माह)	478.48	12/12 से 12/14	53.94	माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के कारण प्रथम समयवृद्धि एवं भू-अधिग्रहण में विलंब के कारण दूसरी समयवृद्धि दी गई थी।
<b>योग</b>						<b>81.20</b>	

**परिशिष्ट 2.8**

(संदर्भ: कण्डिका 2.1.8.12, पेज 32)

कार्य की लागत में कमी न करने से ठेकेदार को अदेय लाभ दर्शाने वाला पत्रक

मुख्य नहर की लंबाई	भरे जाने के लिए आवश्यक कुल लंबाई (मीटर)	यौगिक भरने की दर चल मीटर प्रति ₹)	गुणन सूत्र	कुल अदेय लाभ (₹)
(आरडी किमी 155 से आरडी किमी 206) 46 किमी (सुरंग के भाग छोड़कर)	92000+184000 = 276000	21	0.65	37,67,400
(आरडी किमी 206 से आरडी किमी 243.89) 37.89 किमी	233247.78	23	1.753	94,04,317
<b>योग</b>				<b>1,31,71,717 या 1.32 करोड़</b>

## परिशिष्ट 2.9

(संदर्भ: कण्डिका 2.1.8.13, पृष्ठ 32)


एक्वेडक्ट की ड्राइंग में संशोधन से ठेकेदार को अनुचित लाभ दर्शाने वाला पत्रक

क्रमांक संख्या	एक्वेडक्ट का नाम	आईएसपी नहरों की आरडी (किमी)	लम्बाई (मीटर)	स्लेब में एम 30 कांक्रीट की मात्रा (घन मीटर में)
1	मंदिर	207.185	66.750	$66.750 \times 5 \times 0.30 = 100.125$
2	सजवानी	228.025 से 228.550	525	$525 \times 3.10 \times 0.30 = 488.25$
3	पैरामाउन्ट	230.325 से 230.650	325	$325 \times 2.85 \times 0.30 = 277.875$
कांक्रीट की कुल मात्रा				866.250 घन मीटर
कुल प्रबलन (सरिये) की आवश्यकता				78.50 किलो/घन मीटर कांक्रीट = 68000.625 किलोग्राम
ठेकेदार के अनुमानों में एम-30 कांक्रीट 4267.86/घन मीटर की दर से 866.250 घन मीटर				₹ 3697034 (अ)
ठेकेदार के अनुमानों में 50/किलो प्रबलन का मूल्य 68000.625				₹ 3400031 (ब)
कुल (अ+ब)				₹ 7097065
गुणा का सूत्र लगाएं $1.374 \times 7,097,065$				₹ 97,51,367.31
तथा एक्वेडक्ट के संपूर्ण अगल बगल में 916.75 मीटर आवश्यक मुंडेर की रेलिंग का मूल्य				विवरण के अभाव में गणना नहीं की जा सकी।

परिशिष्ट 2.10

(संदर्भ: कण्डिका 2.2.2, पृष्ठ 38)

मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण का संगठनात्मक चार्ट



परिशिष्ट 2.11

(संदर्भ: कण्डिका 2.2.6, पृष्ठ 41)

चरण/समूह-वार ,निविदा प्रीमियम (नि.प्री.) और लागत आधिक्य/बचत के समायोजन की गणना दर्शाने वाला पत्रक

(₹ लाख में)

चरण/ बैच	राशि नि.प्री. से कम	राशि नि.प्री. से अधिक	राशि शुद्ध नि.प्री.	लागत की बचत	लागत आधिक्य	शुद्ध लागत	शुद्ध लागत आधिक्य	मध्य प्रदेश शासन से प्राप्ति योग्य नि.प्री.
ए	बी	सी	डी = सी-बी	ई	एफ	जी	एच=जी-आई	आई = जी-डी लेकिन अगर 7<4, तब 7
1	-197.80	1421.91	1224.11	-115.47	2599.70	2484.23	1260.13	1224.11
2	-134.91	4502.90	4367.98	-208.69	6774.27	6565.59	2197.60	4367.98
3	-3786.70	1613.06	-2173.64	-3928.12	2184.76	-1743.36	-1743.36	0.00
4	-3507.81	2411.40	-1096.41	-3695.96	3553.05	-142.91	-142.91	0.00
5	-1229.97	2219.28	989.31	-1131.35	3872.25	2740.89	1751.58	989.31
6	-623.06	12854.30	12231.24	-553.31	18135.81	17582.50	5351.26	12231.24
7	-1917.41	7128.59	5211.19	-1582.14	8188.21	6606.08	1394.89	5211.19
8	-132.10	11544.11	11412.00	-135.67	17358.22	17222.55	5810.55	11412.00
9	-4137.05	4690.15	553.10	-4514.52	14586.82	10072.29	9519.19	553.10
10	-2610.06	7050.39	4440.32	-2671.64	9740.67	7069.03	2628.70	4440.32
11	-176.08	3961.40	3785.32	-155.62	2860.15	2704.52	0.00	2704.52
12	-12.40	2951.13	2938.73	-12.72	1121.34	1108.62	0.00	1108.62
12-I	-186.62	1.39	-185.23	-160.61	2279.32	2118.71	2118.71	0.00
12-I	0.00	3603.62	3603.62	0.00	0.00	0.00	0.00	3603.62
12-II	0.00	3028.50	3028.50	0.00	1332.00	1332.00	0.00	1332.00
12-II	-132.98	111.34	-21.64	-23.84	105.27	81.43	103.08	0.00
12-III	-9.16	3378.72	3369.57	-0.24	1159.78	1159.54	-2210.02	0.00
13	-6.66	91.12	84.46	0.00	9.56	9.56	9.56	0.00
बी-1	-821.05	656.36	-164.70	-698.23	571.87	-126.36	-126.36	0.00
बी-2	-342.79	773.65	430.87	-411.48	883.05	471.57	40.70	430.87
बी-3	-797.04	1850.75	1053.71	-1097.15	2955.43	1858.28	804.57	1053.71
बी-4	-502.60	4260.46	3757.86	-515.88	7763.73	7247.85	3489.99	3757.03
बी-5	-4486.02	689.34	-3796.68	-5278.12	1297.42	-3980.69	-3980.69	0.00
बी-6	-24.41	3681.45	3657.03	-27.51	1741.18	1713.67	0.00	1713.67
बी-7	-23.11	1203.38	1180.27	0.00	188.94	188.94	0.00	188.94
बी-8	-28.76	110.21	81.45	-8.99	62.44	53.45	0.00	53.45
एलडब्ल्यू ई	-373.55	376.02	2.47	-323.95	512.30	188.35	185.88	2.47
<b>योग</b>	<b>-26,200.10</b>	<b>86,164.91</b>	<b>59,964.81</b>	<b>-27,251.21</b>	<b>1,11,837.55</b>	<b>84,586.34</b>		
धनात्मक राशि							<b>36,666.40</b>	<b>56,378.16</b>
बचत में से भारत सरकार को कुल देय (ऋणत्मक राशि)							<b>-8,203.34</b>	
राज्य सरकार से कुल प्राप्ति योग्य							<b>93,044.56</b>	
राज्य सरकार से पूर्व में प्राप्त राशि							<b>59,620.00</b>	
राज्य सरकार से प्राप्त होने की शेष राशि							<b>33,424.56</b>	

## परिशिष्ट 2.12

(संदर्भ: कण्डिका 2.2.7.3, पृष्ठ 44)

पंचायत या जनता की पहल पर संरेखण में परिवर्तन की मांग के प्रकरण दर्शाने वाला पत्रक

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	प्रकरण का विवरण	परिणाम
1	खरगोन जिले के पैकेज मध्य प्रदेश 2209 के तहत (चार सड़कों, पीएसी ₹ 561.20 लाख और अनुबंध राशि ₹ 511.25 लाख) ₹ 143.90 लाख के लिए अनुमोदित गंगटखेड़ी से बरडिया सड़क का कार्य मार्च 2004 में ₹ 113.50 लाख <sup>1</sup> में सौंपा गया था। इस सड़क को छोड़कर सभी तीन सड़कों दिसंबर 2006 में पूर्ण की गई थी। स्थानीय जनप्रतिनिधि और जनता ने बरडिया के बजाय बंजारी से सड़क आरंभ करने पर जोर दिया और कार्य बंद करा दिया। इस सड़क को मूल संरेखण में निर्माण के लिए ₹ 205.08 लाख की अनुमानित लागत से फिर से निविदा बुलाकर ₹ 231.54 लाख की अनुबंध राशि के लिए दिया गया (2010 मई)।	स्थानीय जनता की मांग के कारण कार्य के पूरा होने में 69 महीने से अधिक विलंब के साथ ₹ 118.04 लाख की लागत आधिक्य हुई।
2	सागर में एसएच 14 (निरताला) से तिहार सड़क के निर्माण के लिए डीपीआर (कोर नेटवर्क -एल 082), तैयार की गयी थी तथापि स्थानीय जनता, पंचायत और जन प्रतिनिधियों की माँग पर कि संरेखण बदलने पर खुरई से तिहार की दूरी विद्यमान संरेखण में 11 किलोमीटर के विरुद्ध लगभग 7 किलोमीटर होगी, एमपीआरआरडीए ने संरेखण के परिवर्तन की स्वीकृति दी (जून 2010)। लेकिन एनआरआरडीए का पूर्व अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया था और दिया गया कार्य एनआईटी का भाग नहीं था।	नए संरेखण की लंबाई में 1.80 किमी की वृद्धि हुई इसलिए ₹ 153.32 लाख की अनुमानित लागत के विरुद्ध वास्तविक व्यय ₹ 178.52 लाख था।
3	सागर जिले के पैकेज एमपी 33,502 के अंतर्गत " एमडीआर (रामपुर जमघाट) सड़क से परक्का " 2.80 किमी (डीपीआर) के लिए अनुमोदित थी जबकि कोर नेटवर्क के अनुसार इसकी लंबाई 2 किमी थी। लेकिन जनप्रतिनिधि (अप्रैल 2013) और पंचायत के अनुरोध पर, कि बहेरिया ग्राम पहले से ही पीएमजीएसवाई सड़क के माध्यम से गौरझामर के साथ जुड़ा हुआ है जहां अस्पताल, स्कूल, बाजार हैं इस प्रकार परक्का को बहेरिया से जोड़े जाने पर परक्का की आबादी भी इन सुविधाओं का उपयोग कर सकेगी। एमपीआरआरडीए द्वारा परक्का को बहेरिया से जोड़ने के लिए संरेखण में बदलाव को अनुमोदित किया (सितम्बर 2013)। "बहेरिया से परक्का" के नए संरेखण के लिए डीपीआर में संशोधन के बिना 4.3 किलोमीटर की अनुमानित लंबाई और ₹ 86.85 लाख की अनुमानित लागत के साथ कार्य दिया गया था।	संरेखण में परिवर्तन से सड़क की लंबाई में 2.80 किमी से 4.3 किलोमीटर की वृद्धि हुई।

<sup>1</sup> ₹ 143.90 लाख, घटाइये 21.09 प्रतिशत = ₹ 113.50 लाख

**परिशिष्ट 2.13**

(संदर्भ: कण्डिका 2.2.7.4 (II), पृष्ठ 45)

विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों में कमियों के उदाहरणों को दर्शाने वाला पत्रक

क्रम संख्या	सड़क के नाम	पैकेज क्रं. / जिला	डीपीआर में कमियां
1	तनोडिया से रानारया (9.80 किमी)	एमपी 39503 (एडीबी)/ शाजापुर	20 सीडी (₹ 56.04 लाख) की स्वीकृति के विरुद्ध 13 सीडी निर्मित की गई जिसके परिणामस्वरूप सीडी कार्यों की लागत पर ₹ 27.19 लाख की बचत हुई।
2	मंडवा से बोरवल रोड (9.30 किमी)	एमपी 2266/ खरगोन	₹ 101.17 लाख अनुमानित लागत की 40 सीडी (22 छोटे कलवर्ट सहित) <sup>2</sup> के प्रावधान के विरुद्ध छह: छोटे कलवर्ट और दो वेन्टेड काज़वे <sup>3</sup> सहित 11 सीडी का निर्माण की गई थी। वनक्षेत्र के प्रतिबंधों और जनता की मांग के आधार पर बताए गए इस प्रतिस्थापन के परिणामस्वरूप ₹ 69 लाख की बचत ने निर्दिष्ट किया कि प्राक्कलन यथार्थ नहीं था।
3	बंकोरी से सोनपुर रोड में दी गई (फरवरी 2013 और फरवरी 2014 में पूरी हुई)	एमपी 3388/ सागर	दो नदी/नाले क्रासिंग संरचनाओं <sup>4</sup> सहित 2.80 किलोमीटर लंबाई के लिए स्वीकृत सड़क का वास्तव में इन संरचनाओं के निर्माण के बिना 2.34 किमी में निर्माण किया गया था। बाद में (सितंबर 2014) सड़क के दूसरे हिस्से पर 180 मीटर लंबे एक पुल को प्रस्तावित और निर्मित किया गया था। इस प्रकार, सीडी और पुल की आवश्यकता का आकलन करने के संबंध में सड़क की डीपीआर यथार्थवादी नहीं थी।

<sup>2</sup> स्कूपर्स छोटे स्लैब कलवर्ट यानि 1 \* 1 वर्ग मी. स्लैब पुलियाँ है।

<sup>3</sup> “ वेन्टेज काज़-वे” एस पी – 20 2002, ग्रामीण सड़क नियमावली के अनुसार, 1.20 मीटर तक या अपवाद मामलों में 1.50 मीटर तक एक मध्यम ऊंचाई तक ऊँचा किये गये सड़क के शीर्ष सतह के लिए, छोटे स्लैब या मेहराब आदि के साथ कुछ निकास पाइप के साथ दी गयी एक संरचना है।

<sup>4</sup> आरडी 2350 मीटर और आरडी 2500 मीटर के बीच 5 मीटर स्पान (6x2) ( ₹ 57.50 लाख) और (6x2) आरडी 900 मी पर (6x2) की एक स्लैब पुलिया ( ₹ 57.60 लाख रुपये)

## परिशिष्ट 2.14

(संदर्भ: कण्डिका 2.2.7.4 (III), पृष्ठ 45)

बचतों का मदों/मात्रा से परे उपयोग जो डीपीआर में नहीं दी गई थीं को दर्शाने वाला पत्रक

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	ज़िला	पैकेज क्रं.	डीपीआर / पीएसी के अनुसार लागत	डीपीआर की मद/मात्रा का निष्पादन न करने से बचत	डीपीआर से परे निष्पादित मद / मात्रा की लागत	डीपीआर से परे निष्पादित प्रमुख मद	निष्पादित प्रमुख मदों की राशि
1	खरगोन (महेश्वर)	2220	213.17	113.54	82.67	सीसी पटरी	10.21
						एम-10	6.32
						आरसीसी एम -25	2.66
2		2209ए	206	49.67	63.66	पीसीसी एम -15	10.04
						सीसी पटरी	25.83
						पीसीसी एम -10	7.1
						आरसीसी एम -25	3.95
						स्टील	4.77
						ह्यूम पाइप	1.02
3		22113	309.89	98.95	49.41	आरसीसी एम -20	0.81
	स्लेब एम-30					1.55	
	पीसीसी एम -10					6.49	
	पश्च भराव					1.8	
4	22143	104.86	28.83	15.8	एनपी 3 1000 मिमी	4.44	
					एम-30 के साथ 220मिमी अतिरिक्त सीसी फुटपाथ	10.31	
					डब्ल्यूबीएम ग्रेड-1	0.64	
5	22149	117.3	46.77	66.99	मिटटी कार्य	4	
					343 प्रतिशत सीसी पटरी	35.04	
6	22160	390.94	84.64	46.56	पीसीसी ग्रेड एम -15	24.99	
					हार्ड रॉक खुदाई और सॉफ्ट रॉक	6.59	
7	2264	286.5	42.46	119.61	एनपी 3 1000 मिमी	10.86	
					एम -25	7.86	
					एम -10	27.53	
8	22100	166.2	83.3	18.99	पीसीसी एम -15	36.23	
					रिटैनिंग वॉल	4.41	
9	2296	160.5	30.34	22.12	पीसीसी एम -15	8.05	
					पीसीसी एम -10	8.95	
					अनिर्दिष्ट दानेदार सामग्री	2.04	
10	2266	298.12	132.86	48.65	एनपी 3 1000 मिमी	3.72	
					सीसी स्लेब एम -30	6.7	
					एनपी 2 पाइप्स 1000 मिमी व्यास	4.7	
						40 मिमी डाउनग्रेड गिट्टी के साथ पीसीसी नामिनल	11.97



क्रम संख्या	ज़िला	पैकेज क्रं.	डीपीआर / पीएसी के अनुसार लागत	डीपीआर की मद/मात्रा का निष्पादन न करने से बचत	डीपीआर से परे निष्पादित मद / मात्रा की लागत	डीपीआर से परे निष्पादित प्रमुख मद	निष्पादित प्रमुख मदों की राशि
						मिक्स 1:3:6	
						पीसीसी नामिनल मिक्स 1:2:5:5	11.9
11		2299	125.06	63.31	61.85	सीसी स्लेब वीयरिंग कोट	17.43
						पीसीसी एम -10	21.99
12		2267	117.97	62.61	30.4	सीसी सड़क	29.04
13		2276	341.762	110.14	15.69	एम-30	8.4
						मिटटी कार्य	5.65
14		2292	242.71	105.58	105.52	चयनित मिट्टी	19.84
						हार्ड शोल्डर	3.86
						प्राइम कोट	6.84
						ओजीपीसी	23.95
						एम -30	34.51
15		22101	166.19	83.3	18.99	रिटैनिंग वॉल	4.42
						पीसीसी एम -15	8.06
						वीयरिंग कोर्स एम -30	2.34
16		3361	517.3	116.36	55.01	सीसी सड़क और स्लेब एम -30 के साथ	27.55
						पीसीसी एम -15	14.65
17	सागर	3388	487.78	159.37	77.4	एनपी 3 पाइप	7.21
						एम -10	30.73
						ड्रेन्स	19.27
						एम -30	7.66
18		3915	337.3	56.66	55.63	पीसीसी एम -10	12.58
						एनपी 3 1000 मिमी (व्यास)	1.68
						आरसीसी ग्रेड एम -25	2.2
						सीसी पटरी एम -30	9.61
						आरसीसी ग्रेड एम -25	3.05
19	शाजापुर	39504	351.87	54.53	9.97	एम -30	5.06
						100 मिमी व्यास पाइप	2.19
						600 मिमी व्यास एनपी 2 पाइप	0.94
20		3969	465.4	130.30	43.88	पीसीसी एम -10	22.45
						टीएमटी बार	7.91
21		3935	240	41.05	55.72	आरबीएम के साथ जीएसबी	6.9
						तटबंध	5.55
						एम -30	11.31
						पीसीसी एम -15	13.66
						1200 मिमी व्यास पाइप	6.98

क्रम संख्या	ज़िला	पैकेज क्रं.	डीपीआर / पीएसी के अनुसार लागत	डीपीआर की मद/मात्रा का निष्पादन न करने से बचत	डीपीआर से परे निष्पादित मद / मात्रा की लागत	डीपीआर से परे निष्पादित प्रमुख मद	निष्पादित प्रमुख मदों की राशि
22		3916	285.16	47.37	58.81	बारो पिट से तटबंध का निर्माण	19.65
						पीसीसी एम -15	14.41
						एम-25	382
						एम-30	6.35
						एम-10	7.84
23	बतूल	373	204.29	87.13	87.11	सीसी सड़क	31.11
						बारो पिट से तटबंध का निर्माण	9.14
						जीएसबी (सी + डी)	7.94
						स्थानीय सामग्री के साथ जीएसबी	2.95
						तोड़ने योग्य स्क्रीनिंग के साथ डब्ल्यूबीएम	4.26
		कुल	6,136.32	1,829.07	121044		826.40

परिशिष्ट 2.15

(संदर्भ: कण्डिका 2.2.7.4 (III), पृष्ठ 46)

योजना और इसके प्रभाव में कमियाँ दर्शाने वाला पत्रक

क्रम संख्या	सड़क के नाम	पैकेज क्रं./ ज़िला	योजना में कमियाँ/प्रभाव	शासन का उत्तर	लेखा परीक्षा की आगे की टिप्पणी
1	रामपुर मेवासा से बमोरी	मध्य प्रदेश 3961/ शाजापुर	एबी रोड से बमोरी सड़क एक किलोमीटर के लिए स्वीकृत थी किन्तु संरक्षण को बदला गया और ₹ 209.16 लाख से 6.27 किलोमीटर सड़क निर्माण की गई। बारिश के दौरान बाढ़ का पानी रेलवे अंडर ब्रिज की सड़क पर भर जाता था इसलिए वांछित बारहमासी संबद्धता प्रदान नहीं की गई थी।	शासन ने जवाब में बताया कि बसाहटों को रेलवे अंडर ब्रिज से संबद्ध करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और गांव को बरसात के मौसम के कुछ दिनों को छोड़कर बारहमासी सड़क के साथ जोड़ा गया था।	उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि संरक्षण में परिवर्तन के कारण पूरी वर्षा ऋतु में सड़क के डूबे रहने से संबद्धता विच्छेदित रहती है; इसलिए यह बारहमासी संबद्धता नहीं थी।
2	बेरखेड़ी से आगरा मुदरा होते हुए	मध्य प्रदेश 3363/सागर	यह कहा जाकर कि कोई पुल आवश्यक नहीं होगा, संरक्षण बदला गया। सड़क का कार्य मार्च 2013 में पूरा हुआ किन्तु 169.10 मी पुल का कार्य मार्च 2015 तक प्रगति (23.93 प्रतिशत) पर था। पुल के निर्माण के कारण ₹ 148.14 लाख लागत का आधिक्य था और बारहमासी संबद्धता अभी तक नहीं दी गयी थी।	शासन ने उत्तर में बताया कि सड़क एस एच-14 से एमडीआर के मध्य कारीडोर के रूप में कार्य करती है और इसलिए राज्य तकनीकी एजेन्सी ने 100 वर्षों के लिए यातायात में भारी वृद्धि को ध्यान में रखते हुए 7.5 मीटर चौड़ाई का सुझाव दिया था।	उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि सड़क डूब में आने से समाप्त होने वाली सड़क थी और इसलिए एस एच-14 से एम डी आर के मध्य कारीडोर के रूप में सेवा नहीं दे सकती और यातायात में वृद्धि अभिलिखित नहीं पाई गई।
3	बाड़ी से सिंगरोली सड़क (19.80 किमी)	मध्य प्रदेश 4427/ उमरिया	गंगीताल बसाहट को संबद्ध करने के लिए विचारित सड़क का वन अभयारण्य में से गुजरने वाली 10.10 किलोमीटर लंबाई, शामिल थी इसलिए इस हिस्से का निर्माण नहीं किया जा सका। अन्य भाग का कार्य (9.70 किमी) जून 2012 में पूरा किया गया। सितंबर 2008 में दिया गया कार्य विलंबित था (32 महीने) और लक्षित बस्ती को संबद्धता नहीं दी जा सकी।	शासन ने उत्तर में बताया कि (अक्टूबर 2015) सुप्रीम कोर्ट द्वारा अब अनुमति दे दी गई थी, उसके लिए डीपीआर तैयारी में है और कार्य शीघ्र ही शुरू किया जाएगा।	उत्तर, पुष्टि करता है कि भूमि की उपलब्धता कार्य लेने से पूर्व सुनिश्चित नहीं थी।
4	करकेरी बरखेड़ी से सिमरिया हर्राखेड़ी सड़क	एम पी 3360 /सागर	सड़क कार्य दिसंबर 2010 में दिया गया था उसे दिसंबर 2011 में 380 मी. (आरडी 1890 से 2220) को छोड़कर ₹ 72.35 लाख की लागत पर पूर्ण हुआ था। अनुमोदित डीपीआर में इस भाग में कोई बड़ी संरचना प्रस्तावित नहीं	शासन ने उत्तर में बताया कि वृहद पुलों की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा अलग से दी जाती है, तदनुसार अलग स्वीकृति ली गई थी और पुल का	उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि पुल सड़क कार्य के साथ प्रस्तावित नहीं की गई था और बारहमासी संबद्धता अभी तक दी जानी है।

क्रम संख्या	सड़क के नाम	पैकेज क्रं./ ज़िला	योजना में कमियाँ/प्रभाव	शासन का उत्तर	लेखा परीक्षा की आगे की टिप्पणी
			थी किन्तु बाद में 222 मीटर लंबा पुल प्रस्तावित किया गया और सितंबर 2014 में कार्य लिया गया। पुल का कार्य प्रगतिरत था (जुलाई 2015) डी.पी.आर. में संरचना प्रस्तावित न करने से ओर सड़क के कार्य के साथ-साथ पुल का कार्य न लेने से कार्य में केवल देरी ही नहीं हुई बल्कि बसाहटों जुलाई 2015 तक बारहमासी सड़क के फायदे से वंचित रही।	निर्माण मार्च 2016 तक पूर्ण होना है।	
5	एन एच 26 से पिपरिया फाटक रोड	एम पी 3361/सागर	भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना 5.80 किमी सड़क का कार्य सौंपा गया था (सितंबर 2010) और ₹ 1.21 करोड़ की लागत पर 5.084 किमी सड़क कार्य पूर्ण हुआ था (सितंबर 2012)। निजी भूमि (आर डी 5,084 से आर डे 5,710) होने से न्यायालय के आदेश पर रूपांकित लंबाई के लिए सड़क का कार्य नहीं किया जा सका, इस प्रकार संबद्धता नहीं दी जा सकी थी।	शासन ने उत्तर दिया कि भू-स्वामी निर्माण के समय भूमि दान करने के लिए सहमत नहीं हुआ।	उत्तर पुष्टि करता है कि भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त करने और कार्य के निष्पादन से पूर्व भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं थी।
6	किमी 0 14 से टी 04 से मक्की रोड	एमपी 0180/बालाघाट	वन स्वीकृति के बिना 2.750 किमी सड़क के कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की गई थी (अगस्त 2008), डीपीआर में वन भूमि का उल्लेख नहीं था। सड़क के विलोपन का प्रस्ताव एमपीआरआरडीए द्वारा अगस्त 2012 में स्वीकृत किया गया। सड़क का प्रस्ताव भूमि की उपलब्धता पर आधारित नहीं था इसलिए कार्य लिया नहीं जा सका और लक्षित बसाहटों को वांछित बारहमासी संबद्धता नहीं दी जा सकी थी।	विभाग ने उत्तर दिया कि सड़क उन्नयन सड़क थी और निर्माण प्रतिबंधित था क्योंकि यह कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के बफर जोन में आ गई थी और विभिन्न औपचारिकताएं इस उद्देश्य से की गईं जिससे विलंब हुआ।	उत्तर पुष्टि करता है कि भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं थी और वन कर्मचारियों के साथ समन्वय का अभाव भी निर्दिष्ट करता है।
7	एमडीआर से चकपिपला (12.90 किमी)	एमपी 3360/सागर	12.90 किमी की अनुमोदित लंबाई में से ₹ 1.23 करोड़ की लागत पर केवल सुना ग्राम तक (3.90 किमी) निर्मित की जा सकी क्योंकि संरक्षण नौरादेही के सुरक्षित अभ्यारण से	शासन ने उत्तर दिया कि चकपिपला ग्राम नौरादेही वन के सुरक्षित अभ्यारण में आता है; इन ग्रामों का कुछ समय में	उत्तर पुष्टि करता है कि भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं थी और कार्य लेने में वन कर्मचारियों के साथ

क्रम संख्या	सड़क के नाम	पैकेज क्रं./ ज़िला	योजना में कमियाँ/प्रभाव	शासन का उत्तर	लेखा परीक्षा की आगे की टिप्पणी
			गुज़र रहा था और चकपिपला का पुनर्वास प्रस्तावित था। योजनाकृत चार ग्रामों के 1960 रहवासियों <sup>5</sup> में से 1174 रहवासियों को वांछित बारहमासी संबद्धता नहीं दी जा सकी।	वन विभाग द्वारा पुनर्वास किया जाएगा, इसलिए केवल सुनाग्राम तक 4.20 किमी सड़क निर्मित की गई थी।	समन्वय का अभाव भी निर्दिष्ट करता है।
8	एस एच-14 से कान्हाखेड़ी रोड	एम पी 3371 /सागर	रेलवे के विद्यमान (पुराने) पुल/गर्डर (आरडी 400 से आरडी 500) के नीचे से निकलने की अनुमति देने से रेलवे ने इंकार कर दिया था (मई 2011) क्योंकि यह संरचना वर्षा के जल की निकासी के लिए थी और इसका निकास कम था। इसलिए एमपीआरआरडीए ने इस खण्ड पर कार्य बंद कर दिया था (अगस्त 2011)। लगभग चार वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी रेलवे अंडर ब्रिज के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं था और सड़क के रेलों वाले भाग (113 मीटर) का निर्माण नहीं किया जा सका। आगे, रेलवे के मौजूदा गर्डर के नीचे से जाने की कोई अनुमति नहीं थी। इस प्रकार, सड़क निर्माण पर ₹ 1.22 करोड़ का व्यय करने के बावजूद 1,329 रहवासियों को वांछित बारहमासी संबद्धता नहीं दी जा सकी थी।	शासन ने बताया (अक्तूबर 2015) कि यद्यपि रेलवे ने सड़क निर्माण हेतु अनुमति देने से मना कर दिया था, इसलिए यह खण्ड विलोपित कर दिया था और गर्डर के दोनों ओर सड़क निर्माण कर दी गई थी जो बारहमासी संबद्धता दे रही थी।	उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि रेलवे द्वारा गर्डर (क्रास ड्रेनेज) के नीचे से जाने की अनुमति नहीं दी थी, अतः क्रास ड्रेनेज संरचना को उंचाई के प्रतिबंध सहित पार करने में अड़चन थी। इस प्रकार वांछित संबद्धता नहीं दी जा सकी थी।

<sup>5</sup> सुना रहली (786), बिजी गांव (333), बरपानी (323) एवं चकपिपला (518), कुल 1960 रहवासी

**परिशिष्ट 2.16**  
(संदर्भ : कण्डिका 2.2.8.1 (V), पृष्ठ 50)  
निर्णीत हर्जाने (एल.डी.) की कम कटौती दर्शाने वाला पत्रक

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	ज़िला	पैकेज क्र.	अनुबंधित राशि	कार्यादेश का दिनांक	पूर्णता का निर्धारित दिनांक	पूर्णता का वास्तविक दिनांक	विलंब में सप्ताह	विलंब जो ठेकेदार पर आरोपणीय नहीं	ठेकेदार की ओर से शुद्ध देरी (सप्ताह में)	आरोपणीय एल डी (प्रतिशत में)	आरोपणीय एल डी	आरोपित एलडी (प्रतिशत में)	आरोपित एलडी	कम आरोपित एलडी
1	अशोक नगर	1323	376.47	07.09.06	06.09.07	31.12.08	68	34	30	10	37.650	2.00	7.53	30.12
2	अशोक नगर	1352	278.32	31.12.05	30.12.06	07.10.08	92	52	40	10	27.830	8.00	22.27	5.57
3	अशोक नगर	1317 B/W	279.71	01.08.07	31.03.08	10.03.14	312	108	204	10	27.970	5.00	13.99	13.99
4	अशोक नगर	4727 B/W	655.31	17.12.09	16.11.10	10.03.14	173	30	143	10	65.530	2.50	16.38	49.15
5	बालाघाट	169	402.02	22.03.10	21.03.11	16.03.13	104	77	24	10	40.200	1.25	5.03	35.18
6	बालाघाट	160	571.24	26.09.12	25.09.12	20.11.14	112	52	60	10	57.120	0.75	4.28	52.84
7	बालाघाट	164	611.56	30.01.10	29.07.11	15.04.14	142	0	143	10	61.160	2.75	16.82	44.34
8	बालाघाट	181	326.55	28.08.08	27.08.09	31.01.11	75	0	75	10	32.660	2.00	6.53	26.12
9	बालाघाट	158	433.52	29.03.10	29.09.11	31.05.13	87	21	66	10	43.352	0.75	3.2514	40.10
10	बालाघाट	189	199.34	02.09.08	01.09.09	22.10.11	112	57	55	10	19.9340	1.25	2.4918	17.44
11	बालाघाट	180	279.3	28.08.08	27.08.09	12.12.12	172	24	148	10	27.930	2.5	6.9825	20.94
12	बालाघाट	167	195.05	01.02.10	31.07.11	23.05.14	147	12	135	10	19.505	3	5.8515	13.65
13	बैतूल	373	233.91	26.08.08	25.08.09	31.10.11	114	13	79	10	23.391	3.20	7.49	15.91
14	बैतूल	3117	237.60	16.09.08	15.09.09	30.04.12	137	6	131	10	23.760	4.00	9.50	14.26
15	बैतूल	380	446.63	16.05.08	15.05.09	31.10.11	128	96	32	10	44.663	1.75	7.816	36.847
16	बैतूल	365	609.5	14.12.07	13.12.08	31.12.11	159	8	151	10	60.950	3.25	19.809	41.14
17	बैतूल	3113	319.45	05.09.08	04.09.09	15.02.12	128	40	88	10	31.945	2.75	8.7849	23.16
18	छिंदवाड़ा	734	514.69	03.11.07	02.11.08	01.02.12	169	60	109	10	51.470	2.50	12.87	38.60
19	छिंदवाड़ा	7131	403.60	11.10.10	10.10.11	31.01.13	68	20	48	10	40.360	1.50	6.05	34.31
20	छिंदवाड़ा	785	288.64	20.02.08	19.02.09	01.04.12	161	40	121	10	28.860	4.00	11.55	17.32
21	छिंदवाड़ा	739	711.29	29.09.07	28.09.08	22.03.12	169	50	119	10	71.130	6.00	42.68	28.45
22	छिंदवाड़ा	7101B/W	274.04	21.05.10	20.04.11	02.08.12	69	26	43	10	27.400	1.00	2.74	24.66
23	छिंदवाड़ा	7134	767.4	12.10.10	11.10.11	28.02.13	72	30	42	10	76.740	0.50	3.84	72.90

क्रम संख्या	ज़िला	पैकेज क्र.	अनुबंधित राशि	कार्यादेश का दिनांक	पूर्णता का निर्धारित दिनांक	पूर्णता का वास्तविक दिनांक	विलंब में सप्ताह	विलंब जो ठेकेदार पर आरोपणीय नहीं	ठेकेदार की ओर से शुद्ध देरी (सप्ताह में)	आरोपणीय एल डी (प्रतिशत में)	आरोपणीय एल डी	आरोपित एलडी (प्रतिशत में)	आरोपित एलडी	कम आरोपित एलडी
24	छिंदवाड़ा	7121	537.14	09.06.08	08.06.09	30.09.10	68	25	43	10	53.71	2.50	13.43	40.29
25	छिंदवाड़ा	738	570.21	03.11.07	02.11.08	15.05.13	236	40	196	10	57.02	1.75	9.98	47.04
26	छिंदवाड़ा	746	429.35	09.02.08	08.02.09	29.12.12	203	75	128	10	42.94	4.00	17.17	25.76
27	छिंदवाड़ा	750	271.1	25.02.08	24.02.09	19.03.12	160	40	120	10	27.11	4.25	11.52	15.59
28	छिंदवाड़ा	731	1074.99	26.07.07	25.07.08	18.06.12	203.43	103	100	10	107.50	3.00	32.25	75.25
29	छिंदवाड़ा	784	605.76	29.07.10	28.07.11	15.05.13	93.857	39	54	10	60.58	2.00	12.12	48.46
30	छिंदवाड़ा	7118	532.68	11.02.08	10.02.09	16.08.12	183.29	70	113	10	53.27	4.00	21.31	31.96
31	छिंदवाड़ा	7138	214.63	27.08.10	26.08.11	20.07.13	99.143	10	89	10	21.46	2.25	4.83	16.63
32	छिंदवाड़ा	775	532.68	11.02.08	10.02.09	16.08.12	183.29	50	133	10	53.27	4.00	21.31	31.96
33	छिंदवाड़ा	7126	272.06	28.12.10	27.12.11	02.01.13	53	15	38	10	27.21	0.75	2.04	25.17
34	छिंदवाड़ा	792	153.57	28.06.08	27.06.09	30.07.11	108	9	99	10	15.36	2.25	3.46	11.90
35	दतिया	920	345.33	07.5.08	06.05.09	13.07.11	114	17	97	10	34.53	3.50	12.09	22.45
36	दतिया	0912B/W	615.68	28.02.09	31.12.09	25.07.14	209	44	165	10	61.57	1.00	6.16	55.41
37	दतिया	906	414.13	01.10.05	30.09.06	12.03.10	180	13	167	10	41.41	5.00	20.71	19.23
38	दतिया	911	506.97	05.05.07	04.05.08	12.03.10	88	13	75	10	50.70	3.50	17.74	32.95
39	दतिया	916	456.17	13.05.08	12.05.09	24.05.11	106	42	64	10	45.62	1.75	7.98	36.37
40	झाबुआ	1973	1880.10	31.7.08	30.01.10	31.03.14	225	9	216	10	188.01	5.00	94.01	94.01
41	झाबुआ	1922	767.86	30.10.06	29.10.07	30.04.11	180	20	160	10	76.79	5.00	38.39	38.39
42	झाबुआ	1920B/W	721.47	17.11.08	16.09.09	10.07.12	147	33	114	10	72.15	2.75	19.84	52.31
43	खरगोन	22112	488.31	11.12.08	10.12.09	19.01.12	110	10	100	10	48.83	1.25	6.10	42.73
44	खरगोन	2220A	249.40	30.05.08	05.05.09	10.08.10	66	66	66	10	24.94	3.00	7.48	17.46
45	खरगोन	2228	330.04	06.05.08	05.05.09	10.08.10	66	32	34	10	33.00	2.00	6.60	26.40
46	खरगोन	2264	319.49	12.12.09	11.12.10	15.05.14	179	52	127	10	31.95	2.50	7.99	23.96
47	खरगोन	2291	303.84	15.12.08	14.12.09	30.11.12	155	68	87	10	30.38	3.00	9.12	21.27
48	खरगोन	22104	82.16	04.10.08	03.10.09	30.04.14	239	52	187	10	8.22	4.00	3.29	4.93

क्रम संख्या	ज़िला	पैकेज क्र.	अनुबंधित राशि	कार्यादेश का दिनांक	पूर्णता का निर्धारित दिनांक	पूर्णता का वास्तविक दिनांक	विलंब में सप्ताह	विलंब जो ठेकेदार पर आरोपणीय नहीं	ठेकेदार की ओर से शुद्ध देरी (सप्ताह में)	आरोपणीय एल डी (प्रतिशत में)	आरोपणीय एल डी	आरोपित एलडी (प्रतिशत में)	आरोपित एलडी	कम आरोपित एलडी
49	खरगोन	2288	122.95	13.09.08	12.09.09	31.03.11	81	21	60	10	12.30	1.50	1.84	10.45
50	खरगोन	2261	122.84	12.06.08	11.06.09	31.10.12	177	90	87	10	12.28	3.00	3.69	8.60
51	खरगोन	2289	223.13	13.09.08	12.09.09	30.11.10	63	9	54	10	22.31	1.00	2.23	20.08
52	खरगोन	2271	90.92	31.05.08	30.05.09	30.09.10	70	8	62	10	9.09	1.00	0.91	8.18
53	खरगोन	22100	183.61	06.10.09	05.10.10	31.10.12	108	43	65	10	18.36	2.00	3.67	14.69
54	खरगोन	2266	332.09	12.12.09	11.12.10	31.10.12	99	26	63	10	33.21	2.00	6.64	26.57
55	खरगोन	2299	128.20	06.09.08	05.09.09	30.07.11	99	26	73	10	12.82	1.75	2.24	10.58
56	खरगोन	2273	130.10	25.01.10	24.01.11	28.01.12	53	32	21	10	13.01	1.00	1.30	11.71
57	खरगोन	2276	355.25	28.01.09	27.01.10	30.06.11	74	22	52	10	35.53	1.20	4.26	31.26
58	खरगोन	2292	252.20	15.12.08	14.12.09	20.08.11	88	13	75	10	25.22	2.00	5.04	20.18
59	रतलाम	3120	726.81	20.5.08	07.05.09	30.03.11	99	43	56	10	72.68	1.00	7.27	65.41
60	रतलाम	3115	327.15	20.12.07	19.12.08	26.02.10	62	20	42	10	32.72	1.50	4.91	27.81
61	रतलाम	3128	567.85	12.9.08	11.09.09	30.06.11	94	48	46	10	56.79	1.50	8.52	48.27
62	रतलाम	3151	514.04	23.01.06	22.01.07	31.03.09	163	9	154	10	51.40	6.00	30.84	20.56
63	रतलाम	3113	568.82	17.09.07	16.09.08	01.02.10	72	4	68	10	56.88	2.00	11.38	45.51
64	रीवा	3290	188.88	15.05.08	14.05.09	30.10.11	128	74	54	10	18.89	1.60	3.02	15.87
65	रीवा	3293	224.86	07.07.08	06.07.09	16.08.12	161	34	127	10	22.49	2.00	4.50	17.99
66	रीवा	3232	386.27	23.06.08	22.06.09	05.03.11	88	52	36	10	38.63	1.50	5.79	32.83
67	रीवा	3266	386.27	04.10.08	03.10.09	31.03.12	130	65	65	10	38.63	1.75	6.76	31.87
68	रीवा	3299	294.96	07.02.09	06.02.10	10.04.12	112	0	112	10	29.50	2.25	6.64	22.86
69	रीवा	3265	374.13	04.10.08	03.10.09	01.06.13	190	12	178	10	37.41	3.75	14.03	23.38
70	रीवा	3273	219.52	18.07.08	17.07.09	15.02.12	134	91	43	10	21.95	1.75	3.84	18.11
71	रीवा	3264	512.15	04.10.08	03.10.09	31.01.11	65	0	65	10	51.22	1.00	5.12	46.09
72	रीवा	32110	104.58	04.10.08	03.10.09	31.12.10	65	52	13	10	10.458	1.00	1.05	9.41
73	रीवा	32109	100.84	14.10.08	13.10.09	31.07.11	93	34	59	10	10.084	2.00	2.02	8.07
74	रीवा	32105	453.68	14.10.08	13.10.09	19.06.14	242	0	242	10	45.37	5.00	22.68	22.68



क्रम संख्या	ज़िला	पैकेज क्र.	अनुबंधित राशि	कार्यादेश का दिनांक	पूर्णता का निर्धारित दिनांक	पूर्णता का वास्तविक दिनांक	विलंब में सप्ताह	विलंब जो ठेकेदार पर आरोपणीय नहीं	ठेकेदार की ओर से शुद्ध देरी (सप्ताह में)	आरोपणीय एल डी (प्रतिशत में)	आरोपणीय एल डी	आरोपित एलडी (प्रतिशत में)	आरोपित एलडी	कम आरोपित एलडी
75	रीवा	3262	525.28	04.10.08	03.10.09	02.05.13	186	104	82	10	52.528	2.25	11.82	40.71
76	रीवा	3242	319.56	01.02.08	31.01.09	26.09.12	190	0	190	10	31.956	1.50	4.79	27.16
77	रीवा	32106	502.74	07.10.08	06.10.09	02.08.14	251	13	238	10	50.274	5.00	25.14	25.14
78	रीवा	32107	605.06	04.10.08	03.10.09	30.07.14	247	0	247	10	60.506	4.50	20.58	39.93
79	रीवा	3259	655.30	15.11.06	14.11.07	04.09.12	251	0	251	10	65.53	5.00	32.77	32.77
80	रीवा	3240	404.78	17.12.07	16.12.08	30.08.11	138	90	48	10	40.478	3.00	12.14	28.33
81	सागर	3363	378.15	16.09.10	15.09.11	31.03.13	80	40	40	10	37.82	1.25	4.73	33.09
82	सागर	3366	515.68	11.10.10	10.10.11	15.01.13	66	27	39	10	51.57	1.25	6.45	45.12
83	शाजापुर	3939	389.51	10.9.08	09.09.09	20.12.10	60	25	35	10	38.95	2.50	9.74	29.21
84	शाजापुर	3923	224.33	27.4.07	26.4.08	25.8.10	120	43	77	10	22.43	2.50	5.61	16.82
85	शाजापुर	3915	377.74	19.12.06	18.12.07	31.05.09	76	0	76	10	37.77	2.00	7.55	30.22
86	शाजापुर	39504	363.47	26.11.12	25.11.13	04.08.14	36	9	27	10	36.35	0.25	0.91	35.44
87	शाजापुर	3918	608.07	12.10.06	11.10.07	28.02.10	124	0	124	10	60.81	5.00	30.40	30.40
88	शाजापुर	3942	251.67	03.10.08	02.10.09	11.01.13	171	26	53	10	25.17	3.00	7.55	17.62
89	शाजापुर	3919	255.28	26.02.07	25.02.08	04.07.10	123	64	59	10	25.53	2.00	5.11	20.42
90	शाजापुर	3935	249.58	13.10.08	12.10.09	17.08.11	96	0	96	10	24.96	1.00	2.50	22.46
91	शाजापुर	3954	508.72	26.09.06	25.09.07	31.07.10	149	91	58	10	50.87	1.50	7.63	43.24
92	शाजापुर	3916	294.78	19.10.06	18.10.07	05.05.13	289	212	74	10	29.48	4.00	11.79	17.69
93	उमरिया	4422	524.21	01.10.08	30.09.09	11.06.12	140	45	95	10	52.42	1.50	7.86	44.56
94	उमरिया	4411	515.71	21.11.07	20.11.08	04.05.12	178	28	150	10	51.57	3.75	19.34	32.23
95	उमरिया	4430	535.44	26.09.08	25.09.09	28.02.13	178	112	66	10	53.54	2.00	10.71	42.84
96	उमरिया	4424	1279.68	03.10.08	02.10.09	29.11.11	112	46	66	10	127.97	1.50	19.20	108.77
97	उमरिया	4427	526.52	13.09.08	12.09.09	30.06.12	145	51	94	10	52.652	2.00	10.53	42.12
98	उमरिया	4440	771.95	23.06.12	22.06.13	30.12.14	79	34	45	10	77.195	1.25	9.65	67.55
99	उमरिया	4412	385.28	28.12.07	27.12.08	31.03.12	169	2	167	10	38.53	3.50	13.48	25.04
100	विदिशा	4518	433.05	14.03.07	13.03.08	28.11.09	82	0	82	10	43.31	2.00	8.66	34.64

क्रम संख्या	ज़िला	पैकेज क्र.	अनुबंधित राशि	कार्यादेश का दिनांक	पूर्णता का निर्धारित दिनांक	पूर्णता का वास्तविक दिनांक	विलंब में सप्ताह	विलंब जो ठेकेदार पर आरोपणीय नहीं	ठेकेदार की ओर से शुद्ध देरी (सप्ताह में)	आरोपणीय एल डी (प्रतिशत में)	आरोपणीय एल डी	आरोपित एलडी (प्रतिशत में)	आरोपित एलडी	कम आरोपित एलडी
101	विदिशा	4567	437.89	06.03.10	05.03.11	31.12.12	94	56	38	10	43.79	1.50	6.57	37.22
102	विदिशा	4564	822.04	05.04.10	04.04.11	31.12.14	192	87	105	10	82.20	3.00	24.66	57.54
103	विदिशा	4559	907.35	25.02.10	24.02.11	15.06.12	67	53	14	10	90.74	1.00	9.07	81.66
104	विदिशा	4565	390.20	11.10.10	10.10.11	30.06.14	108	64	44	10	39.02	2.00	7.80	31.22
105	विदिशा	4554	564.19	18.01.06	17.01.07	31.05.08	62	0	62	10	56.42	2.00	11.28	45.14
106	विदिशा	4557	629.46	01.03.07	29.02.08	20.11.12	227	113	114	10	62.95	2.50	15.74	47.21
107	विदिशा	4569	441.00	28.05.10	27.05.11	31.05.13	96	48	48	10	44.1	2.00	8.82	35.28
<b>कुल</b>													<b>3,442.67</b>	

परिशिष्ट 2.17

(संदर्भ: कण्डिका 2.2.8.1 (VII) (अ) (ब) और (स), पृष्ठ 51, 52)

निरस्त किए गए ठेकों के मामले में दोषी ठेकेदारों से राशि की वसूली न करने की अवधि दर्शाने वाला पत्रक

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	ज़िला	पैकेज	अनुबंधित राशि	किए गए कार्य का मूल्य	शेष कार्य का मूल्य	ठेकेदार से वसूली योग्य राशि	समाप्ति का दिनांक	आरआरसी जारी करने का दिनांक	वसूली में विलंब 31.3.15 की स्थिति (महीने में)
1	उमरिया	4425	596.16	318.67	277.49	89.82	अनुपलब्ध	30.04.2013	23
2	उमरिया	4417	636.33	222.63	413.7	154.88	अनुपलब्ध	22.02.2014	13
3	उमरिया	4418	697.67	494.84	202.83	153.32	अनुपलब्ध	24.03.2015	0
4	उमरिया	4419	462.47	226.98	235.49	117.24	अनुपलब्ध	03.06.2011	47
5	उमरिया	4429	494.84	171.4	323.44	121.71	अनुपलब्ध	13.03.2014	13
6	विदिशा	4520	259.03	105.86	153.17	34.59	08.07.2008	22.11.2010	81
7	विदिशा	4551	512.88	223.18	289.7	86.83	18.03.2008	20.08.2013	84
8	विदिशा	4571	495.4	256.91	238.49	83.4	20.06.2013	12.11.2014	21
9	अशोक नगर	4752 (B/W)	368.51	74.22	294.29	71.85	अनुपलब्ध	14.07.2014	9
10	दतिया	910	514.34	230.09	284.25	128.8	अनुपलब्ध	24.09.2014	6
11	दतिया	912	540.96	95.63	445.33	144.03	अनुपलब्ध	24.09.2014	6
12	खरगोन	2231	420.99	112.03	308.96	82.11	06.10.2009	20.12.2010	66
13	खरगोन	2233	440.59	88.06	352.53	89.09	01.07.2009	14.06.2010	69
14	खरगोन	2277	284.42	40.11	244.31	43.47	12.02.2013	29.10.2014	26
15	खरगोन	2237	466.54	97.75	368.79	121.51	01.07.2009	23.11.2010	69
16	खरगोन	2239	380.72	56.46	324.26	157.71	22.08.2009	22.03.2011	67
17	खरगोन	2227A	395.18	162.14	233.04	67.6	30.04.2010	02.09.2013	59
18	छिंदवाड़ा	709	464.82	205.87	258.95	56.58	अनुपलब्ध	05.08.2010	57
19	छिंदवाड़ा	771	340.91	73.97	266.94	72.16	अनुपलब्ध	23.10.2010	54
20	छिंदवाड़ा	749	180.62	89.79	90.83	24.56	अनुपलब्ध	28.04.2011	48
21	छिंदवाड़ा	7117	228.98	63.55	165.43	44.23	अनुपलब्ध	28.04.2011	48
22	बालाघाट	144	70.52	65.13	5.39	201.36	14.09.2009	20.05.2014	67

क्रम संख्या	ज़िला	पैकेज	अनुबंधित राशि	किए गए कार्य का मूल्य	शेष कार्य का मूल्य	ठेकेदार से वसूली योग्य राशि	समाप्ति का दिनांक	आरआरसी जारी करने का दिनांक	वसूली में विलंब 31.3.15 की स्थिति (महीने में)
23	बालाघाट	145	1016.99	423.48	593.51	170.96	10.01.2011	02.05.2013	51
24	बालाघाट	144	148.17	152.58	-4.41	174.39	02.12.2011	20.05.2014	40
25	बालाघाट	161	199.21	148.67	50.54	60.79	16.11.2012	06.06.2013	28
26	बालाघाट	162	374.36	149.24	225.12	64.21	16.11.2012	06.06.2013	28
27	बालाघाट	128	531.7	420.2	111.5	77.81	31.01.2011	17.10.2012	50
28	बैतूल	383	248.32	116.76	131.56	32.19	29.11.2011	27.12.2014	40
29	बैतूल	385	430.58	194.68	235.9	59.81	29.11.2011	27.12.2014	40
30	बैतूल	387	251.39	86.31	165.08	43.75	29.11.2011	27.12.2014	40
31	बैतूल	382	1258.46	382.8	875.66	238.36	14.06.2010		58
32	बैतूल	351	417.6	290.45	127.15	63.45	28.05.2008	23.04.2011	82
33	बैतूल	374	159.12	39.58	119.54	32.57	08.11.2010	23.04.2011	53
34	बैतूल	367	217.61	129.53	88.08	24.98	08.11.2010	23.04.2011	53
35	बालाघाट	117	658.02	184.91	473.11	126.69	13.06.2008	14.05.2010	82
36	बालाघाट	123	514.54	229.82	284.72	69.35	18.07.2008	14.05.2010	80
37	बालाघाट	127	536.11	325.81	210.3	103.1	01.03.2011	07.09.2011	49
	<b>कुल</b>					<b>3,489.26</b>			

परिशिष्ट 2.18

(संदर्भ: कण्डिका 2.2.8.2 (I), पृष्ठ 53)

जहां मोटर वाहनों की संख्या 100 से कम है, 6 मीटर से परे चौड़ी सड़क के निर्माण से अतिरिक्त व्यय दर्शाने वाला पत्रक

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	सड़क के नाम	ज़िला का नाम/ पीआईयू	पैकेज क्रं	ब्लाक	लिंक रोड नंबर	नई/ उन्नयन	डीपीआर के अनुसार यातायात (दुपहिया छोड़कर मोटर चालित वाहन )	दोपहिया वाहनों की संख्या	कुल यातायात (मोटर चालित वाहन)	कुल व्यय	अतिरिक्त व्यय (कुल व्यय का 20 प्रतिशत)
1	घुण्डी से मुरझाड़	बालाघाट	150	बालाघाट	एल-81	नवीन	41	34	75	83.04	16.61
2	गुडरू से देवसरा	बालाघाट			एल-74	नवीन	32	23	55	152.03	30.41
3	गुडरू से कुकड़ा	बालाघाट			एल-43	नवीन	43	25	68	103.21	20.64
4	कटंग टोला से बिथली	बालाघाट	169	लालबर्ग	एल-047	नवीन	43	33	76	71.61	14.32
5	डोकरबंडी से गोंडेगांव	बालाघाट			एल-040	नवीन	70		70	66.81	13.36
6	जबरतोला से पाडरपानी	बालाघाट			एल-48	नवीन	76		76	94.67	18.93
7	टी 03 के किमी 11 से मुरमड़ी (लड़सारा से मुरमड़ी)	बालाघाट	164	वारासिवनी	एल-046	नवीन	39	25	64	196.61	39.32
8	थाणे गांव से बिथली	बालाघाट			एल-055,056	नवीन	44	20	64	183.63	36.73
9	अंसेरा से खड़गपुर	बालाघाट			एल-033	नवीन	44	20	64	55.96	11.19
10	टी 03 के किमी 05 से बिरवा	बालाघाट	181	बैहर	एल-079	नवीन	17	12	29	41.19	8.24
11	बैहर से कटंगी	बालाघाट			एल-045	नवीन	28	19	47	102.22	20.44
12	पिपरीया से ग्वारी	बालाघाट			एल-046	नवीन	20	15	35	83.78	16.76
13	किमी 03 से टी 04 से मेंडकी	बालाघाट			एल-080	नवीन	20	15	35	46.77	9.35
14	टी02 के किमी 58 से	बालाघाट			एल-047	नवीन	17	12	29	30.77	6.15

क्रम संख्या	सड़क के नाम	ज़िला का नाम/ पीआईयू	पैकेज क्रं	ब्लाक	लिंक रोड नंबर	नई/ उन्नयन	डीपीआर के अनुसार यातायात (दुपहिया छोड़कर मोटर चालित वाहन )	दोपहिया वाहनों की संख्या	कुल यातायात (मोटर चालित वाहन)	कुल व्यय	अतिरिक्त व्यय (कुल व्यय का 20 प्रतिशत)
	गोहारा										
15	अम्बा से बेलीया	खरगोन	2228	बड़वाहा	एल-045	नवीन	24	21	45	168.72	33.74
16	बन्हर से यशवंतगढ़	खरगोन	2275	भगवानपुरा	एल-057	नवीन	22	18	40	53.73	10.75
17	एनएच 78 से धंवर	उमरिया	4411	करकेली एवं मानपुर	एल-027	नवीन	22	25	47	81.66	16.332
18	एनएच 78 से स्थेली	उमरिया			एल-80	नवीन	29	17	46	90.86	18.172
19	एनएच 78 से निपानीया	उमरिया			एल-131	नवीन	24	11	35	65.22	13.044
20	एनएच 78 से सिमरिया	उमरिया			एल-81	नवीन	26	14	40	41.14	8.228
21	अमडोंगरी से मसदरी	उमरिया			एल-43	नवीन	18	10	28	113.36	22.672
22	पोंडी NRZ से पटपरा	उमरिया			एल-33	नवीन	28	18	46	27.95	5.59
23	शाहपुर सड़क से औदेरा से हथपुरा	उमरिया			4412	पाली	एल-049	नवीन	61	17	78
24	कल्याणपुर शाहपुर सड़क से कुशमाह खुर्द	उमरिया	एल-048	नवीन			20	25	45	41.58	8.32
25	चंदनिया से बांघवा खुर्द	उमरिया	एल-044	नवीन			27	14	41	37.52	7.50
26	सितलाहा लुक सड़क से गढ़ा	रीवा	3230	जवा	एल-041	नवीन	35	20	55	217.71	43.54
27	बहूती से काइछूआ	रीवा	3259	मऊगंज	एल-029	नवीन	36	12	48	144.23	28.85
									<b>कुल</b>	<b>2,488.56</b>	<b>497.71</b>

ठेकेदार से वसूली के लिए आरआरसी जारी न किए जाने का विवरण दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	ज़िला	पैकेज	अनुबंध राशि	किए गए कार्य का मूल्य	शेष कार्य का मूल्य	ठेकेदार से वसूली योग्य राशि	आरआरसी जारी करने का दिनांक
1	रीवा	3226	335.61	70.50	265.11	86.583	आरआरसी जारी नहीं की गई
2	रीवा	3228	253.09	60.63	192.46	63.801	आरआरसी जारी नहीं की गई
3	रीवा	3280	169.53	23.98	145.55	46.063	आरआरसी जारी नहीं की गई
4	रीवा	3243	247.18	70.69	176.49	60.016	आरआरसी जारी नहीं की गई
5	रीवा	32-बी-03	50.22	27.40	22.82	9.586	आरआरसी जारी नहीं की गई
6	झाबुआ	1985	208.36	74.30	134.06	42.760	आरआरसी जारी नहीं की गई
7	रतलाम	3153	1358.00	44.00	1314.00	398.600	आरआरसी जारी नहीं की गई
8	रतलाम	3110	720.16	143.18	576.98	187.410	आरआरसी जारी नहीं की गई
9	रतलाम	3104	456.42	333.82	122.60	70.160	आरआरसी जारी नहीं की गई
10	रतलाम	3107	791.14	667.59	123.55	103.820	आरआरसी जारी नहीं की गई
11	रतलाम	3112	842.30	384.65	457.65	175.760	आरआरसी जारी नहीं की गई
					<b>कुल</b>	<b>1,244.56</b>	
1	रीवा	3205	408.27	192.00	216.27	आंकलित नहीं की गई	आरआरसी जारी नहीं की गई
2	रीवा	3208	335.62	217.32	118.30	आंकलित नहीं की गई	आरआरसी जारी नहीं की गई
3	रीवा	3209	289.27	185.6	103.67	आंकलित नहीं की गई	आरआरसी जारी नहीं की गई
4	रीवा	3214	240.09	103.00	137.09	आंकलित नहीं की गई	आरआरसी जारी नहीं की गई
5	रीवा	3213	200.79	20.98	179.81	आंकलित नहीं की गई	आरआरसी जारी नहीं की गई
6	रीवा	3221	362.07	166.87	195.20	आंकलित नहीं की गई	आरआरसी जारी नहीं की गई
7	रीवा	3234	317.41	89.89	227.52	आंकलित नहीं की गई	आरआरसी जारी नहीं की गई
8	रीवा	3288	147.54	66.57	80.97	आंकलित नहीं की गई	आरआरसी जारी नहीं की गई
9	रीवा	3289	147.54	66.57	80.97	आंकलित नहीं की गई	आरआरसी जारी नहीं की गई
10	रीवा	3261	494.38	214.38	280.00	आंकलित नहीं की गई	आरआरसी जारी नहीं की गई

## परिशिष्ट 2.19

(संदर्भ: कण्डिका 2.2.8.3 (I) (क), पृष्ठ 54)

नान-आईएसआई मार्क ह्यूम पाइप के उपयोग पर राशि की कटौती न करने को दर्शाने वाला पत्रक

(राशि ₹ में)

क्रम संख्या	ज़िला	पैकेज क्रं	डीजीएसएंड डी प्रमाण पत्र की उपलब्धता	600 मिमी व्यास			1000 मिमी व्यास			कुल	पांच प्रतिशत की कटौती न किये जाने के लिए वसूली योग्य राशि	निविदा प्रतिशत	वसूली योग्य कुल राशि
				मात्रा (आर/एम)	दर	राशि	मात्रा (आर/एम)	दर	राशि				
1	अशोक नगर	4757	नहीं	15.00	2273.00	34095	217.50	4963.00	1079453	1113548	55677	24.88	69530
2	अशोक नगर	4740	नहीं	30.00	2273.00	68190	120.00	4963.00	595560	663750	33188	3.51	34352
3	अशोक नगर	4755	नहीं	0.00	0.00	0	47.50	4963.00	235743	235743	11787	12.57	13269
4	अशोक नगर	1323	नहीं	22.50	1135.00	25538	312.50	2628.00	821250	846788	42339	-4.51	40430
5	अशोक नगर	1317	नहीं	0.00	0.00	0	30.00	3350.00	100500	100500	5025	49.9	7532
6	अशोक नगर	47505	नहीं	0.00	0.00	0	207.50	5500.00	1141250	1141250	57063	37.91	78695
7	अशोक नगर	4727	नहीं	67.50	1345.00	90788	330.00	3350.00	1105500	1196288	59814	-11.2	53115
8	अशोक नगर	4728	नहीं	0.00	0.00	0	75.00	4353.00	326475	326475	16324	-4.1	15654
9	अशोक नगर	4754	नहीं	0.00	0.00	0	85.00	4963.00	421855	421855	21093	8.99	22989
10	अशोक नगर	4726	नहीं	0.00	0.00	0	595.00	3350.00	1993250	1993250	99663	-4.1	95576
11	अशोक नगर	4752	नहीं	0.00	0.00	0	77.50	4369.00	338598	338598	16930	34.9	22838
12	अशोक नगर	4734	नहीं	15.00	2261.00	33915	135.00	4963.00	670005	703920	35196	7.99	38008
13	दतिया	920	नहीं	25.00	2062.00	51550	60.00	4353.00	261180	312730	15637	-4.89	14872
14	दतिया	924	नहीं	0.00	0.00	0	60.00	4369.00	262140	262140	13107	6.41	13947
15	दतिया	960	नहीं	0.00	0.00	0	60.00	3200.00	192000	192000	9600	-12.38	8412
16	दतिया	965	नहीं	0.00	0.00	0	60.00	2500.00	150000	150000	7500	-12.14	6590
17	दतिया	955	नहीं	0.00	0.00	0	280.00	4300.00	1204000	1204000	60200	-7.84	55480
18	दतिया	912	नहीं	0.00	0.00	0	100.00	3350.00	335000	335000	16750	22.98	20599
19	दतिया	906	नहीं	0.00	0.00	0	37.50	3561.00	133538	133538	6677	-7.11	6202



क्रम संख्या	ज़िला	पैकेज क्रं	डीजीएसएंड डी प्रमाण पत्र की उपलब्धता	600 मिमी व्यास			1000 मिमी व्यास			कुल	पांच प्रतिशत की कटौती न किये जाने के लिए वसूली योग्य राशि	निविदा प्रतिशत	वसूली योग्य कुल राशि
				मात्रा (आर/एम)	दर	राशि	मात्रा (आर/एम)	दर	राशि				
20	दतिया	916	नहीं	72.50	2062.00	149495	97.50	4353.00	424418	573913	28696	-14.22	24615
21	दतिया	915	नहीं	57.50	989.00	56868	120.00	4353.00	522360	579228	28961	-19.01	23456
22	दतिया	911	नहीं	0.00	0.00	0	52.50	3350.00	175875	175875	8794	-9.8	7932
23	झाबुआ	1985	नहीं	75.00	2062.00	154650	87.50	4353.00	380888	535538	26777	8.30	28999
24	झाबुआ	19120	नहीं	62.50	1466.00	91625	516.50	4963.00	2563390	2655015	132751	4.93	139295
25	झाबुआ	19027A	नहीं	87.50	2261.00	197838	337.50	4963.00	1675013	1872850	93643	1.51	95057
26	झाबुआ	19131	नहीं	33.00	2273.00	75009	227.50	4963.00	1129083	1204092	60205	14.51	68940
27	झाबुआ	19135	नहीं	0.00	0.00	0	418.00	4963.00	2074534	2074534	103727	9.91	114006
28	झाबुआ	19118	नहीं	46.00	2062.00	94852	380.00	4353.00	1654140	1748992	87450	3.51	90519
29	झाबुआ	1920B/W	नहीं	0.00	0.00	0	529.50	3350.00	1773825	1773825	88691	22.00	108203
30	झाबुआ	1947	नहीं	0.00	0.00	0	835.00	3350.00	2797250	2797250	139863	15.97	162199
31	झाबुआ	1979	नहीं	74.00	1345.00	99530	450.00	3350.00	1507500	1607030	80352	19.35	95900
32	झाबुआ	19112	नहीं	80.00	2062.00	164960	1072.50	4353.00	4668593	4833553	241678	1.85	246149
33	झाबुआ	19124	नहीं	152.50	2273.00	346633	615.00	4963.00	3052245	3398878	169944	4.99	178424
34	खरगोन	2273	नहीं	0.00	0.00	0	24.00	4353.00	104472	104472	5224	7.52	5616
35	खरगोन	22101	नहीं	21.00	989.00	20769	0.00	0.00	0	20769	1038	3.24	1072
36	रतलाम	3125	नहीं	0.00	0.00	0	20.00	4353.00	87060	87060	4353	12.87	4913
37	रतलाम	31124	नहीं	0.00	0.00	0	171.00	4963.00	848673	848673	42434	-0.10	42391
38	रतलाम	3104 A	नहीं	5.00	1037.00	5185	0	0.00	0	5185	259	76.12	457

क्रम संख्या	ज़िला	पैकेज क्रं	डीजीएसएंड डी प्रमाण पत्र की उपलब्धता	600 मिमी व्यास			1000 मिमी व्यास			कुल	पांच प्रतिशत की कटौती न किये जाने के लिए वसूली योग्य राशि	निविदा प्रतिशत	वसूली योग्य कुल राशि
				मात्रा (आर/एम)	दर	राशि	मात्रा (आर/एम)	दर	राशि				
39	रतलाम	3151	नहीं	0.00	0.00	0	406.00	2800.00	1136800	1136800	56840	0.00	56840
40	रतलाम	31104	नहीं	0.00	0.00	0	90.00	4369.00	393210	393210	19661	9.86	21599
41	रीवा	3230	हाँ	0.00	0.00	0	157.50	3350.00	527625	527625	26381	7.98	28486
42	रीवा	3293	हाँ	0.00	0.00	0	80.00	4353.00	348240	348240	17412	19.77	20854
43	रीवा	3266	नहीं	67.50	2062.00	139185	82.50	4353.00	359123	498308	24915	1.92	25394
44	रीवा	32115	नहीं	100.00	1786.00	178600	67.50	4369.00	294908	473508	23675	2.77	24331
45	रीवा	3262	नहीं	242.50	2062.00	500035	85.00	4135.35	351505	851540	42577	46.90	62546
46	सागर	3370	नहीं	32.50	1958.00	63635	127.50	3724.00	474810	538445	26922	0.00	26922
47	शाजापुर	39503	नहीं	155.00	1600.00	248000	127.50	4500.00	573750	821750	41088	9.15	44847
48	शाजापुर	3946	नहीं	50.00	2062.00	103100	95.00	4353.00	413535	516635	25832	-2.51	25183
49	शाजापुर	3923	नहीं	0.00	0.00	0	22.50	2628.00	59130	59130	2957	21.99	3607
50	शाजापुर	3918	नहीं	36.00	1135.00	40860	169.50	2628.00	445446	486306	24315	9.81	26701
51	शाजापुर	3942	नहीं	12.00	2062.00	24744	35.00	4353.00	152355	177099	8855	2.25	9054
52	शाजापुर	3919	नहीं	0.00	0.00	0	220.00	2628.00	578160	578160	28908	16.99	33819
53	शाजापुर	39501	नहीं	0.00	0.00	0	90.00	5000.00	450000	450000	22500	11.11	25000
54	शाजापुर	3935	नहीं	15.00	2062.00	30930	200.00	4353.00	870600	901530	45077	3.99	46875
55	शाजापुर	3954	नहीं	40.50	523.00	21182	281.50	2628.00	739782	760964	38048	4.48	39753
56	शाजापुर	3916	नहीं	0.00	0.00	0	170.00	2628.00	446760	446760	22338	3.37	23091
57	उमरिया	4412	हाँ	0.00	0.00	0	135.00	3350.00	452250	452250	22613	7.98	24417
58	विदिशा	4565	नहीं	90.00	1300.00	11700	182.50	4500.00	821250	938250	46913	0.00	46913

क्रम संख्या	ज़िला	पैकेज क्रं	डीजीएसएंड डी प्रमाण पत्र की उपलब्धता	600 मिमी व्यास			1000 मिमी व्यास			कुल	पांच प्रतिशत की कटौती न किये जाने के लिए वसूली योग्य राशि	निविदा प्रतिशत	वसूली योग्य कुल राशि
				मात्रा (आर/एम)	दर	राशि	मात्रा (आर/एम)	दर	राशि				
						0							
59	विदिशा	4568	नहीं	30.00	2560.00	76800	532.50	4263.00	2270048	2346848	117342	2.50	120276
60	विदिशा	4569	नहीं	30.00	2560.00	76800	345.00	4263.00	1470735	1547535	77377	-5.92	72796
61	विदिशा	4564	नहीं	185.00	2000.00	37000	450.00	4000.00	1800000	2170000	108500	-5.60	102424
												योग	29,67,962

## परिशिष्ट 2.20

(संदर्भ: कण्डिका 2.2.8.3 (I) (ख), पृष्ठ 55)

नान-आईएसआई मार्क ह्यूम पाइप के उपयोग के लिए दर की गलत प्रयुक्ति से अतिरिक्त भुगतान को दर्शाने वाला पत्रक

(राशि ₹ में)

क्रम संख्या	ज़िला	पैकेज क्रं.	600 मिमी व्यास				1000 मिमी व्यास				कुल	निविदा प्रतिशत (टीपी)	कुल टीपी सहित
			मात्रा (आर/एम)	आईएसआई पाइप के लिए दर	गैर-आईएसआई पाइप के लिए दर	अतिरिक्त भुगतान	मात्रा	आईएसआई पाइप के लिए दर	गैर-आईएसआई पाइप के लिए दर	अतिरिक्त भुगतान			
1	रीवा	32118	117.50	2261	1466	93413	97.50	4963	3507	141960	235373	49.50	351882
2	रीवा	32119	260.00	2261	1466	206700	67.50	4963	3507	98280	304980	26.29	385159
3	रीवा	32132	170.00	2261	1466	135150	15.00	4963	3507	21840	156990	32.77	208436
4	रीवा	32133	10.00	2148	1466	6820	127.50	4715	3507	154020	160840	29.75	208690
5	रीवा	32129	220.00	2148	1466	150040	33.00	4963	3507	48048	198088	12.00	221859
6	रीवा	32127	122.50	2261	1466	97388	52.50	4963	3507	76440	173828	35.67	235832
7	रीवा	32503	25.00	2071	1657	10350	15.00	5558	4382	17640	27990	9.00	30509
8	उमरिया	4448	200.00	2148	1466	136400	202.50	4715	3507	244620	381020	20.99	460996
9	सागर	3388	107.50	2159	1466	74498	295.00	4963	3507	429520	504018	6.00	534259
10	सागर	3392	7.50	2147	1466	5108	107.50	4715	3507	129860	134968	-1.77	132579
11	सागर	33509	0.00	0	0	0	162.50	5000	4382	100425	100425	-6.02	94379
12	सागर	3380	0.00	0	0	0	145.00	4963	3507	211120	211120	29.66	273738
13	शाजापुर	3969	40.00	2261	1466	31800	177.50	4963	3507	258440	290240	5.90	307364
14	शाजापुर	3968	62.50	2273	1434	52438	140.00	4963	3507	203840	256278	13.88	291849
15	शाजापुर	3983	0.00	0	0	0	150.00	4963	3507	218400	218400	7.92	235697
											कुल		39,73,227

परिशिष्ट 2. 21

(संदर्भ: कण्डिका 2.2.8.4 (I) और (II), पृष्ठ 57)

पंचवर्षीय पश्चात् रखरखाव कार्य (एमटीएन) दिए जाने में विलंब और पैच-रिपैयर पर व्यय दर्शाने वाला

पत्रक

क्रम संख्या	ज़िले का नाम	पैकेज क्रं.	समापन का दिनांक	पांच साल पूरे होने के बाद	पैकेज संख्या द्वारा आवंटित रखरखाव का कार्य	कार्य आदेश का दिनांक (रखरखाव)	विलंबित माह (दोष दायित्व अवधि की समाप्ति से एमटीएन कार्य देने का दिनांक)	पैच मरम्मत कार्य की राशि ( ₹ में)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 5-7	9
1	रीवा	4701	31.07.03	31.07.08	32 एमटीएन 003	01.06.12	47	975905
2	शाजापुर	3903	03.01.04	02.01.09	39 एमटीएन 006	03.12.11	36	198107
3	खरगोन	3101	31.12.02	01.01.08	22 एमटीएन 003	14.07.10	31	219406
4	उमरिया	6001	28.02.03	27.02.08	44 एमटीएन 002	17.02.10	24	206152
5	शाजापुर	390 एवं 3904	03.01.04	02.01.09	39 एमटीएन 004	20.10.10	22	159858
6	रीवा	3218	31.08.07	30.08.12	32 एमटीएन 019	29.05.14	21	355267
7	उमरिया	4403	30.12.07	29.12.12	44 एमटीएन 010	27.06.14	18	204237
8	उमरिया	4404	31.05.06	30.05.11	44 एमटीएन 006	25.09.12	16	486235
9	सागर	3304	25.12.03	24.12.08	33 एमटीएन 002	19.04.10	16	379237
10	शाजापुर	3910	16.4.07	15.04.12	39 एमटीएन 018	02.08.13	16	886270
11	शाजापुर	3905,3906	3.1.04	02.01.09	39एमटीएन 012	12.04.10	16	218384
12	सागर	3310	05.04.07	04.04.12	33 एमटीएन 025	27.05.13	14	418179
13	सागर	3309	31.7.06	30.07.11	33 एमटीएन 013	11.09.12	14	70992
14	उमरिया	4407	30.04.08	29.04.13	44 एमटीएन 011	22.05.14	13	355092
15	रीवा	3206	25.04.06	24.04.11	32 एमटीएन 007	23.04.12	12	217225
16	खरगोन	2216	16.01.07	15.01.12	22 एमटीएन 027	27.11.12	11	27617
17	रीवा	3251	30.03.08	29.03.13	32 एमटीएन 020	28.01.14	10	148790
18	सागर	3321,3333	8.4.09	07.04.14	33 एमटीएन 041	28.01.15	10	141767
19	रीवा	3207	13.12.06	12.12.11	32 एमटीएन 011	03.10.12	10	790405
20	खरगोन	2209	01.07.06	30.06.11	22 एमटीएन 016	20.04.12	10	44808
21	खरगोन	2219	14.01.07	15.01.12	22 एमटीएन 026	21.09.12	8	109343
22	सागर	3318	30.11.07	29.11.12	33 एमटीएन 026	27.05.13	6	218016
23	शाजापुर	3948,3932	8.9.09	07.09.14	39एमटीएन 029	02.02.15	5	498595
24	सागर	3320	05.04.08	04.04.13	33एमटीएन 029	26.08.13	5	216850
25	खरगोन	2207	02.05.04	01.05.09	22एमटीएन 011	14.07.09	2	42638
26	खरगोन	2212	28.02.09	27.02.14	22एमटीएन 032	16.04.14	2	109839
27	अशोक नगर	1801	15.02.04	14.02.09	47एमटीएन 001	05.06.10	16	0
28	अशोक नगर	1304,1304,1801	14.08.03	13.08.08	47एमटीएन 002	27.06.13	59	0
29	अशोक नगर	1316	13.03.07	12.03.12	13एमटीएन 007	24.01.13	11	0
30	अशोक नगर	4751	30.04.09	30.05.13	47एमटीएन 014	05.03.15	21	0
31	अशोक नगर	1352,1324	15.01.09	30.05.13	13एमटीएन 010	13.06.14	13	0
32	दतिया	401	22.07.05	21.07.10	09एमटीएन 001	17.09.10	2	0
33	दतिया	902	06.02.06	05.02.11	09एमटीएन 006	13.01.12	11	0
34	दतिया	908	29.02.08	28.02.13	09एमटीएन 011	12.07.13	4	0
35	दतिया	913	27.03.09	26.03.14	09एमटीएन 014	10.09.14	6	0
36	झाबुआ	1904	30.04.04	29.04.09	19एमटीएन 001	04.06.10	13	0
37	झाबुआ	1904	30.04.04	29.04.09	19एमटीएन 005	27.01.11	21	0

क्रम संख्या	ज़िले का नाम	पैकेज क्रं.	समापन का दिनांक	पांच साल पूरे होने के बाद	पैकेज संख्या द्वारा आवंटित रखरखाव का कार्य	कार्य आदेश का दिनांक (रखरखाव)	विलंबित माह (दोष दायित्व अवधि की समाप्ति से एमटीएन कार्य देने का दिनांक)	पैच मरम्मत कार्य की राशि ( ₹ में)
38	झाबुआ	1913	31.12.06	30.12.11	19एमटीएन 010	09.03.12	2	0
39	झाबुआ	1956	09.04.09	08.04.14	19एमटीएन 014	12.12.13	4	0
40	झाबुआ	1912	31.12.09	30.12.14	19एमटीएन 018	08.11.14	2	0
41	झाबुआ	1983	22.02.10	21.02.15	19एमटीएन 022	14.06.14	8	0
42	झाबुआ	19111	07.09.10	06.09.15	19एमटीएन 026	09.01.15	8	0
43	रतलाम	3102	31.01.04	30.01.09	31एमटीएन 02	20.04.10	15	0
44	रतलाम	3103	15.06.05	14.06.10	31एमटीएन 07	23.03.11	9	0
45	रतलाम	3132	01.09.09	31.08.14	31एमटीएन 19	16.01.15	4	0
46	विदिशा	4502	31.05.04	30.05.09	45एमटीएन 004	23.6.10	13	0
47	विदिशा	4512	31.05.06	30.05.11	45एमटीएन 0012	01.02.13	20	0
48	विदिशा	6101	31.01.06	30.01.11	45एमटीएन 0020	04.10.12	20	0
49	विदिशा	4558	31.12.08	30.12.13	45एमटीएन 0029	05.11.14	10	0
50	विदिशा	4554	31.05.08	30.05.13	45एमटीएन 0027	05.11.14	17	0
51	विदिशा	4503	30.04.04	29.04.09	45एमटीएन 001	23.06.10	14	0
52	विदिशा	4510	30.04.06	29.04.11	45एमटीएन 0021	29.05.13	25	0
53	उमरिया	6001	28.02.03	27.02.08	44एमटीएन 001	15.10.10	32	0
54	उमरिया	4408	18.07.08	17.07.13	44एमटीएन 010	27.06.14	12	0
55	रीवा	4702	29.09.04	28.09.09	32एमटीएन 002	13.05.11	20	0
56	रीवा	3203	14.06.04	13.06.09	32एमटीएन 001	09.03.11	21	0
57	रीवा	3211	05.02.06	04.02.11	32एमटीएन 005	26.09.12	20	0
58	रीवा	3215	25.05.07	24.05.12	32एमटीएन 013	29.08.13	15	0
59	खरगोन	2253	29.11.07	30.11.12	22एमटीएन 030	04.10.13	10	0
60	सागर	3311	30.1.07	29.01.12	33एमटीएन 015	02.06.12	4	0
61	सागर	3321,3357	8.4.09	07.04.14	33एमटीएन 042	28.01.15	10	0
62	शाजापुर	3904	03.01.04	02.01.09	39एमटीएन 007	13.07.10	19	0
63	शाजापुर	3907	30.6.05	29.06.10	39एमटीएन 013	10.06.11	12	0
64	बैतूल	311	5.1.05	04.01.10	03एमटीएन 009	11.10.10	9	0
65	बैतूल	308	15.10.05	14.10.10	03एमटीएन 014	17.02.11	4	43025
66	बैतूल	306	3.7.06	02.07.11	03एमटीएन 026	08.12.11	5	0
67	बैतूल	355	22.5.08	21.05.13	03एमटीएन 047	26.05.14	12	0
68	बैतूल	327	25.12.07	24.12.12	03एमटीएन 045	06.06.13	5	0
69	बैतूल	318	31.10.07	30.10.12	03एमटीएन 042	20.06.13	8	0
70	बैतूल	402	29.10.02	28.10.07	03एमटीएन 002	15.04.10	30	10593
71	बैतूल	309	15.12.05	14.12.10	03एमटीएन 020	10.05.11	5	0
72	बैतूल	312	31.12.05	30.12.10		10.05.11	4	0
73	बैतूल	314	15.09.06	14.09.11	03एमटीएन 031	07.04.12	7	0
74	बैतूल	320	29.09.06	28.09.11	03एमटीएन 033	07.04.12	6	0
75	बैतूल	357	30.11.07	29.11.12	03एमटीएन 044	28.06.13	7	0
76	बैतूल	321	31.01.09	30.01.14	03एमटीएन 048	06.09.14	7	0
77	बैतूल	321	31.01.09	30.01.14	03एमटीएन 049	24.05.14	4	0
78	बालाघाट	105	25.08.04	24.08.09	एमटीएन 06	02.06.10	9	523227
79	बालाघाट	110	09.02.06	08.02.11	एमटीएन 017	31.05.12	16	0
80	बालाघाट	114	30.06.06	29.06.11	एमटीएन 026	20.01.12	7	140949
81	बालाघाट	110	09.02.06	08.02.11	एमटीएन 030	10.04.13	26	581536

क्रम संख्या	ज़िले का नाम	पैकेज क्रं.	समापन का दिनांक	पांच साल पूरे होने के बाद	पैकेज संख्या द्वारा आवंटित रखरखाव का कार्य	कार्य आदेश का दिनांक (रखरखाव)	विलंबित माह (दोष दायित्व अवधि की समाप्ति से एमटीएन कार्य देने का दिनांक)	पैच मरम्मत कार्य की राशि ( ₹ में)
82	बालाघाट	114	30.06.06	29.06.11	एमटीएन 030	10.04.13	22	0
83	बालाघाट	109	28.02.06	27.02.11	एमटीएन 032	19.10.12	20	0
84	बालाघाट	119	06.03.07	05.03.12	एमटीएन 034	03.09.13	18	119096
85	बालाघाट	121	06.03.07	05.03.12	एमटीएन 035	07.03.13	12	212645
86	बालाघाट	114	20.06.06	19.06.11	एमटीएन 038	14.03.13	21	0
87	बालाघाट	115	28.03.06	27.03.11	एमटीएन 046	05.03.14	36	0
88	बालाघाट	125	13.08.08	12.08.13	एमटीएन 052	05.03.14	7	0
89	छिंदवाड़ा	703	30.11.03	29.11.08	एमटीएन 003	01.05.10	17	0
90	छिंदवाड़ा	730	28.02.08	27.02.13	एमटीएन 036	14.10.13	8	0
91	छिंदवाड़ा	709	28.02.08	27.02.13	एमटीएन 046	23.10.13	8	0
92	छिंदवाड़ा	717	31.01.06	30.01.11	एमटीएन 027	14.02.13	25	0
93	छिंदवाड़ा	712	30.06.04	29.06.09	एमटीएन 005	15.10.10	16	0
94	छिंदवाड़ा	705	31.05.05	30.05.10	एमटीएन 021	26.03.13	34	0
95	छिंदवाड़ा	706	30.11.03	30.11.08	एमटीएन 008	03.04.10	16	0
96	छिंदवाड़ा	718	10.05.05	09.05.10	एमटीएन 013	03.12.10	7	0
97	छिंदवाड़ा	701	26.06.08	25.06.13	एमटीएन .044	03.09.14	15	0
98	छिंदवाड़ा	789	30.09.09	29.09.14	एमटीएन 054	09.01.15	3	0
99	छिंदवाड़ा	707/708	27.04.04	26.04.09	एमटीएन .002	16.12.10	20	0
100	छिंदवाड़ा	901	01.05.05	30.04.09	एमटीएन 016	18.04.11	24	0
101	छिंदवाड़ा	901A	31.12.03	30.12.08	एमटीएन 019	26.02.13	51	0
102	छिंदवाड़ा	721	28.10.06	27.10.11	एमटीएन 024	14.02.13	16	0
103	छिंदवाड़ा	729	16.06.07	15.06.12	एमटीएन 034	29.06.13	13	0
<b>कुल</b>								<b>93,30,285.10</b>

समय पर एमटीएन कार्यों को देने के बाद भी पैच रिपेयर पर व्यय दर्शाने वाला पत्रक

क्रम संख्या	ज़िले का नाम	पैकेज क्रं.	समापन का दिनांक	पांच साल पूरे होने के बाद	पैकेज क्रं. द्वारा आवंटित रखरखाव का कार्य	कार्य आदेश का दिनांक (रखरखाव)	विलंबित माह (दोष दायित्व अवधि की समाप्ति से एमटीएन कार्य देने की तारीख तक )	पैच मरम्मत कार्य की राशि ( ₹ में)
104	खरगोन	2252	29.11.07	28.11.12	22 एमटीएन 029	21.12.12	1	119651
105	खरगोन	2218	29.04.07	28.04.12	22 एमटीएन 025	04.05.12	0	104966
106	सागर	3325	10.07.10	09.07.15	33 एमटीएन 016	23.11.12	0	427446
107	सागर	3322	13.07.09	12.07.14	33 एमटीएन 039	06.06.14	0	538077
<b>योग</b>								<b>11,90,140</b>

## परिशिष्ट 2.22

(संदर्भ: पैरा 2.2.8.5, पृष्ठ 58)

विनिर्दिष्ट की तुलना में अतिरिक्त चौड़ाई के साथ पुलों के निर्माण से अतिरिक्त लागत दर्शाने वाला पत्रक

क्रम संख्या	सड़क का विवरण	लेखापरीक्षा की टिप्पणी	शासन का उत्तर	खंडन
1	खरगोन जिले के पैकेज एमपी-2264 के अंतिम ग्राम हारान कुण्डिया एप्रोच रोड के लिए डीपीआर तीन मीटर रास्ते की चौड़ाई के साथ स्वीकृत गई थी। कार्य दिसंबर 2009 में दिया गया था लेकिन निष्पादन के दौरान (दिसंबर 2010 और जनवरी 2011 के बीच) मुख्य महा प्रबंधक ने कार्यस्थल के दौरे के आधार पर तीन संरचनाओं (सीडी) के प्रतिस्थापन की स्वीकृति दी और ₹ 38.47 लाख की लागत को संशोधित ₹ 74.74 लाख कर दिया। राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त लागत अनुमोदित की गई थी (दिसंबर 2011) किन्तु पीआईयू ने विद्यमान अनुबंध से संरचनाओं को विलोपित करने का प्रस्ताव दिया (मई 2012) जिसे मुख्य महा प्रबंधक द्वारा स्वीकृत किया गया था (मार्च 2014)। बाद में पीआईयू ने इन संरचनाओं को तीन पुलों द्वारा प्रतिस्थापन के लिए प्रस्ताव दिया और ₹ 7.10 करोड़ की कुल लागत पर इन तीन पुलों का कार्य दिया गया। कार्य प्रगति पर थे और ₹ 26.83 लाख का व्यय किया गया था (जुलाई 2015)।	<p>i) ग्रामीण सड़क मैन्यूअल कुछ सीमा तक यातायात में रोक अनुमत्य करती है। उस सड़क पर यातायात की मात्रा कम थी और लक्षित गांव (2076 निवासी) एक सीमान्त गांव था। इसलिए ₹ 74.74 लाख का पूर्व प्रस्ताव न केवल किफायती था, अपितु योजना का उद्देश्य भी पूरा करता था। इस प्रकार, पूर्व में अनुमोदित लागत के विरुद्ध लगभग ₹ 7.10 करोड़ के व्यय से ₹ 6.35 करोड़ की परिहार्य लागत हुई।</p> <p>ii) यातायात कम होने के कारण सड़क के लिए 6 मीटर की वास्तविक सड़क चौड़ाई के विरुद्ध सभी तीन पुलों की चौड़ाई 7.5 मीटर रखी गयी थी। यद्यपि, विनिर्देशों के अनुसार लिंक सड़क होने से सभी पुलों को 5.5 मीटर की स्पष्ट चौड़ाई के साथ निर्मित किया जाना था किन्तु 7.5 मीटर की अतिरिक्त चौड़ाई में निर्माण किए जाने से राज्य सरकार को ₹ 1.89 करोड़<sup>6</sup> रुपये का अतिरिक्त व्यय वहन करना होगा।</p>	हारान कुण्डिया के पहुंचे मार्ग पर तीन अलग-अलग स्थानों पर नाले में जल प्रवाह के आंकड़ों (हाइड्रोलिक डेटा) को देखते हुए उच्च स्तरीय पुलों का निर्माण जरूरी हो गया था क्योंकि रपटों की स्थिरता की कोई संभावना नहीं थी और इसलिए इसे लंबे स्पान के पुल बनाना अपरिहार्य हो गया था।	उत्तर समाधान कारक नहीं है क्योंकि विनिर्देशों/ दिशा-निर्देशों के प्रावधानों पर विचार कर सीडी और रपटे प्रस्तावित किये गये थे और कार्यस्थल का निरीक्षण करने के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत किए गए थे। इसके अलावा, विनिर्देशों के अनुसार यातायात पर कुछ रुकावट अनुमत्य थी। एनआरआरडीए ने स्वयं व्यवस्था की थी कि बाद में चौड़ीकरण के प्रावधान के साथ पुल डिज़ाइन किए जाएं।
2	सागर जिले के जेसनगर ब्लॉक के पैकेज एमपी 3363 (एडीबी) के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 26 से मुद्रा सड़क का संरेखण, बरखेड़ी के पास सड़क के जलमग्न होने से, मुद्रा होकर बरखेड़ी से आगरा के लिए परिवर्तित किया गया था।	निष्पादन के दौरान (अगस्त 2012) विस्तृत सर्वेक्षण के आधार पर और तकनीकी कारणों से ₹ 1.48 करोड़ की अनुमानित लागत से 169.10 मीटर लंबे पुल (आरडी मी 2212 को आरडी मी 2367) के लिए	शासन ने उत्तर में बताया कि सड़क एस एच-14 से एमडी आर के मध्य कारीडोर के रूप में कार्य	उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यातायात में वृद्धि के बताए गए कारण अभिलिखित नहीं थे।

<sup>6</sup> 710.17 लाख (7.5 मी.- 5 मी) / 7.5 मी. = 189.38 लाख



क्रम संख्या	सड़क का विवरण	लेखापरीक्षा की टिप्पणी	शासन का उत्तर	खंडन
	प्रारम्भ में कुल 103 मोटर चालित वाहन (49 दो पहिया वाहन सहित) की यातायात के साथ सड़क के नए संरेखण में आरडी 2350 मीटर पर एक पुलिया प्रस्तावित थी।	कार्य दिया गया था (जून 2014)। पुल 7.50 मीटर की स्पष्ट चौड़ाई के साथ रूपांकित किया गया था। सड़क कम यातायात तीव्रता के साथ सम्पर्क सड़क थी और लक्षित ग्राम डूब में आने के कारण सीमान्त गाँव बन गया था, इसलिए स्पष्ट चौड़ाई 7.50 मीटर के बजाय 4.25 मीटर रखी जानी थी। इसके परिणामस्वरूप पुल के रास्ते की अतिरिक्त चौड़ाई के लिए ₹ 64.31 लाख <sup>8</sup> का परिहार्य व्यय होगा।	करती है और इसलिए राज्य तकनीकी एजेन्सी ने 100 वर्षों के लिए यातायात में भावी वृद्धि को ध्यान में रखते हुए 7.5 मीटर चौड़ाई का सुझाव दिया था।	एनआरआरडीए भी बाद में चौड़ीकरण किये जाने की व्यवस्था के साथ पुल का रूपांकन करना प्रावधानित करता है।

<sup>8</sup> ₹ 148.41 x (7.50-4.25) = ₹ 64.31 लाख आनुपातिक रूप से संगणित

## परिशिष्ट 2.23

(संदर्भ: कंडिका 2.3.5, पृष्ठ 67)

11 वीं एवं 12वीं योजना अवधि के अंतर्गत प्रारंभ की गई गतिविधियों का विवरण दर्शाने वाला पत्रक

(₹ करोड़ में)

विभाग	गतिविधियां	अनुमोदित ए.सी.ए.
जल संसाधन विभाग	राजघाट नहर प्रणाली का कमान क्षेत्र विकास, चल रही लघु सिंचाई योजनाओं को पूर्ण करना, बरियारपुर परियोजना एवं सिंहपुर बराज को पूर्ण करना एवं जलाशय/तालाबों एवं नहरों का सुधार एवं नवीनीकरण, 97 नई लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण	881
किसान कल्याण एवं कृषि विकास	वेयर हाउस एवं विपणन अधोसंरचनाओं एवं लघु मंडियों का निर्माण	574
वन विभाग	कुल 2,00,000 हेक्टेयर क्षरित वन क्षेत्र जल संरक्षण के अंतर्गत सुधार के लिए प्रस्तावित	107
	<b>ए.सी.ए. का कुल आवंटन</b>	<b>1562</b>
	<b>छह विभागों को ए.सी.ए. का आवंटन</b>	<b>1,953.20</b>

## ए.सी.ए. द्वारा अनुमोदित 12 वें प्लान का विवरण

विभाग	गतिविधियां	अनुमोदित ए.सी.ए.
जल संसाधन विभाग	पंचम नगर, सोनपुर एवं पवई मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का क्रियान्वयन, 21 लघु सिंचाई योजनाओं एवं उनके कमांड एरिया का विकास कार्य.	700
किसान कल्याण तथा कृषि विकास	लघु कृषि विपणन, कलर सार्टेक्स प्लांट, कृषि इनपुट केन्द्र, दलहन विस्तार कार्यक्रम एवं बीज शोधन ईकाई	130
वन विभाग	मृदा नमी संरक्षण कार्य, नहर के पार्व में एन.टी.एफ.पी. प्रक्रिया	80
	<b>ए.सी.ए. का कुल आवंटन</b>	<b>910</b>
	<b>10 विभागों को ए.सी.ए. का आवंटन</b>	<b>1,884.50</b>

**परिशिष्ट 2.24**

(संदर्भ: कंडिका 2.3.7.4 (II), पृष्ठ 75)

बी.डी.एम पी से व्यय के पश्चात विभाग द्वारा छोड़ी गयी योजनाओं का विवरण दर्शाने वाला पत्रक  
(₹ लाख में)

क्र.	जिला	योजना का नाम	छोड़ी गई योजनाओं का कारण	राशि
1	टीकमगढ़	राजनगर तालाब	कमान क्षेत्र अतिव्यापन	105.31
2	टीकमगढ़	खाडेरा तालाब	कमान क्षेत्र अतिव्यापन	113.99
3	टीकमगढ़	देवपुर तालाब	कमान क्षेत्र अतिव्यापन	101.78
4	टीकमगढ़	पथरगवाँ तालाब	कमान क्षेत्र अतिव्यापन	95.89
5	टीकमगढ़	जगतनगर	मुख्य अभियंता धसान केन कछार, सागर द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण	30.00
6	टीकमगढ़	भीतरी एलआईएस	मुख्य अभियंता धसान केन कछार, सागर द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण	39.42
7	पन्ना	किशनपुरा तालाब	विभाग द्वारा छोड़ी गई	2.04
8	पन्ना	सेमरा तालाब	संभाग के लेखा परीक्षा के दौरान अभिलेखों में कारण नहीं पाए गए	111.17
9	पन्ना	झाली तालाब	संभाग के लेखापरीक्षा के दौरान अभिलेखों में कारण नहीं पाए गए	160.84
10	सागर	मोती मैहर तालाब	मुख्य अभियंता धसान केन कछार, सागर के उपलब्ध कराए गए विवरण	5.02
		<b>योग</b>		<b>765.46</b>

## परिशिष्ट 2.25

(संदर्भ: कंडिका 2.3.7.4 (II), पृष्ठ 76)

लाभ लागत अनुपात में कमियों को दर्शाने वाला पत्रक

(₹ लाख में)

क्रं.	योजना का नाम	संभाग	प्रशासकीय स्वीकृति	रूपांकित सिचाई (हे.)	सम्भाग द्वारा परिकलित लाभ-लागत अनुपात की गणना	वास्तविक लाभ-लागत अनुपात
1	समनापुर तालाब	सागर	3449.7	1888	2.54	0.38
2	सतधारा तालाब	सागर	2091.21	2112	2.83	0.38
3	कंजेला तालाब	सागर	875.44	469	1.68	0.93
4	जालन्धर तालाब	सागर	1172.72	326	1.5	0.708
5	तिन्सीमार पानी तालाब	सागर	2122.31	1051	1.35	0.43
6	हिलगन	कसली	3645.85	1674	2.16	0.899
7	गजेन्दा तालाब	पवई	86.15	132	1.28	0.83
8	पाती तालाब	पवई	226.43	354		0.97
9	भेल्दा	नौगाँव	377.37	205	2.09	0.82
10	गोची तालाब	नौगाँव	406.50	247	1.34	
11	बहादुरगढ़ तालाब	टीकमगढ़	1936.72	982	1.35	0.92
12	जरूआ तालाब	टीकमगढ़	1103.69	613	1.13	0.79
13	तिकोनाघाट तालाब	टीकमगढ़	552.45	286	1.31	0.67
14	कवाघाट तालाब	टीकमगढ़	840.3	519	1.6	0.83
15	सतीघाट तालाब	टीकमगढ़	797.01	548	1.86	0.92
16	जनकपुर तालाब	पन्ना	226.58	157	1.96	0.72
17	भिलसाई तालाब	पन्ना	538.77	350	1.97	0.86
18	बरीकरोना तालाब	दमोह	533.87	374	1.65	0.93
19	आलमपुर (मनवार)	दमोह	871.99	440	1.41	0.76
20	नरगुवाँ	दमोह	1820.03	963	2.17	0.93
21	बांसाकलौ तालाब	दमोह	575.24	357	1.95	0.95
22	बडेरा तालाब	दमोह	606.92	485.65	0.82	0.82
		<b>योग</b>	<b>24,857.25</b>			

**परिशिष्ट 2.26**

(संदर्भ: कंडिका 2.3.7.4 (I), पृष्ठ 76)

योजनाओं जिनके लिए 11 वीं योजना अवधि के बाद निविदा आमंत्रण सूचना जारी की गई, को दर्शाने वाला विवरण पत्रक (यथा 31.03.2012 के पश्चात्)

(₹ लाख में)

क्रं.	संभाग का नाम	योजना का नाम	निविदा दिनांक	पीएसी
1	जल संसाधन विभाग क्र. संभाग 1 सागर	विजयपुरा वियर (चरखारी)	30.08.2012	144.22
2	जल संसाधन विभाग संभाग क्र. 1 सागर	भामोरी जगदीश तालाब	30.08.2012	202.22
3	जल संसाधन विभाग संभाग क्र. 1 सागर	धाबोली तालाब	30.08.2013	267.1
4	जल संसाधन विभाग संभाग क्र. 1 सागर	सगरी तालाब	21.11.2012	84.1
5	जल संसाधन विभाग संभाग टीकमगढ़	कवाघाट तालाब	20.03.2013	372.73
6	जल संसाधन विभाग संभाग टीकमगढ़	तिकोनाघाट तालाब	12.01.2012	264.31
7	जल संसाधन विभाग संभाग टीकमगढ़	देवघाट वियर	31.01.2013	193.8
8	जल संसाधन विभाग संभाग टीकमगढ़	पचोरघाट वियर	10.07.2012	178.03
9	जल संसाधन विभाग संभाग टीकमगढ़	बहादुरागढ़ तालाब	20.05.2012	193.96 583.17
10	जल संसाधन विभाग संभाग टीकमगढ़	मडवाघाट तालाब	21.05.2013	672.71
11	जल संसाधन विभाग संभाग टीकमगढ़	रामगढ़ परेबा तालाब	10.09.2013	980.59
12	जल संसाधन विभाग दमोह	धनेटा तालाब	21.02.2012	55.51
13	जल संसाधन विभाग दमोह	पुरा वियर	15.05.2012	74.17
14	जल संसाधन विभाग दमोह	आलमपुर तालाब	01.10.2012	468.80
15	जल संसाधन विभाग दमोह	बडेरा तालाब	01.10.2012	384.27
16	जल संसाधन विभाग दमोह	बांसाकला तालाब	11.12.2012	313.47
17	जल संसाधन विभाग दमोह	रोसरा स्टाप डैम	21.01.2013	222.35
18	जल संसाधन विभाग दमोह	घाटपिपरिया बैराज	21.01.2013	154.50
<b>योग</b>				<b>5,810.01</b>

**परिशिष्ट 2.27**

(संदर्भ: कंडिका 2.3.7.4 (I), पृष्ठ 76)

योजना सौंपे जाने के बाद भूमि के अधिग्रहण के विवरण दर्शाने वाला पत्रक

(₹ लाख में)

क्रं.	जिला	परियोजना का नाम	भू-अर्जन का दिनांक आरम्भ/ योजना	कार्य आदेश दिनांक	अनुमत समय माह में	विलंब दिवसों में	स्वीकृत मूल्य	कुल व्यय
1	सागर	समनापुर तालाब	25.02.2012	14.02.2011	17	376	3449.79	2970.89
2	सागर	डबेडेरा तालाब	13.06.2012	19.11.2010	8	572	320.22	240.11
3	दमोह	छोटी कटंगी तालाब	27.09.2011	17.02.2011	12	222	151.44	152.04
4	पन्ना	सकरिया तालाब	05.08.2011	11.07.2011	18	25	569.84	502.63
5	पन्ना	सबदूआ तालाब	20.05.2011	10.01.2011	9	130	315	312.11
6	पन्ना	भर्रा नाला तालाब	20.05.2011	28.02.2011	12	81	310	294.6
7	टीकमगढ़	बरुआनाला तालाब	14.10.2012	06.04.2011	21	557	3459.59	2664.75
8	टीकमगढ़	बगाजमाता तालाब	26.09.2011	28.01.2011	12	241	1752.34	1346.23
9	टीकमगढ़	सती घाट तालाब	18.10.2012	09.03.2011	17	589	797.01	726.63
10	टीकमगढ़	टीलाधान्त तालाब	18.07.2011	06.04.2011	15	103	709.79	582.59
11	टीकमगढ़	बंजारी तालाब	19.11.2011	10.02.2011	12	282	277.48	331.99
<b>योग</b>							<b>12,112.50</b>	<b>10,124.57</b>

## परिशिष्ट 2.28

(संदर्भ: कंडिका 2.3.7.4 (II), पृष्ठ 76)

प्रशासनिक अनुमोदन से अधिक अनियमित व्यय के विवरण दर्शाने वाला पत्रक

(₹ लाख में)

क्रं.	जिले का नाम	परियोजना का नाम	योजना का प्रकार	स्वीकृत लागत	सिंचाई संरचना हे. में	बांध की भौतिक प्रगति	नहर की भौतिक प्रगति	बीडीएमपी से पहले का व्यय	व्यय
1	दमोह	बंदरकोला तालाब	प्रगतिरत लघु सिंचाई 11वीं योजना	50.59	47	100	100	35.54	89.01
2	दमोह	पती महाराज सिंह तालाब	प्रगतिरत लघु सिंचाई 11वीं योजना	112.03	118	95	95	48.83	189.37
3	छतरपुर	दहारगाँव	प्रगतिरत लघु सिंचाई 11वीं योजना	44.94	67	100	100	4.07	53.08
4	छतरपुर	नयाताल तालाब	प्रगतिरत लघु सिंचाई 11वीं योजना	30.64	89	100	100	19.14	38.55
5	छतरपुर	कुसमाद तालाब	प्रगतिरत लघु सिंचाई 11वीं योजना	301.66	318	100	88	29.9	402.92
6	छतरपुर	ममोन तालाब	प्रगतिरत लघु सिंचाई 11वीं योजना	575.11	650	100	97	187.97	687.42
7	छतरपुर	रजिया तालाब	प्रगतिरत लघु सिंचाई 11वीं योजना	282	300	100	98	316.12	311.48
8	पन्ना	लीपरी तालाब	प्रगतिरत लघु सिंचाई 11वीं योजना	2214.6	1251	100	100	55.17	2889.21
9	पन्ना	भर्मा तालाब	प्रगतिरत लघु सिंचाई 11वीं योजना	83.35	80	95	95	0	129.21
10	पन्ना	जुगरवारा तालाब	प्रगतिरत लघु सिंचाई 11वीं योजना	195.18	158	100	90	0	239.99
11	सागर	बमहोरी जगदीश तालाब	नई लघु सिंचाई 11वीं योजना	415.95	278	98	70	0	522.27
12	सागर	चुनुवा बुर्ज तालाब	नई लघु सिंचाई 11वीं योजना	684.59	360	80	40	0	818.37
13	सागर	डबडेशा तालाब	नई लघु सिंचाई 11वीं योजना	216.16	138	30	25	0	240.11
14	सागर	पगरा तालाब	नई लघु सिंचाई 11वीं योजना	237.6	120	100	100	0	268.72
15	सागर	जलंधर तालाब	नई लघु सिंचाई 11वीं योजना	875.72	568	80	60	0	995.82
16	दमोह	अलामपुर नैनबवार तालाब	नई लघु सिंचाई 11वीं योजना	864.2	440	80	0	0	1030.41
17	दमोह	बाँसाकला तालाब	नई लघु सिंचाई 11वीं योजना	575.24	357	85	100	0	636.61
18	दमोह	बडेशा तालाब	नई लघु सिंचाई 11वीं योजना	606.92	486	80	60	0	973.27
19	दमोह	भीनानी तालाब	नई लघु सिंचाई 11वीं योजना	395.93	324	100	100	0	823.82
20	दमोह	छोटी कटंगी तालाब	नई लघु सिंचाई 11वीं योजना	112.48	70	100	100	0	152.04
21	दमोह	गर्जेन्दा तालाब	नई लघु सिंचाई 11वीं योजना	256.85	132	100	90	0	298.95
22	टीकमगढ़	बन्जारी तालाब	नई लघु सिंचाई 11वीं योजना	277.48	180	97	98	0	331.99
23	टीकमगढ़	जामनी नदी पर भदभदा वियर	नई लघु सिंचाई 11वीं योजना	92.99	120	100	अनु.	0	125.11
24	टीकमगढ़	जामनी नदी पर चौतराघाट वियर	नई लघु सिंचाई 11वीं योजना	153.82	190	100	अनु.	0	180.48
25	टीकमगढ़	गोपालघाट वियर	नई लघु सिंचाई 11वीं योजना	92.68	140	100	अनु.	0	117.71

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन आर्थिक ( गैर - सा.क्षे.उ.) क्षेत्र

क्रं.	जिले का नाम	परियोजना का नाम	योजना का प्रकार	स्वीकृत लागत	सिंचाई संरचना हे. में	बांध की भौतिक प्रगति	नहर की भौतिक प्रगति	बीडीएमपी से पहले का व्यय	व्यय
26	टीकमगढ़	गौहरघाट वियर जामनी नदी पर	नई लघु सिंचाई 11वीं योजना	162.78	180	100	अनु.	0	190.08
27	टीकमगढ़	हरपुरा वियर	नई लघु सिंचाई 11वीं योजना	151.58	200	80	अनु.	0	279.84
28	टीकमगढ़	सिधवावा वियर	नई लघु सिंचाई 11वीं योजना	115.89	140	100	अनु.	0	146.87
			<b>योग</b>	<b>10178.96</b>	<b>7501</b>				<b>13162.71</b>

अतिरिक्त व्यय = ₹ 131.63 करोड़ - ₹ 101.79 करोड़ = ₹ 29.84 करोड़

## परिशिष्ट 2.29

(संदर्भ: कंडिका 2.3.7.4 (II), पृष्ठ 77)

विभाग द्वारा विस्तृत प्राक्कलन को तैयार किए बिना कार्य का क्रियान्वयन दर्शाने वाला पत्रक

योजना का नाम	भिलसाई तालाब	सकरिया तालाब	बिलाही तालाब	बरेहपुर तालाब	रायपुर तालाब	सिरसवाहा तालाब (नया)	बहादुरगंज तालाब (नया)	रानीपुर तालाब (नया)	पहाड़ी खेड़ा	योग
पीएसी (₹ लाख में)	300.02	434.64	127.38	227.25	378.98	1679.84	514.86	312.49	448.09	
प्राशासकीय स्वीकृति की राशि (₹ लाख में)	538.23	569.84	243.83	346.21	518.3	3224.81	889.02	734.81	895.64	<b>7960.69</b>
प्राक्कित विवरण संलग्न डीपीआर में	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	
बैंच मार्क पंजी	प्र.न.	प्र.न.	प्र.न.	प्र.न.	प्र.न.	प्र.न.	प्र.न.	प्र.न.	प्र.न.	.
इलेवल बुक प्रस्तुत अथवा नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	हां	नहीं	नहीं	नहीं	.
ग्राफ मा.पु. प्रस्तुत अथवा नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	हां	नहीं	नहीं	नहीं	.
विस्तृत मा.पु. प्रस्तुत अथवा नहीं	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	.
देयक मा.पु. प्रस्तुत अथवा नहीं	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	.
मिट्टी जांच परिणाम प्रस्तुत अथवा नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं	नहीं	.
सी.सी. जांच परिणाम प्रस्तुत अथवा नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	.
अनुमोदित मिक्स डिज़ाइन की प्रति	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	.
रूपांकित सिंचाई	350	480	139	269	397	1719	451	397	600	.
मार्च 2015 तक योजनाओं पर व्यय (₹ लाख में)	468.99	502.63	198.15	291.7	485.09	2414.49	125.62	382.05	745.71	<b>5,614.43</b>

प्र.न.: प्रस्तुत नहीं



परिशिष्ट 2.30

(संदर्भ: कंडिका 2.3.7.4 (II), पृष्ठ 77)

लघु सिंचाई योजनाओं के क्रियान्वयन में अनियमितताओं का विस्तृत विवरण दर्शाने वाला पत्रक

स.क्र.	योजना का नाम	भूमि योजना बनाने की	डीपीआर के अनुसार बांध के लिए भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता (हेक्टेयर में)	डीपीआर के अनुसार बांध के लिए भूमि अधिग्रहण का मूल्य	डीपीआर के अनुसार बांध का कुल डूब क्षेत्र	वास्तव में बांध के लिए अधिग्रहित भूमि (हेक्टेयर में)	वास्तव में अधिग्रहित भूमि का मूल्य	वास्तव में बांध का कुल डूब क्षेत्र	मांग के विरुद्ध भूमि अधिग्रहण की कमी	डीपीआर से कमी (प्रतिशत में)
1	रामखिरिया तालाब	25.10.2010	23.34	18.31	23.34	13.61	19.1	13.61	9.73	-41.6881
2	जनकपुर तालाब	01.01.2011	31.41	37.33	31.41	26.66	135.09	26.66	4.75	-15.1226
3	भिलसई तालाब	15.01.2011	83	161.95	83	28.37	109.34	28.37	54.63	-65.8193
4	दीया तालाब	30.04.2011	34.1	62.91	34.1	19.07	49.72	19.07	15.03	-44.0762
5	पहाड़ीखेड़ा तालाब	30.04.2010	119.2	318.78	119.2	26	76.88	26	93.2	-78.1879
6	सकरिया तालाब	15.07.2011	32.39	37.59	32.39	17.02	72.84	17.02	15.37	-47.4529
7	बहरी बाताब	15.10.2011	38.18	46.43	38.18	37.28	117.54	37.28	0.9	-2.35726
8	बारानला (मोकाच) तालाब	25.04.2011	45.82	48.74	45.82	34.31	165.79	34.31	11.51	-25.12
9	सबदुआ तालाब	15.04.2011	49.94	72.48	49.94	37.39	195.95	37.39	12.55	-25.1302
10	बिलाही तालाब	15.04.2011	32.89	63.81	32.89	28.94	130.49	28.94	3.95	-12.0097
11	सिरस्वाहा तालाब (नया)	15.07.2012	248.07	1167.63	248.07	235.92	1107	235.92	12.15	-4.89781
12	रानीपुर तालाब (नया)	15.07.2012	66.31	271.34	66.31	57.95	262.4	57.95	8.36	-12.6074
<b>योग</b>					<b>804.65</b>			<b>562.52</b>		

**परिशिष्ट 2.31**  
(सन्दर्भ: कंडिका 2.3.7.4 (IV), पृष्ठ 77)  
वियर का विवरण दर्शाने वाला पत्रक

स.क्र.	जिला	तालाब का नाम	स्वीकृत मूल्य (₹ लाख में)	प्रस्तावित डिजाइन सिंचाई (हे.)	डिजाइन भण्डारण (एमसीएम)	1 लाख घन मी पानी में 316 हेक्टेयर में सिंचाई की अधिकतम संभावना के सूत्र को मानते हुए गणना	31 मार्च 2015 तक व्यय (₹ लाख में)
1	दमोह	कोसमादा नेहलीघाट वियर नदी	105.44	194	0.6	23.715	107.74
2	छमोह	झापन नाला	96.74	186	0.58	34.1496	79.71
3	टीकमगढ़	सिदवाहा वियर	115.89	140	0.11	34.65	146.87
4	टीकमगढ़	किन्दूरघाट वियर	174.52	195	0.14	44.1	185.95
5	सागर	मडीखेड़ा	88.97	90	0.11	34.65	<b>59.73</b>
6	सागर	चन्देना वियरि	76.53	72	0.14	44.1	<b>76.89</b>
7	सागर	रानीताल	76.53	70	0.14	44.1	<b>67</b>
8	सागर	टुण्डरी	76.53	73	0.14	44.1	<b>48.01</b>
<b>उप -योग</b>							<b>771.90</b>
1	टीकमगढ़	जामनी नदि पर डुण्डरा वियरि	211.02	250	0.19	59.85	223.79
2	टीकमगढ़	सुडन वियरि	170	180	0.22	69.3	122.82
3	टीकमगढ़	हरपुरा वियरि	151.58	200	0.29	91.35	279.84
4	टीकमगढ़	गोपालघाट वियरि	92.68	140	0.36	113.4	117.71
5	टीकमगढ़	जामनी नदि पर गौरघाट वियरि नदी	162.78	180	0.45	141.75	190.08
6	टीकमगढ़	जामनी नदि पर बसाघाट वियरि नदी	163.69	180	0.5	157.5	169.76
7	टीकमगढ़	जामनी नदि पर चउतराघाट वियरि	153.82	190	0.52	163.8	180.48
8	सागर	विजयपुरा चरखारी	149.8	215	0.55	173.25	112.58
<b>योग</b>							<b>1,397.06</b>

टिप्पणी: चिन्हित 4 लघु निर्मित सिंचाई योजनाओं के बीच की दूरी 6 किमी से कम निर्मित की गई थीं दो वियर का रूपांकन 50 हेक्टेयर से कम सिंचाई क्षमता के लिए किया गया था ।

परिशिष्ट 2.32

(सन्दर्भ: कंडिका 2.3.7.4 (IV), पृष्ठ 77)

वियर की नींव में उच्चतर विशिष्टि के प्रावधान के विवरण को दर्शाने वाला पत्रक

(राशि ₹ में)

स.क्र.	तालाब का नाम	जिला	नींव में सीमेंट कांक्रीट 1:2:4 की मात्रा घन मी में	एम-10 और एम-15 की दरों का अंतर	कुल राशि
1	हरपुरा वियर	टीकमगढ़	1134.87	486	551546.80
2	सुडान वियर	टीकमगढ़	1290.47	486	627168.40
3	जामनी नदी पर भदभदा वियर	टीकमगढ़	655.85	486	318743.10
4	जामनी पर गौर घाट वियर	टीकमगढ़	1204.89	486	585576.50
5	खिन्दर घाट वियर	टीकमगढ़	1329.37	486	646073.80
6	चौतरा घाट	टीकमगढ़	1173.77	486	570452.20
7	दउंदरा	टीकमगढ़	1640.57	486	797317.00
8	बोधा पिपरिया वियर	सागर	686.75	486	333760.50
9	चन्देना विअर	सागर	671.37	486	326285.80
10	इकपना बसोना वियर	सागर	387.23	486	188193.80
11	घोघरा वियर	सागर	1383.74	486	672497.60
12	हीरापुर वियर	सागर	4118.07	486	2001382.00
13	मडखेड़ा	सागर	815.47	486	396318.40
14	पठा	सागर	902.93	486	438824.00
15	पिपरिया अहीर	सागर	760.54	486	369622.40
16	पिपरिया खंगार	सागर	716.69	486	348311.30
17	रानीताल	सागर	671.37	486	326285.80
18	सलैया	सागर	686.75	486	333760.50
19	सांजरा	सागर	599.99	486	291595.10
20	हरदुआ	सागर	312.33	486	151792.40
				<b>योग</b>	<b>1,02,75,507.40</b>

## परिशिष्ट 2.33

(सन्दर्भ: कंडिका 2.3.7.4 (V), पृष्ठ 77)

अनुबंधित कार्य का अन्य व्यक्ति को भुगतान के विवरण को दर्शाने वाला पत्रक

(राशि ₹ में)

स.क्र.	योजना का नाम	अनुबंध क्रमांक	प्रमाणक क्रमांक तथा तिथि	सकल राशि	निवल राशि	रोकड़ पुस्तक का पृष्ठ क्रमांक
1	रायपुर तालाब	30/2011-12	58/18.05.2012	4963004	4415823	37/200
2	रायपुर तालाब	30/2011-12	46/04.06.2012	1998000	1760702	38/26
3	रायपुर तालाब	30/2011-12	102/20.06.2012	2500000	2184390	38/46
4	रायपुर तालाब	30/2011-12	133/28.06.2012	3452000	3035288	38/56
5	रायपुर तालाब	30/2011-12	16/01.08.2012	1315000	1075237	99
6	रायपुर तालाब	30/2011-12	100/26.09.2011	2085000	1838463	142
7	सिलि तालाब	45/2010-11	123/29.09.2012	250000	223340	146
8	सिमरा तालाब	30/2010-11	30/25.10.2012	154275	127781	158
9	सिमरा तालाब	30/2010-11	47/25.10.2012	140175	115162	162
10	रायपुर तालाब	30/2011-12	48/30.10.2012	2050000	1732180	162
11	सिमरा तालाब	30/2010-11	33/09.11.2012	805500	719845	172
12	रायपुर तालाब	30/2011-12	43/10.11.2012	1000000	893690	175
13	चंगुना तालाब	16/2010-11	101/24.11.2012	210000	187588	188
14	चंगुना तालाब	16/2010-11	102/24.11.2012	180000	155774	188
15	रायपुर तालाब	30/2011-12	29/18.12.2012	3800000	3196330	39/3
16	सिमरा तालाब	30/2010-11	36/21.12.2012	2117334	1692363	39/04
17	सिमरा तालाब	30/2010-11	76/26.12.2012	1382700	1185747	39/12
18	रायपुर तालाब	30/2011-12	103/28.12.2012	2142000	1714410	39/12
19	सिमरा तालाब	30/2010-11	19/21.01.2013	800000	664930	39/40
20	सिलि तालाब	45/2010-11	20/04.02.2013	500000	346790	39/55
21	रायपुर तालाब	30/2011-12	32/4.02.2013	1500000	1240590	39/59
22	सिमरा तालाब	30/2010-11	33/4.02.2013	500000	346790	39/59
23	रायपुर तालाब	30/2011-12	45/15.02.2013	1100000	883070	39/64
24	सिमरा तालाब	30/2010-11	48/15.02.2013	600000	436170	39/65
25	सिलि तालाब	45/2010-11	69/22.02.2013	500000	396790	39/69
26	सिलि तालाब	45/2010-11	3/04.03.2013	400000	307410	39/80
28	सिलि तालाब	45/2010-11	84/19.03.2013	1000000	793690	39/100
29	रायपुर तालाब	30/2011-12	87/19.03.2013	2000000	1587490	39/101
30	सिमरा तालाब	30/2010-11	88/19.03.2013	400000	307410	39/101
31	रायपुर तालाब	30/2011-12	182/23.03.2013	1200000	1022450	39/118
32	रायपुर तालाब	30/2011-12	48/16.05.2013	1100000	932670	40/9
33	सिलि तालाब	45/2010-11	51/17.05.2013	7030000	577831	40/9
<b>योग</b>					<b>3,60,98,194</b>	

परिशिष्ट 2.34

(सन्दर्भ: कंडिका 2.3.7.4 (VI), पृष्ठ 78)

हार्ड रॉक के अनुपयोग का विवरण दर्शाने वाला पत्रक

(राशि ₹ लाख में)

स. क्र.	संभाग का नाम	योजना का नाम	विवरण	हार्ड रॉक का प्रावधान घन मी में	हार्ड रॉक का वास्तविक उत्खनन घन मी में	खोदी गई मात्रा	मजदूरी को छोड़कर पिचिंग की अतिरिक्त दर	राशि
1	जल संसाधन संभाग 1 सागर	समनापुर तालाब	पिचिंग के गलत अनुमान	16400	7904.21	7321.5	571.11	4181381.86
2	जल संसाधन संभाग 1 सागर	सतधारा तालाब	पिचिंग के गलत अनुमान	20421.26	26698.80	20481	274.52	5622444.12
3	नौगांव	बेनी सागर का डायवर्सन	खुदाई एवं तुड़ाई से प्राप्त हार्ड रॉक का उपयोग नहीं करना		8250.96	5214.58	299	1559159.42
			खुदाई से प्राप्त हार्ड रॉक का उपयोग नहीं करना	1596.01	1596.01	1596.01	399	636807.99
4	नौगांव	खिरिया बुजुर्ग योजना	हार्ड रॉक का उपयोग नहीं करना	1384	12004.39	2626.40	267.46	702456.944
						4019.465	560.46	2252749.35
						1992.62	256.46	511027.32
5	पवई	बुन्देलखण्ड पैकेज के अंतर्गत लीपरी तालाब का निर्माण	हार्ड रॉक का उपयोग नहीं करना	564.8	38681	29049.66	241.29	7009392.46
		<b>योग</b>						<b>2,24,75,419.46</b>

## परिशिष्ट 2.35

(सन्दर्भ: कंडिका 2.3.7.6 पृष्ठ 79)

स्थापना, पेट्रोल, आईल, लुब्रीकेन्ट्स, लेखन सामग्री तथा सर्वेक्षण कार्य पर व्यय का विवरण दर्शाने वाला पत्रक

(राशि ₹ में)

जिले का नाम	स्थापना	पीओएल	लेखन सामग्री	सर्वेक्षण	महा योग
छतरपुर	30942806	3103071	5073111	1150570	40269558
दमोह	241552	2624892	905976	469340	4241760
पन्ना	9565305	15180981	4673060	4047780	33467126
सागर	25127096	11064434	11474057	828768	48494355
टीकमगढ़	1110786	1749468	3484420	2284304	8628978
<b>महा योग</b>	<b>6,69,87,545</b>	<b>3,37,22,846</b>	<b>2,56,10,624</b>	<b>87,80,762</b>	<b>13,51,01,777</b>

## परिशिष्ट 2.36

(संदर्भ: कंडिका 2.3.7.6, पृष्ठ 80)

बुन्देलखण्ड पैकेज के अंतर्गत 12 वीं योजना में पारित योजनाओं पर भू-अधिग्रहण के व्यय का विवरण दर्शाने वाला पत्रक

(₹ लाख में)

स. क्र.	संभाग का नाम	जिला	योजना का नाम	भुगतान की तिथि	राशि
1	पंचम नगर सर्वेक्षण संभाग	दमोह	पंचम नगर मध्यम परियोजना	28.06.2014	515.31
2	पंचम नगर सर्वेक्षण संभाग	दमोह	पंचम नगर मध्यम परियोजना	22.09.2014	248.49
3	पंचम नगर सर्वेक्षण संभाग	दमोह	पंचम नगर मध्यम परियोजना	29.12.2014	158.64
4	पंचम नगर सर्वेक्षण संभाग	दमोह	पंचम नगर मध्यम परियोजना	28.02.2015	119.82
5	पंचम नगर सर्वेक्षण संभाग	दमोह	पंचम नगर मध्यम परियोजना	28.02.2015	359.57
6	जल संसाधन विभाग केसली	सागर	सोनपुर मध्यम परियोजना	08.03.2014	534.42
7	जल संसाधन विभाग केसली	सागर	सोनपुर मध्यम परियोजना	31.10.2014	10.00
8	जल संसाधन विभाग केसली	सागर	सोनपुर मध्यम परियोजना	24.12.2014	235.00
9	जल संसाधन विभाग पवई	पन्ना	पवई मध्यम परियोजना	31.12.2013	616.67
10	जल संसाधन विभाग पवई	पन्ना	पवई मध्यम परियोजना	28.03.2014	25.70
11	जल संसाधन विभाग पवई	पन्ना	पवई मध्यम परियोजना	17.03.2015	200.00
12	जल संसाधन विभाग पन्ना	पन्ना	रानीपुर तालाब	24.03.2015	20.00
	<b>चार संभाग</b>			<b>योग</b>	<b>3,043.62</b>

परिशिष्ट 2.37

(संदर्भ: कंडिका 2.3.8.1, पृष्ठ 82)

उपयोगिता सुनिश्चित किए बिना अधोसंरचना के सृजन को दर्शाने वाला पत्रक

(₹ लाख में)

स. क्र.	जिला	पैकेज नं.	स्थान	कार्य का नाम	श्रेणी	राशि
1	छतरपुर	छतरपुर / 234	छतरपुर	किसान सूचना केन्द्र	सूचना केन्द्र	12.45
2	छतरपुर	छतरपुर 234	गढीमलहरा	किसान सूचना केन्द्र	सूचना केन्द्र	12.35
3	छतरपुर	छतरपुर / 235	बिजावर	किसान सूचना केन्द्र	सूचना केन्द्र	11.74
4	छतरपुर	छतरपुर / 235	बडामलाहरा	किसान सूचना केन्द्र	सूचना केन्द्र	12.08
5	छतरपुर	छतरपुर / 236	घुवारा	किसान सूचना केन्द्र	सूचना केन्द्र	12.63
6	छतरपुर	छतरपुर / 236	बक्सवाहा	किसान सूचना केन्द्र	सूचना केन्द्र	12.35
7	छतरपुर	छतरपुर / 202	राजनगर	किसान सूचना केन्द्र	सूचना केन्द्र	11.83
8	छतरपुर	छतरपुर / 237	लौडी	किसान सूचना केन्द्र	सूचना केन्द्र	12.64
9	छतरपुर	छतरपुर / 237	चान्दला	किसान सूचना केन्द्र	सूचना केन्द्र	13.22
10	छतरपुर	छतरपुर / 238	हरपालपुर (नौगाँव)	किसान सूचना केन्द्र	सूचना केन्द्र	10.10
11	पन्ना	पन्ना / 309	अमानगंज	किसान सूचना केन्द्र	सूचना केन्द्र	7.28
12	पन्ना	पन्ना / 309	गुन्नौर	किसान सूचना केन्द्र	सूचना केन्द्र	12.74
13	पन्ना	पन्ना / 309	गुन्नौर	भण्डारण केन्द्र/आधा खुला प्लेटफार्म (1000मी.ट.)	नीलामी सुविधा	42.13
14	पन्ना	पन्ना / 309	सहेला	किसान सूचना केन्द्र	सूचना केन्द्र	14.28
15	पन्ना	पन्ना / 249	पवाई	किसान सूचना केन्द्र	सूचना केन्द्र	11.62
16	छतरपुर	छतरपुर/234	छतरपुर	छोटी दुकान/ शेड	नीलामी सुविधा	31.55
17	छतरपुर	छतरपुर/234	छतरपुर	सुविधा एवं दुकाने	नागरिक सुविधा	84.42
18	छतरपुर	छतरपुर / 235	बिजावर	सुविधा एवं दुकाने	नागरिक सुविधा	25.08
19	पन्ना	पन्ना /247	बडागाँव	6 दुकाने एवं नागरिक सुविधा केन्द्र	नागरिक सुविधा	10.60
20	पन्ना	पन्ना / 309	अमानगंज	6 दुकाने	दुकाने	16.89

स. क्र.	जिला	पैकेज नं.	स्थान	कार्य का नाम	श्रेणी	राशि
21	पन्ना	पन्ना / 309	गुन्नौर	6 दुकाने	दुकाने	10.94
22	पन्ना	पन्ना / 309	सलेहा	6 दुकाने	दुकाने	16.70
23	पन्ना	पन्ना /249	पवई	दुकाने	नागरिक सुविधा	11.90
24	छतरपुर	छतरपुर / 234	गढ़ीमलाहारा	तौल प्लेटफार्म	नीलामी सुविधा	5.97
25	पन्ना	पन्ना /247	बडागाँव	कृषि मशीनरी कार्यशाला	कार्यशाला	5.64
26	पन्ना	पन्ना /247	बडागाँव	भारी वाहन कार्यशाला	कार्यशाला	6.03
27	पन्ना	पन्ना / 309	अमानगंज	कृषि मशीनरी कार्यशाला एवं प्रदर्शन केन्द्र	कार्यशाला	6.32
28	पन्ना	पन्ना / 309	गुन्नौर	कृषि मशीनरी कार्यशाला एवं प्रदर्शन केन्द्र	कार्यशाला	5.74
29	पन्ना	पन्ना / 309	सलेहा	कृषि मशीनरी कार्यशाला एवं प्रदर्शन केन्द्र	कार्यशाला	6.88
30	सागर	सागर/ए/ 01	साईखेडा	6 दुकाने	दुकाने	16.18
31	सागर	सागर/ए/ 01	साईखेडा	खुला प्लेटफार्म	नीलामी सुविधा	5.23
32	सागर	सागर/ए/ 01	साईखेडा	बीज प्रसंस्करण ईकाई	प्रसंस्करण ईकाई	15.81
33	सागर	सागर/ए/ 01	साईखेडा	बीज ईकाई के लिए भण्डारण	नीलामी सुविधा	14.76
34	सागर	सागर/ए/ 01	साईखेडा	भारी वाहन कार्यशाला	कार्यशाला	8.28
35	सागर	सागर/ए/ 01	साईखेडा	प्रदर्शन केन्द्र (जी +1)	सूचना केन्द्र	6.71
36	सागर	सागर/बी/65	मंडी यार्ड सागर	आच्छादित नीलामी प्लेटफार्म	नीलामी सुविधा	81.17
37	सागर	सागर/बी/65	मंडी यार्ड सागर	ट्राली शेड	नीलामी सुविधा	84.98
38	सागर	सागर/बी/65	मंडी यार्ड सागर	किसान सूचना केन्द्र	सूचना केन्द्र	25.72
39	सागर	सागर/बी/65	मंडी यार्ड सागर	6 दुकाने	दुकाने	13.39
40	सागर	सागर/बी/65	मंडी यार्ड सागर	बीज प्रसंस्करण ईकाई एवं बीज ईकाई के लिए भण्डारण	प्रसंस्करण ईकाई	29.15
41	सागर	सागर / बी1 / 65	मंडी यार्ड सागर	खुला प्लेटफार्म	नीलामी सुविधा	7.21
42	सागर	सागर / बी1 / 65	मंडी यार्ड सागर	कृषि मशीनरी सह प्रदर्शन केन्द्र (जी+1)	सूचना केन्द्र	6.79
43	सागर	सागर / बी1 / 65	शाहपुर	ट्राली शेड	नीलामी सुविधा	13.76
44	सागर	सागर / बी1 / 65	शाहपुर	आच्छादित नीलामी प्लेटफार्म	नीलामी सुविधा	16.59



स. क्र.	जिला	पैकेज नं.	स्थान	कार्य का नाम	श्रेणी	राशि
45	सागर	सागर / डी2 / 71	राहतगढ	ट्राली शेड	नीलामी सुविधा	25.43
46	सागर	सागर / डी2 / 71	राहतगढ	आच्छादित नीलामी प्लेटफार्म	नीलामी सुविधा	26.12
47	सागर	सागर / डी2 / 71	राहतगढ	कृषि कार्यशाला	कार्यशाला	6.32
48	सागर	सागर / डी2 / 71	सिहोरा	ट्राली शेड	नीलामी सुविधा	16.48
49	सागर	सागर / डी2 / 71	सिहोरा	आच्छादित नीलामी प्लेटफार्म	नीलामी सुविधा	17.05
50	सागर	सागर/ इडी1 / 119	जैसीनगर	ट्राली शेड	नीलामी सुविधा	44.97
51	सागर	सागर/ डी1 / 119	जैसीनगर	आच्छादित नीलामी प्लेटफार्म	नीलामी सुविधा	43.67
52	सागर	सागर/ डी1 / 119	जैसीनगर	कृषि मशीनरी सह प्रदर्शन केन्द्र	सूचना केन्द्र	5.79
53	सागर	सागर / बी2 / 66	बंडा	2 ट्राली शेड	नीलामी सुविधा	135.29
54	सागर	सागर / बी2 / 66	बंडा	किसान सूचना केन्द्र	सूचना केन्द्र	11.90
55	सागर	सागर / बी2 / 66	बंडा	आच्छादित नीलामी प्लेटफार्म -I	नीलामी सुविधा	32.28
56	सागर	सागर / बी2 / 66	बंडा	आच्छादित नीलामी प्लेटफार्म -II	नीलामी सुविधा	15.78
57	सागर	सागर / बी2 / 66	बंडा	कृषि मशीनरी सह प्रदर्शन केन्द्र	सूचना केन्द्र	5.45
58	सागर	सागर / 118	खिमलासा	ट्राली शेड	नीलामी सुविधा	73.02
59	सागर	सागर / 118	खिमलासा	आच्छादित शेड	नीलामी सुविधा	51.57
60	सागर	सागर / 120	केसली	ट्राली शेड	नीलामी सुविधा	43.51
61	सागर	सागर / 120	केसली	किसान सूचना केन्द्र	सूचना केन्द्र	10.36
62	सागर	सागर / 120	केसली	कृषि मशीनरी प्रदर्शन केन्द्र	सूचना केन्द्र	6.91
63	सागर	सागर / 120	देवरी	आच्छादित नीलामी प्लेटफार्म (40मी x10 मी के लिए लागत)	नीलामी सुविधा	17.04
64	सागर	सागर / 120	देवरी	कृषि मशीनरी प्रदर्शन केन्द्र	सूचना केन्द्र	6.93
65	सागर	सागर / 120	देवरी	कृषि मशीनरी प्रदर्शन केन्द्र	सूचना केन्द्र	0.05
66	सागर	सागर / 168	शाहगढ	ट्राली शेड 80x14 मी.	नीलामी सुविधा	40.89
67	सागर	सागर / 168	शाहगढ	आच्छादित नीलामी प्लेटफार्म 80मी x10 मी के लिए लागत	नीलामी सुविधा	43.98

स. क्र.	जिला	पैकेज नं.	स्थान	कार्य का नाम	श्रेणी	राशि
68	सागर	सागर / 168	शाहगढ	आच्छादित नीलामी प्लेटफार्म 50मी x 10 मी के लिए लागत	नीलामी सुविधा	24.20
69	सागर	सागर / 168	शाहगढ	कृषि मशीनरी	कार्यशाला	7.17
70	सागर	सागर / 177	बिहरना	भारी वाहन कार्यशाला	कार्यशाला	6.46
71	सागर	सागर / 177	बिहरना	प्रदर्शन केन्द्र (जी+1)	सूचना केन्द्र	5.81
72	सागर	सागर / 71	गढाकोटा	आच्छादित नीलामी प्लेटफार्म	नीलामी सुविधा	127.89
73	सागर	सागर / 71	गढाकोटा	कृषि मशीनरी प्रदर्शन केन्द्र	सूचना केन्द्र	4.79
74	सागर	सागर / 71	गढाकोटा रहली	ट्राली शेड	नीलामी सुविधा	45.87
75	सागर	सागर / 71	गढाकोटा रहली	कृषि मशीनरी प्रदर्शन केन्द्र	सूचना केन्द्र	5.40
76	सागर	727	खुरई	कृषि मशीनरी प्रदर्शन केन्द्र	कार्यशाला	5.95
77	दमोह	711	दमोह	कृषि मशीनरी सह प्रदर्शन केन्द्र	कार्यशाला	6.41
78	दमोह	711	हटा	कृषि मशीनरी सह प्रदर्शन केन्द्र	कार्यशाला	5.55
79	दमोह	711	बटियागढ	कृषि मशीनरी सह प्रदर्शन केन्द्र	कार्यशाला	5.85
80	दमोह	711	पथारिया	कृषि मशीनरी सह प्रदर्शन केन्द्र	कार्यशाला	5.51
81	टीकमगढ	718	बडोराघाट	कृषि मशीनरी सह प्रदर्शन केन्द्र (जी+1) वाहन चालक आराम कक्ष	कार्यशाला	6.19
82	टीकमगढ	718	बडोराघाट	भारी वाहन कार्यशाला	कार्यशाला	6.38
83	सागर	726	जबेरा	कृषि मशीनरी सह प्रदर्शन केन्द्र	कार्यशाला	5.82
84	सागर	726	तेंदूखेडा	कृषि मशीनरी सह प्रदर्शन केन्द्र	कार्यशाला	6.22
85	टीकमगढ	750	टीकमगढ	कृषि मशीनरी सह प्रदर्शन केन्द्र (जी+1)	कार्यशाला	5.74
			<b>39 स्थान</b>	<b>योग</b>		<b>1,767.83</b>

परिशिष्ट 2.38

(संदर्भ: कंडिका 2.3.8.2 (I), पृष्ठ 83)

प्राक्कलनों में प्रावधानित किन्तु कार्यान्वित न की गई कार्य की मदों को दर्शाने वाला पत्रक

(₹ लाख में)

स. क्र.	जिला	पैकेज नं.	स्थान	कार्य एजेन्सी	कार्य का नाम	स्वीकृति राशि
1	दमोह	711	हटा	मंडी बोर्ड	विद्युतीकरण (बाहर एवं अन्दर)	5.28
2	दमोह	711	हटा	मंडी बोर्ड	चहारदिवार (200 मीटर)	9.22
3	दमोह	711	हटा	मंडी बोर्ड	विद्युतीकरण (बाहर एवं अन्दर)	3.00
4	दमोह	711	हटा	मंडी बोर्ड	कन्टेन्जेन्सी एवं कंस्ट्रक्टेन्सी राशि	18.71
5	दमोह	711	हटा	मंडी बोर्ड	निविदा के लिए प्राक्कलित प्रस्तावित राशि	89.69
6	दमोह	711	पथारिया	मंडी बोर्ड	6 दुकाने सह सुविधा संरचना सहित सूचना केन्द्र सह मिट्टी/पानी संग्रहण केन्द्र कार्यालय, बाहरी सेवा केन्द्र कार्यालय	17.63
7	दमोह	711	पथारिया	मंडी बोर्ड	पानी पूर्ति/सेनेटरी	2.00
8	दमोह	711	पथारिया	मंडी बोर्ड	विद्युतीकरण (बाहर एवं अन्दर)	3.00
9	दमोह	711	बटियागढ	मंडी बोर्ड	सी. सी. के साथ डब्ल्यू.बी.एम. पार्किंग	57.80
10	दमोह	711	बटियागढ	मंडी बोर्ड	चहारदिवार /फेनिसिंग	12.96
11	दमोह	711	बटियागढ	मंडी बोर्ड	विद्युतीकरण (बाहर एवं अन्दर)	5.29
12	दमोह	711	दमोह किल्लाड	मंडी बोर्ड	सम्पवेल	1.00
13	दमोह	711	दमोह किल्लाड	मंडी बोर्ड	बीज प्रसंस्करण ईकाई क्षमता मशीनरी की लागत 1 टी./एच	10.00
14	दमोह	711	दमोह किल्लाड	मंडी बोर्ड	विद्युतीकरण (बाहर एवं अन्दर)	6.19
15	दमोह	711	दमोह किल्लाड	मंडी बोर्ड	विद्युतीकरण (बाहर एवं अन्दर)	3.00
16	टीकमगढ	718	बडोराघाट	मंडी बोर्ड	सैप्टिक टैंक	1.00
17	टीकमगढ	718	बडोराघाट	मंडी बोर्ड	तौल प्लेटफार्म नियंत्रण कक्ष	3.36
18	टीकमगढ	718	बडोराघाट	मंडी बोर्ड	तौल प्लेटफार्म	30.00
19	टीकमगढ	718	बडोराघाट	मंडी बोर्ड	डब्ल्यू.बी.एम. सडक (17480 वर्ग मी)	61.63

स. क्र.	जिला	पैकेज नं.	स्थान	कार्य एजेन्सी	कार्य का नाम	स्वीकृति राशि
20	टीकमगढ़	718	बडोराघाट	मंडी बोर्ड	12000 मि.टन. गोदाम (4x3000 मि.टन.)	410.81
21	टीकमगढ़	718	बडोराघाट	मंडी बोर्ड	38400 मि.टन. गोदाम (8x4800 मि.टन.)	1147.46
22	टीकमगढ़	718	बडोराघाट	मंडी बोर्ड	216000 मि.टन. गोदाम (4x5400 मि.टन.)	660.77
23	टीकमगढ़	718	बडोराघाट	मंडी बोर्ड	सैप्टिक टैंक	2.00
24	टीकमगढ़	718	बडोराघाट	मंडी बोर्ड	ट्रान्सफार्मर	12.00
25	टीकमगढ़	718	बडोराघाट	मंडी बोर्ड	हाई मास्ट	14.46
26	दमोह	726	जबेरा	मंडी बोर्ड	चहारदिवार /फेनिसिंग	11.11
27	दमोह	726	जबेरा	मंडी बोर्ड	सी.सी. सडक एवं पार्किंग	16.67
28	दमोह	726	जबेरा	मंडी बोर्ड	विद्युतीकरण (बाहर एवं अन्दर)	5.21
29	दमोह	726	जबेरा	मंडी बोर्ड	पानी पूर्ति/सेनेटरी	2.00
30	दमोह	726	जबेरा	मंडी बोर्ड	विद्युतीकरण (बाहर एवं अन्दर)	3.00
31	दमोह	726	तेंदूखेडा	मंडी बोर्ड	चहारदिवार /फेनिसिंग	11.34
32	दमोह	726	तेंदूखेडा	मंडी बोर्ड	विद्युतीकरण (बाहर एवं अन्दर)	6.54
33	दमोह	726	तेंदूखेडा	मंडी बोर्ड	4800 मि.टन. गोदाम	143.34
34	दमोह	726	तेंदूखेडा	मंडी बोर्ड	सी. सी. सडक	13.84
35	दमोह	726	तेंदूखेडा	मंडी बोर्ड	चहारदिवार (300मी.)	12.91
36	दमोह	726	तेंदूखेडा	मंडी बोर्ड	विद्युतीकरण (बाहर एवं अन्दर)	10.00
37	दमोह	726	बनवार	मंडी बोर्ड	खुला प्लेटफार्म राईज्ड	4.02
38	टीकमगढ़	853	पृथ्वीपुर	मंडी बोर्ड	चेक पोस्ट	1.84
39	टीकमगढ़	853	पृथ्वीपुर	मंडी बोर्ड	यू.जी. टैंक-10000 ली.	1.00
40	टीकमगढ़	853	पृथ्वीपुर	मंडी बोर्ड	पानी पूर्ति/सेनेटरी	1.52
41	टीकमगढ़	853	पृथ्वीपुर	मंडी बोर्ड	विद्युतीकरण (अन्दर)	1.52
42	टीकमगढ़	853	निवारी	मंडी बोर्ड	सी. सी. सडक (अनाज, फल एवं सब्जियों का सम्मिलित बाजार)	69.76
43	टीकमगढ़	853	निवारी	मंडी बोर्ड	आच्छादित नीलामी प्लेटफार्म - 40x10मी.	17.34
44	टीकमगढ़	853	निवारी	मंडी बोर्ड	चेक पोस्ट	1.84

स. क्र.	जिला	पैकेज नं.	स्थान	कार्य एजेन्सी	कार्य का नाम	स्वीकृति राशि
45	टीकमगढ़	853	निवारी	मंडी बोर्ड	विद्युतीकरण-40 पोल अनाज, फल एवं सब्जियों का सम्मिलित बाजार	16.66
46	टीकमगढ़	853	निवारी	मंडी बोर्ड	हाई मास्ट लाईट	14.46
47	टीकमगढ़	853	निवारी	मंडी बोर्ड	सैप्टिक टैंक	1.00
48	टीकमगढ़	853	निवारी	मंडी बोर्ड	भूमि गत सम्प	1.00
49	टीकमगढ़	853	निवारी	मंडी बोर्ड	चहारदिवार -200 मी लंबाई	6.84
50	टीकमगढ़	853	निवारी	मंडी बोर्ड	बाहरी जल प्रदाय	4.59
51	टीकमगढ़	853	निवारी	मंडी बोर्ड	बाहरी विद्युतीकरण	9.18
52	सागर	1	साईखेडा	एम.पी.डब्लू.एल.सी.	जल प्रदाय एवं नलकूप	4.45
53	सागर	1	साईखेडा	एम.पी.डब्लू.एल.सी.	पम्प हाउस	0.69
54	सागर	1	साईखेडा	एम.पी.डब्लू.एल.सी.	ट्रान्सफार्मर की नई स्थापना	12.00
55	सागर	1	साईखेडा	एम.पी.डब्लू.एल.सी.	तौल प्लेटफार्म नियंत्रण कक्ष	3.35
56	सागर	1	साईखेडा	एम.पी.डब्लू.एल.सी.	वे सेतु	15.00
57	सागर	1	साईखेडा	एम.पी.डब्लू.एल.सी.	वे सेतु प्लेटफार्म	15.00
58	सागर	1	साईखेडा	एम.पी.डब्लू.एल.सी.	वे सेतु के लिए नियंत्रण कक्ष	1.69
59	सागर	1	साईखेडा	एम.पी.डब्लू.एल.सी.	नलकूप	0.55
60	सागर	1	साईखेडा	एम.पी.डब्लू.एल.सी.	मशीनरी की लागत	6.00
61	सागर	65	मंडी यार्ड सागर	एम.पी.डब्लू.एल.सी.	ड्रेनेज चैनल	12.70
62	सागर	65	मंडी यार्ड सागर	एम.पी.डब्लू.एल.सी.	नलकूप	0.55
63	सागर	65	मंडी यार्ड सागर	एम.पी.डब्लू.एल.सी.	यू.जी. जल टैंक-10000 ली.	1.00
64	सागर	65	मंडी यार्ड सागर	एम.पी.डब्लू.एल.सी.	सैप्टिक टैंक	2.11
65	सागर	65	मंडी यार्ड सागर	एम.पी.डब्लू.एल.सी.	विद्युतीकरण एवं पानी पूर्ति एवं सेनेटरी	12.88
66	सागर	65	मंडी यार्ड सागर	एम.पी.डब्लू.एल.सी.	मशीनरी की लागत	6.00
67	सागर	65	शाहपुर	एम.पी.डब्लू.एल.सी.	सी. सी. रोड	21.81
68	सागर	65	शाहपुर	एम.पी.डब्लू.एल.सी.	पार्कब	5.75
69	सागर	65	शाहपुर	एम.पी.डब्लू.एल.सी.	पम्प हाउस	0.69

स. क्र.	जिला	पैकेज नं.	स्थान	कार्य एजेन्सी	कार्य का नाम	स्वीकृति राशि
70	सागर	65	शाहपुर	एम.पी.डब्लू.एल.सी.	नलकूप	0.55
71	सागर	65	शाहपुर	एम.पी.डब्लू.एल.सी.	नलकूप	0.55
72	सागर	65	शाहपुर	एम.पी.डब्लू.एल.सी.	गार्ड रूम	3.35
73	सागर	65	शाहपुर	एम.पी.डब्लू.एल.सी.	कृषि मशीनरी केन्द्र	5.18
74	सागर	65	शाहपुर	एम.पी.डब्लू.एल.सी.	2- उपयोगकर्ता	3.65
75	सागर	65	शाहपुर	एम.पी.डब्लू.एल.सी.	यू. जी. वाटर टैन्क	1.00
76	सागर	65	शाहपुर	एम.पी.डब्लू.एल.सी.	बाहरी जल प्रदाय	1.35
77	सागर	65	शाहपुर	एम.पी.डब्लू.एल.सी.	सैप्टिक टैंक	1.00
78	सागर	177	बिहरना	एम.पी.डब्लू.एल.सी.	5400 मि. टन गोदाम	164.95
79	सागर	177	बिहरना	एम.पी.डब्लू.एल.सी.	सैप्टिक टैंक	2.11
80	सागर	177	बिहरना	एम.पी.डब्लू.एल.सी.	पम्प हाउस	1.57
81	सागर	177	बिहरना	एम.पी.डब्लू.एल.सी.	सडक के किनारे नाली	74.08
82	सागर	177	बिहरना	एम.पी.डब्लू.एल.सी.	जल प्रदाय एवं नलकूप	4.45
83	सागर	177	बिहरना	एम.पी.डब्लू.एल.सी.	विद्यमान भवन को नष्ट करना	2.50
84	सागर	177	बिहरना	एम.पी.डब्लू.एल.सी.	6 दुकाने	18.86
85	सागर	177	बिहरना	एम.पी.डब्लू.एल.सी.	सैप्टिक टैंक	1.00
86	सागर	177	बिहरना	एम.पी.डब्लू.एल.सी.	मुख्य द्वार सह लघु द्वार	1.50
87	सागर	177	बिहरना	एम.पी.डब्लू.एल.सी.	वे ब्रिज प्लेटफार्म	10.00
88	सागर	177	बिहरना	एम.पी.डब्लू.एल.सी.	वे ब्रिज के लिए नियंत्रण कक्ष	1.69
89	सागर	177	बिहरना	एम.पी.डब्लू.एल.सी.	यू. जी. वाटर टैन्क (10000 ली.) आर.सी.सी. दीवार छत टॉप/बाटम	1.00
90	छतरपुर	235	बिजावर	मार्कफेड	विद्युतीकरण	10.97
91	छतरपुर	235	बिजावर	मार्कफेड	सी. सी. रोड एवं पार्किंग	159.40
92	छतरपुर	235	बिजावर	मार्कफेड	नलकूप	0.57
93	छतरपुर	235	बिजावर	मार्कफेड	वे सेतु	7.00
94	छतरपुर	235	बिजावर	मार्कफेड	सम्प वेल	0.80

स. क्र.	जिला	पैकेज नं.	स्थान	कार्य एजेन्सी	कार्य का नाम	स्वीकृति राशि
95	छतरपुर	235	बिजावर	मार्कफेड	ट्रान्सफार्मर एवं एल. टी. लाईन	12.00
96	छतरपुर	235	बिजावर	मार्कफेड	डिस्प्ले एवं साइन बोर्ड	5.00
97	छतरपुर	235	बिजावर	मार्कफेड	सम्बमर्सिबल पम्प	1.00
98	छतरपुर	235	बडामलहरा	मार्कफेड	विद्युतीकरण	9.71
99	छतरपुर	235	बडामलहरा	मार्कफेड	वे सेतु	7.00
100	छतरपुर	235	बडामलहरा	मार्कफेड	सुविधा केन्द्र एवं दुकानें	23.52
101	छतरपुर	235	बडामलहरा	मार्कफेड	नलकूप	0.74
102	छतरपुर	235	बडामलहरा	मार्कफेड	सम्प वेल	0.80
103	छतरपुर	235	बडामलहरा	मार्कफेड	ट्रान्सफार्मर एवं एल. टी. लाईन	12.00
104	छतरपुर	235	बडामलहरा	मार्कफेड	डिस्प्ले एवं साइन बोर्ड	5.00
105	छतरपुर	235	बडामलहरा	मार्कफेड	सम्बमर्सिबल पम्प	1.00
106	छतरपुर	235	बडामलहरा	मार्कफेड	हाई मास्ट	14.58
107	छतरपुर	235	बडामलहरा	मार्कफेड	सी. सी. रोड	20.12
108	छतरपुर	237	लौंडी	विद्युतीकरण	विद्युतीकरण	9.71
109	छतरपुर	237	लौंडी	मार्कफेड	पाईप लाईन	1.78
110	छतरपुर	237	लौंडी	मार्कफेड	सी. सी. रोड एवं पार्किंग	96.77
111	छतरपुर	237	लौंडी	मार्कफेड	नलकूप	0.50
112	छतरपुर	237	लौंडी	मार्कफेड	वे सेतु	7.00
113	छतरपुर	237	लौंडी	मार्कफेड	सुविधा केन्द्र एवं दुकानें	23.52
114	छतरपुर	237	लौंडी	मार्कफेड	ट्रान्सफार्मर एवं एल. टी. लाईन	12.00
115	छतरपुर	237	लौंडी	मार्कफेड	डिस्प्ले एवं साइन बोर्ड	5.00
116	छतरपुर	237	लौंडी	मार्कफेड	सम्बमर्सिबल पम्प	1.00
117	छतरपुर	237	लौंडी	मार्कफेड	4 हाई मास्ट	14.58
118	छतरपुर	237	लौंडी	मार्कफेड	सी. सी. रोड	8.19
119	छतरपुर	237	चान्दला	मार्कफेड	विद्युतीकरण	9.71
120	छतरपुर	237	चान्दला	मार्कफेड	पम्प हाउस	1.73

स. क्र.	जिला	पैकेज नं.	स्थान	कार्य एजेन्सी	कार्य का नाम	स्वीकृति राशि
121	छतरपुर	237	चान्दला	मार्कफेड	वे सेतु	7.00
122	छतरपुर	237	चान्दला	मार्कफेड	सुविधा एवं दुकानें	23.52
123	छतरपुर	237	चान्दला	मार्कफेड	सी. सी. रोड	13.46
124	छतरपुर	237	चान्दला	मार्कफेड	सम्प वेल	0.80
125	छतरपुर	237	चान्दला	मार्कफेड	ट्रान्सफार्मर एवं एल. टी. लाईन	12.00
126	छतरपुर	237	चान्दला	मार्कफेड	डिस्प्ले एवं साइन बोर्ड	5.00
127	छतरपुर	237	चान्दला	मार्कफेड	सबमर्सिबल पम्प	1.00
128	छतरपुर	237	चान्दला	मार्कफेड	15400 मि. ट. गोदाम	165.19
129	छतरपुर	237	चान्दला	मार्कफेड	4 हाई मास्ट	14.58
130	छतरपुर	237	चान्दला	मार्कफेड	सी. सी. रोड	32.34
131	छतरपुर	238	हरपालपुर (नौगाँव)	मार्कफेड	विद्युतीकरण	4.66
132	छतरपुर	238	हरपालपुर (नौगाँव)	मार्कफेड	पाईप लाईन	1.78
133	छतरपुर	238	हरपालपुर (नौगाँव)	मार्कफेड	पम्प हाउस	2.18
134	छतरपुर	238	हरपालपुर (नौगाँव)	मार्कफेड	नलकूप	0.50
135	छतरपुर	238	हरपालपुर (नौगाँव)	मार्कफेड	वे सेतु	7.00
136	छतरपुर	238	हरपालपुर (नौगाँव)	मार्कफेड	सुविधा एवं दुकानें	27.21
137	छतरपुर	238	हरपालपुर (नौगाँव)	मार्कफेड	सी. सी. रोड	10.26
138	छतरपुर	238	हरपालपुर (नौगाँव)	मार्कफेड	हाई मास्ट	14.46
139	छतरपुर	238	हरपालपुर (नौगाँव)	मार्कफेड	नलकूप / पम्प हाउस	0.74
140	छतरपुर	238	हरपालपुर (नौगाँव)	मार्कफेड	सम्पवेल	0.80
141	छतरपुर	238	हरपालपुर (नौगाँव)	मार्कफेड	ट्रान्सफार्मर एवं एल. टी. लाईन	12.00
142	छतरपुर	238	हरपालपुर (नौगाँव)	मार्कफेड	डिस्प्ले एवं साइन बोर्ड	5.00
143	छतरपुर	238	हरपालपुर (नौगाँव)	मार्कफेड	सम्बमर्सिबल पम्प	1.00
144	छतरपुर	238	हरपालपुर (नौगाँव)	मार्कफेड	गार्ड रूम एवं टायलेट	2.48
145	छतरपुर	238	हरपालपुर (नौगाँव)	मार्कफेड	जल प्रदाय/सेनेटरी	0.69
146	छतरपुर	238	हरपालपुर (नौगाँव)	मार्कफेड	जल प्रदाय/सेनेटरी	1.66



स. क्र.	जिला	पैकेज नं.	स्थान	कार्य एजेन्सी	कार्य का नाम	स्वीकृति राशि
147	छतरपुर	238	हरपालपुर (नौगाँव)	मार्कफेड	जल प्रदाय/सेनेटरी	1.04
148	छतरपुर	238	हरपालपुर (नौगाँव)	मार्कफेड	जल प्रदाय/सेनेटरी	2.89
149	छतरपुर	238	हरपालपुर (नौगाँव)	मार्कफेड	नलकूप	1.67
150	छतरपुर	238	हरपालपुर (नौगाँव)	मार्कफेड	ट्रान्सफार्मर एवं एल. टी. लाईन	12.00
151	पन्ना	247	बडागाँव	मार्कफेड	वे प्लेटफार्म	10.00
<b>योग</b>						<b>4,276.96</b>

## परिशिष्ट 2.39

(संदर्भ: कंडिका 2.3.8.4 (I), पृष्ठ 84)

सीमेंट कांक्रीट कार्यों के क्रियान्वयन के लिए विचलन के विवरण को दर्शाने वाला पत्रक

(₹ लाख में)

स. क्र.	पैकेज नं.	जिला	कार्य का स्थान	पूर्ण कार्य की लागत	सी.सी.कार्य के लिए ए.ए.की लागत	सी.सी.कार्य के लिए पुनरीक्षित ए.ए.की लागत	अधिक प्रतिशत
1	711	दमोह	हटा, पथारिया, बटियागढ, किल्लाई, नरसिंहगढ, बन्दकपुर, पटेरा, नन्दराई	2985.21	989.61	1190.64	20.31
2	718	टीकमगढ	बडोराघाट	3458.78	60.05	68.03	13.29
3	726	दमोह	जबेरा, तेन्दूखेडा	1569.5	300.08	442.14	47.34
4	853	टीकमगढ	पृथ्वीपुर निवारी	1475.56	332.96	412.3	23.83
5	899	टीकमगढ	जेरोन	324.92	75.64	112.51	48.74
6	901	टीकमगढ	शिवपुरी	244.73	64.28	95.52	48.6
7	905	दतिया	जशवंत नगर	284.63	64.28	80.6	25.39
8	922	दमोह	खादेर	312.7	75.64	87.48	15.65
9	923	दमोह	तेजगढ	305.53	77.5	88.78	14.55
10	924	टीकमगढ	सेमरा खुर्द	293.92	75.64	107.75	42.45
11	930	दमोह	बरथर खेडा	311.24	75.64	98.87	30.71
12	1	सागर	साईखेडा	3941.57	300.39	643.06	114.08 (568.44+74.22)
13	65	सागर	मंडी यार्ड सागर	1897.9	418.56	489.02	16.83
14	177	सागर	बिहरना	2486.25	286.18	589.06	105.84
15	181	सागर	पटना बुजुर्ग	0	16.89	39.53	134.04
16	190	सागर	जरूआ डोमा	335.79	36.39	68.32	87.74
17	235	छतरपुर	बिजावर एवं बडामलहरा	1394.91	26.92	486.75	1708.14
18	237	छतरपुर	लौंडी एवं चान्दला	1483.42	96.09	375.69	290.98
19	238	छतरपुर	हरपालपुर (नौगाँव)	1523.77	45.38	281.25	519.8
20	399	पन्ना	राजपुरा	311.22	19.45	67.52	247.09
21	247	पन्ना	बडागाँव	1527.19	135.08	216.73	60.45
महायोग			10 मिनी मंडी एवं 10 भंडारण	2,6468.74	3,572.65	6,041.55	69.11

परिशिष्ट 2.40

(संदर्भ: कंडिका 2.3.8.4 (II), पृष्ठ 85)

सी.सी. पेवमेंट के नीचे डब्ल्यू.बी.एम. तथा डी.एल.सी. के क्रियान्वयन के कारण अतिरिक्त लागत को दर्शाने वाला पत्रक

(राशि ₹ में)

स. क्र.	पैकेज क्रमांक	कार्य की मद	दर अनुसूची की मद	अधिक निविदा प्रतिशत	इकाई	क्रियान्वित मात्रा	दर	दर अनुसूची राशि (₹ में)	निविदा राशि	जी.एस.बी. की मात्रा घन मी में	जी.एस.बी. की मोटाई मि.मी. में
1	मार्कफेड-235	सी.सी.सडक / पार्किंग/ ड्रेन	4.3 डब्ल्यू. बी.एम.॥	18.55	घन मी.	3241.67	715	2317794	2747745	6328	146
2	मार्कफेड-237	आर.सी.सी.सडक	4.3 डब्ल्यू. बी.एम.॥	18.46	घन मी.	2205.04	715	1576604	1867645	4509.79	153
3	मार्कफेड-238	सी.सी.	4.3 डब्ल्यू. बी.एम.॥	18.37	घन मी.	1526.63	715	1091540	1292056	3106.26	152
4	मार्कफेड-247	सी.सी.	4.3 डब्ल्यू. बी.एम.॥	18.37	घन मी.	1714.47	715	1225846	1451034	3502.78	153
5	मंडी-853	सी.सी.सडक	4.3 डब्ल्यू. बी.एम.॥	15.41	घन मी.	261.79	715	187180	216024	599.9	278
6	मंडी-853	सी.सी.सडक	4.3 डब्ल्यू. बी.एम.॥	15.41	घन मी.	181.61	715	129851	149861	433.65	179
7	मंडी-853	सी.सी.सडक	6.1 डी.एल.सी.	15.41	घन मी.	1409.5	1664	2345408	2706835	2306.75	163
8	मंडी-853	सी.सी.सडक	6.1 डी.एल.सी.	15.41	घन मी.	311.02	1664	517537	597290	1170.44	376
9	मंडी-718	सी.सी.सडक	6.1 डी.एल.सी.	17.69	घन मी.	3940.79	1664	6557475	7717492	5911	149
10	मंडी-718	सी.सी.सडक	4.3 डब्ल्यू. बी.एम.॥	17.69	घन मी.	2955.6	715	2113254	2487089	5911	149
11	मंडी-726	सी.सी.सडक	4.3 डब्ल्यू. बी.एम.॥	17.17	घन मी.	1361.33	715	973351	1140475	2722.67	150
12	मंडी-726	सी.सी.सडक	4.3 डब्ल्यू. बी.एम.॥	17.17	घन मी.	212.68	715	152066	178176	424.36	150
13	मंडी-726	सी.सी.सडक	4.3 डब्ल्यू. बी.एम.॥	17.17	घन मी.	1010.98	715	722851	846964	1864.58	138
14	मंडी -726	सी.सी.सडक	6.1 डी.एल.सी.	17.17	घन मी.	105	1814	190470	223174	424.36	150
15	मंडी-726	सी.सी.सडक	6.1 डी.एल.सी.	17.17	घन मी.	61.279	1814	111160	130246	1864.58	138
16	मंडी-726	सी.सी.सडक	6.1 डी.एल.सी.	17.17	घन मी.	225.957	1814	409886	480263	2722.67	150
17	एम.पी.डब्ल्यू.एल.सी.- 177	सी.सी.सडक	4.3 डब्ल्यू. बी.एम.॥	18.99	घन मी.	2376.29	715	1699047	2021696	6909.03	218
18	एम.पी.डब्ल्यू.एल.सी.- 177	सी.सी.सडक	डी.एल.सी.	18.99	घन मी.	2352.98	1814	4268306	5078857	6909.03	218

स. क्र.	पैकेज क्रमांक	कार्य की मद	दर अनुसूची की मद	अधिक निविदा प्रतिशत	इकाई	क्रियान्वित मात्रा	दर	दर अनुसूची राशि (₹ में)	निविदा राशि	जी.एस.बी. की मात्रा घन मी में	जी.एस.बी. की मोटाई मि.मी. में
19	एम.पी.डब्ल्यू.एल.सी.-1	सी.सी.सडक	4.3 डब्ल्यू. बी.एम.॥	17.73	घन मी.	2379.16	715	1701099	2002704	5108.56	161
20	एम.पी.डब्ल्यू.एल.सी.-1	सी.सी.सडक	4.3 डब्ल्यू. बी.एम.॥	17.73	घन मी.	320.33	715	229036	269644	735.01	172
21	एम.पी.डब्ल्यू.एल.सी.-1	सी.सी.सडक	6.1 डी.एल.सी.	17.73	घन मी.	2981.69	1814	5408786	6367763	5108.56	161
22	मंडी-711	सी.सी.सडक	4.3 डब्ल्यू. बी.एम.॥	17.99	घन मी.	119.81	715	85664	101075	241.39	149
23	मंडी-711	सी.सी.सडक	4.3 डब्ल्यू. बी.एम.॥	17.99	घन मी.	216.39	715	154719	182553	469.72	162
24	मंडी-711	सी.सी.सडक	4.3 डब्ल्यू. बी.एम.॥	17.99	घन मी.	1144.13	715	818053	965221	2209.25	144
25	मंडी-711	सी.सी.सडक	4.3 डब्ल्यू. बी.एम.॥	17.99	घन मी.	128.81	715	92099	108668	257.62	150
26	मंडी-711	सी.सी.सडक	4.3 डब्ल्यू. बी.एम.॥	17.99	घन मी.	565.69	715	404468	477232	1041.33	138
27	मंडी-711	सी.सी.सडक	4.3 डब्ल्यू. बी.एम.॥	17.99	घन मी.	391.96	715	280251	330669	881.26	168
28	मंडी-711	सी.सी.सडक	4.3 डब्ल्यू. बी.एम.॥	17.99	घन मी.	90.18	715	64479	76078	180.37	150
29	मंडी-711	सी.सी.सडक	4.3 डब्ल्यू. बी.एम.॥	17.99	घन मी.	87.15	715	62312	73522	174.31	150
30	मंडी-711	सी.सी.सडक	6.1 डी.एल.सी.	17.99	घन मी.	170.78	1814	309795	365527	241.39	149
<b>कुल 10 पैकेज</b>									<b>4,26,53,580</b>		

परिशिष्ट 2.41

(संदर्भ: कंडिका 2.3.8.4 (I), पृष्ठ 85)

वेयर हाउसिंग संरचनाओं की प्लिंथ में सी.सी. 1:3:6 एवं स्टोन डस्ट के क्रियान्वयन को दर्शाने वाला पत्रक

(₹ लाख में)

स. क्र.	पैकेज संख्या	गोदामों की संख्या	कार्यान्वयन एजेंसी	जिला	स्थान	स्वीकृत राशि	स्थिति	व्यय	कुल क्षमता (मी. टन)	क्षेत्रफल वर्ग मी.
1	1	2	एम.पी.डब्ल्यू.एल.सी	सागर	साईखेडा	38.49	पूर्ण	39.4116	80000	40000
2	65	3	एम.पी.डब्ल्यू.एल.सी	सागर	सागर (मंडी)	17.4172	पूर्ण	16.1573	16200	8100
3	65	2	एम.पी.डब्ल्यू.एल.सी	सागर	शाहपुर	3.05	पूर्ण	2.6941	2000	1000
4	177	2	एम.पी.डब्ल्यू.एल.सी	सागर	बिहरना	24.75	पूर्ण	22.4854	60200	30100
5	711	2	ए.एम.बी.	दमोह	दमोह	9.9896	पूर्ण	9.2505	2900	1450
6	711	1	ए.एम.बी.	दमोह	किल्लाई	2.25	पूर्ण	2.1448	5400	2700
7	711	2	ए.एम.बी.	दमोह	हटा	7.3195	पूर्ण	7.3872	7400	3700
8	711	3	ए.एम.बी.	दमोह	पथारिया	5.926	पूर्ण	5.5071	5500	2750
9	711	2	ए.एम.बी.	दमोह	बटियागढ	4.9682	पूर्ण	4.5405	2500	1250
10	711	1	ए.एम.बी.	दमोह	नरसिंहगढ	0.5	पूर्ण	0.4694	300	150
11	711	1	ए.एम.बी.	दमोह	बन्दकपुर	0.5	पूर्ण	0.4694	300	150
12	711	1	ए.एम.बी.	दमोह	पटेरा	0.5	पूर्ण	0.4694	300	150
13	711	1	ए.एम.बी.	दमोह	नन्दराई	0.5	पूर्ण	0.4703	300	150
14	726	3	ए.एम.बी.	दमोह	जबेरा	6.0839	पूर्ण	5.7978	4500	2250
15	726	4	ए.एम.बी.	दमोह	तेन्दूखेडा	9.8979	पूर्ण	9.7636	13700	6850
16	726	1	ए.एम.बी.	दमोह	बनवार	0.5	पूर्ण	0.4574	300	150
17	718	17	ए.एम.बी.	टीकमगढ़	बडोराघाट	37.335	पूर्ण	33.9801	78000	39000
18	853	3	ए.एम.बी.	टीकमगढ़	पृथ्वीपुर	4.96	पूर्ण	4.8623	4500	2250
19	853	4	ए.एम.बी.	टीकमगढ़	निवारी	10.4325	पूर्ण	9.9301	11900	5950
20	235	3	मार्कफेड	छतरपुर	बडामलहरा	9.5615	पूर्ण	13.01	9500	4750

स. क्र.	पैकेज संख्या	गोदामों की संख्या	कार्यान्वयन एजेंसी	जिला	स्थान	स्वीकृत राशि	स्थिति	व्यय	कुल क्षमता (मी. टन)	क्षेत्रफल वर्ग मी.
21	235	2	मार्कफेड	छतरपुर	बिजावर	6.059	पूर्ण		3500	1750
22	237	3	मार्कफेड	छतरपुर	लौडी	5.686	पूर्ण	14.25	5500	2750
23	237	3	मार्कफेड	छतरपुर	चान्दला	9.77	पूर्ण		13700	6850
24	238	1	मार्कफेड	छतरपुर	हरपालपुर	2.644	पूर्ण	14.46	2000	1000
25	238	1	मार्कफेड	छतरपुर	नौगाँव	13.5	पूर्ण		30600	15300
26	247	2	मार्कफेड	पन्ना	बड़ागाँव	16.6418	पूर्ण	16.54	32000	16000
27	247	1	मार्कफेड	पन्ना	बृजपुर	0.5	पूर्ण		200	100
28	247	1	मार्कफेड	पन्ना	मझगाँव	0.5	पूर्ण		200	100
<b>72 गोदाम</b>						<b>250.2321</b>		<b>234.5083</b>	<b>3,93,400</b>	<b>1,96,700</b>

	क्षेत्रफल	196700			
सीमेन्ट कांक्रीट	मात्रा घन मीटर में	राशि	स्टोन डस्ट	मात्रा घन मीटर में	राशि
200 मि.मी. मोटाई में 2833 प्रति घनमीटर की दर से सी.सी. 1:3:6 (प्रावधानित)	39340	111450220	300 मि.मी. मोटाई में 530 प्रति घनमीटर की दर से प्रावधानित आयतन	59010	31275300
150 मि.मी. मोटाई में 2301 प्रति घनमीटर की दर से सी.सी. 1:5:10 (प्रावधान किया जाना था)	29505	67891005	200 मि.मी. मोटाई में 530 प्रति घनमीटर की दर से प्रावधानित किया जाने वाला आयतन	39340	20850200
<b>अंतर</b>		<b>4,35,59,215</b>			<b>1,04,25,100</b>
<b>कुल अंतर</b>					<b>5,39,84,315</b> यथा 5.40 करोड़

परिशिष्ट 2.42

(संदर्भ: कंडिका 2.3.8.4 (II), पृष्ठ 86)

विलंब के लिए शास्ति के कम आरोपण/ अनारोपण को दर्शाने वाला पत्रक

(₹ लाख में)

स. क्र.	जिला	पैकेज संख्या	कार्य का मूल्य लाख में	माह	कार्य आदेश की तिथि	पूर्णता की तिथि	पूर्णता दिवस	विलंब के दिवस	विलंब सप्ताह में	शास्ति की राशि	आरोपित शास्ति का प्रतिशत
1	दमोह	726	1402.98	8	05.03.2012	21.08.2013	534	294	42	36.83	0.125
2	सागर	727	1030.08	8	28.02.2012	30.09.2013	580	340	48	30.90	
3	दतिया	765	768.79	8	07.05.2012	28.03.2014	690	450	64	30.75	
4	दतिया	875	1144.36	8	26.05.2012	30.11.2014	918	678	96	68.66	
5	दतिया	893	928.63	8	26.05.2012	30.11.2014	918	678	96	55.72	
6	टीकमगढ़	899	294.7	8	28.05.2012	30.12.2013	581	341	48	8.84	
7	दतिया	905	243.15	8	29.07.2012	30.06.2014	701	461	65	9.88	
8	दमोह	922	294.7	8	25.06.2012	27.10.2013	489	249	35	6.45	0.125
9	दमोह	923	294.73	8	25.06.2012	30.09.2013	462	222	31	5.71	0.125
10	टीकमगढ़	924	282.57	8	25.06.2012	15.10.2014	842	602	86	15.19	
11	दमोह	930	294.7	8	05.07.2012	31.10.2013	483	243	34	6.26	
<b>योग</b>										<b>275.19</b>	

**परिशिष्ट 2.43**  
(संदर्भ: कंडिका 2.3.9.2, पृष्ठ 89)  
**भौतिक सत्यापन के विवरण को दर्शाने वाला पत्रक**

स.क्र.	संभाग	परिक्षेत्र	कूप संख्या	भौतिक सत्यापन किए गए तालाब तथा परकोलेशन तालाब	अभ्युक्तियां
1	दतिया	दतिया	पी 47 चन्देवा	तीन तालाब और दो परकोलेशन तालाब	तालाब क्र.1 क्षतिग्रस्त पाया गया, सभी तालाबों तथा परकोलेशन तालाबों में पिचिंग नहीं पाई गई। सभी तालाबों तथा परकोलेशन तालाबों में निचली पहुंच तथा उपरी पहुंच पर वर्षा के कारण कटाव देखे गये।
2	नौरादेही वन्यप्राणी	सिंगपुर	2 सी 1 ई 3 डब्ल्यू 1 हरदुआ	एक तालाब और एक परकोलेशन तालाब	परकोलेशन तालाब 1 के डब्ल्यू टी 1 के मध्य में विखण्डन, भारी वर्षा के कटाव, असमतल उपरी सतह के साथ हार्ड रॉक को डेम के तल से खोदना पाया गया।
3		मोहली	2 सी 1 ई 3 एन 6 वलेह	एक परकोलेशन तालाब	परकोलेशन तालाब 6 में भारी वर्षा के कटाव तथा असमतल उपरी सतह के साथ डब्ल्यू डब्ल्यू के स्थान पर सीपीटी का निर्माण पाया गया ।
4			2 सी 1 एफ 3 आर 1/44	एक तालाब	तालाब 1 में भारी वर्षा के कटाव तथा असमतल उपरी सतह पाई गई ।
5	पन्ना उत्तर	देवेन्द्र नगर	पी 154 पहाड़िखेड़ा	दो तालाब तथा एक परकोलेशन तालाब	सभी तालाबों तथा परकोलेशन तालाबों में भारी वर्षा के कटाव तथा असमतल उपरी सतह पाई गई । एक तालाब तथा एक परकोलेशन तालाब में पिचिंग एवं पक्का वेस्ट वियर नहीं पाया गया ।
			पी 157 झाण्डा	पांच तालाब	दिया तालाब के जल भराव क्षेत्र में पांच तालाबों का निर्माण कम्पार्टमेन्ट संख्या पी 157 (झाण्डा) में किया गया था।
				<b>17 तालाब</b>	



## परिशिष्ट 2.44

(संदर्भ: कण्डिका 2.5.5.2(i), पृष्ठ 126)

सीमेंट के मिलावट के लिए परीक्षण दर्शाने वाला पत्रक

संभाग का नाम	अनुबंध क्रमांक	मात्रा (मी.टन.)	यू एस एस आर के अनुसार परीक्षणों की आवश्यक संख्या	वास्तविक रूप से किए गए परीक्षण	परीक्षणों में कमी
जल संसाधन डिन्डौरी	13/2011-12	3521	71	0	71
	10/2014-15	628.84	13	0	13
	8/2012-13	7174.46	144	0	144
	1/2013-14	68.44	2	0	2
	2/2013-14	38.92	1	0	1
	5/2012-13	963.31	19	0	19
	9/2013-14	1830.226	37	0	37
	1/2012-13	1086.04	22	0	22
	7/2013-14	620.4	13	0	13
4/2014-15	83.65	2	0	2	
जल संसाधन खरगोन	2/2012-13	1789.68	36	0	36
	1/2012-13	295.56	6	0	6
	34/2012-13	1491.8	30	0	30
	41/2012-13	3951.49	80	0	80
पेंच डायवर्जन नहर संभाग सिंगना, छिंदवाड़ा	4/2013-14	1958.45	40	0	40
	3/2013-14	89.98	2	0	2
	5/2013-14	533.85	11	0	11
लोअर सिंहावल नहर, संभाग चुरहट	2/2012-13	6577.401	132	0	132
	3/2012-13	599.87	12	0	12
	1/2012-13	3234.54	65	0	65
	2/2012-13	241.46	5	0	5
	2/2011-12	17194.14	344	0	344
	1/2014-15	2058.09	42	0	42
	7/2012-13	6725.4	135	0	135
कुटनी बांध संभाग, छतरपुर	10/2012-13	3047.45	61	0	61
	8/2012-13	29882.682	598	0	598
जल संसाधन संभाग, सिवनी	8/2011-12	7840.109	157	0	157
	4/2014-15	427.53	9	1	8
	1/2013-14	645.73	13	1	12
	3/2013-14	5224.64	104	0	104
जल संसाधन संभाग, धार	14/2013-14	381.9	8	1	7
	6/ टी /2013-14	3703.86	74	3	71
	7/ टी/2013-14	3589.35	72	4	68
	9/ टी /2013-14	1100.65	22	1	21
	5/ टी /2013-14	3293.45	66	3	63
अपर पूर्वा, रीवा	3/ टी 2013-14	762.94	15	1	14
	3/2007-08	11422	229	0	229
	4/7-12-07	13518.89	270	0	270
	2/2012-13	3874.435	78	0	78
	1/2012-13	2341.195	47	0	47
पेंच डायवर्जन, चौरई	3/2013-14	391.12	8	0	8
	2/2011-12	733.65	15	0	15
	1/2013-14	72770.79	1455	10	1445
	<b>योग</b>	<b>2,27,709.368</b>	<b>4,565</b>	<b>25</b>	<b>4,540</b>

परिशिष्ट 2.45

(संदर्भ: कण्डिका 2.5.5.2(i), पृष्ठ 127)

स्टील के लिए परीक्षणों की स्थिति दर्शाने वाला पत्रक

संभाग का नाम	अनुबंध क्रमांक	मात्रा (मी.टन.)	यू एस एस आर के अनुसार परीक्षणों की आवश्यक संख्या	वास्तविक रूप से किए गए परीक्षण	परीक्षणों में कमी
जल संसाधन संभाग डिन्डौरी	13/2011-12	133.75	4	0	4
	10/2014-15	4.127	1	0	1
	8/2012-13	778.87	23	0	23
	5/2012-13	62.287	2	0	2
	9/2013-14	4.88	1	0	1
	1/2012-13	40.45	1	0	1
जल संसाधन संभाग खरगोन	2/2012-13	41.46	2	0	2
पेंच डायवर्जन नहर संभाग सिंगना, छिंदवाड़ा	5/2013-14	63.69	2	0	2
	2/2012-13	738.759	22	0	22
लोअर सिंहावल नहर संभाग चुरहट	3/2012-13	4.05	1	0	1
	10/2012-13	76.56	1	0	1
कुटनी बांध संभाग छतरपुर	8/2012-13	1762	51	0	51
	8/2011-12	253.38	8	0	8
<b>योग</b>		<b>3,964.263</b>	<b>119</b>	<b>0</b>	<b>119</b>

## परिशिष्ट 2.46

(संदर्भ: कण्डिका 2.5.5.2(i), पृष्ठ 127)

सी एन एस सामग्री के लिए परीक्षण नहीं किए जाने को दर्शाने वाला पत्रक

संभाग का नाम	अनुबंध क्रमांक	कार्य का नाम	मात्रा (घन मीटर)	दर (₹ प्रति घन मीटर)	राशि (₹)
लोअर सिंहावल नहर संभाग चुरहट	2/2011-12	सिंहावल मुख्य नहर के किमी 15.24 से किमी 75.12 में सीमेंट कांक्रीट की लाइनिंग	47495.99	324.40	15407699.00
	1/2014-15	सिंहावल वितरणी क्रमांक-2 के किमी 0 से किमी 24.390 में सीमेंट कांक्रीट की लाइनिंग	17154.00	273.89	4698309.06
जल संसाधन संभाग डिन्डौरी	8/2012-13	आर.डी. किमी 0 से आर.डी. किमी 21225 में नहर का निर्माण	42410.16	174.91	7417961.00
जल संसाधन संभाग खरगोन	41/2012-13	शीर्ष कार्य एवं नहर का निर्माण	78627.77	168.08	13215756.00
पेंच डायवर्जन संभाग सिंगना	2/2013-14	भाकरी वितरणी की सीमेंट कांक्रीट लाइनिंग	220441.78	52.00	11462972.56
	5/2013-14	बार्यी तट नहर के आर.डी. किमी 0 से आर.डी. किमी 3.20 में सीमेंट कांक्रीट लाइनिंग	255421.77	171.56	43820158.00
	1/2013-14	सिवनी वितरणी की सीमेंट कांक्रीट लाइनिंग	18000.00	52.00	936000.00
<b>योग</b>			<b>6,79,551.47</b>		<b>9,69,58,855.62</b>

## परिशिष्ट 2.47

(संदर्भ: कण्डिका 2.5.5.2(i), पृष्ठ 127)

उपयोग की गई एलडीपीई फ़िल्म, जिसके लिए आवश्यक परीक्षण नहीं किए गए, के विवरण को दर्शाने वाला पत्रक

संभाग का नाम	अनुबंध क्रमांक	कार्य का नाम	उपयोग की गई मात्रा (वर्गमीटर)	दर (₹ प्रति वर्गमीटर)	राशि (₹)
लोअर सिंहावल नहर संभाग चुरहट	2/2011-12	सिंहावल मुख्य नहर के आर.डी. किमी 15.24 से आर.डी. किमी 75.12 में सीमेंट कांक्रीट की लाइनिंग	732917.59	28.00	20521693
	1/2014-15	सिंहावल वितरणी क्रमांक-2 के आर.डी. 0 से आर.डी. 24.390 में सीमेंट कांक्रीट की लाइनिंग	154315.20	28.00	4320825.6
जल संसाधन संभाग डिन्डौरी	8/2012-13	आर.डी. 0 से आर.डी. 21225 में नहर का निर्माण	70988.53	30.49	2164440
जल संसाधन संभाग खरगोन	41/2012-13	शीर्ष कार्य एवं नहर का निर्माण	172961.13	29.30	5067761.11
<b>योग</b>			<b>11,31,182.45</b>		<b>3,20,74,719.71</b>

परिशिष्ट 2.48

(संदर्भ: कण्डिका 2.5.5.2(I), पृष्ठ 128)

गुणवत्ता परीक्षणों की आवृत्ति में कमी दर्शाने वाला पत्रक

स.क्र	परीक्षण का नाम	संभागों की संख्या	अनुबंधों की संख्या	ठेका राशि (₹ लाख में)	निष्पादित मात्रा (घ. मी.)	गुणवत्ता नियंत्रण मैन्यूअल/यू एस एस आर के अनुसार परीक्षणों की आवश्यक संख्या	आवश्यक परीक्षणों की कुल संख्या	वास्तविक रूप से किए गए परीक्षण	परीक्षणों में कमी (संख्या)	वास्तविक रूप से किए गए परीक्षण (प्रतिशत में)
1	मैदानी घनत्व परीक्षण (फील्ड डेन्सिटी टेस्ट)	4	18	30683.29	4678834	मिट्टी कार्य के पहले 300 घ. मी. के लिए प्रतिदिन 2 परीक्षण और उसके बाद अतिरिक्त 300 घ. मी. के लिए एक परीक्षण	15603	109	15494	0.69
2	कामपेक्शन टेस्ट	4	17	30334.33	4577264.151	1500 घ. मी. की कुल प्रगति के लिए प्रतिदिन एक परीक्षण किया जाएगा	3069	160	2909	5.21
3	गिट्टी का परीक्षण (मेटल टेस्ट)	10	50	100340.53	919522.11	(I) प्रति 90 घनमीटर या उसके भाग के लिए	10225	25	10200	0.24
	(II) प्रति 45 घनमीटर या उसके भाग के लिए					20447	191	20256	0.93	
	(III) प्रति 90 घनमीटर या उसके भाग के लिए					10225	30	10195	0.29	
4	रेत परीक्षण (I) कण आकार वितरण	9	47	94904.98	706120.984	(I) प्रति 40 घनमीटर या उसके भाग के लिए	17609	237	17372	1.34
	(II) गाद (सिल्ट) सामग्री					17609	97	17512	0.55	
5	कंक्रीट पर कम्प्रेसिव शक्ति परीक्षण	9	50	113743.83	1104194.033	6-15 2 16-30 3 31-50 4 51 और अधिक 4, के अलावा 50 घनमीटर या उसके भाग के लिए एक अतिरिक्त नमूना	110626	1639	108987	1.48

नोट: 10 संभागों से संबंधित आंकड़ों का संकलन

## परिशिष्ट 2.49

(संदर्भ: कण्डिका 2.5.5.6 (II) पृष्ठ 132)

कार्य न करने की स्थिति वाले उपकरण को दर्शाने वाला पत्रक

स.क्र.	इकाई का नाम	मशीन या उपकरण का नाम
1	सहायक अनुसंधान अधिकारी, राजीव सागर परियोजना गुणवत्ता नियंत्रण उप-संभाग-बालाघाट	कम्प्रेसिव स्ट्रैगन्थ मशीन 400 टन
2	सहायक अनुसंधान अधिकारी, राजीव सागर परियोजना गुणवत्ता नियंत्रण उप-संभाग-बालाघाट	कम्प्रेसिव स्ट्रैगन्थ परीक्षण मशीन 2000 के एन
3	सहायक अनुसंधान अधिकारी, राजीव सागर परियोजना गुणवत्ता नियंत्रण उप-संभाग-बालाघाट	कम्प्रेसिव स्ट्रैगन्थ परीक्षण मशीन 2000 के एन
4	सहायक अनुसंधान अधिकारी, राजीव सागर परियोजना गुणवत्ता नियंत्रण उप-संभाग-बालाघाट	स्वैल टेस्ट एपरेटस विद प्रोविंग रिग
5	सहायक अनुसंधान अधिकारी, राजीव सागर परियोजना गुणवत्ता नियंत्रण उप-संभाग-बालाघाट	वाइब्रेटिंग मशीन विद बिल्ट (सीमेंट क्यूब)
6	सहायक अनुसंधान अधिकारी, राजीव सागर परियोजना गुणवत्ता नियंत्रण उप-संभाग-बालाघाट	कम्प्रेसिव स्ट्रैगन्थ मशीन 500 के एन
7	सहायक अनुसंधान अधिकारी, राजीव सागर परियोजना गुणवत्ता नियंत्रण उप-संभाग-बालाघाट	कम्प्रेसिव स्ट्रैगन्थ परीक्षण मशीन 500 के एन

## सुधार योग्य दशा के उपकरण दर्शाने वाला पत्रक

स.क्र.	इकाई का नाम	मशीन या उपकरण का नाम
1	सहायक अनुसंधान अधिकारी, बाणसागर गुणवत्ता नियंत्रण इकाई देवलौद जिला-शहडोल	ट्राएक्शियल शीअर टेस्ट एपरेटस डिजिटल विद माइक्रोप्रासेसर बेस्ड लोडिंग यूनिट विद स्टारडेक एंड जिओ स्टार, ट्रांसड्यूसर कम्प्यूट्राइज्ड (कम्पलीट)
2	सहायक अनुसंधान अधिकारी, बाणसागर गुणवत्ता नियंत्रण इकाई देवलौद जिला-शहडोल	ओवर हेड टैंक के साथ लेबोरेटरी परमीएबिलिटी एपरेटस (मिट्री)
3	सहायक अनुसंधान अधिकारी, बाणसागर गुणवत्ता नियंत्रण इकाई देवलौद जिला-शहडोल	ग्रेन साइज़ एनालाइजर (पूर्ण), मोटर चलित छलनी, बोटल सेकर, छलनी सेट-8 नग एवं अनुमापन (टाइट्रेशन) पिपेट स्टेन्ड
4	सहायक अनुसंधान अधिकारी, बाणसागर गुणवत्ता नियंत्रण इकाई देवलौद जिला-शहडोल	एयर कम्प्रेसर
5	सहायक अनुसंधान अधिकारी, बाणसागर गुणवत्ता नियंत्रण इकाई देवलौद जिला-शहडोल	कांक्रीट परमीएबिलिटी एपरेटस

## परिशिष्ट 3.1

(संदर्भ : कंडिका 3.1.2, पृष्ठ 138)

## ठेकेदार का अनियमित भुगतान को दर्शाने वाला पत्रक

मात्रा देयक की मद संख्या	विवरण	प्राक्कलित मात्रा	सार माप पुस्तिका में 25वें चलित देयक के लिए अद्यतन मात्रा (घन मी. में)	क्लबड दर (₹ में)	25वें चलित देयक में वास्तविक रूप से भुगतान की गई मात्रा (घन मी. में)	निष्पादित मात्रा से भुगतान की गई अधिक मात्रा (घन मी. में)	राशि (₹ में)
1	2	3	4	5	6	7=6-4	8=5*7
2	कड़ी मिट्टी/कड़ी मुरम में खुदाई	674095.76	713830.21	35.80	811270.67	97440.46	3488368.47
3	डिसइंटिग्रेटेड चट्टान/मुलायम चट्टान में खुदाई	849071.97	805338.90	100.41	820211.97	14873.07	1493404.96
14	प्रचलित सीमेंट कंक्रीट एम.15 ए.20	9.50	722.25	4193.77	778.65	56.40	236528.63
17	इस्पात प्रचलित पायों की आपूर्ति और लगाना	350 कि.ग्रा.	20950.12 कि.ग्रा.	41.28	23464.12	2514	103777.92
18	पिचिंग के नीचे स्टोन चिपों को उपलब्ध	3918.56	2840.95	409.70	3340.95	500	204850.00
<b>कुल</b>							<b>55,26,929.98</b>
<b>कम निविदा प्रतिशत (15.53 प्रतिशत)</b>							<b>8,58,332.22</b>
<b>कुल राशि</b>							<b>46,68,597.76</b>

## परिशिष्ट 3.2

(संदर्भ : कंडिका 3.1.2 पृष्ठ 139)

रोक टो, स्टोन चिप, पिचिंग और मिट्टी के अनुपयोग की कटौती न करने के कारण अधिक भुगतान को दर्शाने वाला पत्रक

मदें	दर (घन.मी. में)	कुल कटौती मात्रा
भुगतान की गई कुल मिट्टी कार्य की मात्रा	446390.52	
बांध भाग की खुदाई से प्राप्त मात्रा	497621.50	
<b>कटौती योग्य</b>		
4,97,621.50 घन मी की 45 प्रतिशत उपयोग योग्य मिट्टी (कट ऑफ ट्रेन्च वेस्ट वियर और स्पिल चैनल में कड़ी मिट्टी व कड़ी मुरम का औसत उपयोग)	<b>223929.68</b>	
मिट्टी कार्य का 4 प्रतिशत सिंक्रेज 4,46,390.52 क्यू. मी.	<b>17855.62</b>	
अलग से भुगतान किए गए मद की कटौती योग्य मात्रा		
(i) रोक टो	13845.18	
(ii) पिचिंग के नीचे स्टोन चिपें	4655.12	
(iii) 22 से.मी. मोटी ड्राय स्टोन पिचिंग	5406.79	
<b>कुल</b>	<b>2,907.09</b>	
भुगतान की गई मिट्टी कार्य मात्रा तक सीमित		2,65,692.39@35.80 (कड़ी मिट्टी, कड़ी मुरम की दर)
<b>कुल अधिक भुगतान</b>		<b>₹ 80,34,606.95 (95,11,787.56 - 15.53 प्रतिशत)</b>

परिशिष्ट 3.3

(संदर्भ : कंडिका 3.2.2 पृष्ठ 148)

डंड रिप रैप के निष्पादन पर अतिरिक्त लागत को दर्शाने वाला पत्रक

(राशि ₹ में)

स. क्र.	मद	मूल प्राक्कलन के अनुसार मात्रा (घन.मी.)	संशोधित मात्रा (घ.मी.)	मूल ठेकेदार द्वारा उद्धृत दरें (₹ प्रति घन मीटर)	नये ठेकेदार द्वारा उद्धृत दरें (₹ प्रति घन मीटर)	नये ठेकेदार द्वारा अद्यतन निष्पादित की गई मात्रा (घन मीटर)	निष्पादित की गई मात्रा हेतु मूल ठेकेदार को भुगतान योग्य राशि	निष्पादित मात्रा हेतु नए ठेकेदार को भुगतान की गई राशि	निष्पादित मात्रा पर कुल अतिरिक्त लागत	नये ठेकेदार द्वारा निष्पादित की जाने वाली मात्रा (घन मीटर)	शेष मात्रा पर मूल ठेकेदार को भुगतान योग्य राशि	शेष मात्रा पर नए ठेकेदार को भुगतान योग्य राशि	दरों पर अधिक मूल्य लगाया गया
1	2	3	4	5	6	7	8 = 5*7+6.49 प्रतिशत <sup>1</sup>	9= 6*7-9.09 प्रतिशत <sup>2</sup>	10 = 9-8	11 = 4-7	12 = 5 * 11 + 6.49 प्रतिशत <sup>1</sup>	13 = 6 * 11 - 9.09 प्रतिशत <sup>2</sup>	14=13-12
1	डंड रिप रैप	161933	393134.40	304.24	470.44	127924.61	41445677.29	54710413.97	13264736.68	265209.79	85924040.49	113424128.42	27500087.93
2	क्षैतिज और इंकलाइन्ड फिल्टर ब्लैकेट												
	अ मेटल	58806	83833.02	340.98	447.28	30745.75	11164077.05	12501905.98	1337828.93	53087.27	19276497.48	21586465.07	2309967.59
	ब रेत	58806	84678.96	323.98	208.11	27296.53	9417474.87	5164306.97	4253167.90	57382.43	19797299.97	10856342.66	8940957.31
						<b>कुल</b>	<b>6,20,27,229.21</b>	<b>7,23,76,626.92</b>	<b>1,03,49,397.71</b>		<b>12,49,97,837.94</b>	<b>14,58,66,936.15</b>	<b>2,08,69,098.21</b>
निष्पादित और निष्पादित की जाने वाली मात्रा पर कुल अतिरिक्त लागत (₹ 103.49 लाख + ₹ 208.69 लाख) = ₹ 312.18 लाख													

<sup>1</sup> 6.49 प्रतिशत की दर पर मूल्य वृद्धि/समायोजन (मूल ठेकेदार) = (मई 2015 तक कुल मूल्य वृद्धि/मई 2015 तक कुल देयक राशि) \*100

<sup>2</sup> 9.09 की दर पर मूल्य वृद्धि/समायोजन-जैसा कि कार्यपालन यंत्री द्वारा उपलब्ध/प्रक्षेपित (नया ठेकेदार) = (कुल मूल्य वृद्धि राशि) (संविदा की कुल राशि-कुल मूल्य वृद्धि राशि) \*100

## परिशिष्ट 3.4

(संदर्भ : कंडिका 3.2.4, पृष्ठ 151)

बिटुमिनस कार्य हेतु गलत दर को लागू करने के कारण अधिक भुगतान का विवरण दर्शाने वाला पत्रक

(राशि ₹ में)

वास्तविक रूप से निष्पादित मदों की संख्या	निष्पादित की गई मात्रा (घन मीटर में)	100-120 टीपीएच के लिए एसओआर के अनुसार मद की दर	40-60 टीपीएच के लिए एसओआर के अनुसार मद की दर	एसओआर के दरों का अंतर	निविदा प्रतिशत को 22.80 प्रतिशत नीचे लागू करने के बाद दरों का अंतर	अधिक भुगतान
1	2	3	4	5 = 3.4	6 = 5 - (5*22.80/100)	7 = 2*6
बिटुमिनस मैकेडम 40-60 टीपीएच हॉट मिक्स प्लांट	14778.75	4220	3878	342	264	3901590
सेमीडेन्स बिटुमिनस कंक्रीट 40-60 टीपीएच हॉट मिक्स प्लांट	7446.25	5708	5528	180	139	1035029
<b>कुल</b>						<b>49,36,619</b>



परिशिष्ट 3.5

(संदर्भ: कंडिका 3.3.1, पृष्ठ 152)

मूल्य वृद्धि के कारण ठेकेदार को अधिक भुगतान को दर्शाने वाला पत्रक

(राशि ₹ में)

तिमाही	चलित देयक (आर.ए.) क्रमांक	चलित देयक में कार्य का मूल्य	तिमाही के दौरान कार्य का मूल्य (P O)	श्रम मद हेतु मई 2008 में आधार सूचकांक (L 1)	श्रम मद हेतु तिमाही का औसत सूचकांक (L 2)	श्रम मद हेतु भुगतान की जाने वाली मूल्यवृद्धि <sup>3</sup>	पीओएल मद हेतु मई 2008 में आधार सूचकांक (D 1)	पीओएल मद हेतु तिमाही का औसत सूचकांक (D 2)	पीओएल भाग के लिए भुगतान की जाने वाली मूल्यवृद्धि <sup>4</sup>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अप्रैल से जून 08	12 <sup>वा</sup>	2152872	4636216	145	146	14388	36.25	37.62	52565
	13 <sup>वा</sup>	2483344							
जुलाई से सितम्बर 08	14 <sup>वा</sup>	1481634	1481634	145	151	27589	36.25	37.62	16799
अक्टूबर से दिसम्बर 08	15 <sup>वा</sup>	3400934	7558823	145	151.66	156233	36.25	36.80	34406
	16 <sup>वा</sup>	4157889							
जनवरी से मार्च 09	17 <sup>वा</sup>	1063436	8234839	145	152	178895	36.25	34.75	.102226
	18 <sup>वा</sup>	3054811							
	19 <sup>वा</sup>	3134720							
	20 <sup>वा</sup>	981872							
अप्रैल से जून 09	21 <sup>वा</sup>	2007883	4481438	145	154.33	129761	36.25	34.75	.55632
	.	0							
अक्टूबर से दिसम्बर 09	22 <sup>वा</sup>	2473555	2117035	145	166.33	140140	36.25	36.98	12790
	23 <sup>वा</sup>	18121							
	24 <sup>वा</sup>	941129							
जनवरी से मार्च 10	25 <sup>वा</sup>	1157785	4410412	145	178.33	456204	36.25	39.8	129575
	26 <sup>वा</sup>	1657288							
	27 <sup>वा</sup>	960620							

<sup>3</sup> श्रम मूल्य हेतु मूल्य वृद्धि =  $(0.75 \times 0.60 \times P O \times (L 1 - L 2) / L 1$

<sup>4</sup> पीओएल मद हेतु मूल्य वृद्धि =  $(0.75 \times 0.40 \times P O \times (D 1 - D 2) / D 1$

तिमाही	चलित देयक (आर.ए.) क्रमांक	चलित देयक में कार्य का मूल्य	तिमाही के दौरान कार्य का मूल्य (P O)	श्रम मद हेतु मई 2008 में आधार सूचकांक (L 1)	श्रम मद हेतु तिमाही का औसत सूचकांक (L 2)	श्रम मद हेतु भुगतान की जाने वाली मूल्यवृद्धि <sup>3</sup>	पीओएल मद हेतु मई 2008 में आधार सूचकांक (D 1)	पीओएल मद हेतु तिमाही का औसत सूचकांक (D 2)	पीओएल भाग के लिए भुगतान की जाने वाली मूल्यवृद्धि <sup>4</sup>
	28 <sup>वा</sup>	1436262							
	29 <sup>वा</sup>	356242							
अप्रैल से जून 10	30 <sup>वा</sup>	638767	794355	145	180	86283	36.25	41.05	31555
	31 <sup>वा</sup>	155588							
<b>कुल</b>						<b>11,89,493</b>			<b>1,19,832</b>

भुगतान की जाने वाली मूल्य वृद्धि = ₹ 11, 89, 493 + ₹ 1, 19, 832 = ₹ 13, 09, 325

भुगतान की राशि मूल्य वृद्धि = ₹ 3, 75,81, 027

मूल्य वृद्धि = ₹ 3,75,81,027 = ₹ 13,09,325 = ₹ 3,62,71,702

**परिशिष्ट 3.6**  
(संदर्भ : कंडिका 3.3.2, पृष्ठ 153)  
**विभाग के स्तर पर विलंब पर टिप्पणियों को दर्शाने वाला पत्रक**

स. क्र.	पैकेज क्र.	कार्य आदेश का दिनांक	पूर्णता का अनुबंधित दिनांक	पूर्णता का वास्तविक दिनांक	कुल विलंब	विभाग के स्तर पर विलंब	ठेकेदार के स्तर पर विलंब	विभाग स्तर पर विलंब पर टिप्पणियां
1	एमपी-4062	27.03.2010	26.03.2011	15.02.2013	692	130	562	वन विभाग से अनुमोदन में विलंब के कारण 40 दिन का विलंब और सड़क अलाइनमेंट में परिवर्तन के कारण 90 दिन का विलंब
2	एमपी-4018	28.02.2009	27.01.2010	10.08.2010	195	93	102	मोहनपोहरी से देवपुर सड़क की आर.डी. मी. 4300 से आर.डी. मी. 4600 तक भूमि हस्तांतरण में किसानों द्वारा बाधा पहुँचाने और अक्टूबर 2009 में शिवपुरी-श्रयोपुर से बहोरा सड़क में 500 मी. (सीमेंट कंक्रीट सड़क) में वृद्धि के कारण विलंब
3	एमपी-4065	25.03.2010	24.03.2011	31.05.2013	799	93	706	राय से किलवानी सड़क के लिए वन विभाग से अनुमोदन में विलंब
4	एमपी-4064	15.03.2010	14.03.2011	30.06.2012	474	122	352	वन विभाग से अनुमोदन में देशी के कारण 45 दिन का विलंब और वन विभाग द्वारा ठेकेदार की मशीन के जब्तीकरण के कारण 77 दिन का विलंब
5	एमपी-4061	15.03.2010	14.03.2011	31.05.2013	809	122	687	वन विभाग से अनुमोदन में देशी के कारण 45 दिन का विलंब और वन विभाग द्वारा ठेकेदार की मशीन के जब्तीकरण के कारण 77 दिन का विलंब

**परिशिष्ट 3.7**  
**(संदर्भ : कंडिका 3.3.2, पृष्ठ 153,154)**  
**निर्णीत हर्जाने के कम आरोपण को दर्शाने वाला पत्रक**

(राशि ₹ में)

स. क्र.	पैकेज संख्या	संविदा मूल्य	कुल विलंब	विभाग स्तर पर विलंब	ठेकेदार स्तर पर विलंब	लगाई गई एलडी का प्रतिशत	एल डी की लगायी जाने वाली प्रतिशतता (आनुपातिक)	लगायी गई राशि	लगायी जाने वाली प्रतिशत	कम उगाही
1	2	3	4	5	6	7	$8=6/4*100$	$9=3*7$ प्रतिशत	$10=3*8$ प्रतिशत	$11=10-9$
1	एमपी-4062	563.007	692	130	562	1.75	8	8.67	45.04	36.37
2	एमपी-4018	455.32	195	93	102	1	5	4.55	22.77	18.22
3	एमपी-4065	619.56	799	93	706	2	8	11.63	49.56	37.93
4	एमपी-4064	498.55	474	122	352	1.5	7	6.13	34.90	28.77
5	एमपी-4061	496.2	809	122	687	1.5	8	4.11	39.70	35.59
<b>कुल</b>								<b>35.09</b>	<b>191.97</b>	<b>156.88</b>

परिशिष्ट 3.8

(संदर्भ : कंडिका 3.3.3, पृष्ठ 155)

बर्गी डायवर्सन परियोजना मैहर की सतना-रीवा मुख्य नहर में सभी साम्रगियों हेतु मूल्य वृद्धि गणना को दर्शाने वाला पत्रक

(राशि ₹ में)

स. क्र.	तिमाही के दौरान किया गया कार्य (R)	लिया जाने वाला आधार सूचकांक (M 0)	माह	वर्तमान सूचकांक	लिया जाने वाला औसत सूचकांक	देय मूल्य वृद्धि (V M <sup>5</sup> )	लिया गया आधार सूचकांक (M 0)	लिया गया औसत सूचकांक	भुगतान की गई मूल्य वृद्धि	अधिक भुगतान
1	85395782	124.40	9-अक्टूबर	131.00	132.433	1031225.00	228.90	244.80	1109249.00	78024.00
			9-नवम्बर	132.90						
			9-दिसम्बर	133.40						
2	65428641	124.40	10-जनवरी	135.20	135.567	1098279.00	228.90	251.47	1206411.00	108132.00
			10- फरवरी	135.20						
			10- मार्च	136.30						
3	108169503	124.40	10- अप्रैल	138.60	139.167	2401090.51	228.90	259.67	2719119.00	318028.49
			10- मई	139.10						
			10- जून	139.80						
4	21495834	124.40	10- जुलाई	141.00	141.367	548241.68	228.90	263.97	615866.00	67624.32
			10- अगस्त	141.10						
			10- सितम्बर	142.00						
5	72968952	124.40	10- अक्टूबर	142.90	144.233	2175479.75	228.90	269.40	2414286.00	238806.25
			10- नवम्बर	143.80						
			10- दिसम्बर	146.00						
6	173924007	124.40	11-जनवरी	148.00	148.533	6309545.41	228.90	278.20	7004905.00	695359.59
			11- फरवरी	148.10						
			11- मार्च	149.50						
7	150672657	124.40	11- अप्रैल	152.10	152.533	6372016.11	228.90	285.70	6991633.00	619616.89
			11- मई	152.40						
			11- जून	153.10						
8	13405999	124.40	11- जुलाई	154.20	155.100	618669.61	228.90	290.50	674646.00	55976.39
			11- अगस्त	154.90						
			11- सितम्बर	156.20						
9	91334145	124.40	11- अक्टूबर	157.00	157.233	4507849.10	228.90	294.50	4894776.00	386926.90
			11-नवम्बर	157.40						
			11- दिसम्बर	157.30						
10	110986937	124.40	12-जनवरी	158.70	159.667	5883794.62	228.90	298.56	6316131.00	432336.38
			12- फरवरी	159.30						
			12- मार्च	161.00						
11	107728470	124.40	12- अप्रैल	163.50	164.033	6418186.28	228.90	306.48	6827426.00	409239.72
			12- मई	163.90						
			12- जून	164.70						

<sup>5</sup>  $V M = 0.85 \cdot 0^{+22} \cdot R \cdot (M - M 0) / M 0$

स. क्र.	तिमाही के दौरान किया गया कार्य (R)	लिया जाने वाला आधार सूचकांक (M 0)	माह	वर्तमान सूचकांक	लिया जाने वाला औसत सूचकांक	देय मूल्य वृद्धि (V M <sup>5</sup> )	लिया गया आधार सूचकांक (M 0)	लिया गया औसत सूचकांक	भुगतान की गई मूल्य वृद्धि	अधिक भुगतान
12	34562100	124.40	12- जुलाई	165.80	167.300	2228838.70	228.90	313.35	2384490.00	155651.30
			12- अगस्त	167.30						
			12- सितम्बर	168.80						
13	50457828	124.40	12- अक्टूबर	168.50	168.700	3360110.07	228.90	315.97	3589161.00	229050.93
			12- नवम्बर	168.80						
			12- दिसम्बर	168.80						
14	78085430	124.40	13- जनवरी	170.30	170.433	5403356.92	228.90	319.22	5761668.00	358311.08
			13- फरवरी	170.90						
			13- मार्च	170.10						
15	39394139	124.40	13- अप्रैल	171.30	171.967	2816797.05	228.90	322.09	2999140.00	182342.95
			13- मई	171.40						
			13- जून	173.20						
16	18284315	124.40	13- जुलाई	175.50	178.400	1484204.28	228.90	334.14	1572010.00	87805.72
			13- अगस्त	179.00						
			13- सितम्बर	180.70						
17	4410229	124.40	13- अक्टूबर	180.70	180.600	372579.27	228.90	338.01	393117.00	20537.73
			13- नवम्बर	181.50						
			13- दिसम्बर	179.60						
18	18181514	124.40	14- जनवरी	179.00	179.600	1508656.43	228.90	336.45	1597483.00	88826.57
			14- फरवरी	179.50						
			14- मार्च	180.30						
19	18956796	124.40	14- अप्रैल	180.80	181.933	1639478.40	228.90	340.76	1732350.00	92871.60
			14- मई	182.00						
			14- जून	183.00						
20	12170943	124.40	14- अक्टूबर	183.70	181.200	1039187.20	228.90	339.39	1098609.00	59421.80
			14- नवम्बर	181.20						
			14- दिसम्बर	178.70						
21	20837552	124.40	15- जनवरी	177.30	176.333	1626724.93	228.90	330.83	1735180.00	108455.07
			15- फरवरी	175.60						
			15- मार्च	176.10						
<b>कुल (अ)</b>						<b>5,88,44,310.35</b>			<b>6,36,37,656</b>	<b>47,93,345.65</b>

परिशिष्ट 3.9

(संदर्भ : कंडिका 3.3.3, पृष्ठ 155)

बर्गी डायवर्सन परियोजना सतना, नागोद शाखा नहर में सभी साम्रगियों हेतु मूल्य वृद्धि गणना को दर्शाने वाला पत्रक

(राशि ₹ में)

स. क्र.	तिमाही के दौरान किया गया कार्य (R)	लिया जाने वाला आधार सूचकांक (M 0)	माह	वर्तमान सूचकांक	लिया जाने वाला औसत सूचकांक	देय मूल्य वृद्धि (V M <sup>6</sup> )	लिया गया आधार सूचकांक (M 0)	लिया गया औसत सूचकांक	भुगतान की गई मूल्य वृद्धि	अधिक भुगतान
1	124148169	124.50	10-जनवरी	135.20	135.567	2063680.61	229.80	251.46	2188217	124536.39
			10- फरवरी	135.20						
			10- मार्च	136.30						
2	197859351	124.50	10- अप्रैल	138.60	139.167	4358831.97	229.80	260.03	4867280	508448.03
			10- मई	139.10						
			10- जून	139.80						
3	104971457	124.50	10- जुलाई	141.00	141.367	2659385.68	229.80	263.96	2917969	258583.32
			10- अगस्त	141.10						
			10- सितम्बर	142.00						
4	163573289	124.50	10- अक्टूबर	142.90	144.233	4848169.08	229.80	269.83	5328311	480141.92
			10- नवम्बर	143.80						
			10- दिसम्बर	146.00						
5	205241215	124.50	11-जनवरी	148.00	148.533	7408747.92	229.80	278.2	8083539	674791.08
			11- फरवरी	148.10						
			11- मार्च	149.50						
6	92324240	124.50	11- अप्रैल	152.10	152.533	3887385.17	229.80	285.69	4198957	311571.83
			11- मई	152.40						
			11- जून	153.10						
7	11712033	124.50	11- जुलाई	154.20	155.100	538301.97	229.80	290.49	578417	40115.03
			11- अगस्त	154.90						
			11- सितम्बर	156.20						
8	61443044	124.50	11- अक्टूबर	157.00	157.233	3020861.32	229.80	294.49	3234458	213596.68
			11-नवम्बर	157.40						
			11- दिसम्बर	157.30						
9	92642887	124.50	12-जनवरी	158.70	159.667	4893500.72	229.80	299.05	5220636	327135.28
			12- फरवरी	159.30						
			12- मार्च	161.00						
10	104837694	124.50	12- अप्रैल	163.50	164.033	6225145.22	229.80	307.23	6605692	380546.78
			12- मई	163.90						
			12- जून	164.70						
11	12821607	124.50	12- जुलाई	165.80	167.300	824249.11	229.80	313.35	871727	47477.89
			12- अगस्त	167.30						
			12- सितम्बर	168.80						

<sup>6</sup> V M = 0.85 \* 0.22 \* R \* (M - M 0) / M 0

स. क्र.	तिमाही के दौरान किया गया कार्य (R)	लिया जाने वाला आधार सूचकांक (M o)	माह	वर्तमान सूचकांक	लिया जाने वाला औसत सूचकांक	देय मूल्य वृद्धि (V M <sup>९</sup> )	लिया गया आधार सूचकांक (M o)	लिया गया औसत सूचकांक	भुगतान की गई मूल्य वृद्धि	अधिक भुगतान
12	57028730	124.50	12- अक्टूबर	168.80	168.700	3786066.39	229.80	315.97	3998908	212841.61
			12-नवम्बर	168.80						
13	80351284	124.50	12- दिसम्बर	170.30	170.433	5543574.49	229.80	319.21	5846157	302582.51
			13-जनवरी	170.90						
			13- फरवरी	170.10						
14	86610513	124.50	13- मार्च	171.30	171.967	6174967.13	229.80	322.09	6504544	329576.87
			13- अप्रैल	171.40						
			13- मई	173.20						
15	7336438	124.50	13- जून	175.50	178.400	593945.06	229.80	334.14	622913	28967.94
			13- जुलाई	179.00						
			13- अगस्त	180.70						
16	86879150	124.50	13- सितम्बर	180.70	180.600	7320667.46	229.80	338.01	7650231	329563.54
			13- अक्टूबर	181.50						
			13-नवम्बर	179.60						
17	127916123	124.50	13- दिसम्बर	179.00	179.600	10586420.53	229.80	338.01	11017085	430664.47
			14-जनवरी	179.50						
			14- फरवरी	180.30						
18	84698608	124.50	14-अप्रैल	180.80	181.933	7306510.79	229.80	337.51	7423759	117248.21
			14- मई	182.00						
			14- जून	183.00						
19	34953098	124.50	14- अक्टूबर	183.70	181.200	2976740.58	124.50	182.3	3034490	57749.42
			14- नवम्बर	181.20						
			14- दिसम्बर	178.70						
<b>कुल (ब)</b>						<b>8,50,17,151.21</b>			<b>9,01,93,290</b>	<b>51,76,138.79</b>
<b>महायोग =कुल (अ)+ कुल (ब)</b>						<b>47,93,345.65+51,76,138.79=99,69,484.44</b>				



परिशिष्ट 3.10

(संदर्भ : कंडिका 3.4.1, पृष्ठ 158)

ठेकेदार द्वारा निष्पादित मात्रा को दर्शाने वाला पत्रक

(राशि ₹ में)

चलित देयक क्रमांक	टैंक का नाम	निष्पादित मर्दें (घंटे)	भुगतान की राशि (₹)
1	पूर्वा नहर, सतना	1221.10	3571424
2	पूर्वा नहर, सतना	1182.40	3458236
3	पूर्वा नहर, सतना	1505.30	4402641
4	पूर्वा नहर, सतना	403.75	1180872
5	पूर्वा नहर, सतना	842.00	2462648
6	पूर्वा नहर, सतना	83.50	244217
7	पूर्वा नहर, सतना	984.05	2878110
8	पूर्वा नहर, सतना	36.25	106023
9	पूर्वा नहर, सतना	1946.00	5691582
10	पूर्वा नहर, सतना	1834.30	5364887
11	पूर्वा नहर, सतना	1930.30	5645664
12	पूर्वा नहर, सतना	966.10	2825611
13	पूर्वा नहर, सतना	438.20	1281630
14	महिदल वितरिका, सतना	114.18	333949
20	पूर्वा नहर, सतना	358.25	1047795
21	महिदल वितरिका, सतना	718.00	2099978
29	पूर्वा नहर, सतना	137.00	400692
30	महिदल वितरिका, सतना	1248.24	3650802
33	महिदल वितरिका, सतना	745.54	2180526
34	पूर्वा नहर, सतना	28.25	82624
40	महिदल वितरिका, सतना	961.70	2812741
41	पूर्वा नहर, सतना	117.40	343367
44	पूर्वा नहर, सतना	10.90	31880
47	महिदल वितरिका, सतना	101.70	297448
49	पूर्वा नहर, सतना	139.80	327105
51	महिदल वितरिका, सतना	779.60	1824114
53	महिदल वितरिका, सतना	866.20	2073538
54	पूर्वा नहर, सतना	122.00	285457
58	महिदल वितरिका, सतना	1106.00	2587828
60	पूर्वा नहर, सतना	242.30	566635
<b>कुल</b>		<b>21,170.31</b>	<b>6,00,60,024</b>

**परिशिष्ट 3.11**  
(संदर्भ : कंडिका 3.4.1, पृष्ठ 158)  
ठेकेदार को अदेय लाभ को दर्शाने वाला पत्रक

(राशि ₹ में)

स. क्र.	निष्पादन की मर्दे	ठेकेदार द्वारा निष्पादित की गई मात्रा (घन मी.)	ई एण्ड एम के मानकां के अनुसार मशीनों के प्रति घंटे कार्य (घन. मी.)	ई एण्ड एम के मानकां के अनुसार निष्पादित मात्रा में आवश्यक घंटे	ठेकेदार का भुगतान किए गए कुल घंटे	ठेकेदार द्वारा घंटो का अधिक उपभोग	ठेकेदार द्वारा प्रति घंटे उद्धृत दरें	अतिरिक्त लागत (₹ में)
1	2	3	4	5 = 3/4	6	7	8	9 = 7*8
1	कड़ी मिट्टी	107823	100	1078.23	21170.31	4033.77	2924.76	11797809
2	कड़ी मुरम	24560	90	272.89				
3	डिस्इंटीग्रेटेड रॉक	184514	40	4612.85				
4	नरम चट्टान	23185	24	966.04				
5	कड़ी चट्टान	59989	7.50	7998.53				
6	भूमि कार्य का बंड	198720	90	2208.00				
<b>कुल</b>		<b>5,98,791</b>		<b>17,136.54</b>				<b>1,17,97,809</b>